मानव संसाधन विकास मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
1992-93

भाग–1

शिक्षा विभाग

भारत सरकार

1993

विषय-वस्तु

पृष्ठ सं०

पृष्ठ सं०

पृष्ठ संख्या

1. भूमिका

1. भूमिका

1.1.0 मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा संस्कृति, युवा और खेलकूद, महिला और बच्चों से संबंधित क्षेत्रों में मानव क्षमता का विकास करने के सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए 1985 में बनाया गया था। इस रिपोर्ट में चार विभागों, जो मंत्रालय के घटक हैं, के कार्यकलाप दिए गए हैं। ये रिपोर्ट निम्न चार भागों में प्रस्तुत की गयी है :—

भाग—I शिक्षा विभाग

भाग—II संस्कृति विभाग

भाग—III युवा कार्य और खेलकूद विभाग

भाग—IV महिला और बाल विकास विभाग

शिक्षा विभाग :

1.2.1 वर्ष 1992–93 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसकी कार्रवाई योजना की पुनरीक्षा के कार्य को पूरा करना, तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देना, दो अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं। नीति की समीक्षा और योजना का निर्धारण एक ही समय में होना एक सुखद बात है क्योंकि ऐसा करने से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को आठवीं योजना में प्रतिबिम्बित किया जा सका। इसी कारण आठवीं योजना में शिक्षा परिव्यय (केन्द्र और राज्य) 19599.7 करोड़ रुपए है जो सातवीं योजना के 7632.9 करोड़ रुपए से 2.6 गुना अधिक है। योजना परिव्ययों के अंदर शिक्षा के लिए संसाधनों के आवंटन में परस्पर महत्वपूर्ण बदलाव है। प्रारंभिक शिक्षा पर छठी पंचवर्षीय योजना में परिव्यय 33 प्रतिशत से बढ़कर सातवीं योजना में 37.33 प्रतिशत और आठवीं योजना में 46.95 प्रतिशत हो गया।

1.2.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्रत्येक पांच वर्षों बाद इसके विभिन्न पैरामीटरों के कार्यान्वयन की समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। तदनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा 1990–92 के दौरान की गयी। समीक्षा में मोटे–तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का समर्थन किया गया और यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 आने वाले काफी लम्बे अरसे तक शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक कार्य ढांचा प्रदान करती रहे। तथापि पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुई घटनाओं और नीति के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव से कतिपय संशोधन करना आवश्यक हो गए हैं। ये संशोधन मई, 1992 में लागू किए गए थे।

1.2.3 प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण प्रौढ़ शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता, महिला शिक्षा और विकास, स्कूली शिक्षा का व्यवसायीकरण, उच्च शिक्षा का समेकन, तकनीकी शिक्षा का आधुनिकीकरण, सभी स्तरों पर शिक्षा की कोटि, विषयवस्तु और प्रक्रिया में सुधार शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयासों के मुख्य केन्द्र बने हुए हैं। पहले प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले पर बल दिया गया था। किन्तु अब बच्चों को स्कूल में बनाए रखने और उपलब्धि पर बल दिया जाता है। संशोधित नीति में यह संकल्प व्यक्त किया गया है कि इससे पूर्व कि हम इक्कसवीं शती में प्रवेश करें, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संतोष–जनक कोटि की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की परि–कल्पना की गई है, चूंकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुभव यह प्रमाणित हो गया है कि मिशनकार्यविधि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के वास्ते एक कारगर कार्य नीति है। संशोधित नीति निर्धारणों में भी व्यापक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करके व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

1.2.4 नीति के संशोधन के परिणामस्वरूप, सरकार ने 1992 में एक संशोधित कार्रवाई–योजना (का० योजना) भी तैयार की। कार्रवाई योजना 1992 में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रथम तथा प्रमुख कार्य शिक्षा के प्रबंध में सुधार करना है और शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के सभी स्तरों पर लागत प्रभाविता और जवाबदेही की एक विशिष्ट प्रकृति विकसित की जानी आवश्यक है। दक्षता का मापदण्ड बजट खर्च करने और नई मांग प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं बल्कि निष्पादन कार्य की पूर्ति होना चाहिए। कार्यवाही योजना, 1992 में घटिया संस्थाओं की अनियोजित वृद्धि रोकने के लिए कहा गया है। कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि राज्यों द्वारा अपनी अपनी कार्रवाई योजनाएं राष्ट्रीय नीति तथा स्थि–तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएंगी। राज्य कार्रवाई–योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित किए जाने के उद्देश्य से चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। आशा है कि राज्य कार्रवाई–योजनाएं शीघ्र ही तैयार हो जाएंगी।

1.2.5 अन्य बातों के साथ–साथ, कार्रवाई योजना प्रार–म्भिक शिक्षा जन–जन तक पहुंचाए जाने की रणनीति पर बल देती है जिसमें अलग–अलग लक्ष्य निर्धारण और आठवीं योजना में विकेन्द्रीकृत आयोजना को अपनाए जाने की परिकल्पना की गई है। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों और उन जिलों में जहां कि साक्षरता अभियान सफल रहे हैं, जिनके फलस्वरूप प्राथ–मिक शिक्षा की मांग बढ़ गई है, प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है इन जिलों में, प्रार–म्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाए जाने के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जिला विशेष और जनसंख्या विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लगभग 200 जिलों,

3—864 HRD/92

जहां महिला–साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, में से 20 से 25 जिलों को 1993–94 में जिला योजनाएं तैयार करने के लिए लिया जाएगा। इसने पुनः संरचित आपरेशन–ब्लैकबोर्ड के जरिए स्कूली–सुविधाएं में सुधार का भी सुझाव दिया है जिसका विस्तार अपर प्राथमिक स्तर तक कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पूर्ण साक्षरता अभियान व्यवहार्य माडल के रूप में उभर कर आया। इसने सार्वजनिक प्रौढ़ साक्षरता की अवधारणा को एक निराशाजनक स्वप्न से एक निष्पाद्य संभावना में बदल दिया है। ये अभियान क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, स्वयंसेवी आधारित लागत प्रभावी और परिमाणोन्मुखी हैं। 8 राज्यों में हुए 30 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान पहले ही सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और 4 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल करते हुए 182 जिलों में ये अभियान या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से चल रहे हैं।

1.2.6 कार्रवाई योजना में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभी–करण की समस्या को मूलतः लड़कियों की समस्या के रूप में परि–कल्पना की गई है तथा शिक्षा के सभी स्तरों विशेषकर विज्ञान, व्यावसायिक, तकनीकी और वाणिज्य शिक्षा की धाराओं में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने पर इसमें बल दिया गया है क्योंकि इन धाराओं में लड़कियों का नामांकन बहुत ही कम है। कार्र–वाई योजना ने महिला की समानता और शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए शिक्षा पद्धति को नया रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि महिला पुरुष के प्रति संवेदनशीलता में सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को प्रतिबिम्बित की जाती है, यह संस्थागत तंत्र की आवश्यकता की वकालत करती है।

1.2.7 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्रवाई योजना में नीति में जिन बिन्दुओं पर बल दिया गया है, और जिन कार्यनीतियों की परिकल्पना की गई है उनके लिए आठवीं पंच–वर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है। सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा, गैर–औपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता की त्रिमार्गी कार्य नीति अपनाई गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाए गए उपायों में ये शामिल हैं:—कक्षा में छात्रों के बनाए रखने और उनकी उपलब्धि के स्तरों को उतना ही महत्व देना जितना कि उनके नामांकन को, पहुंच के अपेक्षा–तया अधिक कठिन पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना, ये पहलू इस प्रकार हैं :— लड़कियों तथा सुविधा विहीन वर्गों तक शिक्षा पहुंचाना, शिक्षकों का सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशि–क्षण, स्कूल की प्रभावोत्पादकता में सुधार गैर–औपचारिक तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से शिक्षा के वैकल्पिक माध्यमों का प्रावधान, शिक्षा की घटी हुई मांग को उत्प्रेरित करना और शिक्षा की आयोजना और उसके प्रबंध में स्थानीय समुदायों को सहयोजित करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं, विशेष रूप से शिशु देखभाल, पोषण प्रारम्भिक शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य को शामिल कर लिया जाता है। चालू योजनाओं की उनके कार्या–न्वयन से प्राप्त अनुभव और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना में संशोधन के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की गई है। जहां भी आवश्यक हुआ है, नई योजनाएं तैयार की गई है।

1.2.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना में मूल्य शिक्षा तथा देश की सांस्कृतिक परम्पराओं के बारे में उप–युक्त परिप्रेक्ष्य को जहन में बिठाने पर पर्याप्त बल दिया गया है। स्कूल छात्रों में राष्ट्रीय, धर्मनिरपेक्ष और मानवीय दृष्टि–कोण विकसित करने के लिए अपेक्षित रवैये और मूल्यों को उनके जहन में बिठाने की दृष्टि से स्कूली पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक प्रभावशाली साधन हैं। मंत्रालय ने जून, 1991 में राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से स्कूली पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्य पुस्तकें साम्प्रदायिक और राष्ट्र विरोधी प्रभावों से मुक्त रहे। राष्ट्रीय एकता के दृष्टि–कोण से स्कूली पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा के प्रश्न पर विचार करने के लिए 1 फरवरी, 1993 को राज्य शिक्षा मंत्रियों और शिक्षाविदों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

संस्कृति विभाग

1.3.1 संस्कृति विभाग के मूलभूत उद्देश्य देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान जागृत करने तथा सुदृढ़ करने के हमारे प्रयासों से संबंधित हैं। कुछ योजनाओं और कार्यक्रमों में मुख्य बल ऐसी संस्कृति के प्रचार–प्रसार पर दिया जाता है जिसमें मानव सृजन–शीलता के व्यापक प्रतिरूपों का प्रकटीकरण शामिल हो। संस्–कृति विभाग अपनी समृद्ध विभिन्नताओं वाली भारतीय संस्कृति की असंख्य विशेषताओं को इसी रूप में प्रोन्नत करने तथा बनाए रखने का प्रयास करता है। विभाग के कार्यकलाप हमारी संस्कृति के व्यापक आवरणों, अर्थों, आकृतियों तथा पहचानों में मेल–मिलाप स्थापित करते हैं तथा इसमें अभिलेखागार पुरातात्विक अन्वेषण विरासत का परिरक्षण इत्यादि से लेकर निष्पादन, दृश्य तथा साहित्यिक कलाओं जैसे अनेक पहलू शामिल हैं।

1.3.2 बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों, मानव विज्ञान पुरातत्व विज्ञान संस्थाओं अभिलेखागारों, अकादमियों का प्रकाशन और विकास वर्ष के दौरान जारी रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, असम तथा अन्य कई राज्यों में कई प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक स्थलों का पता लगाया। इसने कई राज्यों में खुदाई करवाई जिससे संरचना संबंधी प्राचीन अवशेषों, विभिन्न पुरावस्तुओं, प्राचीन काल के मिट्टी के बर्तनों, तथा कई अन्य रूचिकर बातें प्रकाश में आई। इसके अतिरिक्त 460 स्मारकों को संरक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से 150 कार्य ऐसे थे जिनकी व्यापक संरक्षण प्रदान करने के लिए पहचान की गई।

1.3.3 वर्ष 1992–93 में भारतीय पुस्तकालय संघ (आई०एल०ए०) ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन आफ

लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के 58वें महासम्मेलन का आयोजन किया जिसका उद्घाटन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया । एक सप्ताह तक चले इस सम्मेलन का विषय था "पुस्तकालय और सूचना नीति एवं परिप्रेक्ष्य" ।

1.3.4 भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को "सर्वोत्तम औद्योगिक और वाणिज्यिक पार्श्विका" की ट्राफी से सम्मानित किया गया। जिसे उत्कृष्ट व्यावसायिक योगदान के लिए स्पेन में स्थित "इंडिकोइन" नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रदान किया गया ।

1.3.5 संगीत नाटक अकादमी ने भारत में निष्पादन कला की तरक्की के क्षेत्र में अपने कार्यकलापों को जारी रखा । कोरियोग्राफी के लिए सहायता संबंधी कार्यक्रम शुरू करने के अतिरिक्त इसने देश के उत्तर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के चारों अंचलों में रंगमंच महोत्सवों का आयोजन किया । साहित्य अकादमी ने, जो भारतीय साहित्य की प्रोन्नति तथा उच्च साहित्यिक स्तर को बढ़ावा देने के काम में लगी है, वर्ष के दौरान विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुनर्मुद्रण सहित 68 पुस्तकें प्रकाशित कीं । आधुनिक भारतीय साहित्य संग्रह का खण्ड 1 प्रकाशित किया गया । राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने वर्ष के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर थियेटर पर 14 कार्यशालाओं का आयोजन किया ।

1.3.6 वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में भी संस्कृति संतोषजनक स्थिति में रही । अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में, विभाग ने सांस्कृतिक करारों तथा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग के आधार को बढ़ाया । वर्ष के दौरान भारत में चीन महोत्सव का उद्घाटन भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति द्वारा तथा चीन जनवादी गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के माननीय उप-मंत्री द्वारा दिल्ली में किया गया । एक महीने तक चलने वाला यह महोत्सव दिसम्बर, 1992/जनवरी 1993 के दौरान भारत के सात शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिनमें चीनी चित्रकला, निष्पादन कलाओं की प्रदर्शनी, 21वीं शदी में चीन और भारत" पर सेमिनार चीनी संस्कृति पर वार्ताएं इत्यादि शामिल होंगी ।

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग

1.4.1 युवा राष्ट्र का सर्वाधिक सशक्त संसाधन है, जिस पर देश का वर्तमान और भविष्य निर्भर करता है । युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा युवा विकास की अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है । जबकि पुरानी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०) युवाओं को प्रशिक्षण, युवा क्लब, युवाओं के लिए प्रदर्शनियां, युवा छात्रावास, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, नेहरु युवा केन्द्र संगठन आदि जारी रहीं और इन्हें सुदृढ़ किया गया तथा सक्रिय तौर पर युवाओं की अथाह शक्ति का सही तरीके से उपयोग करने तथा युवा कार्यक्रमों पर नए सिरे से विशेष ध्यान देने हेतु वर्ष के दौरान नई पहल की गई । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं :—

1.4.2 युवाओं से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन और विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए एपेक्स संस्था और संसाधन केन्द्र के रूप के राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है । आठवीं योजना के दौरान परियोजना पर 4.19 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है ।

1.4.3 युवा क्लबों के योगदान को मान्यता देने तथा राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में सक्रिय तौर पर भाग लेने हेतु प्रेरणा देने के विचार से उत्कृष्ट युवा क्लबों को मान्यता देने के लिए एक नई योजना लागू की गई है । इस योजना में जिला और राज्य स्तर के पुरस्कारों के अलावा 25,000/– रु०, 50,000/- रु० तथा 1,00,000/– रु० मूल्य के तीन राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों का विचार किया गया हैं ।

1.4.4 उत्कृष्ट नेहरू युवा केन्द्रों को मान्यता देने के लिए नई योजना लागू की गई है । इसमें क्षेत्रीय पुरस्कारों के अलावा प्रति वर्ष 1,00,000/– रुपये का राष्ट्रीय पुरस्कार भी है । केन्द्र को दी गई पुरस्कार राशि का उपयोग केन्द्र के विकासात्मक कार्यकलापों हेतु किया जाएगा ।

1.4.5 अन्तर साम्प्रदायिक निष्ठा और आपसी सद्भाव का विकास करने के लिए 20 अगस्त 1992 को सम्पूर्ण देश में सद्भावना दिवस मनाया गया था । देश के विभिन्न भागों में आयोजित इन कार्यक्रमों में हजारों युवाओं ने भाग लिया। मुख्य समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि थे । स्कूल और कालेज के छात्रों के लिए सद्भावना निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई तथा विजेताओं को इस समारोह में पुरस्कार दिए गए। अनुभव के आधार पर वर्तमान राष्ट्रीय एकीकरण योजना को और अधिक अर्थ पूर्ण और सहभागिता बनाने के लिए उपयुक्त तौर पर संशोधित किया जा रहा है ।

1.4.6 साहसिक कार्यक्रम, स्काउट और गाईडिंग आन्दोलन, युवाओं को प्रशिक्षण, राष्ट्र संघ स्वयंसेवक कार्यक्रम, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम आदि अन्य योजनाएं भी जारी रखीं तथा सशक्त रूप से कार्यान्वित की गई । कुछ योजनाओं को अधिक सुसंगत बनाने के लिए इनमें सुधार किया जा रहा है ।

1.4.7 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०) छात्र युवाओं में व्यक्तित्व विकास और सामुदायिक सेवा के लिए वृहत्तम छात्र युवा कार्यक्रम है । वर्ष के दौरान एन०एस०एस० के स्वयंसेवक जन शिक्षा अभियान, पारिस्थिकी और बंजर भूमि विकास, पर्यावरण सुधार, वृक्षारोपण, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान, सामूहिक सौहार्द के लिए शांति मार्च, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, स्वास्थ्य शिक्षा आदि में संलग्न रहे हैं । उनके

प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम विश्वविद्यालय एड्स चर्चा नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत एच० आई० वी/एड्स के बारे में छात्र युवाओं और शिक्षित समुदाय को सचेत करने पर निर्देशित रहे हैं। एन०एस०एस० के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय एन०एस०एस० पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव है।

1.4.8 **खेल-कूद** :—खेल और शारीरिक उपयुक्तता के लिए भारत की लम्बी परम्परा रही है। नवें एशियाई खेलों के आयोजन से पहले 1982 में अलग खेल विभाग के सृजन से इस विषय को उच्च मान्यता दी गई। तत्पश्चात 1984 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल नीति घोषित की गई। हाल ही में इस नीति के कार्यान्वयन के लिए मानसून सत्र में संसद के समक्ष एक नया कार्यान्वयन कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हैं :—

(i) स्कूल और कालेजों में खेल और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करना।

(ii) खेल-कूद का सुव्यवस्थित मीडिया प्रदर्शन करना ताकि खेल जागरूकता का विकास हो सके और खेल-कूद में सहभागिता को बढ़ाया जा सके। इससे हमारे खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की नई प्रेरणा मिलेगी।

(iii) खेल-कूद के विकास के लिए निजी क्षेत्रों के संसाधन और शक्ति का प्रयोग करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ खेलों की बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए उनका सहयोग लेने के लिए नए कार्यक्रम खोजे जा रहे हैं।

खेल कार्यकलापों पर और विशेष ध्यान देने के प्रयास में मौजूदा सभी खेल योजनाओं की पुनरीक्षा करने तथा उन्हें अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई। इस समिति के अध्यक्ष विभाग के तत्कालीन सचिव श्री एम० एम० राजेन्द्रन थे और इसकी रिपोर्ट 29 मई, 1992 को राज्य मंत्री कु० ममता बनर्जी को प्रस्तुत की गई थी। समिति ने अनेक सिफारिशें की थीं तथा उन पर कार्रवाई प्रगति पर है। उनमें से एक मुख्य सिफारिश खिलाड़ियों को शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश तथा लोक सेवाओं में भर्ती में वरीयता देने से संबंधित थी।

1.4.9 उन पन्द्रह खेल विधाओं की पहचान की गई है जिन्हें मातृ विधाओं के रूप में माना गया है या जिनमें देश का 1994 के एशियाई खेलों में अच्छा भविष्य होगा। ये निम्नलिखित हैं :—

1. रोईंग
2. यार्टिंग
3. भारोत्तोलन
4. कुश्ती
5. कबड्डी
6. बैडमिंटन
7. निशानेबाजी
8. हाकी (पुरुष)
9. वालीबाल
10. टेबल टेनिस
11. घुड़सवारी
12. मुक्केबाजी
13. तीरंदाजी
14. एथलैटिक्स
15. तैराकी

1.4.10 एशियाई खेल 1994 के लिए दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। भारत में खेलों के सुधार हेतु योजनाओं पर विचार करने के लिए 30 अक्तूबर, 1992 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। उपाध्यक्ष (योजना आयोग) ने भी इस बैठक में भाग लिया था। तदनुसार देश में खेलों के विकास के लिए मध्यम और दीर्घकालीन अपेक्षित कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग

1.5.1 महिलाओं और बच्चों का विकास देश के समग्र मानव संसाधन विकास प्रयासों का एक अनिवार्य घटक है। अतः सरकार जनसंख्या के इन दो संवेदनशील वर्गों के विकास, कल्याण और संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए प्रमुखतया उत्तरदायी भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनेक कार्यक्रमों, समर्थन और अन्तरक्षेत्रीय प्रावधान के समन्वय के माध्यम से वर्ष के दौरान अपने प्रयास जारी रखे।

1.5.2 महिला विकास सम्बन्धी कार्यनीति के अन्तर्गत महिलाओं के प्रति सामाजिक रवैये में परिवर्तन लाने के लिए जागृति विकास, शिक्षण, प्रशिक्षण और रोजगार सहायता के माध्यम से महिलाओं को समर्थ बनाना, शिशु गृहों, कामकाजी महिला होस्टलों इत्यादि के माध्यम से सहायता सेवाएं प्रदान करने के कार्यक्रम और महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षणों के सम्पूर्ण सुरक्षालय की समीक्षा करना और उसे सुदृढ़ बनाना शामिल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिलाओं के लिए उपलब्ध सांविधानिक और कानूनी संरक्षणों संबंधी सभी मामलों की जांच करने और उनकी समीक्षा करने, मौजूदा कानूनों का पुनरीक्षण करने और जहां आवश्यक हो, संशोधनों के सुझाव देने के लिए किया गया था। 1990–2000 ई० का दशक दक्षेस बालिका दशक के रूप में मनाया जा

रहा है। इस दशक के दौरान कार्यान्वयन हेतु एक विशद राष्ट्रीय बालिका कार्यवाही योजना तैयार की गई है। प्रशासकों, नीति-निर्माताओं, योजनाकारों, पुलिस कार्मिकों के लिए महिलाओं के प्रति संवेदना अभियान "हमारे कानून" नामक एक "कानूनी साक्षरता मैनुअल" तैयार करना, पारम्परिक और गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में विभिन्न रोजगार उत्पादन कार्यक्रम, महिलाओं से संबंधित, विभिन्न लाभ-प्रधान योजनाओं में महिलाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण चिन्तन उत्पन्न करना, इस वर्ष के दौरान इस विभाग के महिला ब्यूरो के कुछ प्रमुख क्रियाकलाप हैं।

1.5.3 बाल विकास के क्षेत्र में विभाग के प्रयासों की आधारशिला समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम है जोकि बच्चों के लिए विश्व का सबसे बड़ा समेकित पोषाहार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, शिशुवती और गर्भवती माताओं के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ-सेवाओं, रोग प्रतिरक्षण, संवृद्धि प्रबोधन तथा 3–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा और महिलाओं के लिए पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा की सामूहिक सेवायें प्रदान किए जाने की अपेक्षा की गई है। फिलहाल देश में 2,761 स्वीकृत आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं हैं जिनमें 149.02 लाख बच्चों और 28.75 लाख माताओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आई० सी० डी० एस० योजना के माध्यम से 11–18 वर्ष के आयु वर्ग की बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली किशोर लड़कियों के लिए पहली बार एक मध्यक्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस मध्यक्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत किशोर लड़कियों के लिए पोषाहार और स्वास्थ्य सेवा, जागृति विकास कार्यात्मक साक्षरता, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व के सम्बन्ध में निर्देश, घरेलू कौशलों का प्रोन्नत करने और मनोरंजन आदि की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवायें आंगनवाड़ियों में छ: मास की अवधि के प्रशिक्षण और कार्य अनुभव के माध्यम से अथवा सुव्यवस्थित रूप से कार्यशील आंगनबाड़ियों में स्थापित और दोपहर बाद चलाए जाने वाले बालिका मंडलों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। फिलहाल किशोर बालिकाओं के लिए योजना का विस्तार 507 ब्लाकों में किया गया है। पूरी तरह चालू होने पर इस योजना से 4.5 लाख बच्चों के लाभान्वित होने की संभावना है।

1.5.4 आई० सी० डी० एस० योजना के लिए पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय सहायता भी मिली है। इस संबंध में सर्वाधिक उल्लेखनीय विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम है जिसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में किशोर लड़कियों के लिए योजना, महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा पोषाहार पुनर्वास केन्द्र और महिलाओं के लिए रोजगार उत्पादन जैसे कुछ नवीन घटक शामिल हैं। 303 करोड़ रुपये तक की यह योजना 301 ब्लाकों में 1990–91 से छ: वर्ष की अवधि के लिए है। इसी प्रकार तमिलनाडु में भी 316 ब्लाकों में 321.36 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायता प्राप्त तमिलनाडु समेकित पोषाहार परियोजना-II कार्यान्वित की जा रही है।

1.5.5 भारत ने विश्व बाल शिखर सम्मेलन के निर्णयों के अनुरूप, जिन पर भी भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, कार्यान्वयन हेतु एक दशकीय राष्ट्रीय बाल कल्याण कार्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुन: पुष्टि की है। इस योजना के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा और तत्संबंधी क्षेत्रों में 2000 ई० तक प्राप्त किए जाने वाले वृहत् लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

2. सिंहावलोकन

2. सिंहावलोकन

निधियों का आवंटन और उनका उपयोग

2.1.0. वर्ष 1992–93 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में शिक्षा के लिए 1725.17 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था इसमें से 773.87 करोड़ रुपये योजनेतर के अंतर्गत और 951.30 करोड़ रुपये योजनागत के अंतर्गत थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

2.2.1 1990—92 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा शुरू की गई थी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 5–6 मई, 1992 को आयोजित अपनी 47वीं बैठक में रा० शि० नी०–1986 की समीक्षा समिति की रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन करने के लिए गठित नीति संबंधी के० शि० स० बो० समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। नीति को व्यापक रूप से स्वीकार करते समय इसने पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए विकासों और नीति के कार्यान्वयन से उपलब्ध अनुभव के परिप्रेक्ष्य में कतिपय संशोधनों की सिफारिश की। के० शि० स० बो० द्वारा अनुशंसित इन सिफारिशों से संबद्ध संशोधित निर्धारणों का 7 मई, 1992 को संसद के सभा पटल पर रखा गया था।

कार्रवाई योजना का संशोधन

2.2.2 मई, 1992 में संशोधित नीति निर्धारणों को अपनाने के बाद एक संशोधित कार्रवाई योजना तैयार की गई थी। कार्रवाई योजना–1992 में 19 अगस्त, 1992 को संसद के सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

2.2.3 कार्रवाई योजना, 1992 में राज्य कार्रवाई योजना तैयार करने की परिकल्पना की गई है। राज्य कार्रवाई योजनाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने 29–30 अक्तूबर, 1992, 20–21 जनवरी 28–29 जनवरी तथा 17–18 फरवरी, 1993 को नई दिल्ली, बंगलौर तथा कलकता में उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्रों के लिए चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित कीं।

प्रारम्भिक शिक्षा

2.3.1 प्रारंभिक शिक्षा जो शैक्षिक विकास में कोरक्षेत्र है, के क्षेत्र बल में, न केवल दाखिले पर दिया गया था, बल्कि सहभागिता और उपलब्धियों पर भी बल दिया जाने लगा है। संशोधित क्षेत्र में अध्ययन के अनिवार्य स्तरों की उपलब्धि को महत्वपूर्ण क्षेत्रों के एक भाग के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण रूप से जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के बृहत कार्य के वास्तविक दृष्टिकोण को मद्दे नज़र रखते हुए, संशोधित नीति-निर्धारण में यह परिकल्पना की गई है कि 21वीं शताब्दी में कदम रखने से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। जैसा कि कार्रवाई योजना, 1992 में यह निर्धारण किया गया है, इस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय मिशन के आयोजन की क्रियाविधि की पद्धति को तैयार करने के लिए, वर्ष के दौरान विचार विमर्श तथा परामर्श आरंभ किए गए थे।

2.3.2 प्राथमिक स्तर पर निर्धारित किए गए न्यूनतम अध्ययन स्तरों को लगभग 2300 स्कूलों में 18 प्रायोगिक परियोजनाओं के अन्तर्गत आरंभ किया गया था। अपर प्राइमरी स्तर पर न्यूनतम अध्ययन स्तरों के लिए समिति के गठन की कार्रवाई आरंभ की गई थी। आपरेशन ब्लैक बोर्ड, गैर-औपचारिक शिक्षा और शिक्षक-शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत अभी तक की प्रमुख उपलब्धि इस प्रकार थी :—

आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अन्तर्गत ब्लाकों को शामिल करना।	:	5848
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या	:	471,000
संस्वीकृत किए गए अतिरिक्त पदों की संख्या		135,000
गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या	:	2,72,000
संस्वीकृत की गई शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या (जिला शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र शिक्षक शिक्षा कालेज और उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थाएं) :	:	350

माध्यमिक शिक्षा

2.4.1 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के अंतर्गत, कार्यक्रम के समेकन और उसे सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। योजना के संशोधन और शैक्षिक तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए एक शीर्षस्थ अनुसंधान व विकास संगठन के रूप में एक केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने के संबंध में कार्रवाई की गई थी। व्यावहारिक प्रशिक्षण पर पर्याप्त बल दिया गया था और प्रशिक्षु योजना के अंतर्गत 40 और व्यावसायिक विषय शामिल करना संभव हो पाया था। सूचना के नियमित

प्रवाह के लिए एक सगणकीकृत प्रबंध सूचना पद्धति तैयार की गई थी।

2.4.2 राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 8वीं योजना अवधि के दौरान कार्यकलापों को पर्याप्त रूप से और सुव्यवस्थित रूप से गैर औपचारिक क्षेत्र की ओर उन्मुख किया जाएगा। इस उद्देश्य से गैर-औपचारिक शिक्षा पद्धति के पदाधिकारियों के लिए पाठ्यचर्या विकास और अनुस्थापन की एक भिन्न कार्यनीति अपनाई जायेगी। गैर-औपचारिक क्षेत्र में परियोजना कार्यकलापों को स्वैच्छिक एजेंसियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ प्रभावी रूप से समन्वित किया जाएगा।

2.4.3 "नवाचारी कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाली शिक्षा संस्थाओं को सहायता के लिए शिक्षा में संस्कृति/कला/मूल्यों को सुदृढ़ करने के वास्ते एजेंसियों की सहायता योजना" के केन्द्रीय क्षेत्र को अधिक सार्थक बनाने के लिए फिर से तैयार किया गया है। 8वीं योजना अवधि के दौरान शुरू करने के लिए "शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्यों को सुदृढ़ करने के वास्ते सहायता" वाले नये शीर्षक से फिर से तैयार की गई इस योजना को अनुमोदित कर दिया गया है। इसका कला, कौशल, संगीत तथा नृत्य शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को सुदृढ करने का एक नया अतिरिक्त घटक है।

2.4.4 1974 से संचालित विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में सामान्य स्कूलों में शारीरिक और बौद्धिक विकलांगताओं वाले बच्चों को व्यावहारिक सिद्धांतों के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकताओं, जैसे सहायक सामग्री, उपस्कर तथा विशेष शिक्षक सहयोग की व्यवस्था करके समान अवसर प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। इस योजना में, जिसमें 1982-83 में साधारणतया 2,500 विकलांग बच्चों की संख्या थी, 1990-91 तक बढ़कर यह संख्या 30,000 हो गई। इस योजना को 8वीं योजना के दौरान कार्यान्वियन के लिए संशोधित किया गया है और आशा है कि निकट भविष्य में इसकी संख्या में और वृद्धि होगी।

प्रौढ़ साक्षरता

2.5.0 संपूर्ण साक्षरता अभियानों की सुविधाएं 179 जिलों तक उपलब्ध कराई गई हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने बड़ी संख्या में नव-साक्षर तैयार किए हैं जो लगातार उच्च क्षमताएं हासिल कर रहे हैं। उनके परिणामस्वरूप ग्राम शिक्षा समितियां भी गठित की गई है और इस प्रकार एक संप्रेषण तंत्र तैयार किया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय चिन्ताओं तथा विकास कार्यक्रमों से संबंधित संदेश संप्रेषित करने में किया जा सकता है। संपूर्ण साक्षरता अभियानों के कारण तयार होने वाले बड़ी संख्या में नव साक्षरों के परिणामस्वरूप निर्मित सृजनात्मक बलों को उत्तर साक्षरता अभियानों के माध्यम से समेकित, सुविधासम्पन्न तथा उन्नत अध्ययन क्षमताओं तथा कौशल विकास में किए जाने की आवश्यकता है। 120 लाख से अधिक नव साक्षरों को शामिल करके 27 उत्तर साक्षरता अभियान पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इस वर्ष संपूर्ण साक्षरता अभियानों पर लगातार ध्यान केन्द्रित किया गया। लगातार तीसरे वर्ष संपूर्ण साक्षरता अभियानों से साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता अभियानों के लिए पांडिचेरी के पुडवैं अरिवोली इयक्कम को यूनेस्को का प्रसिद्ध किन्ग सेजोन्ग पुरस्कार प्राप्त होने से अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। साक्षरता के अनुकूल एक वातावरण फिर से तैयार करने के लिए कुछेक उत्तरी राज्यों में भारत जन-ज्ञान विज्ञान जत्था-II शुरू किया गया था।

तकनीकी शिक्षा

2.6.0 तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(I) तकनीकी शिक्षा में आधुनीकीकरण अप्रचलन को दूर करने के कार्यक्रम के अंतर्गत 337 परियोजनाओं को 30.00 करोड़ रु. की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

(II) आठ और राज्यों और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र को शामिल करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी शिक्षा परियोजना के दूसरे चरण को अनुमोदित किया गया था। इसके साथ इस परियोजना में लगभग 517 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक उधार सहित लगभग 1650 करोड़ रु. के परिव्यय में 16 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र को शामिल किया गया है। अब इस परियोजना के दोनों चरण कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(III) ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समुदाय पालिटेक्निकों की संख्या बढ़कर 171 हो गई है। ये संस्थाएं प्रत्येक वर्ष औसतन 25,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करगी।

(IV) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्डों ने लगभग 21,320 छात्रों को प्रशिक्षित किया।

(V) वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 48 नई संस्थाएं और तकनीकी तथा प्रबंध संस्थाओं में शुरू करने के लिए 217 नए कार्यक्रम अनुमोदित किए।

विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

2.7.1. स्वतंत्रता प्राप्ति से देश में उच्च शिक्षा पद्धति का लगातार विकास हुआ है। विश्वविद्यालयों की संख्या

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पर 25 से बढ़कर 201 हो गई है (31 सम विश्वविद्यालयों सहित), और आठवीं योजना के शुरू में कालेजों की संख्या 700 से बढ़कर लगभग 7,000 हो गई है। कला संकाय में नामांकन कुल नामांकन का 40.4 प्रतिशत था। विज्ञान तथा वाणिज्य संकायों में यह प्रतिशत क्रमश: 19.6 और 21.9 था। प्रथम डिग्री स्तर पर नामांकन 40.6 लाख था (88.1 प्रतिशत), स्नातकोत्तर स्तर पर 4.38 लाख (9.5 प्रतिशत), अनुसंधान स्तर पर 0.51 लाख (1.1 प्रतिशत), और डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र स्तर पर 0.60 लाख (1.3 प्रतिशत), कुल नामांकन का लगभग 10 प्रतिशत अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के लोगों का था।

2.7.2 1980 के दशक के दौरान छात्र नामांकन के विकास के प्रवाह में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया है। यद्यपि छात्र नामांकन में 1985–86 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 5 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई, 1986–87 से छात्र नामांकन का वार्षिक विकास प्रत्येक वर्ष 4.1 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत के बीच रहा है। यह अनुमान है कि विकास की यह दर जारी रहेगी, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में कुल नामांकन लगभग 60 लाख छात्र होना चाहिए।

2.7.3 छात्रों के संकाय वार ब्यौरे से यह दिखाई देता है कि लगभग 40 प्रतिशत छात्र कला व मानविकी में नामांकित किए गए थे, वाणिज्य में 22 प्रतिशत, विज्ञान में 20 प्रतिशत, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में 5 प्रतिशत, विधि में 5 प्रतिशत, औषध में 3.4 प्रतिशत और कृषि में 1 प्रतिशत। यद्यपि प्रत्येक संकाय में नामांकित छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, कुल नामांकन में प्रत्येक संकाय के लिए नामांकन प्रतिशत सातवीं योजना के दौरान वही रहा है।

2.7.4 सातवीं योजना के अन्त में, पत्राचार पाठ्यक्रमों और मुक्त विश्वविद्यालयों में नामांकन लगभग 5 लाख छात्र था। पिछले 2–3 वर्षों में सुदूर शिक्षा पद्धति के लिए पर्याप्त उत्साह रहा है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक लाख से अधिक छात्रों का नामांकन किया गया है। आठवीं योजना अवधि के दौरान एक प्रमुख क्षेत्र होगा—मुक्त विश्वविद्यालयों और सुदूर शिक्षा संस्थाओं में एक मिलियन छात्रों के अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

2.8.1 जोमतियन, थाईलैंड में मार्च, 1990 में आयोजित सभी के लिए शिक्षा संबंधी विश्व सम्मेलन की महत्वपूर्ण देन दाता एजेंसियों के बुनियादी शिक्षा प्रदान करने की गहन रुचि रही है। इस रुचि को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में बुनियादी परियोजनाएं विकसित करता रहा है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय एजेंसियों से निधियां प्राप्त करता रहा है। ऐसी दो परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं—यूनिसेफ सहायता जिसे बिहार शिक्षा परियोजना (1991) और सीडा सहायता से राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना (1992)। उ० प्र० शिक्षा परियोजना का मूल्यांकन किया जा रहा है और आशा है कि विश्व बैंक द्वारा जून, 1993 के प्रारंभ में इसके वित्तीय वर्ष में इसे स्वीकृति मिल जाए यू० एन० डी० पी० और जर्मनी दक्षिण उड़ीसा में एक परियोजना के विकास के लिए सहायता दे रहे हैं। यूरोपियन समुदाय ने दिसम्बर, 1990 तक मध्य प्रदेश में एक परियोजना को आर्थिक सहायता देने में रुचि दिखाई ब्रुसेल्स से ई० सी० शिष्टमंडल, जिसने भारत का दौरा किया, से सुझावों के परिप्रेक्ष्य में एक परियोजना दस्तावेज तैयार किया गया है और कई बार उसमें संशोधन किया गया है। सम्मेलन से पूर्व भी यू० के० की समुद्रपार विकास एजेंसी (ओ०डी०ए०) ने संपूर्ण आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए एक प्राथमिक शिक्षा परियोजना को सहयोग देना शुरू कर दिया था।

2.8.2 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग शिक्षा विभाग में अपने सचिवालय के साथ विशेष रूप से अपने कार्यक्रम तैयार करने तथा उनको निष्पादित करने में यूनेस्को के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी बौद्धिक निवेश प्रदान करना जारी रखा।

2.8.3 मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में एक छः सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने 14 से 19 सितम्बर, 1992 तक जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 43वें अधिवेशन में भाग लिया। मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने नवम्बर, 1992 में चीन का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, शिष्टमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुरूप एजेंसियों के साथ पारस्परिक बातचीत की थी।

2.8.4 60 से अधिक द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के शैक्षिक घटक और अन्य सहयोगी प्रबंध के कार्यान्वयन का बारीक निरीक्षण करके बाह्य शैक्षिक संबंध सुदृढ़ करने के उपाय किए गए थे।

2.8.5 यूनेस्को ने पांडिचेरी के पुडुवै अखिली इयक्कम को (ज्ञान प्रकाश आन्दोलन) पांडिचेरी में साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता अभियान सही प्रकार से आयोजित करने के लिए किंग सेजोन्ग लिटरेसी पुरस्कार प्रदान किया।

भाषा विकास

2.9.1 भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के 1394 पदों (जनवरी,

1992 तक) के वेतन व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। पैंतीस हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों को सहायता दी गई थी। इन संस्थाओं ने लगभग 1,360 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया।

2.9.2 केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने क्षेत्रीय भाषाओं में 14,000 व्यक्तियों के हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों की पेशकश की।

2.9.3 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिन्दी भाषी क्षेत्रों से अपना शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी रखा।

2.9.4 केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान (सी० आई० एफ० एल०) ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थाओं के कार्यकलापों के समन्वय में प्रभावी भूमिका निभाई। सी० आई० ई० एफ० एल० ने जिला केन्द्रों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा शिक्षकों के पूर्ण प्रशिक्षण की स्कीमों को भी मानीटर किया।

2.9.5 प्रस्तावित विश्वविद्यालय के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार करने और इस संबंध में सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सितम्बर, 1992 में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित एक समिति गठित की गई थी।

2.9.6 देश में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए जुलाई, 1992 में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय से संबंधित एक समिति गठित की गई थी।

अनु० जातियों, अनु० जनजातियों तथा महिलाओं की शिक्षा

2.10.0 असमानताएं दूर करने और अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर बल दिया जाता रहा।

महिला समानता शिक्षा

2.11.0 शिक्षा में विशेष रूप से उच्च शिक्षा तथा विज्ञान और तकनीकी धाराओं में लड़कियों/महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करने के सभी प्रयास किए गए। गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में महिला सामाख्या के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

शिक्षा के लिए संसाधन

2.12.0 वर्ष 1990-91 के लिए वर्तमान मूल्यों पर कुल घरेलू उत्पाद का प्राक्कलन 472660 करोड़ रुपये है। उसी वर्ष, अर्थात् 1990-91 के लिए केन्द्र तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा विभाग का बजट 16,362.22 करोड़ रुपये था। यह निवेश कुल घरेलू उत्पाद का 3.5% है।

3. प्रशासन

3. प्रशासन

संगठनात्मक संरचना (ढांचा) :

3.1.0 शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक हैं जिसका समग्र प्रभाव मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन है। शिक्षा और संस्कृति उपमंत्री उनकी सहायता करती हैं। सचिवालय का नेतृत्व सचिव द्वारा किया जाता है जिसको अपर सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) सहयोग देते हैं। यह विभाग ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, डेस्कों, अनुभागों तथा एककों में संघटित है। प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार के प्रभाग में होता है जिसे प्रभागीय प्रमुख सहयोग देते हैं। विभाग का संगठन इस रिपोर्ट के साथ संलग्न संगठन चार्ट में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन

3.2.1 कई वर्षों से कई अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन इस विभाग के अंतर्गत आए हैं। महत्वपूर्ण अधीनस्थ कार्यालय इस प्रकार हैं:

— प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (प्रौ० शि० नि०)

— केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (के० हि० नि०)

— वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (वै० त० श० आ०)

— उर्दू–प्रोन्नति ब्यूरो (उ० प्रो० ब्यू०)

— केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (के० भा भा० सं०)

3.2.2 महत्वपूर्ण संगठन इस प्रकार हैं :

— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा० शै० अनु० प्र० परि०) नई दिल्ली स्कूली क्षेत्र में संचालन करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की स्रोत संस्था है।

— राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (रा० शै० यो० प्र० सं०) नई दिल्ली शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं में विशेषज्ञता वाली एक राष्ट्रीय स्तर की स्रोत संस्था है।

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि० अनु० आ०) जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करता है तथा मानक निर्धारित करता है।

— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ० भा० त० शि० परि०) नई दिल्ली, जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करती है और मानक निर्धारित करती है।

निम्नलिखित संस्थाएं उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान में लगी हुई हैं :—

- भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (भा० उ० अ० सं०), शिमला।
- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (भा० सा० वि० अनु० परि०), नई दिल्ली।
- भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद (भा० ऐ० अनु० परि०), नई दिल्ली।
- भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (भा० दा० अनु० परि०), नई दिल्ली।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए० एम० यू०), अलीगढ़।
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी० एच० यू०), वाराणसी।
- दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
- जामियामिलिया इस्लामिया नई दिल्ली।
- जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे० एन० यू०), नई दिल्ली।
- उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय।
- पांडिचेरी विश्वविद्यालय।
- विश्व भारती विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन।

— केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के० हि० सं०), आगरा जो भारत तथा विदेशों में हिंदी का प्रचार करता है।

— राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, संस्कृत में प्रोन्नति, विकास और अनुसंधान (स्कूल उच्च शिक्षा स्तर तक) में लगा हुआ है यह एक जांच निकाय भी है।

— केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के० वि० सं०), नई दिल्ली केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के लाभार्थ स्कूल चलाता है।

— नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लाभार्थ स्कूलों को चलाती है।

— केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के० मा० शि० बो०) नई दिल्ली जो स्कूलों को सम्बद्ध करता है और परीक्षाएं आयोजित करता है ।

— राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली

— तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में–

- भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर ।
- भारतीय खान स्कूल धनबाद ।
- राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई ।
- राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी रांची ।
- आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली ।
- भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद ।
- अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता तथा लखनऊ स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (भा० प्र० सं०) ।
- भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास स्थित तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं (त० शि० प्र० सं०) ।
- बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर तथा मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा० प्रौ० सं०) ।
- क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (कुल 17) ।

— राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (रा० प्रौ० शि० सं०) ।

3.2.3 जबकि वि० वि० अनु० आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और भा० प्रौ० जैसी संस्थाएं और स्वायत्त संगठन या तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं ।

कार्य

3.3.0 शिक्षा एक संगामी विषय है संगमन केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच एक सार्थक सहभागिता उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है :—

"जबकि शिक्षा के संबंध में राज्यों की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व में अनिवार्यतः कोई परिवर्तन नही होगा केन्द्रीय सरकार शिक्षा की कोटि और स्तरों (सभी स्तरों पर शिक्षण व्यवसाय सहित) को बनाये रखने, अनुसंधान और प्रोन्नत अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास हेतु जनशक्ति के संबंध में समस्त देश की शैक्षिक अपेक्षाओं का अध्ययन और उनका अनुश्रवण करने शिक्षा, संस्कृति और मानव संसाधन के अन्तर राष्ट्रीय पहलुओं को देखभाल करने और सामान्य तौर पर देश भर में शैक्षणिक पिरामिड (संस्वीकृत) के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समेकित स्वरूप को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार "व्यापक उत्तर दायित्व को स्वीकार करेगी" यह विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा तैयार की गयी भूमिका को पूरा करने के प्रयास करता रहा है तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेश के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करता रहा है।

सतर्कता कार्यकलाप

3.4.1. प्रशासन की गति को तीव्र करने तथा मुख्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों दोनो में ही विभाग के कर्मचारियों में अनुशासत बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किए गए थे । तीन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां तथा छह अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत सम्बन्धी कार्यवाही पूरी कर ली गई तथा प्रत्येक मामले में उचित आदेश जारी कर दिए गए। इसके अलावा, चार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कर्यवाही शुरू की गई थी तथा छह अधिकारियों (जिसमें चार राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं) के विरुद्ध पहले ही शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है । इस विभाग से सम्बन्धित 7 शिकायतें (जिसमें चार राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं) पर प्रारंभिक जांच पड़ताल की कारंवाई की गई थी । सतर्कता निरोधक के तहत एक कार्य योजना तैयार कर ली गई थी तथा निर्धारित अनुभागों और अधीनस्थ अधिकारियों के आकस्मिक सतर्कता निरीक्षण किए गए थे ।

3.4.2. इस समय शिक्षा विभाग से सत्तावन स्वायत्त संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान जुड़े हैं । अब तक 48 संगठन केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर चुके हैं । इनमें से 24 संगठनों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति भी कर ली है । 20 संगठनों ने लोक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित कर लिए हैं तथा लोक शिकायतों के निवारण के लिए उन्हें शिकायत अधिकारियों के नाम से पदनामित भी किया है ।

3.4.3. कुल मिलाकर अनुशासन और समय पाबंदी के अनुपालन पर पूर्ण बल देना जारी रहेगा ।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग :

3.5.1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है। इस समय शिक्षा विभाग में 100 अनुभाग, 10 अधीनस्थ कार्यालय, एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान तथा 75 स्वायत्त संगठन हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं । राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) से प्राप्त वर्ष 1992–93 के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति कार्यान्वयन के वार्षिक कार्यक्रम को इस विभाग इसके अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों को इस आग्रह के साथ परिचालित किया गया था कि उसमें निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं तथा सम्बन्ध में इसविभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों/संगठनों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में प्रगति की समीक्षा की जाए। इसके

अलावा, राजभाषा अधिनियम तथा नियमावली और उसके अन्तर्गत बताए गए प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन की मानीटरिंग तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की गई तथा जहां आवश्यक था वहां उपचारी उपाय भी सुझाए गए ।

3.5.2. आलोच्य वर्ष के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक हुई तथा वर्ष की शेष अवधि के दौरान इसकी और बैठकें बुलाने का प्रस्ताव रखा गया है । इसके अलावा, विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं । विभाग के राजभाषा एकक के अधिकारियों ने भी इन समितियों की बैठकों में भाग लिया तथा इन कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की ।

3.5.3. सरकारी काम-काज में हिन्दी का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है ।

3.5.4. राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों अर्थात हिन्दी टाइपलेखन, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी प्रबोध/प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए 73 कर्मचारी नामित किए गए ।

3.5.5. संसदीय राजभाषा समिति ने इस विभाग तथा इस विभाग के विभिन्न कार्यालयों/संगठनों भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर, विश्व भारती, शांति निकेतन, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली आदि का दौरा करके निरीक्षण किया । इन निरीक्षणों के दौरान राजभाषा कार्यान्वन कार्य से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया । दिनांक 23 सितम्बर, 1992 को इस विभाग का निरीक्षण करते समय समिति ने इस विभाग के भारी संख्या के अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा किए जा रहे वृहतकार्यों की सराहना करते हुए यह उल्लेख किया कि इन कार्यालयों/संगठनों के कार्यान्वयन कार्य का अनुवीक्षण और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।

3.5.6. इस विभाग में 14 से 18 सितम्बर, 1992 तक हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस अवसर पर माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह की ओर से संदेश, माननीय शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री कुमारी सैलजा की ओर से अपील तथा शिक्षा सचिव श्री एस० वी० गिरी की ओर से सरकारी कामकाज में हिन्दी के व्यापक प्रयोग के लिए आग्रह करते हुए निर्देश जारी किए गए । हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी निबंध लेखन में भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी और इनमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमश: 500 रु०, 300 रु० तथा 200 रु० के नकद पुरस्कार दिए गए ।

3.5.7. विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति को पुनर्गठित किया जा रहा है और संसदीय कार्य मंत्रालय से संसद सदस्यों के नामांकन प्राप्त किए जा रहे हैं ।

3.5.8. आलोच्य वर्ष के दौरान, 24 ऐसे कार्यालय हैं, जहां 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त था, राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया था ।

3.5.9. इस प्रकार शिक्षा विभाग अपने विभाग तथा अपने कार्यालयों/संगठनों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने में लगातार सेवारत है ताकि राजभाषा अधिनियम तथा नियमावलियों का अधिकाधिक अनुपालन हो सके ।

प्रकाशन

3.6.0. प्रकाशन एकक ने द्विभाषी सहित (अंग्रेजी तथा हिन्दी, दिसम्बर, 1992 तक) अंग्रेजी में चौदह प्रकाशन निकाले । एकक ने विदेशों में जाने वाले भारतीयों तथा भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों के प्रमाणीकरण करने का कार्य जारी रखा ।

3.7.0 **प्रतिनिधि मण्डल/विदेशी शिष्ट मंडल**

वर्ष 1992–93 के दौरान कई सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधिमण्डल/शिष्टमंडल विदेश गए तथा उन पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा नीचे की तालिका में दर्शायी गई है ।

प्रतिनिधिमंडलों/शिष्ट-मंडलों की संख्या	प्रतिनिधिमंडलों/शिष्टमंडलों में शामिल व्यक्तियों की संख्या	विदेशी मुद्रा घटक (अनुमानित रुपए)
24	35	10,62,281 ००

बजट अनुमान

3.8.0. शिक्षा विभाग से सम्बन्धित 1992–93 तथा 1933–94 के बजट प्रावधान निम्नलिखित हैं :—

विवरण	बजट अनुमान 1992–93	संशोधित अनु० 1992–93	बजट अनु० 1993–94
शिक्षा विभाग के प्रावधान के लिए मांग सं० 47	1725.17	1824.17	2149.31

विभाग का सचिवालय जिसमें वेतन तथा लेखा कार्यालय, आतिथ्य सत्कार तथा मनोरंजन भी शामिल हैं। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं योजनागत) से सम्बन्धित राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सहायता अनुदान के प्रावधानों सहित सामान्य शिक्षा/विभाग के अन्य राजस्व व्यय तथा केन्द्र और केन्द्रीय पायोजित योजनाओं के ऋण भी शामिल हैं।

व्यावसायिक विकास और कर्मचारियों का प्रशिक्षण

3.9.1 विभाग में एक प्रशिक्षण सेल भी कार्य कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य विभाग में सेवारत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ज्ञान, अभिरुचियों तथा व्यावहारिक दक्षताओं में सुधार लाना है।

3.9.2 वर्ष 1992–93 के दौरान लगभग 21 अधिकारियों को भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए भेजा गया जबकि दो अधिकारियों को प्रशिक्षण के वास्ते विदेशों में भेजा गया। इसके अलावा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह/तीन सप्ताह के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया।

3.9.3 शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए एक उचित कार्यनीति विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 1992–93 के दौरान प्रो० विनय शील गौतम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष को विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम विषयवस्तु विकसित करने के वास्ते परामर्शदात्री कार्य भी सौंपा गया।

4. महिला समानता के लिए शिक्षा

4. महिला समानता के लिए शिक्षा

4.1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना, महिला समानता और उन्हें अधिकार देने के लिए समस्त शैक्षिक प्रणाली को प्रतिबद्ध करती है । संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन० पी० ई०), 1986 और उसकी कार्रवाई योजना (पी० ओ० ए०) में महिलाओं की शिक्षा को समदृष्टि पैकेज का एक घटक होने की वजह से उच्च प्राथमिकता दी गई है । इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा, आर्थिक महत्व का भी है । विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास में समाज के इस बड़े वर्ग द्वारा अधिकाधिक योगदान में शिक्षा एक मुख्य घटक है । पिछली कार्रवाई योजना को कार्यान्वित करने में प्राप्त हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए, कार्रवाई योजना, 1992 में, इस क्षेत्र में बहुत से विशिष्ट कार्यक्रम निर्धारित किये हैं ।

4.1.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्रवाई योजना को वास्तविक रूप में संचालित करने को बहुत महत्व दिया गया है और राज्य सरकारों के साथ हुई क्षेत्रीय बैठकों में शिक्षा में लिंग मुद्दे की विशेष पुनरीक्षा की गई थी। और उसी समय, राज्यों को इस बात के लिए बल दिया गया था कि सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं में, लिंग के विषय को ध्यान दिया जाना चाहिए । मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्तर पर महिलाओं/बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी एक अनुश्रवण समिति, सभी नीतियों और परियोजनाओं में लिंग के विषय में संकेतकों का अनुश्रवण करती है । राज्य सरकारों को, राज्य सचिव स्तर पर, इसी तरह की अनुश्रवण समितियां गठित करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षिक प्रणाली में इस विषय को महत्व दिया गया है और कार्यान्वित किया गया है। औपचारिक और अनौपचारिक स्कूल शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन और उन्हें स्कूल में रोके रखने, ग्रामीण महिला शिक्षकों की नियुक्ति और पाठ्यचर्या में लिंग पक्षपात को दूर करने पर बल दिया गया है ।

4.1.3 1991 के दसवार्षिक जनगणना आंकड़ों की प्रोत्साहित करने वाली विशेषता, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार है । इन आंकड़ों के अनुसार, 1981 में, 29.8 प्रतिशत की तुलना में 39.4 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं । वर्ष 1981–91 के दौरान, पुरुषों के मामले में 7.5 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के मामले में साक्षरता दर, 9.6 प्रतिशत तक बढ़ गई । जबकि ये आंकड़े, पुरुषों के आंकड़ों से अभी भी बहुत कम हैं, महिला साक्षरता की दस-वार्षिक विकास दर पुरुषों से ज्यादा है ।

4.1.4 1991–92 के दौरान, कुल नामांकन में बालिकाओं का नामांकन, प्राथमिक स्तर पर 39 प्रतिशत, मिडल स्तर पर 33 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 28 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा स्तर पर 23 प्रतिशत है ।

4.1.5 विभाग की विद्यमान योजनाओं के अधीन महिलाओं के लाभ के लिए, विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं । आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अधीन, संशोधित नीति निर्धारण में यह एक शर्त है कि भविष्य में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों का 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए । आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अधीन, भारत सरकार, 1987–88 में, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के 1,22,890 पदों के सृजन के लिए, जो मुख्यत: महिलाओं द्वारा भरे जाएंगे, सहायता प्रदान कर रही है । नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षकों के 69,926 पद भरे गए हैं जिसमें से 57.39 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं । छात्रावासों की योजना संचालित की जा रही है ताकि बालिकाएं माध्यमिक शिक्षा से लाभ उठा सकें ।

4.1.6 मंत्रालय की अनौपचारिक शिक्षा योजना के के अधीन, ऐसे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को, जो केवल बालिकाओं के लिए हैं, 90 प्रतिशत सहायता दी गई । बालिकाओं के अनौपाचिरक शिक्षा केन्द्रों का संचित योग 82,000 है ।

4.1.7 सचेतन कार्रवाई से, नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं का दाखिला 28.44 प्रतिशत तक सुनिश्चित हो गया । मार्च, 1992 को, इन विद्यालयों में बालिकाओं की कुल संख्या 78,149 के पूर्णयोग की तुलना में 22,222 है ।

4.1.8 पूर्ण साक्षरता अभियानों में, महिलाओं को अधिकार देने के उद्देश्य पर विशेष ध्यान दिया गया है चूंकि देश में, महिला साक्षरता दर, पुरुषों से काफी कम है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण साक्षरता अभियानों के अधीन महिला अध्येता, पुरुष अध्येताओं को पीछे छोड़ जाएंगी । अब तक वंचित वर्गों को अधिकार देने के सम्बन्ध में, सामाजिक जागरूकता महत्वपूर्ण है जैसा कि कुल जिलों में, निर्माण सम्बन्धी कार्य करने वालों को उचित वेतन के भुगतान कार्य करने वाले को सीधे, ताड़ी की बिक्री, शराब का दुकानों को बन्द करना और सभी अभियान जिलों में बच्चों के नामांकन के लिए मांग में एक समान वृद्धि, जैसे कुछ आन्दोलनों/गतिविधियों में पाया गया है । यह मुख्यत:,

महिलाओं की शिक्षा की वजह से हुआ है। प्रौढ़ शिक्षा और उत्तर साक्षरता शिक्षा केन्द्रों में, महिलाओं के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया गया था ।

4.1.9. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, सामान्य और तकनीकी दोनों, महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों में असाधारण/अदभुत विस्तार हुआ है । विश्व विद्यालय और कालेज स्तरों पर महिला शिक्षा में विविधता आई है और समाज, उद्योग और व्यापार की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उसका प्रबोधन किया गया है उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के नामांकन की संख्या, 1950-51 के 40,000 से बढ़कर 1990-91 में लगभग 14,37,000 हो गई और यह वृद्धि चालीस वर्ष की अवधि में 36 गुणा से भी ज्यादा है । इस अवधि के दौरान, प्रति सौ नामांकित पुरुषों की तुलना में, नामांकित महिलाओं की संख्या तीन गुणा से भी ज्यादा अर्थात् 1950-51 14 से 1990-91 में बढ़ कर 48 हो गई । कुल नामांकन की प्रतिशतता के रूप में, महिलाओं के नामांकन, 1981-82 में 27.7 प्रतिशत से बढ़ कर 1990-91 में 32.5 प्रतिशत हो गया ।

4.1.10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों को, महिला अध्ययनों में अनुसंधान की सु-परिभाषित परियोजनाएं आरम्भ करने और अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर पाठ्यचर्या के विकास तथा सम्बद्ध विस्तार क्रियाकलापों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । आयोग ने, सामाजिक विज्ञान तथा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान और मानविकी में महिला उम्मीदवारों के लिए, अंशकालिक रिसर्च एसोसिएटशिप के 40 पदों का भी सृजन किया है । सितम्बर, 1992 तक, महिला अध्ययनों के उद्देश्य से सम्बद्ध, 21 अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की गई । विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के बाद, महिला अध्ययन स्थायी समिति ने भी, क्रमशः महिला अध्ययन केन्द्रों और कक्षों की स्थापना हेतु 21 विश्वविद्यालयों और 11 कालेजों/विश्वविद्यालीय विभागों को सहायता देने की सिफारिश की है ।

4.1.11. वर्ष 1992 के दौरान, श्रमिक-विद्यापीठ के बहुसंयोजक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन, यूनीसेफ ने, दक्षता आधारित साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु 10 चुनिंदा श्रमिक विद्यापीठों की विशेष सहायता प्रदान की । प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ द्वारा 1000 महिलाओं/बालिकाओं को साक्षर बनाया जाएगा । 1993 के मध्य तक, 10,000 महिलाओं को न केवल साक्षर बनाया जाएगा अपितु उन्हें लोकप्रिय व्यवसाय में दक्षता के लिए समर्थ बनाया जाएगा ।

4.1.12. महिला शिक्षा और उन्हें अधिकार देने के लिए, विभाग द्वारा बहुत से विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए । महिला समाख्या (महिला समानता के लिए शिक्षा), डच सहायता से अप्रैल, 1989 में आरम्भ किया गया । यह परियोजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में तैयार की गई । वे कठिनाईयां, जिससे महिलाओं और बालिकाओं को शैक्षिक निवेश की सुलभता में बाधा आई है, इस परियोजना में वे मुख्य केन्द्र बिंदु हैं । यह परियोजना, महिलाओं की आत्मछवि और आत्म-विश्वास और उनके बारे में समाज के बोध के मुद्दों को सम्बोधित करते हुए आरम्भ की गई है । महिला समाख्या परियोजना में इस बात की पूर्व कल्पना की गई है कि शिक्षा महिला समानता में एक निर्णायक हस्ताक्षेप कर सकती है । इस परियोजना का समग्र उद्देश्य, ऐसी परिस्थितियां पैदा करना है जिसमें महिलाएं, अपनी दशा को बेहतर ढंग से समझ सके, अधिकार न देने की दयनीय स्थिति से, ऐसी स्थिति में जा सके जिसमें वे अपने-अपने जीवनों को नियत कर सके और अपने-अपने वातावरण को प्रभावित कर सके तथा साथ-साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए एक शैक्षिक अवसर पैदा कर सके जिससे विकास की प्रक्रिया को मदद मिल सके । उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा परियोजना और बिहार शिक्षा परियोजना में महिला सामाख्या घटक को महिला शिक्षा की रणनीति का अंश बनाया जा रहा है ।

4.1.13. कार्यक्रम में, उत्तर प्रदेश के 10 जिले, कर्नाटक और गुजरात शामिल हैं आठवीं योजना अवधि के दौरान, इस कार्यक्रम का विस्तार, 10 अन्य जिलों और आन्ध्र प्रदेश के 3 जिलों तक किया जा रहा है । महिला सामाख्या रणनीति की सफलता से प्रोत्साहित होकर, इस कार्यक्रम को, देश के, अनेक अन्य बुनियादी शिक्षा परियोजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है ।

4.1.14. कार्रवाई योजना, 1992 में, विभाग में शिक्षा के कार्यक्रमों के निरीक्षण के लिए महिला कक्ष की स्थापना करने की व्यवस्था है । इस उद्देश्य के लिए, विभाग के आयोजना ब्यूरो में, एक कक्ष पहले ही स्थापित किया जा चुका है ।

4.1.15 कार्रवाई योजना, 1992 में, कार्रवाई योजना के कार्यान्वियन की पुनरीक्षा करने, बालिकाओं की शिक्षा से सम्बद्ध नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार को सलाह देने और अनिवार्य सहायक सेवा के प्रावधान, जिससे शिक्षा में बालिकाओं और महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी, को सुनिश्चित करने के लिए, आयोजना तंत्र को गति देने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षा के वास्ते एक उच्च स्तरीय अंतरमंत्रालय समिति की भी व्यवस्था है ऐसी समिति को विधिवत गठित किया गया है और राज्यों से, इसी तरह की समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया है ।

4.1.16. रा० श० अनु० व प्र० परिषद ने, महिला शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये हैं रा० श० अनु० व प्र० परिषद ने प्रारम्भिक स्कूल प्रणाली में बालिकाओं द्वारा शिक्षा जारी रखने और न रखने के कारण पर एक अध्ययन पूरा कर लिया है । परिषद ने, हरियाणा में एक मुख्य समेकित, बहु-स्तरीय अनुसंधान-एवं-प्रशिक्षण परियोजना आरम्भ की है जहां 300 शैक्षिक कार्मिकों को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं और प्रतिकूलवर्गों के बीच प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु, प्रबोधन दिया जाएगा । पाठ्यपुस्तकों में से लिंग भेदभाव को हटाने के लिए दिशा-निर्देश, लिंगों के बीच समानता को बढ़ावा देने हेतु शिक्षकों के लिए पुस्तिका और महिला शिक्षा प्रशिक्षण नियमावली, विकसित किए जा रहे हैं। परिषद, ने, हावड़ा शिक्षक मंच के सहयोग से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया ताकि ग्रामीण बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ कराने हेतु दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया जा सके । शिक्षक प्रशिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों के लिए, लिंग संवेदनशीलता पर तीन कार्यशालाएं, दो दिल्ली में और एक पश्चिम बंगाल में, अनुरोध पर, आयोजित की गई ।

4.1.17. प्रत्यक्ष रूप में, कार्रवाई योजना, 1992 को निम्नलिखित रूप रेखाओं के आधार पर संचालित करने का प्रयास किया जाएगा :—

(1) एक बड़ी संख्या में शैक्षिक कार्मिकों को शामिल करने हेतु एक राष्ट्रवार लिंग संवेदनाशीलता का कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा ताकि शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों को शामिल किया जा सके । इस रणनीति का अनुपूरक, संचार अभियान और बालिका शिक्षा हेतु सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए अभिभावक जागरुकता कार्यक्रम होगा । महिलाओं को अधिकार देने और बालिका शिक्षा के बुनियादी मुद्दों पर महिला दलों की गतिशीलता को तीव्र किया जाएगा ।

(2) सभी शिक्षकों और प्रशिक्षकों, महिलाओं को अधिकार दिलवाने के एजेंटों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा । प्रशिक्षण कार्यक्रम रा० श० अनु० व प्र० परिषद, परमाणु ऊर्जा विभाग, राज्य स्रोत केन्द्रों, जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी सस्थानों, राज्य शै० अनु० व प्र० परिषदों और विश्वविद्यालय प्रणाली द्वारा विकसित किए जाएंगे । नवाचार प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धित संगठनों और महिला दलों की सहायता से तैयार किए जायेंगे ।

(3) रा० शै० अनु० व प्र० परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की भर्ती और तैनाती की समस्याओं का अध्ययन करेगी ताकि अड़चनों और व्यवहार्य समाधानों का पता लगाया जा सके ।

(4) लिंग रूढ़िबद्धता को तोड़ते हुए सभी स्तरों पर बालिकाओं को, अधिकाधिक व्यावसायिक तकनीकी और पेशावार शिक्षा सुलभ कराने के लिए उपाय किए जायेंगे ।

(5) ऐसा सहायक सेवाओं का सृजन करने, जिससे बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी, विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों और योजनाओं को अभिमुख करने पर बल दिया जा सगा । महिला एवं बाल विकास विभाग और राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग मांगा जाएगा ।

(6) महिला और बाल विकास विभाग द्वारा विकसित कानूनी साक्षरता सामग्रियों का दूर-दूर तक प्रचार किया जाएगा ताकि वे स्कूली पाठ्यचर्या साक्षरता अभियानों और महिलाओं की गतिशीलता का अंग बन सके । विशेषकर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया (संचार) सहायता मांगी जाएगी ।

(7) बालिकाओं की मिडिल और माध्यमिक शिक्षा तक पहुच को बढ़ाने के लिए, दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया जाएगा । राष्ट्रीय मुक्त स्कूल, बालिकाओं को दूरस्थ शिक्षा में लाने में सफल रहे हैं तथा और अधिक मिडिल स्कूल की बालिकाओं को शिक्षा देने में सहायता देने हेतु, इस संयोजन को बढ़ाया जाएगा ।

(8) महिला शिक्षा के निवाचारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और उनके प्रलेखन पर बल दिया जाएगा ।

5. प्रारम्भिक शिक्षा

5. प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना

5.1.1. सभी बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, भारत के संविधान का निदेशात्मक सिद्धान्त है। इस लक्ष्य की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए 1950 से कृत-संकल्प प्रयास किए जा रहे है। कई वर्षों से संस्थाओं तथा नामांकन की संख्या तथा विस्तार में प्रभावशाली वृद्धि होती रही है।

5.1.2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (रा० शि० नी०) और कार्रवाई योजना (का० यो०) ने शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अधिक प्राथमिकता दी और अनेक नवाचारों को आरम्भ किया। पहले तो बल, नामांकन के साथ-साथ नामांकन तथा अवरोधन पर दिया गया था। तत्पश्चात्, स्कूल में बच्चों को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए, सूक्ष्म आयोजना पर आधारित अति सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीतियों का क्रम अपनाए जाने की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां 1986 में की गई है। तीसरे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने यह पता लगाया कि अनाकर्षित स्कूल पर्यावरण भवनों की असंतोषजनक स्थिति और शैक्षिक सामग्री की अपर्याप्तता बच्चों तथा उनके अभिभावकों के लिए गैर-प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। अतः नीति में प्राथमिक स्कूलों के पर्याप्त सुधार और सहायक-सेवाओं के प्रावधान की मांग की गई है। इस क्षेत्र में आपरेशन-ब्लैकबोर्ड की योजना की कल्पना की गई थी। चौथे रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने प्राथमिक स्तर पर बाल केन्द्रित और अध्ययन की कार्यकलाप आधारित प्रक्रिया को अपनाए जाने की सिफारिश की। पांचवे रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसकी कार्रवाई योजना ने शिक्षक-शिक्षा को पुनः संरचना के वृहत्-कार्यक्रम की मांग की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा को सुगम बनाने से सम्बन्धित अधिक कठिनाई वाले पहलुओं अर्थात, लाखों लड़कियों तथा कामकाजी बच्चों को शिक्षा सुलभ करने का उल्लेख किया गया है। गैर-औपचारिक शिक्षा के व्यापक व्यवस्थित कार्यक्रम को प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के एक अभिन्न घटक के रूप में आरम्भ किया।

5.1.3. कुल साक्षरता अभियानों की सकारात्मक बाहिमुखता यह रही है कि अभियान द्वारा शामिल किए गए अनेक जिलों में प्राथमिक शिक्षा की मांग की एक लहर बना रही है। इसने प्रारम्भिक शिक्षा जन-जन तक पहुंचाए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों में "मांग-पक्ष" की ओर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता की पुष्टि की है और प्रारम्भिक-शिक्षा जन-जन तक पहुंचाए जाने की समस्याओं के लिए असंकलित दृष्टिकोण हेतु आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

5.1.4. शिक्षार्थी उपलब्धि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने अध्ययन के न्यूनतम स्तर निर्धारित किए जाने का प्रावधान किया। पाठ्यचर्या भार को कम करने और उन बच्चों के लिए जिन्हें घर पर अथवा स्कूल के बाहर अध्ययन का कोई सहायता प्राप्त नहीं है, इसे अधिक संगत और कार्यात्मक बनाने के आशय से प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के न्यूनतम स्तर निर्धारित कर दिए गए हैं। यह अब मान लिया गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाए जाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक स्कूल से उत्तीर्ण होने वाले बच्चे अध्ययन का न्यूनतम स्तर प्राप्त नहीं कर लेते शिक्षा की सुगमता तथा अवरोधन के साथ-साथ उपलब्धि को भी बराबर का महत्व दिया जाए।

5.1.5 एक और महत्वपूर्ण विकास जोमटियन-थाईलैंड में मार्च, 1990 में हुए सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी विश्व-सम्मेलन था। सम्मेलन के परिणामस्वरूप-बुनियादी शिक्षा में, सर्वाधिक दानदाता रुचियों को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों में विस्तृत बुनियादी शिक्षा परियोजनाओं को तैयार करने का निर्णय लिया गया था। सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी विश्व-सम्मेलन सम्बन्धी परियोजनाएं बिहार और राजस्थान में बाह्य-सहायता से आरम्भ कर दी गई है।

5.1.6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को वर्ष 1990-92 के दौरान संशोधित किया गया था और इसके अपनाए जाने से विकासों द्वारा अनिवार्य कतिपय संशोधन प्रभावित हुए थे। संशोधित नीति निर्धारणों में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे :—

(I) अध्ययन के अनिवार्य स्तर का लक्ष्य प्राप्त करने को महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में विशिष्ट रूप से निगमित किया गया है।

(II) आपरेशन-ब्लैकबोर्ड (आ० बो०) का विस्तार प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में तीन पर्याप्त रूप से

बड़े कमरों तथा तीन शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, यह भी निर्णय लिया गया था कि आपरेशन-ब्लैकबोर्ड का विस्तार उपर प्राथमिक स्तर तक किया जाए ।

(III) विशिष्ट रूप से यह निर्दिष्ट किया गया था कि भविष्य में नियुक्त किए जाने वाले कम-से-कम 50 प्रतिशत शिक्षक महिलाएं होनी चाहिएं ।

(IV) अपनी संपूर्णता में शिक्षा की सुगमता अवरोधन और उपलब्धि में, प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के अति-विशाल कार्य को वास्तविक रूप से मद्दे नजर रखते हुए, आर० पी० एफ० में यह परिकल्पना की गई है कि संतोषजनक कोटि की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को 21वीं शताब्दी के आरम्भ होने से पूर्व उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

(V) सामाजिक क्षेत्रों में विशेष रूप से साक्षरता में, मिशन पद्धति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, आर० पी० एफ० ने, वर्ष 2000 तक प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन आयोजित करने की परिकल्पना की है ।

5.1.7 आठवीं योजना में प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति के सम्बन्ध में असंकलित लक्ष्य-निर्धारण और विकेन्द्रीकृत आयोजना को अपनाए जाने की परिकल्पना की गई है । यह भी प्रयास रहेगा कि लोगों की सहभागिता के जरिए सूक्ष्म-आयोजना को व्यापक रणनीति के ढांचे में प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जिला-विशिष्ट, जनसंख्या-विशिष्ट योजनाएं तैयार करने और शिक्षार्थी-उपलब्धि में सुधार करने के लिए स्कूलों में न्यूनतम अध्ययन स्तरों को आरम्भ किया जाएगा । सूक्ष्म-आयोजना सार्वजनिक सुगमता और सार्वजनिक सहभागिता के कार्यढांचे को उपलब्ध कराएगी जबकि सार्वजनिक उपलब्धि के लिए न्यूनतम अध्ययन स्तर रणनीति ढांचा होगा । शिक्षा विभाग शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों और उन जिलों में जहां कुल साक्षरता अभियानों ने एक मांग को जन्म दिया है, को प्राथमिकता देते हुए, इन रूपरेखाओं के आधार पर जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने के लिए आई० डी० ए० सहायता प्राप्त परियोजना तैयार कर रहा है ।

5.1.8. कई वर्षों से, केन्द्र तथा राज्यों ने प्रारम्भिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त निवेश किए हैं । पांचवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण यह प्रतिबिम्बित करता है कि एक किलोमीटर की पैदल दूरी में प्राथमिक स्कूलों/सेक्शनों से 94.06 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का पोषण किया गया था और उनमें से 85.39 प्रतिशत को तीन किलोमीटर की पैदल दूरी में मिडिल स्कूल/सेक्शन उपलब्ध कराए गए थे । नीचे एक सारणी दी गई है जो 1950-51 से प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार की स्थिति को स्पष्ट करती है ।

1950–51 से प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार

(लाखों में)

	1950–51	1990–91
प्राथमिक स्कूलों की संख्या	2.20	5.66
मिडिल स्कूलों की संख्या	0.14	1.52
कक्षा 1 से 5 में नामांकन	191.5	1015.8
लड़कों का	137.71	592.2
लड़कियों का	53.8	423.6
कक्षा 6 से 8 में नामांकन	31.3	344.5
लड़कों का	25.9	214.5
लड़कियों का	5.4	130.0
कक्षा 1 से 8 में नामांकन	222.8	1360.3
लड़कों का	163.6	806.7
लड़कियों का	59.2	553.6

5.1.9 शिक्षा के इस विस्तार के स्तर के बावजूद, प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का संवैधानिक अधिदेश पूरा करने के लिए अभी व्यापक आधार को शामिल किया जाना है । पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दरें महत्वपूर्ण हैं : स्कूलों में बच्चों को बनाए रखने की दर कम है । अपव्यय बहुत ज्यादा है । (वर्ष 1987–88 में, कक्षा 1 से 5 में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर 46.97 थी, और कक्षा 1 से 8 में 62.29 थी ।) प्रारम्भिक शिक्षा की पहुंच में चौंका देने वाली असमानताएं हैं—क्षेत्रों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, लड़कों तथा लड़कियों, धनाढ्य और वंचित तथा अल्पसंख्यकों और अन्यों के बीच असमानताएं । 5–14 आयु वर्ग में अनुयायी गणों को 18 करोड़ तक उपलब्ध कराया जाना है जो 1981 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत बनता है ।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड

5.2.1 आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना अवरोधन में सुधार लाए जाने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में पर्याप्त सुधार करने के लिए वर्ष 1987–88 में आरम्भ की गई थी । इसके तीन परस्पर निर्भरता तत्व हैं अर्थात् (1) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचघर सुविधाओं तथा एक बड़ा बरामदा सहित सभी मौसम के उपयुक्त कम से कम दो पर्याप्त बड़े कमरों की व्यवस्था; (2) प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो

शिक्षकों जिनमें से यथासम्भव एक महिला हो और (iii) ब्लैक-बोर्डों, नक्शों, मानचित्रों, खिलौनों और कार्यानुभव के लिए उपकरणों सहित आवश्यक पठन सामग्रियों का प्रबन्ध। स्कूल भवनों के निर्माण के लिए कोष मुख्य रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं से प्रदान किये जाते हैं। अन्य दो घटकों के लिए कोष शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में देश के सभी ब्लाक/पालिका क्षेत्रों में एक चरणबद्ध रूप में प्राथमिक स्कूलों को सम्मिलित करने की परिकल्पना की गई है।

5.2.2 सचालन को सक्रिय बनाए जाने के उद्देश्य से, स्कूली सुविधाओं के सम्बन्ध में सरकार की संशोधित नीति में आठवीं योजना के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन उप योजनाओं का प्रस्ताव है :—

(I) सातवीं योजना में निर्धारित शेष स्कूलों को शामिल करने के लिए चल रहे आपरेशन ब्लैकबोर्ड को जारी रखना।

(II) जिन प्राथमिक स्कूलों में दाखिला संख्या–80 बढ़ जाती है वहां तीन शिक्षक और तीन कक्षा–कक्ष उपलब्ध करवाने के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का विस्तार।

(III) अपर प्राथमिक स्कूलों में आपरेशन ब्लैकबोर्ड के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना।

5.2.3 1992–93 तक आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत उपलब्धियों से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :—

आपरेशन ब्लैकबोर्ड—उपलब्धियां

						प्रत्याशित
	1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93
1	2	3	4	5	6	7
खर्च की गई राशि (करोड़ रु० में)	110.61	135.73	126.98	150.98	175.63	99.14
शामिल किये गये ब्लाकों की सं०	1703	1795	578	343	960	500
शामिल किये गये स्कूलों की संख्या	1.13	1.40	0.52	0.39	0.68	0.60
शामिल किये गये प्राथमिक स्कूलों की प्रतिशतता	21.00%	26.40%	9.90%	7.35%	12.74%	11%
प्राथमिक शिक्षकों के स्वीकृत पद	36891	36327	5274	14389	26840	16000

न्यूनतम अध्ययन स्तर :

5.3.1 न्यूनतम अध्ययन स्तर की नीति में, कक्षा में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान केन्द्रित करके और समदृष्टि के सिद्धांत अपनाकर स्कूलों में अध्यापन में सुधार लाने की बात कही गई है। नीति का उद्देश्य बुनियादी शिक्षा से प्रत्याशित अध्ययन परिणामों को वास्तविक, प्रासंगिक और कार्यात्मक स्तर पर निर्धारित करना है और इसमें ऐसे उपाय अपनाने को निर्धारित किया गया है जो यह सुनिश्चित करे कि ऐसे सभी बच्चों जो स्कूल स्तर पूरा कर लेते हैं इन परिणामों को प्राप्त कर लेते हैं। ये परिणाम न्यूनतम अध्ययन स्तर को परिभाषित करते हैं।

5.3.2 स्कूलों में न्यूनतम अध्ययन स्तर लागू करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए गए हैं :—
(I) अध्ययन उपलब्धियों के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन; (II) क्षेत्र के लिए न्यूनतम अध्ययन स्तर की परिभाषा तथा वह समयावधि जिसमें यह प्राप्त किया जाएगा; (III) समक्षमता आधारित शिक्षण की ओर अभिमुख शिक्षण प्रणालियों का अनुस्थापन; (IV) कक्षा में हुई पढ़ाई के साथ छात्रों के अध्ययन के सतत मूल्यांकन का समाकलन; (V) पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा, एवं उनका संशोधन, जहां कहीं आवश्यक हो; (VI) न्यूनतम अध्ययन स्तरों की अध्ययन उपलब्धियों में सुधार करने के लिए भौतिक सुविधाओं का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षक, मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण आदि सहित यथा आवश्यक साधनों का प्रावधान।

5.3.3 न्यूनतम अध्ययन स्तरों सम्बन्धी नीति का उद्देश्य, निष्पादन एवं दक्षता विश्लेषण के लिए उपाय की एक प्रणाली उपलब्ध करवाना है। जहां अध्ययन का निम्न स्तर है, वहां सीधे अधिक संसाधनों के लिए अध्ययन की उपलब्धियों पर निगाह रखने का प्रयास किया जाएगा और जरूरतमंद क्षेत्रों में विकास की गति, बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि इनके द्वारा विषमताएं दूर की जा सकें और स्तरों में समानता लाई

जा सके। अन्ततोगत्वा इससे कोटि में सुधार होगा और पद्धति के निष्पादन में भी सुधार होगा।

5.3.4 वर्ष 1991–92 के दौरान मंत्रालय ने न्यूनतम अध्ययनों के स्तर सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए, प्रायोगिक और नवीन परियोजनाओं की योजना के अन्तर्गत 18 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की। इन परियोजनाओं से 2000 स्कूल, 300000 छात्र तथा 8000 शिक्षक लाभान्वित हुए और 69 लाख रुपये की राशि उन्हें अपने-अपने कार्यकलाप संचालित करने के लिए दी गई थी। इन परियोजनाओं ने वर्ष 1992-93 के दौरान अपने-अपने कार्याकलापों को जारी रखा। परियोजना निदेशकों को अनिवार्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, स्रोत-व्यक्तियों का एक लघु दल गठित किया गया है। यह दल, शिक्षकों तथा राज्य कार्मिकों को गहन-प्रबोधन प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, सभी तीन विषयों के लिए, विषय-बैंक, पूरा करने हेतु परीक्षा-विषय तैयार करने तथा वितरित करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

सूक्ष्म आयोजना-संचालन-योजना

5.4.1 सूक्ष्म आयोजना जो शिक्षा के लिए परिवारवार तथा बालवार कार्रवाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया है, को प्रारम्भिक शिक्षा जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में परिकल्पित किया गया है। सूक्ष्म आयोजना की योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र स्कूल अथवा गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र में नियमित रूप से जाता है और गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र में स्कूली शिक्षा अथवा इसके समकक्ष के कम से कम पांच वर्ष पूरे कर लेता है और अनिवार्य न्यूनतम अध्ययन स्तरों को भी पूरा कर लेता है।

5.4.2 प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाये जाने के तीन अनिवार्य पहलू अर्थात् शिक्षा सुलभता भागीदारी और उपलब्धि सूक्ष्म आयोजना के प्रमुख कार्य हैं। योजना के प्रमुख घटकों में ये शामिल हैं: समाज की सहभागिता के साथ-साथ भागीदारी आयोजना, प्रशासनिक कार्यों का विकेन्द्रीकरण, स्कूली सुविधाओं में सुधार, न्यूनतम अध्ययन स्तर की रण नीति को अपनाना, क्षेत्र आदि में सेवाओं का अभिसरण।

5.4.3 आरम्भ किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलाप इस प्रकार हैं: पर्यावरण- निर्माण, शैक्षिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण, समाज की सहभागिता के लिए गांव शिक्षा समिति तैयार करना, नामांकन अभियान, वी० आई० सी० सदस्यों शिक्षकों वालिन्टियरों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला, नये स्कूलों/गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलना और मूल्यांकित शैक्षिक आवश्यकताओंपर आधारित अतिरिक्त शिक्षकों, शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति और अनुश्रवण तथा मूल्यांकन।

5.4.4 यह योजना जिला साक्षरता समितियों (डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी सोसाइटीज) जिला शैक्षिक औद्योगिक संस्थान (डी० आई० ई० टी०)/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस० सी० ई० आर० टी०) तथा गैर सरकारी संगठनों के जरिए लागू की जाएगी।

गैर-औपचारिक शिक्षा

5.5.1 कामकाजी बच्चों और स्कूल-रहित बस्तियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में गैर-औपचारिक अंशकालिक शिक्षा की भूमिका का पता 1964–66 के शिक्षा आयोग से लगाया गया है। वर्ष 1979–80 के दौरान, गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की वैकल्पिक रण-नीति के रूप में आरम्भ की गई थी जो किन्हीं कारणों से औपचारिक स्कूलों में नहीं जा सकते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के व्यापक तथा व्यवस्थित कार्यक्रम की परिकल्पना की। यद्यपि, इसका केन्द्र बिन्दु आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल नामक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए दस राज्यों पर रहा है और इसका विस्तार शहरीगन्दी बस्तियों, पर्वतीय, जन-जातीय और मरुस्थल क्षेत्रों तथा इसके साथ-साथ अन्य राज्यों में कामकाजी बच्चों की सघनता वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किया गया है। योजनाओं के अन्तर्गत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्रमशः, सामान्य (सह-शिक्षा) और विशेष रूप से लड़कियों के केन्द्रों को चलाने के लिए 50 : 50 और 90 : 10 केन्द्र–राज्य के हिस्से के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रयोगात्मक और नवाचार-परियोजनाओं तथा जिला-स्रोत इकाइयों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा-केन्द्र चलाने हेतु स्वैच्छिक एजेन्सियों को शत-प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है।

5.5.2 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने योजना की, सापेक्ष रूप से वंचित भौगोलिक क्षेत्रों और समाज के सामाजिक आर्थिक वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एक बाल-केन्द्रित और पर्यावरणोन्मुख पद्धति के रूप में कल्पना की गई है। इस योजना की अन्य विशेषताएं हैं: इसकी संगठनात्मक नम्यता, पाठ्यचर्याओं का प्रासंगिकता, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को उनसे सम्बद्ध करने के लिए अध्ययन कार्याकलापों में अनेकता तथा विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध। यह कार्यक्रम परियोजना आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। सामान्यतया सामुदायिक विकास खण्ड के साथ सह-व्यापकता तथा प्रत्येक परियोजना में लगभग 100 गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र हैं।

5.5.3 वर्ष 1992–93 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों (31–3–1993 तक प्रत्याशित) के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :—

गैर-औपचारिक-शिक्षा : उपलब्धियां

	1992–93
1. खर्च की गई राशि (रुपए करोड़ों में)	57.00
2. गैर-औपचारिक-शिक्षा केन्द्र जिन्हें एक-साथ कार्य में लाया गया (लाखों में)	2.45
3. गैर-औपचारिक-शिक्षा केन्द्रों जो विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं, की संख्या-संचयी (लाखों में)	0.82
4. गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (संचयी) के लिए अनुमोदित स्वैच्छिक संगठन की संख्या	425
5. स्वैच्छिक एजेन्सियों (संचयी) द्वारा कार्य में लाए गए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र	28000
6. अनुमोदित की गई प्रयोगात्मक नवाचार परियोजनाओं की संख्या (संचयी)	60
7. अनुमानित नामांकन (लाखों में)	68.25
8. जिला स्रोत इकाइयों की संख्या	25
9. शामिल किए गए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या	18

5.5.4 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को, शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए न्यूनतम अध्ययन स्तर के अनुसरण में एक मानक-कोटि की अध्यापन—अध्ययन-सामग्री के विकास में शामिल किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत, रा० शै० अनु० प्र० परि० ने राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में मनोनीत किए गए प्रमुख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है जो इसके बदले में गैर-औपचारिक-शिक्षा पर्यवेक्षकों तथा अनुदेशकों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार गैर-औपचारिक-शिक्षा क्षेत्र के पदाधिकारियों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए बहु-स्तरीय प्रशिक्षण कार्मिक उपलब्ध कराया गया है।

5.5.5 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल नामक 8 राज्यों में योजना के बाह्य मूल्यांकन के संचालन के लिए 6 अनुसंधान संस्थाओं को लगाया गया है। आशा की जाती है कि संस्थाएं चालू वित्तीय वर्ष 1992–93 के दौरान अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर देंगी।

5.5.6 गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए प्रबन्ध-सूचना-पद्धति विकसित करने के लिए "शिक्षा सम्बन्धी कम्प्यूटरीकृत आयोजना" (सी० ओ० पी० ई०) नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में समूचे मध्य प्रदेश राज्य को शामिल किया गया है।

शिक्षक शिक्षा :

5.6.1 शिक्षक-शिक्षा की पुनः संरचना और पुनर्गठन की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1987–88 से क्रियान्वित की जा रही है। इसका लक्ष्य देश में शिक्षक-शिक्षा-पद्धति को सुदृढ़ बनाने का है ताकि यह स्कूलों और प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा पद्धतियों को प्रभावी प्रशिक्षण और शैक्षिक-सहायता उपलब्ध करा सके :–

— 1989–90 तक वार्षिक रूप से लगभग 5 लाख स्कूली-शिक्षकों को उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परिकल्पित प्रमुख बलों से अवगत कराने का जन-प्रबोधन और उनकी व्यावसायिक सक्षमता में सुधार करना। यह योजना अब बन्द हो गई है।

— लगभग 400 जिला शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना या तो उपयुक्त विद्यमान प्रारम्भिक शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को स्तरोन्नत करके की जाए अथवा जहां आवश्यक हो, नए संस्थान स्थापित करके की जाए ताकि जिला स्तर पर प्रारम्भिक और प्रौढ़ शिक्षा पद्धतियों को कुल शैक्षिक और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जा सके।

— लगभग 250 माध्यमिक शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, उनमें से लगभग 50 को उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थाओं के रूप में विकसित करना तथा शेष को शिक्षक-शिक्षा कालेजों के रूप में विकसित करना;

— राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों को सुदृढ़ बनाना;

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना।

5.6.2 वर्ष 1992–93 के दौरान, 49 जिला शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थाएं तथा 6 सी० टी० ई० संस्वीकृत किए गए थे। बिहार, मेघालय, कर्नाटक और पांडिचेरी नामक चार राज्य/संघ शासित क्षेत्र उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शामिल हुए जो इस योजना को पहले ही कार्यान्वित कर रहे हैं।

5.6.3 1987-88 से, अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत उपलब्धियां नीचे सारणी में दर्शाई गई हैं :—

शिक्षक शिक्षा : उपलब्धियां

क्रम सं०		संचयी उपलब्धियां 1987-88 से 1992-93
1.	खर्च की गई राशि (रुपए करोड़ों में)	199.76 रुपये
2.	शिक्षक के जन-प्रबोधन की प्रगति के अन्तर्गत अनुस्थापित किए गए व्यक्तियों की संख्या लाखों में)	12.96 इसके अतिरिक्त 4.66 लाख शिक्षक 1986 में शामिल किए गए थे।
3.	संस्वीकृत किए गए जिला शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की संख्या	307
4.	संस्वीकृत किए गए शिक्षक-शिक्षा कालेजों (सी० टी० ई०) की संख्या	31
5.	संस्वीकृत किए गए उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थाओं की संख्या	12
6.	शामिल किये गये राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या	26

5.6.4 डी० आई० ई० टी०/डी० आर० यू० के संकाय के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान रा० शै० आ० प्र० सं० (नीपा), रा० शै० अनु० प्र० परि० और इसके चार क्षेत्रीय कालेजों तथा एन० आई० सी० द्वारा 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें सहभागियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों को वर्ष 1992-93 के दौरान चालू रखने का प्रस्ताव है।

5.6.5 डी० आई० ई० टी०, सी० टी० ई० और आई० ए० एस० ई० की स्थापना समय को ध्यान में रखते हुए एक लम्बी प्रक्रिया है और यह अनिवार्य भवन तैयार करता है और पदों का सृजन करके उन्हें भरता है। अभी तक 162 डी० आई० ई० टी० चालू हो चुके हैं और उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन का कार्य आरम्भ कर दिया है। कुछेक चुनिन्दा डी० आई० ई० टी० का मूल्यांकन आरम्भ कर दिया गया है। अभी तक प्राप्त हुई रिपोर्टों में कुछेक कमियों को दर्शाया गया है, और कुछेक सुझाव दिए गए हैं। तदनुसार, अनिवार्य कार्रवाई की जा रही है।

5.6.6 राज्य शै० अनु० प्र० परिषदों को सुदृढ़ बनाए जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस घटक के क्रियान्वयन को शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा।

5.6.7 जहां तक शिक्षा के विश्वविद्यालय विभागों को सुदृढ़ बनाए जाने का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शिक्षा सम्बन्धी पैनल इस मामले से अवगत है।

राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद (रा० शि०शि० परि०) :

5.7.0 राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद, शिक्षक-शिक्षा के मानकों को उठाए रखने के लिए स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद, को, शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के प्रत्यायन के लिए अनिवार्य संसाधन और सक्षमता उपलब्ध कराई जायेगी तथा पाठ्यचर्याओं और प्रणालियों के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन दिया जाएगा। कार्रवाई-योजना, 1992 में परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद सम्बन्धी एक विधेयक, राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा-परिषद् को उत्तरदायी बनाने के निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया है : शिक्षक-शिक्षा में मानकों के निर्धारण, अनुरक्षण और समन्वय, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड और दिशा-निर्देश निर्धारित करने, इस क्षेत्र में नवाचार के संवर्धन और शिक्षकों की सतत शिक्षा की उपयुक्त पद्धति आरम्भ करना। विधेयक में, शिक्षक-शिक्षा के लिए निकृष्ट संस्थाओं और पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध करते हुए शिक्षक-शिक्षा-पद्धति में कोटिपरक सुधार करने के लिए परिषद् को अधिकार प्रदान किए जाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा-परिषद् को शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने तथा शिक्षक-शिक्षा में नए पाठ्यक्रमों अथवा प्रशिक्षण के लिए मान्यताप्राप्त संस्थाओं को अनुमति देने के भी अधिकार प्रदान किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त, इस विधेयक में, परिषद् की क्षेत्रीय समिति के प्रकार्यों को विभिन्न अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने की व्यवस्था की गई है।

बाल भवन सोसाइटी, भारत :

5.8.1 भारतीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली को संस्थापना पं० जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा पर की गई थी तथा वर्ष 1955 में इसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है। यह सोसाइटी 5-16 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों में सृजनात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने में अपना योगदान देती रही है। विशेषकर समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों तथा अन्य वर्गों के बच्चे सृजनात्मक एवं निष्पादन कलाओं, पर्यावरण, खगोल विज्ञान फोटोग्राफी, एकीकृत कार्यकलाप एवं शारीरिक कार्यकलापों तथा विज्ञान संबंधी कार्यकलापों में अपनी-अपनी पसंद के कार्यकलापों का अध्ययन कर सकते हैं। सोसाइटी के 62 बाल भवन केन्द्र हैं जो सारी दिल्ली में फैले हुए हैं और यह दो जवाहर बाल भवनों का भी वित्तपोषण कर रही है जिनमें एक श्रीनगर में तथा दूसरा मंडी में है। बाल भवन का राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र इच्छुक व्यक्तियों को जिनमें

शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षक भी शामिल हैं, प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करता है। देश में राज्य तथा जिला बाल भवन भारतीय बाल भवन सोसाइटी से सम्बद्ध हैं जो उन्हें सामान्य मार्गदर्शन प्रशिक्षण, सुविधाओं और सूचना स्थानान्तरण की व्यवस्था करते हैं। बाल भवन का उद्देश्य है स्वतंत्र व खुशहाल वातावरण में बच्चे का चहुंमुखी विकास।

5.8.2 विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों को, बच्चों में वैज्ञानिक मन: स्थिति पैदा करने के लिए आरम्भ किए गए थे

(क) पर्यावरण पर अधिक बल देते हुए, 22–4–92 को भूमि–दिवस के रूप में मनाया गया था।

(ख) 26 मई, 1992 से निष्पादन कलाओं के लिए एक समेकित कार्यक्रम आरम्भ किया गया था ताकि निष्पादन कलाओं तथा वैयक्तिक विकास के लिए इसके प्रयोग के विभिन्न पहलुओं के बारे में बच्चों को जानकारी कराई जा सके। इस अवसर पर लोक नृत्य और संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया था।

(ग) फोटोग्राफी प्रदर्शनी तथा चमत्कारों को स्पष्ट करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

5.8.3 बच्चों में पर्यावरण संबंधी ज्ञान पैदा करने के लिए 2 और 5 जून, 1992 के बीच पर्यावरण सप्ताह आयोजित किया गया था। बच्चों के लिए पर्यावरण की स्थिति पर अपने-अपने विचार और मत प्रकट करने के लिए, एक मंच (प्लेटफार्म) उपलब्ध कराने के लिए यह एक अनुपम प्रयास था। आठ वर्ष की आयु के छात्रों द्वारा एक बाल वृक्ष लाने की योजना, इस प्रकार लगाए गए बालवृक्षों के रखरखाव के लिए अंकों की प्रतिशतता के साथ आरंभ की गई थी ताकि चारों तरफ हरियाली रहे।

5.8.4 हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में बच्चों को अवगत कराने के लिए 2 जून, से 27 जून 1992 के बीच, राष्ट्रीय–पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों की सहभागिता के साथ, तीन सप्ताह की अवधि की पारम्परिक कला और दस्तकारी कार्यशाला आयोजित की गई थी। सड़क सुरक्षा पर रचनात्मक लेखन–शिविर तथा जन–पेंटिग (चित्रकला) कार्यकलाप भी आयोजित किए गए थे।

5.8.5 बाल भवन ने, खेल क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के तालमेल से 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1992 तक खेलकूद सप्ताह आयोजित किया जिससे बच्चों में चुनौती की मनोवृत्ति और स्वास्थ्य तथा तन्दरूस्त रहने की महत्वाकांक्षा को आत्मसात किया जा सके।

5.8.6 ग्रीष्म कार्यकलापों के समापन के लिए, एक ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया गया ताकि बच्चों में मैत्री–भाव और भाई चारे की भावना को मन में बैठाया जा सके।

6. माध्यमिक शिक्षा

6. माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण

6.1.1 कार्य और जीवन के प्रति छात्रों में स्वास्थ्य अभिवृत्ति विकसित करने, अलग-अलग रोजगार योग्यता बढ़ाने, कुशल जन-शक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करने और किसी विशेष रुचि अथवा उद्देश्य के बिना उच्च शिक्षा का अध्ययन करने वालों के लिए विकल्प प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यावसायिक शिक्षा के सुनियोजित कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नीति में यह स्पष्ट है कि व्यावसायिक शिक्षा पता लगाए गए व्यवसायों के लिए छात्रों को तैयार करने के वास्ते एक विशिष्ट धारा होगी और साधारणतया माध्यमिक स्तर के बाद प्रदान की जायगी; और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, नव साक्षरों इत्यादि के अनौपचारिक नम्य और आवश्यकता आधारित व्यावसायिक कार्यक्रम उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। संशोधित नीति में निर्धारित किए गए लक्ष्य, उच्चतर माध्यमिक छात्रों के 10% को 1995 तक व्यावसायिक धारा में ले जाने का है।

6.1.2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन जिला विकासात्मक योजनाओं के तहत किए गए जन शक्ति आवश्यकताओं के सामान्य मूल्यांकन और रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण, व्यावसायिक सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाता है। कुछ हद तक इससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों उन व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है जिनमें स्वतः अथवा मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्याएं आवश्यकता पर आधारित हैं और सामाजिकरूप से संगत हैं, पाठ्यचर्याओं तथा शैक्षिक सामग्री के विकास का दायित्व स्थानीय विशेषज्ञों/संगठनों के सहयोग से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर छोड़ दिया गया है। यह सिफारिश की गई है कि व्यावसायिक सिद्धांत और प्रयोग (प्रक्टिस) को कुल शैक्षिक समय का लगभग 70% समय दिया जाना चाहिए। शेष समय को भाषाओं के अध्ययन और सामान्य आधार पाठ्यक्रम के लिए आवंटित किया जाता है। नौकरी के वक्त प्रशिक्षण पाठ्यचर्याओं का एक अभिन्न अंग है।

6.1.3 राज्य स्तर पर अर्थात् राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद प्रतिपक्षी निकायों सहित राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद (ज० सी०वी० ई०) गठित की गई है ताकि विभिन्न एजेंसियों/संगठनों द्वारा आयोजित व्यावसायिक कार्यक्रमों के नीति दिशा निर्देश आयोजना, समन्वय निर्धारित किए जा सकें। संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद की सदस्यता में संसद सदस्य, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ और अखिल भारतीय व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सं० व्या० शि० परि० द्वारा निर्धारित कार्यों का निष्पादन कारगर ढंग से किया जा रहा है, केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में सं० व्या० शि० परि० की एक स्थायी समिति गठित की गई है।

6.1.4 इस समय 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में यह योजना लागू की जा रही है। सातवीं योजना के अन्त तक, कक्षा XI तथा XII में एक साथ 3.94 लाख छात्रों की नामांकन संख्या सहित 7888 व्यावसायिक अनुभाग अनुमोदित किए गए थे। वचनबद्ध उत्तरदायित्व को ध्यान में रखने के बाद 1990-91 के दौरान 2428 अतिरिक्त अनुभाग और 1991-92 में 2227 अनुभाग स्वीकृत किए गए थे। अतः 1991-92 के अन्त तक, व्यावसायिक धारा में 6.27 लाख छात्रों के लिए सुविधाएं सृजित की गई हैं। इस प्रकार इसका आशय जमा 2 स्तर पर लगभग 9.49 % छात्रों को व्यावसायिक धारा की ओर उन्मुख करना है। तथापि, संभव है कि वास्तविक नामांकन कम होगा जिससे कि सृजित की गई सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

6.1.5 माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना में, स्वच्छिक संगठनों द्वारा आरंभ किए गए स्वैच्छिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन कायक्रमों के वित्त पोषण का प्रावधान है।

6.1.6 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना में, अध्ययन अवधि और पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के बाद दोनों के दौरान, छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर पर्याप्त रूप से बल देती है। जमा 2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने वालों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को शामिल करने के वास्ते प्रशिक्षु अधिनियम 1961 को 1986 में संशोधित किया गया था। बाद में, सितम्बर 1967 में प्रशिक्षुता नियमों में संशोधन किया गया था और इसके बाद में अप्रैल, 1988 में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा प्रशिक्षुता योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक छात्रों को शामिल करने के लिए 20 विषय क्षेत्रों को अधिसूचित किया था।

इस अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के 40 और व्यावसायिक विषय शामिल किए जा रहे हैं।

6.1.7 उन व्यावसायिक छात्रों को तत्काल रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बशर्ते कि वे निर्धारित न्यूनतम स्तर पूरा करते हों। के० मा० शि० बो० द्वारा क्रमशः सामान्य बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामान्य बीमा तथा जीवन निगम में, इस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड के सहयोग से रेलवे वाणिज्य कर्मचारियों के लिए एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और 1991–92 के दौरान उसे 5 स्कूलों में शुरू कर दिया गया है था। आशा है कि 1992–93 में और अधिक स्कूलों में यह पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार, स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य संबंधी पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। दिल्ली के 3 स्कूलों में 1991–92 से तीन विभिन्न पाठ्यक्रम अर्थात चिकित्सा प्रयोगशाला, तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन और नेत्र तकनीशियन शुरू किए गए हैं। 1992–93 के दौरान और अधिक स्कूलों को शामिल करने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत दो प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित किए जा रहे सहायक नर्स धात्री पाठ्यक्रम को दो वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्तरोन्नत किया गया है और उसे परीक्षा के उद्देश्यों से के० मा० शि० बो० के साथ सम्बद्ध किया गया है। इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनेक राज्यों ने भी शुरू किए हैं। उत्तर प्रदेश के आठ स्कूलों में, हस्तकला विकास आयुक्त के सहयोग से हस्तकला क्षेत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी औद्योगिक गृहों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

6.1.8 व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की सफलता श्रम एवं स्वतः रोजगार में व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वालों को स्थान देने पर निर्भर करेगी। आयोजित क्षेत्र में श्रम रोजगार के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक है कि भर्ती नियम संशोधित किए जाएं ताकि व्यावसायिक छात्रों को रोजगार के योग्य बनाया जा सके और कौशल प्राप्त करने के कारण उन्हें वरीयता दी जा सके। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है।

6.1.9 17 मार्च, 1992 को हुई सचिवों की समिति ने व्यावसायिक छात्रों के लिए पर्याप्त रोजगार अवसरों की आवश्यकता पर विचार किया। समिति की सिफारिशें तत्काल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को परिचालित कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें श्रम मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का एक–एक प्रतिनिधि होगा, और जो विभागवार उन पदों की समीक्षा करेगी जिनमें संबद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जा सके।

6.1.10 यह सहमति हुई है कि श्रम मंत्रालय, डी०जी०ई० टी० राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश जारी करेगी कि वे अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त व्यवसायों में नए व्यवसाय प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त करने हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वालों को वरीयता दें, बशर्ते वे अधिनियम में निर्धारित की गई न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करते हों।

6.1.11 कार्रवाई योजना में 1992 में निर्धारित किए गए बलों के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि रा० सै० अ० प्र० परि० के अन्तर्गत, एक शीर्ष अनुसंधान एवं विकास (आर० एण्ड डी०) संस्थान के रूप में, केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाए। भवन की आधार शिला, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा 12 अगस्त, 1992 को भोपाल (मध्य–प्रदेश) में रखी गई थी। रा० सै० अ० प्र० परि० में शिक्षा में विद्यमान का व्यावसायीकरण विभाग, केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान का एक भाग होगा जिसे अपने कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में स्वायत्तता प्राप्त होगी। केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना से, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनेक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक शैक्षिक और तकनीकी संसाधनों की सहायता प्रदान करना संभव हो सकेगा। आठवीं योजना अवधि के अन्त तक संस्थान को पूर्णतः कार्यात्मक बनाने का प्रस्ताव है।

6.1.12 व्यावसायिक शिक्षा के लिए संगणीकृत प्रबंध सूचना पद्धति के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम विकसित किया गया है। रा० सै० अ० प्र० परि० द्वारा, राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जिला स्तर के अधिकारियों और प्रधानाचार्य का प्रशिक्षण पूरा कर दें।

6.1.13 राष्ट्रीय सगणक संस्थान ने संगणीकृत प्रबंध सूचना पद्धति (एम० आई० एस०) सापटवेयर संचालित करने के लिए राज्य स्तर के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सितम्बर/अक्तूबर, 1992 से नई दिल्ली, हैदराबाद, बम्बई, भुवनेश्वर तथा गुवाहाटी में ऐसे पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

6.2.1 शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, 1972 में आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य व्यापक रूप से शिक्षा सुलभ कराना तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाना था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया गया और राज्य स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन की तैयारी हेतु शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्ष स्थापित करने के लिए, 21 राज्यों को शत प्रतिशत सहायता दी गई।

6.2.2 इनसैट के आगमन और शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों की अनुवर्ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इनके तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संगठनों द्वारा ली जाए। तदनुसार, तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकेन्द्रीकृत आधार पर शिक्षा सैक्टर के अन्दर शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण की सुविधाओं का सृजन करने के लिए एक योजना तैयार की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और छः राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश–इनसैट की कवरेज के अन्तर्गत राज्यों में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना से इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त राज्यों में श० प्रौ० सैलों को सहायता प्रदान की गई ताकि वे इलैक्ट्रानिकी जन माध्यमों की मांग के प्रत्युत्तर में सुविधाओं के स्तरोन्नयन में समर्थ हो सकें।

6.2.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के नीति प्रतिपादनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1987 में कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किए गए। प्राथमिक स्कूलों को पांच लाख रेडियो-एवं-कैसेट प्लेयर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान, इन स्कूलों को एक लाख रंगीन टेलीविजन प्रदान किए जाने थे, जिनकी लागत का 25 प्रतिशत राज्य सरकारों और 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना था। निधियों के अभाव के परिणामस्वरूप, अब तक 2, 56, 566 रेडियो एवं कैसेट प्लेयर तथा 37,129 रंगीन टी० वी० प्रदान किए गए हैं।

6.2.4 रंगीन टी० वी० और रेडियो एवं कैसेट प्लेयरों के वितरण के कार्यक्रम का, इस समय राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासनिक संस्थान द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और सभी छः एस० आई० ई० टी० में कार्यक्रम निर्माण शुरू हो गया है। शैक्षिक वर्ष 1988–89 से कार्यक्रम निर्माण की जिम्मेवारी को, जिसे अब तक के० शै० प्रौ० सं० और दूरदर्शन के बीच 50 : 50 आधार पर आपस में निभाया जा रहा था। के० शै० प्रौ० सं० और एस० आई० ई० टी० द्वारा संभाल लिया गया है। इस समय उपग्रह आधारित शैक्षिक दूरदर्शन सेवा में प्राथमिक स्तर पर बच्चों तथा उनके शिक्षकों के लिए पांचों क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात गुजराती, हिन्दी, मराठी, उड़िया तथा तेलगू में शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण की व्यवस्था है। 5–8 और 9–11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रत्येक दिन अलग से कार्यक्रम हैं।

6.2.5 छः इनसैट राज्यों में सभी उच्च और निम्न शक्ति के ट्रांसमीटरों द्वारा शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। हिन्दी में इन कार्यक्रमों का अन्य हिंदी भाषी राज्यों, अर्थात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़, को भी प्रसारण किया जाता है।

6.2.6 बम्बई, हैदराबाद और कटक से सुविधाएं जोड़ने की उपलब्धता के कारण प्रसारण समय के प्रत्येक क्षेत्र के अनुरूप और अधिक लचीला बनाया गया है।

6.2.7 केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने सितम्बर, 1992 तक 715 शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम और 914 भाषा रूपान्तर तैयार किए हैं। इसने शिक्षकों के जन प्रबोधन के कार्यक्रमों के लिए 450 कैप्सूलों का भी निर्माण किया है। एस० आई० ई० टी० द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है :

राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की संख्या

राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान	कार्यक्रमों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	607
2. बिहार	115
3. गुजरात	834
4. महाराष्ट्र	1149
5. उड़ीसा	213
6. उत्तर प्रदेश	754

6.2.8 एस० आई० ई० टी० द्वारा प्रबंध और तकनीकी कार्मिकों के संबंध में उत्पन्न समस्याओं के कारण अपेक्षित स्तर की पर्याप्त उत्पादन क्षमता प्राप्त करने में उसकी प्रगति धीमी रही है। इस संबंध में एक कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार चार एस० आई० ई० टी०— आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को स्वायत्त संगठनों में पहले ही परिवर्तित किया जा चुका है, जबकि बिहार और गुजरात की ये संस्थाएं भी निकट भविष्य में स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त करने वाली है।

6.2.9 शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण में निजी निर्माताओं को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रा० शै० अनु० व प्र० प० ने सी० आई०ई०टी०के लिए वीडियों/फिलमें तैयार करने के लिए बाहरी निर्माताओं को शामिल करने हेतु कार्य पद्धतियां विकसित करने के लिए एक समिति गठित की है। बाहरी निर्माताओं को दिए गए 12 शैक्षिक टेलीविजन वीडियों कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं और अन्य 10 कार्यक्रम पूरे होने वाले हैं। आठवीं योजना अवधि में श्रव्य–दृश्य और टी०वी० कार्यक्रमों के निर्माण में अधिक संख्या में निर्माताओं के शामिल होने की आशा है।

6.2.10 यद्यपि सी० आई०ई० टी० द्वारा भी विभिन्न शैक्षिक विषयों पर 1100 से अधिक श्रव्य कार्यक्रमों का निर्माण श्रव्य कैसेटों की उपलब्धता पर किया जाना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब राज्य सरकारों तथा एस० आई० ई० टी० को उपर्युक्त वित्त पोषण किया जाना प्रस्तावित है, ताकि वे श्रव्य कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए रेडियो एवं कैसेट प्लेयरों के कैसेट प्लेयर घटकों का उपयोग कर सकें।

6.2.11 सी०आई०ई० टी० ने भी 35 जिला शि० प्र० संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निविष्ट सामग्री (इनपुट) प्रदान करने के लिए 42 श्रव्य तथा दृश्य कार्यक्रमों का निर्माण किया है।

शैक्षिक प्रौद्योगिककी : उपलब्धियां

	1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93	योग
खर्च की गई राशि (रुपये करोड़ में) . .	14.14	16.20	16.50	14.57	14.00	3.75	79.16
शामिल राज्यों की संख्या (संचयी) . . .	13	29	31	32	32	32	32
वितरित टी० वी० सैटों की संख्या . . .	10049	12049	2799	6232	6000	--	37129
वितरित किये गये रेडियो एवं कैसेट प्लेयर की संख्या	37562	67735	49963	72883	28453	—	256560
सतत योजनाएं							
1. सी० आई० ई० टी० को मुक्त की गई राशि (रुपये करोड़ में)	5.28	3.10	3.146	2.37	2.00	0.22	16.11
2. एस० आई० ई० टी० को मुक्त की गई राशि (रुपये करोड़ में)	1.40	1.53	2.20	0.44	2.34	1.52	9.88
6 इनसैट राज्य आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश				योजनागत 0.45 योजनेत्तर			
3. ई० टी० सैल को मुक्त राशि (रुपये करोड़ में)	0.22	0.26	0.54	--	--	-	1.02
4. टी० वी० एस० आर० सी० सी० पी० एस० के लिये राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मुक्त राशि	7.15	11.19	10.60	11.66	9.46	*2.01	52.07
5. आर० सी० सी० पी० एस० के लिए साफ्टवेयर का विकास (रुपये करोड़ में) . .	--	--	—	0.10	0.19	—	0.29

*दरों में विभिन्नता

विज्ञान शिक्षा

6.3.1 जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परिकल्पना की गई है, विज्ञान शिक्षा की कोटि में सुधार तथा वैज्ञानिक प्रकृति को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से 1987–88 के अन्तिम त्रैमासिकी के दौरान "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार" केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की थी। योजना का लक्ष्य, स्कूलों में प्रयोगशाला व पुस्तकालय सुविधाओं को सुदृढ़ करके, अध्यापक उत्प्रेरण व क्षमता में सुधार करके तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विज्ञान शिक्षा के लिए अभियान चलाकर तथा विज्ञान व गणित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण देकर इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों व गैर–सरकारी संगठनों के संसाधनों व एजेंसी का प्रयोग करना है। तदनुसार योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए विज्ञान किट के प्रावधान, माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक स्तर के स्कूलों में वांछित स्तर तक विज्ञान प्रयोगशालाओं को बढ़ाने व सुदृढ़ करना है। माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक स्कूलों को पुस्तकालय पुस्तकें देने, विज्ञान शिक्षा के लिए जिला संसाधन केन्द्र स्थापित करने, निर्देशात्मक सामग्री के विकास तथा विज्ञान व गणित अध्यापकों को

प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.3.2 जबकि 1987–88 से 1991–92 की अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रशासनों ने सहायता ले ली है परन्तु केवल 38 प्रतिशत उच्च प्राथमिक व 30 प्रतिशत माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्कूलों को शामिल किया जा सका। प्रो॰के॰ वी॰ राव,अध्यक्ष, विज्ञान व गणित में शिक्षा विभाग, रा॰ शै॰ अ॰ प्र॰ प॰ की अध्यक्षता में 1987–88 से 1991–92 के दौरान योजना के कार्यान्वयन के मात्रात्मक व गुणात्मक मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित की गई है।

6.3.3 1987–88 से 1992–93 के दौरान उपलब्धियां नीचे सारिणी में दी गई हैं :—

विज्ञान शिक्षा उपलब्धियां

	7वीं योजना	1990–91	1991–92	1992–93	कुल
व्यय की गई राशि (रु० करोड़ में)	80.03	20.59	18.98	24.98	**144.58**
शामिल किए गए राज्यों/संघ शासित प्रशासनों की संख्या	30	24	12	15	**32**
शामिल किये गये स्कूलों की संख्या					
(*i*) उच्च प्राथमिक (विज्ञान किट)	43,219	5,791	7,880	6,000	**62,890**
(*ii*) माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक (पुस्तकालय सहायता)	16,382	3,843	3,671	3,500	**27,396**
(*iii*) माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक (प्रयोगशाला सहायता)	15,073	3,981	3,783	4,200	**27,037**
राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिये सहायता प्राप्त संस्थानों की संख्या जिला संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिये सहायता प्राप्त संस्थानों की संख्या	115	60	34	—	**292**
संचित रूप में शामिल की गई स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या (नवाचार कार्यक्रमों के लिये)	13	7	14	12	**21**

प्रत्याशित

6.3.4. 8वीं योजना के दौरान योजना को जारी रखने के लिए 120.00 करोड़ रु आवंटित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार को सहायता पद्धति में बिना कोई परिवर्तन किये यह 7वीं योजना के दौरान प्रचलित पद्धति से इसके कार्यान्वयन की प्रणाली को तथा अनुवर्ती वार्षिक योजनाओं को छोड़े बिना योजना को 8वीं योजना के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है।

अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड स्कूल शिक्षा

6.4.1. स्कूल स्तर पर गणित में प्रतिभा का पता लगाने और प्रोत्साहित करने के विचार से, अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलिम्पियाड (आई एम ओ) प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। भारत 1989 से इस ओलिम्पियाड में भाग ले रहा प्रत्येक भाग लेने वाले देश को एक दल भेजना अपेक्षित है जिसमें अधिक से अधिक 6 माध्यमिक स्कूल प्रतियोगी छात्र, एक दल नेता, एक उप–दल नेता शामिल होंगे।

6.4.2. मौजूदा वित्तीय पैटर्न के अनुसार, मेजबान देश / उसके देश में उनके ठहरने के दौरान भाग लेने वाले दलों का भोजन और आवास और यातायात खर्च अदा करता है जब कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्चा भाग लेने वाले देश द्वारा वहन किया जाना है। पिछले चार ओलिम्पियाड में भारतीय दल को शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड (एन॰बी॰एच॰एम॰), परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया गया था और छात्रों के चयन, आंतरिक यात्रा, आकस्मिक खर्चे इत्यादि राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड द्वारा वहन किए गए थे।

6.4.3. एक आठ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल जिसमें 6 प्रतियोगी छात्र, एक दल नेता और एक उप–दल नेता शामिल है, ने जुलाई, 1992 के दौरान मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलिम्पियाड में भाग लिया। भारत ने 64 भाग लेने वाले देशों में से 22वां स्थान पाया भारतीय दल ने 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। जुलाई, 1993 के दौरान तुर्की में होने वाले आई॰एम॰ओ॰ 1993 में भारत की भागेदारी का प्रस्ताव सचिवों की निरीक्षण समिति के विचाराधीन है। आई॰ एम॰ ओ॰ 1996 भारत में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलिम्पियाड स्थल समिति को आवश्यक पुष्टि से अवगत करा दिया गया है।

स्कूल शिक्षा में पर्यावरण बोध को शामिल करना

6.5.1. यह एक सर्वमान्य सत्य है कि मानव जीवन पर्यावरण के संरक्षण व सुरक्षा पर निर्भर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अन्य बातों के साथ–साथ इस सत्य को भी स्वीकार किया है कि पर्यावरण सुरक्षा एक ऐसा नैतिक मूल्य है जिसे शिक्षा के सभी स्तरों पर कुछ अन्य नैतिक मूल्यों के साथ पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य – प्रभावशाली व रचनात्मक स्तर पर आने वाली पीढ़ी के मस्तिष्क व बुद्धि को प्रकृति की सीमाओं का शोषित करने वाली रुकावटों के बारे में जानकारी देना था तथा पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित बुनियादी पहलुओं के लिए उनके बीच जागरूकता व सम्मादर उत्पन्न करना है।

6.5.2. इसके लिए 1988–89 के दौरान स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावरण दिग्विन्यास की केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना आरम्भ की गई थी। योजना शिक्षा विभाग द्वारा उन राज्यों/संघ शासित प्रशासनों व गैर–सरकारी कार्यालयों को 100% सहायता देकर कार्यान्वित की जा रही है, जिनकी नवीनतम् योजनाओं द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा देने में विशेषज्ञता व रुचि है। राज्यों/संघ शासित प्रशासनों का परियोजना आधार पर विभिन्न पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रम आरंभ करने के लिए विद्यमान योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक परियोजना में परिस्थितिक एक रुपी क्षेत्र व परियोजना क्रियाकलाप निहित है जिसमें स्कूल पाठ्यचर्या को स्थानीय आवश्यकतानुसार बनाने के लिए उसकी समीक्षा, संशोधित निर्देशात्मक सामग्री की तैयारी, अध्यापकों व अध्यापक प्रशिक्षकों को उनका ज्ञान व सामान्य पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता को अद्यतन बनाने के लिए प्रशिक्षण, स्कूल नर्सरियां स्थापित करना, सामान्य सूचनात्मक पुस्तकें, पोस्टर, श्रव्य दृश्य सामग्री आदि शामिल है।

6.5.3. 8वीं योजना के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए 10.00 करोड़ रु० आवंटित किए जा चुके हैं। पिछले अनुभव व वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, विद्यमान योजना में निम्नलिखित मुख्य संशोधन किए जा रहे हैं :

— राज्य सरकारों / संघ शासित प्रशासनों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का एकक "ऐग्रो–क्लाई–मेटिक ज़ोन" होगा।

— राज्य सरकारों / संघ शासित प्रशासनों को इस बात का निर्णय करने की स्वतंत्रता होगी कि उच्चतर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा पर विशिष्ट विषय रखा जा सकता है या विद्यमान विषयों में पर्यावरण संबंधी अवधारणा को करने की वर्तमान नीति को जारी रखा जाए।

— माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर उचित पर्यावरण सम्बन्धी प्रबोधन के साथ पाठ्यचर्या के विकास के लिए राज्य सरकारों / संघ शासित प्रशासनों को सहायता का प्रावधान।

— राज्य स्तर सेल / परियोजना सेल व नर्सरियां स्थापित करने के लिए निधियां देना समाप्त किया जाएगा।

— पर्यावरणिक शिक्षा के हेतु संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए उत्तराखंड सेवा निधि अल्मोड़ा को सहायता प्रदान की जाएगी।

व्यय वित्त समिति ने इन संशोधनों के लिए आवश्यक अनुमोदन ले लिया है।

6.5.4. 1987–88 से 1991–92 के दौरान वास्तविक उपलब्धियों का सारांश नीचे सारणी में दिया गया है :—

स्कूल शिक्षा का पर्यावरणिक दिग्विन्यास : उपलब्धियां

	VIIवीं योजना (87–88 से 89–90)	1990–91	1991–92	कुल
व्यय की गई राशि (रु० करोड़ में)	3.57	2.0	1.81	7.38
शामिल किये गये राज्यों/संघ शासित प्रशासनों की संख्या	20	8	9	21
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	32	6	9	47
शामिल किये गये स्कूलों की संख्या	11,810	4,876	2,662	19,348
सहायता प्राप्त स्वैच्छिक निकायों की संख्या	10	7	—	13

चूंकि विद्यमान योजनाओं के अधिकतर कार्यकलापों के लिए सहायता समाप्त करने का निर्णय किया गया है अतः चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रावधान 2.90 करोड़ से 1.90 करोड़ करने का प्रस्ताव है ।

संगणक साक्षरता व अध्ययन परियोजना

6.6.1. जो बच्चे कल के कार्य-बल हैं, उन्हें संगणक की उपयोगिता व प्रयोग के बारे में मालूम होना चाहिए, इस बात को देखते हुए इलैक्ट्रोनिक्स विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से, वर्ष 1984-85 में परिवर्षी शब्द, क्लास के साथ स्कूलों में संगणक साक्षरता व अध्ययन में पायलट परियोजना आरंभ की है । इस पायलट परियोजना के मुख्य लक्ष्यों में संगणक का डिमाईस्टीफिकेशन, संगणक प्रयोग में छात्रों को अवगत कराना तथा उन्हें अनुभव देना शामिल है ।

6.6.2. परियोजना को 1984-85 से 1986-87 तक इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के बजट से निधियां दी गई थीं, उसके पश्चात् अधिकतर व्यय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अपने बजट में से वहन किया गया । पायलट परियोजना के रूप में यह प्रक्रिया वर्ष दर वर्ष के आधार पर जारी रखी जाती है ।

6.6.3. कार्यक्रम प्रारंभ में 250 चुने हुए माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक स्कूलों में आरंभ किए गए थे जिनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़कर 2598 हो गई । कार्यक्रम का लक्ष्य दो बी०बी०सी० माइक्रो प्रदान करना है क्योंकि यह हार्डवेयर ब्रिटिश स्कूलों में संगणक की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाना था तथा स्कूल बच्चों को संगणक के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी देने के लिए उपयुक्त साफ्टवेयर पैकेज उपलब्ध थे । 1987-88 से हार्डवेयर की संख्या बढ़कर 5 हो गई थी ।

6.6.4. वर्तमान प्रबंधों के अंतर्गत सी० एम० सी० लि०, स्कूलों में हार्डवेयर के प्रबंध, स्थापित करने व रख-रखाव के लिए जिम्मेवार हैं जबकि रा० शै० अ० प्र० प० परियोजना की शैक्षिक योजना पाठ्यचर्या व साफ्टवेयर विकास अध्यापकों के प्रशिक्षण व अनुवीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं । रा०शै०अ०प्र०प० अपनी ये जिम्मेवारियां सम्पूर्ण देश में 61 'संसाधन केन्द्रों" द्वारा पूरी कर रहा है । ये संसाधन केन्द्र विश्वविद्यालयों व कालेजों में स्थित हैं । अध्यापकों को वास्तविक प्रशिक्षण इन संसाधन केन्द्रों में दिया जाता है जहां पर हार्डवेयर के छोटे-छोटे दोष भी दूर किए जाते हैं ।

6.6.5. योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्कूल के 3 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा ये अध्यापक स्कूल समय के पश्चात छात्रों को अनुस्थापन (मार्ग दर्शन) करते हैं । कार्यक्रम में भागेदारी स्वैच्छिक है तथा छात्रों के अध्ययन कुशलता के स्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाता ।

6.6.6. 1989-90 से कार्यक्रम के अंतर्गत कोई नए स्कूल नहीं जोड़े गए हैं । विद्यमान स्कूलों में केवल हार्डवेयर की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 कर दी है ।

6.6.7. परियोजना पर आज तक 44.30 करोड़ रु० का व्यय किया जा चुका है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्रवाई कार्यक्रम में रखे गए 10,000 माध्यमिक स्कूलों को शामिल करने के लक्ष्य को देखते हुए इस वचन को पूरा करने के लिए उपयुक्त निधियों के आवंटन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था । वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव की सहायता करने में अपनी असमर्थता दिखाई है तथा परामर्श दिया था कि यह योजना वर्षवार आगे बढ़ाकर तदर्थ आधार पर कार्यान्वित की जानी चाहिए । तदनुसार 1988-89 से योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से करीब 6 करोड़ रु० तथा शिक्षा विभाग से 25 लाख रु० वार्षिक तदर्थ रूप में आवंटित किए जा रहे हैं । कार्यान्वियन को अधिक प्रभावशाली व अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्यमान प्रबंधों का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

6.7.1. 1980 में इसके आरंभ होने से राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना ने स्कूल शिक्षा पद्धति में जनसंख्या शिक्षा को संस्थागत बनाने के सम्बन्ध में अपना मुख्य लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में अच्छी प्रगति की है । दूसरे चक्र के दौरान (1986—90) मुख्य ध्यान परियोजना के बहु-विमित्तीय कार्यकलापों व इसके नेटवर्क के आगे विस्तार पर दिया गया है। अभी परियोजना 29 राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में चल रही है । 8वीं योजना के दौरान रा० ज० शि० प० को मूलरूप में व सिलसिलेवार गैर-औपचारिक क्षेत्र की ओर ले जाने का प्रस्ताव है । स्थानीय विशेषता व भागीदारी पर बल देते हुए गैर-औपचारिक क्षेत्र के लिए सहायक प्रबोधन तथा पाठ्यचर्या सामग्री विकास के लिए भिन्न नीति अपनाई जाएगी । स्वैच्छिक एजेंसियों व पंचायती राज संस्थानों के साथ प्रयासों को प्रभावशाली ढंग से समन्वित किया जायेगा । जनसंख्या शिक्षा विषय वस्तु कक्षा I से XII के पाठ्यक्रम में संघटित को गई हैं । जनसंख्या शिक्षा खंड II पर अध्यायों का सार तैयार किया गया था । दो रूपात्मकताएं (क) स्वतंत्र (ख) समेकित, दो पद्धतियों को अपनाकर परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय व राज्य स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यकलाप आयोजित किए गए । क्षेत्रीय शिक्षा केन्द्रों द्वारा मुख्य व्यक्तियों, संसाधन व्यक्तियों व माध्यमिक कालेज अध्यापक, शिक्षक का अभिविन्यास किया गया था । प्रारंभिक व माध्यमिक स्तरों लिए जनसंख्या शिक्षा में अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या तैयार व मुद्रित की गई थी तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों / संस्थानों को अपनाने के लिए वितरित की गई । अभी तक VI व VII योजना अवधि के दौरान विभिन्न नीतियों का प्रयोग करके जनसंख्या शिक्षा में करीब 1.2 मिलियन अध्यापकों व शैक्षिक कार्य-

कर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया था । राष्ट्रीय मुक्त स्कूल के लिए जनसंख्या शिक्षा पर माडल तैयार किए गए तथा वे मुद्रणाधीन हैं । वीडियो कार्यक्रम तैयार किए गए थे तथा उनका प्रयोग राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर विभिन्न लक्षित दलों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया गया था । जनसंख्या शिक्षा घटकों को राज्य शिक्षा संस्थान/रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा आयोजित वर्तमान प्रशिक्षण/प्रबोधन कार्यक्रमों में न्यूनतम लागत पर अधिकतम अध्यापक शामिल करने के उद्देश्य से समन्वित किया गया ।

6.7.2. राज्य जनसंख्या शिक्षा सेल द्वारा चित्रकारी प्रश्न मंच व वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करके जनसंख्या शिक्षा सप्ताह मनाया गया ।

6.7.3. परियोजना द्वारा चार शोध प्रस्तावों को निधियां दी जा रही हैं । छात्रों व अध्यापकों की जागरुकता व व्यवहार पर जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों व कार्यकलापों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, बम्बई द्वारा परियोजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया था । विभिन्न पाठों में जनसंख्या सम्बन्धी घटकों की पारस्परिक कार्रवाई के विस्तार को देखने के लिए रा०शै०अ० प्र० प० की पाठ्य पुस्तक का विषय वस्तु सम्बन्धी विश्लेषण किया गया था ।

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा

6.8.1. वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि अल्प विकलांगों को यदि सामान्य स्कूलों में स्वस्थ बच्चों के साथ-साथ पढ़ाया जाए तो वे शैक्षिक तथा मानसिक रूप से और अधिक प्रगति कर सकते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों / स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है । व्यय के स्वीकृत मुद्दे हैं--पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री का भत्ता, परिवहन भत्ता, वर्दी भत्ता, पढ़नेवालों का भत्ता, (निचले भाग की विकलांगता वाले विकलांगों के लिए), उपकरण भत्ता तथा छात्रावास शुल्क, जहां आवश्यक हो । इसके साथ-साथ योजना में शिक्षकों के वेतन व प्रोत्साहन, संसाधन कक्षों की स्थापना, विकलांग बच्चों का आकलन करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूलों में वास्तुकला अवरोधों को हटाने, विकलांग बच्चों के लिए विशेष निर्देशात्मक सामग्री के विकास तथा निर्माण आदि का भी प्रावधान है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से चुनिन्दा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विकलांग बच्चों के शिक्षण के लिए विशेष शिक्षा पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए भी सहायता दी जाती है । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में भी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ।

6.8.2. इस समय यह योजना आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश दमन व दीव, दिल्ली और अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कार्यान्वित की जा रही है ।

6.8.3. विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा की एक यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है जिसमें सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए संदर्भ विशिष्ट नीतियां तैयार करने की परिकल्पना की गई है । हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु के प्रत्येक राज्य में एक-एक ब्लाक की परिकल्पना की गई है और इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली तथा बड़ोदा नगर-निगमों को शामिल किया गया है ।

6.8.4. इस योजना की समीक्षा की गई है और शिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों के प्रशिक्षण, संसाधन कक्षों के निर्माण, ब्लाक स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने आदि के लिए वित्तीय सीमाओं में वृद्धि की गई है ।

6.8.5 कार्रवाई योजना-1992 में सामान्य बच्चों के साथ विकलांगों का एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए सामान्य बच्चों के सभी शैक्षिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रमों में विकलांगों की विशेष आवश्यकताओं का प्रावधान होना चाहिए । इसमें अन्तर मंत्रालयीय समन्वय समिति को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है ताकि यह विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा विकलांगों के कल्याण के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा व निरीक्षण करने के लिए एक प्रभावी तंत्र बन सके । शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, बच्चों तथा बड़ी संख्या में लोगों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और इस उद्देश्य के लिये कार्रवाई योजना में नियमित आधार पर शैक्षिक प्रशासकों के प्रशिक्षण, शिक्षकों के सेवाकालीन व सेवा पूर्व प्रशिक्षण और इस प्रयोजन के लिए जनसंचार माध्यमों के प्रयोग की सिफारिश की गई है । कक्षा में विशेष आवश्यकताओं सहित बाल केन्द्रीय शिक्षा के लिए रा०शै० अनु०प्र०परि० द्वारा तैयार किए जा रहे दिशा-निर्देश 1993 के मध्य तक सभी संबंधित लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे । प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यचर्या एवं शैक्षिक सामग्री के समायोजन के लिए रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा पहले ही तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा । उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के लिए 1994 के अन्त तक इन्हें पूरा कर लिया जाएगा ।

6.8.6. इस समय 6,000 स्कूलों में फैले लगभग 30,000 बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा रहे हैं ।

इससे भी बड़ी संख्या में बच्चे विशेष शिक्षकों और अन्य अध्ययन सामग्री के जरिए परोक्ष रूप से लाभ उठा रहे हैं।

सेना के अधिकारियों के बच्चों के लिए शैक्षिक छूट

6.9.1. केन्द्रीय सरकार व अधिकतर राज्य सरकारें और संघ शासित प्रशासन 1962 में भारत चीन युद्ध व 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा व्यक्तियों व पैरामिलिटरी बल या स्थायी रूप से विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को शैक्षिक छूट दे रही है।

6.9.2. 1988 के दौरान ये छूट श्रीलंका में युद्ध के दौरान तथा सियाचीन क्षेत्र में मेघदूत आपरेशन में मरे/विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को भी दी गई थी।

6.9.3. मंत्रालय की संगत योजनेत्तर योजना के अन्तर्गत सुरक्षा सेवा व पैरा-मिलिटरी बल के केवल ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो सेनावर व लवडेल में किसी लारेंस स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं।

स्कूलों में योग शिक्षण योजना

6.10.1 शारीरिक शिक्षा में योग के स्थान को स्वीकार किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोन्नत करने में योग की समर्थित उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, देश में शारीरिक शिक्षा के विकास के अतन समग्र कार्यक्रम के रूप में योग की प्रोन्नति संबंधी एक योजना कार्यान्वित करता रहा है। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण तथा चिकित्सा-विज्ञान को छोड़कर योग के अन्य पहलुओं में कार्यक्रमों पर होने वाले अनुरक्षण तथा विकासात्मक व्यय के लिए अखिल भारतीय स्वरूप की योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिकित्सा-विज्ञान संबंधी पहलुओं की प्रोन्नति के लिए योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

6.10.2 कैवल्यधाम श्रीमान माधव योग मन्दिर समिति, लोनावला (पुणे) को अनुसंधान तथा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इसके अनुरक्षण तथा विकासात्मक, दोनों प्रकार के व्यय के वास्ते इस योजना के अंतर्गत अभी भी सहायता दी जा रही है। 1992-93 के दौरान (सितम्बर 1992 तक) कैवल्यधाम श्रीमान माध्व योग मन्दिर समिति को योजनेतर के अंतर्गत 20.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

6.10.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में, एक काफी बड़े पैमाने पर स्कूलों में योग शिक्षण देने का प्रस्ताव किया गया था। तदनुसार, 1989-90 में एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/योग संस्थाओं को योग शिक्षक प्रशिक्षण और इस उद्देश्य के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 8वीं योजना के दौरान यह योजना जारी है।

6.10.4 स्कूलों में योग की प्रोन्नति और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों पर विचार करने के लिए फरवरी, 1992 में एक राष्ट्रीय स्तर का योग विशेषज्ञ सम्मेलन आयोजित किया गया था। निम्नलिखित से संबंधित सिफारिशें थीं :

- योजना के कार्यान्वयन की पद्धतियां।
- शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- योग पाठ्यक्रम।

योजना को फिर से तैयार करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था। एक विशेषज्ञ दल द्वारा रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा तैयार किए गए योग पाठ्यक्रम पर विचार किया गया था और उसने जो सुझाव दिए थे उनको उसमें शामिल किया गया है। जिस योग पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया था वह प्रेस में है और उसे उपयुक्त रूप से अपनाने अनुकूल बनाने के लिए सभी संबंधित लोगों में परिचालित किया जाएगा।

6.10.5 योग शिक्षकों को प्रशिक्षण व लागत के लिए सहायता में वृद्धि करने के वास्ते इस योजना में संशोधन किया गया है। शिक्षकों की यात्रा-लागत वहन करने का भी प्रस्ताव है क्योंकि राज्य इस व्यय को वहन करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे और इसलिए वे शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेज सकते थे। यह आशा की जाती है कि अब यह योजना 8वीं योजना के दौरान शुरू होगी और जोर पकड़ेगी।

शिक्षा में संस्कृति/कला/मूल्यों को सुदृढ़ करने वाली एजेंसियों और नवाचारी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही शैक्षिक संस्थाओं को सहायता

6.11.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा की औपचारिक पद्धति और देश की समृद्ध तथा विविध सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच भेदभाव को दूर करने की मांग की गई है। इस नीति में सांस्कृतिक विषय वस्तु द्वारा शिक्षा प्रक्रियाओं को समृद्ध करने, छात्रों में सुंदरता,/ सामंजस्य तथा शिष्टता के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने और रूढ़िवाद, धार्मिक कट्टरता तथा हिंसा समाप्त करने में सहायक मूल्यपरक शिक्षा को प्रोन्नत करने का भी संकल्प किया गया है। इन लक्ष्यों को वास्तविक रूप देने के लिए पहले ही किये गये पाठ्यचर्या सम्बन्धी हस्तक्षेपों की सम्पूर्ति के लिए शिक्षा में संस्कृति/कला/मूल्यों को सुदृढ़ करने वाली एजेंसियों और नवाचारी कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाली शैक्षिक संस्थाओं को सहायता के लिए एक केन्द्रीय योजनागत योजना 1987 में तैयार की गई थी ताकि सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, पंजीकृत सोसायटियों, सार्वजनिक न्यासों तथा लाभ न कमाने वाली कम्पनियों

को सहायता प्रदान की जा सके । इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायता प्रदान की जाती है :—

(क) शैक्षिक विषयवस्तु तथा प्रक्रिया में सांस्कृतिक/कला निदेश को सुदृढ़ करना;

(ख) स्कूल पद्धति में मूल्यपरक शिक्षा को सुदृढ़ करना; और

(ग) स्कूल स्तर पर अग्रगी और नवाचारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

6.11.2 मंत्रालय ने योजना को नया शीर्षक "शिक्षा में संस्कृति व मूल्य सुदृढ़ करने के लिए सहायता हेतु योजना" देकर इसे अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के उद्देश्य से पुनः तैयार करने का निर्णय लिया है इसमें निम्नलिखित दो घटक हैं :—

(1) शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्यों को सुदृढ़ करना ।

(2) कला, कौशल, संगीत तथा नृत्य–शिक्षकों के सेवा-कालीन प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना ।

6.11.3 आशा है कि 4.75 करोड़ की आठवीं योजना लागत के साथ पुनः तैयार की गई योजना 1992–93 की अंतिम तिमाही से कार्यान्वित की जाएगी ।

6.11.4 1992–93 के प्रथम तीन त्रैमासिकों के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को, ग्रामीण स्कूलों में प्राचीन निष्पादन कलाओं पर व्याख्यानों द्वारा कला शिक्षा; युवा–कवियों के लिए सृजनात्मक लेखन कार्यशाला आयोजित करने, छात्रों के प्रोत्साहन और स्वतंत्रता के लिए थियेटर कार्यकलाप; कर्नाटक के स्कूली बच्चों के मस्तिष्क में सांस्कृतिक निवेशों को समृद्ध करने के लिए थियेटर का उपयोग करने; नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा में दो मास का शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने, स्कूलों में लोक कला स्वरूपों की पुनः स्थापना के लिए स्कूलों के प्रिंसि-पलों/मुख्याध्यापकों के लिए मूल्यपरक शिक्षा पर व्याख्यान उपमुख कार्यक्रम, बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के प्राथमिक/मिडिल स्कूलों में मूल्यपरक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने; स्कूली बच्चों में पढ़ने की अच्छी आदत पैदा करने तथा स्कूलों में उनके बने रहने को सुधारने के लिए पंजाब के विशेष जिलों में जागरू-कता पैदा करने के लिए लेखकों, नाटककारों, तथा शिक्षा–विदों को शामिल करने हेतु 26.72 लाख रु० तक की वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया गया है।

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

6.12.1 शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाने तथा उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता देने के उद्देश्य से शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना वर्ष 1958 में शुरू की गई थी । वर्ष 1965 तक इस योजना में प्राथमिक मिडिल माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों के ही शिक्षकों को शामिल किया गया था। वर्ष 1967 से संस्कृत पाठशालाओं और टोल्स के शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया गया। वर्ष 1976 में पारंपरिक ढंगों पर चल रहे मदरसों के फारसी/अरबी शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए इसका दायरा और बढ़ा दिया गया। केन्द्रीय विद्यालयों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी॰बी॰एस॰ई॰) के सम्बद्ध स्कूलों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों में से प्रत्येक के लिए एक पुरस्कार आबंटित किया गया है ।

6.12.2 किसी राज्य को आबंटित पुरस्कारों की संख्या शिक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। फिर भी प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के संवर्ग के लिए तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए कम से कम एक–एक पुरस्कार का अधिकारी है। वर्ष 1988 से पुरस्कारों की संख्या पिछले वर्षों की संख्या 186 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। वर्ष 1991 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 4 पुरस्कारों का अतिरिक्त कोटा प्रदान किया गया है। इस प्रकार इस समय पुरस्कारों की कुल संख्या 296 हो गई है। इनमें से 272 पुरस्कार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए तथा चार पुरस्कार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों के लिए तथा 5 पुरस्कार पारम्परिक ढंग पर चल रहे मदरसों के अरबी फारसी शिक्षकों के लिए हैं परम्परागत आधार पर संचालित संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों और अरबी/फारसी मदरसों के शिक्षकों की सीमित संख्या होने के कारण राज्यवार शिक्षक पुरस्कारों के आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक शिक्षक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक रजत पदक और 5,000/– रुपये की नकद राशि होती है।

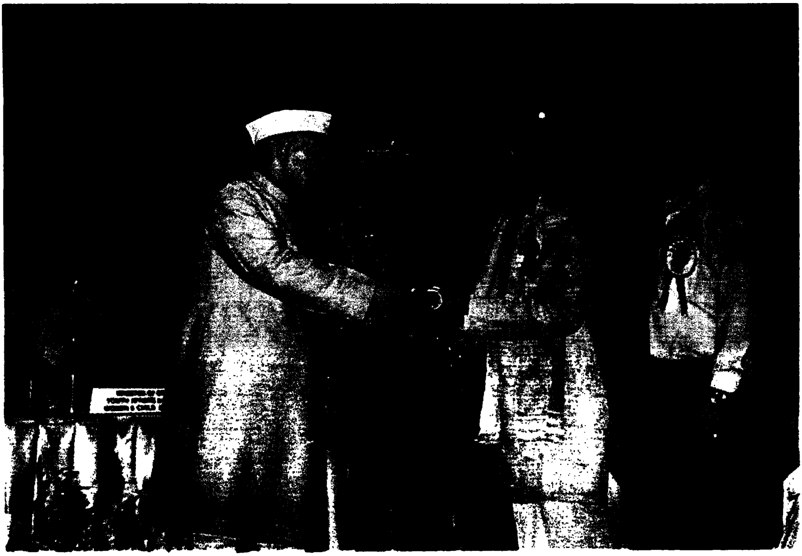
6.12.3 वर्ष 1991 के दौरान 270 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। वर्ष 1992 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 132 अध्यापकों के नाम दिए जा चुके हैं ।

स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

6.13.0 मंत्रालय द्वारा विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में रा० शै० अ० प्र० प० व राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय मुक्त स्कूल

6.14.1 सुदूर शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभवंचित वर्गों को कोटिपरक माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार के प्रयासों का विस्तार करने के उद्देश्य से 23–11–89 को राष्ट्रीय मुक्त स्कूल सोसायटी पंजीकृत की गई थी । 1990 में, राष्ट्रीय मुक्त स्कूल को अपने शिक्षकों के लिए माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित करने और उनके प्रमाणन का प्राधिकार सौंपा गया था । इस प्राधिकार के अंतर्गत, राष्ट्रीय मुक्त स्कूल ने अब तक चार माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक परिक्षाएं आयोजित की हैं जिसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई हैं ।



माननीय राष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्मा, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए

6.14.2 राष्ट्रीय मुक्त स्कूल समूचे भारत में कार्यरत मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सहायता से सुदूर शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। 1991 में 143 मान्यताप्राप्त संस्थाएं थी और अब यह संख्या बढ़कर 303 हो गई है तथा 37 विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा के लिए हैं। 1992–93 का लक्ष्य 350 मान्यताप्राप्त संस्थाएं और 75 विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का है।

6.14.3 1991–92 में 60,000 छात्रों के नामांकन का लक्ष्य था (माध्यमिक के लिए 36,000) और (वरिष्ठ माध्यमिक के लिए 24,000) परंतु छात्रों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह नामांकन 36,000 तक सीमित रखा है। 1992 में नामांकन बढ़कर 54312 हो गया है। (सेतु 1296 माध्यमिक के लिए 31891 और वरिष्ठ माध्यमिक के लिए 21125)। 1992–93 का लक्ष्य 55,000 रखा गया है। 1992 में 34781 छात्रों की परीक्षा ली गई थी और 11388 छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था और प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इस संबंध में सभी कार्यकलाप राष्ट्रीय मुक्त स्कूल द्वारा ही शुरू किए गए थे जो पहले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहा था।

6.14.4 1991–92 में प्रारंभ की गई आन्तरिक मूल्यांकन पद्धति अभी भी जारी है और उत्तर प्रतिलिपि का मूल्यांकन संगणकों के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त स्कूल में ही किया गया था और छात्रों को परिणाम भेजे गये थे।

6.14.5 व्यावसायिक एकक की स्थापना की गई थी और सात व्यावसायिक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय मुक्त स्कूल द्वारा प्रमाणन के लिए निर्धारित किये गये थे। 1992–93 का लक्ष्य, 1992–93 के लिए व्यावसायिक धारा में 2000 का नामांकन करने का है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

6.15.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन है जिसका कार्य स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है। इसका मुख्य कार्य स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों तथा प्रमुख कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शैक्षिक सलाह प्रदान करना है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह नई दिल्ली के मुख्यालय में स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के विभागों तथा अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों तथा पूरे देश की राजधानियों में स्थित, 17 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण तथा शैक्षिक नवीनताओं आदि के विस्तार तथा प्रसार के लिए कार्यक्रमों को आयोजित करती है।

6.15.2 वर्ष 1992–93 के दौरान, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को समृद्ध बनाने, शिक्षक शिक्षा की कोटि में सुधार लाने, शैक्षिक अनुसंधान/नवीनताओं को बढ़ावा देने तथा उसके प्रसार, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, विज्ञान उपस्करों के उत्पादन तथा राज्यों में स्कूल शिक्षा के सुधार से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सतत तथा ठोस प्रयास किए गए।

6.15.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद शिक्षा क्षेत्र तथा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना में यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित क्रियाकलापों को समन्वित तथा मानीटर कर रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों/क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों के नेटवर्क के माध्यम से तथा शिक्षा विभागों/निदेशालयों, राज्य शिक्षा संस्थाओं/राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग प्रदान करके राज्यों/संघ शासित प्रशासनों से सतत सम्पर्क बनाया जा रहा है। वर्ष 1992–93 के दौरान रा० शै० अनु० प्र० परि० के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।

6.15.4 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने बाल देखरेख तथा शिक्षा कार्यक्रम के सुधार तथा सुदृढ़ बनाने से संबंधित क्रियाकलापों/कार्यक्रमों को जारी रखा। "प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" की परियोजना के अन्तर्गत उत्तर जांच परिणामों का विश्लेषण किया गया। "संख्या के विकास के लिए प्रक्रिया आधारित कार्यक्रम" नामक परियोजना के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। प्रशिक्षण संस्थाओं के अनुदेशकों के लिए बाल-विकास पर पुस्तक की पांडुलिपियां तैयार की गई। "अपंग बच्चों के लिए श्रव्य कार्यक्रमों में तैयारी" की एक रिपोर्ट भी तैयार की गई। प्रारंभिक बाल शिक्षा सामग्री तथा परियोजना पर एक पत्रिका भी विकसित की गई।

6.15.5 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली में 2 से 4 जून, 1992 को प्रथम स्तर के संसाधन व्यक्तियों के लिए समेकित बाल विकास योजना (आंगनवाड़ी कार्यक्रम) का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 1992–93 के दौरान इस क्षेत्र में शुरू किए गए कुछ अन्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं: (1) स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा में शिक्षकों की मार्गदर्शिका तैयार करना, (2) राज्य में प्रारंभिक बाल शिक्षा के समन्वयकों की बैठक करना, (3) महाराष्ट्र में शिक्षक शिक्षकों तथा प्राइमरी स्कूल शिक्षकों का प्रशिक्षण, (4) अफ्रीकी एशियाई देशों के लिए प्रारम्भिक बाल शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक "सूचना पत्रिका" तैयार करना।

6.15.6 "विभिन्न राज्यों में प्राइमरी स्कूल के बच्चों की उपलब्धियों" में अध्ययन जारी रहा तथा प्रमुख रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए राज्यों की रिपोर्ट तैयार की गई।

6.15.7 "प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के प्रारंभिक प्रशिक्षण" की परियोजना के अन्तर्गत रा० शै० अनु० व प्र० परिषद ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के सहयोग से अप्रशिक्षित प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए दो वर्षों का (64 क्रेडिट) सेवारत कार्यक्रम तैयार किया गया। परिषद ने श्रव्य तथा दृश्य की सामग्री तैयार करने की जिम्मेदारी ली। "प्राइमरी स्तर के लिए गणित में छात्र मूल्यांकन के मार्गदर्शन को विकसित" करने की परियोजना के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धांतों में शामिल किए जाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तथा डिजाइन को अन्तिम रूप दिया गया। प्राइमरी स्तर के लिए पर्यावरण अध्ययन–I, पर्यावरण अध्ययन–II तथा गणित में पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए सामग्री तैयार की गई। कक्षा III से V के लिए पर्यावरण अध्ययन–1 में पाठ्यपुस्तकों के प्रारूप की समीक्षा की गई।

6.15.8 "अध्ययन के न्यूनतम स्तरों" के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के कार्यान्वियन पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अध्ययन के न्यूनतम स्तरों की परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में आयोजना बैठकें भी आयोजित की गई। अध्ययन के न्यूनतम स्तरों के संदर्भ में "कक्षा V के लिए "शिक्षकों की हाथ पुस्तिका" की पांडुलिपि को भी अन्तिम रूप दिया गया।

6.15.9 रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ अन्य क्रियाकलाप भी आयोजित किए गए जिसमें प्राइमरी शिक्षा में विस्तृत पहुंच पर यूनिसेफ सहायता प्राप्त रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना, यूनेस्को परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण शिक्षा में श्रव्य दृश्य पैकेज का विकास करना तथा उपग्रह प्रसारण तंत्रकार्य के पाठों को तैयार करना शामिल है।

6.15.10 स्कूल न जाने वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली समृद्ध सामग्री का विकास करने के लिए तीन क्षेत्रीय आयोजना बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में स्थानीय विशेष घटकों का स्वरूप, आंकड़ों के स्रोत आंकड़े एकत्र करने की पद्धति तथा समय सीमा तथा सामग्री के विकास के लिए किन व्यक्तियों तथा एजेंसियों से सम्पर्क किया जाना है, के संबंध में संचालनात्मक नीतियां तैयार की गई। अनौपचारिक शिक्षा के लिए शिक्षण अध्ययन सामग्री के रूप में विकासशील क्रियाकलापों के एक भाग की तरह से अध्ययन के न्यूनतम स्तरों के दृष्टिकोण पर आधारित दो पुस्तकों, भाषा (पुस्तक II) तथा गणित (पुस्तक–II) विकसित की गई तथा पर्यावरण अध्ययन (ईव बुक–I) में एक पुस्तक को सही किया गया।

6.15.11 वरिष्ठ स्तर के अनौपचारिक शिक्षा के कार्यकर्ताओं के लिए एक अवस्थापना कार्यक्रम अहमदाबाद में आयोजित किया गया जिसमें सामग्री के विश्लेषण के लिए 35 अनौपचारिक शिक्षा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। दक्षिणी राज्यों, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की संकाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

6.15.12 अनुसूचित जातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सामग्री में से आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाने तथा ऐसी सामग्री से आपत्तिजनक सामग्री को दूर करने के लिए सुझाव देने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई।

6.15.13 आदिवासी भाषाओं में प्राइमरों के विकास के लिए ईटानगर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। मोंपा आदि निसिंग तथा खामटी में चार प्राइमरों के प्रारूप भी तैयार किए गए। "सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए नीति" नामक बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक राष्ट्रीय सेमिनार पर एक रिपोर्ट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा निकाली गई है।

6.15.14 पाठ्यचर्या आधारित मूल्यांकन के लिए तथा प्रगति के अनुश्रवण के लिए औजार विकसित करने के लिए 4 कार्यशालाएं आयोजित की गई। "अपंगों के लिए शारीरिक शिक्षा तथा खेल क्रियाकलापों" को अपनाने के लिए भी एक कार्यशाला आयोजित की गई। डी० आई० ई० टी० संकाय मे संसाधन व्यक्तियों के लिए एक विशेष शिक्षा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अपंग बच्चों का पता लगाने, मूल्यांकन करने तथा उनकी तैनाती करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों के लिए एक दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

6.15.15 "प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों का स्कूल जाने तथा स्कूल न जाने के पहलुओं" पर एक अध्ययन प्रगति पर है। इस अध्ययन के अन्तर्गत, परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय समन्वयकों की एक बैठक भी आयोजित की गई।

6.15.16 महिलाओं की शिक्षा तथा विकास पर एक सात सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ग्रामीण लड़कियों के लिए प्राइमरी शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक सैट तैयार करने के लिए हावड़ा शिक्षक मंच के सहयोग से एक कार्यशाला आयोजित किया गया।

6.15.17 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों में निम्न लिखित शामिल है :—

— माध्यमिक स्तर पर रसायन शास्त्र में अनुपूरक सामग्री का विकास।
— भौतिकी में मिल कार्य का अध्ययन करने के लिए दक्षता का पता लगाना तथा उसका विकास।
— माध्यमिक स्तर पर ध्वनि अध्ययन (भौतिकी में) के लिए सी० ए० आई० साफ्ट वेयर का विकास।

— वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर (वीडियो पद्धति के द्वारा) गणित में गैर-मुद्रित सामग्री का विकास।

— जमा 2 स्तर पर गणित में विशिष्ट विषयों में स्वतः अध्ययन सामग्री का विकास।

6.15.18 इस क्षेत्र में परिषद द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण/अवस्थापना कार्यक्रम आयोजित किए गए :—

— जमा 2 स्तर पर आधुनिक गणित में एक वृहद पाठ्यक्रम।

— सी० टी० एस० ए० के संसाधन व्यक्तियों के लिए गणित शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

— जमा 2 स्तर पर भौतिकी की विषय-वस्तु के साथ-साथ नई तकनीकों में भारतीय रेलवे के उच्चतर माध्यिमिक स्कूलों के 18 पी० जी० टी० का प्रशिक्षण।

— जवाहर नवोदय विद्यालयों के संसाधन व्यक्तियों का रसायन, भौतिक, गणित तथा जीव-विज्ञान में प्रशिक्षण।

— अन्तर्राष्ट्रीय गणित ओलमपियाड के लिए चुने गए छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

6.15.19 सीनियर सैकेन्डरी स्तर के लिए इलैक्ट्रानिक्स में अनुभवों का डिजायन तथा विकास करना तथा राष्ट्रीय ओपन स्कूल के लिए रसायन शास्त्र में किट शुरू किया गया। कक्षा V के लिए पर्यावरण अध्ययन (विज्ञान) में शिक्षकों की हस्तपुस्तिका के संशोधन का कार्य प्रगति पर है।

6.15.20 पाठ्यक्रम-भार को कम करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की गई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समकालीन इतिहास पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति की एक बैठक भी आयोजित की गई। यूनेस्को के अनुरोध पर "आओ मेरे देश भारत का दौरा करो" विषय पर एक पाण्डुलिपि को अन्तिम रूप दिया गया। जमा दो स्तर (+2) (बारहवीं कक्षा) पर दर्शनशास्त्र तथा शारीरिक शिक्षा विषयों के पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

6.15.21 रा० शै० अनु० व प्र० परिषद ने शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषयों में ईकाई परीक्षण (यूनिट टैस्ट) तैयार किए। कक्षा पहली से तीसरी के लिए गणित तथा हिन्दी में लक्षण विषयक तैयार किए गए। प्राथमिक स्तर पर लक्षण विषयक परीक्षण तथा प्रक्रिया विकसित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। प्राथमिक स्तर पर गणित में छात्रों के मूल्यांकन के दिशानिर्देशों में शामिल किए जाने वाले परीक्षण पेपर की रूपरेखा तथा डिजाइन को अन्तिम रूप दिया गया।

6.15.22 इस क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियाँ हैं: (1) बारहवीं कक्षा के लिए कत्थक नृत्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की एक पाठ्यपुस्तक तैयार करना (2) सामान्य संस्थागत पाठ्यक्रम के लिए पर्यावरण शिक्षा तथा ग्रामीण विकास के लिए एक पाठ्यपुस्तक तैयार करना।

6.15.23 व्यावसायिक स्कूलों तथा तकनीकी संस्थानों में उद्यमी शिक्षा पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य, पाठ्यक्रमों को कैसे कार्यान्वित किया गया है तथा पाठ्यक्रमों को शिक्षक तथा छात्र किस रूप में अपना रहे हैं, तत्संबंधी अनुभवों का बांटना था। शिक्षा के व्यावसायिकरण योजना के अन्तर्गत अन्य मुख्य कार्यक्रम ये हैं: (1) बारहवीं कक्षा के लिए इलैक्ट्रानिक्स विषय की शिक्षण सामग्री का विकास, (2) कार्यालय अभ्यास विषय की एक पाठ्यपुस्तक को अन्तिम रूप देना, (3) ग्यारहवीं कक्षा के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत विषय के अन्तर्गत हिन्दुस्तानी संगीत की एक सन्दर्भ पुस्तक का विकास, एवं (4) मोटरगाड़ियों में प्रसारण माध्यम पर एक वीडियो फिल्म के पठन/पाठन के लिए एक लिपि का विकास।

6.15.24 अध्यापकों, निरीक्षकों, प्राधानाध्यापकों तथा प्रशासकों के लिए, कार्य अनुभव संबंधी दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

6.15.25 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आयोजना, प्रशासन तथा प्रबन्धन पर यूनेस्को द्वारा प्रायोजित दो सप्ताह का एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। व्यावसायिक शिक्षकों की सामान्य योग्यताओं को जानने के लिए एक पांच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जैसी विभिन्न एजेन्सियों तथा असम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद को राष्ट्रीय शै० अनु० व प्र० परि० ने शैक्षिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है।

6.15.26 अपनी राष्ट्रीय योग्यता खोज के अन्तर्गत रा० शै० अनु० व प्र० परि० प्रतिवर्ष 750 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है जिसमें से 70 छात्रवृत्तियां अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्रों के लिए हैं। ये पुरस्कार प्रतिभाशाली छात्रों से तादात्मय स्थापित करने तथा भविष्य में उन्हें अपनी योग्यता विकसित करने के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय योग्यता खोज कार्यक्रम की दूसरे स्तर की परीक्षा, 10-5-92 को हुई थी। साक्षात्कार जुलाई, अगस्त में किए गए तथा उनका परिणाम 30-9-92 को घोषित किया गया।

6.15.27 रा० शै० अनु० व प्र० परि० देश के जवाहर नवोदय विद्यालयों में छठी कक्षा में दाखिले के लिए छात्रों

के चयन के लिए राष्ट्रीय नवोदय विद्यालय को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। जांच-बैटरी में मानसिक योग्यता परीक्षा, भाषा-परीक्षा तथा गणित परीक्षा शामिल है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण छात्रों द्वारा भरे जाते हैं तथा 25 प्रतिशत स्थान शहरी छात्रों द्वारा भरे जाते हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनु० जनजाति के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने का निर्धारण किया गया है। वर्ष 1992–93 की चयन परीक्षा के परिणाम, सम्बद्ध जवाहर नवोदय विद्यालय को भेजे गए हैं।

6.15.28 रा० शै० अनु० व प्र० परि० ने शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसका उद्देश्य सैकेण्डरी स्कूलों में मार्गदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं तथा विभिन्न संगठनों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करना है। वर्ष 1991–92 में आयोजित शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन विषय के 31वें डिप्लोमा पाठ्यक्रम के परिणाम को अन्तिम रूप दिया गया है तथा उसे प्रशिक्षणार्थियों को परिचालित भी कर दिया गया है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन के 32 वें डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयन परीक्षाएं तथा साक्षात्कार इलाहाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर तथा दिल्ली में आयोजित किए गए तथा यह पाठ्यक्रम, 32 प्रशिक्षार्थियों के साथ 3–8–92 को आरम्भ किया गया।

6.15.29 राष्ट्रीय शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षा, वाचनालय (पुस्तकालय). परीक्षाओं तथा पुनर्विचार (समीक्षा) की जानकारी के लिए एक सन्दर्भ पुस्तकालय तथा एक केन्द्र के रूप में काम करता है। व्यक्तित्व के क्षेत्र में नवीनतम भारतीय परीक्षाओं को वर्ष 1992–93 में पुस्तकालय परीक्षा के साथ जोड़ा गया है।

6.15.30 "मार्गशर्शन के क्षेत्र में बहुआयामी पैकेजों का विकास" परियोजना के अन्तर्गत विषयों को चुना गया तथा 10 श्रव्य तथा 2 दृश्य कार्यक्रमों के लिए संक्षेप तैयार किया गया तथा इन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए इन्हें केन्द्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (सी० आई० ई० टी०) को भेजा गया।

6.15.31 अन्डरस्टैंडिग माईकोलोजी आफ ह्यूमनबिहेवियर नामक ग्यारहवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर तथा माईकोलोजी फोर बैटर डिवलपमैंट बारहवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के हिन्दी रूपान्तर की पाण्डुलिपियां, मुद्रण के लिए भेज दी गई हैं।

6.15.32 प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण पद्धति पर जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान संकाय के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 से 20 जून, 1992 को क्षेत्रीय शैक्षिक कालेज भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। सैकेण्डरी स्कूलों के शिक्षक शिक्षाविदों के लिए कोर शिक्षण दक्षताओं पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सहभागियों को कोर शिक्षण दक्षताओं की विषयवस्तु अर्थ तथा कार्यान्वयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

6.15.33 इस क्षेत्र की अन्य गतिविधियों में शामिल हैं: (1) प्रारम्भिक शिष्य-शिक्षकों के लिए कार्य अनुभव विषय में पाठ्य सामग्री का विकास (2) एक/दो शिक्षकों वाले प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए पठन-पाठन नीतियों का विकास (3) प्रारम्भिक स्तर पर हिन्दी-शिक्षण में शैक्षिक सामग्री का विकास।

6.15.34 पूर्व-सेवा तथा सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के साथ-साथ क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज, स्कूल शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं तथा शिक्षक-शिक्षाविद शिक्षक तथा शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के प्रयोग के लिए शैक्षिक सामग्रियों के विकास से संबंधित शोध अध्ययन तथा स्कूल तथा शिक्षक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए विस्तार गतिविधियों में लगे हुए है।

6.15.35 वर्ष 1992–93 के दौरान, क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज, अजमेर ने विज्ञान/कृषि/वाणिज्य/भाषा (अंग्रेजी/हिन्दी/उर्दू), में विशिष्टता वाला (1) बी० ए० सी० (आनर्स) बी० एड० डिग्री, (2) बी० एस-सी० (पास) बी एड० डिग्री तथा (3) विज्ञान/वाणिज्य/भाषा में विशिष्टता वाला एक वर्षीय एम० एड० पाठ्यक्रम संबंधी विज्ञान विषय में एक चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम प्रदान किया है। बी० एड० कार्यक्रम के अन्तर्गत, सहायक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों तथा प्राचार्यो को इंटरनशिप के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

6.15.36 क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज, भोपाल निम्न पाठ्यक्रम चला रहा है :—

(i) विज्ञान शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा मार्गदर्शी तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जनसंख्या शिक्षा में विशिष्टता प्राप्त एम० एड० पाठ्यक्रम।

(ii) बी० एस-सी०, बी० एड०—चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम।

(iii) बी० ए० बी० एड०—पाठ्यक्रम—चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम।

(iv) विज्ञान, वाणिज्य तथा प्रारम्भिक शिक्षा में एक वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम।

6.15.37 रिजर्व बैंक के सहयोग से अनु० जाति/अनु० ज० जा० छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

6.15.38 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विज्ञान संशोधन (सुधार) परियोजना के संबंध में क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज, भोपाल के कार्य क्षेत्र में, क्षेत्र के नोडल अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में, कार्य-प्रगति पर समीक्षा की गई तथा कार्ययोजना तैयार की गई।

6.15.39 क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज, भुवनेश्वर ने वर्ष 1992-93 के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रदान किए : (i) बी॰ ए॰ और बी॰ एड॰ (चार-वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम) पास एवं आनर्स, (ii) बी॰ एस॰ सी॰ एवं बी॰ एड॰ (चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम) पास एवं आनर्स, (iii) एम॰ एड॰ (सकेण्डरी) कला एवं विज्ञान (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) (iv) बी॰ एड॰ वाणिज्य (एक वर्षीय पाठ्क्रम), एम॰ एड॰ (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) एम॰ एस॰ सी॰ (जीव विज्ञान) एम॰ एड॰ (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) तथा बी॰ एड॰ (प्रारम्भिक) कला एवं विज्ञान (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) इस क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज ने "पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में +2 स्तर पर संसाधन व्यक्तियों महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित किया।

6.15.40 1992-93 के शैक्षिक सत्र के लिए, क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज, मैसूर ने पाठ्यक्रम प्रदान किए (i) विज्ञान (बी॰ एस॰ सी॰ बी॰ एड॰), विषय में आठ सत्रों वाला समेकित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ii) अंग्रेजी एवं, समाज-विज्ञान (बी॰ ए॰ बी॰ एड॰), (iii) भौतिकी रसायन तथा गणित विषयों में चार सत्रों वाला समेकित स्नातकोत्तर एम॰ एस॰ सी॰, एम॰ एड॰ शिक्षक शिक्षक कार्यक्रम (iv) विज्ञान विषयों में दो सत्रो वाला बी॰ एड॰ पाठ्यक्रमों (v) शैक्षिक प्रौद्योगिक तथा विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त दो सत्रों वाला स्नातकोत्तर एम॰ एड॰ पाठ्यक्रम।

6.15.41 रा॰ श॰ अनु॰ व प्र॰ परिषद् द्वारा राज्यों में स्थापित किए गए 17 क्षेत्रीय कार्यालय, राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा विभाग आदि को, रा॰ शै॰ अनु॰ व प्ररि॰ "के विभिन्न घटकों के कार्यक्रमों तथा गतिबिधियों की जनकारी प्रदान करते हैं। वे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्र की घटक ईकाइयों को राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों की विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों के बारे में जानकारी इकट्ठी तथा सम्प्रेषित भी करते हैं।

6.15.42 राष्ट्रीय शै॰ अनु॰ व प्र॰ परि॰ के क्षेत्र कार्यालय राष्ट्रीय योग्यता-खोजी साक्षात्कार क्लास परियोजना के लिए आंकड़े इकट्ठे करना, राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए स्कूल शिक्षकों का चयन, वर्ष 1992-93 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षाओं संबंधी मामले तथा 25वीं राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार प्रतियोगिता के प्रबंध में भी सहायता करते हैं।

6.15.43 राष्ट्रीय शै॰ अनु॰ व प्र॰ परिषद के विभिन्न विभागों के साथ विभिन्न समस्याओं तथा मामलों तथा पारम्परिक क्रिया पर चर्चा करने के लिए क्षेत्र-सलाहकारों की वार्षिक बैठक 27 से 28 अगस्त, 1992 को रा॰ शै॰ अनु॰ व प्र॰ परि॰ के मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित की गई। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर विशेषरूप से राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वियन के सन्दर्भ में क्षेत्र सलाहकारों की एक बैठक अप्रैल, 1992 में आयोजित की गई थी।

6.15.44 शैक्षिक अनुसंधान एवं नवीकरण समिति (ई॰ आर॰ आई॰ सी॰) ने स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करना जारी रखा। 1992-93 के दौरान, शै॰ अनु॰ व नवी॰ समिति ने "वित्तीय सहायता के लिए 7 नई अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृत किया। "बाबा साहेब अम्बेदकर राष्ट्रीय समीनार तथा भारतीय समाज में विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक असमानता के निवारण की नीतियों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। शैक्षिक अनुसंधान एवं नवीकरण समिति (ई॰ आर॰ आई॰ सी॰) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली निम्नलिखित छः परियोजनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है:--

(i) केरल में कार्यान्वित नवोदय विद्यालय योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन।

(ii) विज्ञान विषय की लोक-धारणा।

(iii) मणिपुर के स्कूलों में छात्रों की स्थिरता तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की सीमा संबंधी एक अध्ययन।

(iv) विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्र-सहभागिता की पद्धति

(v) स्कूल उपलब्धि (शक्षिक उपलब्धि) पर प्राइवेट तथा पब्लिक स्कूलों के प्रभाव के संबंध में उनके बीच भिन्नता (अन्तर) का विश्लेषण।

(vi) गणित के उद्देश्यों के संबंध में शक्षिक परिणामों का एक अध्ययन।

6.15.45 "पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान एवं नवीकरण सर्वे" परियोजना, जिसकी जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1992 तक पांच वर्ष की अवधि थी, के तहत अनुसंधान/आधुनिकीकरण के सारांश विषयवस्तु का सम्पादन किया गया। शैक्षिक अनुसंधान एवं नवीनकरण समिति द्वारा चलाई गई परियोजनाओं के प्रधान जांच-कर्ताओं, डाइट तथा देश भर के सैकेण्डरी स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों के संकाय सदस्यों के लिए प्रथम स्तरीय अनुसंधान प्रणाली विज्ञान पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

6.15.46 इन्सट ट्रांसमिशन के लिए शैक्षिक दूर-दर्शन कार्यक्रमों के स्वदेशी उत्पादन के साथ साथ केन्द्रीय शक्षिक प्रौद्योगिक संस्थान को टर्न की आधार पर कार्यक्रमों के विदेशी उत्पादन का काम भी नियत किया गया। शक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत, कार्यक्रमों के प्रसारण का नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाता है। भूमि तथा जन शृंखला विषय पर फिल्म के अन्तर्गत" (1) "गढ़-वाल क्षेत्र अरावली सीमाएं" तथा प्रारम्भिक शिशु शिक्षा संबंधी विषयों पर स्क्रिप्ट तैयार किए गए। "अपर प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम सहयोग के रूप में मध्ययुगीन स्मारकों पर टेप स्लाइडों को तयार करना" संबंधी कार्यक्रम के तहत, पाण्डुलिपियों का चयन, अध्ययन के लिए विषय विभागों के परामर्श से किया गया। एक सलाह-कार कार्यदल भी गठित किया गया।

6.15.47 "प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा के लिए शिक्षा प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम का विकास" विषय पर परियोजना संबंधी पृष्ठभूमि दस्तावेज (पेपर) तैयार करने के लिए कार्य-दल की एक बठक आयोजित की गई। "दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से आरम्भ किया जाने वाला निदशक बाल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का विकास" विषयक एक परियोजना के लिए निर्देशन के लिए स्व-शैक्षिक सामग्री के विकास तथा उसे अन्तिम रूप दिए जाने के लिए एक और कार्यशाला आयोजित की गई।

6.15.48 "बच्चों को समझाना तथा शिक्षण में उनकी सहायता करना" विषय पर 8 श्रृव्य कार्यक्रमों के विकास के लिए एक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजित की गई तिब्बती स्कूल शिक्षकों के लिए कम कीमत वाली शिक्षण सामग्री पर एक पांच दिवसीय कायशाला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

6.15.49 केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संस्थान ने, राज्य शक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद में आयोजित चौथे बाल शक्षिक दृश्य समारोह में भाग लिया। "केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के शैक्षिक दूरदर्शन एवं रेडियो कायक्रम की व्यापकता विषय पर किए गए एक शोध अध्ययन के अन्तर्गत दो परीक्षणों पर क्षेत्र-परीक्षण तथा आंकड़ा विश्लेषण किया गया। "केन्द्रीय शक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने" समेकित प्रसारण सूचियों तथा कार्यक्रम कपसूल तैयार किये तथा प्रसारण के लिए उन्हें दूरदशन केन्द्र को भेजा। "बच्चों की विशष जरूरत के लिए श्रव्य कार्यक्रम के मूल्यांकन पर अध्ययन" विषय के अन्तर्गत "हाथ" और "रंगों की पहचान" विषयक दो कायक्रमों का क्षेत्र-परीक्षण किया गया तथा मूल्यांकन नीति को तैयार करने के लिए प्रारम्भिक कार्य किया गया। "ग्रामीण स्कूल शिक्षक-शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत, कार्यक्रम तयार करने के लिए स्क्रिप्ट तैयार की गई।

6.15.50 रा० शै० अनु० व प्र० परि० की 31वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 31 अगस्त, से 4 सितम्बर 1992 तक "खुला घर" कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रदर्शनी आयोजित करने तथा फिल्में तथा वीडियों (दृश्य) कार्यक्रम प्रदर्शित (दिखाने) के साथ-साथ, नर्सरी (पूर्व स्कूल) शिक्षा को कैसे मजदार (रूचिकर) बनाया जाए" क्या हम परीक्षाओं को समाप्त कर सकते हैं, व्यावसायिकरण क्यों, विकलांग बच्चों को कसे शिक्षित किया जा सकता है, एवं "स्कूल शिक्षा में क्या इलैक्ट्रानिक मीडिया प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त किया जा रहा है" जैसे जनहित के विशेष विषयों पर पैनल चर्चाएं भी आयोजित की गई।

6.15.51 सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रोन्नति के लिए 14 से 21 सितम्बर, 1992 को हिन्दी दिवस आयोजित किया गया।

6.15.52 स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यपुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, शिक्षक गाइडों, अतिरिक्त पाठक, शोध-मोनोग्राफ आदि के प्रकाशन के साथ-साथ, रा० शै० अनु० व परि० ने भारतीय शैक्षिक पुनरावलोकन (त्रमासिक प्राथमिक शिक्षक त्रैमासिक भारतीय शिक्षा की पत्रिका द्वि मासिक स्कूल विज्ञान (त्रैमासिक) प्राइमरी शिक्षण (त्रैमासिक हिन्दी) तथा भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक हिन्दी) आदि छः पत्रिकाओं का प्रकाशन कार्य भी जारी रखा।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

6.16.1 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान (एन० एफ० टी० डब्ल्यू०) धर्मार्थ दान अधिनियम, 1890 के अंतर्गत वर्ष 1962 में गठित किया गया था। प्रतिष्ठान को निम्नलिखित जवाब देही सौंपी गई है:

—संस्वीकृत योजनाओं के अंतगत शिक्षकों/आश्रितों को वित्तीय सहायता देना तथा अन्य उपाय करना।

—शिक्षक दिवस मनाना।

—प्रो० डी० सी० शर्मा मेमोरियल अवार्ड के लिए प्रत्येक वर्ष तीन शिक्षकों का चयन करना।

6.16.2. संस्वीकृत योजनाएं जिनके अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है नीचे दी गई है:

(i) उत्कृष्ट सेवा देने वाले सुविख्यात शिक्षकों को वेतन सहित अवकाश।

(ii) स्कूली शिक्षकों के बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता।

(iii) गंभीर रोगों के शिकार शिक्षकों के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति।

(iv) गंभीर दुर्घटनाओं की स्थिति निशुल्क सहायता ।

(v) शिक्षकों के शैक्षिक कार्यकलाप के लिए आर्थिक सहायता और

(vi) शिक्षक सदनों का निर्माण ।

6.16.3. 31-10-92 तक के वर्ष के दौरान 5,97,801/-रु० की राशि की वित्तीय सहायता नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार दी गई है :

क्रम सं०	योजना का नाम	नामग्राही राज्य इकाइयों की संख्या		वित्तीय सहायता की राशि
1	2	3		4
1.	शिक्षक सदनों का निर्माण	उत्तर प्रदेश		20,00,000-रु०
		तमिलनाडु		5,00,000-रु०
		राजस्थान		7,00,000-रु०
		मध्य प्रदेश		5,00,000-रु०,
			कुल	37,00,000-रु०
2.	गम्भीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों/आश्रितों के लिए चिकित्सा उपचार	आंध्र प्रदेश से 3 शिक्षक		27,250-रु०
		उत्तर प्रदेश से 2 शिक्षक		20,000-रु०
				47,250-रु०
3.	सुविख्यात शिक्षकों को वेतन सहित अवकाश	—		शून्य
4.	स्कूली शिक्षकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता	दिल्ली से 2 शिक्षक		915-रु०
		चण्डीगढ़ से 1 शिक्षक		2,000-रु०
		महाराष्ट्र से 90 शिक्षक		1,65,919-रु०
		गोवा से 86 शिक्षक		50,303-रु०
		उत्तर प्रदेश से 17 शिक्षक		9,432-रु०
		आंध्र प्रदेश से 99 शिक्षक		1,97,850-रु०
		तमिलनाडु से 2 शिक्षक		2,420-रु०
		कर्नाटक से 70 शिक्षक		1,30,624-रु०
		केरल से 73 शिक्षक		38,338-रु०
			कुल	5,97,801-रु०

6.16.4 प्रत्येक वर्ष 5 दिसम्बर, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है । इस अवसर पर शिक्षकों के महत्व को बताने के उद्देश्य से प्रचार सामग्री के रूप में एक इश्तहार प्रकाशित किया जाता है । श्री पी० रवि, आलेखन शिक्षक, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट हाईस्कूल, महा पांडिचेरी को पोस्टर तैयार करने के लिए 5000/- रु० की राशि का भुगतान किया गया था । शिक्षक दिवस के अवसर पर, प्रतिष्ठान के कार्यकलापों से सम्बन्धित विस्तृत सूचना वाली पुस्तिका का विमोचन, मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया गया । पुस्तिका को, व्यापक प्रचार के लिए, सभी राज्य कार्य-समितियों एवं 1991 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के बीच परिचालित कर दिया गया है ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के० मा० शि० बो०)

6.17.1 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मौजूदा शिक्षा पद्धति में सुधार करने और शिक्षा को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए इसमें नये परिवर्तन करने का भरसक प्रयास कर रहा है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इससे सम्बन्ध स्कूलों में अपनी सेवाओं को सुधारने और राष्ट्र स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में एक प्रभावी भूमिका अदा करने के एक भाग के रूप में शुरू किये गये अनेक कार्यकलापों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :

6.17.2. मौजूदा पाठ्यचर्या की वर्ष 1985 के लिए विषयों से सम्बन्धित विभिन्न बोर्ड समितियों द्वारा समीक्षा की जा रही है । यह समीक्षा स्कूलों, शिक्षकों और माता-पिता से प्राप्त पुनर्निवेशन पर आधारित है ।

6.17.3 बोर्ड स्कूल स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने पर बल दे रहा है । जी० आई० सी०, एल० आई० सी०, और रेलवे वाणिज्य में नए पाठ्यक्रम पिछले दो वर्षों के दौरान पहले शुरू कर दिए हैं । बोर्ड ने प्रत्येक क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और अन्य विशेषज्ञों की सहायता से दन्त्य, स्वास्थ्य विज्ञान, जीव-चिकित्सा, उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण, चिकित्सा प्रयोगशाला, तकनीशियन पाठ्यक्रम, ग्रामीण विकास, बेकरी और कन-फेक्शनरी जैसे अनेक नए पाठ्यक्रम विकसित किए हैं । नए पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र, 1992–93 से लागू होंगे ।

6.17.4 बोर्ड ने कार्य अनुभव के तहत एक वैकल्पिक कार्यकलाप के रूप में "भविष्य विज्ञान" शुरू किया है क्योंकि इस विषय में पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक पद्धतियों और सोसाइटी में उनकी पारस्परिक कार्यवाही क्षेत्रों, में गहन समझ प्रदान की जानी है, अतः यह हमारे मानक लक्ष्यों के प्रबंध और योजना के ज्ञान की दूरदृष्टि का एक शक्तिशाली साधन है । चालू शैक्षिक सत्र 1992–93 से स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं ।

विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान

6.17.5 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान शैक्षिक सत्र 1991–92 से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर बोर्ड द्वारा शुरू कर दिये गये हैं । बड़े पैमाने पर योजना का प्रचार करने और सामाजिक सांस्कृतिक सदर्भ में अभियान के महत्व को समझने में शिक्षकों की मदद करने और अधिक सर्जनात्मक रूप में उनके कार्यकलापों की योजना बनाने के लिए "विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान" नामक शीर्षक में एक विशेष पुस्तिका प्रकाशित की गई थी ।

6.17.6 बोर्ड ने दो स्कूलों को एक प्रयोगात्मक आधार पर स्वायतता प्रदान की है अर्थात् :

(क) बिरला विद्या निकेतन, पिलानी ।

(ख) राष्ट्रीय अंग्रेजी स्कूल, बंगलौर

यह सहायता बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के भीतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित के विषयों में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करने और इसके द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शी रूप रेखाओं से सम्बन्धित है । बोर्ड की प्राप्त निवेशों के आधार पर अगले दो वर्षों में योजना की समीक्षा करने की योजना है ।

6.17.7 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिल्ली में सामूहिक नकल, जो 1991 के दौरान चरम सीमा तक पहुंच गई थी, को रोकने के एक साधन के रूप में, अपनी 1992 की परीक्षाओं के लिए दिल्ली संघ शासित प्रदेश मे प्रश्न पत्रों के विविध सेटों का उपयोग शुरू किया है. परिणामों की घोषणा के बाद, बोर्ड ने सामूहिक नकल के दृष्टिकोण से और छात्रों में समता की दृष्टि से विविध सेटों के उपयोग की समीक्षा करने के लिए सेवाकालीन प्रिंसिपलों सहित शिक्षाविदों की एक समिति का गठन किया है समिति ने योजना को कारगर तथा शैक्षिक रूप से सुदृढ़ पाया और बोर्ड के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्राधिकार में इसके कार्यान्वयन की एकमत से सिफारिश की है । बोर्ड के सामान्य निकाय द्वारा इस सिफारिश को 24–6–1992 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया ।

6.17.8 बोर्ड ने सितम्बर, 1992 में कक्षा X और XII की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सेटरों के लिए एक प्रबोधन पाठ्यक्रम आयोजित किया ।

6.17.9 अपनी संप्रेषण क्षमताओं को तत्काल तैयार करने के लिए के० मा० शि० बो० ने विभिन्न विषयों पर "सूचना पुस्तिकाएं" प्रकाशित की हैं । ऐसे दस्तावेज की उपयोगिता महत्वपूर्ण समझी जाती है चूंकि प्रदत्त सूचना व्यापक, सरल और दीर्घ अवधि के लिए है । बोर्ड भविष्य में इस प्रकार के अनेक कार्यकलाप शुरू करने की योजना बना रहा है ।

नवोदय विद्यालय

6.18.1 ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को अच्छी कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 1985–86 में औसतन प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की योजना शुरू की है । अभी तक देश के 23 राज्यों तथा 7 संघ शासित प्रदेशों में दो सौ अस्सी नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है ।

6.18.2 नवोदय विद्यालयों में कक्षा VI में प्रवेश दिया जाता है । वास्तव में दाखिल किए गए छात्र इससे पहले अपनी मातृ क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़े होते हैं तथा उन्हें कक्षा 6 अथवा 8 तक उसी माध्यम में शिक्षण प्रदान किया जाता है तथा जिसके दौरान हिन्दी/अंग्रेजी के सघन अध्ययन को एक भाषा विषय तथा सह माध्यम के रूप प्रदान किया जाता है । अतः आम माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा । इस स्तर पर, विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालयों में 30% प्रतिशत छात्रों का स्थानान्तरण होगा । यह स्थानान्तरण मुख्य रूप से हिन्दी तथा गैर हिन्दी भाषी जिलों के बीच होगा । चालू शैक्षिक सत्र के दौरान, कक्षा IX तथा ऊपर की कक्षाओं में 26 नवोदय विद्यालयों में स्थानान्तरण हुआ । छात्रों तथा अभिभावकों ने स्थानान्तरण की योजना को सहर्ष स्वीकार किया । नवोदय विद्यालयों में त्रि-भाषा सूत्र की पद्धति का पालन किया जाता है ।

6.18.3 नवोदय विद्यालयों में प्रवेश रा० शै० अ० प्र० परिषद द्वारा आयोजित एक जांच परीक्षा के आधार पर किया जाता है। परीक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होता है। परीक्षा व्यापक रूप से गैर-मौखिक तथा कक्षा की तरह से तैयार की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चे बिना किसी कठिनाई के इसे उत्तीर्ण कर सकें।

6.18.4 नवोदय विद्यालयों में सह-शिक्षा है शहरी क्षेत्रों से बच्चों का दाखिला अधिकतम एक चौथाई तक सीमित है। यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जाते हैं कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कम से कम एक तिहाई लड़कियां हों।

6.18.5 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित बच्चों के लिए स्थानों का आरक्षण सम्बन्धित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाता है बशर्ते की किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय स्तर से कम न हो।

6.18.6 संस्वीकृत किए गए 280 विद्यालयों का निर्माण कार्य तीन चरणों में किया जा रहा है (1) ट्यूबलर स्ट्रकचर जीरो फेस का निर्माण (2) स्कूल भवनों का निर्माण कक्षा X तक विद्यालयों के लिए हाल तथा क्वार्टरों का निर्माणचरण–I तथा (3) कक्षा XII तथा विद्यालयों का पूरा निर्माण-चरण-II विभिन्न विद्यालयों का डिजाईन वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सी० बी० आर० आई० द्वारा तयार किया जा रहा है। भवन निर्माण के चरण-I का कार्य 153 विद्यालयों का पूरा हो गया है तथा 169 विद्यालय अपने पक्के भवनों में कार्य कर रहे हैं। चरण-II का निर्माण कार्य 187 विद्यालयों में चल रहा है। विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 1991–92 के दौरान 52.85 करोड़ रू० की राशि खर्च की गई।

6.18.7 सभी नवोदय विद्यालय चुकि आवासीय है तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित है अतः अच्छे शिक्षकों प्रिंसिपलों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं :—

(i) उसी स्थान पर उपलब्ध आंशिक रूप सुसज्जित निशुल्क आवास ;

(ii) नियमों के अनुसार बच्चों की शिक्षा का भत्ता

(iii) हाउस मास्टरों तथा छात्रों के साथ रह रहे शिक्षकों के लिए निशुल्क सुविधाएं।

(iv) सभी शिक्षकों को निशुल्क दोपहर का भोजन

(v) उसी जगह पर पति-पत्नी की नियुक्ति की सुविधाएं।

(vi) शिक्षकों के बच्चों को नवोदय विद्यालयों में बिना परीक्षा के प्रवेश।

(vii) नियमों के अनुसार शिक्षण भत्ता।

6.18.8 इससे पहले, सभी शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती किया जाता था। भर्ती नियमों की 7–6–1991 से घोषणा के साथ अब शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों की सीधी भर्ती की जाती है। आवासीय स्कूल पद्धति में काम करने के लिए विभिन्न स्थानों से आने वाले शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों को पर्याप्त रूप अनुस्थापन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सेवारत पाठ्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि प्रत्येक शिक्षक और प्रिंसिपल तीन वर्षों में कम से कम एक बार प्रशिक्षण में जरूर जाएं।

6.18.9 उपरोक्त अवस्थापना पाठ्यक्रमों के अलावा संगीत, योग, एस० यू० पी० डब्ल्यू० तथा कला शिक्षकों के लिए भी सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

6.18.10 "कलास रूम शिक्षकों से अनुसंधान क्या कहता है" में कई कार्यशालाएं आयोजित की गई इन कार्यशालाओं में विकसित की गई सामग्री को छापा गया था सभी विद्यालयों को बांटा गया।

6.18.11 समिति द्वारा सतत विस्तृत मुल्यांकन की एक प्रणाली तैयार की गई और बाह्य परीक्षा पर बल दिया गया। योजना इस सिद्धांत पर आधारित थी कि मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षकों को सामान्य रूप से तथा छात्रों को विशेष रूप से मार्गदर्शन प्रदान करना था।

6.18.12 बायो-टेक्नालॉजी विभाग द्वारा तीन नवोदय विद्यालय को चुना गया और इन विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में सुविधा हो। समिति द्वारा 103 विद्यालयों में संगणक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है।

6.18.13 निम्नलिखित तालिका में 1989–90 से नवोदय विद्यालय समिति द्वारा की गई प्रगति दर्शाई गई है :–

नवोदय विद्यालय : उपलब्धियां

	1990-91	1991-92	1992-93
खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये)			
योजनेत्तर	45.38	45.50	46.75(44.50)
योजनागत	55.00	76.60	107.50(75.0
शामिल किये गये राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों की संख्या	29	29	30
कुल मिलाकर खोले गये स्कूलों की संख्या	260	280	330
कुल विद्यार्थियों की संख्या	31 मार्च, 1992 तक	78149	
	संख्या	कुल छात्रों की प्रतिशतता	
अनुसूचित जातियां	15900	20.35	
अनुसूचित जनजातियां	8404	10.76	
बालिकायें	22222	28.44	

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 1992–93 के बजट अनुमान के हैं ।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

6.19.1 केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की स्थापना 1961 में एक स्वायत्त गठन के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थाओं को चलाना, प्रबन्ध करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना है ।

6.19.2 केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन इस समय 30 स्कूल चला रहा है जिनमें 5 आवासीय स्कूल तथा 49 पूर्व प्राथमिक स्कूल और 13 सहायता अनुदान प्राप्त स्कूल हैं । ये स्कूल देश भर में फैले हुए स्कूल हैं । इन 14881 नामांकन हैं । ये स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं और ये छात्रों को अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं । इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है । इन स्कूलों में अंग्रेजी के अलावा विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय तथा तिब्बती और हिंदी भाषाएं पहली कक्षा से ही पढ़ाई जाती हैं ।

6.19.3 तथापि, इन स्कूलों में तिब्बती भाषा, संगीत तथा नृत्य शिक्षकों के जरिए स्थानीय तिब्बती लोगों के साथ से कंधे से कंधा मिलाकर तिब्बती संस्कृति तथा धर्म को भी अक्षुण्ण रखा गया है ।

6.19.4 ये केन्द्रीय तिब्बती स्कूल तिब्बती बहुल इलाकों में स्थित हैं । विशिष्ट रूप से तिब्बती बाहुल्य इलाकों में स्थानीय तिब्बती समुदाय तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ उचित संपर्क स्थापित करने के लिए प्रत्येक स्कूल में स्कूल चलाने के वास्ते स्थानीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति स्कूल की नयी प्रकृति की समस्याओं को सुलझाने के अलावा स्कूल की प्रगति का अनुवीक्षण भी करती है ।

6.19.5 शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा स्कूलों को घरों से सन्निकटता लाने की दृष्टि से दिवा स्कूलों से में अभिभावक शिक्षक संघ भी गठित किए जाने की संभावना है ।

6.19.6 केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन तिब्बती बच्चों को स्कूलोत्तर शिक्षा सुविधाएं भी प्रदान करता है केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले मेधावी तिब्बती विद्यार्थियों को प्रशासन ने 15 छात्रवृत्तियां प्रदान की । 17 से 22 वर्ष की आयु-वर्ग तथा इससे अधिक आयु वाले छात्र, जो 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे कला, विज्ञान, इंजीनियर्स आयुर्विज्ञान, शिक्षक प्रशिक्षण (मान्यता प्राप्त संस्थाओं में) में डिग्री अथवा डिप्लोमा के स्तर का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां ग्रहण करने के पात्र हैं । 55 प्रतिशत तथा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए 5 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की एक अन्य योजना भी स्वीकृत की गई है ।

6.19.7 शासी निकाय ने, 18 मार्च, 1988 को आयोजित अपनी 45 वीं बैठक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत का अनुमोदन कर दिया था । मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) नई दिल्ली की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सी० एस० टी० मुंडगाड में तीन पाठ्यक्रम अर्थात् टाइपिंग तथा आशुलिपि अंग्रेजी) लेखा परीक्षा तथा लेखा शास्त्र और स्टोरकीपिंग शुरू किए गए । इनके लिए मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सहायता प्रदान की गई ।

6.19.8 केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं :—

I कार्यालय प्रबन्धन तथा सचिवालय व्यवहार ।

II लेखाशास्त्र तथा लेखा परीक्षण ।

III टाइप लेखन अंग्रेजी ।

IV खरीद और भण्डार रख-रखाव ।

V आशुलिपि ।

6.19.9. शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षक शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है । इसके अन्तर्गत केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन शिक्षकों की दक्षता का स्तरोन्नत करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं और आधुनिक प्रवृत्तियों तथा नवाचारों की जानकारी देने के लिए विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों और सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है ।

6.19.10. क्लास परियोजना के अन्तर्गत प्रशासन के छः सीनियर सैकेन्डरी और एक सैकेन्डरी स्कूल को शामिल किया गया है ।

6.19.11. शिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार देने की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षक श्रेणी के लिए 1000/- रु० की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है । पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद दो वर्ष की विस्तार सेवा के पात्र होंगे ।

पूर्व प्राथमिक स्कूल

6.19.12. केन्द्रीय तिब्बती बच्चों की शैक्षिक नींव मजबूत करने तथा स्कूल स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन 1990-91 में 40 पूर्व प्राथमिक स्कूल चला रहा था । इसके अलावा वर्ष 1991-92 के दौरान 9 अन्य पूर्व-प्राथमिक स्कूल जोड़ देने से उनकी संख्या बढ़कर 49 हो गई। वर्ष 1992-93 के दौरान यह संख्या 60 तक बढ़ाई जानी है । ये स्कूल तिब्बती समुदाय में काफी लोकप्रिय है ।

6.19.13. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है । राजभाषा के रूप में हिन्दी सीखने तथा उसका प्रयोग करने के लिए सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

6.20.1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है, का गठन केन्द्रीय विद्यालय खोलने तथा उनका प्रबंध करने के लिए किया गया था । वर्ष 1963-64 में 20 विद्यालयों से शुरुआत करके 30 नवम्बर, 1992 की यथास्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या तेजी से 771 तक बढ़ी है । इन केन्द्रीय विद्यालयों में संस्वीकृत कार्यालय स्टाफ सहित शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों की संख्या 39,708 है । इन केन्द्रीय विद्यालयों में 30 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार छात्रों की संख्या 6 लाख से अधिक है तथा शिक्षक-छात्र अनुपात 1 : 20 है ।

6.20.2. केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना रक्षा कार्मिकों सहित स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अधिक संख्या वाले रक्षा तथा सिविल क्षेत्रों में खोले जाते हैं । इन विद्यालयों को उन उच्च अध्ययन की संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के परिसरों में भी खोला जाता है जो कि इस संपूर्ण आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन करने की सहमति प्रदान करते हैं ।

6.20.3. केन्द्रीय विद्यालय एक समान पाठ्यचर्या तथा शिक्षण का माध्यम प्रदान करते हैं ।

6.20.4. सभी केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा VIII तक शिक्षा निशुल्क है । कक्षा IX से XII तक छात्रों से उनके अभिभावकों की आय के आधार पर विभिन्न दरों से शिक्षण शुल्क लिया जाता है ।

6.20.5. तथापि, लड़कियों को कक्षा XII तक फीस देने से छूट है । (क) केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के बच्चों (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों (जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है) तथा, वर्ष 1962, 1965 तथा 1971 को चीन तथा पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान मारे गए अथवा अपंग हो गए रक्षा कार्मिकों तथा अधिकारियों के बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है ।

6.20.6. केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण में उत्कृष्टता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 50 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करके अपने कार्य में समर्पित शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है ।

6.20.7. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी प्रत्येक वर्ष 4 केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुनता है ।

6.20.8. शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विकासों के साथ गति बनाए रखने के लिए संगठन अपने शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों की व्यावसायिक प्रगति के लिए प्रयास जारी रखता है । इस कार्य के लिए संगठन अपने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सेवारत पाठ्यक्रम, अवस्थापन पाठ्यक्रम, प्रारंभिक पाठ्यक्रम तथा सम्मेलन भी आयोजित करता है । वर्ष 1992-93 के लिए शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 152 दौरान पाठ्यक्रम आयोजित किए गए ।

6.20.9. निम्नलिखित कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप केन्द्रीय विद्यालयों की एक नियमित प्रक्रिया है :

6.20.10. सभी केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान न्यूनतम कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि शिक्षण से अध्ययन में परिवर्तित किया जा सके और बच्चों को स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके लिए सिफारिश किए गए तरीकों में पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ पूछ-ताछ, टिप्पणियां, विस्तार करना, खोज, चर्चाएं तथा पुस्तकों का अध्ययन करना है । प्रत्येक छात्र से यह आशा की जाती है कि वह एक परियोजना, एक सर्वेक्षण ले तथा शैक्षिक क्रियाकलापों के साथ-साथ पुस्तक समीक्षा भी प्रस्तुत करें । स्कूल लाईब्रेरी में पुस्तकों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष चयनित पुस्तकों की एक सूची तैयार की जाती है तथा सभी केन्द्रीय विद्यालयों को वितरित की जाती है। छात्रों को भी ड्रामा, वाद-विवाद, मनोरंजन, डांस तथा सामूहिक गान आदि में से कम-से-कम किसी एक क्रियाकलाप में भाग लेना जरूरी है । उनसे अपनी पसंद का एक खेल, एथेलेटिक्स, स्काउटिंग तथा गाइडिंग, एन० सी० सी० तथा साहसिक क्रियाकलाप आदि में भी भाग लेने की भी आशा की जाती है ।

6.20.11. प्रतिभावान बच्चों को सहायता, मार्गदर्शन तथा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए तेजी से अध्ययन का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है । इस कार्यक्रम में किए जाने वाले क्रियाकलाप पर्यावरण का पालन, पुस्तकों का अध्ययन, मैगजीन तैयार करना, विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करना, प्रश्नावली कार्यक्रम, कहानियां तथा कविताएं आदि कहना है ।

6.20.12. इस परियोजना का उद्देश्य, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों का पता लगाना तथा उनकी कमजोरियों को ढूंढना और व्यक्तिगत मार्गदर्शन तथा उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनकी इस कमजोरी को दूर करना है । शिक्षकों के अलावा, प्रतिभावान छात्र भी विभिन्न विषयों के अध्ययन में इन छात्रों को मदद करते हैं ।

6.20.13. मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मूल्य शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शुरू किया गया है जैसे कि तथ्य तथा अन्य दृष्टिकोण बोलचाल में नम्रता, प्रदर्शित सोच-विचार, महत्वपूर्ण विश्लेषण, निर्भिकता, कार्रवाई करना, संसाधन सम्पन्न, कार्य के प्रति लगाव, मेलजोल की भावना, कार्य की प्रतिष्ठा, प्यार तथा सभी के लिए सहायता आदि ।

6.20.14 सभी केन्द्रीय विद्यालयों में प्रातः एकत्र होना एक नियमित क्रियाकलाप है जहां उपरलिखित मूल्यों को विकसित करने के लिए कार्यक्रम चलाये जाते हैं ।

6.20.15 छात्रों में कम्प्यूटर के प्रति जागृति पैदा करने के लिए वर्ष 1984–85 में कुछ चुनिन्दा केन्द्रीय विद्यालयों में स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन की एक प्रमुख परियोजना शुरू की गई थी। वर्ष 1992–93 में इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए स्कूलों की संख्या 325 है ।

6.20.16. केन्द्रीय विद्यालयों में कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन अथक प्रयास कर रहा है । शैक्षिक स्तरों का निम्नलिखित परिणामों से पता चलता है जो कि के० मा० शि० बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छात्रों ने प्राप्त किया है :—

वर्ष	के० वि० सं० में पास प्रतिशतता		के० वि० के अलावा पास प्रतिशतता		के० मा० शि० बोर्ड की सम्पूर्ण पास प्रतिशतता	
	10वीं	12वीं	10वीं	12वीं	10वीं	12वीं
1992	87.8	85.1	85.2	82.8	86.1	83.5

6.20.17. केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझ बूझ को परियोजनाओं के रूप में शुरू किया गया है । इसके अन्तर्गत, केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रत्येक वर्ष एक समाज विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करता है ताकि छात्रों में समाज विज्ञान की रुचि को बढ़ावा दिया जा सके तथा उनमें देश के विभिन्न राज्यों के बारे में तथा अन्य देशों के बारे में समझ-बूझ विकसित की जा सके ताकि राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय समझ-बूझ को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। इस वर्ष, यह प्रदर्शनी 18 से 21 दिसम्बर, 1992 तक केन्द्रीय विद्यालय नं० 2 कोलाबा में आयोजित की जा रही है ।

6.20.18 विज्ञान में उत्कृष्टता लाने तथा छात्रों में विज्ञान के लिए प्रेम, वैज्ञानिक प्रवृति सामाजिक तथा पर्यावरणीय चेतना पैदा करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर विज्ञान प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं । इस वर्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी 15 से 18 अक्तूबर, 1992 तक केन्द्रीय विद्यालय मालेश्वरम, बंगलौर में आयोजित की गई थी ।

6.20.19. युवा संसद योजना का उद्देश्य, प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत बनाना, युवाओं के दिमाग में अनुशासन की अच्छी आदतें, अन्यों के विचारों की सहिष्णुता पैदा करना तथा उनको संसदीय प्रक्रिया तथा कार्यों की जानकारी प्रदान करना है ।

6.20.20. प्रत्येक वर्ष युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में 8 केन्द्रीय विद्यालयों का पता लगाया जाता है । प्रत्येक क्षेत्र तथा जोन में उत्कृष्ट निष्पादन केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं । युवा संसद प्रतियोगिता जो कि इस वर्ष सितम्बर माह में प्रारम्भ हुई थी वह जनवरी, 1993 तक जारी रहेगी ।

6.20.21. निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्यालयों में खेल क्रियाकलाप आयोजित किए जाते है :

I जन-सहभागिता को सुनिश्चित करना ।

II प्रतिभाओं का पता लगाना तथा आगे बढ़ाना, और

III खिलाड़ी की भावना तथा नेतृत्व के गुणों को विकसित करना ।

6.20.22. इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वर्ष 1992–93 के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए।

6.20.23. मई/जून, 1992 में लड़कों के लिए फुटबाल तथा क्रिकेट में तथा लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बास्केटबाल, हाकी, वालीबाल, एथेलेटिक्स, टी० टी० तथा बैडमिंटन में कोचिंग कैम्प आयोजित किए गए थे । इन कैम्पों में भाग लेने के लिए 900 छात्रों को प्रायोजित किया गया तथा उन्हें सघन तथा विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

6.20.24. विद्यालयों में उपक्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए एक वर्ष की अवधि की योजना तैयार की गई तथा उसे कार्यान्वित किया गया । इन सभी प्रतियोगिताओं में लगभग 30,000 छात्रों ने भाग लिया । केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 8 नवम्बर, 1992 तक कलकत्ता क्षेत्र में लड़कों के लिए तथा बम्बई क्षेत्र में लड़कियों के लिए किया गया । इस वर्ष, पहली बार तैराकी तथा गोताखोरी को इस प्रीतियोगिता मे शामिल किया गया जिसमें लगभग 65 छात्रों (लड़के तथा लड़कियों दोनों) ने भाग लिया।

6.20.25. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भारतीय स्कूल खेल संघ सम्बद्ध है तथा इसके द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन की टीम को 19 साल से कम आयु वाले छात्रों के लिए फुटबाल में गुवाहाटी में तथा 19 साल से कम आयु वाले छात्रों के लिए हाकी, बडमिंटन तथा वालीबाल में चडीगढ़ में नवम्बर, 1992 के दौरान भारतीय स्कूल खेल संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया गया । केन्द्रीय विद्यालय संगठन की टीम को 17 से कम आयु वालों के लिए रांची में 25 से 30 दिसम्बर, 1992 को आयोजित किए जाने वाली भारतीय स्कूल खेल संघ हाकी टीम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया गया । इसी तरह से केन्द्रीय विद्यालय संगठन, टेबल टैनिस, बास्केटवाल एथलेटीक्स तथा क्रिकेट जैसी भारतीय स्कूल खेल संघ प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर विचार कर रहा है तथा उसकी तारीखों की अभी तक घोषणा नहीं की गई है ।

6.20.26. इस वर्ष प्रतिभावान लड़के तथा लड़कियों को 93,000/– रु० की खेल छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रहे है ।

6.20.27. केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, आई– आई० टी० मद्रास (लड़कों के लिए वालीबाल तथा बास्केटबाल), केन्द्रीय विद्यालय नं० 1 ग्वालियर (लड़कों के लिए एथलेटीक्स तथा फुटबाल,) केन्द्रीय विद्यालय किरकी, पुणे (लड़कों के लिए हाकी) तथा दिल्ली कैन्ट नं० 1 (लड़कों के लिए क्रिकेट) में चार खेल छात्रावास चलाए जा रहे हैं जिनमें छात्रों को निःशुल्क भोजन तथा आवास, खेल उपस्कर तथा 385/– रु० प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से विशेष पौष्टिक आहार प्रदान किए जाते हैं ।

6.20.28. केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने लड़के तथा लड़कियों के दो दलों को रूपकुंड (हिमालय में एक बर्फीला झील) में मई, 1992 को तथा लड़के तथा लड़कियों के दो दलों को सितम्बर, 1992 को पिंडारी तथा काफनी ग्लेसियर के लिए प्रायोजित किया ।

6.20.29. केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भारत स्काउट तथा गाईड (राष्ट्रीय मुख्यालय) द्वारा मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करता है ।

6.20.30. इक्कीसवीं सदी में युवाओं के लिए मैत्री कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा 5 केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को चुना गया । उन्होंने 15–10–92 से 10–11–92 तक जापान का दौरा किया । इसका सारा खर्च जापान सरकार द्वारा वहन किया गया । वर्ष 1991 में इस कार्यक्रम के लिए 10 केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को चुना गया ।

7. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान

7. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान

उच्चतर शिक्षा पद्धति का विकास

7.1.1. वर्ष 1992–93 के प्रारम्भ में, विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों का कुल नामांकन 46.11 लाख था। यह पिछले वर्ष के नामांकन के मुकाबले 1.86 लाख अधिक था। विश्वविद्यालय विभागों में नामांकन 7.6 लाख था और सम्बद्ध कालेजों में 38.46 लाख था। कला संकाय में नामांकन कुल नामांकन का 40.4 प्रतिशत था। विज्ञान और वाणिज्य संकायों में प्रतिशतता क्रमशः 19.6 और 21.9 थी। प्रथम डिग्री स्तर पर नामांकन 40.6 लाख (88.1 प्रतिशत), स्नातकोत्तर स्तर पर 4.38 लाख (9.5 प्रतिशत), अनुसंधान स्तर पर 0.51 लाख (1.1 प्रतिशत) और डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र स्तर पर 0.60 लाख (1.3 प्रतिशत) था।

7.1.2. वर्ष 1992–93 के दौरान, विश्वविद्यालय पद्धति में अध्यापकों की संख्या 2.70 लाख थी। इनमें से, 0.61 लाख विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालजों में थे तथा शेष सम्बद्ध कालेजों में थे। विश्वविद्यालयों में 60655 शिक्षकों में से, 7764 प्रोफेसर, 15892 रीडर, 34573 लेक्चरर, तथा 2426 ट्यूटर/प्रदर्शक थे। सम्बद्ध कालेजों में वरिष्ठ शिक्षकों की संख्या 29160, लेक्चररों की संख्या 1,17,390 तथा ट्यूटर्स/प्रदर्शकों की संख्या 9230 थी।

7.1.3. आलोच्य वर्ष के दौरान, एक राज्य विश्वविद्यालय अर्थात् डा० बाबा साहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेर की स्थापना की गई थी। इस प्रकार देश में राज्य विश्वविद्यालयों की कुल संख्या सितम्बर, 1992 तक 149 तक पहुंच गई थी।

महिलाओं में उच्चतर शिक्षा :

7.1.4. वर्ष 1992–93 के प्रारम्भ में, महिलाओं का नामांकन पिछले वर्ष के 14.37 लाख के मुकाबले में 15.18 लाख था। स्नातकोत्तर स्तर पर, महिलाओं का नामांकन, कुल नामांकन का 34.6 प्रतिशत था। छात्राओं का नामांकन, केरल में सबसे अधिक (53.0 प्रतिशत) था जबकि पंजाब में (48.2 प्रतिशत), दिल्ली में (46.3 प्रतिशत), हरियाणा में (42.2 प्रतिशत) मेघालय/नागालैंड/मिजोरम में (39.0 प्रतिशत), तमिलनाडु में (38.5 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम में (38.4 प्रतिशत) था। बिहार में महिलाओं का नामांकन सबसे कम (16.4 प्रतिशत) था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) :
स्वायत्त कालेज :

7.1.5 आयोग ने स्वायत्त कालेजों की अपनी योजना के जरिए स्वायत्तता की संकल्पना को प्रोत्साहित करने तथा उसके संवर्धन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। वर्ष के दौरान, योजना की पुनरीक्षा करने के लिए पुनरीक्षा समिति का गठन किया गया था। आयोग ने पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया तथा आठवीं योजना अवधि में योजना के लिए अपनी सहायता को जारी रखने के लिए सहमत हो गया। फिलहाल, उन कालेजों की कुल संख्या 111 है, जिन्हें स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया गया है।

पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करना :

7.1.6 सामान्य शिक्षा में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों को पुनः तयार करने की योजना विश्वविद्यालय अनुकूल आयोग द्वारा प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को समुदाय की पर्यावरण और विकासात्मक आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बनाए जाने और शिक्षा को कार्य क्षेत्र/व्यावहारिक अनुभव और उत्पादकता से जोड़ने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरम्भ की गई थी। अनेक विश्वविद्यालयों और कालेजों से, इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रमों को पुनः तैयार करने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान, मानविकी भाषा और सामाजिक–विज्ञान के विभिन्न विषयों में, पाठ्यचर्या विकास रिपोर्टें तैयार करवा ली हैं। इन रिपोर्टों में, विद्यमान पाठ्चर्याओं की पुनरीक्षा शामिल है ताकि उन्हें आधुनिक बनाया तथा विकसित किया जा सकें और नई अध्यापन तथा पठन-सामग्रियां तैयार की जा सकें। आयोग ने, डिग्री स्तर पर विभिन्न विषयों में व्यावसायिक शिक्षा विकसित करने के लिए एक कोर समिति भी गठित की है। मूल उद्देश्य ऐसे विषयों/विषय-क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विकसित करना है जिनमें रोजगार (अपना अथवा मजदूरी) की संशक्त संभावनाएं हों। विभिन्न तकनीकी ब्यौरों को तैयार करने के लिए, विभिन्न, विषयों में उप दल गठित किए जा चुके हैं। इस बीच, आयोग ने उन 314 कालजों को सहायता देना जारी रखा जो कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। इसी प्रकार, 734 कालेज, वर्ष 1992 के दौरान कालेज मानविकियों तथा सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करते रहे हैं। वर्ष के दौरान योजना की पुनरीक्षा पूरी कर दी गई थी तथा इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

विश्वविद्यालयों की आठवीं योजना विकास योजनाएं

7.1.7 पिछले वर्ष विश्वविद्यालयों को परिचालित की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार, विश्वविद्यालयों के आठवीं योजना विकास सम्बन्धी प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विशेष-समितियों द्वारा चर्चा की गई थी जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। समिति की सिफारिशें आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं तथा तदनुसार, विश्वविद्यालयों को अनुदान दिए रहे हैं ।

कालेजों का विकास

7.1.8 पिछले वर्ष कालेजों को परिचालित की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार, आयोग ने, कालेज के प्राधानाचार्यों के साथ उनकी आठवीं योजना विकास सम्बन्धी प्रस्तावों पर चर्चा करने की दृष्टि से, राज्य की राजधानियों में विशेषज्ञ समितियों को भेजा । आयोग ने समितियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार, कालेजों को अनुदान देना आरम्भ कर दिया ।

दक्षता में सुधार

7.1.9 आयोग ने 110 विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटर सम्बन्धी सुविधाएं संस्वीकृत की हैं । इसके अतिरिक्त, आयोग ने 1255 कालेजों को कम्प्यूटर सम्बन्धी सुविधाएं संस्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की । इन कम्प्यूटर सुविधाओं का प्रयोग प्रशिक्षण और अनुसंधान के अतिरिक्त छात्र-रिकार्ड, लेखों और प्रशासन तथा प्रबन्ध के अपेक्षित अन्य आंकड़ों के रखरखाव के लिए किया जा सकता है ।

शिक्षक-भर्ती, प्रशिक्षण और निष्पादन मूल्यांकन

7.1.10 वर्ष के दौरान, आयोग ने लेक्चररशिप की पात्रता निर्धारित करने तथा मानविकियों और सामाजिक-विज्ञानों में कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए अर्हक-परीक्षा संचालित की । इसी प्रकार की एक परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सी० एस० आई० आर० द्वारा संयुक्त रूप से विज्ञान-विषयों में संचालित की गई थी। कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में नए भर्ती किए गए तथा सेवारत लेक्चररों के लिए शैक्षिक-कर्मचारी अनुस्थापना योजना के अन्तर्गत आयोग द्वारा मान्य शैक्षिक स्टाफ कालेज ने 3562 शिक्षकों को शामिल करते हुए 139 अनुस्थापना कार्यक्रम आयोजित किए । इसी प्रकार सेवारत शिक्षकों के लिए, 306 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे। जिनमें 7969 शिक्षकों को शामिल किया गया था ।

विशेष सहायता कार्यक्रम

7.1.11 आयोग ने, विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में विशेष सहायता के 111 विभागों तथा 41 उच्च अध्ययन केन्द्रों को सहायता प्रदान करने का कार्य जारी रखा । इसके अतिरिक्त विज्ञान में 46 और मानविकियों तथा सामाजिक-विज्ञानों में 20 विभागीय अनुसंधान सहायता परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं । आयोग ने, कुछेक विभागों की मान्यता भी समाप्त कर दी क्योंकि उनका निष्पादन, विशेषज्ञ-समिति द्वारा यथा मूल्यांकित अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया था तथा कुछ अन्य को स्तरोन्नत किया/उन्हें सहायता प्रदान करना जारी रखा ।

सी० ओ० एस० आई० एस० टी कार्यक्रम

7.1.12 विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा अनुसंधान में आधार ढांचों को सुदृढ़ करने की योजना के अन्तर्गत 115 विभागों को सहायता प्रदान की गई ।

सुपर कन्डक्टीविटी कार्यक्रम

7.1.13 सुपर कंडक्टीविटी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्रम 1987 में, इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि सुपर कन्डक्टीविटी के तीव्र गति से विकसित क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में शिक्षा और अनुसंधान विकसित किया जाए और क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जाए । आयोग ने 12-13 मई, 1992 के दौरान, तिरुपति में समन्वयकों तथा विशेषज्ञों की दल-अनुश्रवण बैठक (ग्रुप मानीटरिंग मीटिंग) आयोजित की । इस बैठक के परिणामस्वरूप आयोग ने विशिष्ट क्षेत्रों में 19 विश्वविद्यालयों/दलों पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया । ये संस्थाएं अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उभरी हैं । कार्यक्रम ने, अनुसंधान और विकास तथा शैक्षिक-कार्यकलापों के लिए संयुक्त दृष्टिकोणों की दृष्टि से विश्वविद्यालय पद्धति पर सकारात्मक प्रभाव डाला है ।

सामान्य सुविधाएं और सेवायें

7.1.14 बंगलौर, बम्बई और बड़ोदा में कम्प्यूटर आधारित आधुनिक सूचना प्रलेखन केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इन केन्द्रों के कारण शिक्षकों तथा छात्रों को सूचना उपलब्ध कराने की स्थिति में सुधार हुआ है तथा उन्हें अपने-अपने विषयों में अद्यतन प्रलेखन उपलब्ध कराने के साथ-साथ, ये केन्द्र उन्हें आवश्यक ग्रन्थ सूची संबंधी सहायता उपलब्ध कराते हैं । इसके अतिरिक्त, आयोग ने विश्वविद्यालय पद्धति के भीतर राष्ट्रीय शोध सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, विभिन्न क्षेत्रों में अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना की है । वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालयों के विभिन्न सदर्भ विभागों शिक्षा माध्यम अनुसंधान केन्द्रों (ई०एम०आर०सी०) तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केन्द्रों के कार्यकलापों को समन्वित करने, सरल बनाने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए, एक अन्तर विश्वविद्यालय शैक्षिक सूचना संघ की स्थापना की गई थी । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के बीच एक "समझौता-ज्ञापन" हस्ताक्षरित हुआ था, जिसमें संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से मानविकियों

और सामाजिक-विज्ञानों के लिए एक अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में कार्य कर सका। ये केन्द्र परमाणु विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली, खगोलशास्त्र और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र, पुणे, अन्तर विश्वविद्यालय-संघ, इन्दौर, क्रिस्टल विकास केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय के अतिरिक्त हैं।

समाचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी :

7.1.15 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के लिए दिए गए समय का उपयोग करने तथा "देशव्यापी क्लास रूम" शीर्षक से उच्चतर शिक्षा में दूरदर्शन पर कार्यक्रमों को प्रसारित कराने की पहल की है। सातवीं योजना के दौरान, आयोग ने कालेजों को चरणबद्ध रूप में रंगीन टी० वी० सैट पहले से ही उपलब्ध करा दिए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इनसैट परियोजना के लिए एक भावी योजना तैयार कर ली गई है जिसमें उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इनसैट की समय संबंधी भावी जरूरतों के लिए निरूपण किया जाएगा। आयोग इस समय, पूना विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, (अहमदाबाद), केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, (हैदराबाद), जामिया-मिलिया-इस्लामिया (नई दिल्ली), जोधपुर विश्वविद्यालय, मदुरै-कामराज विश्वविद्यालय तथा सेंट जेवियर कालेज, कलकत्ता स्थित 7 शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केन्द्रों (ई० एम० आर० सी०) को सहायता प्रदान कर रहा है। रुड़की विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय मद्रास, काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (इन्दौर) स्थित 7 दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केन्द्रों (ए० वी० आर० सी०) को कार्मिकों के प्रशिक्षण और साफ्टवेयर के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। आठवी योजना अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों में 6 और समाचार-माध्यम केन्द्रों को स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। विभिन्न समाचार-माध्यम केन्द्रों द्वारा 2700 कार्यक्रम तैयार किए गए थे। स्रोतवार, दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों का लगभग 85% भारतीय था जबकि शेष विदेशी स्रोत से थे। आयोग ने अवर-स्नातक छात्रों के लिए गैर-प्रसारण वीडियो लैक्चर तैयार करने की एक योजना भी आरंभ की। इसके लिए 15 विषयों को चुना गया था तथा 8 विषयों में वीडियो पाठ्यक्रम सामग्री तैयार है। पूर्व स्कूली छात्रों के लिए तेरह भागों वाली एक टी० वी० श्रृंखला भी तैयार कर ली गई है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पूर्व स्कूली छात्रों को गानों, सजीवता, कठपुतली-कला, आदि के माध्यम से वर्णमाला संख्याओं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, खाना, विभिन्न ज्यामितीय रूपों और उसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों के प्रति सुग्राही बनाना है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय दूरदर्शन पर समय उपलब्ध होने पर इस श्रृंखला को प्रसारित करने के लिए सहमत हो गया है।

प्रौढ़, सतत और विस्तार शिक्षा कार्यक्रम

7.1.16 आयोग, विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा और विस्तार, निरक्षरता के उन्मूलन, सतत शिक्षा, जनसंख्या-शिक्षा और योजना मंचों के कार्यक्रमों की प्रोन्नति के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। आयोग द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए सहायता, पैकेज के आधार पर प्रदान की जा रही है। वर्ष 1991-92 के दौरान, अनुमोदित कार्यक्रमों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :--

(क)	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के जरिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या	17,940
(ख)	निम्नलिखित के जरिए जनसंख्या शिक्षा :	
	i) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में जनसंख्या शिक्षा क्लब	1286
	ii) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलाप	16,780
(ग)	जन-शिक्षण-निलायम	1,096
(घ)	सतत शिक्षा कार्यक्रम	794

7.1.17 आयोग ने, पुनरीक्षा समिति की मदद से मार्च, 1991 में कार्यक्रम की पुनरीक्षा का कार्य आरम्भ कर दिया। पुनरीक्षा समिति ने, विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों के साथ, उनके कार्यक्रम के कार्यान्वयन समस्याओं तथा नए प्रस्तावों को लेकर चर्चाएं कीं। इन चर्चाओं में 98 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रौढ़ शिक्षा तथा सतत शिक्षा सम्बन्धी चल रहे कार्यकलापों पर प्रौढ़ साक्षरता तथा जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल देते हुए विस्तार से पुनरीक्षा की गई थी।

7.1.18 आयोग ने मई, 1992 में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में पूर्ण साक्षरता तथा सतत शिक्षा सम्बन्धी मार्ग दर्शी सिद्धान्तों और उनके संदर्भ में विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई गई कार्य नीति के संबंध में पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट पर संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए उनके प्रस्तावों को आमंत्रित करते हुए विचार किया। संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखाओं में उल्लेखानुसार, विश्वविद्यालयों से पूर्व के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा अन्य कार्यक्रम, जहां कहीं वे चल रहे हैं, 30 जून, 1992 तक चरणबद्ध करने के लिए कहा गया था।

7.1.19 विश्वविद्यालयों द्वारा गठित जनसंख्या शिक्षा क्लबों के कार्यकरण के लिए सतत सहायता के अलावा, विश्वविद्यालयों पर इस बात के लिए जोर दिया गया था कि वे समाज के निम्नतम स्तरों के बीच जनसंख्या शिक्षा के प्रसार के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और जन-शिक्षण-निलयमों का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त, यू०एन०एफ०पी०, ए०यू०जी०सी० परियोजना के तहत विश्वविद्यालय/कालेजों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में चलाए जा रहे जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या के विकास, जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्र (पी०ई०आर०सी०) के शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा समुदाय में विस्तार सेवा सम्बन्धी सहायता

सेवाएं प्रदान करने के लिए, जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्रों और कार्यदलों की स्थापना की गई है। पाठ्यक्रमों की पुनःसंरचना की योजना के तहत कुछ विश्वविद्यालयों ने अवर-स्नातक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को आधार पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया है। आयोग इस कार्यक्रम के मूल्यांकन का कार्य भारतीय शैक्षिक परामर्शदाता लि० (एड० सिल०) को सौंप दिया है। एड० सिल० कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए, जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्रों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों, पुस्तकों, दस्तावेजों तथा अन्य श्रव्य-दृश्य सहायता सामग्री की पुनरीक्षा करेगा।

छात्रवृत्तियां तथा शिक्षावृत्तियां

7.1.20 विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अनुसंधान के विकास के लिए, आयोग विभिन्न विषयों में कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षा-वृत्तियां प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ये शिक्षा वृत्तियां केवल उन्हीं शोधकर्ताओं को प्रदान की जाती हैं, जिन्होंने यू० जी० सी०, सी० एस० आई० आर०, जी० ए० टी० ई० आदि जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की हो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा कुछ चुने हुए विषयों में ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं को इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय परीक्षाओं के समकक्ष मान लिया गया है।

7.1.21 उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को, केवल-अनुसंधान तथा लेखन कार्य में प्रवृत्त करने के लिए विशिष्ट अवधि हेतु राष्ट्रीय शिक्षा वृत्तियां प्रदान की जाती हैं, अनुसंधान वैज्ञानिकों की योजना के अंतर्गत लेक्चरर, रीडर तथा प्रोफेसरों के ग्रेड में 200 पद सृजित किए गए हैं ताकि अनुसंधान को अपनी जीवनवृत्ति के रूप में अपनाने के इच्छुक व्यक्तियों को इस प्रकार के अवसर प्राप्त हो सकें। इस योजना के तहत, चयन सीधे ही आयोग द्वारा किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, आयोग ने अनुसंधान वैज्ञानिकों की योजना की पुनरीक्षा की और योजना को संशोधित रूप में जारी रखने का निर्णय लिया।

7.1.22 विजिटिंग प्रोफेसरों / फैलों की योजना के तहत विजिटिंग / प्रोफेसरों / फैलों की नियुक्ति के लिए विश्व-विद्यालयों को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान, आयोग ने विश्वविद्यालयों में "विजिटिंग-संकाय" के पद सृजित किए। ताकि काश्मीर विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध कालेजों के शिक्षकों को, वहां असमान्य स्थितियों के कारण, काश्मीर के बाहर, अध्यापन / अनुसंधान कार्य प्रदान किया जा सके।

अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते कोचिंग कक्षाएं

7.1.23 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने हेतु पता लगाए गए केन्द्रों (विश्वविद्यालय और कालेज) को सहायता प्रदान करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, पांच विश्वविद्यालयों तथा आठ कालेजों को सहायता प्रदान की गई थी, जिनमे पूर्व वर्षों के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, प्रगति-रिपोर्ट तथा अनुदान उपयोगिता-प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1991-92 में कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रेटर-बम्बई, गुलबर्ग, बिदर, कुरनूल, कटिहार, दरभंगा आदि के अल्पसंख्यक सघनता वाले क्षेत्रों में 18 और कालेजों का तथा गैर-अल्पसंख्यक सघनता वाले क्षेत्र में दो केन्द्रों का पता लगाया गया जिसमें से एक केन्द्र केवल महिलाओं के लिए है। योजना को पुनः तैयार किया जा रहा है तथा अधिक अल्पसंख्यक सघनता वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। अल्प-संख्यक बहुलता वाले और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के उद्देश्य से योजना को सक्रिय बनाकर उसका विस्तार किया जा रहा है। उपचारी और संवर्धन कोचिंग के लिए जहां भी आव-श्यक हो, नये कोचिंग केन्द्र केवल अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्र में ही नहीं अपितु गैर-अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में भी, जहां उपयुक्त लक्ष्य दल और सुविधाएं उपलब्ध हों, खोले जाने चाहिएं। आयोग, सिविल सेवाओं में भर्ती हेतु विख्यात निजी संस्थानों के जरिए कोचिंग की इस योजना को अपनाने की संभावना की भी छान-बीन कर रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं :

7.1.24 विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू की गई इस प्रकार की शिक्षा वृत्तियों की कुल संख्या में से, अनु० जाति और अनु० जनजाति के लिए आरक्षित जूनियर अनुसंधान शिक्षा-वृत्ति के अलावा वि० अनु० आयोग अनु० जाति और अनु० जनजाति के लिए प्रत्येक वर्ष 50 शिक्षावृत्तियां सीधे ही प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार आयोग ने अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के लिए 40 अनुसंधान एसोसिएटशिप आरक्षित कर दी हैं। एम० फिल०/पी०एच०डी० करके अपनी योग्यताओं में सुधार करने के लिए सम्बद्ध कालेजों के अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के शिक्षकों को अवसर प्रदान करने हेतु, आयोग ने प्रत्येक वर्ष 50 शिक्षक शिक्षा वृत्तियां (फैलोशिप) शुरू की हैं।

महिला अध्ययन :

7.1.25 आयोग, विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन में अनुसंधान के लिए सुस्पष्ट परियोजना शुरू करने तथा अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर पाठ्यचर्या के विकास एवं संगत विस्तार क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है।

7.1.26 आयोग ने सामाजिक विज्ञान तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान और मानविकी में महिला उम्मी-



माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए

दवारों के लिए, अंशकालिक अनुसंधान एसोसिएटशिप के 40 पदों का भी सृजन किया है। सहायता के लिए महिला-अध्ययन के विषयों से सम्बन्धित 19 अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं। महिला अध्ययन स्थायी समिति ने, विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के बाद, 21 विश्वविद्यालयों और 11 कालेजों/विश्वविद्यालय विभागों को क्रमश: महिला अध्ययन केन्द्र और कक्ष (सैल) स्थापित करने के लिए सहायता देने की भी सिफारिश की।

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क पर परियोजना :

7.1.27 आयोग ने, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कम्प्यूटर अनुप्रयोग और संचार प्रौद्योगिकियों की मदद से देश के पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए, एक परियोजना तैयार करने की पहल की है। इनफेलिबनेट (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) शीर्षक वाली, यह परियोजना, विश्वविद्यालयों/सम-विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना केन्द्रों, अनुसंधान और विकास (आर० एण्ड डी०) संस्थानों और कालेजों के पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों को जोड़ने के लिए एक कम्प्यूटर-संचार नेटवर्क के रूप में होगी, ताकि वे अपने-अपने समाधनों का ईष्टतम रूप में उपयोग कर सकें। परियोजना का मुख्य उद्देश्य 45 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का पता लगाना और उनका आधुनिकीकरण करना, 10 दस्तावेज संसाधन केन्द्रों और 5 अनुसंधान और विकास क्षेत्रीय सूचना केन्द्रों को सहायता प्रदान करना है। इन नोडों और पहले से ही संचालित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तीन राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों को उपग्रह के जरिए जोड़ा जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों के ऐसे पुस्तकालयों पर बल दिया जाएगा, जो संग्रहण और समाधनों के दृष्टि से वंचित अथवा पिछड़े हुए हैं। इसमें, साधनों और सामग्री से वंचित पुस्तकालयों की, देश के समृद्ध पुस्तकालयों तक पहुंच हो सकेगी, जिससे उनमें समानता आएगी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय :

7.2.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितम्बर, 1985 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पद्धति को शुरू करना व बढ़ावा देना है तथा पद्धतियों में स्तरों का समन्वय निर्धारण करना है। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख लक्ष्यों में, जनसंख्या के बड़े हिस्सों, विशेषकर असुविधा प्राप्त वर्गों को उच्चतर शिक्षा के व्यापक अवसर प्रदान करना, सतत शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना और विशेष लक्षित वर्गों तथा महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

7.2.2 इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, शैक्षिक तरीकों व गति के संबंध में, लचीली व मुक्त विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा, पाठ्यक्रमों के संयोजन, नामांकन के लिए अर्हता प्रवेश-आयु, मूल्यांकन तरीकों आदि की नवाचारी प्रणाली की व्यवस्था करता है।

7.2.3 विश्वविद्यालय ने समेकित बहु-माध्यम शैक्षिक कार्यनीति को अपनाया है जिसमें मुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री, शिक्षकीय प्रणाली, संपर्क कक्षाएं तथा ग्रीष्म-कालीन स्कूल शामिल हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली मूल्यांकन पद्धति में सतत मूल्यांकन व अवधि के अंत में परीक्षा दोनों शामिल हैं।

शैक्षिक कार्यक्रम

7.2.4 विश्वविद्यालय ने 1987 में अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया था और अब तक 16 कार्यक्रम प्रारंभ किए जा चुके है। इन कार्यक्रमों में आहर व पोषाहार में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, स्नातक, उपाधि के लिए तैयारी कार्यक्रम, प्रबंध, दूरस्थ शिक्षा अंग्रेजी में सृजनात्मक लेखन, व कम्प्यूटर अनुप्रयोग, ग्रामीण विकास एवं उच्चतर शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम तथा कला/वाणिज्य/विज्ञान तथा पुस्तकालय व सूचना विज्ञानों में स्नातक उपाधि कार्यक्रम के साथ-साथ व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री शामिल है। विश्वविद्यालय ने 1127 पुस्तिकाएं प्रकाशित की है, जिनमें पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है और इनके अनुपूरक के रूप में इसने 425 से अधिक दृश्य और 325 श्रव्य कार्यक्रम तैयार किए हैं।

7.2.5 1992-93 के दौरान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्ययन कार्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या 60000 से अधिक होने की संभावना है। इसके साथ विश्वविद्यालय में छात्रों का कुल नामांकन 1.80 लाख से अधिक पहुंच गया है। प्रारंभ में, जनवरी, 1992 से शुरू हुए प्रबंध कार्यक्रम में पाठ्यक्रमवार पंजीकरण लागू किया गया। अक्तूबर, 1992 तक 4900 छात्रों ने अपने अध्ययन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए।

कर्मचारी

7.2.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अब तक लगभग 160 शिक्षकों तथा करीब 900 तकनीकी, व्यावसायिक, प्रशासनिक और सहयोगी कर्मचारियों की भर्ती की है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय लगभग 250 समन्वयकों तथा सहायक समन्वयकों और 6500 से अधिक शैक्षिक परामर्शदाताओं को अंशकालिक आधार पर सेवाओं का उपयोग कर रहा।

छात्र सहयोग सेवाएं

7.2.7 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक व्यापक छात्र सहयोग सेवा नेटवर्क तैयार किया है जिसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित 16 क्षेत्रीय केन्द्र और 201 अध्ययन

केन्द्र शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र में निम्नलिखित सेवाओं की व्यवस्था है :—

— सूचना, परामर्श और मार्गदर्शन,
— पुस्तकालय सुविधाएं,
— श्रव्य-दृश्य सुविधाएं,
— छात्र की सभी शैक्षिक सामग्री प्राप्त करता है और उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करता है।

मुक्त विश्वविद्यालय तथा सुदूर शिक्षा पद्धति की प्रौन्नति और उसका समन्वय :

7.2.8 किसी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यों के निष्पादन के अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश भर में सुदूर शिक्षा में स्तरों के समन्वय और उनके निर्धारण का शीर्षस्थ निकाय है। इस कार्य के निष्पादन के लिए विश्वविद्यालय ने इं० गां० रा० मु० वि० अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल, 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में एक सुदूर शिक्षा परिषद (डी०ई०सी०) की स्थापना की।

7.2.9 इं० गां० रा० मु० वि० के कुलपति डी० ई० सी० की अध्यक्षता करेंगे और इसमें विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड, शिक्षा विभाग, वि० अ० आ०, राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों और परम्परागत विश्वविद्यालयों में पत्राचार अध्ययन संस्थानों के प्रतिनिधि और कुछेक प्रख्यात शिक्षाविद शामिल होंगे।

7.2.10 आठवीं योजना के दौरान, राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद ने मार्ग-निर्देश तयार किए हैं। मार्ग-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सभी नए कार्यक्रम रोजगार व स्व-रोजगार में संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा व प्रशिक्षण की ओर तथा सेवारत व्यक्तियों की सतत शिक्षा एवं आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर ध्यान देंगे। 8वीं योजना के दौरान दूरस्थ शिक्षा परिषद, द्वारा दूरस्थ शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों के प्रशिक्षण की सहायता को प्राथमिकता दी जाएगी।

दूरस्थ शिक्षा संस्थान :

7.2.11 विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा पद्धति के लिए मानव संसाधन विकास केन्द्र के रूप में दूरस्थ शिक्षा संस्थान स्थापित करने की परियोजना तैयार की है। संस्थान पाठ्यचर्या योजना विकास, निर्देशात्मक डिजाईन व पाठ्यक्रम विकास, बहु-माध्यम व आधुनिक सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी, छात्र सहायता सेवाओं के आयोजन आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

7.2.12 मारीशस सरकार ने अपने देश में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करने के लिए इं०गां०रा०मु०वि० द्वारा चलाए जा रहे स्नातक डिग्री कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री प्राप्त की है। अध्ययन राष्ट्रमंडल ने सुझाव दिया है कि इं० गां० रा० मु० वि० को केरीबियन द्वीपसमूह में मुख्य शिक्षा अधिकारियों के लिए दूरस्थ शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम आरंभ करने चाहिए। अध्ययन राष्ट्रमंडल ने देश में दूरस्थ शिक्षा स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के उद्देश्य से तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 50,000 डालर की सहायता की पेशकश भी की है। एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला ने कार्यक्रम बनाने के लिए इं० गां० रा० मु० वि० माडल अपनाने की सिफरिश की है।

दूरदर्शन प्रसारण :

7.2.13 दूरदर्शन द्वारा मई, 1991 में आरंभ किया गया इं गां० रा० मु० वि० कार्यक्रमों का 30 मिनट का प्रसारण 1992-93 के दौरान भी जारी रखा गया। आकाशवाणी के बम्बई व हैदराबाद केन्द्रों ने इं० गां० रा० मु० वि० के चुने हुए श्रव्य कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू किए।

पत्रिका

7.2.14 व्यावसायिक पत्रिका, भारतीय मुक्त अध्ययन पत्रिका का पहला अंक, वर्ष 1992-93 के दौरान, प्रकाशित किया गया।

दीक्षान्त समारोह

7.2.15 विश्वविद्यालय ने अपना दूसरा दीक्षान्त समारोह, अप्रैल, 1992 में आयोजित किया, जिसमें छात्रों को डिप्लोमा और डिग्रियां प्रदान किए गए। श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री, मुख्य अतिथि थे।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

7.3.1 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (अ०मु०वि०) जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी एक प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय अपने आवासीय स्वरूप के लिए विख्यात है। इस विश्वविद्यालय में कुल 17,200 छात्रों का नामांकन है जिसमें विश्वविद्यालय के स्कूलों में नामांकित छात्र भी शामिल हैं। 10 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे विदेशी छात्रों की नामांकित संख्या 298 है।

7.3.2 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 75 विभागों सहित 10 संकाय हैं। विश्वविद्यालय के चार महत्वपूर्ण कालेज हैं जिसमें जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज और जाकिर हुसैन इंजीनियरी कालेज शामिल हैं।

7.3.3 विश्वविद्यालय की संकाय संख्या 1210 है। गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 5152 है।

7.3.4 विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रानिक मेल (इ० मे०) सेवा प्रारम्भ की है। यह सारे विश्व में समान सुविधाओं से



युक्त विभिन्न कम्प्यूटर स्थापनाओं के लिए कम्प्यूटर आधारित सम्प्रेषण साधन है।

7.3.5 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परीक्षाओं, दाखिलों और लेखों से संबंधित कार्य कम्प्यूट्रीकृत कर दिया गया है। रजिस्ट्रार के कार्यालय के कार्य को कम्प्यूट्रीकृत करने के लिए एक अन्य कम्प्यूटर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

7.3.6 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित तीन स्वतंत्र विभागों की स्थापना की है :—

(क) तपेदिक और छाती की बीमारियों का विभाग,

(ख) त्वचा विज्ञान विभाग, और

(ग) मनोविकृति विज्ञान विभाग।

7.3.7 विदेशी व्यापार अध्ययन के लिए एक केन्द्र स्थापित करने से संबंधित विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को वाणिज्य मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है। प्रस्तावित अंतः क्षेत्रीय केन्द्र निम्नलिखित की पेशकश करेगा :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर स्तरीय पाठ्यक्रम (म० अं० व्या०) और

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

7.3.8 अ० भा० त० शि० परिषद की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर वि० अ० आयोग ने कम्प्यूटर इंजिनियरी में बी० एस सी० इंजीनियरी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कम्प्यूटर इंजीनियरी विभाग स्थापित करने से संबंधित विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

7.3.9 विश्वविद्यालय में सूचना शिक्षा प्रौद्योगिकी और जन-संचार के प्रमुख क्षेत्रों में गतिविधियाँ आरम्भ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

7.3.10 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं :—

1. वित्त एवं नियंत्रण में मास्टर (वि० नि० मा०)
2. पर्यटन प्रशासन में मास्टर (प० प्र० मा०)
3. कार्यनीति विषयक अध्ययनों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
4. बी० एससी० इंजीनियरी (कम्प्यूटर)
5. कम्प्यूटेशनल गणित में डिप्लोमा
6. पश्चिमी एशियन अध्ययन में एम० ए०
7. उद्यान–विज्ञान में डिप्लोमा
8. फार्मेसी में डिप्लोमा
9. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्षीय अंशकालिक डिप्लोमा
10. अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कार्यात्मक हिन्दी)

7.3.11 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० एम० एन० फारूकी को इंजीनियररी प्रादत्व की प्रगति और तरक्की के प्रति उनके समर्पण के लिए इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स द्वारा स्कोल आफ आनर प्रदान किया गया। प्रो० जियाउल हुसैन प्रिंसिपल विश्वविद्यालय पालिटेकनिक को वर्ष 1991 के लिए (पालिटेकनिक) इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उ० प्र० सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। शरीर रचना विभाग के प्रो० महदी हसन को विख्यात चिकित्सा शिक्षक की श्रेणी के अन्तर्गत डा० बी० सी० राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

7.3.12 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मौलाना आजाद पुस्तकालय में लगभग 8,00,000 खण्ड और विभिन्न भाषाओं की लगभग 50,000 दुर्लभ और अमूल्य पाण्डुलिपिया है।

7.3.13 विश्वविद्यालय ने 140.00 लाख रु०, 50.00 लाख रु० और 100.00 लाख रु० की अनुमानित लागत से क्रमशः एक महिला छात्रावास, एक अनुसंधानकर्ता छात्रावास और एक जूनियर एवं नर्स छात्रावास का निर्माण शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

7.4.1 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी० एच० यू०), एक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में स्थापित किया गया था। इसमें 3 संस्थान अर्थात् इसके छत्र के नीचे चिकित्सा विज्ञान संस्थान आधुनिक चिकित्सा शास्त्र और आयुर्वेद संकाय जिसमें विशेष वार्ड के अलावा आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र के लिए 750 बिस्तरों वाला और आयुर्वेद के लिए 125 बिस्तरों वाला अस्पताल है। प्रौद्योगिकी संस्थान और कृषि विज्ञान संस्थान शामिल हैं। कुल मिलाकर इसमें 14 संकाय और 114 शैक्षिक विभाग हैं। विश्वविद्यालय एक संस्थापित महिला महाविद्यालय और 3 स्कूल स्तर के संस्थानों का भी अनुरक्षण करता है। इसने शहर के 4 कालेजों को प्रवेश आदि की विशेष सुविधा दी हुई है। विश्वविद्यालय में लगभग 13000 छात्र दाखिल हैं। इसके शिक्षण और शिक्षणेत्तर स्टाफ की संख्या क्रमशः लगभग 1330 और 6350 है।

7.4.2 कृषि–विज्ञान संस्थान के 4.4.1992 हुए चौथे दीक्षान्त समारोह में, प्रो० बी० एल० चोपड़ा, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई० सी० ए० आर०) को विज्ञान वाचस्पति (डाक्टर ऑफ साइंस) (सम्मानित डिग्री प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के 9 सेवानिवृत्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस अर्थात् 5 सितम्बर, 1992 को विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। "भारत छोड़ो आन्दोलन 1942"

के वर्ष भर के समारोहों का उद्घाटन, विश्वविद्यालय द्वारा 9.8.1992 को किया गया ।

7.4.3 वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय के संकाय ने विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार और विशिष्ट सम्मान प्राप्त किए, जिनमें बी० सी० राय राष्ट्रीय पुरस्कार, डा० जे० एल० रोहतगी शिक्षावृत्ति, जीव विज्ञान संबंधी विज्ञान के लिए आई० एन० एस० ए० का स्वर्ण जयंती स्मरणोत्सव मेडल और बी० एन० चोपड़ा व्याख्यान पुरस्कार, आयुर्वेद में राम नारायण वैद्य पुरस्कार और भारतीय चिकित्स संघ का वैज्ञानिक पेपर पुरस्कार, शामिल हैं ।

7.4.4 विश्वविद्यालय का विजिटर होने की हैसियत से, राष्ट्रपति ने, संकायाध्यक्षों से संबंधित अधिनियम 9 (1) में संशोधन को स्वीकृति दे दी है, ताकि संकायाध्यक्ष (डीन) की कार्यावधि को दो वर्ष से तीन वर्ष में परिवर्तित किया जा सके ।

7.4.5 विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबाल (महिला) प्रतियोगिता और पूर्व क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय कब्बड्डी (पुरुष) चैम्पियनशिप जीते । विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश अंतर–विश्वविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कास्य पदक भी जीते । विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक टीम ने 6 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर, भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रायोजित ईस्ट जोन यूथ फेस्टीवल ओवर आल चैम्पियनशिप जीती ।

दिल्ली विश्वविद्यालय

7.5.1 एक शिक्षण और सम्बन्धन, विश्वविद्यालय के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय वर्ष 1992 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था । इसमें भूटान के शेरुब्तसे कालेज सहित, विश्वविद्यालय से संबद्ध 72 कालेज/संस्थान हैं । उत्तर और दक्षिण परिसरों में स्थित विश्वविद्यालय के 13 संकाय और 65 शैक्षिक विभाग हैं । गैर-कालेजीय महिला शिक्षा बोर्ड, पत्राचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्कूल, अंशकालिक एवं पत्राचार शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करते है । विश्वविद्यालय में बाह्य (निजी) छात्र भी नामांकित हैं ।

7.5.2 वर्ष 1992–93 के दौरान, विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या लगभग 1,88,800 थी । इसमें से विभिन्न कालेजों, संकायों व विश्वविद्यालय के विभागों में 1,10,400 नियमित छात्र, गैर-कालेजीय महिला शिक्षा बोर्ड में 11,800 छात्र, पत्राचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्कूल में 55,000 छात्र तथा 11 बाह्य उम्मीदवार सेल (प्राइवेट छात्र) में 11,600 छात्र थे ।

7.5.3 विश्वविद्यालय ने वर्ष 1992–93 के दौरान नेहरू होम्योपेथी कालेज को संबंधन प्रदान किया । इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान विभिन्न संकायों में विभिन्न स्तरों पर लगभग 20 नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं ।

7.5.4 विश्वविद्यालय के संकाय में कुल संख्या 745 है जिसमें से 275 प्रोफेसर–296 रीडर, 159 लेक्चरर और 15 अनुसंधान एसोशियेट हैं । वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को निम्नलिखित गौरवशाली सम्मान/पुरस्कार प्रदान किए गए हैं :—

(i) प्रो० देवव्रत चौधरी को वाद्य संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए, पदम भूषण प्रदान किया गया ।

(ii) प्रो० टी० एन० कृष्णन को शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए पदम भूषण प्रदान किया गया ।

(iii) प्रो० एस० के० एम० अबिदी को भारत में फारसी अध्ययन में उनकी सेवाओं के योगदान को ध्यान में रखते हुए पदम श्री प्रदान किया गया ।

(iv) प्रो० सत्य व्रत को संस्कृत अध्ययन में उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं अध्ययन कार्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली संस्कृत अकादमी का संस्कृत सेवा सम्मान प्रदान किया गया ।

7.5.5 विश्वविद्यालय ने 5 नवम्बर, 1992 को हुए विशेष दीक्षांत समारोह में विश्व बौद्धिक स्वामित्व संगठन के महानिदेशक श्री अरपाद बगश को डाक्टर आफ ला की मानद उपाधि प्रदान की ।

7.5.6 विश्वविद्यालय के छात्रों ने खेलों के मैदान में श्रेष्ठता दिखाई । विश्वविद्यालय ने खेलों के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए चौथे वर्ष लगातार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी जीती ।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

7.6.1 हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, 1974 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी । इसमें स्नातकोत्तर और अनुसंधान अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है । वर्ष 1992–93 के दौरान, 931 छात्रों को, देश के 11 भिन्न–भिन्न केन्द्रों पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर विश्वविद्यालय में दाखिला दिया गया । वर्ष 1992–93 में छात्रों के नामांकन की संख्या 1934 थी, जिसमें 254 अ० जा०, 45 अ० ज० जा० तथा 24 विकलांग उम्मीदवार शामिल हैं । महिला छात्रों की संख्या 783 थी, जो कुल छात्रों का लगभग 40% है ।

7.6.2 1 दिसम्बर, 1992 को विश्वविद्यालय के संकाय में 69 प्रोफेसर, 66 रीडर व 73 लेक्चरर थे । शिक्षणेत्तर स्टाफ की संख्या 1072 थी ।

7.6.3 विश्वविद्यालय के छात्रों को, 52 योग्यता छात्रवृत्तियों और 162 योग्यता व साधन छात्रवृत्तियों के माध्यम

से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई जूनियर शोध शिक्षावृत्तियों की संख्या क्रमश: 80 और 187 थी। वर्ष के दौरान यू० जी० सी०, सी० एस० आई० आर०, आई० सी० एम० आर०, डी० एस० टी०, डी० ए० ई०, आई० सी० ए० आर० आदि द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं की कुल संख्या 92 थी।

7.6.4 वर्ष के दौरान कार्यकारी परिषद की छः बैठकें और शैक्षिक परिषद की दो बैठकें हुई। कोर्ट की वार्षिक बैठक दिसम्बर 1992 में आयोजित की गई।

7.6.5 विश्वविद्यालय के संकाय ने विभिन्न गौरवशाली पुरस्कार और पदक प्राप्त किए जिनमें वैज्ञानिक शोध के लिए बिरला पुरस्कार, आई० एन० एस० ए० रामानुजम पुरस्कार, शान्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और आई० एन० एस० ए० युवा वैज्ञानिक पुरस्कार शामिल हैं।

जामिया मिलिया इस्लामिया

7.7.1 जामिया मिलिया इस्लामिया, जो 1962 से सम-विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रही थी, को 26 दिसम्बर, 1988 में एक संसद के अधिनियम द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। यह विश्वविद्यालय नर्सरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर तथा शोध स्तरों तक समेकित शिक्षा प्रदान करता है।

7.7.2 वर्ष 1991-92 में छात्रों की संख्या 9,168 थी, जिनमें संपूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या क्रमश: 7690 और 1478 थी। अ० जाति, अ० ज० जाति और पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या क्रमश: 449, 64 और 115 थी। 19 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 153 है। शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 473 और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या 976 है।

7.7.3 विश्वविद्यालय में 27 विभाग और 6 संकाय हैं। इसमें 14 छात्रावास हैं, जिनमें 822 छात्र रहते हैं। जामिया में कामकाजी महिलाओं के लिए भी एक छात्रावास है, जिसमें 68 महिलाएं रह सकती हैं।

7.7.4 जन संचार अनुसंधान केन्द्र (एम० सी० आर० सी०), जन संचार, रेडियो, श्रव्य दृश्य, टेलीविजन और फिल्म निर्माण में कार्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह केन्द्र, कार्यक्रम फार्मेट में अनुसंधान और जन संचार के पुर्ननिवेशन (फीडबैक) अध्ययन का कार्य भी हाथ में लेता है।

7.7.5 जामिया में प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग, राज्य संसाधन केन्द्र बाल-निर्देशन केन्द्र, कोचिंग और कैरियर प्लानिंग केन्द्र तथा बालक माता केन्द्र जैसी अनेक अति सक्रिय अनौपचारिक इकाइयां हैं। प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा एवं विस्तार शिक्षा विभाग ने जन संख्या शिक्षा पर कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त विस्तार शिक्षा में एक स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ किया है।

7.7.6 राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरों और नव-साक्षरों के लिए पठन सामग्री तैयार करता है। बाल निर्देशन केन्द्र, बच्चों, अभिभावकों, किशोर बालिकाओं, शिक्षकों और व्यावसायिकों के लिए विकासात्मक कार्य की जिम्मेदारी लेता है। कोचिंग एण्ड कैरियर प्लानिंग केन्द्र, संघ लोक सेवा आयोग (यू० पी एस० सी०), राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए सुव्यवस्थित कोचिंग की व्यवस्था करता है। जामिया के बालक माता केन्द्र, पुरानी दिल्ली क्षेत्र में रह रहे सुविधा-वंचित वर्गों के बच्चों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करते हैं।

7.7.7 जामिया मिलिया इस्लामिया ने विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों हेतु विषयबोध कार्यक्रमों के लिए एक शैक्षिक स्टाफ कालेज की स्थापना की है। विश्वविद्यालय का डा० जाकिर हुसैन इस्लामी अध्ययन संस्थान, आधुनिक युग की समस्याओं के समाधान पर विशेष बल सहित इस्लाम की राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देता है। तृतीय विश्व अध्ययन अकादमी, तीसरी दुनिया के देशों के सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के लिए अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

7.7.8 यह विश्वविद्यालय, फ्रेंच, रूसी, अरबी और बुल्गारियाई जैसी विदेशी भाषाओं के लिए शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह राष्ट्रीय सेवा योजना को कार्यान्वित करता है, जो छात्रों में सामाजिक जागरूकता पैदा करती है। विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में रूचि बढ़ाने तथा ऐसी गतिविधियों में सहभागिता की भावना उत्पन्न करने के लिए, एन० सी० सी० कार्यकलाप चलाता है। "सैन्य-विज्ञान" जामिया में पूर्व-स्नातक छात्रों को प्रदान किए जाने वाले विषयों में से एक है।

7.7.9 जामिया में एक केन्द्रीय पुस्तकालय है, जिसमें 2 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में एक स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

7.8.1 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1966 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। विश्वविद्यालय में 7 स्कूल और 24 अध्ययन केन्द्र हैं। इसके अलावा इसका एक अलग जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र भी है। विश्वविद्यालय में 3904 छात्र दाखिल हैं। इसके अध्यापक और गैर-अध्यापन कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 375 और 1350 है।

7.8.2 उप प्रो० एम० एस० अगवानी की अपनी अवधि समाप्त होने पर दिनांक 6-10-92 को कार्यालय छोड़ने पर डा० योगेन्द्र अलग दिनांक 14-12-92 से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं।

7.8.3 विश्वविद्यालय द्वारा मई, 1991 में संचालित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के जवाब में, 1327 उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। जिन उम्मीदवारों ने दाखिला लिया उनमें से 192 अ० जा०/अ० ज० जा० और 15 शारीरिक रूप से विकलांग थे। शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न डिग्रियों और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए 1895 छात्र योग्य घोषित किए गए थे।

7.8.4 विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों/केन्द्रों द्वारा 6 राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय सेमिनार सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

7.8.5 विभिन्न स्कूलों के संकाय सदस्यों द्वारा 24 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गई थी जबकि 60 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर था।

7.8.6 जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय की सदस्यता 4,550 है। वर्ष के दौरान लगभग 35,000 क्लिपिंग्स तथा 11,232 खंड और बढ़ाए गए थे। अब पुस्तकालय में खंडों और क्लिपिंग्स का कुल संग्रह क्रमश: 4 लाख और 8 लाख है।

7.8.7 विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्टाफ कालेज द्वारा अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान में पांच पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और चार अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन पाठ्यक्रमों में विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों के 245 शिक्षकों ने भाग लिया।

7.8.8 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र का अनुमोदान किया गया था। संगणक और पद्धति विज्ञान स्कूल ने 14 निजी संगणकों की स्थापना करके अपने प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया और डिजिटल इलैक्ट्रानिकी में एक नया प्रयोग प्रारम्भ किया। जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र ने अपनी सामाजिक वचनबद्धता के एक भाग के रूप में स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक प्रकृति तथा जैव प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आधुनिक जीव विज्ञान के विभिन्न पहलूओं पर व्याख्यान और फिल्म-शो आयोजित किये।

7.8.9 विश्वविद्यालय के प्रौढ़ सतत शिक्षा और विस्तार एकक ने आवासीयों के बीच में पूर्ण साक्षरता का सृजन करने के लिए नई दिल्ली की एक जे० जे० कालोनी को अपनाया।

7.8.10 निर्माण कार्य में समान रूप से प्रगति होती रही। पर्यावरण विज्ञान स्कूल, प्रशासनिक ब्लाक और अन्तकक्ष प्रशासन के भवन के निर्माण का कार्य पूरा किया गया और अधिकार में लिया गया। प्रतिस्थापन आवास इकाइयों, सामुदायिक केन्द्रों और कर्मचारी क्लब का निर्माण कार्य पूरा होने वाला था।

उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय

7.9.1 उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका क्षेत्राधिकार मेघालय, मिजोरम तथा नागलैण्ड के तीन राज्यों तक फैला हुआ है। विश्वविद्यालय का मुख्यालय शिलांग में है। डा० सी० एन० आर० राव, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और प्रो० बैरिस्टर पाकेन कुलपति हैं। विश्वविद्यालय के कोर्ट को मई 1991 में गठित किया गया था।

7.9.2 विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों में 35,790 छात्रों का नामांकन है और इसके लगभग 350 संकाय सदस्य और 2000 गैर-शिक्षा कर्मचारी हैं।

7.9.3 विश्वविद्यालय ने 30 अप्रैल से 2 मई 1992 तक IV भारतीय जिओमारफोलोजिस्ट संस्थान का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया।

शिलांग परिसर

7.9.4 विश्वविद्यालय के परिसर विकास विभाग ने स्थायी परिसर के निर्माण तथा विकास के लिए अपने ठोस प्रयास किए। संभवतया, मार्च, 1993 के अन्त तक 2.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 200 स्थान वाले छात्रावास और 50 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। 800 स्थान वाले छात्रावास, 150 स्टाफ क्वार्टरों, यू० एस० आई० सी० कार्यशाला, लेक्चर हाल, जीवन विज्ञान स्कूल, सेमिनार हाल, अतिथि गृह शारीरिक विज्ञान स्कूल, आर० एम० आई० सी० भवन खेल काम्प्लेक्स, कुलपति-निवास तथा शिलांग स्थायी परिसर की वाह्य बिजली कार्य जारी है।

मिज़ोरम परिसर

7.9.5 27 लाख रु० की अनुमानित लागत से 50 स्थानों वाले छात्रावास, 2.20 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से पंहुगा विश्वविद्यालय कालेज के निर्माण की एक योजना और 1.71 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से मिज़ोरम परिसर में भवन काम्पलैक्स के निर्माण की योजना पर वि० अ० आ० विचार कर रहा है।

नागालैण्ड परिसर

7.9.6 नागालैण्ड परिसर में सड़कों सहित विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए 1.25 करोड़ रु० की राशि अनुमोदित की गई है।

7.9.7 1991-92 के दौरान 11.55 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय की तुलना में वर्ष 1992-93 के लिए विश्व-

विद्यालय का अनुमानित अनुरक्षण व्यय 15.63 करोड़ रुपये है।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय

7.10.1 पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा अक्तूबर, 1985 में एक शिक्षण सम्बंधन विश्वविद्यालय रूप के हुई थी। इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं।

7.10.2 वर्तमान में विश्वविद्यालय के दो निदेशालय, छः स्कूल, चौदह विभाग और पांच केन्द्र हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 17 संस्थायें हैं जिनमें से 10 पांडिचेरी, दो कराइकाल में, एक-एक माहे और यनम में तथा तीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। विश्वविद्यालय दो प्रमाण–पत्र तीन, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और 18 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 14 एम० फिल और 7 डाक्टरल कार्यक्रम चलाती है। समाज की दृष्टि से प्रासंगिक 35 परियोजनायें चल रही हैं।

7.10.3 विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 744 है। विश्वविद्यालय के पास 24 प्रोफेसरों, 42 रीडरों और 55 प्राध्यापकों का संकाय है। यहां शिक्षणेतर कर्मचारियों की की संख्या 411 है।

7.10.4 श्री अर्जुन सिंह, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 17–4–92 को विश्वविद्यालय का दौरा किया और छात्रावास की आधार शिला रखी। आठवीं योजना के अंतर्गत, छात्रावासों, पशुगृहों, बोटेनीकल गार्डन का निर्माण और आन्तरिक सड़कें बिछाने का कार्य के० लो० नि० वि० को सौंपा गया है।

7.10.5 डा० जी० राम रेड्डी, अध्यक्ष, वि० अ० आ० ने 15–5–92 को इस विश्वविद्यालय का दौरा किया और विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति शुरू की।

7.10.6 पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, पायरेएट : मेरी क्यूरी विश्व-विद्यालय (पेरिस) और ले रेयूनियन विश्वविद्यालय (फ्रांस) के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

7.10.7 विश्वविद्यालय प्रशासक संघ ने पांडिचेरी विश्व-विद्यालय में 15 और 16 मई, 1992 को "उच्चतर शिक्षा, उदभूत विषयों तथा प्रचलनों में संसाधन की कमियों से संबंधित तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन" आयोजित किया।

7.10.8 भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 67 वीं वार्षिक बैठक और कुलपतियों का सम्मेलन 20, 21, और 22 दिसम्बर, 1992 को आयोजित किए जाएंगे।

7.10.9 विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षान्त समारोह जनवरी, 1993 से पहले आयोजित किया जाएगा।

7.10.10 प्रदूषण को रोकने से संबंधित नीति वक्तव्य के कार्यान्वयन के संबंध में, विश्वविद्यालय ने प्रदूषण नियंत्रण और वायोवेस्ट ऊर्जा के लिए एक उन्नत केन्द्र स्थापित किया है। इस केन्द्र ने शोचनीय अवस्था के प्रदूषित क्षेत्रों के अनेक अध्ययन किए हैं। प्राप्तकर्ता आयोजकों पर कीटनाशक औषधियों तथा हैम धातुओं के कम वाहुल्य के प्रभाव से संबंधित व्यापक प्रयोगों के माध्यम से एक विशाल सूचना निकाय गठित किया गया है। इस सूचना का उपयोग मौजूदा मानकों के संशोधन और बेहतर पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए नए मानक तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

विश्व भारती

7.11.1 गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था विश्व भारती, विश्व भारती अधिनियम, 1951 द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में संस्थापित की गयी थी।

7.11.2 31 मार्च, 1992 को इस विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 4954 थी। शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 485 और 1649 थी।

7.11.3 विश्व भारती समावर्तन उत्सव 21 मार्च, 1992 को आयोजित किया गया, जिस में भारत के प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव और विश्वविद्यालय के आचार्य ने भाग लिया। आचार्य ने "विश्व भारती देसिकोत्तमा का उच्चतम सम्मान, श्री अमेश चन्द्र बन्धोपाध्याय (दिवंगत), प्रोफेसर एडवर्ड डिमोक, शिकागो विश्वविद्यालय; श्री सम्भूमित्रा, प्रतिष्ठित नाटककार; श्रीमती मरजोरी साइकेस, टैगोर स्कोलर; और स्वर्गीय मुशीरूल हक, पूर्व कुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय को मरणोपरान्त प्रदान किया।

7.11.4 सत्यजीत रे की दिवंगत आत्मा को सम्मान देने के लिए, विश्व भारती के ललित कला संस्थान (कला भवन) में एक विशेष पीठ (चेअर) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

7.11.5 विश्व भारती द्वारा आरम्भ किए गए शिक्षण के नए क्षेत्र इस प्रकार हैं : जीवन विज्ञान में कम्प्यूटर से सम्बंधित पाठ्यक्रम, बी० एस० सी० स्तर पर गणित और भौतिक विज्ञान कम्प्यूटर विज्ञान, एम० एस० सी० के लिए आधुनिक कम्प्यूटर, विज्ञान और आपरेशन रिसर्च, गणित पाठ्यक्रम, एम० एस० सी० में रोगक्षमता विज्ञान (इम्यूनोलौजी), जानवर व्यवहार और तन्त्रिका विज्ञान, एम० एस सी० में प्राणी–विज्ञान पाठ्यक्रम पर्यावरणात्मक वनस्पति विज्ञान और मनोविज्ञान, और दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम—एक मानव–विज्ञान और दूसरा ग्रामीण विकास में।

7.11.6 बीरभूम के सम्पूर्ण जिले को शामिल करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय, जन साक्षरता के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है।

7.11.7 जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संस्थान के सहयोग से वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा 21 से 23 फरवरी, 1992 तक पर्यावरणीय इंजीनियरी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्राणि विज्ञान विभाग ने सामान्य और तुलनात्मक अंतःस्रावी पर जनवरी, 1991 में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। विद्या भवन के शिक्षकों (शिक्षा विभाग) ने राष्ट्र स्तरीय सेमिनारों, कार्यशालाओं में भाग लिया और रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद, राज्य शै० अ० एवं प्र० परिषद, ए० आई० ए० ई० पी० और आई० पी० एस० ई० द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में भाग लिया। भौतिक विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय सैद्धान्तिक भौतिकी इटली ने भी विश्वविद्यालय से सहायता प्राप्त की।

7.11.8 विश्वविद्यालय ने प्रदूषण के उपशमन के लिए कुछेक व्यापक परियोजनाएं शुरू की।

7.11.9 विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 3,32,362 पुस्तकें, और 5,813 पत्रिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के बारह अनुभागों वाले पुस्तकालय में कुल 2,59,905 पुस्तकें हैं।

नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

असम विश्वविद्यालय

7.12.1 सिल्चर असम में एक शिक्षण तथा सम्बद्धन विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी विधान मई, 1989 में तैयार किया गया था। तथापि, अभी विश्वविद्यालय के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में विविध मतों के कारण इस अधिनियम को लागू करना संभव नहीं हो पाया है। अब असम में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों—एक सिल्चर में और अन्य तेजपुर में स्थापित किए जाने हैं— की स्थापना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है। सिल्चर में असम विश्वविद्यालय को संचालित करने से संबंधित आगे कार्रवाई शुरू की जा रही है।

तेजपुर विश्वविद्यालय —तेजपुर

7.12.2 तेजपुर विविद्यालय विधेयक 1992 3 दिसम्बर, 1992 को राज्य सभा में पेश किया गया है। संभावना है कि शीघ्र ही संसद द्वारा इस पर विचार किया जाएगा और इसे पारित किया जाएगा।

नागालैण्ड विश्वविद्यालय

7.13.1 नागालैण्ड में एक शिक्षण और सम्बद्धन विश्वविद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी विधान अक्तूबर, 1989 में तैयार किया गया था। एक स्थल चयन समिति ने नागालैण्ड का दौरा किया है और अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक पहलू को संचालित करने और नया विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

विशेषज्ञता प्राप्त अनुसंधान संगठन

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

7.14.1 भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में देश में सामाजिक विज्ञान शोध को प्रोन्नत व समन्वित करने के लिए की गई थी।

7.14.2 वर्ष के दौरान, परिषद ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध में लगे अखिल भारतीय स्वरूप के शोध संस्थानों को सहायता देना जारी रखा।

7.14.3 परिषद ने दिसम्बर, 1991 तक 70 नई शोध परियोजनाओं के लिए शोध अनुदान संस्वीकृत किया। जनजातीय अध्ययन, सामाजिक विज्ञान शोध में सैद्धान्तिक व प्रणाली विज्ञान मामले जैसे विषयों पर प्रायोजित शोध कार्यक्रम प्रगति पर है। "प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों के कार्यों की आलोचनात्मक जांच" व "पर्यावरणिक अध्ययन" पर शोध कार्यक्रम शीघ्र ही आरम्भ किए जायेंगे।

7.14.4 परिषद ने 6 राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति 12 सीनियर शोध अध्येतावृत्ति 7 सामान्य अध्येतावृत्ति व 14 नियमित डाक्टरल अध्येतावृत्तियां प्रदान कीं। परिषद ने 48 पी० एच० डी० अध्येताओं को आंशिक सहायता व 12 अध्येताओं को आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया।

7.14.5 भारत-फ्रांस सी० ई० पी० के अंतर्गत परिषद ने 7 अध्येताओं को फ्रांस भेजा व 9 फ्रांसीसी अध्येताओं को भारत निमंत्रित किया। भारत-रूस कार्यक्रम के अन्तर्गत "योजना व मार्केट' तथा "सामाजिक गतिशीलता" पर मास्को में आयोजित बैठकों में 11 भारतीय अध्येताओं ने भाग लिया। चीन व उत्तरी कोरिया के साथ भारत के सी० ई० पी० के अन्तर्गत भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों ने इन देशों के साथ द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत करने के लिए चीन व उत्तर-कोरिया का दौरा किया। इसके अतिरिक्त भा० सा० वि० अनुसंधान परिषद से एक प्रतिनिधि मंडल ने विज्ञान की प्रोन्नति के लिए जापान का दौरा किया तथा जापान सोसायटी के साथ एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए। परिषद ने आंकड़े एकत्र करने के लिए 4 अध्येताओं की तथा विदेश में सेमिनार में भाग लेने के लिए 14 अध्येताओं की भी सहायता की। इसने भारत में भी 29 सेमिनारों को सहायता दी।

7.14.6 प्रकाशन अनुदान की योजना के अंतर्गत, वित्तीय सहायता के लिए 11 डाक्टरल शोध ग्रन्थ व 4 शोध रिपोर्ट अनुमोदित की गई थी। वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में

पत्रिकाओं के 10 अंक प्रकाशित किए गए। प्रकाशन अनुदान योजना के अंतर्गत 23 पुस्तकें निकाली गई।

7.14.7 राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र की पुस्तकें, शोध ग्रंथ व शोध रिपोर्टों सहित 2500 प्रकाशन प्राप्त हुए। पुस्तकालय को शुल्क, विनिमय व अनुदान आधार पर करीब 3000 पत्रिकाएं व 50 दैनिक समाचार पत्र प्राप्त हुए इसके अतिरिक्त शीघ्र ग्रंथ सूची सुविधाएं प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र को ग्रंथ सूची, डाटाबेस मुख्यत: पोपलीन को-रोम पर चालू विषयवस्तु व आसटरम प्राप्त हुए।

7.14.8 डाटा आरक्वाईज को रखने के लिए दो डाटा सेट प्राप्त हुए। डाटा प्रोसेसिंग में मार्गनिर्देशन परामर्श सेवाओं की योजना के अंतर्गत 67 अध्येताओं को शोध मार्ग निर्देश प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, डाटा आरक्वाईज ने महिला व बाल विकास विभाग द्वारा प्रायोजित "बालिका व परिवार" पर मुख्य परियोजना की प्रश्नावली व कोड पुस्तकों सहित डाटा प्रोसेसिंग व विश्लेषण में परामर्श सेवायें प्रदान कीं।

7.14.9 भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद अभी भी एशिया सामाजिक विज्ञान शोध परिषद संघ का महासचिव है।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद

7.15.1 भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्थापना की गई है :—

(I) दर्शन शास्त्र में शिक्षण तथा अनुसंधान को प्रोन्नत करना;

(II) समय-समय पर दर्शन शास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना और दर्शन शास्त्र में अनुसंधान कार्यकलापों को समन्वित करना; और

(III) अनुसंधान-दर्शन शास्त्र और सम्बद्ध विषयों में संलग्न संस्थाओं/संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

7.15.2 अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, परिषद शिक्षा वृत्तियां प्रदान करती है। सेमिनार, सम्मेलन कार्यशालाएं, तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करती है; सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करती है; अध्येताओं को विदेशों में आयोजित सम्मेलनों/सेमिनारों में अपने कागजात प्रस्तुत करने के लिए यात्रा-अनुदान प्रदान करती है; और प्रकाशन और त्रैवार्षिक पत्रिका विविध दार्शनिक परम्पराओं, भारतीय तथा पश्चिमी, दोनों के बीच बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है और विश्व में कहीं के भी युवा दार्शनिकों में उभरते दार्शनिक चिन्तन को नवीन शैलियों के लिए स्थान उपलब्ध कराती है।

7.15.3 1992–93 वर्ष के दौरान, परिषद् ने 3 अल्पकालिक शिक्षा वृत्तियां, 2 आवासीय शिक्षावृत्तियां, 23 कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षा वृत्तियां, 7 सामान्य शिक्षावृत्तियां, 2 वरिष्ठ शिक्षावृत्तियां और 2 राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां प्रदान कीं।

7.15.4 अफ्रोको-एशियाई दर्शनशास्त्र संघ और फैडरेशन इन्टरनेशनल डेस सोसाइटीज़ डे फिलोसफी के सहयोग से 16–18 अक्तूबर, 1992 को नई दिल्ली में चौथा अफ्रीकी-एशियाई दर्शनशास्त्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अफ्रीका तथा एशिया के दार्शनिकों के बीच सहयोग तथा बातचीत को बल देना, दर्शनशास्त्र के विगत तथा वर्तमान स्वरूपों की बेहतर समझ बूझ में योगदान देना और अफ्रीका तथा एशिया में दार्शनिक क्षेत्रों को विकसित करना है। इस सम्मेलन का विषय धर्म तथा दर्शनशास्त्र था जिस पर पूर्ण अधिवेशन, संगोष्ठियां, वैयक्तिक कागज़ात प्रस्तुत करना था और गोलमेज चर्चाएं, आयोजित की गई थीं। इस सम्मेलन में अफ्रीका-एशियाई देशों के 29 विद्वानों और 136 भारतीय विद्वानों ने भाग लिया।

7.15.5 प्रोफेसर के० सच्चिदानन्द मूर्ति के दर्शन पर राष्ट्रीय सेमिनार 14 से 15 अक्तूबर, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सेमिनार में 3 विदेशी विद्वानों और देश के विभिन्न भागों से 72 विद्वानों ने भाग लिया। इस सेमिनार में प्रोफेसर मूर्ति के दार्शनिक विचारों के विविध पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

7.15.6 मूल्य शिक्षा पर एक सेमिनार जून, 1992 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें दार्शनिकों, शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों ने भाग लिया था। इस सेमिनार में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया को मूल्योन्मुख बनाने के लिए व्यावहारिक उपायों तथा कार्यनीतियों को तैयार करने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस सेमिनार में एक गैर-सरकारी संगठन स्थापित करने का महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी जो बाद में इस मामले में व्यापक योजनाएं तैयार करें।

7.15.7 भा० द० अ० प० के राष्ट्रीय लेक्चर कार्यक्रम के अधीन प्रोफेसर तू-वे-मिंग, प्रसिद्ध चीनी अध्येता तथा अमेरिका के प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री प्रोफेसर एगनिस हेलर को विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में लेक्चर देने के लिए भारत निमंत्रित किया गया। प्रो० राजेन्द्र प्रसाद, प्रसिद्ध भारतीय दर्शनशास्त्री देश के कुछ चुने हुए केन्द्रों में लेक्चर देंगे।

7.15.8 1992–93 के दौरान, 2 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम एक नीतिशास्त्र पर आई० सी० पी० आर० शैक्षिक केन्द्र, लखनऊ में तथा दूसरा सामाजिक दर्शनशास्त्र पर एस० वी० विश्वविद्यालय में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

7.15.9 "दर्शनशास्त्री से मिलें" इस नई योजना के अन्तर्गत परिषद् ने दो प्रसिद्ध दर्शनशास्त्रियों अर्थात् प्रो० बसिन्नाजोबेन भट्टाचार्य व एस० एस० बार्लिनगे के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया ।

7.15.10 "रिव्यू मीट" कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र के उन चुने हुए 10–12 दर्शन-शास्त्रीयों को जिनके पुस्तक में दिए गए मुख्य उद्देश्यों पर विचार-विमर्श सुकर करने के लिए लेखक की उपस्थिति में पेपर/विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा, को महत्वपूर्ण दर्शनशास्त्री के कुछ नवीनतम प्रकाशन भेजे जायेंगे ।

7.15.11 प्रो० आर० बाला सुब्रमण्यन अध्यक्ष, आई०सी० पी० आर० व अध्यक्ष, श्री अरविन्दो स्कूल आफ ईस्टर्न व वेस्टर्न थाट पांडिचेरी विश्वविद्यालय और प्रो० एस० एस० बार्लिनगे, प्रो० एमरीटस, पुणे विश्वविद्यालय, दो सदस्य वाले प्रतिनिधि मंडल को अप्रैल, 1992 में दर्शनशास्त्र विभाग, मियामी विश्वविद्यालय द्वारा वेदान्त पर आयोजित चौथे द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया गया था । एक अन्य अध्येता को विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए, यात्रा अनुदान प्रदान किया गया था ।

7.15.12 इसके प्रकाशन कार्यक्रम के अधीन अपने वैवार्षिक पत्रिका के दो अंक व दो प्रकाशन निकाले गए थे । आशा है कि वर्ष 1992–93 के दौरान पत्रिका का तीसरा अंक व चार और प्रकाशन निकाले जायेंगे ।

7.15.13 भारतीय दर्शनशास्त्र के वैज्ञानिक दर्शनशास्त्रीय व सांस्कृतिक विरासत के सिलसिलेवार व व्यापक अंतर्विषयक अध्ययन और शोध, जैसा कि यह विगत में विकसित हुआ था तथा जैसा कि यह हमारे समय में आधुनिकता के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, को आरम्भ करने के उद्देश्य से भारतीय विज्ञान दर्शनशास्त्र व संस्कृति का इतिहास, परियोजना आरम्भ की गई । भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद के अतिरिक्त आशा है कि विश्व अनु० आ० डी० एम० टी० व अन्य संस्थान परियोजना को निधि प्रदान करने में अपना योगदान देंगे । परियोजना के शैक्षिक, प्रशासनिक, वित्तीय योजना निष्पादन पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में प्रसिद्ध अध्येताओं वाली एक प्रारम्भिक समिति (सलाहकार समिति के रूप में पुनर्गठन) गठित की गई है । युक्ति संगत शैक्षिक स्वायत्तता तथा परियोजना के कार्य को सुकर बनाने के उद्देश्य प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय को अवैतनिक रूप में परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है । परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् भारत के इतिहास की विभिन्न अवधियों में विचारों तथा नेटवर्क पहुंच दर्शाने वाले 10 खंड प्रकाशित होंगे । पहली बार में परियोजना के वैचारिक फ्रेमवर्क वाले पुनरावलोकन खंड तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा । परियोजना को उचित रूप देने के लिए विशेषज्ञों व अध्येताओं के साथ कार्यशाला व परामर्शक बैठकों जैसी महत्वपूर्ण पहल की गई है । इन बैठकों में रखे गए सुझावों को कभी-कभी प्रकाशित होने वाले पेपरों की श्रृंखला में प्रकाशित किया गया है । अभी तक कुल 11 पेपर प्रकाशित किए जा चुके हैं । पुनरावलोकन खण्ड के संपादन व प्रकाशन 1993 के अंत तक प्रकाशित करने का प्रस्ताव है । 2–3 अन्य खंड तैयार करने का कार्य भी इसके साथ-साथ किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए कुछ वरिष्ठ अध्येताओं की पहचान की गई है ।

7.15.14 वर्ष 1993–94 के दौरान इस प्रकार चल रहे कार्यकलाप जारी रहेंगे ।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

7.16.1 भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1972 में स्वायत्त संगठन के रूप में इतिहास के लक्ष्य व वैज्ञानिक लेखन प्रोन्नत करने, शोध परियोजनाएं प्रायोजित करने तथा देश की राष्ट्रीय व सांस्कृतिक विरासत की समालोचना करने के लिए की गई थी ।

7.16.2 परिषद सामाजार्थिक रचना, कला, साहित्य, मुद्राशास्त्र विज्ञान व प्रौद्योगिकी, पुरालेखशास्त्र व पुरातत्व विज्ञान के इतिहास सहित इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में शोध को निदेशन प्रदान करके उसका अनुसरण कर रहा है । आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद ने 28 शोध परियोजनाएं, 149 अध्येतावृत्ति, 68 अध्ययन व यात्रा अनुदान संस्वीकृत किए । 54 शोध ग्रंथों, मोनोग्राफ व पत्रिकाओं को प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई । इतिहासविज्ञों के 68 व्यावसायिक संगठनों जैसे भारतीय इतिहास कांग्रेस, उड़ीसा इतिहास कांग्रेस, पंजाब इतिहास कांग्रेस, दक्षिण भारतीय इतिहास कांग्रेस, भारतीय मुद्राशास्त्र सोसायटी आदि को सम्मेलन व सेमिनार संगोष्ठी आयोजित करने के लिए अनुदान संस्वीकृत किये गए हैं । दो प्रसिद्ध इतिहास विज्ञों को राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति वृत्ति प्रदान की गई थी ।

7.16.3 अपने प्रकाशन कार्यक्रम के अधीन परिषद ने दासता के विश्व इतिहास को समर्पित भारतीय ऐतिहासिक पुनरीक्षण प्रकाशित किया । हिन्दी में एक पत्रिका इतिहास भी प्रकाशित की गई । जो महत्वपूर्ण प्रकाशन प्रकाशित किए गए उनमें तमिलनाडु व केरल में अभिलेखों की स्थलाकृतिक सूची खण्ड VII भारत में पूर्व ऐतिहासिक प्रौद्योगिकी के कुछ पहलू शामिल हैं । परिषद के प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 35 विनिबन्धों के अतिरिक्त शोध ग्रंथ भी प्रकाशित किए गए थे ।

7.16.4 "भारतीय/दक्षिण एशिया अभिलेखों में सामाजिक व आर्थिक प्रशासनिक शब्दावली" में पर्याप्त प्रगति की है ।

पहली परियोजना "स्वतंत्रता की ओर" के लिए निधियां अब समाप्त हो चुकी है तथा सभी खण्डों से सम्बन्धित दस्तावेजों की व्यक्तिगत संपादकों द्वारा छंटाई व चयन किया जा चुका है। खंड प्रेस के लिए तैयार किए जा रहे हैं ।

7.16.5 "परिषद ने पुरातत्व, शिक्षा व प्रशिक्षण" पर सेमिनार आयोजित किए। अवधि के दौरान परिषद ने अकबर का 450 वां जन्म महोत्सव मनाने के लिए "अकबर व उसका काल" पर एक सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में भारत व विदेश से इतिहासविज्ञों ने भाग लिया। आई० सी० एच० आर० ने अकबर समारोह के भाग के रूप में अलीगढ़ में सेमिनार व इलाहाबाद में कार्यशाला को भी निधियां प्रदान की।

7.16.6 इतिहास व सम्बद्ध विषयों की विभिन्न शाखाओं के 1600 से अधिक शीर्षक पुस्तकालय व प्रलेखन केन्द्र में मंगाए गये। अध्येताओं को जीरोक्स व माइक्रो प्रिंटर सुविधाएं देना जारी रखा जायेगा।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

7.17.1 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, जिसने 20 अक्तूबर, 1965 से कार्य करना शुरू किया, का उद्देश्य जीवन एवं चिन्तन के मौलिक विषयों तथा समस्याओं की स्वतन्त्र और सृजनात्मक जांच करना है। यह एक आवासीय केन्द्र है और गहन मानवीय महत्व वाले क्षेत्रों में सृजनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्साहित करता है। यह विशेष रूप से मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों जैसे चुनिन्दा विषयों में शैक्षिक अनुसंधान के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।

7.17.2 यह संस्थान 3 महीने से 3 वर्ष की भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए शिक्षावृत्तियां प्रदान करता है। 1992-93 के दौरान उत्कृष्ट योग्यता वाले 28 फैलों ने इस संस्थान में कार्य किया। संस्थान ने 3 सेमिनार आयोजित किए जिनमें देश के सभी भागों से विद्वानों और संस्थान के फैलों ने भाग लिया। साप्ताहिक सेमिनार संस्थान के शैक्षिक कार्यकलाप को मुख्य विशेषताएं हैं। वर्ष के दौरान, फैलों द्वारा 15 साप्ताहिक सेमिनार प्रदान किए गए थे।

7.17.3 व्याख्यान देने के लिए अतिथि प्रोफेसरों के रूप में पांच प्रख्यात विद्वान संस्थान में आए और संस्थान के शैक्षिक समुदाय को व्याख्यान देने, एवं सेमिनारों में भाग लेने के लिए 25 विद्वानों ने संस्थान का दौरा किया। यह संस्थान एक "अन्तर-विश्वविद्यालय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान केन्द्र" के रूप में भी कार्य करता है और 39 लेक्चरर/रीडर/प्रोफेसर एसोशिएट के रूप में संस्थान में आए। "भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में हाल ही के प्रचलन" पर एक अनुसंधान सेमिनार और "विश्व आर्थिक व्यवस्था" संबंधी एक अध्ययन सप्ताह भी आयोजित किए गए थे जिनमें प्रख्यात विद्वानों ने भाग लिया।

7.17.4 संस्थान ने 18 प्रकाशन निकाले हैं जिनमें मोनोग्राफ सेमिनारों, की कार्यवाहियां, साप्ताहिक सेमिनारों के। प्रासंगिक कागज़ात आदि शामिल हैं। संस्थान के पुस्तकालय ने 564 पत्रिकाओं/आवधिक पत्रिकाओं की ग्राहकता हासिल की है और इसका पुस्तकों के 2000 खण्ड प्राप्त करने का कार्यक्रम है। इसकी शेल्फों में एक लाख से अधिक पुस्तकों के खण्ड हैं। संस्थान ने "भारतीय सभ्यता में सामाजिक-धार्मिक आन्दोलनों तथा सांस्कृतिक नेटवर्क" संबंधित एक बहु-विषयक दल परियोजना तैयार की है जिसे सम्पूर्ण VIII योजना में जारी रखा जाएगा। इस परियोजना के लिए 20 फैलो और तीन पूर्णकालिक फैलो चयन किया गया है।

अन्य योजनाएं

डा० जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट

7.18.0 डॉ० जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट वर्ष 1973 में डॉ० जाकिर हुसैन कालेज (भूतपूर्व दिल्ली कालेज) के प्रबन्धन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी उठाने के लिए स्थापित किया गया था। कालेज का अनुरक्षण खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ट्रस्ट द्वारा 95: 5 के अनुपात में वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर विकास सम्बन्धी योजनाओं को मंजूरी देता है। इन योजनाओं पर होने वाले खर्च को ऐसे कार्यक्रमों के लिए वि०अ०आ० द्वारा निर्धारित सहायता-पद्धति के अनुसार वहन किया जाता है। चूंकि ट्रस्ट के पास अपना कोई संसाधन नहीं है अत: उपयुक्त खर्च को पूरा करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। ट्रस्ट के प्रशासकीय खर्च को भी पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना

7.19.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसकी कार्ययोजना में राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का प्रावधान है ताकि सेवा में भर्ती के लिए विश्वविद्यालय डिग्री, जो इसके लिए अनिवार्य अर्हता नहीं है, की अनिवार्यता को समाप्त करने की पद्धति को सुकर बनाया जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन को स्वायत्त पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित किया गया है।

7.19.2 **राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन निम्न कार्य करेगा :**

(क) विशेष नौकरी, जिसके लिए डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत नहीं है, के लिए उम्मीदवारों को योग्यता निर्धारित करने और प्रमाणित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर जांच करना,

(ख) उम्मीदवारों को उनकी स्वतंत्र इच्छा पर जांच की सुविधा प्रदान करना और जिन उम्मीदवारों को विशेष पेशे/नौकरी के लिए योग्य प्रमाणित किया जाता है, ऐसे पदों/सेवाओं पर नियुक्ति के लिए बिना किसी अन्य अर्हताओं पर जोर देते हुए योग्य होंगे,

(ग) पेशे के विस्तृत ब्यौरे के आधार पर जांच की प्रक्रिया निर्धारित करना। विशेष पेशे के लिए अनिवार्य ज्ञान की जरूरतों, योग्यता, कौशल और रूचियों का पता लगाने के लिए पेशे की विवेचना, और

(घ) जांच की प्रक्रिया के विकास, इसके प्रशासन, इसमें प्राप्त की गई उपलब्धि कम्प्यूटर पद्धति के प्रयोग और आप्सनल मार्क्स रीडर आदि में राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन सम्पन्न केन्द्र के रूप में कार्य करना, इत्यादि ।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा—संस्थान के लिए सहायता योजना:

7.19.3 इस योजना का लक्ष्य शिक्षा की पारम्परिक विश्वविद्यालय की पद्धति से अलग शिक्षा के कार्यक्रम चलाने वाले कुछ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता उन संस्थानों को दी जाती है जो ग्रामीण समुदाय के विशेष हित से संबंधित और नवीन कार्यक्रम चलाते हैं। वर्ष के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत (I) श्री अरविन्दो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी, (II) श्री अरविन्दो अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, ओरोविले, (III) लोक भारतीय सनोस्रा और (IV) मित्रा निकेतन, वेल्लानन्द केरल, को वित्तीय सहायता दी गई है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

7.20.1 भारतीय विश्वविद्यालय संघ विश्वविद्यालयों का एक शीर्षस्थ शैक्षिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी उच्च शिक्षा संस्थाओं के कार्यकलापों को प्रोन्नत और समेकित करना रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भा० वि० सं० के कुछ प्रमुख कार्यकलापों में सूचना का प्रसार, अनुसंधान अध्ययन शुरू करना, साहित्य का प्रकाशन तथा प्रोन्नति, सांस्कृतिक, खेल-कूद तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संस्थाओं के बीच सहयोग, कुलपतियों के सम्मेलन आयोजित करना और विश्वविद्याय प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

7.20.2 भा० वि० संघ को सदस्य-विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त वार्षिक चन्दों और उच्च शिक्षा संबंधित साहित्य की बिक्री तथा स प्रकाशन प्राप्त लाभों पर्याप्त रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। यह संघ अनुसंधान कक्ष द्वारा आयोजित अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए योजनागत तथा योजनेतर अनुदान भी प्राप्त करता है। चालू वर्ष में, अनुसंधान कक्ष ने अनेक अध्ययन कार्यक्रम पूरे किए हैं। वर्ष 1991–92 में निम्नलिखित पहले ही प्रकाशित किए गए हैं :—

सुदूर शिक्षा संस्थाओं को डायरेक्टरी भाग-1 भारत भाग-II पाकिस्तान तथा श्रीलंका, उच्च शिक्षा पद्धति का विकेन्द्रीकरण, विश्वविद्यालयों में वित्तीय घाटा, एक मौलिक आधार के रूप में शिक्षा के अधिकार संबंधित राष्ट्रीय वाद-विवाद पर रिपोर्ट, विश्वविद्यालयों तथा सुदूर शिक्षा की लघु पुस्तिकाएं (संशोधित संस्करण)।

7.20.3 अनेक अनुसंधान अध्ययन जारी हैं, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं :—

उच्च शिक्षा की लागत; विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाना। भूमि-विज्ञान, बैंकिंग तथा एकाउन्टेन्सी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, प्लान्ट पैथोलाजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, संगणक विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा फार्मेकोलाजी के क्षेत्रों में अनेक प्रश्न बैंक पुस्तकें, तैयार की जा रही हैं।

7.20.4 खेलकूद के क्षेत्र में, देश के 102 केन्द्रों में पुरुषों के लिए 14 खेलों, महिलाओं के लिए, 12, और पुरुषों तथा महिलाओं के लिए 12 खेलों में अन्तर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की गई थीं। इसी प्रकार भा० वि० संघ ने भी विश्वविद्यालय युवकों के बीच मानवीय मूल्यों, संस्कृति तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित किए।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना

7.21.0 लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों और अध्येताओं का सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप स्कीम 1949 में आरम्भ की गई थी। वर्तमान 3 राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं जो इस प्रकार हैं :—

डा० सी० आर० राव, गणितज्ञ

डा० श्रीमती एम० एस० सुब्बालक्ष्मी, कर्नाटक संगीत शास्त्री,

डा० के० एन० राज अर्थशास्त्री।

राष्ट्रीय प्रोफेसर 8000 रु० की मासिक परिलब्धियां तथा 20,000- रु० प्रति वर्ष आकस्मिक अनुदान लेने के पात्र होते हैं :—

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

7.22.0 पंजाब राज्य का पुन: गठन हो जाने में पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब पुन: गठन अधिनियम 1966 के उपबन्धों के अन्तर्गत अंतर्राज्य निगमित निकाय घोषित किया गया। विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय इस समय पंजाब सरकार और चण्डीगढ़ संघ प्रशासन द्वारा 40:60 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का विकास-

त्मक व्यय मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुसार विशिष्ट कार्यक्रम के लिए विशेष मंजूर किये गये अनुदानों में से ही किया जाता है । तथापि विश्वविद्यालय को भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत विकास अनुदान की राशि के समतुल्य राशि देनी पड़ती है और ऐसी अनेक परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का वित्त पोषण करना होता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार हर वर्ष विश्वविद्यालय को एक समुचित राशि ऋण के रूप में देती है ।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष सेल

7.23.1 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष सेल गठित किया गया था तथा उसे सहायक शिक्षा सलाहकार के अधीन रखा गया है, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समन्वयन का कार्य करता है । यह सेल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व उनसे सम्बद्ध कालेजों के विभिन्न पदों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रवेश व नियुक्ति से संबंधित आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए उत्तरदायी है यह सेल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और संसद को सूचना देने के लिए सम्पर्क एकक के रूप में भी कार्य करता है । विभिन्न कालेजों व विश्वविद्यालयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों/कर्मचारियों छात्रों से प्राप्त अभ्यावेदन की सेल द्वारा जांच की गयी तथा जहां भी आवश्यक हुआ, सम्बन्धित प्राधिकारी से संपर्क किया गया ।

7.23.2 28 अगस्त 1992 को हुए सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों के प्रवेश तथा इसके साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन व गैर अध्यापन पदों पर भर्ती के संबंध में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए देश के विश्वविद्यालयों को मार्ग निर्देश जारी किए हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7.24.0 वर्षों से भारत में विदेशी देशों की शिक्षा में रुचि बढ़ रही है । इसकी झलक हमें भारत में अमेरिकी भारतीय अध्ययन संस्थान, भारत में संयुक्त राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान, शास्त्री इंडो कनाडियन संस्थान और बरकेले व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं की बढ़ती हुई संख्या से मिलती है । वर्ष 1992–93 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसंधान प्रस्तावों की संख्या 1991–92 के दौरान 281 के मुकाबले 303 थी । सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों और विदेशों के विश्वविद्यालयों के बीच अनेक द्विपक्षीय में समझौते अनुमोदित किए हैं । विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से द्विपक्षी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/ सेमिनार/कार्यशाला की संख्या में महत्व पूर्ण वृद्धि हुई है । देश के भारतीय विश्वविद्यालयों में विजिटिंग लेक्चरार/प्रोफेसर के रूप में विदेशी छात्रों की नियुक्ति के लिए अनुरोधों में भी वृद्धि हुई है ।

शास्त्री इण्डो-कनाडियन संस्थान

7.25.1 1968 में स्थापित, शास्त्री इण्डो-कनाडियन संस्थान छात्रों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं की प्रोन्नति, द्विपक्षी सम्मेलनों और विशेष परियोजनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से भारत और कनाडा के बीच में आपसी सूझबूझ की प्रगति को बढ़ावा देती है । नवम्बर 1968 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार जिसे 1 अप्रैल 1989 से 5 वर्ष के लिए नवीकृत किया गया था । सरकार ने 1992–93 के दौरान संस्थान को 65,000,00.00 रु० प्रदान किए । वर्ष 1992–93 के दौरान संस्थान ने भारतीय अध्येताओं को कनाडा में अपने प्रतिस्थानियों के साथ पारस्परिक कार्रवाई और अपने शैक्षिक अनुसंधान को पूरा करने के लिए शिक्षा-वृत्तियां प्रदान की । इसी प्रकार 15 कनाडियन छात्रों ने भारत की विरासत और विकासात्मक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अपना अनुसंधान शुरू किया ।

7.25.2 शास्त्री-इण्डो-कनाडियन संस्थान एक नई परियोजना शुरू कर रहा है जिसका लक्ष्य विकासात्मक मुद्दों से संबंधित है । यह परियोजना कनाडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सी० आई० डी० ए०) द्वारा वित्त पोषित होगी और इसमें पर्यावरण विकास में महिला, आर्थिक विकास और व्यवसाय विकास, सोसायटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जन सांख्यिकी की सामान्य समस्याओं को बताया जाएगा । दोनों देशों में भारतीय और कनाडियन अकादमिकों/संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान पूरे किए जायेंगे ।

7.25.3 संस्थान ने दिसम्बर, 1992 के दौरान लाल बहादुर शास्त्री स्मारक लेक्चरर का भी आयोजन किया, जिसका उद्घाटन भारत के उप-राष्ट्रपति ने किया ।

भारत में संयुक्त राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान

7.26.1 भारत में संयुक्त राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान (यू० एस० ई० एफ० आई०) ज्ञान के व्यापक आदान-प्रदान द्वारा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों में सूझबूझ को बढ़ाने के लिए द्विपक्षी समझौते के तहत फरवरी, 1950 में स्थापित किया गया था, जिसे 1963 में नए करार से प्रतिस्थापित किया गया था ।

7.26.2 द्विपक्षी यू० एस० ई० एफ० आई० बोर्ड के निदेशक प्रति वर्ष अध्ययन क्षेत्र को अनुमोदित करते हैं जिनके लिए छात्र शिक्षा वृत्तियां दी जाती हैं । प्रतिष्ठान तीन से सात माह की अवधि के लिए विकास वरिष्ठ तथा कनिष्ठ

विश्वविद्यालय संकाय के वास्ते समाज विज्ञान और मानविकी में अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है।

7.26.3 छत्तीस लेक्चररों, अनुसंधान कर्ताओं और छात्रों को शैक्षिक वर्ष 1991–92 के दौरान 9 माह के लिए अनुदान दिए गए थे।

अमेरिकी भारतीय अध्ययन संस्थान

7.27.1 अमेरिकी भारतीय अध्ययन संस्थान (ए० आई० आई० एस०) जो कि कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय, शिकागो, कोलम्बिया, हरबार्ड, पेंसीलवानिया, वाशिंगटन इत्यादि जैसे 57 बड़े अमेरिका विश्वविद्यालयों का संघ है, 1991 से भारत में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य (क) शिक्षा-वृत्तियों (ख) भारतीय भाषाओं का शिक्षण (ग) अनुसंधान कार्य के परिणामों का प्रकाशन (घ) सेमीनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन और (ङ) वाराणसी में कला और पुरातत्व के इतिहास तथा नई दिल्ली में संगीत तथा इथनाम्युजकोलाजी के इतिहास के क्षेत्रों में अनुसंधान केन्द्रों के जरिए संयुक्त राज्य में अमेरिका में भारतीय अध्ययन संस्कृति तथा सभ्यता को बढ़ावा देना था।

7.27.2 1992–93 के दौरान संस्थान ने मानव विज्ञान से जन्तु विज्ञान तक के क्षेत्रों में और छात्रों की राष्ट्रीयता पर ध्यान दिये बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों के संकाय सदस्यों और पी० एच० डी० छात्रों को लगभग 100 शिक्षावृत्तियां प्रदान कीं।

7.27.3 अमेरिका भारतीय अध्ययन संस्थान बंगाली हिन्दी, तमिल और तेलुगु में अमेरिकी छात्रों के लिए भाषा संबंधी शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

7.27.4 1992–93 के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए थे :—

1. भारतीय मन्दिर वास्तुकला का विश्वकोष खण्ड II भाग 2
2. मथुरा की सांस्कृतिक विरासत : एक जीवनी
3. हरप्पन और रोजडी संयंत्र
4. राम चन्द्रन मन्दिर
5. विजय नगर कोर्टली स्टाइल
6. तमिल की देन
7. दक्षिण एशिया में सामाजिक भाषा संबंधी आयाम
8. बोर्टविक : भरतनाट्यम का संगीत
9. पाठ्य, टोन एण्ड ट्यून
10. पोट्स एण्ड पैलेस।

7.27.5 कला एवं पुरातत्व संस्थान केन्द्र में लगभग 125090 जल्दबन्द और प्रलेखित फोटोग्राफ और विभिन्न प्राचीन स्मारकों को 18,000 स्लाइड की पुरातत्वीय सुविधा है। अब तक दक्षिण तथा उत्तर भारत संबंधी भारतीय मन्दिर वास्तुकला विश्वकोष के छः भाग प्रकाशित हो गए हैं और शेष क्षेत्रों में कार्य जारी है।

7.27.6 अथनोम्यूजिकालोजी संबंधी पुरातत्व और अनुसंधान केन्द्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय निष्पादन और मौखिक कलाओं का एक अभिलेखागार विकसित करना और सामान्यतया भारत में निष्पादन कलाओं की सूझबूझ और ज्ञान को और अधिक विकसित करना तथा भारत में इथनाम्यजिकालोजी अध्ययन को प्रोत्साहित करना है। अब केन्द्र के पास इस क्षेत्र में 8000 घंटों की श्रव्य रिकार्डिंग 600 घंटों की वीडियो रिकार्डिंग है। इसके पास इस क्षेत्र में लगभग 8000 पुस्तकों और 75 पत्रिकाओं का एक पुस्तकालय है।

8. तकनीकी शिक्षा

8. तकनीकी शिक्षा

8.1.1 तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने तथा लोगों के जीवन के स्वरूप को सुधारने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्य संवर्द्धन की विशाल क्षमता के साथ मानव संसाधन विकास के प्रतिबिम्ब का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस क्षेत्र के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में तकनीकी शिक्षा के विकास पर बहुत बल दिया गया है।

8.1.2 पिछले चार दशकों के दौरान, देश में तकनीकी सुविधाओं का चमत्कारिक विकास हुआ है। किन्तु इसके बढ़ते हुए और कार्यक्षेत्र, संगठित तथा असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी सुलभता और इसकी प्रासंगिकता तथा उत्पादकता में सुधार के पहलुओं का ध्यान में रखते हुए, अभी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इस शताब्दी के अंत तक सामाजार्थिक, औद्योगिकी तथा शिल्पवैज्ञानिक क्षेत्रों में बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, इस प्रणाली को बृहत्तर प्रासंगिकता और वास्तविकता के साथ अपनी भूमिका निभाने में समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। इन तर्कों के आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली को आगे और परिमार्जित करने के लिए अनेक पहल की गई है। इनमें आधुनिकीकरण तथा अप्रचलन को दूर करना, संस्था-उद्योग के तालमेल को बढ़ाना उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे तकनीकी कार्मिकों के ज्ञान और कौशल के उन्नयन के लिए सतत शिक्षा प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण सम्मिलित है।

8.1.3 आलोच्य अवधि के दौरान, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विकास देखे गए। विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की गई। पालिटेक्निकों को अपनी क्षमता, गुणात्मकता तथा कार्य दक्षता में सुधार लाने योग्य बनाने के लिए, देश में तकनीशियन शिक्षा प्रणाली के उन्नयन की दिशा में विश्व बैंक की सहायता से एक बड़ी परियोजना प्रारम्भ की गई है। वैधानिक अधिकारों से मुक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उसे दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य जारी रखा।

8.2.0 वर्ष के दौरान, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रमों/योजनाओं तथा उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया गया है :—

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

8.2.1 बम्बई, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, और मद्रास में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अवर-स्नात स्तर पर प्रयुक्त विज्ञानों और इंजीनियरी में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने और स्नातकोत्तर अध्ययनों और अनुसंधान हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रमुख केन्द्रों के रूप में की गई थी।

8.2.2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में 4 वर्षीय अवर-स्नातक कार्यक्रम संचालित करते हैं। वे भौतिकी, रसायन विज्ञान, तथा गणित में 5 वर्ष की अवधि के समेकित निष्णात-उपाधि पाठ्यक्रम विभिन्न विशिष्टताओं में 1½ वर्ष का एम० टेक० पाठ्यक्रम और चुने हुए क्षेत्रों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह संस्थाएं, इंजीनियरी, विज्ञानों, मानविकियों तथा समाज-विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में पी० एच० डी० कार्यक्रम प्रदान करते हैं, विशिष्टता के चुने हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान के लिए उच्च केन्द्र भी प्रत्येक संस्थान में स्थापित किए गए हैं।

8.2.3 वर्षों के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने पेटेन्टों को विकसित करने और उद्योग द्वारा उनके उपयोग किए जाने में सफलता पाई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं और उनके संकाय सदस्यों द्वारा अपने हाथ में लिए गए परामर्शी कार्य के जरिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व अर्जित किया है।

8.2.4 विश्व की बेहतरीन स्तर की तुलना वाली तकनीकी जनशक्ति के विकास के लिए, ये संस्थान, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में अग्रणी है। अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे० ई० ई०) के जरिए, होनहार छात्रों का चयन और प्रशिक्षण की उच्चतम कोटि (क्वालिटी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली के महत्व के बारे में स्वयं ही बताते हैं, जो विशिष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

8.2.5 आलोच्य अवधि के दौरान, इन संस्थानों ने, इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि के जरिए, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करना जारी रखा।

8.2.6 10 महीने की अवधि का एक विशेष प्रारम्भिक पाठ्यक्रम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्रों के दाखिले में सुधार लाने के लिए जारी रहा। ऐसे अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्रों को जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे० ई० ई०) में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहते हैं, परन्तु अंकों की एक न्यूनतम प्रतिशतता अर्जित करते हैं, इस प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में दाखिल किया जाता है। प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर इन छात्रों की एक अर्हता परीक्षा

ली जाती है, जिसके आधार पर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे०ई०ई०) में पुन: बैठे बिना, उन्हें बी० टेक० कार्यक्रम में दाखिले की पेशकश की जाती है। इससे भा० प्रौ० संस्थानों में अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्रों की दाखिला की स्थिति में सुधार हुआ है। छात्रों को निःशुल्क खाने के अतिरिक्त, जेब खर्च, ऋणों और विवेकाधीन अनुदानों के जरिए, अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता मिलना भी जारी रहा।

8.2.7 वर्ष 1992 के दौरान, पांचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में छात्रों की संख्या निम्नलिखित थी :—

भा० प्रौ० संस्थान	छात्रों की संख्या		
	अवर स्नातक	स्नातकोत्तर	अनुसंधान
खड़गपुर	1706	680	227
मद्रास	1218	708	564
कानपुर	1202	486	365
दिल्ली	1336	996	738
बम्बई	1246	966	795

8.2.8 असम समझौते के अनुसार, भारत सरकार अन्य बातों के साथ-साथ, असम में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है, जो भा० प्रौ० संस्थानों की श्रृंखला में छटा होगा। यह संस्थान, सहायता अनुदान के जरिए पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा। संस्थान की स्थापना के लिए, उत्तर गुवाहाटी में 700 एकड़ नए स्थल का पता लगाया और उसका अधिग्रहण किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री ने 4-7-1992 को संस्थान की आधारशिला रखी। मुख्यत: उद्योगों और इंजीनियरी कालेज के शिक्षकों के लिए, पहला सतत शिक्षा कार्यक्रम 28 से 30 अक्तूबर, 1992 तक, असम सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए इंजीनियरी संस्थान के भवन में, आयोजित किया गया।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान

8.3.1 प्रबन्ध के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और परामर्श देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद, बंगलौर कलकत्ता और लखनऊ में चार भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए गए थे। ये संस्थान इन क्षेत्रों में प्रमुख केन्द्र हैं।

8.3.2 अहमदाबाद, बंगलौर और कलकत्ता के तीन संस्थानों ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपने सामान्य शैक्षिक कार्यक्रमों अर्थात् प्रबन्ध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम एम० जी० ए० के समकक्ष, फैलोशिप कार्यक्रम (पी० एच० डी०) के समकक्ष) प्रबन्ध विकास कार्यक्रम संगठन (आयोजन) आधारित कार्यक्रम तथा उद्योगों के लिए शोध और परामर्श के कार्यक्रम जारी रखे।

8.3.3 लखनऊ स्थित चौथे भारतीय प्रबंध संस्थान ने, वर्ष 1985-86 के सत्र से कार्य करना आरम्भ किया था। यह अभी विकास के चरण में है। यह संस्थान, स्नातकोत्तर कार्यक्रम कार्यकारी विकास कार्यक्रम का संचालन कर रहा है और उद्योगों के लिए शोध तथा परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

8.3.4 रा० शि० नी० के अनुसरण में, इन संस्थानों ने अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की है जो कृषि, ग्रामीण विकास, लोक पद्धति प्रबन्ध, ऊर्जा, स्वास्थ्य शिक्षा, आवास आदि जैसे गैर-निगमित और अवर प्रबंध क्षेत्रों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। उद्योगोन्मुख प्रबन्ध तकनीकी के क्षेत्र में साफ्टवेयर अनुप्रयोग के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन संस्थानों ने कम्प्यूटर-सहायक केन्द्रों की भी स्थापना की है।

8.3.5 इन संस्थानों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन तथा इनके दायरे का विस्तार करने की प्रक्रिया में इन संस्थानों को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपेक्षित उपाय करने के उद्देश्य से गठित पुनरीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और रिपोर्ट की जांच करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी व प्रशिक्षण संस्थान (नीटी)

8.4.1 भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1963 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी व प्रशिक्षण (नीटी) की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य औद्योगिक इंजीनियरी के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना है।

8.4.2 यह संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एम० टेक० के समकक्ष) अनुसंधान द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम औद्योगिक इंजीनियरी में फैलोशिप कार्यक्रम (पी० एच० डी० के समकक्ष) तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करता है। यह औद्योगिक इंजीनियरी और प्रबन्ध तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में एक से दो सप्ताह की अवधि के अल्पकालिक कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का संचालन भी करता रहा है। संस्थान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में लगा हुआ है तथा औद्योगिक, इंजीनियरी, कार्य संचालन अनुसंधान, सूचना प्रणाली और कम्प्यूटर, विपणन, कार्मिक और अन्य संबद्ध उत्पादकता और प्रबंध क्षेत्रों के विभिन्न पक्षों पर परामर्श भी देता है।

8.4.3 यह संस्थान, इकाई पर आधारित कार्यक्रम (यूनिट बेस्ट प्रोग्राम) नामक, उद्योग-आधारित कार्यक्रम भी प्रदान करता है। वर्ष 1991-92 के दौरान, 153 कार्यकारी विकास कार्यक्रमों और यूनिट बेस्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें उद्योग, सरकारी विभागों आदि से 3197 कार्यपालकों ने भाग लिया।

8.4.4 संस्थान ने दिल्ली, हैदराबाद और मद्रास में तीन विस्तार केन्द्रों और मुजफ्फरपुर में एक क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है ताकि इन क्षेत्रों के इर्द गिर्द के उद्योगों और संगठनों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। बंगलौर और कलकत्ता के इर्द–गिर्द, बड़ी संख्या में उद्योगों को देखते हुए, इन केन्द्रों में बहुत से कार्यकारी विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

8.4.5 आठवीं योजना अवधि के दौरान, संस्थान का प्रस्ताव उद्यमी कौशलों में अनुसंधान, कोयला, इस्पात, उर्वरक पेट्रोलियम, चीनी आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यक्रम कार्यक्रम सेवा क्षेत्रों के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोगकर्ताओं हेतु सॉफ्टवेयर विकास आरम्भ करने का है। इसके अलावा, नीटी, निगमित, छोटे पैमाने और गैर निगमित क्षेत्रों के लिए, केस अध्ययनों का विकास करने हेतु केस विकास सेल की स्थापना कर रहा है। औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का विस्तार और विविधता. प्रबंध फिल्मों, वीडियो और अन्य जन माध्यम पैकेजों संगणक साक्षरता कार्यक्रम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के योगदान पर अनुसंधान संबंधी परियोजना विचाराधीन है।

राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची :

8.5.1 राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1966 में देश में ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी में एक शीर्ष प्रशिक्षण और शैक्षिक संस्था के रूप में तथा सम्बन्धित उद्योगों को प्रशिक्षित जन शक्ति तथा अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए, यू० एन० डी० पी० यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है।

8.5.2 संस्थान, उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, एम० टेक० पाठ्यक्रम पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा ढलाई तथा गढ़ाई के क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा अपेक्षित इकाई आधारित कार्यक्रम प्रदान करता है तथा विभिन्न संगठनों को औद्योगिक परामर्शी और परीक्षण सेवाएं प्रदान करता है।

8.5.3 संस्थान ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत अपने विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए, एक कारंवाई योजना तैयार की है। संस्थान ने दो यूनिट बेस्ड कार्यक्रमों का आयोजन किया। संस्थान ने औद्योगिक परामर्शी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। संस्थान में उपलब्ध बालू परीक्षण (सैन्ड टेस्टिंग) रासायनिक विश्लेषण, यांत्रिकी, मोट, धातु रचना विज्ञान और अन्य परीक्षण सुविधाएं भी अदायगी के आधार पर विभिन्न उद्योगों तथा अन्य संगठनों को प्रदान की गई। संस्थान द्वारा प्रलेखन और सम्सूचना सुधार सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। संस्थान अपने उन अनुसंधान कार्यकलापों के विस्तार के लिए प्रयास कर रहा है जो वर्तमान औद्योगिकी समस्याओं के साथ-साथ अन्य शैक्षिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक हैं। संस्थान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा यथा अनुमोदित निर्माण इंजीनियरी में एसोसिएटशिप के एक चार वर्षीय पाठ्यक्रम की शुरुआत 1991–92 से की गई है।

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

8.6.1 योजना एवं वास्तुकला विद्यालय की स्थापना जुलाई, 1955 में भारत सरकार द्वारा मानव आवासों तथा पर्यावरण से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में की गई थी। यह संस्थान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। स्कूल को दिसम्बर, 1979 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था ताकि वह अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्टरेट की अपनी डिग्रियां प्रदान करने के लिए अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के दायरे का और अधिक विस्तार करने में समर्थ हो। यह विद्यालय (क) वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, और (ख) (i) शहरी और क्षेत्रीय आयोजना (ii) परिवहन आयोजना और (iii) हाउसिंग में विशिष्टीकरण सहित आयोजना में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों को आयोजित करता है। यह विद्यालय (i) शहरी अभिकल्पना (ii) वास्तुशिल्पीय संरक्षण (iii) भवन इंजीनियरी और प्रबंध (iv) भू दृश्य वास्तुकला और (v) पूर्व भू-दृश्य वास्तुकला में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम और पी० एच० डी० कार्यक्रम भी संचालित करता है।

8.6.2 वर्ष 1992–93 में, वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में 384, आयोजना में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में 79, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों में 243 और पी० एच० डी० कार्यक्रम में 14 छात्रों सहित स्कूल में कुल 720 छात्र दाखिल थे।

8.6.3 स्कूल ने, आठवीं योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में इसके विकास के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की है। वर्ष 1990–91 के दौरान 290 सीटों वाले एक छात्रावास, एक अतिथि गृह एवं महारानी बाग परिसर में 72 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया। विशिष्ट अनुसंधान कार्यक्रमों और विस्तार कार्य के माध्यम से अनुसंधान एवं विस्तार संबंधी क्रियाकलाप तीव्र कर दिये गये हैं। इन्डो-इटालियन सहयोग के अन्तर्गत 1993–94 के दौरान और 1991–96 तक "औद्योगिक डिजाइन" नामक एक परियोजना को कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

8.7.1 पालिटेक्निक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने तथा देश भर में पालिटेक्निक शिक्षा के समग्र सुधार के लिए, विभिन्न सेवाएं प्रारंभ करने हेतु वर्ष 1960

के मध्य में भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी। ये संस्थान शिक्षकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें पाठ्यचर्या विकास और संबंधित कार्यकलापों से अवगत कराने के अतिरिक्त पालिटेक्निकों के डिप्लोमा और डिग्री-धारी शिक्षकों को 12 माह/18 माह की अवधि के दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। भोपाल, चंडीगढ़ और मद्रास स्थित संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने के स्तर पर पहुंच गए हैं। वे पहले ही यू० एन० डी० पी० सहायतार्थ परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक फिल्म निर्माण, राष्ट्रीय परीक्षण सेवाओं, शैक्षिक पैकेजों और शैक्षिक अनुसंधान परियोजना तैयार करने के कार्यों में लगे हुए हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान इन संस्थानों ने अपने अपने कार्यक्षेत्रों में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने कार्यकलापों को जारी रखा और पालिटेक्निक के शिक्षा के आगे के विकास के लिए तथा पालिटेक्निकों, उद्योग, उच्च शिक्षा संस्थानों, शोध संगठनों और अन्य संसाधन प्रणालियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया।

8.7.2 विश्व बैंक की सहायता से राज्यों में पालिटेक्निकों की क्षमता, गुणात्मक और कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी एक बड़ी परियोजना तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को सम्मिलित किया गया। परियोजना का पहला चरण 1990–91 और दूसरा चरण 1991–92 में शुरू हुआ। तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भाग लेने वाले राज्यों को पालिटेक्निक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, और और उभरते हुए क्षेत्रों में पाठ्यचर्या तैयार करने, परियोजना का ब्यौरा तैयार करने और परियोजना को कार्यान्वित करने के अतिरिक्त शिक्षा, शोध और विकास मानव संसाधन विकास परामर्श आदि में भी व्यावसायिक सहायता प्रदान कर रहे हैं।

8.7.3 तकनीकी शिक्षक तथा प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यकरण तथा उनके कार्यकलापों की पुनरीक्षा एक मूल्यांकन समिति द्वारा पालिटेक्निक शिक्षक प्रशिक्षण में उनकी सहभागिता को बढ़ाने तथा राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालयों और उद्योग के साथ उनके सम्पर्कों को सुदृढ़ करने को ध्यान में रखते हुए, की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या विकास, शैक्षिक सामग्री विकास अनुसंधान एवं विकास, परामर्शी क्षेत्रों तथा विस्तार सेवाओं में किए गए अग्रगामी कार्य की प्रशंसा की है और उनके भावी विकास तथा सुदृढ़ता के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया है और उनकी सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

8.8.1 आर्थिक कार्य एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण (अम्ब्रेला) करार के अन्तर्गत देश की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं, भारतीय प्रबन्ध संस्थाएं, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, रुड़की विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास, भारतीय खान स्कूल धनबाद, योजना एवं वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान बम्बई जैसी प्रमुख तकनीकी संस्थाएं, अनुसंधान एवं विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से परियोजनाएं चला रही हैं। उपस्करों, विशेषज्ञ, सेवाओं और प्रशिक्षण के रूप में कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन जापान, ब्रिटेन (यू० के०) नार्वे आदि जैसे उन्नत देशों से द्विपक्षीय निधियां और यू० एन० डी० पी०, यूनेस्को जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से इस प्रयोजन के लिए सहायता प्राप्त की जा रही है। ये संस्थान, यू० एस० इण्डिया रूपी फंड से सहायता का उपयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त शोध के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में अपने सहयोगियों के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के सहयोगों का उद्देश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं जनशक्ति का विकास करना है। इसके अलावा, भारत और ई० ई० सी० के बीच करार के अन्तर्गत प्रमुख भारतीय संस्थाएं और यूरोपीय संस्थाएं प्रबन्ध अध्ययनों में सहयोग कर रही हैं। इन प्रयोजनों के लिए, अनिवार्य प्रतिरूपी बजट-प्रावधान सम्बन्धित प्रतिभागी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं।

8.8.2 वर्ष 1992–93 के दौरान, सिद्धान्त रूप में डिजाइन, ऊर्जा, सूचना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तथा ओ० डी० ए० की सहायता से मामलों में, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा यू० के० अन्य प्रतिपक्षी संस्थाओं के बीच सहयोग किए जाने का निर्णय लिया गया है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

8.9.1 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना में, विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति के लिए देश की बढ़ती हुई, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख राज्यों में, प्रत्येक में, एक-एक करके, सत्रह कालेज स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक कालेज, केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार का एक संयुक्त एवं सहयोगी उद्यम है। जबकि सभी सत्रह कालेज, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, इनमें से, चौदह कालेजों में स्नातकोत्तर और डाक्टोरल कार्यक्रम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में वर्तमान दाखिला क्षमता, अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 4940 और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 1420 के क्रम में है।

8.9.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में, कार्रवाई योजना के दस्तावेज, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनके विकास के लिए सभी कालेजों द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। इनके दस्तावेजों में, सम्बन्धित कालेजों के सम्पूर्ण लक्ष्य, उद्देश्य और विस्तृत कार्रवाई सम्बन्धी मुद्दे

(प्वाइंट) निहित हैं । प्रत्येक कालेज के सम्बन्ध में, 1992–93 की वार्षिक योजना को उनके कार्रवाई योजना दस्तावेजों के अनुसार, अन्तिम रूप दिया गया है ।

8.9.3 वर्ष 1992–93 के दौरान, कार्रवाई योजना के अनुसार, निम्नलिखित पर विकास के लिए बल दिया गया है : शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार और उनका विविधीकरण, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, छात्रों और कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं में सुधार, छात्रावासों (लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए) का निर्माण, चुनिन्दा कालेजों में संगणक केन्द्रों के लिए सुविधाओं का विस्तार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ संस्थागत नेटवर्क की योजना के तहत कालेजों में प्रयोगशालाओं का विकास करना । यह कार्यक्रम 1993–94 के दौरान जारी रहेगा ।

8.9.4 आठवीं योजना अवधि के दौरान, 8 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच उभरते हुए क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव को कार्यान्वयन हेतु अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्य का विकास

8.10.1 इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रभावी अध्यापन और अनु० तथा वि० कार्य (आर० एण्ड डी० वर्क) के लिए अनिवार्य समझा गया है । केन्द्र सरकार, स्नातकोत्तर शिक्षा और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के विकास के लिए, केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत, 16 राज्य सरकारों तथा 24 गैर-सरकारी स्नातकोत्तर संस्थाओं को सीधे ही सहायता प्रदान कर रही है । इस योजना ने, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा के विकास को तथा सामान्य रूप में देश के आर्थिक विकास को संवर्धित करने में पर्याप्त योगदान दिया है । राष्ट्रीय विकास में, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को जारी रखना है । जहां जन-शक्ति का अभाव है, वहां उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में पाठ्यक्रमों को संवर्धित किए जाने पर विशेष बल दिया जाएगा ।

8.10.2 इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सहयोग से, कुछेक चुनिन्दा केन्द्रों में संगणक अनुप्रयोग में निष्णात डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है । आठवीं योजना के दौरान, इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से शामिल किया जाएगा ।

कोटि सुधार कार्यक्रम

8.11.1 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की कोटि और मानक में सुधार लाना है । इस उद्देश्य को, एम० टेक० तथा पी० एच० डी० कार्यक्रमों, अल्पकालिक पाठ्यक्रमों तथा उद्योग में अल्पकालिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तकनीकी संस्थाओं के संकाय सदस्यों के लिए पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रमों जैसे दीर्घकालीन कार्यक्रमों के जरिए प्राप्त किया जा रहा है । ये दीर्घकालीन कार्यक्रम पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, रुड़की विश्वविद्यालय तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए अन्य केन्द्रों में स्थापित कोटि सुधार केन्द्रों के जरिए क्रियान्वित किए जाते हैं तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रम पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी और तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ-साथ रुड़की विश्वविद्यालय में भी आयोजित किए जाते हैं । उद्योग में अल्पकालिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए क्रियान्वित किए जाते हैं ।

8.11.2 वर्ष 1993–94 में पूर्व वर्षों, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों के अतिरिक्त 125 शिक्षकों को एम० टेक० के लिए तथा 80 शिक्षकों को पी० एच० डी० के लिए प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है । पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रमों को 7 केन्द्रों पर आयोजित किया जा रहा है । ग्रीष्म/शीत स्कूल कार्यक्रमों के तहत भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी, नई दिल्ली के माध्यम से लगभग 2400 डिग्री और डिप्लोमा शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है । जहां तक अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध है, कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्र बजट की सीमा के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वतन्त्र हैं । उद्योग में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत, डिग्री/डिप्लोमा शिक्षकों को उपलब्ध बजट के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए प्रशिक्षित किया जाना है ।

तकनीकी शिक्षा की सहायता हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना :

8.12.1 तकनीकी शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक प्रमुख परियोजना शुरू की है जिसे विश्व बैंक की सहायता से दो मिले जुले चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा ताकि राज्य सरकारें अपने-अपने पालिटेक्निकों की क्षमता, कोटि और क्षमता को स्तरोन्नत कर सकें । वर्ष 1990–1999 की अवधि में 1650 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत की यह परियोजना जिसमें विशेष आहरण अधिकार (एस० डी० आर०) की विश्व बैंक की 373.3 मिलियन परिवर्तन की चालू दरों पर लगभग 517 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष की साख, सहायता शामिल है । 16 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित/मान्य 500 से अधिक पालिटेक्निकों को शामिल करेगी । यह मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र परियोजना है और समस्त लागत भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य योजनागत आवंटनों/बजटों में से प्रदान की जाएगी । यह परियोजना, शिक्षा विभाग के समग्र मार्गदर्शन, सहायता और अनुश्रवण (मानीटरिंग) के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके लिए परियोजना में देश में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने और एजुकेशनल कंसलटेंट इण्डिया लि० (एड० सिल०) में एक राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक की स्थापना सहित एक केन्द्रीय घटक का प्रावधान किया गया है ।

8.12.2 परियोजना का पहला 5-12-90 को चरण आरम्भ हो गया जिसमें बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था। इन्हीं उद्देश्यों के साथ और लगभग इसी प्रकार के दूसरे चरण में आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली को शामिल किया गया है। यह 29-1-92 को आरम्भ हो गया। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पालिटेक्निकों को, परियोजना के दो चरणों में निर्मित लचीलेपन के कार्य ढांचे की सीमा में विश्व बैंक की सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र

(क) प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाओं को सुदृढ़ करना

8.13.1 यह योजना छठी योजना के दौरान आरम्भ की गई थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें कार्यक्षेत्र और आयाम की दृष्टि सुधार लाया गया जिसका उद्देश्य (i) प्रयोगशाला उपस्कर, स्थान संकाय और सहायक स्टाफ (ii) पाठ्यक्रमों की विविधता और (iii) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए आधार तैयार करने के माध्यम से प्रौद्योगिकी के कुछ उन चुने हुए क्षेत्रों में जहां चिन्ताजनक रूप से दूरी बनी हुई है अवर स्नातक पर पाठ्यक्रम चलाने वाली प्रौद्योगिक संस्थाओं में सुविधाओं को सुदृढ़ करना था। प्रौद्योगिकी के जिन कमजोर क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे हैं कम्प्यूटर विज्ञान, प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिक्स इंस्ट्रूमेन्ट धातु विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुरक्षण इंजीनियरी, उत्पादन विकास डिजाइन बायो कनवर्सन, एग्रोनामिक्स, मुद्रण प्रौद्योगिक, प्रबंध विज्ञान और उद्यमशीलता। वर्ष 1991-92 के दौरान 82 परियोजनाओं को 731.00 लाख की सहायता दी गयी। वर्ष 1992-93 के दौरान मुक्त की जाने वाली राशि 750-00 लाख प्रस्तावित है।

(ख) उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का सृजन :

8.13.2 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए इंजीनियरी प्रौद्योगिकी संस्थाओं में प्रौद्योगिक के उभरते हुए 14 क्षेत्रों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन करना था। सातवीं योजना अवधि के दौरान योजना के कार्यक्षेत्र और आयाम में पर्याप्त वृद्धि की गई थी इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

– उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के पहचाने गए क्षेत्रों में आधुनिक प्रयोगशालाओं के संदर्भ में मूल ढांचे का विकास करना।

— कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का पता लगाकर उच्च स्तरीय कार्य में लिए एक मजबूत आधार का विकास करना।

— प्रौद्योगिकी के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए सुविधाएं और सहायता प्रदान करना ताकि उन्नत देशों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी की दूरी को अन्ततः खत्म किया जा सके।

— मानवशक्ति का विकास।

— संकाय प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं।

— अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं और प्रयोक्ता एजेंसियों सहित अन्य संस्थानों के साथ संबंध विकसित करना।

— सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा विकसित किए गए विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सूचना का प्रसार।

इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे हैं : ऊर्जा विज्ञान परिवहन इंजीनियरी सूक्ष्म इलेक्ट्रानिक, रिमोट सेंसिंग, एटमोसीफ्यरिक विज्ञान, रिलायबिलिटी इंजीनियरी, पर्यावरणीय इंजीनियरी, जल संसाधन प्रबंध आपटिकल कम्यूनिकेशन और फाइबर आप्टिक्स लेजर प्रौद्योगिकी, इन्फार्मेटिक्स टेलिमेटिक्स, शिक्षा प्रौद्योगिकी सी० ए० डी०, सी० ए० एम० निर्माण सूक्ष्म प्रोसेसर रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता। 1991-92 के दौरान 891.46 लाख रुपए की अनुदान राशि से 104 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 1992-93 के दौरान मुक्त की जाने वाली प्रस्तावित राशि 900.00 लाख रु० है।

(ग) नए और अथवा उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों को पेशकश करना :

8.13.3 यह एक नई योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में 1987-88 के दौरान संस्थापित की गई थी। यह योजना बदलते हुए औद्योगिक परिवेश और विश्व भर में प्रौद्योगिकी विकास की गति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी के परम्परागत और उभरते हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के ऐसे बहुत से नए क्षेत्र विकसित किए गए हैं जो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं से जुड़े हैं और जहां उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ मानवशक्ति का विकास किए जाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी के छियासीय नए/उन्नत क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमपाठ्यक्रमों को सहायता दी जायेगी। वर्ष 1992-93 के दौरान 70 परियोजनाओं को सहायतार्थ 750.00 लाख की राशि मुक्त की गई।

8.13.4 वर्ष 1992-93 के दौरान और आठवीं पंच वर्षीय योजना के आगे उपरोक्त योजनाएं (क), (ख) और (ग) एक योजना अर्थात तकनीकी शिक्षा को महत्वपूर्ण क्षेत्र में मिला दी गई है। इस योजना के दौरान, लगभग 215 परियोजनाओं को वर्ष 1992-93 में उपलब्ध 2400 लाख रु० की बजट राशि से सहायता दी जाएगी।

आधुनिकीकरण और अप्रचलनों का निराकरण

8.14.1 यह योजना छठी योजना अवधि के दौरान चुनिंदा इंजीनियरी कालेजों में आधुनिक उपकरण और मशीनरी

प्रदान करने के उद्देश्य आरंभ की गई थी ताकि 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता के आधार पर प्रौद्योगिकी उन्नति और पाठ्यचर्या संबंधी परिवर्तनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

8.14.2 सातवीं योजना अवधि के दौरान और विशेष रूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाये जाने के बाद से इस योजना के कार्य क्षेत्र और आयामों में विस्तार किया गया ताकि तकनीकी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्रौद्योगिकी संकाय पालिटेक्नीक सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और अन्य इंजीनियरी कालेजों को सम्मिलित किया जा सके तथा मानव संसाधनों संबंधी पुरानी अप्रचालित चीजों को हटाया जा सके। इस योजना के उद्देश्यों को निम्नानुसार पुनः परिभाषित किया गया है :—

— इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं में अप्रचलित मशीनों और उपकरणों का हटाना ।
— प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं से संबद्ध नए उपस्करों को शामिल करके आधुनिकीकरण करना ।
— छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला कार्य का अनुभव प्रदान करना ।
— नई प्रयोगशालाओं का निर्माण
— संगणकों का प्रावधान
— संकाय और सहायक स्टाफ का प्रशिक्षण

वर्ष 1991-92 के दौरान 337 परियोजनाओं को सहायता के लिए 3000 लाख रु० की राशि मुक्त की गई थी । प्रस्ताव है कि 300 परियोजनाओं को सहायता देने के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान 2600 लाख रु० का कुल अनुदान आवंटित किया गया ।

राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली

8.15.1 राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य विशेष स्तरों पर इंजीनियरी तथा तकनीकी मानव शक्ति की आपूर्ति एवं उपयोगिता के अनुवीक्षण को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि सुव्यवस्थित आधार पर तकनीकी शिक्षा की आयोजना एवं विकास किया जा सके । इस प्रणाली में प्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का एक प्रमुख केन्द्र तथा भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थित चार प्रशिक्षित व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों सहित 21 प्रमुख केन्द्र शामिल हैं ।

8.15.2 रा० त० जन० सू० प्र० कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम प्राथमिक आंकड़े विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के स्नातकों एवं शैक्षिक संस्थानों और सामाजार्थिक क्षेत्र की उन संस्थाओं में इंजीनियरी तथा तकनीकी मानव शक्ति को नियोजित करते हैं। जो नियोजित रूप से तथा वार्षिक आधार पर एकत्रित किए जा रहे हैं। 21 प्रमुख केन्द्रों में से 17 केन्द्र जो अधिकांशतः देश चुने हुए इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं में स्थित है विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के स्नातकों का अनुवर्ती अध्ययन संचालित करने तथा शैक्षिक संस्थानों के सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी है जबकि जो प्रशिक्षुता व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों में स्थित केन्द्र नियोजक संस्थाओं से आंकड़े एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है ।

स्नातकों से संबंधित आंकड़ा बैंक

8.15.3 वर्ष के दौरान 1984 के स्नातकों से आंकड़ा संग्रह कार्य का समापन सभी मौजूदा नोडल केन्द्रों द्वारा किया गया था यद्यपि दो नोडल केन्द्रों ने स्नातकों के 1988 बैच से आंकड़ा संग्रह से संबंधित कार्य अन्य नोडल केन्द्रों में जारी रहा । चौदह नोडल केन्द्रों ने भी 1985 बैच के स्नातकों से आंकड़ा संग्रह का कार्य शुरू किया ।

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं से संबंधित आंकड़ा बैंक

8.15.4 1985-86, 1986-87 तथा 1989-90 वर्षों के संदर्भ में शिक्षा संस्थाओं से आंकड़ा संग्रह सभी नोडल केन्द्रों में चल रहा था। वर्ष के दौरान नौ नोडल केन्द्रों में वर्ष 1985-86 के दौरान लिए आंकड़ा संग्रह कार्य को पूरा किया गया था ।

स्थापनाओं से संबंधित आंकड़ा बैंक

8.15.5 सभी चार बोर्डों में 1985-86, 1986-87 तथा 1989-90 वर्षों के संदर्भ में स्थापनाओं से आंकड़ा संग्रह चल रहा था । दो बोर्डों द्वारा भी वर्ष 1985-86 के संदर्भ में आंकड़ा संग्रह कार्य पूरा किया गया था ।

8.15.6 नवम्बर, 1989 में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने योजना को जारी रखने और इसे उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करने की सिफारिश की। अब सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रबंन्ध शिक्षा का विकास

8.16.0 विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित प्रबंधकीय जन-शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों को सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं तथा प्रबंध अध्ययन मे दो वर्ष का पूर्ण कालिक तथा तीन वर्ष का अंशकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। अखिल भारतीय प्रबंध अध्ययन बोर्ड/ अ० भा०त० शि० प० की सिफारिशों के आधार पर संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत भारत-सरकार कुछ संस्थाओं को प्रबंध कार्यक्रमों के समेकन तथा इसके विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है । आज की स्थिति में असम्मिलित, असंगठित व सेवा क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रोन्नत

करना अत्यन्त आवश्यक है। इन कार्यक्रमों को आठवीं योजना के दौरान सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

8.17.1 अनुमोदित मानकों के अनुकूल तकनीकी शिक्षा के समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ० भा० त० शि० प०) का गठन 1945 में राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय के रूप में तकनीकी शिक्षा के विकास पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए किया गया। समवर्ती सूची में शिक्षा के शामिल होने से पहले भी तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और निर्धारण केन्द्रीय सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व रहा है।

8.17.2 गैर-सरकारी इंजीनियरी कालेजों की संख्या में हो रही वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा अ० भा० त० शि० प० को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अ० भा० त० शि० प० अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत अपेक्षा की जाती है कि अ० भा० त० शि० प० देश भर में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकीय प्रबंध, नगर आयोजना, वास्तुकला, अनुप्रयुक्त कला तथा फार्मेसी जैसे अध्ययन क्षेत्रों में डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित करने वाली सभी तकनीकी विभागों को शामिल करके तकनीकी शिक्षा पद्धति की उचित आयोजना तथा समेकित विकास और विनियमन शुरू करेगी।

8.17.3 इस परिषद् ने अपनी कार्यकारी समितियों, क्षेत्रीय समितियों और अध्ययन बोर्डों के माध्यम से कार्य करना शुरु किया। समितियों और बोर्डों द्वारा अब तक आयोजित बैठकों की सूची निम्न प्रकार दी गई है :—

समिति/बोर्ड	बैठकों की संख्या
कार्यकारी समिति	चार
उत्तर क्षेत्रीय समिति	तीन
दक्षिण क्षेत्रीय समिति	पांच
पश्चिम क्षेत्रीय समिति	पांच
पूर्वी क्षेत्रीय समिति	पांच
निम्नलिखित सभी अखिल भारतीय बोर्ड	
तकनीकी शिक्षा	दो
प्रबंध अध्ययन	एक
स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान	दो
अवस्नातक अध्ययन	(कार्य अभी शुरु किया है)
वास्तुकला तथा नगर आयोजना	तीन

8.17.4 अखिल भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बोर्ड और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को अभी अ० भा० त० शि० प० द्वारा अनुमोदित संविधान के अनुसार संघटित किया जाता है।

8.17.5 कार्यकारी समिति ने अ० भा० त० शि० प० के सचिवालय की स्थापना के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक आवास समिति गठित की है। कार्यकारी समिति ने प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर विचार करने के लिए एक स्थायी समिति भी गठित की है। इन समितियों ने क्रमश: तीन और एक बैठकें आयोजित की है।

8.17.6 अ० भा० त० शि० प० द्वारा अनुमोदित लगभग 500 पालिटेक्निकों तथा 200 से अधिक कालेजों में डिप्लोमा स्तर पर लगभग 80,000, डिग्री स्तर पर 40,000 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 10,000 वार्षिक दाखिलों सहित तकनीकी शिक्षा पद्धति का निरीक्षण करने के लिए अधिदेश प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अ० भा० त० शि० प० के क्षेत्र में लाई जाने वाली बड़ी संख्या में अनुमोदित संस्थाएं हैं।

8.17.7 नए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के अनुमोदन की पद्धति निर्धारित करने के उद्देश्य से, परिषद् ने सभी संबंधितों द्वारा पूरी किए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। राज्य सरकारों ने नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित ये दिशा-निर्देश शुरू किए हैं।

8.17.8 परिषद् ने वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत) और भारतीय फार्मेसी परिषद् (फार्मेसी अधिनियम के अन्तर्गत) के साथ उनके अपने-अपने क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों तथा संस्थाओं के मूल्यांकन की कार्यविधि पर सहमति व्यक्त की है।

8.17.9 परिषद् ने इस अधिनियम द्वारा शामिल किए गए विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए मानदण्ड तथा स्तर निर्धारित किए हैं। परिषद् ने सभी संबंधितों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले गुणावगुण आधार पर तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

8.17.10 परिषद् अतिरिक्त कर्मचारियों, उपस्कर तथा भवन-स्थान, आदि की संस्वीकृति के बाद इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सभी कार्यों को संचालित करने का कार्य अपने हाथ में लेगी।

8.17.11 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् ने 48 नई संस्थाएं और मौजूदा तकनीकी संस्थाओं में शुरु किए जाने वाले 214 कार्यक्रम अनुमोदित किए हैं।

सामुदायिक पोलिटेक्निक

8.18.1 सामुदायिक पालिटेक्निक योजना को 1978-79 में 36 पालिटेक्निकों में प्रयोगात्मक आधार पर तकनीकी

शिक्षा प्रणाली में निवेशों से होने वाले लाभों में ग्रामीण समाज को उचित रूप से भागीदार बनाने के विचार से संघीय केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत संस्थापित किया गया। योजना में ऐसी परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोगार्थ तथा गैर–औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्व और मजदूरी दिलाने वाले रोजगार के अवसर जुटाने में केन्द्र बिन्दु का काम करेगा। इसका उद्देश्य गरीबी दूर करना, सामाजार्थिक उत्थान तथा जनता की विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार करना है। जबकि योजना में व्यक्तियों की भागीदारी अन्तर्निहित विशेषता है, अधिक महत्व शोषित असुविधा प्राप्त तथा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया गया है। संबंधित स्थानीय समाज आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप करीब 100 तकनीकी व्यावसायिक व्यवसायों को रोजगारोन्मुख कुशलता विकास प्रशिक्षण देने के लिए रखा गया है। आयोजित किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रस्ताव नहीं किया गया है तथापि महिलाओं, अल्पसंख्यकों व पढ़ाई बीच में छोड़ कर जाने वालों को प्रोत्साहित किया गया सम्पूर्ण देश में आजकल सामुदायिक पालिटेक्निक (दिसम्बर 1991 तक) कार्य कर रहे हैं। सभी अल्पसंख्यक बहुल जिलों को योजना के अधीन शामिल कर लिया गया है।

सामुदायिक पालिटेक्निक निम्नलिखित कार्य करते है।

— सामाजार्थिक सर्वेक्षण,
— जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण,
— प्रौद्योगिक स्थानान्तरण,
— उद्यमशीलता विकास की ओर तकनीकी व सहायक सेवाएं,
— सूचना प्रस्तुत –

8.18.2 सामुदायिक पालिटेक्निक योजना में आर० व डी० सहायता हेतु ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है। तकनीकी के विकास नवीनकरण व अनुकूलन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों के रूप के संस्थानों का चयन किया गया है जैसे कि सामुदायिक पालि–टैक्निक के लिए आर० व डी० पद्धति। योजना के अधीन ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों को अलग अनुदान दिए जा रहे हैं।

8.18.3 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सामु–दायिक पालिटेक्निक ने दूर–दराज के ग्रामीण इलाकों में विस्तार केन्द्रों की स्थापना की है ताकि इस प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं गांवों के ठीक पास ही उपलब्ध कराई जा सकें। बायोगैस संयंत्र पवनचक्की धूआं रहित चूल्हा ग्रामीण शौचालय और सौर यंत्र खेती के उपकरण इत्यादि सहित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और अनुमोदित मदों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए सामुदायिक पालि–टेक्निकों ने अच्छी भूमिका निभाई है। इन संस्थानों ने अनेक सरकारी गैर–सरकारी निकायों के साथ कारगर सहयोग किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना

8.18.4 इस योजना के माध्यम से मुख्य रूप से गैर–औपचारिक अल्पकालिक प्रशिक्षण विभिन्न व्यवसायों में सक्षमता तथा आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से अथवा रोजगार के आधार पर बहु कौशलों से रोजगार तैयार किए जाते हैं। ये संस्थाएं प्रत्येक वर्ष 25,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करती हैं, इनमें से लगभग 35–40% स्वरोजगार में लगा दिए जाते हैं।

8.18.5 इन योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रोजगारों को हम विस्तृत रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं :—

(i) इस योजना में सीधे वेतन रोजगार
(ii) प्रशिक्षित युवकों को स्वतः रोजगार
(iii) ग्रामीण परियोजनाओं/उद्योगों तथा सेवाओं में वेतन रोजगार

8.18.6 वर्ष के दौरान स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों सहित लगभग 3000 ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को, विभिन्न तकनीकी/व्यावसायिक व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया है तथा उनमें से कई स्वरोजगार में लग चुके हैं।

8.18.7 वर्ष के दौरान ग्रामीण पलिटेक्निकों और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए पुणे में तथा गोवा में कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित किए गए थे। यह महसूस किया गया था कि इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन इस संबंध में राज्य–सरकारों से प्राप्त सहयोग और सक्रिय सहायता के कारण हैं। कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने तथा योजना के कार्यान्वयन में आ रही विशिष्ट समस्याओं का पता लगाने के लिए राज्य स्तरीय समीक्षा की जा रही है।

8.18.8 राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति (एन० ई० सी०) कल्याण समिति और 1991 के दौरान आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं की सिफारिशों के आधार पर समुदाय पोलिटेक्निकों की योजना को व्यापक पैमाने पर संशोधित किया गया और 8वीं योजना अवधि के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पर मुख्य बल दिया गया है।

(i) गरीबी को कम करना।
(ii) रोजगार पैदा करना।

(iii) नई प्रौद्योगिकियों को बनाए रखना तथा तकनीकी अनुरक्षण के लिए समुदाय सहायता सेवा।

(iv) ग्रामीण उद्यमों के प्रति प्रौद्योगिकीय आर्थिक प्रबंध-कीय परामर्श एवं सेवा।

(v) हस्त शिल्पियों की दक्षता को अद्यतन बनाना।

(vi) ग्रुप उद्यम।

(vii) उत्पादन विकास एवं प्रशिक्षण व उत्पादन।

(viii) ग्रामीण उद्योगों, कुटीर एवं लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करना तथा विकास करना।

(ix) चुनिन्दा गांवों के पूर्ण समेकित विकास को बढ़ाना।

(x) एस० एण्ड टी० जागरूकता के माध्यमों से विज्ञान मनोदशा का प्रसार, अनुरक्षण एवं विकास।

(xi) उचित मीडिया प्रचार के माध्यम से योजना को लोकप्रिय बनाना।

8.18.9 आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम आयोजित करने की परिकल्पना की गई है।

— महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम

— अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम

— सफाई करने वालों को प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम

— नव साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता सतत शिक्षा

— क्षेत्र विशिष्ट और संस्कृति विशिष्ट जनजाति क्षेत्र संघटक कार्यक्रम

— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए विशेष कार्यक्रम

— कम लागत के मकान, ग्रामीण जनता के लिए स्वच्छ पीने का पानी, ग्रामीण सफाई, गैर-परम्परागत और वैकल्पिक ऊर्जास्रोत, कृषि फार्मिंग और कृषि सिंचाई, ग्रामीण यातायात इत्यादि के प्राथमिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण

— कृषि विज्ञान केन्द्रों से विशेष संबंध और बेहतर कृषि उत्पादन के लिए फार्म क्षेत्र कार्यकलाप।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.19.1 इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों से आने वाले इंजीनियरी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त संगठनों के रूप में वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा कानपुर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड गठित किए गए थे। जिनका अभी व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तियोगी योजना को कार्यान्वित करना था। वर्ष 1973 में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 को संशोधित किया गया था ताकि इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण को इसके अन्तर्गत लाया जा सके। अधिनियम के प्रावधान के तहत औद्योगिक संस्थापन प्रति वर्ष प्रशिक्षुओं को लगाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगे। केन्द्र सरकार दिए गए वजीफा की न्यूनतम राशि का 50% प्रशिक्षण संस्थाओं को, जो इन प्रशिक्षुओं को कार्य पर लगाते हैं अदा करती है।

8.19.2 वर्ष 1986 में अधिनियम के क्षेत्र के तहत 10+2 व्यावसायिक धारा के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु अधिनियम में आगे संशोधन किया गया था। वर्ष के दौरान तकनीशियनों (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए पहले से अधिसूचित बीस विषय क्षेत्रों के अलावा 40 और विषय क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।

8.19.3 विगत तीन वर्षों के दौरान लगे प्रशिक्षुओं की संख्या नीचे तालिका में दर्शाई गई है :—

प्रशिक्षुओं की संख्या

	30-10-90	31-10-91	31-9-92
कुल प्रशिक्षार्थी	21053	22075	21320
स्नातक प्रशिक्षार्थी	6042	6879	6767
डिप्लोमा धारी	15011	15196	14553
अनुसूचित जाति	714	908	1219
अनुसूचित जनजाति	148	167	242
अल्पसंख्यक	1057	1335	1084
विकलांग	10	33	58
महिलाएं	1836	2089	2160

8.19.4 आखिरी वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और जीवन वृत्तिका मार्गदर्शन कार्यक्रम को कोटि सुधारने के लिए अनेक निरीक्षण विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। बोर्ड पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है जिसमें सूचना सामग्री शामिल है। इसमें से कुछ ने प्रशिक्षण नियमावली भी तैयार की है।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक

8.20.1 एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकाक एक स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रीय स्नातक संस्था है जो इंजीनियरी विज्ञान और सम्बद्ध विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यह 20 से अधिक देशों से लगभग 600 छात्रों को दाखिल करता है और इसके अन्त र्राष्ट्रीय संकाय सदस्य हैं। यह संस्थान भारत सहित विभिन्न देशों के सदस्यों के एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अभिशासित है जिसके सदस्य भारत सहित विभिन्न देशों से आते हैं।

8.20.2 भारत सरकार एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान को निम्नलिखित सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है :—

(i) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षकों विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के सम्पूर्ण व्यय का वहन।

(ii) निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्यों के प्रयोग के लिए 3.00 लाख रु० के वार्षिक अनुदान का उपयोग :—

(क) भारत से उपस्करों की खरीद

(ख) पुस्तकों की खरीद तथा भारत में प्रकाशित शैक्षिक और तकनीकी पत्रिकाओं के अंशदान का भुगतान और

(ग) भारत में शिक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय।

8.20.3 वर्ष 1992–93 के दौरान, 3 भारतीय विशेषज्ञों को सितम्बर 1992 अवधि के लिए एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकाक को फिर प्रतिनियुक्त किया गया और जनवरी 1993 की अवधि के लिए 3 और विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति करने की संभावना है। संस्थान को 3 लाख रु० की राशि 1992–93 के दौरान भारत में शैक्षिक संबंधी कार्यकलापों के लिए और उपस्करों की खरीद के लिए अनुदान के रूप में जारी की जा रही है।

शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड

8.21.1 शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड केन्द्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं को भरने के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। शिक्षा विभाग के तकनीकी शिक्षा ब्यूरो बोर्ड का सचिवालय है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इस बोर्ड के अध्यक्ष है।

8.21.2 अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड की 20 वीं बैठक 26 मई 1992 को आयोजित की गई थी। बोर्ड ने केन्द्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं को भरने के प्रयोजनार्थ लगभग 10 नए अर्हताओं की मान्यता की सिफारिश की।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता :

8.22.0 तकनीकी शिक्षा ब्यूरो ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को भाग लेने के लिए यात्रा की लागत की अदायगी करने विज्ञान प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्रों में शिक्षकों को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना संचालित की है। उत्कृष्ट युवा शिक्षकों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है।

गैर निगमित तथा असंगठित क्षेत्रों के संस्थानों का सुदृढ़ीकरण व स्थापना :

8.23.1 हमारी तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा पद्धति का अनुस्थापन अभी तक मुख्यतः संगठित निगमित क्षेत्र की ओर उन्मुख ही रहा है। तथापि हमारे विकास प्रयासों का विशेष प्रभाव तभी संभव होगा यदि हम गैर–निगमित और संगठित क्षेत्रों के निष्पादन में सुधार करते हैं, जो लगभग 90% कार्यदल को रोजगार प्रदान करता है।

8.23.2 इसके अनुसार सातवीं व आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए विद्यमान संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए योजना तैयार की गई। इन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में कुछेक चुनिन्दा डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में उद्यमशीलता तथा प्रबंध विकास केन्द्रों और उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है।

8.23.3 चार पालिटेक्निकों को सीधे केन्द्रीय सहायता प्रदान करके योजना को पायलट परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। 8वीं योजना के दौरान योजना के कार्यान्वयन के प्रभाव का तथा योजना को जारी रखने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए मई, 1992 में मैसूर में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। तथा विस्तृत संशोधित योजना तैयारी की गई है। संशोधित योजना में ग्रामीण व शहरी पर्यावरण में गैर सहयोगी व अव्यवस्थित क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य के कुछ चुने हुए पालिटेक्निकों में उद्यम व प्रबंध विकास के लिए और अधिक नोडल केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। एक समन्वित नोडल केन्द्र तैयार किया जाएगा।

(1) पाठ्यचर्या निवेश (2) औपचारिक व गैर–औपचारिक सतत शिक्षा (3) कुशलता विकास (4) कोटि आश्वासन (5) संकाय विकास–प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा (6) परामर्श व सहायता सेवाओं से इन नोडल केन्द्रों द्वारा छोटे व गैर–आयोजित क्षेत्रों के लिए उद्यम विकास को प्रोन्नत किया जाएगा। इन नोडल केन्द्रों द्वारा बड़े स्तर पर इंजीनियरी में विज्ञान स्नातकों व डिप्लोमा धारकों के लिए गैर सहयोगी व अव्यवस्थित क्षेत्रों के प्रबंध में उत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी व कुशलता में अविकसितता की दर का सामना करने के लिए ग्रामीण शिल्पियों हेतु कुशलता के पुनः प्रशिक्षण व प्रौन्नति के लिए सामुहिक उद्यमी विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जायेंगे। महिला उद्यमकर्ताओं के लिए अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। उद्यमकर्ताओं के लिए बिक्री विकास, कोटि आश्वासन व कुल कोटि प्रबंध हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। ताकि व्यवस्थित क्षेत्रों को सहायक व पूरक सहायता प्रदान की जा सके।

उद्योग संस्थान-पारस्परिक कार्रवाई

8.24.1 इंजीनियरी समस्याओं को हल करने तथा आपसी हित व राष्ट्र की प्रासंगिता की संयुक्त परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए 1988-89 के बीच में उद्योग संस्थान-पारस्परिक कार्रवाई आरंभ की गई थी। योजना के निम्नलिखित तीन अवयव हैं :—

1. उद्योग के साथ इंजीनियरी कालेजों व पोलिटेक्निकों के बीच पारस्परिक कार्रवाई।
2. आई० आई० टी० दिल्ली में "प्रतिष्ठान" स्थापित करना।
3. गैर-सहयोगी व अव्यस्थित क्षेत्रों के लिए उद्यमशीलता व प्रबंध विकास के लिए केन्द्र स्थापित करना।

8.24.2 कालेज स्तर पर यह परिकल्पना की गई है कि इंजीनियरी व उद्योग के बीच संयुक्त शोध परियोजना आरंभ की जायेगी। प्रत्येक कालेज प्रति वर्ष एक संयुक्त शोध परियोजना चलाएगा। संयुक्त शोध परियोजना का लक्ष्य है या तो प्रतिस्थापना या व्यावसायीकरण की ओर ले जाने वाली नई खोज या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए वर्तमान उत्पादन का सुधार इसके अतिरिक्त प्रत्येक इंजीनियरी कालेज प्रति वर्ष उद्योगों के साथ दो संकाय सदस्यों का आदान-प्रदान करेगा। पोलिटेक्निक स्तर पर प्रति वर्ष दो संकाय सदस्यों सहित उद्योग के साथ केवल संकाय विनियम कार्यक्रम होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए 23 इंजीनियरी कालेजों व 15 पोलिटेक्निकों का चयन किया गया था।

8.24.3 उद्योगों व अन्य संगठनों के समक्ष आने वाली वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय समस्याओं मे निबटने तथा प्रोटो टाईप विकास व औद्योगिक पायलट योजनाओं आदि द्वारा शोध परिणामों के व्यावसायीकरण के लिए संस्थान की शोध व परामर्शक क्षमताओं के विपणन के लिए आई आई टी दिल्ली का औद्योगिक प्रतिष्ठान जिम्मेवार होगा। इस प्रतिष्ठान का पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अधीन "नवाचार व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रतिष्ठान नाम से सोसायटी के रूप में की गई थी। एफ० आई० टी० टी० 3.00 करोड़ रु० की संचयी से एक वृत्तिदान स्थापित करेगा। औद्योगिकी प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया 1.22 करोड़ रु० का अनुदान संचयी निधि में आकलित किया जाएगा। एफ०आई०टी०टी० का संपूर्ण व्यय संचयी निधि पर ब्याज उद्योग प्रायोजित परियोजनाओं से योगदान व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर रायल्टी से पूरा किया जाएगा।

8.24.4 गैर-सहयोगी व अव्यवस्थित क्षेत्र जो कार्यदल का करीब 90% लगाए हुए हैं के कार्य में सुधार के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-सहयोगी व अव्यवस्थित क्षेत्रों के लिए उद्यम व प्रबंध योजना आरंभ की गई थी। योजना 4 पालिटेक्निकों में पायलट परियोजना के रूप में कार्यान्वित की गई थी। योजना को उद्योग संस्था-पारस्परिक क्रिया की योजना के साथ मिलाकर आठवीं योजना के दौरान इसके क्षेत्र के कार्यकलापों को जारी रखने व विस्तार करने की परियोजना की गई है।

सतत शिक्षा योजना :

8.25.1 इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यावसायिक के लिए सतत शिक्षा योजना का उद्देश्य इन व्यावसायिकों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है ताकि हमारे उद्योगों में इंजीनियरी मानव शक्ति क्षमता को आगे बढ़ाने में योगदान मिल सके। योजना दो पहलुओं से जुड़ी हुई है। पहला उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना जिनमें सतत शिक्षा मापांक तैयार किया जाना आवश्यक है तथा दूसरा उनको पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों व चार टी०टी०आई० में स्थित हमारे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाना है आई० एस०टी०ई० मापांक तैयार करने, उसका परीक्षण करने के कार्यक्रम तथा शैक्षिक समन्वय व अनुवीक्षण के कार्यक्रम मे भी जुड़ा हुआ है। यह योजना वित्तीय वर्ष 1987-88 के अंत में कार्यान्वित की गई थी

8.25.2 योजना की प्रगति बहुत प्रोत्साहित करने वाली है। 1-7-92 तक 188 पाठ्यक्रम सामग्रियां तैयार की जा चुकी है। 31-3-1991 तक 28,872 भागीदारों को इस कार्यक्रम से लाभ हुआ। कार्यक्रम विशेषज्ञों की सिफारिशों पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1990-91 में 8 अतिरिक्त केन्द्र (4 इंजीनियरी कालेज/विश्वविद्यालय व 4 पोलिटेक्निक) जोड़े गए थे। अतः अब 18 ऐसे केन्द्र है जहां पर योजना कार्यान्वित की जा रही है।

8.25.3 आशा है कि आठवीं योजना के अंत तक योजना के परिणाम निम्नलिखित होंगे :—

1.	सतत शिक्षा कार्यक्रम द्वारा जाने वाले व्यावसायिक	40,000
2.	पाठ्यक्रम सामग्री उत्पादन	1,340
3.	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम सामग्री	200
4.	वीडियो पैकेज	100
5.	सी०ए० आई० पैकेज	125

8.25.4 1992-93 के दौरान आशा है कि करीब 6,000 व्यावसायिकों को सतत शिक्षा प्रदान की जाएगी।

चुने हुए उच्च तकनीकी संस्थाओं में शोध व विकास :

8.26.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के आवश्यक अवयव के रूप में शोध पर अधिक बल दिया गया है। वास्तव में यह मान लिया गया है कि शोध व विकास शिक्षा का

अनिवार्य भाग है। आजकल अधिकतर शोध प्रयास व शोधमान शक्ति कुछ संस्थानों में संकेन्द्रित हैं। उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों में शोध विकास संस्कृति को विकसित करना आवश्यक है, अधिकतर शैक्षिक संस्थानों में घटिया पुस्तकालय, अपर्याप्त सूचना पद्धति, परिकलन सुलेखन व अन्य सुविधाएं उनकी स्वयं की हैं। शोध व सुविधाएं अधिकतर पुरानी हैं — अध्यापन के अतिरिक्त, बुनियादी सुविधाएं निर्मित करने के व बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, रक्षा संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि में रक्षा व विकास कार्यकलापों में विशेष रूप से बढ़ोतरी होने की आशा है। शिक्षा क्षेत्र में शोध व विकास कार्यकलापों की कमी उच्च कोटि के शोध व विकास कर्मचारियों के निर्माण पर उल्टा प्रभाव डालती है।

8.26.2 योजना 1987–88 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ आरंभ की गई थी :—

— उच्च अध्ययन/शोध के विद्यमान केन्द्रों को सुदृढ़ करना व पुनः निर्मित करना।

— बुनियादी सुविधाओं का निर्माण व अद्यतन बनाना।

— इंजीनियरी प्रौद्योगिकी प्रबंध में शोध परियोजनाओं की सहायता व प्रयोजन।

8.26.3 योजना में तकनीकी व प्रबंध शिक्षा पद्धति व शैक्षिक संस्थान शामिल हैं, जो अवर स्नातकों व स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला रहे हैं। 1991–92 के दौरान 341.00 लाख रु० की लागत पर 44 प्रस्तावों को सहायता दी गई। 1992–93 के दौरान 250.00 लाख रु० की लागत पर 40 परियोजनाओं को सहायता देने का प्रस्ताव है।

भारत शैक्षिक परामर्शदाता, लिमिटेड

8.27.1 भारत शैक्षिक परामर्शदाता लिमिटेड (एड० सिल) जो कि इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, की स्थापना मुख्य रूप से सरकार तथा शैक्षिक संस्थाओं दोनों को अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों में शैक्षिक परामर्शी सेवाएं प्रदान करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए वर्ष 1981 में स्थापना की गई थी।

8.27.2 वर्ष 1991–92 के दौरान निगम ने एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित बंगलादेश खुला विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की। एक प्रमुखता के आधार पर मारीशस विश्वविद्यालय के विस्तार का कार्य मारीशस सरकार की पूर्ण संतुष्टि पर किया जा रहा है। इसे अस्वा मिच जल प्रौद्योगिकी संस्थान इथोपिया की मूल्यांकन रिपोर्ट से संबंधित कार्य भी प्रदान किया गया है।

8.27.3 देश में डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र कालीकट का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। सी०ई० यू. टी० गोरखपुर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

8.27.4 एड० सिल ने मिजोरम में एक विश्वविद्यालय के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा संचार और शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाला उच्चतर शिक्षा में एन०यू० एफ० पी०ए० द्वारा वित्तपोषित जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम तथा आई० आई० असम परियोजना रिपोर्ट के संशोधन का कार्य भी प्रदान किया गया।

8.27.5 एड०सिल एक लाभ कमाने वाली तथा लाभांश प्रदान करने वाली कम्पनी है। यह कम्पनी पिछले पांच वर्षों से 10% लाभांश प्रदान कर रही है।

8.27.6 वित्तीय वर्ष 1991–92 के दौरान वित्तीय वर्ष 1990–91 के दौरान 3.10 करोड़ रु० के स्थान पर 4.91 करोड़ रु० की आय प्राप्त की तथा करों से पहले 162.53 लाख रु० का तथा करों के पश्चात 125.00 लाख रु० की देय राशि पर 131.53 लाख रु० का मुनाफा कमाया तथा 10% लाभांश देने की घोषणा की।

उपस्करों तथा उपभोज्य वस्तुओं के आयात के लिए पास बुक योजना/सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र :

8.28.0 अनुसंधान के कार्यों के लिए वैज्ञानिक उपस्करों के तेजी से आयात तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए वर्ष 1988 से एक पास बुक योजना शुरू की गई है। इसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपस्कर, साज–सामान तथा उपभोज्य वस्तुओं के आयात शुल्क के बिना ही आयात करने की छूट मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत आयात के लिए संस्था के प्रमुख को यह प्रमाणित करने का अधिकार होगा कि इसकी बहुत जरूरत है तथा "इसका निर्माण भारत में नहीं होता" की शर्त भी पूरी होनी चाहिए। अनुमानित सी०आई० एफ० कीमत की अधिकतम सीमा एक वर्ष के लिए उपस्कर के लिए 3.5 करोड़ रु० तथा उपभोज्य वस्तुओं के लिए 1.5 करोड़ रु० इसमें कोई एक उपभोज्य वस्तु शामिल नहीं होगी जिसकी एक वर्ष में कुल सी०आई० एफ० कीमत 10 लाख रु० से अधिक होती है तथा कोई एक उपस्कर तथा साज–सामान जिसकी सी०आई० एफ० कीमत 10 लाख रु० से अधिक होती है जिसके लिए सी० डी०ई० प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। इस योजना में राष्ट्रीय महत्व के निजी रूप से वित्तपोषित अनुसंधान संस्थाएं तथा कालेज भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग में तकनीकी शिक्षा ब्यूरो विश्वविद्यालय, कालेजों तथा संस्थाओं को बुक जारी करने के लिए जिम्मेदार है। नवम्बर 1992 तक रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लगभग 275 पास

चुके तथा 230 सी० डी० ई० प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

ग्राम लोंगोवाल जिला संगरूर, पंजाब में स्थित संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान

8.29.0 संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना स्वर्गीय संत हरचन्द्र सिंह लोंगोवाल की स्मृति में तथा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तरह के पाठ्यक्रमों को शुरू करने के माध्यम से पंजाब राज्य की तकनीकी जनशक्ति जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राम लोंगोवाल जिला संगरूर पंजाब में की जा रही है, इसकी शुरूआत करने के लिए वर्ष 1991–92 के दौरान आवश्यक अवस्थापना का सृजन किया गया तथा इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में पांच प्रमाणपत्र तथा तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करके शैक्षिक सत्र की शुरूआत की गई। चालू शैक्षिक सत्र 1992–93 के दौरान अतिरिक्त अवस्थापना का विकास किया गया तथा जैसा कि संस्थान के विकास के प्रथम चरण में परिकल्पना की गई थी, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में सभी प्रमाणपत्रों तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया। इस समय संस्थान में पूरे देश मे 80 लड़कियों सहित 600 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :

1. इलैक्ट्रानिक यंत्रों की सर्विस तथा रखरखाव
2. चिकित्सा यंत्रों की सर्विस तथा रखरखाव
3. टी० बी० मैकेनिक
4. डाटा एन्ट्री आपरेटर एंड वर्ड प्रोसेसिंग
5. टूल एंड डाई टैक्नालाजी
6. फूड प्रोसेसिंग एंड प्रीजरवेशन
7. वैल्डिंग
8. गढ़ाई तथा ढलाई
9. एयर कंडीशन मैकेनिक
10. इलैक्ट्रीशियन
11. भवन रख रखाव

डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

1. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन
2. इंस्ट्रूमेनटेशन एण्ड प्रोसेस कन्ट्रोल
3. कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग एण्ड एपलीकेशन
4. वैल्डिंग टैक्नालाजी
5. मेंटीनेन्स एण्ड प्लांट इंजीनियरी
6. फाउण्ड्री टैक्नालाजी
7. कम्प्यूटर सर्विस एण्ड मेंटेनेंस
8. फूड प्रोसेसिंग
9. केमिकल टैक्नालाजी
10. इण्डस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं को सहायता :

8.30.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास के लिए इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस समय योजना के अन्तर्गत पैंतीस ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं को शामिल किया गया है। अवर स्नातक शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करने के अलावा ये संस्थान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में काफी संख्या में उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों को भी चलाते हैं। इनमें से कुछ संस्थान प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए उच्च स्तर पर मौलिक तथा प्रायोगिक अनुसंधान कार्य में लगे हैं तथा अपनी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। विभिन्न अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए तथा शिक्षा, भवन, प्रयोगशाला, छात्रावास, स्टाफ क्वाटर जैसी विद्यमान सुविधाओं के समेकन के लिए इन विश्वविद्यालय में सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है।

8.30.2 इन विश्वविद्यालय सहायता प्राप्त संस्थाओं में इन विभिन्न उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों में लगभग 1600 एम० ई०/एम० टैक० छात्र पढ़ रहे हैं।

उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम :

8.31.1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने फरवरी 1978 में आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की कि चुनिन्दा पालिटेक्निकों को वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वे उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू कर सकें जिससे तकनीशियन उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र की भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित क्षमता (योग्यता) प्राप्त कर सकें। इस सिफारिश के अनुसरण में वर्ष 1981–82 में छठी योजना में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम की एक योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, उपकरण इंजीनियरी, गढ़ाई प्रौद्योगिकी, आधुनिक इलैक्ट्रानिक, वातानुकूलन और प्रशीतन, ऊर्जा के परिवर्तनीय साधन और ग्रामीण प्रौद्योगिकीय विकास एवं प्रबंध, जैसे महत्वपूर्ण विषयों में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए दस संस्थाओं को चुना गया।

8.31.2 उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम योजना पर पुनर्विचार करने के लिए 11 से 13 सितम्बर, 91 को एस० बी० एम० पालिटेक्निक बम्बई में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित पर विचार किया गया

(i) उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम योजना के तहत विभिन्न पालिटेक्निकों में प्रदान किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना (ii) नियोजकों/छात्रों तथा कार्यरत तकनीकी विदों/संस्था के कार्यक्रमों की उपयोगिता के आधार पर उद्योग/नियोजकों, संस्थाओं से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना तथा (iii) योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण करना तथा योजना को जारी रखने और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सिफारिशें करना था। इसमें यह सिफारिश की गई थी कि विभिन्न संस्थाओं में उच्च तकनीकीविद पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं, वे जारी रहेंगे तथा योजना के क्षेत्र तथा कार्यकलापों को भविष्य में विस्तार किया जाए और साथ ही साथ इसके मानदंडों में संशोधन करके इसे अद्यतन बनाया जाए। अन्य बातों के साथ-साथ आगे यह भी सिफारिश की गई कि इस योजना के तहत जो उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं, उन्हें संबंधित क्षेत्र की इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में प्रथम डिग्री के समकक्ष मान्यता दी जाए।

8.31.3 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा राज्य क्षेत्रीय परियोजना के अन्तर्गत इस योजना के क्षेत्र तथा कार्य-कलापों के विस्तार तथा संशोधित अद्यतन मानदंडों से योजना के कार्यान्वयन का भी प्रस्ताव किया गया।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम :

8.32.0 अधिकांश सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में विज्ञान शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र की सामग्री के आदान-प्रदान का प्रावधान है तथा इसके साथ-साथ रोजगार के उद्देश्य से भारत तथा दूसरे देशों में प्रदान की जाने वाली डिग्री और डिप्लोमा में साम्यता लाने के लिए दोनों देशों की उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच शैक्षिक संबंध बनाने के लिए शिष्टमंडलों के पारस्परिक दौरे भी शामिल हैं।

8. तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो स्टाफ कालेज योजना :

8.33.1 तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो स्टाफ कालेज योजना, मनीला का मुख्य लक्ष्य कोलम्बो योजना क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जिसे सदस्य देशों में सेवारत प्रशिक्षण एवं स्टाफ विकास कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेने वाले तकनीकी शिक्षकों, शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों तथा तकनीकी शिक्षा पद्धति के स्टाफ की जरूरतों को पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है। कालेज के मुख्य कार्य हैं :--

1. व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करना
2. तकनीकी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन सम्मेलन आयोजित करना
3. विशेष पाठ्यक्रमों को आरंभ करने में सहायता करना
4. अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना तथा उसका समन्वय करना
5. प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास में सहायता करना
6. तकनीकी शिक्षा के बारे में सूचना एकत्रित करना तथा उसका प्रसार करना।

8.33.2 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो स्टाफ कालेज योजना, मनीला ने कालेज आधारित पाठ्यक्रम उपक्षेत्रीय कार्य-शालाएं और स्वदेशी पाठ्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम आरंभ किए हैं। भारत सरकार इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान :

8.34.1 निर्जुली (इटा नगर) अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान 1985 में इटा नगर (अरुणाचल प्रदेश) में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए विज्ञान धाराओं के साथ-साथ इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति पैदा करने के लिए स्थापित किया गया था। जहां शिक्षा विभाग उ० पू० क्षे० वि० प्रौ० संस्थान को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है वहीं इसे उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। उ० पू० क्षे० वि० प्रौ० संस्थान को प्रौद्योगिकी तथा प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्ष की अवधि वाले प्रमाण पत्र डिप्लोमा, डिग्री के लिए माड्यूलर कार्यक्रमों की शृंखला के लिए एक अकेले संस्थान के रूप में माना जाता है। संस्थान ने अगस्त, 1986 में अपना शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसमें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को दाखिला दिया गया। डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के दाखिले क्रमशः 1988 और 1990 में किए गए। इस संस्थान में निम्न पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं :—

प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम :

1. निर्माण प्रौद्योगिकी
2. अनुरक्षण इंजीनियरी (इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स)
3. अनुरक्षण इंजीनियरी (यान्त्रिक)
4. वानिकी
5. भूमि संरक्षण

डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

1. कृषि इंजीनियरी
2. सिविल इंजीनियरी
3. कम्प्यूटर विज्ञान
4. इलैक्ट्रानिक एवं इलैक्ट्रिकल संचार इंजीनियरी
5. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी
6. यांत्रिक इंजीनियरी

डिग्री पाठ्यक्रम

1. कृषि इंजीनियरी
2. सिविल इंजीनियरी
3. कम्प्यूटर विज्ञान
4. इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी
5. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी
6. यांत्रिक इंजीनियरी
7. वानिकी

8.34.2 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान इस समय अपने डिग्री कार्यक्रमों के लिए उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है जबकि यह अपने प्रमाण पत्र तथा डिप्लोमा प्रदान करता है।

9. प्रौढ़ शिक्षा

9. प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

9.1.1 साक्षरता को अब मानव संसाधन विकास के अपरिहार्य घटक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । ज्ञान और सूचना प्राप्ति तथा इसमें हिस्सेदारी करने का यह एक आवश्यक यंत्र है, व्यक्ति के विकास तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए यह एक पूर्वापेक्षा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन० एल० एम०), जिसका लक्ष्य 1995 तक 15–35 आयुवर्ग के 80 मिलियन निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का है, देश में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अब तक किए गए प्रयासों में से सबसे अधिक संगठित प्रयास है। वर्ष के दौरान मिशन ने महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई है। इन सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों से धीरे-धीरे ही सही परन्तु मजबूती से सामाजिक तूफान उत्पन्न हो रहा है जिससे मनुष्य और अधिक ताकतवर हो रहा है तथा जिन कारणों से वंचित रह गए हैं उनके बारे में जागरूक हो रहे हैं तथा संगठन के माध्यम से तथा विकास की प्रक्रिया में भाग लेकर वे दशा में सुधार की तरफ बढ़ रहे है।

9.1.2 महत्वपूर्ण कीर्तिमान (माइल–स्टोन) में शामिल है ––साक्षरता को बढ़ावा देने सम्बन्धी प्रयासों के लिए पांडिचेरी के पुदुवई आरिवोली इयाक्कम को यूनेस्को का श्रेष्ठ किंग सीजोंग पुरस्कार प्रदान किया जाना। सम्भवत: पिछले कुछ वर्षों में इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इस समय ऐसे नव साक्षरों की अनुमानित संख्या 119.96 लाख हो गई जो उच्चतर दक्षता प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे है जिससे उनके दिन–प्रतिदिन के जीवन में मौलिक परिवर्तन आएगा। श्री सत्येन मित्रा की अध्यक्षता में उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस प्रयासों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। एन०एल०एम०ए० के ई० सी० ने इस रिपोर्ट को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है तथा सभी राज्यों की सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को इस पर विचार करने के लिए इसे परिचालित कर दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट सम्पूर्ण साक्षरता की घोषणा और अधिगम परिणामों के मूल्यांकन के प्राचलों (मोडैलिटी) से संबंधित है। इसी वर्ष से आठवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी हुई है जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। आशा है कि इस योजना अवधि के दौरान देश के कम से कम 75 प्रतिशत जिलों को इन अभियानों के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार

9.2.1 लगातार तीन वर्ष से देश को यूनेस्को द्वारा अन्तरराष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। यह पुरस्कार उन संस्थाओं संगठनों को प्रदान किया जाता है जो साक्षरता के लिए संघर्ष के माध्यम से विलक्षण योग्यता प्रदर्शित करते है तथा सार्थक परिणाम प्राप्त करते है। अन्तरराष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार जूरी ने पांडिचेरी के पुदुवई औरिवोली इयाक्कम को अभियान के प्रत्येक स्तर पर समाज के सभी वर्गों के लोगों को स्वेच्छापूर्वक शामिल होने के लिए जागरूकता पैदा करने तथा उपयुक्त माहौल तैयार करने के लिए तथा बुनियादी साक्षरता कौशल को बनाए रखने तथा स्तरोन्नत करने के लिए 530 सतत शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए इसके द्वारा सावधानी पूर्वक साक्षरता और उत्तर–साक्षरता अभियानों की योजनायें तैयार किए जाने के लिए किंग सीजोंग पुरस्कार प्रदान किया।

9.2.2 पुदुवई ओरिवोली इयाक्कम, जो पंजीकृत गैर–सरकारी संगठन (एन जी ओ) है, संघशासित प्रदेश पांदिचेरी में साक्षरता/उत्तर साक्षरता कार्यकलाप करने के लिए विशेष रूप प्रतिबद्ध था। इस गैर–सरकारी संगठन ने अन्तरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1989 को संघशासित प्रदेश पांडिचेरी में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरु किया जिसे ओरिवोली इयाक्कम (ज्ञान के प्रकाश के लिए आन्दोलन) के नाम से पुकारा जाता है। दो वर्ष की अवधि में विहित स्तर के मुताबिक इसने 15–40 आयु वर्ग के 99958 निरक्षरों में 66907 को कार्य साधक साक्षरता उपलब्ध कराने में सफल रहा है। इन्होंने एक उत्तर साक्षरता अभियान भी शुरु किया है जिसके दो उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं (क) अध्ययन में इन्हें आत्म–निर्भर बनाकर इन 66907 नव–साक्षरों को फिर से निरक्षर बन जाने से रोकना, तथा (ख) प्रथम चरण में शामिल न किए गए निरक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को के संयुक्त सम्मान दिवस के अवसर पर से विल्ली (स्पेन) में 9 सितम्बर, 1992 को आयोजित विशेष समारोह में यह पुरस्कार पांडिचेरी के शिक्षा मन्त्री श्री ए० गांधीराज द्वारा प्राप्त किया गया। इस पुरस्कार में 35,000 अमरीकी डालर की राशि मिलती है।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान

9.3.1 जनवरी, 1990 में अर्नाकुलक जिले (केरल) में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (टी एल सी) के सफल कार्यान्वयन के कारण 15––35 आयुवर्ग के लक्षित निरक्षर वर्ग की निरक्षरता को दूर करने के लिए टी० एल० सी० को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन० एल० एम०) को सबसे अधिक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। टी० एल० सी० की कुछ सकारात्मक विशेषताएं हैं, यथा यह क्षेत्र–विशिष्ट, समयबद्ध स्वेच्छा से प्रदान की जाने वाली, लागत प्रभावी तथा परिणाम–उन्मुख है। टी० एल० सी० को जिला कलेक्टर के अधीन विशेष रूप में गठित जिला साक्षरता समितियों (जे० एस०

एस) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जिला साक्षरता समिति, जिसके समाज के सभी वर्गों के लोग सदस्य होते है, अपना सह-भागिता वाला स्वभाव सुनिश्चित करती हैं। जिला साक्षरता समिति की कार्य-विशिष्ट उप समितियों के अलावा जिला से लेकर ग्राम पंचायतों तक सभी स्तरों पर लोकप्रिय समितियां भी गठित की जाती हैं जो समानता की संस्कृति से जीवन्त होती हैं।

9.3.2 माहौल तैयार करने के उपयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से साक्षरता के लिए लोगों की सकारात्मक मांग उत्पन्न करने की सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (टी० एल० सी०) की पूर्वधारणा होती है। घर-घर साक्षरता सर्वेक्षण करके माहौल तैयार करने का प्रारम्भिक कदम शुरु किया जाता है जिसके दौरान संभावित शिक्षार्थियों तथा स्वयंसेवकों की पहचान की जाती है। संवर्धित गति और अधिगम की विषय-वस्तु (आई० पी० सी० एल०) की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकों के अनुसरण में राज्य संसाधन केन्द्रों के माध्यम से उपयुक्त प्रवेशिकायें (3 भाग में) विकसित की जाती हैं। संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों तथा स्वयंसेवी अनुदेशकों को प्रवेशिका-विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

9.3.3. दो कार्यकलाप अर्थात् माहौल तैयार करने और अनुश्रवण तथा आंतरिक मूल्यांकन का काम अध्ययन/अध्यापन कार्यकलाप के माध्यम से जारी रखा जाता है। जो 6 माह की अवधि के दौरान कुल 200 घंटे का होता है। छोड़कर चले गए निरक्षरों का पता लगाने तथा संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को समेकित करने के लिए तथा नवसाक्षरों में स्वाध्याय की क्षमता विक-सित करने के लिए शिक्षण (पी० एल० सी०) के अंत में एक बाहरी प्रभाव/संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है।

9.3.4. 2:1 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जिला साक्षरता समितियों को सीधे वित्तपोषण करके टी० एल० सी०/पी० एल० सी० को कार्यान्वित किया जाता है। वित्तपोषण की व्यवस्था के अलावा, जिला कलेक्टर के साथ जिला साक्षरता समितियों का तादात्म्य स्थापित करके राज्य सरकारों की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित की जाती है। परम्परा से कलेक्टर कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन्हें आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, जे० आर० वाई० इत्यादि जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। कलेक्टरों की परिवर्धित भूमिका ने संपूर्ण साक्षरता अभियान में उनके सक्रिय नेतृत्व को भी सुनिश्चित कर दिया है।

9.3.5. कुल मिलाकर संपूर्ण साक्षरता अभियानों में समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं, गरीब तबकों इत्यादि की उत्साहपूर्ण सहभागिता प्राप्त हुई है।

9.3.6. अब तक अनुमोदित टी० एल० सी०/पी० एल० सी० की संख्या इस प्रकार है :—

परियोजना	परियोजनाओं की संख्या		शामिल किए गए जिलों की संख्या	
	योग	1992-93	योग	1992-93
टी० एल० सी०	122	38	179	48
पी० एल० सी०	27	18	43	18

दवे समिति रिपोर्ट

9.4.1. हेमबर्ग स्थित यूनेस्को शिक्षा संस्थान के पूर्व निदेशक डा० आर० एच० दवे की अध्यक्षता में जनवरी 1992 में संपूर्ण साक्षरता उद्घोषणा के लिए प्राचलों को तैयार करने तथा नौसिखियों के मूल्यांकन से जुड़े विषयों, की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। यह मूल्यांकन संपूर्ण साक्षरता के लिए चुने गए क्षेत्रों में अधिगम परिणामों को अवधारित करने का आधार होगा। जुलाई 1992 में स्वीकृत रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सामाजिक उत्तरदायित्व संगठनों को परिणाम बताने, राजनीतिक सहायता तथा शिक्षा के प्रति सामान्य जागरूकता के कारणों से उद्घोषणा करना आवश्यक है। योजना-निर्माता, प्रशासक तथा वित्तपोषक ऐसे अभियानों के शुद्ध परिणामों में रूचि रखते हैं। दूसरी बात जिन लोगों ने संपूर्ण अभियान में भाग लिया है उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मानव संसाधन विकास के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में वे कितना योगदान दे सकते हैं तथा जगी उम्मीदों को वे किस सीमा तक पूरा कर सकते है। तीसरी बात, संपूर्ण साक्षरता अभियानों की उपलब्धियों के बारे में राजनीतिक नेतृत्व को भी समुचित ढंग से सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे इस कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार में मदद कर सके और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस पर जनता का पर्याप्त ध्यान आकर्षित नहीं किया जा सकता। उद्घोषणा से सभी के लिए बुनियादी शिक्षा के सर्वसुलभीकरण में भी मदद मिल सकती है।

9.4.2. किस बात की उद्घोषणा की जानी चाहिए तथा कैसे की जानी चाहिए इस बारे में इस रिपोर्ट में सुस्पष्ट सिफारिशें हैं। मूल तथ्यों के बदले जो प्राप्त किया गया है उसमें हिस्सेदारी करने के रूप में ज्यादातर उद्घोषणा की जानी चाहिए। केवल वैज्ञानिक मूल्यांकन और सुव्यवस्थित अन्वेषण से ही विश्वसनियता प्राप्त हो सकती है। इसलिए उपलब्धियों को प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें कुल निष्पादन को श्रेणीवार प्रतिबिंबित किया गया हो ताकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मानदंडों को

वस्तुतः प्राप्त कर लेने वाले तथा जिन नौसिखियों को और अधिक सहायता की आवश्यकता है उनके बारे में स्पष्ट आकलन किया जा सके। रिपोर्ट में यह बात नोट की गई है कि भिन्न–2 संपूर्ण साक्षरता अभियानों में अधिगम का माहौल भिन्न–2 हो सकता है। यह नितांत रूप से आवश्यक था कि अधिगम के परिणामों का मूल्यांकन व्यक्तियों की सभी श्रेणियों तथा समूहों के लिए एकरूप हो। इस संदर्भ में "संपूर्ण साक्षरता" शब्द एक निश्चित आयु-वर्ग तथा लक्ष्य के 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत उपलब्धि स्तर से संबंधित होगा। संपूर्ण साक्षरता अभियानों से आकस्मिक रूप से छूट जाने वाले जैसे प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, स्कूल में बच्चों को बनाए रखना, स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रमों में नौसिखियों की भागीदारी इत्यादि को उजागर किया जाना चाहिए। संपूर्ण साक्षरता अभियान से साक्षरता बढ़ी है। अगर ऐसा न होता तो इसमें कई वर्ष लग जाते।

9.4.3. अधिगम परिणामों का मूल्यांकन करने की पद्धति पर रिपोर्ट में विस्तार चर्चा है जो संपूर्ण साक्षरता अभियानों का सामान्य तौर पर तथा विशेष रूप से नौसिखियों के निष्पादन का इस ढंग से मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है जो विश्वसनीय, एकरूप, सरल गैर-भयावह, व्यवस्थित तथा तकनीकी रूप से सही है।

माहौल तैयार करना—भारत ज्ञान-विज्ञान जत्था-II

9.5.1. किसी भी संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता के लिए उपयुक्त माहौल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह निवेश राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की समग्र रणनीति का आवश्यक संघटक है। 1990 के भारत ज्ञान विज्ञान जत्था (बी. जी. वी. जे.) के सकारात्मक अनुभव से मदद मिली। प्रथमतः यद्यपि बी. जी. वी. जे. को प्रमुख जातीय और सांप्रदायिक मीडिया घटनाओं से सामना करना पड़ता है तथापि इसने लोगों के सामने साक्षरता को एक मुद्दे के रूप में रखा। गांवों में उत्पन्न साक्षरता संबंधी कार्यक्रमों की मांग के साथ–2 हजारों राजनितिज्ञों, प्रशासकों, शिक्षित करने वालों तथा मीडिया से जुड़े व्यक्तियों की इसमें भागीदारी से साक्षरता राष्ट्र के राजनीतिक कार्यसूची में शामिल हो गयी है। भारत ज्ञान-विज्ञान जत्था ने कई विरोधी स्वयंसेवी संगठनों, जन विज्ञान आंदोलनों, व्यक्तियों तथा समूहों, मजदूर संघों तथा सेवा संघों, युवाओं और छात्रों तथा महिला आंदोलनों और प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को एकजुट किया है। जत्था के साथ इनकी नेटवर्किंग से पूरे देश में हजारों व्यक्तियों के लिए साक्षरता का यह कार्य व्यक्तिगत तथा सामान्य संगठनात्मक प्राथमिकता बन गई है।

9.5.2. भारत ज्ञान विज्ञान जत्था का प्रभाव पूरे देश में एक समान नहीं था। विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह कमजोर रहा। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में प्रभाव बहुत सीमित रहा। सीमित प्रभाव के पीछे कारण यह रहा कि जब अक्तूबर/नवम्बर 1990 में जत्था चल रहे थे तब वहां उपद्रव और राजनैतिक हलचल हावी रही। भारत ज्ञान विज्ञान जत्था के उन क्षेत्रों में जो प्रारंभिक रूप से पिछड़े हुए थे उनमें कुछ बिन्दुओं को शुरू करना अथवा इन क्षेत्रों में उचित कोटि के उपलब्ध व्यक्तियों से सम्पर्क करना। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम की विषय-सामग्री यद्यपि स्थानीय रूप से तैयार की गई थी तथापि इसमें उन्हीं समस्याओं को अधिक सुसंगत तरीके से हल किया जाना था। अन्ततः इन क्षेत्रों की स्थिति एर्नाकुलम से पर्याप्त भिन्न है और संदेश के फैलने विशेष रूप से बुद्धिजीवियों में फैलने में समय लगता है। इनमें से कुछ कारक गुजरात, महाराष्ट्र, आंशिक असम, हिमाचल पंजाब, तमिलनाडु आदि के विषय में भी सत्य है और माहौल को बरकरार रखने के लिए अधिक प्रयास की जरूरत है।

9.5.3. तथापि इन सीमा निर्धारणों के बावजूद ग्रामीण स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए अभूतपूर्व उत्साह है जिसके किंचित प्रयोग से भी माहौल बनाना संभव है। जहां पर परियोजना को जन अभियान के रूप में प्रारंभ किया गया है वहां बड़ी संख्या में निरक्षर व्यक्ति सीखने के लिए आते हैं। यह विरोधाभास एक ओर साक्षरता की तीव्र मांग और दूसरी ओर साक्षरता के लिए अस्तित्व रहित या अत्याधिक कम वितरण तंत्र सामाजिक मुद्दे के रूप में निरक्षरता के प्रति उदासीनता को द्योतित करता है। ऐसा विशेषतः उत्तरी भारत के राज्यों में देखा जा सकता है इसलिए विशेष रूप से इन राज्यों में अभियान के अनुकूल माहौल बनाने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास आवश्यक है। 2 अक्तूबर, से 14 नवम्बर के बीच भारत ज्ञान-विज्ञान-II निम्नलिखित 250 जिलों में प्रारंभ किया गया, जिनमें से 165 निम्नलिखित जिले दिसम्बर 1992 तक शामिल थे :—

बिहार	—	38
उत्तर प्रदेश	—	44
राजस्थान	—	12
मध्य प्रदेश	—	45
उड़ीसा	—	15
अन्य राज्य	—	11

9.5.4. जत्था के मुख्य कार्यान्वयन उद्देश्य इस प्रकार थे :—

(क) देश के 250 जिलों में कला जत्था आयोजित करना जिनमें से 185 जिले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के होंगे।

(ख) सभी 250 जिलों में जत्था के लिए व्यापक आधार वाली जिला समितियां गठित करना।

(ग) प्रत्येक जिले में लगभग 100 जत्था स्वागत समितियां गठित की जानी हैं और जत्था इन 100 केन्द्रों से सम्पर्क करेगा । इनमें से प्रत्येक केन्द्र का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि यह कम से कम 10 पार्श्ववर्ती गांवों की आवश्यकता पूरी करे ।

(घ) पूर्ण साक्षरता अभियान की अवधारणा की ओर कम से कम 150 व्यक्तियों को अभिमुख करना और सभी 250 जिलों में शिक्षण विधि सहित सभी पक्षों में प्रमुख संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए कम से कम 30 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना ।

(ङ) ब्लाक स्तरीय समितियां बनाना और ब्लाक स्तरीय सम्मेलन आयोजित करना तथा गांवों में सम्पर्क व्यक्तियों की पहचान करना और जहां कहीं संभव हो पंचायत स्तर की समितियां गठित करना ।

(च) 250 जिलों में साक्षरता के लिए अनेक रैलियां, पदयात्रायें, दीवारों पर लिखना, इश्तहार तथा प्रचार के अन्य माध्यम आयोजित करना ।

(छ) बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना के जत्थों का उद्घाटन किया ।

उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा (पी० एल० एण्ड सी० ई०) :

9.6.1. विशाल जनसमूहों को शामिल करके चलाये जाने वाले पूर्ण साक्षरता अभियानों से बड़ी संख्या में नवसाक्षर अस्तित्व में आये हैं । ये नव-साक्षर एक ऐसे समूह का निर्माण करते हैं जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान में विभिन्न स्तर की उपलब्धि वाले लोग हैं । उनकी उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना है नहीं तो वे पुनः निरक्षरता की कोटि में आ जाएंगे ।

9.6.2. मई 1988 में प्रारंभ किए जाने के बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने जन शिक्षण निलयमों (जे० एस० एन० एस०) की स्थापना द्वारा उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा को संस्थागत करने के लिए प्रबंध किए थे । तब से 32,000 से ऊपर जन शिक्षण निलयमों को मंजूरी दी जा चुकी है और वे केन्द्र आधारित कार्यक्रमों की आवश्यकता के अनुकूल थे । केन्द्र आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर जन अभियान दृष्टिकोण पर बल दिए जाने से अधिक गतिशील तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई । इस पहलू की जांच करने के लिए गत वर्ष श्री सत्येन मित्रा की अध्यक्षता में उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा पर एक विशेष दल का गठन किया गया । इस दल ने एक ऐसे कार्यक्रम की सिफारिश की थी जिसमें कौशलों के उपचार, सातत्य और अनुप्रयोग की व्यवस्था हो। ये सिफारिशें उत्तर साक्षरता अभियान की रणनीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं । वर्ष के दौरान 27 उत्तर साक्षरता केंद्र (पी० एल० सी०) को स्वीकृति मिल चुकी है जिससे 43 जिलों सहित 119.96 लाख नव साक्षरों को शामिल किया गया है । पी० एल० सी० परियोजना की सूची नीचे दी गई है ।

उत्तर साक्षरता अभियान की सूची

क० सं०	परियोजना क्षेत्र	सहभागिता (लाखों में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
1.	चित्तूर	5.50
2.	नल्लोर	4.00
3.	पश्चिमी गोदावरी	4.00
4.	निजामाबाद	4.00
5.	करीमनगर	6.10
6.	नालगौंडा	1.50
7.	बी० जी० वी० एम० ए० वी० (9 मण्डल)	0.50
8.	विशाखापटनम	3.50
गुजरात		
9.	भाव नगर	1.63
10.	गांधी नगर	0.70
हरियाणा		
11.	पानीपत	1.10
केरल		
12.	केरल स्टेट	17.33
कर्नाटक		
13.	दक्षिण कन्नड़	3.00
14.	बीजापुर	1.63
15.	मन्ड्या	2.50
16.	शिमोगा	3.75
17.	रायचूर	1.80
महाराष्ट्र		
18.	वर्धा	0.32
उड़ीसा		
19.	गंजम	7.00
20.	राउरकेला	1.00
21.	सुन्दरगढ़	3.40

1	2	3
पाण्डिचेरी		
22.	केन्द्र शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी	0.67
तमिलनाडु		
23.	पी० एम० टी० शिवगंगा	2.00
24.	पुडुक्कोट्टई	2.90
25.	कामराजर	1.75
26.	कन्याकुमारी	0.90
पश्चिम बंगाल		
27.	बर्द्धवान	10.00
28.	मिदनापुर	19.50
29.	हुगली	6.30
30.	बीरभूम	4.90
31.	बाँकुरा	6.30
32.	कूच बिहार	2.95

स्वैच्छिक एजेंसियां

9.6.3 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा स्थापित एक उप-दल द्वारा अनुशंसित सिफारिशों को ध्यान में रख हुए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत 1987–88 से कार्यान्वित की जा रही स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की केन्द्रीय स्कीम में संशोधन किया गया है। राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों और राज्य संसाधन केन्द्रों को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं।

9.6.4. यह कार्यक्रम अब विशिष्ट क्षेत्र में स्वयंसेवक आधारित पूर्ण साक्षरता अभियान होगा। अब परंपरागत केन्द्र आधारित कार्यक्रम को स्वतः समय विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बजाय उन स्वैच्छिक एजेंसियों को अभिभावी प्राथमिकता दी जाएगी जिनका आमतौर पर समाज सेवा का और खास तौर पर प्रौढ़ शिक्षा का अच्छा रिकार्ड रहा है तथा जो क्षेत्र विशिष्ट समयबद्ध और स्वयंसेवक आधारित कार्यक्रम प्रारंभ करने की इच्छुक हैं। तदनुसार स्वैच्छिक एजेंसियां अपनी क्षमतानुसार कुछ गांवों/पंचायतों या ब्लाकों अथवा ब्लाक के कुछ भागों में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेंगी। शिक्षक/स्वयं सेवक के लिए किसी प्रकार के भुगतान की व्यवस्था नहीं की गई है और भावना-पूर्णतः संकल्पवाद से प्रभावित है। तथापि परियोजनाओं पर पूरे समय काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा बहुत भुगतान किया जा सकता है।

9.6.5. जिला साक्षरता समितियों द्वारा चलाए जा रहे पूर्ण साक्षरता अभियानों में स्वैच्छिक एजेंसियों की पहचान और सहभागिता पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने 29–30 जनवरी, 7–8 मई, 1992 और 26 मई, 1992 को आयोजित 32वीं, 34वीं और 35वीं बैठकों में विचार विमर्श किया तथा केवल अच्छी स्वैच्छिक एजेंसियों की पहचान और चयन पर कुछ निर्णय लिए। कार्यकारी समिति ने इस बात पर बल दिया है कि प्रस्तावों की जांच जिला राज्य स्तर की जांच समितियों द्वारा की जानी चाहिए जिसमें रा० सा० मि० प्रा० राज्य सरकारों और कुछ स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हों। जहां तक पूर्ण साक्षरता अभियानों में स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करने का सम्बन्ध है, यह निश्चय किया गया कि जिले के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। ये निर्णय जुलाई, 1992 में सभी सम्बन्धितों को संप्रेषित कर दिए गए।

9.6.6. 1992–93 में स्वीकृत 8 परियोजनाओं सहित 50 पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनायें, 46 स्वैच्छिक एजेंसियों को मंजूर की गई हैं ताकि (1) असम (5), बिहार (3), मध्यप्रदेश (3), उड़ीसा (3) पंजाब, (1), राजस्थान (9), तामिलनाडू (11), उत्तर प्रदेश (11), पश्चिमी बंगाल (1) और दिल्ली में (2) 12.57 लाख शिक्षार्थियों को साक्षर बनाया जा सके।

9.6.7. 15 परियोजनायें एक वर्ष के लिए हैं, 28 परियोजनायें दो वर्षों के लिए तथा 5 परियोजनायें तीन वर्षों के लिए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जन शिक्षण निलयमों के गठन के लिए 24 स्वैच्छिक एजेंसियों को आवर्ती अनुदान दिया गया है। एक स्वैच्छिक एजेंसी को 8 प्रख्यात लेखकों अर्थात रवीन्द्र नाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचन्द, अमृता प्रीतम आदि के संक्षिप्त पाठान्तर को प्रकाशित करने की परियोजना को मंजूरी दी गई है। एक स्वैच्छिक एजेंसी हिन्दी भाषी राज्यों के जन शिक्षण निलयमों में वितरण के लिए महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित विषयों पर पिछले दो वर्षों से लगातार 'सबला' नामक प्रकाशन निकाल रही है। दिल्ली के स्कूली छात्रों को साहित्यिक कार्य में शामिल करने के लिए एक स्वैच्छिक एजेंसी के लिए स्वीकृत नामक प्रकोष्ठ कार्यरत रहा। विभाग राजीव गांधी न्यास, नई दिल्ली से भी सम्बद्ध है और यह स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्यशालाओं में भाग लेकर और राज्यों/स्वैच्छिक एजेंसियों/जिला साक्षरता समितियों को नव साक्षरों हेतु चार प्रकाशन प्रचालित कर जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम को तकनीकी शिक्षण विधि सहायता प्रदान कर 7 जिला संसाधन इकाई भी चालू वित्त वर्ष में जारी रहे।

शैक्षिक और तकनीकी संस्थान, सहायता

9.7.1. देश भर प्रौढ़ शिक्षा को शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इक्कीस राज्य संसाधन केंद्र कार्य करते रहे। उनमें से चौदह स्वैच्छिक क्षेत्र में तीन

विश्वविद्यालययों में और चार राज्यों के प्रौढ़ शिक्षा विभागों में कार्य कर रहे हैं ।

9.7.2. आई० पी० सी० एल० की तकनीक के आधार पर टी० एल० सी० और पी० एल० सी० के लिए मूल पठन/पाठन सामग्री तैयार करके राज्य संसाधन केन्द्रों ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में अमूल्य योगदान दिया है । इन केन्द्रों ने प्रौढ़ शिक्षा के बहुसंख्यक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया और मूल्यांकन तथा नवाचारी परियोजनायें प्रारंभ करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए ।

9.7.3. अधिकांश राज्य संसाधन केंद्र योजना स्तर से अंतिम चरण तक प्रशिक्षण और विकास और उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए पूर्ण साक्षरता अभियानों से सक्रिय रूप से संयुक्त रहे हैं । इसी प्रकार राज्य संसाधन केंद्र, पूर्ण साक्षरता अभियानों द्वारा अब तक शामिल न किए गए क्षेत्रों में स्वैच्छिक एजेंसियों नेहरू युवक केंद्रों शैक्षिक संस्थाओं आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रम को ऐसी सहायता देते हैं ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का बाह्य मूल्यांकन

9.8.0. बाह्य मूल्यांकन कार्यक्रम के कार्यान्वियन का महत्वपूर्ण घटक है । 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किए जाने के बाद 26 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विभागों 31 अध्ययन सौंपे गए । 23 रिपोर्टों के निष्कर्ष और सिफारिशें प्राप्त होने पर कार्यान्वियन में सुधार लाने के लिए अनुवर्ती कारंवाई की गई है ।

ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता परियोजनाएं

9.9.0. ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता परियोजना एक काफी पुरानी स्कीम है जो 2 अक्तूबर, 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के साथ ही शुरू हुई थी । यह एक केंद्र आधारित कार्यक्रम रहा है । मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों और सिफारिशों तथा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर स्कीम का पुनर्गठन किया गया तथा अनेक संरचनात्मक परिवर्तन लाए गए । पूर्ण साक्षरता अभियानों की सफलता को देखते हुए सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से आर० एफ० एल० पी० को बन्द कर दिया गया है । इन परियोजनाओं को केवल जम्मू और कश्मीर तथा अन्य दुर्गम स्थलों, पहाडी क्षेत्रों तथा अलग-थलग पड़े पाकेटों में जारी रखने का प्रस्ताव है ।

नेहरू युवा केन्द्र

9.10.1 नेहरू युवा संगठन केंद्र ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में क्षेत्रविशिष्ट और समयबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किए । उत्तर प्रदेश की परियोजना का लक्ष्य था 2–3 चक्रों में 3.78 प्रौढ़ शिक्षार्थियों को साक्षर बनाना । 216 पंचायत समितियों में फैले 1065 गांवों को शामिल करने के लिए 4700 केंद्र स्वीकृत किए गए । 8 दिसम्बर, 1991 को पठन-पाठन प्रक्रिया प्रारंभ की गई और एक चक्र में 1.09 लाख शिक्षार्थी नामांकित किए गए । नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 0.62 लाख शिक्षार्थी साक्षरता के तीसरे और अंतिम स्तर तक पहुंचे ।

9.10.2. राजस्थान परियोजना नवम्बर, 1991 में प्रारंभ हुई जिसका लक्ष्य था 294 पंचायत समितियों के 1065 गांवों में फैले 2.40 लाख शिक्षार्थियों को शामिल करना । यह भी क्षेत्र विशिष्ट और समयबद्ध कार्यक्रम था जो छः छः माह के 3–4 चक्रों में पुरा किया जाने वाला था । नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रथम चक्र में 0.9 लाख शिक्षार्थी नामांकित किए गए और उनमें से 0.25 लाख बुनियादी साक्षरता के तीसरे और अंतिम चरण तक पहुंचे ।

श्रमिक विद्यापीठ, (एस० वी० पी०)

9.11.1. वर्ष 1992–93 के दौरान सैंतीस श्रमिक विद्यापीठ देश के विभिन्न औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में कार्य करते रहे । ये विद्यापीठ अनौपचारिक, प्रौढ़ और सतत शिक्षा देने के संस्थागत ढांचे और औद्योगिक श्रमिकों, उनके परिवार के सदस्यों, स्वरोजगार प्राप्त सदस्यों और अग्रदर्शी कार्यकर्त्ताओं आदि के बहुसंयोजक प्रशिक्षक कार्यक्रम को प्रतिबिम्बित करता है । इनमें से 1 श्रमिक विद्यापीठ दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा, 3 श्रमिक विद्यापीठ विश्वविद्यालयों द्वारा, 25 स्वायत्त निकायों द्वारा और शेष 8 राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं ।

9.11.2. प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ के पास एक निदेशक के नियंत्रण में व्यावसायिक स्टाफ का केन्द्रक होता है, निदेशक की सहायता दो या तीन पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ अंशकालिक आधार पर स्थानीय साधन-संपन्न व्यक्तियों की भी सेवाएं लेता है ताकि विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम आयोजित किए जा सकें या विभिन्न कौशिलों की शिक्षा प्रदान की जा सके । किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के पूर्व अथवा किसी भी पाठ्यक्रम को शुरू करने के पूर्व, श्रमिक विद्यापीठों द्वारा कार्यकलापों के संचालन के लिए सामाजिक आर्थिक रूपरेखा और कार्य-योजना अभिकल्पित की जाती है । ऐसी रूपरेखाओं से अनुयायीगण की जनशक्ति की जरूरतों एवं जुटाए जाने योग्य संसाधनों की समुचित समझ प्राप्त करने में मदद मिलती है । श्रमिक विद्यापीठ के कार्यक्रमों से शहरी, अर्द्ध-शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में रह रहे समाज के विभिन्न भागों जैसे निरक्षर, अर्द्ध-साक्षर, कुशल, अर्द्ध-कुशल एवं अकुशल व्यक्तियों को मदद मिली है, इस लाभान्वित श्रेणी में अन्य के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग एवं शारिरीक रूप से विकलांग, आपदावस्था में महिलाओं जैसे कमजोर वर्ग शामिल हैं ।

9.11.3. महिलाओं और लड़कियों के लिए यूनीसेफ मदद से साक्षरता से जेड़े हुए व्यावसायिक कार्यक्रमों कोर कार्यान्वित करने के लिए 8 श्रमिक विद्यापीठ चुने गए हैं। अब सभी श्रमिकों विद्यापीठ द्वारा बड़े पैमाने पर प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम किए जा चुके हैं। 24 श्रमिक विद्यापीठों के राष्ट्रीय खुला विद्यालय के लिए प्रत्यायन प्राप्त कर लिया गया है, इस प्रकार इनके द्वारा जारी किए गये प्रमाण पत्र रोजगार-बाजार में स्वीकार्य हो चुके हैं।

9.11.4. श्रमिक विद्यापीठ दिल्ली द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (मलिन बस्ती स्कंध) के सहयोग से प्रारंभ की गयी "मलिन बस्ती शिक्षा एवं प्रशिक्षण परियोजना" (म० शि० प्र०) को जारी रखा गया है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा यूनीसेफ की मदद से श्रमिक विद्यापीठ का "तत्पर मूल्यांकन" किया जाना है।

प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण

9.12.1. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचे का सृजन करने के लिए राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन को 100 प्र० श० केन्द्रीय अनुदान (स्टाफ-दायित्व पर) प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय अनुदान में संस्वीकृत स्टाफ की परिलब्धियों पर होने वाला संपूर्ण व्यय शामिल है, जबकि पी० ओ० एल०, चिकित्सा/यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति जैसे मदों पर होने वाला व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों को चार श्रेणियों अर्थात क, ख, ग एवं घ में विभाजित किया गया है और राज्य स्तरीय प्रशासनिक ढांचे के आकार को तदनुसार नियत किया गया है। जिला स्तरीय ढांचा, जिले में आरंभ किए गए प्रौढ़ शिक्षा कार्यकलापों के आकार एवं जटिलता के अनुरूप तय किया जाता है। जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम के आकार के अनुसार जिलों को 'क' एवं 'ख' श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

9.12.2. यह निर्णय लिया गया है कि यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में जारी रहेगी। तथापि पूर्ण साक्षरता अभियानों के सम्बन्ध में राज्य निदेशालयों में स्टाफ कम करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है और जिले द्वारा पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर लेने के दो वर्ष पश्चात् जिले स्तर पर उपलब्ध स्टाफ के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

9.13.0. शिक्षा विभाग के अधोनस्थ कार्यालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (प्रौ० शि० नि०) ने प्रौढ़ शिक्षा एवं पूर्ण साक्षरता अभियान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना जारी रखा। निदेशालय के पास चुने गए व्यावसायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए 6 एकक हैं। वर्ष के दौरान निदेशालय की कार्य-योजना में शामिल किए गए मुख्य कार्यकलाप निम्न प्रकार से थे।

(i) सामग्री की तैयारी एवं निगरानी

9.13.2. निदेशालय ने आई० पी० सी० एल० (इम्प्रूव्ड पेस एण्ड कंटेन्ट आफ लर्निग) समीक्षा समिति की 8 बैठकें आयोजित कीं ताकि राज्य संसाधन केन्द्रों और पूर्ण साक्षरता अभियान के जिलों द्वारा विकसित की गयी सामग्री की समीक्षा की जा सके। नव-साक्षरों के लिए उत्तर-साक्षरता पुस्तक-1 तैयार करने के उद्देश्य से राज्य संसाधन केन्द्रों और पू० सा० अ० जिलों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षक का आयोजन किया गया। मुद्रण तकनीकों (गुणवत्तात्मक मुद्रण, लागत-प्रभाविता आदि) पर भी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पूर्ण साक्षरता अभियानों एवं प्रौढ़ शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों में जनसंख्या के उद्देश्य से तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई। विशेषकर दिल्ली, चंडीगढ़ और उड़ीसा में प्रौढ़ शिक्षुओं के लिए सामग्री विकसित करने के प्रणाली-विज्ञान के संबंध में विभिन्न लेखकों/चित्रकारों को संसाधन-सहयोग प्रदान किया गया है। रा० सं० केन्द्रों के कार्य-कलापों को संकलित किया गया और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई।

(ii) प्रशिक्षण

9.13.3. पूर्ण हस्ताक्षर अभियान पर बल देते हुए, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के सहयोग से तमिलनाडु, आंध्र-प्रदेश और कर्नाटक के प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों के लिए पू० सा० अ० की आयोजना एवं प्रबंध में तिरूपति में (नवम्बर, 1992), एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण, प्रशिक्षण कार्यनीति, सामग्री को प्राप्त करना, मूल्यांकन व अनुवीक्षण आदि पर उपयुक्त ज्ञानाधार एवं कौशल प्रदान करना है। विभिन्न स्थानों पर चर्चाएं भी आयोजित की गयीं ताकि पू० सा० अ० जिलों में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अच्छाइयों व कमजोरियों, सहभागिदारी शोध, विषय-वस्तु क्षेत्रों एवं डिजाईन आदि पर चुनिंदा कार्यकर्ताओं से हुई चर्चा का मूल्यांकन किया जा सके। प्रिया द्वारा जून, 1992 के दौरान पुणे में, नीपा द्वारा जुलाई, 1992 के दौरान नई दिल्ली में और बी० जी० वी० एस० द्वारा जुलाई, 1992 के दौरान बिलासपुर (मध्य प्रदेश) में आयोजित किए गए अन्य कार्यक्रमों का समन्वय निदेशालय द्वारा किया गया।

(iii) प्रबंध सूचना प्रणाली

9.13.4. पू० सा० अभियान वाले जिलों के अनुवीक्षण के सम्बन्ध में रा० सं० कें० के सहयोग सापटवेयर पैकेज विकसित किया गया। चूंकि क्षेत्र की प्रतिक्रिया बहुत संतोषजनक नहीं थी, इसलिए विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् एक साधारण प्रपत्र तैयार

किया गया ताकि विभिन्न पू० सा० अ० वाले जिलों से प्रति माह सूचना एकत्र की जा सके । निदेशालय पू० सा० अ० वाले जिलों से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि रिपोर्ट समय से प्राप्त की जा सके । पू० सा० अ० वाले जिलों में निष्पादन का अध्ययन करने के लिए प्रौ० शि० नि० के अधिकारियों द्वारा विशेष दौरे भी किए गए ।

9.13.5. जिला स्तरीय प्रबंध सूचना प्रणाली (जि० प्र० सू० प्र०) विकसित करने के उद्देश्य से यह दायित्व एक निजी एजेंसी, मास्टेक को सौंपा गया । तमिलनाडु के नागापट्टनम तथा कोयम्बटूर में जि० प्र० सू० प्र० विकसित करने के उद्देश्य से दो कार्यशालाएं आयोजित की गयी । इसको अब अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और कोयंबटूर जिले में इसका परीक्षण किया जाएगा, जिसके पश्चात् इसका परीक्षण जनवरी, 1993 से नए पू० सा० अ० के जिलों में समान रूप से किया जाएगा ।

(iv) मीडिया एवं संचार सहयोग

9.13.6. चुनिंदा एजेंसियों के सहयोग से प्रौ० शि० नि० द्वारा शुरू किए प्रमुख कार्यों में से साफ्टवेयर का उत्पादन का मुख्य कार्य भी शामिल है । अधिकांशतः पू० सा० अ० वाले जिलों के वीडियो प्रलेखन के रूप में 17 वीडियो फिल्में तैयार की गयीं । "यू कैन इन निजामाबाद" और "जरिया बानी तालीम" जैसी पू० सा० अ० पर कुछ फिल्मों के यू-मैटिक मास्टर कैसेट दूरदर्शन को प्रसारण के लिए सप्लाई किए गए । इलाहाबाद, लखनऊ, बंगलौर, हुबली, जबलपुर, गुवाहाटी इत्यादि जैसे चुनिंदा रेलवे स्टेशनों में क्लोज्ड सर्किट टी० वी० का उपयोग मीडिया अभियानों के लिए किया जा रहा है । दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों के लिए प्राइम टाइम स्पाट्स तैयार किए गए । आई० एल० डी० समारोहों (सितम्बर, 1992) के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संदेशों से युक्त वि० दृ० प्र० नि० के पट्टों, दीवार चित्रों आदि के माध्यम से बाहरी प्रचार का आयोजन किया गया । राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का विज्ञापन, डाक विभाग की डाक लेखन सामग्री के अतिरिक्त, कम्प्यूटरीकृत रेल टिकटों और उत्तरी रेलवे की समय-सारणी पर भी जारी किया गया ।

(v) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं

9.13.7. राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार प्रतियोगिताओं के अन्तर्गत इश्तहार, पुस्तकें आदि तैयार करने के लिए खुली प्रतियोगिताएं प्रोत्साहित की जा रही हैं । एक राष्ट्रीय छायाचित्र प्रतियोगिता की भी योजना बनाई जा रही है । अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय निबंध, प्रतियोगिता और राष्ट्रीय इश्तहार प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए ।

(vi) प्रकाशन

9.13.8. निदेशालय "साक्षरता मिशन" नामक द्विभाषीय मासिक पत्रिका सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री के उत्पादन एवं प्रसार का कार्य करता है । डी० टी० पी० की कंपोजिंग, कला-कार्य, मानचित्रों, चार्टों आदि की तैयारी, जिल्दसाजी व लैमिनेशन से सम्बन्धित कार्य के लिए निदेशालय द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं ।

9.13.9. अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य पर दस विशिष्ट पुस्तकों का विमोचन किया गया । पुरस्कृत किए गए पांच इश्तहारों की 40-40 हजार प्रतियां मुद्रित की गयीं और उनको राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वितरित किया गया। राज्यवार साक्षरता की स्थिति दर्शाने वाले दो साक्षरता मानचित्र तैयार करके वितरित किए गए ।

जनसंख्या शिक्षा

9.14.1. यू० एन० एफ० पी० ए० द्वारा वित्तपोषित प्रौढ़ शिक्षा की जनसंख्या शिक्षा परियोजना, प्रौढ़ शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में 1987 के दौरान लागू हुई, उसको तकनीकी समर्थन प्रौ० शि० नि० द्वारा 15 रा० सं० केन्द्रों के सहयोग से प्रदान किया जा रहा है । समन्वय कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है । जनसंख्या शिक्षा की संकल्पना व प्रयोजन को स्पष्ट करना, पाठ्यचर्या की तैयारी, अध्ययन-अध्यापन सामग्री का विकास, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा के चल रहे कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा के अवयव को संस्थागत बनाना इसके मुख्य उद्देश्य थे । अभी तक 15 राज्य/संघशासित क्षेत्र शामिल किए गए ।

9.14.2 शिमला में अप्रैल, 1992 के दौरान त्रिपक्षीय बैठक और परियोजना प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की गयीं जिनमें जनसंख्या शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले रा० सं० केन्द्र के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया । राज्य जनसंख्या शिक्षा परियोजनाएं तथा रा० सं० केन्द्रों में जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ अनिवार्यतः सृजित करने के प्रयास किए गए थे । अध्ययन-अध्यापन सामग्री में निहित जनसंख्या शिक्षा के संदेश इस प्रकार थे—लघु परिवार का मापदण्ड, उत्तरदायी पितृत्व, विवाह की सही आयु, जनसंख्या वृद्धि एवं वातावरण, जनसंख्या शिक्षा एवं विकास, आस्थाएं एवं परम्पराएं आदि । स्लाइडों, शिक्षण चार्टों, फ्लैश कार्डों, दृश्य-श्रव्य कैसेटों जैसे साफ्टवेयर इस प्रयोजनार्थ अभिकल्पित एवं विकसित किए जाते हैं । जनसंख्या शिक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए जुलाई 1992 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों तथा रा० सं० केन्द्रों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था । भावनगर

(गुजरात) और गंजम (उड़ीसा) के पू० सा० अ० वाले जिलों में प्रायोगिक परियोजनाएं और अन्वेषणात्मक अध्ययन चल रहे हैं। परियोजना दस्तावेज चरण–II का निर्माण प्रगति पर है। शोध प्रणाली विज्ञान पर कार्यशाला नवम्बर, 1992 में त्रिवेन्द्रम में भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ (भा० प्रौ० शि० सं०) और केरल विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित की गई।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान

9.15.1. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (रा० प्रौ० शि० सं०) की स्थापना जनवरी, 1991 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गयी थी ताकि वह प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर के संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य कर सके और देश के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए शैक्षिक, तकनीकी व संसाधन सहयोग प्रदान कर सके। प्रारम्भ में, संस्थान ने कुछ अल्पकालिक परियोजनाएं शुरू की थीं। मई, 1992 में, 1992–93 के लिए एक दृष्टिकोण पत्र और वार्षिक योजना का अनुमोदन किया गया। वार्षिक योजना में चुने गए कार्यक्रम के क्षेत्र इस प्रकार थे :

1. साक्षरता में स्त्री-पुरुष समानता
2. प्रौढ़ शिक्षा में संचार
3. प्रौढ़ शिक्षा में मूल्यांकन के मुद्दे
4. प्रौढ़ शिक्षा में सामाजिक विज्ञान
5. प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या के मुद्दे
6. उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा

कार्यक्रम के इन क्षेत्रों पर कारवाई 1991–92 में आरंभ की गयी थी। 1992–93 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।

साक्षरता में स्त्री-पुरुष समानता

9.16.1. "साक्षरता में स्त्री-पुरुष समानता" नामक विषय पर जनवरी, 1992 में आयोजित की गई सेमिनार के फलस्वरूप निम्नलिखित शोध-कार्यकलाप आरम्भ किए गए :

(i) "महिलाओं और साक्षरता" पर टीकायुक्त ग्रंथ-सूची।

(ii) बुनियादी साक्षरता प्रवेशिकाओं पर पाठ सम्बन्धी विश्लेषण।

9.16.2. 1–2 दिसम्बर, 1992 को पाठ सम्बन्धी विश्लेषण के प्राणी विज्ञान पर दो दिवसीय परामर्श का आयोजन किया गया ताकि बुनियादी साक्षरता प्रवेशिकाओं के प्राणी विज्ञान तथा उपकरणों को अन्तिम रूप प्रदान किया जा सके।

उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा—नव साक्षरों के लिए साप्ताहिक व्यापक शीट

9.17.0. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान तथा अन्य साक्षरता कार्यक्रमों के द्वारा साक्षर बनाये गये लोगों में निरक्षरता को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान ने नव साक्षरों के लिए साप्ताहिक व्यापक शीट के रूप में उपयुक्त सामग्री को अभिकल्पित करने के लिए तथा इसके नियमित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना प्रारम्भ की है। (प्रोटोटाइप) बंगला, हिन्दी और तमिल में विकसित किये गये हैं। सामग्री के उत्पादन में सुधार लाने के लिए कई अध्ययन किए गए। नव-साक्षरों के लिए उपयुक्त पाठ्य-सामग्री के नियमित उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति को तैयार किया जा रहा है। पांच जिलों के समाचार पत्रों का अध्ययन सम्पन्न हो गया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में साप्ताहिक व्यापक शीट के आदि-प्रारूप (प्रोटोटाइप) के डिजाइन और परीक्षण के इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करने के लिए, 16 से 18 सितम्बर, 1992 तक साप्ताहिक व्यापक शीट पर त्रि-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उनका पालन करने के लिए अनेक सिफारिशें की गई।

प्रौढ़ शिक्षा में कार्यक्रम मूल्यांकन मुद्दे

9.18.0. इस संस्थान ने एक वैज्ञानिक प्रणाली को विकसित करने के विचार भारत में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए एक परियोजना शुरू की है। कार्यक्रम मूल्यांकन की उपलब्ध रिपोर्टों की तुलनात्मक समीक्षा भी प्रारम्भ की जा चुकी है।

प्रौढ़ शिक्षा में सामाजिक विज्ञान

9.19.0. यह एक कार्यक्रम क्षेत्र है जिसमें प्रौढ़ शिक्षा को वास्तविक धरातल में कठोर अकादमी सम्बन्धित अनुसन्धान पर आधारित तथा सामाजिक विज्ञान पर आधारित ज्ञान के सान्निध्य में एक अनुशासन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। आरम्भ करने के लिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नीतिगत अध्ययन हाथ में ले लिया गया है।

लोक प्रिय संस्कृति तथा प्रौढ़ शिक्षा

9.20.0. हाल ही के साक्षरता अभियानों की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोकप्रिय सांस्कृतिक नाट्य गृह तथा अन्य लोक साधनों हेतु लाभप्रद रही है। भारत ज्ञान विज्ञान समिति (बी० जी० वी० एस०) सांस्कृतिक जत्थों का उपयोग कर रही है तथा देश में साक्षरता के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए कार्य कर रही है। इस संस्थान ने अपना जो त्वरित कार्य प्रारम्भ किया है, वह लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्थानीय परम्परागत माध्यम के उपयोग को विशिष्ट शब्दों में बी० जी० वी० एस० के प्रभाव को प्रलेखित करने व अध्ययन करने का है।

साक्षरता के सांख्यिकीय आंकड़े

9.21.1. अपने संसाधन पर आधारित विकास के भाग के रूप में, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान ने साक्षरता पर सांख्यिकीय आंकड़े तैयार किये हैं। 1 से 2 सितम्बर, 1992 को यूनेस्को तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता से साक्षरता के लिए डेटा बेस पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार ने साक्षरता पर आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा उन्हें पूरा करने में विभिन्न अभिकरणों के कार्यों की समीक्षा की तथा नीति की आयोजना और अनुसन्धान की तुलना में अन्तराल और दुर्बलताओं का पता लगाया। अनेक सिफारिशें भी की गई हैं। एक पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र की स्थापना की गई है, और इस विषय पर 1,600 खण्ड प्राप्त किये गये हैं। इसने 1872 से 1951 तक की भारत की जनगणना की सूक्ष्म-फिल्म प्रति भी प्राप्त की है। प्रौढ़ शिक्षा में अनुसन्धान हेतु जनगणना सांख्यिकीय पर सम्पूर्ण डेटा बेस को तैयार करने में मदद के लिए सम्बन्धित एकत्रीकरण के कार्य में निर्यमित रूप से वृद्धि हो रही है तथा जनगणना आयोग से प्राप्त रिपोर्टों में इसे अद्यतन बनाया जा रहा है। 1851 से लेकर 1988 तक की अवधि में भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में किये गये शोध प्रबन्धों के सन्दर्भ-ग्रन्थों की सूची का ड्राफ्ट संकलित कर लिया गया है। भारत में तथा विदेशों में अनुसंधान संस्थानों तथा पुस्तकालयों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(1) नव-साक्षरों हेतु मुद्रित सामग्री उत्पादन के लिए विशिष्ट समाचार सेवा साप्ताहिक व्यापक शीट परियोजना का पालन।

(2) विकास तथा सतत् शिक्षा : उत्तर साक्षरता चरण।

(3) विभिन्न विन्यासों में संपूर्ण साक्षरता अभियान–आयोजना तथा सम्बन्धित प्रबन्ध का तुलनात्मक अध्ययन।

(4) सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिक मामलों के परिप्रेक्ष्य में जनजातीय जनसंख्या के मध्य साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता कार्य।

(5) प्रौढ़ शिक्षा स्थापना के क्षेत्र में अनुसन्धान परियोजनाएं।

9.21.2 सितम्बर, 1992 से अनुसन्धान पर आधारित सूचना, तकनीकी रिपोर्टों आदि को प्राप्त करने के लिए सर्वव्यापी मानचित्र पर रा० प्रौ० शि० संस्थान को रखते हुए रा० प्रौ० शि० संस्थान शैक्षिक अनुसंधान नेटवर्क के लिए एक 'सब–नोड' बन गया है।

9.21.3. एक संगणक केन्द्र तैयार किया गया है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान समाचार पत्र सेवा भी आरम्भ कर दी गई है तथा दिसम्बर, 1992 तक दो अंक भी प्रकाशित हो चुके हैं।

9.21.4. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान नेटवर्क साक्षरता सहयोग तथा साक्षरता और सतत शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य बिन्दु के रूप में कार्य करता है। इस सम्बन्ध में, यह संस्थान तैयार की गई परियोजनाओं के लिए चीन और भारत के मध्य शैक्षिक परियोजनाओं के निर्माण कार्य के अन्तर्गत एक मुख्य बिन्दु के रूप में उभरा है तथा यह "सार्क" के सदस्य देशों को प्रतिपक्ष अभिकरणों के साथ नेटवर्क को केन्द्रीय राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र संस्थान के साथ जोड़ता है और साक्षरता एवम् सतत शिक्षा के समर्थन में सहमत कार्यवाही के रूप में यूनेस्को तथा यू० एन० व्यवस्था के अभिकरणों के साथ सहयोग करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

9.22.0. अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितम्बर, 1992 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया। राष्ट्रपति ने इस उत्सव की शोभा बढ़ाई तथा उपमन्त्री (शिक्षा एवं संस्कृति) भी इस उत्सव में उपस्थित थी। इस उत्सव में भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए जिनमें से अधिकांशतः विद्यार्थी, नव साक्षर, स्वयंसेवी अभिकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी, शिक्षाशास्त्री इत्यादि थे।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

9.23.0. आठवीं योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता की अनुरूपता प्रदान की गई है। इस योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 1400 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के अनुमानित 104.00 मिलियन निरक्षरों को साक्षर बनाने का प्रस्ताव है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान प्रभावी नीति पर आधारित होगा तथा प्रौढ़ शिक्षा को सर्वाधिक योजनाएं रखी जायेंगी। इस प्रकार के अभियानों के माध्यम से अनुमानित 80.00 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रस्ताव है। और शेष 24.00 मिलियन व्यक्तियों को आर० एफ० एल० पी० स्वयंसेवी अभिकरणों, एन० वाई० के० इत्यादि की योजनाओं के माध्यम से साक्षर बनाने का प्रस्ताव है। यह अपेक्षा की जाती है कि इस योजना की अवधि समाप्त होने तक सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के द्वारा 345 जिलों को अथवा देश के लगभग 75 प्रतिशत जिलों को साक्षर बना दिया जाएगा और यह आशा की जाती है कि परवर्ती 2–3 वर्षों में सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के दूसरे कार्यक्रमों के संयुक्त प्रयासों तथा अनिवार्य शिक्षा के सार्वभौमिकरण से निर्धारित निर्णायक 70 प्रतिशत के स्तर तक समग्र साक्षरता दर पहुंच जानी चाहिए।

प्रदूषण उप शमन :

9.24.1. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अपने अन्य लक्ष्यों के मध्य पर्यावरण संरक्षण अभियान भी शामिल है। परिवेश की स्वच्छता पेय जल स्वच्छता, वृक्षारोपण इत्यादि जैसे विषय प्रवेशिका में तैयार किये गये हैं । पर्यावरण से सम्बन्धित विषयों को जागरूकता कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाती है । प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी, स्वयं सेवकों की इन विषयों पर जागरूकता को केन्द्रित तथा तीव्र किया जाता है । उत्तर-साक्षरता तथा सतत शिक्षा में नव-साक्षरों के लिए उपयुक्त सामग्री में, प्रदूषण तथा इसके दुष्प्रभावों के विषय में सन्देश पर प्रकाश डाला जाता है ।

9.24.2. कर्नाटक के तुमकुर जिले में, "जीर्णोद्धार अभियान" के नाम को बदल कर सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के प्रतीक वृक्ष के साथ "अक्षर कल्पवृक्ष" उचित ही कर दिया गया है । तैयार की गई कार्यकारी योजना में स्वयंसेवकों तथा प्रशिक्षुओं के सामूहिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष लगायेगा । गांवों में वृक्षों के संरक्षण के लिए समितियों का गठन किया गया है और इसके फलस्वरूप प्रदूषण उपशमन तथा पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा ।

10. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

17—864 HRD/92

10. संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह

10.1.1. संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं० संस्थान 1992–93	सं०	सरकारी	सहायता प्राप्त	निजी
1. पूर्व प्राइमरी	23	4	—	19
2. प्राइमरी	190	183	—	07
3. मिडिल	44	43	01	—
4. सेकेण्डरी	26	24	—	2
5. सीनियर सैकेण्डरी	41	40	01	—
6. पालिटेकनिक	02	02		
7. कालेज	03	03 (जिनमें से एक बी० एड० कालेज है)		

10.1.2. इन प्रदेशों के प्रत्येक क्षेत्रों में न केवल नए स्कूलों को खोलकर बल्कि विद्यमान स्कूलों को स्तरोन्नत करके स्कूल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।

प्रोत्साहन योजनाएं

(1) कक्षा 8 तक सभी बच्चों को मध्यांह्न भोजन।

(2) उन 31787 बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई जिनके अभिभावकों की आय प्रति वर्ष 6000/– रु० से कम है ।

(3) 4609 बच्चों को निशुल्क वर्दियां प्रदान की गई ।

(4) 211 बच्चों को 115/– रु० प्रति माह की दर से छात्रवास वजीफा प्रदान किया गया ।

(5) उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रों को छात्रवृति/मिस व्यय प्रदान किया गया ।

प्रौढ़ शिक्षा

10.1.3. प्रशासन द्वारा प्रौढ़ शिक्षा को अधिक प्राथमिकता दी गई है जिसका मुख्य लक्ष्य प्रेरित करने, पता लगाने तथा शिक्षुओं को एन० पी० एफ० एल० कार्यक्रमों में शामिल करना है । इस कार्यक्रम को द्वीप समूह के स्कूलों तथा कालेजों से लगभग 2000 स्वयंसेवकों ने चलाया ।

10.1.4. इसके अलावा, द्वीप समूह में उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के लिए 50 जन शिक्षण निलयम कार्य कर रहे हैं ।

अनौपचारिक शिक्षा

10.1.5. 6–11 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले तथा स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 34 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

व्यावसायिक शिक्षा

10.1.6. व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत 4 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में मत्स्य पालन, कार्यालय प्रबन्ध तथा सचिवालय कार्य, बागवानी तथा कृषि में पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाते हैं ।

विज्ञान शिक्षा

10.1.7. विज्ञान शिक्षा के अन्तर्गत, विभिन्न स्कूलों में सेमिनार, प्रजदर्शनियां तथा कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से विज्ञान तथा गणित में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

तकनीकी शिक्षा

10.1.8. यहां दो पालिटेकनिक हैं जो छात्रों को वैद्युत, मेकैनिकल, सिविल, इलैक्ट्रानिकों के साथ-साथ एक औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान भी तकनीकी शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर रहा है

उच्चतर शिक्षा

10.1.9. द्वीप समूह में उच्चतर शिक्षा संघ शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित दो कालेजों द्वारा प्रदान की जा रही है ।

10.1.10. डिग्री स्तर पर विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य विषयों में नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा पोर्ट ब्लेयर स्थित कालेज में कुछ विषयों में उत्तर स्नातक डिग्री तथा अनुसंधान की सुविधाएं भी उपलब्ध है ।

चण्डीगढ़

10.2.1. चंडीगढ़ ने बच्चों के दाखिले का शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की ओर अग्रसर है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक बस्ती के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी पर एक स्कूल प्रदान किया जाएगा

10.2.2. यहाँ वर्ष 1991–92 में कुल 95 सरकारी स्कूल थे। वर्ष 1992–93 में निम्नलिखित स्कूल खोले गए/स्तरोन्नत किए गए।

(1) नए/पहले से विद्यमान स्कूलों में 22 नर्सरी स्कूलों को जोड़ा गया।

(2) 2 प्राइमरी स्कूल तथा 3 माडल मिडिल स्कूल खोले गए।

(3) 2 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्तर तक स्तरोन्नत किया गया।

इन सभी स्कूलों को इस कार्य के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

10.2.3. सभी अनिवार्य सुविधाओं सहित 11 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। यह योजना 1987–88 में शुरू की गई थी। विभिन्न उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में गृह विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरी तथा पराचिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों में बाईस व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया।

10.2.4. प्रौढ़ शिक्षा की यह योजना 1978 में शुरू की गई थी। इस समय संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जन शिक्षण निलायमों के अन्तर्गत 37 केन्द्र चल रहे हैं। इस से लाभ प्राप्त करने वाले अधिकतर लोग समाज के कमजोर वर्गों तथा अ० जा०/अनु० जन० जाति से सम्बन्धित हैं।

प्रोत्साहन योजना

10.2.5. स्कूलों की बढ़ती मांग के लिए तथा हाजिरी में सुधार के लिए बच्चों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं :—

	राशि लाख रु० में	लाभ प्राप्तकर्ताओं की अनुमानित सं०
1 2	3	4
1. हाजिरी छात्रवृत्ति . .	3.65	2.700
2. अ० जा०/अ० जन० जा० के छात्रों की छात्रवृत्ति . .	6.25	5.200
3. अ० जा० के लिए प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति . .	0.09	9
4. अ० जा० के छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन . .	3.55	4.000
5. अ० जा० की निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें . .	7.11	16.300
6. अ० जा०/अ० ज० जा० को निशुल्क लेखन सामग्री तथा वर्दियां . .	24.40	16.300

10.2.6. उपरोक्त प्रोत्साहन के अलावा, स्कूलों में बच्चों को प्रतिदिन प्रति बच्चे को 2 रु० की दर से मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है।

दादर तथा नगर हवेली

10.3.1. इस समय संघ शासित प्रदेश में कार्यरत शैक्षिक संस्थाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	(क) सरकारी	(ख) सहायता प्राप्त	(ग) प्राइवेट
1. पूर्व प्राइमरी	—	—	—
2. प्राइमरी	113	11	1
3. मिडिल	38	2	2
4. माध्यमिक	4	—	3
5. उच्चतर माध्यमिक	5	—	—

*(नवोदय विद्यालयों सहित)।

व्यावसायिक शिक्षा

10.3.2. सभी माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सामान्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ सिलाई, तकनीकी, कृषि तथा ड्राइंग जैसे व्यावसायिक विषय शुरू किए गए हैं।

प्रोत्साहन योजनाएं

10.3.3. कक्षा 7 तक के सभी छात्रों को निशुल्क मध्याह्न भोजन प्रदान करने के साथ-साथ सभी अ० जा०/अ० ज० जा० के छात्रों को निशुल्क कापियां, पाठ्यपुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती है। अ० जा०/अ० ज० जाति के छात्रों को प्रत्येक वर्ष दो जोड़ा कपड़े एक जोड़ा जूते तथा जुराबें प्रदान की जाती हैं। परीक्षाओं में अच्छे निष्पादन के लिए अ० जा०/अ० ज० जाति के छात्रों को नकद पुरस्कार भी दिया जाता है।

प्रौढ़ शिक्षा

10.3.4. दादरा और नगर हवेली संघ शासित प्रदेश में 3000 प्रौढ़ लाभ प्राप्तकर्ताओं वाले 100 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के केन्द्र तथा 1500 प्रौढ़ों वाले पचास प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र चल रहे हैं।

विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा

10.3.5. विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए प्रत्येक वर्ष सेमिनार तथा विज्ञान प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। संघ शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आई० टी० आई० कार्य कर रहा है।

दमन तथा दीव

10.4.1. दमन और दीव में प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कुल 85 स्कूल कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1992 में एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल शुरू किया गया। सभी स्कूल पक्के भवनों में चल रहे हैं तथा कोई भी एक शिक्षक वाला नहीं है।

प्रोत्साहन योजनाएं

10.4.2. 6–11 आयु वर्ग में बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की एक योजनागत योजना, 1992–93 में शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/अ० जन० जाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दियां, लेखन सामग्री जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्तियां/वजीफे प्रदान किए जाते हैं। लड़कियों के अभिभावकों को नकद राशि प्रदान करना तथा उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं को भी प्रोत्साहन योजनाओं में शामिल किया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा

10.4.3. स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं।

जन शिक्षण निलायमों के अन्तर्गत ग्रामीणों को शैक्षिक पुस्तक, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्रों को मुहैया करने के लिए केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

10.4.4. संघ शासित क्षेत्र में एक राजकीय कालेज चल रहा है। जिसमें कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के संकाय कार्य कर रहे हैं।

दिल्ली

10.5.1. शैक्षिक वर्ष 1992–93 के दौरान, शिक्षा निदेशालय ने चार मिडिल स्कूल खोले, बारह मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्तर तक तथा दस माध्यमिक स्कूलों को सीनियर माध्यमिक स्कूल स्तर तक स्तरोन्नत किया गया। निदेशालय ने 119 विद्यमान सैकेण्डरी/सीनीयर सैकेण्डरी स्कूलों को कम्पोजिट (मॉडल) स्कूलों में परिवर्तित किया गया। इस समय दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत कुल 1667 स्कूल चल रहे हैं।

प्रोत्साहन योजनाएं

(i) **ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को निशुल्क यातायात सुविधा।**

10.5.2. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को निशुल्क यातायात की सुविधाएं प्रदान करके उन्हें आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लगभग 4600 छात्राएं यह सुविधाएं प्राप्त कर रही हैं। वर्ष 1992–93 के दौरान इस योजना में 10 लाख रु० की राशि खर्च किए जाने की सम्भावना है।

(ii) **निशुल्क वर्दियां प्रदान करना**

10.5.3. इस योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे उन बच्चों को, जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500 रु० प्रति माह से कम है तथा जिन्होंने पिछले शैक्षिक सत्र में सन्तोषजनक निष्पादन सहित 75 प्रतिशत की हाजरी प्राप्त की है उन्हें एक जोड़ा वर्दी प्रदान की जाती है। वर्ष 1992–93 के दौरान लगभग 32,000 छात्रों के लाभ के लिए 55 लाख रुपए खर्च किए जाने की सम्भावना है।

(iii) **पुस्तक बैंक**

10.5.4. इस सतत योजना के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 के उन छात्रों को पुस्तक प्रदान की जाती है जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500/– रु० प्रति माह से कम हो। वर्ष 1992–93 के दौरान लगभग 41,000 छात्रों के लाभ के लिए 24 लाख रु० खर्च किए जायेंगे।

(iv) **शिक्षण सुविधाएं**

10.5.6. गंदी बस्तियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित छात्रों को विशेष शिक्षण योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 51 प्रतिशत से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में अ० जा०/अ० जन० जाति के छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण केन्द्र खोलना है ताकि बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे परिणामों को सुनिश्चित किया जा सके। अ० जा०/अ० जन० जाति से सम्बन्धित लगभग 400 छात्रों के लिए वर्ष 1992–93 में से 1,00,000/– रु० के परिव्यय का निर्धारण किया है।

(v) **छात्रवृत्ति**

(क) अ० जा०/अ० ज० जाति के छात्रों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति

10.5.7. यह योजना कक्षा 6 से 8 में पढ़ रहे उन अ० जा०/अ० ज० जाति के छात्रों को उनके पिछले शैक्षिक

वर्ष में किए गए निष्पादन के आधार पर प्रदान की जाती है । वर्ष 1992–93 में 9,500 छात्रों के लाभ के लिए 10 लाख रु० का बजट प्रावधान किया गया है ।

(v) अ०जा०/अ०ज० जाति के छात्रों को खुली योग्यता छात्रवृत्ति

10.5.8. इस योजना के अन्तर्गत कक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले पात्र छात्रों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है । 100 अच्छे छात्रों को 500 रु० प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति के लिए चुना जाता है । छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों को उनके निष्पादन के आधार पर प्रत्येक वर्ष फिर से चुना जाता है । वर्ष 1992–93 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लगभग 250 छात्रों के लाभ के लिए 0.50 लाख रु० का बजट प्रावधान किया गया है ।

(vi) प्रौढ़ शिक्षा

10.5.9. संघशासित प्रशासन में साक्षरता दर 1951 में 38.3 प्रतिशत से 1991 में 76.09 प्रतिशत तक बढ़ी है । वर्ष 1992–93 में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 1,20,000 निरक्षरों को शामिल करने का अनुमान है जिसके लिए 15,00,000 रु० का परिव्यय निर्धारित किया है । प्रशासन ने लगभग 6000 प्रौढ़ों को सांयकाल में पढ़ाने के लिए 4 सीनियर सकेण्डरी स्कूल तथा 6 सकेण्डरी स्कूलों की स्थापना की है ।

(vii) अनौपचारिक शिक्षा

10.5.10. 6–11 वर्ष तथा 11–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की संवैधानिक वचनबद्धता को पूरा करने के लिए शिक्षा निदेशालय लगभग 2000 बच्चों के लिए 74 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चला रहा है । इस कार्य के लिए 5,00,000 लाख रु. का बजट आवंटित किया गया है ।

(viii) पत्राचार विद्यालय

10.5.11. पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से सेकेण्डरी तथा सीनियर सेकेण्डरी स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी किस्म का यह पहला संस्थान है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ जाने वालों, गृहणियों/सशस्त्र/अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों तथा अन्यों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना है । वर्ष 1992–93 के लिए इसमें 25 लाख रु० का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग 23,000 छात्र लाभान्वित होंगे ।

(ix) व्यावसायिक शिक्षा

10.5.12. योजना के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 25 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ने का लक्ष्य है । इस योजना से लगभग 75,000 छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है तथा वर्ष 1992–93 के लिए 2,00,000 रु० की राशि निर्धारित की है ।

(x) राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद

10.5.13. इसकी स्थापना वर्ष 1988 में दिल्ली प्रशासन द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी तथा जिसके अन्तर्गत चार जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं । इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा 1992 तथा कार्य योजना 1992 में किए गए संशोधनों के अनुसार शैक्षिक क्रियाकलापों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की परिकल्पना की गई है । परिषद को वर्ष 1992–93 सितम्बर तक 60 लाख रु० का प्रावधान किया गया है । लगभग 1472 कार्यक्रमों के माध्यम से 6139 शिक्षक लाभान्वित होंगे ।

(xi) उच्चतर शिक्षा

10.5.14. इस समय दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रायोजित तथा वित्तपोषित 22 कालेज हैं । प्रशासन ने कर्मपुरा तथा गीता कालोनी में एक डिग्री कालेज खोलने का भी निर्णय लिया है । वर्ष 1991–92 के दौरान आचार्य नरेन्द्र देव कालेज के नाम से एक कालेज रजोकरी में खोला गया है । "नए डिग्री कालेज खोलने" की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992–93 में 350 लाख रु० का प्रावधान किया गया है ।

दिल्ली नगर निगम

10.5.15. दिल्ली नगर निगम का शिक्षा विभाग प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है । इस समय 5–11 आयु वर्ग के बच्चों को 1679 प्राइमरी स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहे है । प्राइमरी शिक्षा के अलावा 3–5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी पूर्व-प्राइमरी कक्षाओं का भी प्रबन्ध किया जाता है । इन जरूरतों को पूरा करने के लिए इस समय दिल्ली नगर निगम द्वारा 785 नर्सरी स्कूल चलाए जा रहे हैं ।

10.5.16. दिल्ली नगर निगम अपने स्कूली छात्रों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं प्रदान करता है । अ० जा०/अ० ज० जाति से सम्बन्धित छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें, वर्दियां तथा बच्चों को मध्याह्न भोजन तथा चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं । बच्चों में गुणात्मक सुधार करने तथा उनमें अच्छी प्रतियोगी भावना पैदा करने के लिए उन्हें आम परीक्षाओं के माध्यम से योग्यता छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं । योजना में 13.52 लाख रु० के बजट प्रावधान में से लगभग 5000 मेधावी छात्र लाभान्वित हुए हैं ।

नई दिल्ली नगर निगम

10.5.17. नई दिल्ली नगर पालिका अपने निवासियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित स्कूल चला रहा है :

(1)	नर्सरी स्कूल	21
(2)	प्राइमरी स्कूल	49
(3)	मिडिल स्कूल	10
(4)	सेकेण्डरी स्कूल	10
(5)	सीनियर सेकेण्डरी स्कूल	5

10.5.18. न० दि० न० पालिका नवयुग स्कूल शैक्षिक सोसाइटी भी 2 सीनियर तथा 3 मिडिल स्तर के स्कूल चला रही है। इसके अलावा पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त 8 प्राईवेट स्कूल हैं जिनमें से 4 सहायता प्राप्त तथा 4 गैर-सहायता प्राप्त स्कूल हैं। एक प्राईमरी स्कूल खोला गया तथा 2 विद्यमान प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्तर तक तथा एक विद्यमान मिडिल स्कूल के स्तर तक स्तरोन्नत किया गया।

प्रोत्साहन योजनाएं

नई दिल्ली नगर पालिका निम्नलिखित प्रदान करती है :—

(1) कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें।

(2) कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्रों को निशुल्क लेखन सामग्री।

(3) नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को वर्दी का कपड़ा।

(4) कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्रों को एक वर्ष बाद निशुल्क ऊन प्रदान की जाती है।

(5) कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्रों को निशुल्क जूते तथा जुराबें।

(6) जो छात्र वार्षिक परीक्षाओं में पहले तीन स्थान तथा कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं उन्हें योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(7) नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में रहने वालों के स्कूलों में पढ़ रहे 6—11 आयु वर्ग के बच्चों को जिनकी प्रतिमाह आय 1500 रु० से कम है, 1200 रु० प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है।

(8) छात्राओं की देख-रेख के अन्तर्गत लड़कियों को कई प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(9) नर्सरी से 8 कक्षाओं के छात्रों को मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत पोषाहार दिया जाता है।

(10) नई दिल्ली नगर पालिका लगभग 114 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा 2 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चला रहा है।

(11) चार सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में संगणक साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत संगणक शिक्षा के अलावा तीन सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में टाइपिंग, आशुलिपि, स्वास्थ्य देख-रेख तथा सुन्दरता जैसे शैक्षिक व्यावसायिक मार्गदर्शन विषय भी शुरू किए गए हैं। नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा महिलाओं के लिए एक तकनीकी संस्था भी चलाई जा रही है।

लक्षद्वीप

10.6.1. वर्ष 1991—92 के दौरान संघशासित प्रदेश में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

1. नर्सरी स्कूल . . .	9
2. जूनियर बेसिक स्कूल . .	19
3. सीनियर बेसिक स्कूल . .	4
4. उच्चतर स्कूल (माध्यमिक स्कूल) .	9
5. जूनियर कालेज	2
कुल	43

10.6.2. इन संस्थाओं के अलावा एक नवोदय विद्यालय तथा 10 बालवाड़ियां कार्य कर रहीं हैं।

प्रोत्साहन योजना

10.6.3.

1. पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निशुल्क प्रदान की जाती है।

2. कक्षा 1 से 8 तक अ० ज० जाति के छात्रों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है।

3. कक्षा 5 से 8 तक अ० ज० जाति के छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है।

4. जूनियर कालेज में सभी अ० ज० जाति के छात्रों को छात्रावास की निशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

10.6.4. व्यावसायिक शिक्षा की योजना 1988–89 में शुरू की गई थी। माध्यमिक स्तरों पर लड़कियों के लिए जूट शिल्प तथा लड़कों के लिए मत्सय पालन की शिक्षा दी जाती है।

प्रौढ़ शिक्षा

10.6.5. प्रौ० शि० के अन्तर्गत 15–60 आयु वर्ष के बीच शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए सघन प्रयास किए जा रहे हैं।

10.6.6. संघशासित प्रदेश में कालीकट विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 2 जूनियर कालेज हैं। इसके अलावा, छात्रों को सिलाई, बुनाई तथा वाणिज्य व्यवहार्य में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक आई० टी० आई० है।

पांडिचेरी

10.7.1. वर्ष के दौरान, पाण्डिचेरी प्रशासन विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां कार्यान्वित करता रहा है। इन गतिविधियों का लेखा निम्नवार है :—

शैक्षिक संस्थान

10.7.2. स्कूल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा स्तर पर इस संघशासित क्षेत्र में वर्ष 1992–93 के दौरान कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों का विवरण निम्नवत् है :—

1. स्कूल शिक्षा

	सरकारी			प्राइवेट
	राजकीय	केन्द्रीय	कुल	
पूर्व प्राथमिक	41	—	41	131
प्राथमिक	265	—	265	76
मिडिल	81	—	81	37
हाई स्कूल	57	2	59	22
हायर सैकेण्डरी (एस० टी० पी० पी० जूनियर कालेज तथा नवोदय विद्यालयों सहित)	29	4	33	6

10.7.3. वर्ष के दौरान 4 नए स्कूल खाले गए तथा 2 मौजूदा प्राथमिक स्कूलों का मिडिल स्तर में, 4 मिडिल स्कूलों का हाई स्कूल में तथा तीन हाई स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्तरोन्नयन किया गया।

(ख) हायर/विश्वविद्यालय/व्यावसायिक शिक्षा

	राज्य	केन्द्रीय	कुल	प्राइवेट
कालिज (शैक्षिक)	7	—	7	2
मेडिकल कालेज	—	1	1	—
दन्त कालेज	1	—	1	—
इंजीनियरी कालेज (स्वायत्त)	1	—	1	—
विधि कालेज	1	—	1	—
कृषि कालेज	1	—	1	—
पालिटेक्निक	3	—	3	—
शिक्षक प्रशिक्षण कालेज	—	—	—	1
नर्सिंग स्कूल	1	—	1	—
शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल	2	—	2	—
गूंगे/बहरों के लिए स्कूल	1	—	1	—
नेत्रहीनों के लिए स्कूल	1	—	1	—
निरीक्षकों एवं सैनिकों के बच्चों के लिए घर	1	—	1	—
सेवा सदन	1	—	1	—
कढ़ाई एवं सिलाई स्कूल	—	—	—	1

शिक्षा की प्रोन्नति के लिए प्रोत्साहन

10.7.4. (i) यह संघशासित क्षेत्र उन निर्धन बच्चों, जिनके माता-पिता की आय क्रमश: 6000 रुपए तथा 12000 रुपए वार्षिक से कम है को सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक निशुल्क किताबें व वर्दी प्रदान करता है। वर्ष 1992–93 के दौरान लगभग 57600 गरीब बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुए।

(ii) सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को दोपहर के भोजन की योजना के तहत, दोपहर का भोजन दिया जाता है इस योजना के तहत शत-प्रतिशत गरीब बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

(iii) छात्रों के हित के लिए, शिक्षा विभाग निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है :—

— राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां।
— राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां।
— मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां।
— स्कूली शिक्षकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां।
— ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां।
— योग्यता पुरस्कार।

— अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां ।

— उपस्थित छात्रवृत्तियां ।

— विज्ञान मेधावी छात्रवृत्तियां ।

— छात्राओं को योग्यता पुरस्कार छात्रवृत्तियां प्रदान करना ।

— प्रोत्साहन पुरस्कार ।

10.7.5. वर्ष 1992–93 के लिए इस योजना के लिए 43.80 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई तथा इस योजना से लगभग 26,357 छात्र लाभान्वित हुए ।

10.7.6 स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि तथा अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए भी इन छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया गया है । चालू वर्ष के लिए योजनेतर तथा योजनागत आवश्यकताओं के तहत 25.11 लाख रु० की राशि आवंटित की गई ।

प्रौढ़ शिक्षा/गैर–औपचारिक शिक्षा :

10.7.7. संघशासित प्रदेश पाण्डिचेरी को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है । नव-साक्षरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक उत्तर-साक्षरता अभियान शुरू किया गया है ।

व्यावसायिक शिक्षा

10.7.8. तमिलनाडु और पाण्डिचेरी में + 2 पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई जिसमें शिक्षा की 2 धाराएं (1) शैक्षिक और (2) व्यावसायिक शामिल हैं । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों तथा सम्बन्धी व्यावसायिक विषयों का पता लगाया है, कृषि, गृह विज्ञान, वाणिज्य और व्यापार, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और विविध ।

10.7.9. विभिन्न उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं :—

1. बैंकिंग सहायक ।
2. लेखाविद्या सहित सेक्रेटरीशिप और आशुलिपि
3. मत्स्य पालन ।
4. दो पहिया स्कूटर की मरम्मत एवं उसका रख-रखाव ।
5. भवन रख-रखाव ।
6. विपणन एवं बिक्रीकारी ।
7. व्यय एवं संगणक सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करना ।
8. रेडियो एवं दूरदर्शन रख-रखाव मरम्मत ।
9. प्रशीतन एवं वातानुकूलन उपस्कर ।
10. (बेकिंग एवं कन्फैक्शनरी) ।
11. विद्युत मशीनों का रख-रखाव एवं सफाई धुलाई ।
12. ड्रेस डिजाईनिंग ।
13. संघटित एवं मुद्रण और
14. रेशम उत्पादन एवं कृषि ।

विज्ञान शिक्षा

10.7.10. वर्ष 1988 से 1992 के दौरान 89 मिडिल स्कूलों, 60 हाई स्कूलों तथा 18 हायर सकेण्डरी स्कूलों में विज्ञान शिक्षण की कोटि में सुधार करने के लिए "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के लिए" नामक योजना कार्यान्वित की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992–93 के दौरान 4 हाई स्कूलों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है तथा भारत सरकार ने इसके लिए 1.60 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की है ।

11. पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट

11. पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट

11.1.0 शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। देश भर में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के साथ ही, परिणाम तथा विषय की विविधता दोनों ही रूपों में, पुस्तकों की मांग भी बढ़ी है। शिक्षा विभाग के पुस्तक प्रोन्नति प्रभाग की ऐसी कई योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उचित मूल्यों पर अच्छे स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देना, देशी कृतत्वों को प्रोत्साहन देना, पुस्तक पढ़ने की आदत में संवर्धन करना तथा भारतीय पुस्तक उद्योग को सहयोग प्रदान करना है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

11.2.1 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (रा० पु० न्या०) एक स्वायत्तशासी संगठन है, जिसका गठन 1957 में उचित मूल्यों पर अच्छी पठन सामग्री को तैयार करने व उनके प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा लोगों में पुस्तकों के प्रति रूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के मुख्य कार्यकलाप हैं: लेखकों, चित्रकारों तथा प्रकाशकों को सहायता प्रदान करना, तथा पुस्तकों का संवर्धन करना। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास सामान्य पाठकों के लिए उचित मूल्य पर असमी, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलगु, तमिल तथा उर्दू में विभिन्न विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है। अब न्यास ने कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा सिंधी में भी पुस्तकें प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ने अब तक विभिन्न भाषाओं में 6000 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। न्यास उचित मूल्य पर डिप्लोमा, अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्भ ग्रंथों के प्रकाशन के लिए तथा बच्चों व नवसाक्षरों के लिए पुस्तकों के प्रकाशन के लिए लेखकों, चित्रकारों तथा प्रकाशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यह (क) पुस्तक मेलों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करके, (ख) गोष्ठियों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाएं आयोजित करके, (ग) पुस्तक मेलों तथा प्रदर्शनियों को वित्तीय सहायता देकर (घ) राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह को आयोजित करके तथा (ङ) विद्यालयों में पाठक क्लबों की स्थापना को प्रोन्नति देकर देश भर में पुस्तकों तथा पुस्तक पढ़ने की आदत को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भारत की सहभागिता का गठन करके देश के बाहर भी भारतीय पुस्तकों की प्रोन्नति करता है। इस वर्ष के दौरान किए गए कार्य-कलापों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

(क) प्रकाशन

11.2.2 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन के कार्यक्रम को तैयार करते समय, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत की विभिन्न श्रृंखलाओं के अन्तर्गत, प्रत्येक भाषा में सामान्य किन्तु विविध रूचि की पुस्तकें उपलब्ध हों।

11.2.3 इस वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत नई पुस्तकों तथा अनुवाद कार्य को प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा है। 1991–92 के दौरान अनुवाद कार्य सहित प्रकाशित 140 नई पुस्तकों की तुलना में 1992–93 में 300 नई पुस्तकों/अनुवाद कार्य में प्रकाशित होने की अपेक्षा की जाती है जो कि पिछले वर्ष प्रकाशित/अनुवाद की संख्या में 100 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 1992–43 में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की कुल संख्या जिसमें पुनर्मुद्रण भी सम्मिलित है, लगभग 750 है जबकि पिछले वर्ष 474 पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं।

11.2.4 प्रकाशन की विभिन्न शैलियों में पुस्तकों पर अधिक ध्यान दिए जाने के बावजूद हमारे देश में उनकी महत्ता उपेक्षित ही रही है। इनमें लोकप्रिय विज्ञान/श्रृंखला की पुस्तकें तथा नवसाक्षरों व 18 आयु वर्ग के लिए पुस्तकें सम्मिलित हैं।

(ख) प्रकाशन में सहायता

11.2.5 उचित मूल्यों पर स्वीकार्य स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास लेखकों, चित्रकारों तथा प्रकाशकों को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पुस्तकों के रियायती प्रकाशन की योजना

11.2.6 इस योजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उच्च शिक्षा के लिए लगभग 794 पुस्तकों को पहले ही वित्तीय सहायता प्रदान कर चुका है। इनमें से एक बड़ी संख्या अंग्रेजी में है। इस लिए यह न्यास अन्य भाषाओं के लेखकों/प्रकाशकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। भुवनेश्वर पुस्तक मेले के दौरान उड़िया के प्रकाशकों व लेखकों में इस योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। तथापि इस योजना का लाभ संपूर्ण देश के विद्यार्थियों लेखकों तथा प्रकाशकों को दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है।

11.2.7 1992–93 के दौरान 12 पुस्तकों को रियायत देने की अपेक्षा की जाती है, जिनमें पांच का प्रकाशन पहले

ही किया जा चुका है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक योजना है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को तैयार करने के लिए लेखकों को सहायता प्रदान की जाती है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दोनों ही प्रतिष्ठित लेखकों और विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से भारतीय छात्रों के लिए ध्यानपूर्वक प्रलेखित एवं अच्छी तरह से लिखित पाठ्य पुस्तकों एवं संदर्भ पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दोनों संगठन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि उन्हें और अधिक समन्वयात्मक ढांचे के अन्तर्गत निष्पादित किया जाये तो उनकी योजनाएं और अधिक प्रभावी होंगी। विस्तृत चर्चा के उपरांत इन राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी-अपनी योजनाओं के समन्वयात्मक कार्यकरण के लिए अब एक नीति ढांचा तैयार किया है तथा आपसी सूझबूझ संबंधी एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

बच्चों तथा नव-साक्षरों के लिए पुस्तकों के निर्माण हेतु अन्वेषणात्मक योजनाएं :

11.2.8 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने निजी प्रकाशकों और स्वैच्छिक अभिकरणों को बच्चों और नव-साक्षरों तथा स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों के लिए उच्च कोटि का पुस्तकों का निर्माण प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता देने की एक योजना प्रारंभ की है जिसमें न्यास लेखक और चित्रकार दोनों को सीधा भुगतान करता है। इसके अतिरिक्त चयनित पाण्डुलिपियों को तयार करने का व्यय वहन करना है।

11.2.9 यह न्यास अब तक इन योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रस्तावों का अनुमोदन करने में असमर्थ रहा है क्योंकि विचार हेतु प्राप्त पाण्डुलिपियां अपेक्षित स्तर की नहीं थीं। इसलिए बच्चों के लिए असमी भाषा में उपयुक्त पठन सामग्री को तैयार करने के लिए गुवाहटी में एक कार्यशाला का अभी हाल ही में आयोजन किया गया। उड़िया भाषा और मराठी भाषा में बच्चों के लिए पुस्तकें तैयार करने के लिए इसी प्रकार की एक कार्यशाला का क्रमशः भुवनेश्वर और वर्धा में आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पुस्तक मेले के दौरान कन्नड़ पुस्तकें मुहैया करने के लिए फरवरी 1993 में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(ग) पुस्तक प्रोन्नति :

11.2.10 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (ट्रस्ट) की पुस्तक प्रोन्नति संबंधि कार्यकलापों में शामिल हैं—पुस्तक मेला, पुस्तक महोत्सव-कार्यशालाएं, पुस्तकों से संबंधित विषयों पर सेमिनारों और गोष्ठियों का आयोजन, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाना इत्यादि। वर्ष के दौरान न्यास (ट्रस्ट) गुवाहाटी में 10 से 18 अक्तूबर 1992 तक बाल पुस्तक मेला का आयोजन किया तथा विशाखापट्टनम में 28 नवम्बर, 6 दिसम्बर, 1992 तक पुस्तक महोत्सव, दिल्ली में बाल पुस्तक मेला 2 से 10 जनवरी 1993 तक, 30 जनवरी 1993 से 7 फरवरी, 1993 तक बंगलौर में राष्ट्रीय पुस्तक मेला, 27 फरवरी से 7 मार्च, 1993 तक वाराणसी में हिन्दी मेला का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यास (ट्रस्ट) ने हाल ही में आम पाठकों के लिए चुनिंदा तथा कम मूल्य वाली पुस्तकों की कई प्रदर्शनियों का आयोजन करके भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की प्रोन्नति के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत न्यास सितम्बर, 1992 तथा मार्च, 1993 के बीच तमिलनाडु तथा पांडिचेरी में 27 प्रदर्शनी अक्तूबर 1992 तथा मार्च, 1993 के बीच उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 24 प्रदर्शनी आयोजित करेगा। दो सेमिनारों—पहला एक सेमिनार कलकत्ता में उर्दू प्रकाशन की समस्या तथा इसका भविष्य विषय पर किया गया तथा दूसरा सेमिनार 30 जनवरी से 7 फरवरी 1993 के बीच बंगलौर में आयोजित किया जायेगा। पहले की तरह ही आठवां राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह 14–20 नवम्बर 1992 के बीच पूरे देश में मनाया गया।

11.2.11 विदेशों में पुस्तक प्रोन्नति संबंधी कार्यकलापों का आयोजन करने के लिए न्यास ने 30 सितम्बर से 5 अक्तूबर, 1992 के बीच फ्रैंकफर्ट में आयोजित किए गए अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया तथा मार्च 1993 में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाने की योजना तैयार कर रहा है। मार्च 1993 में आयोजित होने वाले पेरिस पुस्तक मेले में भी भाग लेगा।

पुस्तक प्रोन्नति सम्बन्धी कार्यकलाप एवं स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता :

11.3.0 पुस्तक प्रोन्नति संबंधी कार्यकलापों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता नामक योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सेमिनार कार्यशालाएं, सम्मेलन इत्यादि आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को तदर्थ आधार पर अनुदान प्रदान किये जाते हैं। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत लेखकों के शिष्टमंडल के आदान-प्रदान पर होने वाले खर्च के लिए भी यह योजना धन देती है। वर्ष के दौरान "राष्ट्र के सामने आ रही राष्ट्रीय एकता की समस्याएं—एक सर्जनात्मक लेखक की भूमिका" पर विचार गोष्ठी का आयोजन करने के लिए भारतीय लेखक गिल्ड नई दिल्ली को एक विशेष मामले के रूप में 2.25 लाख रु० का अनुदान प्रदान किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशालाएं इत्यादि पर खर्च करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इस योजना के अन्तर्गत कई संगठनों को सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद

11.4.0 देश में पुस्तक प्रकाशन की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा प्रकाशन उद्योग और धंधे के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह देने तथा अच्छे स्तर की विशेष प्रयोजन की पुस्तकों की उपलब्धता को बढ़ावा देने इत्यादि के लिए 6.11.1990 से राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् को फिर से गठित किया गया है।

पुस्तकों के लिए आयात और निर्यात नीति

11.5.0 वाणिज्य मंत्रालय ने 5 वर्ष की अवधि के लिए नई आयात और निर्यात नीति की घोषणा की है जो 1 अप्रैल, 1992 से लागू हुई है। नई नीति के अन्तर्गत शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर कोई भी संगठन/व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के पुस्तकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र है। अन्य पुस्तकों के आयात की अनुमति लाइसेंस होने पर ही दी जाएगी।

आई० एस० बी० एन० के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी

11.6.0 अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (आई० एस० बी० एन०) प्रणाली का उद्देश्य है--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षितिज पर देशीय प्रकाशनों के निर्यात को तीव्र करना तथा दिन-प्रतिदिन के व्यापार में दिन-प्रतिदिन के पुस्तकों की अदला-बदली को अधिकतम सीमा तक कम करना। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक पुस्तक को भिन्न-भिन्न पहचान संख्या प्रदान की जाती है। पुस्तकों की अदला-बदली के अतिरिक्त यह प्रणाली पुस्तकालयों तथा संसूचना प्रणालियों और शोध छात्रों के लिए बहुत ही मददगार है। 1 जनवरी, 1985 से 30 नवम्बर, 1992 के बीच लगभग 1712 बड़े और छोटे प्रकाशक और लेखक इस प्रणाली के सदस्य बने हैं तथा आज उनके हजारों प्रकाशनों पर आई० एस० बी० एन० संख्या होती है।

कापी राइट

11.7.1 कापीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसरण में जनवरी 1958 में कापीराइट कार्यालय स्थापित किया गया। कापीराइट अधिनियम को कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1983 कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1984 तथा कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1992 के द्वारा संशोधित किया गया है। नवीनतम संशोधन के द्वारा कापीराइट की अवधि 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। कापीराइट की गहन समीक्षा की गई है तथा एक दूसरा विधेयक--कापीराइट (द्वितीय संशोधित) विधेयक, 1992 को लोक सभा में 16 जुलाई, 1992 को लाया गया। इस समय विधेयक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है।

11.7.2 कापीराइट अधिनियम, 1957, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के उपबन्धों के अन्तर्गत कापी-राइट कार्यालय निम्नलिखित प्रकार की कृतियों को पंजीकृत करता है। 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर 1992 तक की अवधि के दौरान पंजीकृत कृतियों की वर्ग क्रम में संख्या निम्नलिखित है:--

(क)	साहित्यिक नाट्य .	--154
(ख)	संगीतात्मक और अभिलेख	--15
(ग)	सिनमेट्रोग्राफ फिल्म . .	--3
(घ)	कलात्मक . .	--280

इसके अतिरिक्त कापीराइट कार्यालय कापीराइट अधि-नियम, 1957 की धारा 49 के अनुसरण में विभिन्न प्रकार की कृतियों के सम्बन्ध में कापीराइट के रजिस्टर में परिवर्तनों को भी पंजीकृत करता है। वर्ष 1992-93 के दौरान तीन सौ चौहत्तर कृतियों का पंजीकरण किया गया और कापीराइट के रजिस्टर में प्रविष्ट 35 कार्यों में परिवर्तन किया गया है।

11.7.3 कापीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत गठित कापीराइट नियमावली, 1958 में संशोधन किया गया है और इसी प्रयोजन से दिनांक 27 अप्रैल, 1992 के भारत के विशेष गजट के खंड-2 धारा-3, [उप-धारा (1)] में एक अधि-सूचना प्रकाशित की गई है।

11.7.4 कापीराइट बोर्ड, एक अर्ध-न्यायिक निकाय का गठन सितम्बर, 1958 के प्रारम्भ में किया गया था। कापी-राइट बोर्ड का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में विस्तृत है। यह कापीराइट पंजीकरण के परिशोधन तथा निम्नलिखित के मामलों में कापीराइट के निर्धारण और लाइसेंसों को प्रदान करने से सम्बन्धित विवादों की सुनवाई करता है:

--सार्वजनिक होने से रोक ली गई कृतियों के मामले

--अप्रकाशित भारतीय कृतियों के मामले

--अनुवाद कार्य की प्रस्तुत व प्रकाशित करने के लिए

--निश्चित उद्देश्यों के लिए कृतियों को प्रस्तुत और प्रकाशित करने के लिए

11.7.5 यह कापीराइट अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत इसके समक्ष गठित विविध मामलों की भी सुनवाई करता है। बोर्ड की बैठकें लेखकों, कलाकारों तथा बौद्धिक संपदा के स्वामियों को उनके आवास या व्यवसाय के स्थान के निकट ही न्यायिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में आयो-जित की जाती हैं। कापीराइट बोर्ड का पुनर्गठन 31 मार्च, 1994 तक की लगभग चार वर्ष की अवधि के लिए 8 मई, 1990 को किया गया था। इस वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा 37 मामलों पर निर्णय दिया गया।

कापी राईट प्रवर्तन

11.8.1 कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार समिति की दूसरी बैठक देश में कापीराइट प्रवर्तन को शक्तिशाली बनाने और मुख्य धारा में लाने के लिए और लोगों तथा प्रवर्तक प्राधि-कारियों को शिक्षित करने के लिए जो बैठक 6 नवम्बर, 1991 को होनी थी वह नई दिल्ली में 20 मार्च, 1992 को आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित पर सर्व सम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि--

(i) पुलिस कार्मिक के लिए पुलिस अकादमी और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के स्तर पर राज्य सरकार/केन्द्र प्रशासित प्रदेशों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण और

पुनश्चर्या तथा जन–साधारण में कापीराइट की सांविधिक बाध्यता के प्रति वृहत्तर जागरूकता पैदा करने के लिए समाचार पत्रों, दूरदर्शन व अन्य माध्यमों से प्रचार/विज्ञापन अभियान शुरू करने की तीव्र आवश्यकता थी।

(ii) लेखकों और अन्य समनुदेशकों/लाइसेंस धारकों के हित में कापीराइट अधिनियम की धारा 19 तथा 19 क के उपबन्धों में सुधार करने की आवश्यकता थी, और

(iii) शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग तथा भारतीय होटल संघ को यह लिखे कि होटल उद्योग द्वारा घर में दिखाई जाने वाली फिल्मों को 'व्यक्तिगत अवलोकन न समझा जाए बल्कि उन्हें व्यावसायिक प्रदर्शन समझा जाय।'

11.8.2 इन सभी निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक कारंवाई की जा चुकी है।

कापीराइट में प्रशिक्षण सुविधाएं

11.9.1 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वीपो) ने अपने सहयोग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासशील देशों में कापीराइट से सम्बन्धित अधिकारियों के लिए कापीराइट के प्रशिक्षण पाठ्य-क्रमों का आयोजन किया था। श्री रामाश्रय तिवारी, पुलिस उपायुक्त (अपराध तथा रेलवे) दिल्ली पुलिस, 7 से 9 सितम्बर, 1992, 10 से 16 सितम्बर, 1992 के मध्य कापी-राइट के मामलों पर विशेष सलाहकार के कार्यालय सहित शिक्षा विभाग, फिनलैण्ड हेलसिंकी, व्यवहारिक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम द्वारा अनुसरित (जिनेवा स्विटजरलैण्ड) में कापीराइट और पड़ोसी अधिकारों पर आयोजित गोष्ठी में उपस्थित थे।

11.9.2 18 सितम्बर, 1992 को भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में "कापीराइट" के क्षेत्र में सामूहिक प्रशासन पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में प्रकाशकों और लेखकों और कापीराइट के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया विचार–गोष्ठी का उद्घाटन माननीय शिक्षा एवं संस्कृति उप-मन्त्री ने किया और इसकी अध्यक्षता श्री सैयद सिब्ते रज़ी संसद सदस्य (राज्य सभा) ने की जो कि कापीराइट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर गठित संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के अध्यक्ष भी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कापी राइट

11.10.1 भारत साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के संरक्षण के बर्न सम्मेलन तथा सार्वभौमिक कापीराइट सम्मेलन नामक दो अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट सम्मेलनों का सदस्य है। विकासशील देशों को विदेशी स्रोत की पुस्तकों के पुनर्लेखन व अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से जबकि ये अधिकार कापीराइट के स्वामियों से मुक्त वार्ता द्वारा प्राप्त न किए जा सकें। इन दोनों सम्मेलनों को 1971 में पुनर्गठित किया गया। भारत इन सम्मेलनों के 1971 के पाठ्यों को मान चुका है।

11.10.2 भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा जो कि साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के संरक्षण के बर्न सम्मेलन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, शासी निकायों के विचार–विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस वर्ष संयुक्त सचिव (बी० पी०) ने दिनांक 21 सितम्बर, से 29 सितम्बर, 1992 तक जिनेवा में आयोजित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के शासी निकायों की 23वीं श्रृंखला की बैठक में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश

11.11.0 भारतीय कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 40 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को विदेशी कृतियों पर कापीराइट को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में जारी एक आदेश अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश 1958 देखें एस० आर० ओ–271 दिनांक 21 जनवरी, 1958 को संशोधित किया गया और दिनांक 30 सितम्बर, 1991 के आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया। संशोधित आदेश में संशोधन किया जा चुका है देखें दिनांक 13 अक्तूबर, 1992 के भारत के गजट में प्रकाशित दिनांक 9–10–1992 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 768 (ई०)।

12. भाषाओं की प्रोन्नति

19—864 HRD/92

12.1.0 चूंकि भाषायें शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण माध्यम है इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनके विकास को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। अत: एक तरफ संस्कृत और उर्दू सहित हिन्दी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई अन्य भाषाओं तथा दूसरी तरफ अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति तथा विकास पर समुचित ध्यान दिया जाता है। इस दायित्व को पूरा करने में विभाग के अनेक स्वायत्त संगठन तथा अधीनस्थ कार्यालय मदद करते हैं जो इस प्रकार हैं:— केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा जो अपने पांच केन्द्रों सहित केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के०एच०एस०) चलाता है, अपने सात विद्यापीठों सहित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आर० एस०एस०), नई दिल्ली, अपने चार क्षेत्रीय केन्द्रों, एक विस्तार केन्द्र तथा दो उर्दू प्रशिक्षण और अनुसन्धान केन्द्र सहित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई०आई०एल०) मैसूर, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (सी० एच० डी०) नई दिल्ली, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सी० एस० टी० टी०) नई दिल्ली, तथा उर्दू तरक्की ब्यूरो (बी० पी० बी०) गैर-सरकारी एजेंसियां भाषा प्रोन्नति सम्बन्धी कार्यकलापों में काफी ज्यादा लगी हैं। विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। आलोच्य वर्ष के दौरान विभाग ने अपने चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं को जारी रखा। भाषाओं के विकास और प्रोन्नति से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यकलाप 1992-93 के दौरान शुरू किए गए :—

हिन्दी की प्रोन्नति और विकास

12.2.1 हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इन वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता चाहने वाले संगठनों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। सरकारी सहायता की मदद से इनमें से कुछ संगठन प्रमुख संस्थाओं में बदल गए हैं जो एक साथ ही एक से ज्यादा राज्यों में काम कर रहे हैं। हिन्दी को बढ़ावा देने तथा इसके प्रचार-प्रसार के दृष्टिकोण से सामग्रियों को प्रकाशित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों/न्यासों तथा व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। आठवीं योजना के दौरान इस योजना को जारी रखने का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण :

12.2.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में हिन्दी की प्रोन्नति तथा इसके प्रचार-प्रसार के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में मदद करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान (i) हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा (ii) हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज खोलना/इन्हें सुदृढ़ बनाना नामक योजनायें शुरू की थीं। इन योजनाओं के अन्तर्गत गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत आधार पर सहायता दी जाती थी। ये योजनायें दो भिन्न योजनाओं के रूप में 7वीं पंचवर्षीय योजना तक लागू की जाती रहीं। चूंकि इन योजनाओं के उद्देश्य समान हैं इसलिए 8वीं योजना के के दौरान इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक योजना बना दी गई है जिसका नाम इस प्रकार है—"गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण तथा इसी पैटर्न पर 1992-93 में केन्द्रीय सहायता जारी रही। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 1090 हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति/रखरखाव/प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित पैटर्न पर विभिन्न गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित प्रदेशों को 137.45 लाख रु०की राशि की केन्द्रीय सहायता 1992-93 के दौरान प्रदान की गई है।

विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

12.2.3 भारत सरकार द्वारा विदेशों में हिन्दी की प्रोन्नति तथा प्रचार-प्रसार के उद्देश्य र चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान यह योजना शुरु की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत विशिष्ट कार्यक्रम/कार्यकलाप इस प्रकार हैं :-(i) एक वर्ष की अवधि के लिए भारत में हिन्दी के अध्ययन के लिए लगभग 50 विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना (ii) विदेश स्थित भारतीय मिशनों को हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी पुस्तकों तथा अन्य उपस्करों की आपूर्ति करना (iii) सूरीनाम, गुयाना और त्रिनिडाड तथा टोबैगो में हिन्दी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, (iv) काठमांडू तथा श्रीलंका स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी पुस्तकालयाध्यक्षों तथा अंशकालिक हिन्दी लिपिकों की नियुक्ति। यह योजना आठवीं योजना के दौरान जारी है तथा छात्रवृत्ति और पुस्तक अनुदान की दरों को क्रमश: 750/-रु० प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1200/- रु० तथा 250/-रु० प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 400/- कर दिया गया है। आगरा स्थित केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में विदेशी छात्रों को हिन्दी पढ़ाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना

12.2.4 डा० शिव मंगल सिंह "सुमन" की अध्यक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया है।

12.2.5 समिति की संदर्भाधीन मदें हैं :—(i) अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए ब्लू प्रिंट को अन्तिम रूप देना (ii) प्रस्ताव पर आने वाले संभावित वित्तीय व्यय तथा आठवीं योजना के दौरान इसके चरण के बारे में सिफारिश करना, (iii) प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त स्थान की सिफारिश करना, (iv) हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में जिन दूसरी बातों को उपयुक्त समझे उसके बारे में सिफारिश करना।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (सी० एच० डी०) :

12.3.1 निदेशालय तेरह हिन्दी और तेरह क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित द्विभाषी शब्दकोशों का संकलन कर रहा है। अब तक तेरह शब्दकोश अर्थात हिन्दी–असमिया, हिन्दी,-गुजराती, हिन्दी–कश्मीरी, हिन्दी–मराठी, हिन्दी–मलयालम, हिन्दी–उड़िया, हिन्दी–सिंधी, हिंदी–तमिल, हिन्दी–तेलुगु, हिंदी–उर्दू उर्दू–हिंदी, मलयालम–हिन्दी और उड़िया–हिन्दी शब्दकोशों का प्रकाशन किया जा चुका है। निदेशालय ने "भारतीय भाषा परिचय कोश" के संकलन के अतिरिक्त बहुभाषाई शब्दकोश और 'तत्सम शब्द शब्दकोश' प्रकाशित किया है। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत चेक–हिन्दी और जर्मन–हिन्दी (जिल्द i और ii) शब्दकोश प्रकाशित किए जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र भाषा शब्दकोश कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी–चीनी, हिन्दी–अरबी, हिन्दी–फ्रांसीसी और हिन्दी–स्पेनिश शब्दकोशों का प्रकाशन किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त हिन्दी–काश्मीरी और हिन्दी असमिया संवाद विषयक पथ प्रदर्शक प्रकाशित किए गए हैं। एक त्रिभाषी और दो द्विभाषी शब्दकोशों पर काम उन्नत चरण में है। हिन्दी और पड़ोसी देशों की भाषाओं की द्विभाषी शब्दकोश तैयार करने को एक परियोजना प्रारम्भ की गई है। ऐसे दस शब्दकोशों में से हिन्दी–फारसी, हिन्दी–सिंघली और हिन्दी–इंडोनेशियाई में कार्य प्रगति पर है। 1992 के दौरान दो जिल्दों में मराठी–हिन्दी–अंग्रेजी (त्रिभाषी) शब्दकोश प्रकाशित किया गया है और हिन्दी–तेलुगू संवाद–विषयक पथप्रदर्शक मुद्रित किया जा रहा है।

12.3.2 निदेशालय "यूनेस्को दूत" (अंग्रेजी पत्रिका यूनेस्को कूरियर का हिन्दी अनुवाद)—'भाषा' (दो माह में एक बार) "वार्षिकी" (वार्षिक) और "साहित्यमाला" (भारतीय भाषाओं और साहित्य पर पुस्तकें) जैसी हिन्दी पत्रिकायें भी निकालता है। हिन्दी लेखकों और भारतीय नाटक का 'कौन क्या' भी प्रकाशित किया गया है।

12.3.3 निदेशालय पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अंग्रेजी, तमिल और बंगला में हिन्दी शिक्षण स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। चालू वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में 14,674 व्यक्ति नामांकित हैं। छात्रों के लिए उपकरण के रूप में कुछ रिकार्ड और कैसेट भी तैयार किए गए हैं। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

12.3.4 निदेशालय ने अहिन्दी भाषी क्षेत्र के हिन्दी भाषी छात्रों के लिए शिक्षण–भ्रमण (टूर) आयोजित किया है तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के अनुसन्धान अध्येताओं के लिए अनुदान उपलब्ध कराया है। हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में 'नव हिन्दी लेखक' कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्र में भारतीय साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विचार–विमर्श के लिए संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। अहिन्दी भाषी क्षेत्र के सोलह हिन्दी लेखकों को प्रति वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं।

12.3.5 हिन्दी के प्रचार के लिए अहिन्दी भाषी क्षेत्रों को भारी संख्या में पुस्तकें निःशुल्क भेजी जाती हैं। हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी निदेशालय का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यकलाप है। निदेशालय राजभाषा के रूप में हिन्दी के बोलचाल वाले स्वरूप के सम्बन्ध में सर्वेक्षण भी कर रहा है।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सी०एस०टी०टी०) :

12.4.1 अक्तूबर, 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास, विश्वविद्यालयों में शिक्षण माध्यम में निर्विघ्न परिवर्तन लाने को सुकर बनाने के लिए सभी विषयों में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें और संदर्भ साहित्य के उत्पादन के लिए की गई थी।

शब्दावली

12.4.2 कृषि सम्बन्धी शब्दकोश का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा चुका है। चिकित्सा, रक्षा, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञानों में शब्दकोशों तथा प्रशासनिक शब्दकोश (हिन्दी–अंग्रेजी) मुद्रणाधीन है। वर्ष के दौरान विभागों से सम्बन्धित 40,000 तकनीकी शब्दों को अन्तिम रूप दिया गया। चर्म प्रौद्योगिकी, रसायन इंजीनियरी, खान और भूगर्भ सर्वेक्षण लोक प्रशासन और पशु चिकित्सा विज्ञान में और अर्थशास्त्र, तथा मनोविज्ञान में शब्दावली विकास कार्य विभिन्न चरणों में है।

पारिभाषिक शब्दकोश

12.4.3 वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने अब तक बयालीस शब्दकोश प्रकाशित किए हैं। तीन ऐसे शब्दकोश मुद्रणाधीन हैं और सात तैयार किए जा रहे हैं।

पान-भारतीय शब्दावली

12.4.4 अध्येताओं, लेखकों, अनुवादकों और पत्रकारों में निःशुल्क वितरण के लिए अब तक पन्द्रह पान—भारतीय शब्दकोश प्रकाशित किए गए हैं।

पान—भारतीय शब्दकोश मुद्रणाधीन हैं।



माननीय उप-मंत्री कुमारी सैलजा तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए साथ में संयुक्त सचिव श्री पी० शंकर

विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तक उत्पादन और त्रैमासिक पत्रिका :

12.4.5 वै० त० श० आयोग ने हिन्दी ग्रंथ अकादमी, राज्य पाठयपुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय सेल के सहयोग से हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में 10,999 विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें प्रकाशित की । आयोग ने इंजीनियरी, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में भी 365 पुस्तकें तैयार की । वै० त० श० आयोग "विज्ञान गरिमा सिन्धु" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकालता है ।

शब्दावली अभिविन्यास कार्यशाला

12.4.6 आयोग द्वारा विकसित शब्दावली के समुचित प्रयोग को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से वै०त० श० आ० बुनियादी विज्ञान के विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों के लिए कार्यशालायें आयोजित करता है । वार्षिक रूप से 12—15 ऐसी कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं । अब तक 2850 से अधिक विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों को अभिविन्यास दिया गया है ।

शब्दावली का संगणकीकरण

12.4.7 व्यापक विषयों के समूहवार और विषयवार शब्दकोशों का प्रभावी समन्वय, अद्यतन और मुद्रण और संगणक आधारित राष्ट्रीय शब्दावली बैंक स्थापित करने के लिए आंकड़ा आधार तैयार करने हेतु वै० त० श० आयोग ने 1989 में यह परियोजना प्रारम्भ की और इस परियोजना के अन्तर्गत वै०त० श० आ० द्वारा विकसित किए गए सभी 5 लाख तकनीकी शब्द आंकड़ा आधार में समाविष्ट किए जा रहे हैं ।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के० एच० एस०) :

12.5.1 अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य के अनुसरण में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान जिसका मुख्यालय आगरा में और पांच केन्द्र दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मैसूर और शिलांग में स्थित है, निष्णात और पारंगत जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है । ये केन्द्र जन-जातीय क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के लिए विस्तार कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं । संस्थान ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्रियां तैयार की हैं ।

12.5.2 संस्थान द्वारा "विदेशों में हिन्दी का प्रचार" स्कीम के अन्तर्गत विदेशियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए एक पूर्ण शैक्षिक पाठ्यक्रम चलाया जाता है । चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न विदेशी राष्ट्रों के तैंतालीस छात्रों को छात्र-वृत्तियां प्रदान की हैं ।

12.5.3 "हिन्दी सेवी सम्मान" नामक स्कीम के अन्तर्गत दस जाने माने हिन्दी के विद्वानों को हिन्दी, हिन्दी पत्रकारिता, सृजनात्मक साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी हिन्दी साहित्य आदि के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए ।

आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति और विकास

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी० आई० आई० एल०) मैसूर

12.6.1 त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी० आई० आई०एल०) अपने क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों और उर्दू प्रशिक्षण अनुसन्धान केन्द्रों पर विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के स्कूल शिक्षकों के लिए पूर्ण शैक्षिक वर्ष पाठ्यक्रम चला रहा है । चालू वर्ष के दौरान लगभग 258 शिक्षक नियमित कक्षाओं द्वारा भाषा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 486 प्रौढ़ शिक्षार्थी पत्राचार के माध्यम से तमिल, तेलुगु और बंगला में नामांकित किए गए हैं ।

12.6.2 उत्तर प्रदेश सरकार के स्वैच्छिक क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए भाषा शिक्षण सामग्री, पाठ्य सहायक सामग्री, भाषा-खेल, बंगला और उर्दू में कौशलकार कार्य, तमिल और तेलुगू में नर्सरी राइम, कन्नड़ शिक्षण में जनमाध्यमों के प्रयोग पर मैनुअल तैयार किए गए । अंडमान और निकोबार द्वीपों की प्रारम्भिक जनजाति 'ओंज' का अध्ययन करने के पश्चात इस भाषा को जनजातीय बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक और वीडियो कार्यक्रम तैयार किए गए ।

12.6.3 संस्थान ने दक्षिण भारत की 4 भाषाओं में 100 आडियो कैसेट तैयार किए हैं ताकि सहायक पाठ्यपुस्तकों के रूप में स्कूलों में उन्हें प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जा सके । संगणक अनुप्रयोग के क्षेत्र में साफ्टवेयर तैयार करने के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग हेतु भाषा सहित उपयोगिता साफ्टवेयर का आई० बी० एम० पाठान्तर पूरा किया गया ।

12.6.4 आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति और प्रचार के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को प्रकाशन निकालने तथा पुस्तकों का क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है । इसी प्रकार विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की प्रोन्नति गतिविधियों में संलग्न स्वच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है ।

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड

12.6.5 तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड, जो वर्ष 1969 में गठित किया गया था, एक शीर्ष परामर्शदात्री निकाय है जो भारत सरकार को उर्दू भाषा के प्रोन्नयन और विकास के लिए सलाह देता है । मानव संसाधन विकास मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और संसद सदस्य, उर्दू के विद्वान तथा परिषत्सदस्य इसके सलाह-कार बोर्ड के सदस्य हैं ।

12.6.6 उर्दू के प्रोन्नयन के लिए ब्यूरो बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर कार्य करता है तथा इन्हें कार्यान्वित करता है और इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है । वर्ष के दौरान ब्यूरो के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित थे :—

*लगभग 30 पुस्तकों को प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है । दो विषयों में तकनीकी शब्दों की शब्दावली प्रकाशित होने वाली है ।

*उर्दू विश्वकोष की दो पुस्तकें प्रकाशित की जानी हैं और अंग्रेजी–उर्दू शब्दकोश की एक पुस्तक के प्रकाशित होने की संभावना है।

*"फिक्र–ए–तहकीक" नाम से अर्धवार्षिक अनुसन्धान पत्रिका का प्रकाशन जारी रहेगा।

*सम्पूर्ण भारत में चालीस सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इनमें सात खासतौर पर महिलाओं के लिए हैं।

*राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य–पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया जाना जारी रहेगा।

संगठनों और व्यक्तियों को, उनसे भारी संख्या में पुस्तकें खरीदने के जरिए उर्दू में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता दी गई। भाषा प्रोन्नयन सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए मान्यताप्राप्त संस्थानों को भी वित्तीय सहायता दी गई।

*उर्दू में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरु किए जायेंगे।

उर्दू के प्रोन्नयन के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच के लिए समिति :

12.6.7 उर्दू के प्रोन्नयन के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच के लिए फरवरी, 1990 में सरकार ने श्री अली सरदार जाफरी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। 18 सितम्बर, 1990 को समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना :

12.6.8 भूतपूर्व सांसद श्री अजीज कुरैशी की अध्यक्षता में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना पर एक समिति गठित की गई है। समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

विश्वविद्यालय की प्रकृति, क्षेत्र और प्रशासकीय तथा शैक्षणिक संरचना, विश्वविद्यालय के लिए अपेक्षित निधियां और संसाधनों की दीर्घकालिक आवश्यकता से सम्बद्ध अन्य मुद्दे, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्थान और समय–सीमा तथा विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बद्ध अन्य सुसंगत बातें।

सिंधी का प्रोन्नयन

12.6.9 सिंधी की प्रगति तथा विकास के लिए सरकार ने एक सिंधी विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। वर्ष के दौरान सिंधी के विकास के कार्यक्रमों के लिए निधि प्रदान करने की योजना जारी थी। इस योजना के अन्तर्गत पुस्तकालयों और संगठनों को निःशुल्क वितरण के लिए 90 पुस्तकें खरीदने का प्रस्ताव है, 5 लेखकों को उनकी पुस्तकों के लिए पुरस्कार दिए जायेंगे, भाषा प्रोन्नयन कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों/एजेंसियों को सहायक अनुदान दिए जायेंगे।

अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सुधार

12.7.0 देश में अंग्रेजी पठन/पाठन के स्तरों में बृहत सुधार लाने के दृष्टिकोण से प्रत्येक राज्य में अंग्रेजी भाषा के लिए कम से कम एक जिला केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, (सी० आई० ई० एफ० एल०) हैदराबाद के माध्यम से सहायता दे रही है। अब तक छब्बीस जिला केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार सी०आई० ई० एफ० एल० के माध्यम से विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों और अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों को भी सहायता दे रही है ताकि उन्हें सुदृढ़ बनाया जा सके। वर्तमान समय में दो क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान और 9 अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान हैं।

संस्कृत तथा अन्य श्रेष्ठ भाषाओं का संवर्धन

12.8.1 संस्कृत तथा अन्य श्रेष्ठ भाषाओं जैसे अरबी तथा फारसी के विकास तथा संवर्धन के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम तैयार करके कार्यान्वित किए गए। आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित विकासात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए ––

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान :

12.8.2 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन 1970 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। देश में संस्कृत शिक्षा के प्रचार–प्रसार तथा विकास के लिए यह एक अपेक्षित निकाय है। इन उद्देश्यों के अलावा संस्थान देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों के माध्यम से डाक्टरेट स्तर की संस्कृत शिक्षा प्रदान करता है तथा प्राचीन शिक्षण परम्पराओं और बौद्धिक काम–काज का परीक्षण करते हुए दुर्लभ पाण्डुलिपियों के परिरक्षण तथा प्रकाशन के लिए भी उपाय करता है।

12.8.3 अपने प्रारम्भिक चरण में ही संस्थान ने नौ केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित कीं। इनमें से दिल्ली तथा तिरुपति स्थित विद्यापीठों को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया था और इस प्रकार ये दोनों विद्यापीठें स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं। शेष जम्मू, जयपुर, लखनऊ, इलाहाबाद पुरी, त्रिचूर, तथा शृंगेरी स्थित विद्यापीठें संस्थान द्वारा सीधे प्रशासित हो रही हैं। शृंगेरी स्थित विद्यापीठ का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 5 मार्च, 1992 को किया गया और श्री राजीव गांधी की मृत्यु उपरान्त उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया।

12.8.4 इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसरण में संस्थानों के रीडरों तथा लेक्चररों के लिए पुरी में जून/जुलाई, 1992 में चार सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था।

12.8.5 गुरुवायूर, जम्मू, लखनऊ तथा जयपुर स्थित विद्यापीठों के परिसर निर्माणाधीन हैं, जबकि संस्थान के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र शुरु किया जाएगा।

संस्कृत के प्रचार-प्रसार तथा विकास के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं को वित्तीय सहायता :

12.8.6 इस योजना के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थाओं को शिक्षकों के वेतन, छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों, भवन निर्माण तथा मरम्मत, फर्नीचर, पुस्तकालय आदि पर होने वाले आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त मदों के अनुमोदित व्यय की प्रत्येक मद पर मन्त्रालय 75 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में प्रदान करता है। जिन वैदिक संस्थाओं में मौखिक वैदिक परम्परा सुरक्षित रखी जा रही है, उनके मामलों में कुल अनुमोदित किए गए व्यय का 95 प्रतिशत सरकारी अनुदान के रूप में होता है। आलोच्य वर्ष के दौरान देश में लगभग 700 संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई।

आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता देने की योजना :

12.8.7 कुछ स्वैच्छिक संस्कृत संगठन संस्कृत में स्नातकोत्तर अध्ययन की शिक्षा प्रदान करने तथा उसके भावी विकास में इतने सक्षम हैं कि उन्हें आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है और इन्हें 95 प्रतिशत की दर से आवर्ती तथा 75 प्रतिशत की दर से अनावर्ती व्यय की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अब तक चौदह स्नातक संस्कृत शिक्षण संस्थानों तथा दो स्नातकोत्तर अनुसन्धान संस्थानों को लाया गया है। उनमें से बिहार में चार, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में तीन-तीन, हरियाणा तथा महाराष्ट्र में दो-दो, हिमाचल प्रदेश तथा केरल में एक-एक है।

राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान

12.8.8 जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की परिकल्पना की गई थी उन्हें पूरा करने के लिए इसने 1992-93 में अपना कार्यकलाप शुरु कर दिया। मौखिक परम्परा का परिरक्षण एक प्रमुख कार्य है जिसे अब तक सम्पर्क, पत्राचार तथा कार्यशालाओं के माध्यम से कई क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलनों की देख-रेख में वेद पाठशालाओं को बढ़ावा देने, वैदिक पंडितों को सहायता प्रदान करने, वैदिक पंडितों को अलंकृत करने, विभिन्न शाखाओं के वैदिक श्लोकों को टेप करने तथा वैदिक पंडितों को प्रोत्साहित करने के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रतिष्ठान का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वैदिक ज्ञान की विरासत में विशेष तौर पर वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति के सन्दर्भ में अनुसन्धान को बढ़ावा देना है। आलोच्य वर्ष के दौरान (राष्ट्रीय वेद विद्या) प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप शुरु किए गए :

—14 से 17 मई, 1992 को पालक्काड, केरल में वैदिक गणित पर चार दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

—डा० विद्या निवास मिश्र की अध्यक्षता में 26 सितम्बर, 1992 को वैदिक शब्दकोश समिति की बैठक हुई जिसमें वेद के 500 वैदिक शब्दों का चयन करने का निर्णय लिया गया।

—भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद के सहयोग से प्रतिष्ठान को भारतीय विज्ञान दर्शन तथा संस्कृति और मूल्य शिक्षा राष्ट्रीय सेमिनार से जोड़कर विशेष व्याखान मालाओं के आयोजन तथा प्रकाशन के लिए बढ़ा दिया गया है।

—1992-93 के दौरान कम से कम तीन पुस्तकें प्रकाशित करने के प्रयास किए गए थे और इन्हें नवम्बर, 1993 में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

—अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन 10—12 नवम्बर, 1992 में आयोजित किया जा रहा है। क्षेत्रीय सम्मेलन, विजयवाड़ा, जम्मू और गुवाहाटी में आयोजित किए गए तथा एक सम्मेलन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सोमनाथ में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

—बड़ोदा के प्रसिद्ध वेदपाठी के सम्पूर्ण अथर्ववेद के श्लोकगान की टेपरिकार्डिंग का कार्य पूरा हो चुका है। 10 से 12 नवम्बर, 1992 के बीच इन्दौर में सम्पूर्ण शुक्ल यजुर्वेद को टेप करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

—प्रतिष्ठान के तत्वाधान में दिल्ली विश्वविद्यालय में वैदिक शिक्षा प्रणाली तथा हमारी समसामयिक आवश्यकताओं पर फरवरी, 1993 में एक परामर्श बैठक होने की प्रबल संभावना है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

12.8.9 श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ को जनवरी 1987 में सम विश्वविद्यालय के रूप में पंजीकृत किया गया था। विद्यापीठ के मुख्य उद्देश्य शास्त्री परम्परा का संरक्षण शास्त्रों की व्याख्या करना, शिक्षकों की आधुनिक तथा शास्त्री विद्या में गहन प्रशिक्षण के लिए सहायता उपलब्ध करना है।

12.8.10 वर्ष 1990-91 के दौरान विद्यापीठ में शास्त्री आचार्य शिक्षा शास्त्री तथा शिक्षा आचार्य के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 732 छात्र दाखिल हुए थे तथा स्टाफ की संख्या 100 थी। आलोच्य वर्ष के दौरान विद्यापीठ द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप शुरु किए गए थे :—

(i) 23 फरवरी 1991 को विद्यापीठ का सम विश्वविद्यालय के रूप में उद्घाटन।

(2) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान नई दिल्ली के सहयोग से 23 से 25 फरवरी, 1991 को एक अखिल भारतीय वैदिक विद्वानों का सम्मेलन हुआ।

(3) भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली द्वारा जयपुर में धर्मकोश पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया तथा वाय (महाराष्ट्र) के आचार्य लक्ष्मण शास्त्री को 1.00 लाख रु० का एक पर्स दिया गया जिसमें विद्यापीठ का योगदान 25,000 रु० था।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

(सम विश्वविद्यालय)

12.8.11 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति को 1987 में सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया। इसका उद्देश्य शास्त्रीय परम्पराओं का संरक्षण, शास्त्रों की व्याख्या करना, शिक्षकों की आधुनिक तथा शास्त्रीय विद्या में समस्याओं की और उनकी प्रासंगिकता स्थापित करना तथा इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है ताकि विद्यापीठ इनमें अपनी एक अलग भूमिका निभा सके। विद्यापीठ ने 1991 के शैक्षिक सत्र से अपना कार्यकरण शुरू कर दिया है।

12.8.12 उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय में अवर स्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट स्तर अर्थात् प्राक शास्त्री, शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य तथा विद्यावारिधि में संस्कृत पढ़ाई जाती है। हाई स्कूलों तथा कालेजों के शिक्षकों को संस्कृत शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करके सक्षम शिक्षक बनाने के लिए इस विद्यापीठ में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्कृत कृतियों का समालोचनाओं सहित प्रकाशन किया गया तथा उनका अनुवाद भी चरणबद्ध रूप में किया गया। आधुनिक तथा परम्परागत अध्येताओं के बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि उनके पारस्परिक ज्ञान की वृद्धि हो सके।

12.8.13 इस समय 31 पूर्णकालिक तथा 4 अंशकालिक शिक्षक हैं जो शिक्षण तथा अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं।

केन्द्रीय संस्कृत सलाहकार बोर्ड/समितियां

12.8.14 केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड एक परामर्शदात्री निकाय है जो देश में संस्कृत के प्रचार प्रसार, संवर्धन तथा विकास से संबंधित नीतिगत मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है।

संस्कृत के विकास के लिए स्कीम

12.8.15 यह केन्द्र द्वारा तैयार की गई स्कीम है जिसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। निम्नलिखित पांच प्रमुख कार्यक्रमों के लिए शत-प्रतिशत आधार पर भारत सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है :—

(क) संस्कृत के प्रख्यात विद्वान जो गरीब हैं उनके लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम के अंतर्गत लगभग, 1450 ऐसे प्रख्यात विद्वान, जिनकी प्रतिवर्ष आय 4,000/- रु० से कम है, अधिकतम 4,000/- रु० प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 50 और विद्वानों को 1993-94 तक इस सूची में जोड़े जाने की संभावना है।

(ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण

संस्कृत शिक्षा की परम्परागत और आधुनिक प्रणालियों में संयोजन स्थापित करने के लिए परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं में चुनिंदा आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति को सुकर बनाने हेतु अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

(ग) हाई और सेकेंडरी स्कूलों में संस्कृत के शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना

जिन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में संस्कृत के शिक्षण के लिए राज्य सरकारें सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं, उनमें नियुक्त होने वाले संस्कृत शिक्षकों के वेतन पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए अनुदान दिया जाता है।

(घ) हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति

सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में संस्कृत पढ़ने के लिए छात्रों को आकर्षित करने हेतु IX से XII तक की कक्षाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा IX और X के छात्रों को प्रतिमाह 25/- रु० की दर से तथा कक्षा XI और XII के छात्रों को प्रतिमाह 35/- रु० की दर से सामान्य छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 3000 छात्र प्रतिवर्ष लाभ उठा रहे हैं।

(ङ) संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों की अपनी योजनाओं के लिए उन्हें अनुदान :

संस्कृत के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए अपने निजी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए इनकी रूपरेखा तैयार करने हेतु राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, जैसे शिक्षकों के वेतन को स्तरोन्नत करना, विद्वत सभाओं का आयोजन करके वैदिक विद्वानों को सम्मान देना, संस्कृत के शिक्षण के लिए सांध्य कालीन कक्षाएं चलाना, कालीदास समारोह का आयोजन करना इत्यादि। वर्ष 1992-93 के दौरान तीन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इस योजना के तहत सहायता विचाराधीन है। ऐसी संभावना है कि 1993-94 में और अधिक राज्य सरकारें अनुदान के लिए इन कार्यक्रमों को शुरू करेंगी।

वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा/अखिल भारतीय भाषण कौशल प्रतियोगिता को बनाए रखना

12.8.16 वैदिक अध्ययनों की मौखिक परम्परा को बनाए रखने के लिए विशेष प्रोत्साहन के रूप में 1978 में एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्वाध्यायी से यह अपेक्षा होती है कि वह किसी भी वेद की किसी विशिष्ट शाखा में 12 वर्ष से कम उम्र के दो छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। इस प्रकार के 14 यूनिटों को 1991–92 के दौरान सहायता प्राप्त हुई। सात और यूनिटें 1991–92 के दौरान चुनी गई हैं। इस योजना के अंतर्गत विद्वानों को 1250/– रु० प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है तथा दो छात्रों को 175/– रु० प्रतिमाह वृत्तिका मिलती है।

12.8.17 परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों में संस्कृत अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में भाषण की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय भाषण कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सभी राज्य सरकारों से एक शिक्षक सहित आठ छात्रों की टीम को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पिछले साल यह प्रतियोगिता ज्वालापुर, हरिद्वार में स्थित गुरुकुल महाविद्यालय में 21 से 23 फरवरी, 1992 तक आयोजित की गई जिसमें 13 राज्यों के छात्रों ने भाग लिया। इस वर्ष की प्रतियोगिता 19 से 21 जनवरी, 1993 के बीच कलकत्ता में आयोजित की गई।

अरबी और फारसी के प्रचार-प्रसार और विकास करने में लगे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

12.9.0 इस योजना के अंतर्गत अरबी और फारसी की प्रोन्नति के लिए कार्यरत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को—शिक्षकों को वेतन, छात्रवृत्ति, फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तक इत्यादि तथा अन्य ऐसे कार्यकलाप जिनसे अरबी और फारसी का विकास हो सके, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुमोदित व्यय के 75% भाग तक वित्तीय सहायता उपलब्ध है। आलोच्य वर्ष के दौरान अरबी और फारसी के लगभग 200 स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

13. छात्रवृत्तियां

13. छात्रवृत्तियां

13.1.0 शिक्षा विभाग का राष्ट्रीय तथा विदेशी छात्रवृत्ति प्रभाग भारत तथा विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में आगे अध्ययन/अनुसंधान के लिए भारतीय छात्रों/अध्येताओं के लिए अभिहित अनेक छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों को अभिशासित करता है। इन छात्रवृत्तियों में भारत सरकार और विदेशों द्वारा प्रदान की गई शिक्षावृत्तियों—दोनों शामिल हैं। ऐसे ही कुछ प्रमुख कार्यक्रम जिनके अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई थीं, इस प्रकार हैं :—

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

13.2.0 इस योजना के अन्तर्गत योग्यता एवं साधन के आधार पर उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की दरें दिवस-अध्येताओं के लिए 60/- रु० प्रतिमाह से 120/- रु० प्रतिमाह तथा अध्ययन के पाठ्यक्रमों पर निर्भर करते हुए, छात्रावासधारियों के लिए 100/ रु० से 300/- रु० प्रतिमाह तक भिन्न-भिन्न होती हैं। छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिए आय-सीमा 25,000/- रु० प्रति-वर्ष है।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

13.3.0 इस योजना में योग्यता एवं साधन के आधार पर उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए ब्याज रहित ऋण का प्रावधान है। ऋण की राशि अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करते हुए 720/- रु० से 1750/- रु० प्रतिवर्ष तक भिन्न-भिन्न होती है। कुछ अनुमत्य छूटों की अनुमति देने के बाद छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिए आय-सीमा 25000/- रु० प्रति वर्ष है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता के प्रोन्नयन की योजना

13.4.1 यह योजना वर्ष 1987-88 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनु० जा०/अनु० ज०जा० के छात्रों की योग्यता को उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण (कोचिंग) देते हुए, स्कूली विषयों में उनकी शैक्षिक कमियों को दूर करने तथा उन पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जहां प्रविष्टि प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित है, में उनके दाखिले को सुकर बनाने की दृष्टि से स्तरोन्नत करना है। अनु० जा०/अनु० ज० जा० के वे छात्र, जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत चुना जाता है, उन्हें अच्छे आवासीय स्कूलों में रखा जाता है, जहां विशेष अध्यापन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए संचालित की जा रही है।

13.4.2 यह योजना 50 स्कूलों में 1000 छात्रों (670 अनु० जातियों तथा 330 अनु० ज० जातियों) के लिए प्रावधान करते हुए आरंभ की गई थी। विभिन्न राज्यों को स्कूलों का आबंटन अनु० जा०/अनु० ज० जा० समुदायों की उनकी निरक्षर जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। उपचारी शिक्षण (कोचिंग) कक्षा IX स्तर में आरंभ होता है और यह तब तक जारी रहता है जब तक छात्र कक्षा XII पूरी नहीं कर लेता है। इसके अतिरिक्त विशेष शिक्षण (कोचिंग) कक्षा XI और XII में भी उपलब्ध कराया जाता है।

अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना

13.5.0 इस योजना का उद्देश्य मेधावी तथा निर्धन छात्रों (11-12 वर्ष के आयु वर्ग) को +2 स्तर तक के अच्छे आवासीय स्कूलों में अध्ययन के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है। यद्यपि यह योजना समाप्त कर दी गई है फिर भी कार्यक्रम का समापन होने के पूर्व जिन छात्रों का चयन कर लिया गया था वे अब भी इस योजना के तहत लारेंस स्कूल, सनवार लवडेल, पिलानी, दिल्ली पब्लिक स्कूल आदि जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं।

हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

13.6.0 यह योजना 1955-56 में आरंभ की गई थी और इस योजना का उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को जहां हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है वहां अध्यापन तथा अन्य पदों पर निगरानी रखने के लिए उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है। वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 2,500 छात्रवृत्तियां आबंटित की गई थीं। छात्रवृत्तियों की दरें 50/- रु० से 125/- रु० तक भिन्न-भिन्न हैं जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करती हैं।

संस्कृत अर्थात् अरबी और फारसी आदि के अतिरिक्त श्रेष्ठ भाषाओं के अध्ययन में लगी हुई परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां

13.7.0 वर्ष 1992-93 में, इस छात्रवृत्ति के लिए 20 अध्येताओं को चुना गया था। कुछ प्रसिद्ध संस्थाओं जैसे दारुल-उलूम देवबंद (उ०प्र०), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

अलीगढ़ (उ०प्र०), उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आ०प्र०), अरबी तथा फारसी अनुसंधान संस्थान, पटना (बिहार) आदि में प्रमुख संबंधित क्षेत्रों में अपना-अपना शोध कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

13.8.0 यह योजना 1971-72 से चल रही है। इस योजना का लक्ष्य शैक्षिक अवसरों की बृहद समानता प्राप्त करना और ग्रामीण क्षेत्रों की सामर्थ्य प्रतिभाओं को अच्छे स्कूलों में उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए प्रोत्साहन देना है। यह योजना राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। छात्रवृत्तियों का वितरण प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सामुदायिक विकास खण्डों के आधार पर किया जाता है। छात्रवृत्तियां मिडिल स्कूल स्तर (कक्षा VI/VII) के अन्त में पुरस्कृत की जाती है और +2 स्तर सहित माध्यमिक स्तर तक जारी रहती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों की मदद से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा छात्रों का चयन किया जाता है। छात्रवृत्तियों की दर 30 रुपये से 100 रुपये प्रतिमाह के बीच होती है जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। इस योजना की समीक्षा मई, 1990 में की गयी थी और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से मूल्यांकन का कार्य नीपा (रा०शै०आ० तथा प्र० सं०) को सौंपा गया है।

भारत तथा विदेशों में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए जवाहर लाल नेहरू शिक्षावृत्ति की योजना

13.9.1 भारत की आजादी के चालीस वर्ष पूरे होने तथा पंडित जवाहर लाल नेहरु की जन्मशताब्दी के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारत तथा विदेशों में विभिन्न स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए जवाहर लाल नेहरू शिक्षावृत्ति योजना आरंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आमतौर पर भारत के प्रथम प्रधान मंत्री की स्मृति में प्रतिष्ठित शिक्षावृत्तियां प्रदान करना है।

13.9.2 यह योजना स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बढ़ा दी गई है। ऐसे विदेशी छात्रों को जो भारतीय सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आधुनिक विकास जैसे विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन करना चाहेंगे, उन्हें वरीयता दी जाएगी। 20 छात्रवृत्तियां अर्थात् भारत में अध्ययन के लिए 10 भारतीय छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए, 5 भारतीय छात्रों को और भारत में अध्ययन के लिए विदेशों से 5 छात्रों को प्रदान की जाएगी।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

13.10.0 इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, दाता (डोनर) देशों द्वारा संबंधित देश में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। विदेशी सरकारों और एजेंसियों द्वारा प्रोफेशनल शिपिंग, पल्प और पेपर टैक्नोलाजी, मोलेक्यूर बायलोजी, पुरातत्व साहित्य, इतिहास, दर्शन, नाभिकीय भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, सिलीसेट, टैक्नोलाजी, काष्ठ प्रौद्योगिकी वित्तीय प्रबंध, अर्थशास्त्र, सिरेमिक और ग्लास टैक्नोलाजी, नेवल आर्कीटेक्चर, फिशरीज टक्नोलाजी, जल विज्ञान, कृषि बागवानी और वृक्षारोपण, पशु चिकित्सा विज्ञान, सामाज शास्त्र, भूगर्भ इंजीनियरी, ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण और संरक्षण, राजनीति विज्ञान शिक्षा, ललित कला, संगीत, नृत्य, जनसंख्या, विज्ञान, औषधि तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अन्य क्षत्रों में पी०एच०डी० तथा पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं। छात्रवृत्ति प्रभाग द्वारा अक्तूबर, 1992 तक इन छात्रवृत्तियों का वास्तविक उपयोग इस प्रकार है :—

1.	इंडोनेशिया	1
2.	चेकोस्लोवाकिया	5
3.	ए० आर० ई०	1
4.	हंगरी	2
5.	आयरलैंड	2
6.	जर्मनी	5
7.	जापान	13
8.	फ्रांस	1
9.	चीन	13
10.	तुर्की	2
11.	इटली	8
12.	नार्वे	8
13.	पुर्तगाल	1
		62

यू० के० कनाडा आदि की सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

13.11.0 इन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत यू० के०; कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया, ट्रिनीडाड, टोबेगो तथा अन्य राष्ट्रमंडल देशों में उच्च अध्ययन/अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए भारतीय नागरिकों को छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां दी जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां प्रतिष्ठित तथा देश तथा लाभग्राहियों के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक विकास के लिए काफी लाभ दायक है। ये छात्रवृत्तियां कैंसर अनुसंधान, कार्डिओलाजी, स्त्रीरोग विज्ञान, न्यूरो सर्जरी, संगणक अध्ययन, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरी, समुद्री इंजीनियरी, पेपर टैक्नोलाजी, सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी, संचार, इंजीनियरी; जैव-प्रौद्योगिकी, जैव-रासायनिक इंजीनियरी, वाद्य-संगीत शास्त्र

(इंस्ट्रूमेंटेशन) रिलायबिलिटी इंजीनियरी, प्राकृतिक विज्ञान, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, पुरातत्व, इतिहास, म्यूजियोलॉजी, ललित कला, शिक्षण विधि, जन-संचार, अर्थशास्त्र, कारोबार प्रशासन आदि में अध्ययन के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रिकों को लगभग 100 पुरस्कार उपलब्ध कराये जाते हैं छात्रवृत्तियों की संख्या राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ की पेशकश पर निर्भर करती है। 31 दिसम्बर, 1992 तक इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 47 अध्येताओं को विदेश भेजा गया है।

नेहरू शताब्दी (ब्रिटिश) शिक्षावृत्तियां/पुरस्कार

13.12.0 इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय छात्रों को विकास अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भाषा और साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण तथा लघु व्यवसाय विकास के क्षेत्र में उच्च अध्ययन/अनुसंधान के लिए यू०के० भेजा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगभग 15 शिक्षावृत्तियों की पेशकश की जाती है। 31 दिसम्बर, 1992 तक 14 अध्येताओं को विदेश भेजा गया।

ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम

13.13.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत, शैक्षिक विकास और शैक्षिक परियोजना प्रबंध स्कूल परीक्षा विकास आदि जैसी गतिविधियों में संलग्न कार्मिकों को 3–9 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। 31 दिसम्बर, 1992 तक 18 उम्मीदवारों को विदेश भेजा गया है।

जवाहरलाल नेहरू स्मारक न्यास (यू० के०) छात्रवृत्तियां

13.14.0 इस स्कीम के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू स्मारक न्यास (ट्रस्ट) द्वारा यूनाइटेड किंगडम में माइक्रो इलेक्ट्रानिकी संगणक विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी अर्थशास्त्र, जन संचार और प्रबंध के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को दो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। 31 दिसम्बर, 1992 तक दो उम्मीदवारों को विदेश भेजा गया है।

ब्रिटिश परिषद विजिटरशिप कार्यक्रम

13.15.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 दिसंबर, 1992 तक 150 वैज्ञानिक, शिक्षाविद और चिकित्सा विशेषज्ञ अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकासों के पारस्परिक मूल्यांकन द्वारा लाभान्वित हुए।

ब्रिटिश उद्योग परिसंघ विदेश (ओवरसीज) छात्रवृत्ति स्कीम

13.16.0 इस स्कीम के अंतर्गत ब्रिटिश उद्योग परिसंघ लंदन सिविल इंजीनियरी और इलेक्ट्रोनिक्स/मेकैनिकल इंजीनियरी के विषय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। सिविल/इलेक्ट्रिकल और मेकैनिकल इंजीनियरी विशेषकर यू० के० फर्मों के साथ सहयोग के लिए अनुबंधित फर्मों में कार्यरत भारतीय राष्ट्रिक इन छात्रवृत्तियां के योग्य हैं।

जान क्राफोर्ड छात्रवृत्ति स्कीम

13.17.0 इस वर्ष में आस्ट्रेलिया सरकार के इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विषय क्षेत्रों में उच्च अध्ययनों/अनुसंधान के पश्चात डाक्टोरल डिग्री के लिए भारतीय राष्ट्रिको को योग्यता के आधार पर 9 छात्रवृत्तियां देना प्रारंभ किया है। लगभग 10 अध्येताओं को छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है और 5 अध्येता इस वर्ष आस्ट्रेलिया के लिए पहले ही रवाना हो चुके हैं।

विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की स्कीम

13.18.0 विदेशों में अध्ययन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासित छात्रवृत्ति की स्कीम वर्ष 1971 में प्रारंभ की गई थी। उच्चतम स्तर पर स्कीम की समीक्षा की गई और वर्ष 1990–91 में इसे बंद कर देने का निर्णय लिया गया। यद्यपि स्कीम बंद की जा चुकी है, भारत सरकार उन अध्येताओं को अनुरक्षण तथा अन्य भत्ते अभी भी देती है, जो अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं।

14. 20 सूत्रीय कार्यक्रम और विकलांग वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना

21—864 HRD/92

11.20—सूत्री कार्यक्रम और विकलांग वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना

सुलभ बनाना

14.1.1 वर्ष 1990–91 डॉ० बी० आर० अम्बेडकर का शताब्दी वर्ष था। राष्ट्रीय समिति, जो शताब्दी समारोहों के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी, ने यह निर्णय किया कि अनु०जाति और अनु० जनजाति के विकास के कार्यक्रम वर्ष 1992–93 तक जारी रहेंगे। शिक्षा विभाग ने अपने अधीन संगठनों को यह निर्देश जारी किए हैं कि वे जन्म शताब्दी समारोह शानदार ढंग से मनाने के लिए कार्यक्रम और कार्यकलाप शुरु करें और ये कार्यकलाप चालू वर्ष में भी जारी रखें। इन कार्यक्रमों में सामूहिक विचार विमर्श, सेमिनार निबंध प्रतियोगिता, डा० अम्बेडकर की जीवनी का प्रकाशन और उनकी कृतियों का संग्रह पाठ्य पुस्तकों इत्यादि में बाबा साहब के विचारों को शामिल करते हुए विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र और विचार शामिल हैं।

14.1.2 अनु० जातियों और अनु० जन जातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर शैक्षिक अवसरों में समानता लाने तथा असमानताओं को दूर करने पर जोर दिया गया था। आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा आदि की योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को यह सलाह दी गई थी कि वे खंडों के चयन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें जहां अनु० जाति और अनु० जनजाति के लोग बाहुल्य में हैं।

14.1.3 अनु० जातियों और अनु० जनजातियों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के संबंध में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा० शि० नी०–1992) के अनुसरण में कारंवाई योजना–1992 (कारंवाई योजना–92) तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्यदल ने साक्षरता में सुधार करने, नामांकन बढ़ाने और अनु० जातियों/अनु० जनजातियों में बीच में ही स्कूल छोड़ने वालों की दर कम करने, निःशुल्क, छात्रवृत्तियां, यूनीफार्म की आपूर्ति, बुकबैंक, दोपहर का भोजन इत्यादि के लिए 7वीं योजना के दौरान शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखने की सिफारिश की है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति ने भी कार्यान्वियन के लिए कार्यदल की सिफारिशों का समर्थन किया है।

14.1.4 अनु० जाति / अनु० जनजाति के छात्रों की योग्यता स्तर को बढ़ाने की योजना, जो 1987–88 में शुरु की गई थी, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती रही है, इस योजना के अंतर्गत उपचारात्मक प्रशिक्षण कक्षा IX से XII तक दिया जाता है, इसके अलावा उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के वास्ते कक्षा XI और कक्षा XII में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

14.1.5 अन्य सुविधाएं जैसे शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण (अनु० जा० के लिए 15% और अनु० जनजाति के लिए 7.1/2%) प्रवेश परीक्षाओं में अर्हक अंक प्राप्त करने में छूट, मट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों में आरक्षण, केन्द्रीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा विश्वविद्यालय स्तरीय अनुसंधान शिक्षावृत्तियों, अनुसंधान एसोसिएटशिप इत्यादि में आरक्षण जारी रहा।

14.1.6 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक ऐसी योजना संचालित कर रहा है, जिसके अंतर्गत अनु० जाति तथा अनु० जनजाति के जो छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में बहुत थोड़े अंकों की कमी के कारण सफल नहीं हो पाते हैं, उन्हें और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है तथा संगत पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाता है।

अल्पसंख्यकों को शिक्षा

14.2.1 अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी कार्यदल का कार्यवाई योजना (का० यो० : 86) का संशोधन करने के लिए गठन किया गया था। कार्यदल की एक उप–समिति ने अल्पसंख्यकों की शैक्षिक समस्याओं की जांच करने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संशोधित कारंवाई योजना–1992 में, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की प्रौन्नति के लिए अल्प अवधि मध्यावधि और दीर्घ अवधि के उपायों का सुझाव दिया गया है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कारंवाई पहले से ही शुरू कर दी गई है। नई पहल, जिसमें मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की योजना, अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्र कार्यक्रम और एक उर्दू विश्वविद्यालय का प्रावधान शामिल है।

14.2.2 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता प्रदान करने की योजना का कार्यान्वियन जारी रखा। एक 5 सूत्रीय पैकेज कार्यक्रम (5 सू० पै० का०) का उन कालेजों/विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया है, जहां प्रतियोगिताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी के कारण शुरू नहीं किया जा सका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बेहतर संस्थाओं में शिक्षण टाइपिंग, आशुलिपिक इत्यादि के लिए छात्रों को भेजने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

14.2.3 समुदाय मेल-जोल, धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के विचार से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा का कार्यक्रम रा० शै० अ० प० परि० और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को नियमित बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा एक संचालन ग्रुप गठित किया गया है।

14.2.4 कार्रवाई योजना के अंतर्गत निर्धारित सभी 41 अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले जिलों को 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक पोलिटेक्निक में शामिल किया गया है।

मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

14.2.5 मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिन्दी तथा अंग्रेजी को शुरू करने के लिए मदरसों और मकतबों जैसे परम्परागत संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना

14.2.6 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना, राज्य सरकारों और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम शुरू करने, जो चालू कार्यक्रमों में शामिल नहीं हैं, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

15. आयोजना, प्रबंध श्रौर अनुश्रवण

15. आयोजना, प्रबंध और अनुश्रवण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

15.1.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 मे यह संकल्प किया गया था कि प्रति पांचवे वर्ष इसके कार्यान्वियन की समीक्षा की जानी चाहिए। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का दिसम्बर 1990 मे समीक्षा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण से लेकर अब तक के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए नीति संबंधी एक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति गठित की गई थी। जिसका उद्देश्य नीति संबंधी समिति की रिपोर्ट का गहराई मे अध्ययन करना है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति ने 22 जनवरी, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा 5–6 मई, 1992 को हुई अपनी बैठक में विचार किया गया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के इस नीति का मोटे तौर पर समर्थन करते हुए कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की यथा अनुशंसित कुछ संशोधनों को संशोधित नीति-निर्धारणों में शामिल कर लिया गया तथा उन्हें 7 मई 1992 को संसद के पटल पर रखा गया।

कार्य योजना का पुनरीक्षण

15.2.0 नीति का पुनरीक्षण होने के फलस्वरूप कार्य योजना में संशोधन करना आवश्यक हो गया था। इस प्रयोजनार्थ डा० (श्रीमती) चित्रा नायक, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 22 कार्यदल तथा एक संचालन समिति का गठन किया गया। कार्यदलों, संचालन समिति की रिपोर्टो केआधार पर कार्य योजना का एक मसौदा तैयार किया गया जिसे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 1992 को हुई 48वीं बैठक में विचार किया गया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा यथा पृष्ठांकित कार्य–योजना 1992 को 19 अगस्त, 1992 में संसद के पटल पर रखी गई।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

15.3.1 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड मे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, प्रशासकों, शिक्षाशास्त्रियों तथा शिक्षाविदों को शामिल करके इसे राष्ट्र स्तरीय निकाय के रूप में प्रतिष्ठित करना है। इसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रवृत्तियों की समीक्षा, कार्य-क्रमों के कार्यान्वियन का विश्लेषण तथा नीति निर्धारण में परामर्श देकर शिक्षा नीति के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करना है।

15.3.2 केन्द्रीय शिक्षा सहलाकार बोर्ड की 1992 के दौरान दो बैठकें हुई। मई, 1992 मे हुई बैठक मे इसने संशोधित नीति निर्माण की सिफारिश की तथा अगस्त 1992 में हुई बैठक मे संशोधित कार्य योजना, 1992 का प्रारूप भेजा।

15.3.3 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने विशेष विषयों पर विभिन्न समितियों का गठन किया। नीति पर समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा पर विचार किया तथा 22 जनवरी, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नाम समिति पर समिति ने अपनी रिपोर्ट 24 अप्रैल, 1992 को प्रस्तुत की। विधान परिषदों में शिक्षको के प्रतिनिधित्व पर समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 जुलाई, 1992 को प्रस्तुत की।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान

15.4.1 भारत सरकार द्वारा स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने शैक्षिक आयोजकों तथा प्रकाशकों के प्रशिक्षण, शोध, नवाचारों तथा परामर्शी सेवाओं के प्रसार के संबंध में कार्यकलापों को जारी रखा। यह संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। वर्ष 1992–93 के दौरान इस संस्थान के विशेष कार्यकलाप निम्नवत हैं :—

आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

— चीन गणराज्य के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक आयोजना तथा प्रबन्ध में यूनिसेफ प्रायोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (7 दिसम्बर 1992–6 जनवरी 1993)

— साक्षरता एवं सतत शिक्षा की आयोजना एवं प्रबंध पर यूनेस्को द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला (3 अगस्त से 14 अगस्त 1992)

— आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ-शासित प्रशासन में 8 क्षेत्र आधारित पाठ्यक्रम।

— स्वायत्त कालिजों के प्राचार्यों के लिए कार्यशालाएं (3 जून से 6 जून 1992)

— अकादमी स्टाफ कालिज की समीक्षा–बैठक (23 जुलाई से 24 जुलाई 1992)

— कालिज प्राचार्यो के लिए तीन कार्यक्रम (13 जुलाई से 18 जुलाई, 1992, 17 अगस्त से 28 अगस्त, 1992 तथा 1 सितम्बर से 7 सितम्बर 1992)

— दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की आयोजना एवं प्रबन्ध (9 सितम्बर से 11 सितम्बर, 1992)

— डाइट पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (14 से 15 सितम्बर 1992) डाइट कार्मिकों के लिए (7 अक्तूबर से 23 अक्तूबर 1992) राजस्थान अनौपचारिक शिक्षा के सहायक निदेशक (17 अगस्त से 21 अगस्त 1992) तथा विकलांग शिक्षा के राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी (21 सितम्बर से 23 सितम्बर, 1992)

— नई शिक्षा नीति तथा शिक्षा वित्तपोषण पर एक एक बैठक (28 सितम्बर से 30 सितम्बर 1992)

शोध अध्ययन

15.4.2 पूरे कर लिये गये अध्ययन

— कालिजों की कुशल कार्य–पद्धति का विकास: कार्य अनुसंधान अध्ययन (चरण II)

— बुनियादी शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता में अन्तर–जिला विभिन्नता।

— भारत के मौजूदा पत्राचार संस्थानों मे पठन तथा पाठन के प्रबन्ध के लिए अपनाए गए तरीकों का समीक्षात्मक मूल्यांकन (नीपा की सहायता योजना के अन्तर्गत)

— मेघालय तथा मिजोरम के साक्षरता स्तर में योगदान देने वाले तत्वों का पायलट अध्ययन (नीपा की सहायता – योजना के तहत)

— शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रबन्ध (नीपा की सहायता योजना के तहत)

अध्ययन जो प्रगति पर हैं —

15.4.3 23 अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनमें से 9 अध्ययन, प्रायोजित अध्ययन है तथा 4 नीपा सहायता योजना के अन्तर्गत आते हैं।

15.4.4 निकाले गए (प्रकाशित किए गए) प्रकाशन

— शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन पत्रिका, खण्ड V संख्या 3 जुलाई 1991 संख्या 4 अक्तूबर, 1991 तथा खण्ड VI संख्या 1 जनवरी 1992

— शिक्षा–आयोजकों एवं प्रशासकों के लिए पर्यावरणात्मक शिक्षा पर क्षेत्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट।

भारत में शिक्षा का विकास — 1990–92

नीपा की समीक्षा समिति

15.4.5 भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा गठित की गई नीपा की समीक्षा समिति की सिफारिशों पर इस प्रयोजनार्थ गठित एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की गई। इस अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है तथा आलोच्य वर्ष के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

15.4.6 समीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार नीपा के समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 3 में इस संस्थान को जिन निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों तथा मिशन से स्थापित किया गया था, को समाहित करके संशोधन किया गया :–

— शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में उत्कृष्टता लाने के लिए नीपा को एक राष्ट्रीय केन्द्र बनाना ताकि अध्ययन, नए विचारों, तकनीक की उत्पत्ति के माध्यम मे शिक्षा की आयोजना तथा प्रबन्ध की गुणवत्ता में सुधार तथा पारस्परिक क्रिया के माध्यम से उनका प्रसार तथा नीति–विषयक दल को प्रशिक्षण दिया जा सके तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

15.4.7 अन्य संस्थानों के साथ संबंधों के नैटवर्क तथा विकास की दिशा में इस संस्थान ने निम्न के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है (I) यूनेस्को के अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना संस्थान, पेरिस तथा (II) मानव संसाधन विकास के संघाई संस्थान, चीन जो कि शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को आयोजित करने में भी लगे हुए हैं।

शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि के लिए सहायता–योजना

15.5.1 शिक्षा नीति के कार्यान्वियन के लिए अध्ययन, संगोष्ठियों मूल्यांकन आदि की योजना का मुख्य उद्देश्य, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रभाव एवं मूल्यांकन अध्ययनों आदि के आयोजन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव के गुण–दोष के आधार पर योग्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसे कार्यक्रमों को शिक्षा नीति इसके कार्यान्वियन एवं संबंधित समस्याओं से सम्बद्ध किया जाना होगा।

15.5.2 वर्ष 1992–93 के दौरान केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा इसकी समितियों की बैठकों के साथ–साथ दो कार्यशालाएं, दो बैठकें एक सम्मेलन आयोजित करने तथा एक पत्रिका के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना पद्धति (सी०एम०आई० एस०)

15.6.1 कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना पद्धति (सी०एम० आई० एस०) एकक (यूनिट) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के आयोजना, अनुवीक्षण तथा सांख्यिकी डिवीजन के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। इस एकक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा विभाग के लिए प्रबन्ध सूचना पद्धति के कार्यान्वियन के लिए साफ्टवेयर का विकास तथा रख-रखाव है। इस समय इस एकक के प्रिन्टर्स के साथ 3 पी० सी० (2 पी० सी/ए० टी० तथा

1 पी० सी०/एक्स टी०) तथा सुपरपी०सी० कास्मौस 486 प्रणाली के चार टर्मिनल हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, आयोजना अनुवीक्षण तथा सांख्यिकीय प्रबन्ध, पुस्तक संवर्धन ब्यूरो आदि की अधिकतर परियोजनाओं (लगभग 27 परियोजनाएं) को कम्प्यूटरीकरण के लिए चुना गया तथा ये परियोजनाएं सफलतापूर्वक समाप्त हो गई हैं। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं सतत प्रवृत्ति की हैं तथा उन पर मासिक, त्रैमासिक छः माही तथा वार्षिक आधार पर कारवाई की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ नए क्षेत्रों को कम्प्यूटरीकरण के लिए शामिल करने के लिए चुना गया है। मौजूदा पदों को प्रोन्नत करने तथा अधिक हार्डवेयर लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

15.6.2 इस वर्ष के दौरान, इस एकक ने विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक योजना प्रस्तावों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पुर्नविचार समिति की रिपोर्ट, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कार्य-योजना आदि, विभिन्न रिपोर्टों से संबंधित कार्य भी आरम्भ किया है।

15.6.3 इस एकक द्वारा कम्प्यूटरीकरण के लिए आरम्भ की गई परियोजनाओं की सूची निम्नवत है :—

प्रशासन —

- अन्तरिक समायोजन के उद्देश्य से नाम, पद, प्रभाग, अनुभाग, कार्यग्रहण तिथि आदि जैसे चुनिन्दा क्षेत्रों में शिक्षा-विभाग के समूह "ख" व समूह "ग" के अधिकारियों से संबंधित डाटाबेस का सृजन।
- शिक्षा विभाग में कर्मचारी वृन्द की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए तैयार किए गए डाटाबेस व साफटवेयर।
- शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करने वाले उन स्वायत्त संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण जिनमें संगठन के अध्यक्षों के पद रिक्त पड़े हैं तथा उन्हें भरने के लिए कारवाई की गई है।
- रिक्तियों तथा उप सचिव/निदेशक के ग्रेड में चयनित अधिकारियों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण।
- शिक्षा-विभाग के अधिकारियों (उप सचिव तथा उस से ऊपर) के अधिकारियों की राज्यवार / कॅडरवार सूची।
- शिक्षा विभाग की वेतन बिल प्रणाली
- शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भुगतान-सूची
- शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए डाटाबेस का सृजन।
- सेवा एवं आपूर्ति के समेकित व्यय का अनुवीक्षण।
- टेलीफोन डायरेक्टरी।

सांख्यिकी

- "एजुकेशन इन इण्डिया" खण्ड (i) (एस)
- "एजुकेशन इन इण्डिया" खण्ड ii (एस)
- "एजुकेशन इन इण्डिया" खण्ड ii (सी)
- "एजुकेशन इन इण्डिया" ए खण्ड iii
- चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी
- चुनिन्दा स्कूल सूचना
- शैक्षिक सांख्यिकी-एक झलक
- विदेशों में जाने वाले भारतीय छात्र
- विदेशों में जाने वाले भारतीय प्रशिक्षणार्थी
- "ए हैंडबुक आफ एज्युकेशनल एण्ड एलाइड स्टेटिक्स 1991" नामक प्रकाशन के लिए विकसित डाटाबेस और उत्पादित सारणियों।
- शिक्षा मंत्रियों/मुख्य सचिवों/शिक्षा सचिवों/डी० पी० आई० आदि का डाटाबेस।

आयोजना

- बजट व्यय
- वर्ष 1993-94 के लिए वार्षिक योजना प्रस्ताव।

पुस्तक संवर्धन

- राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एकक के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्याकन (आई० एस० बी० एन०) प्रणाली का निर्माण।

अनु० जाति/अनु० ज० जाति एकक

- एजुकेशन इन इण्डिया खण्ड IV (एस)
- एजुकेशन इन इण्डिया खण्ड IV (सी)

विविध कार्य

- विशेष विस्तार के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश का कम्प्यूटरीकरण मानव संसाधन विकास मंत्री, मंत्री परामर्शी समिति के सदस्य, संसद सदस्य आदि।

15.6.4 कम्प्यूटर के प्रति जागरूकता लाने तथा कम्प्यूटर संचालन और साफ्टवेयर पर अनुप्रयोग में बुनियादी विशेषज्ञता सुलभ कराने के लिए इस एकक ने अवर श्रेणी लिपिकों / अपर श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

वार्षिक योजना

15.7.0 योजना आयोग के मार्गदर्शी पत्र में उल्लिखित प्राथमिकताओं तथा मुख्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के वार्षिक योजना (1993-94) प्रस्तावों को तैयार

किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बीच 19 नवम्बर, 1992 को हुई बैठक में योजना आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा की।

शैक्षिक सांख्यिकी

15.8.1 सांख्यिकीय डिवीजन द्वारा वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए शैक्षिक सांख्यिकीय स्थायी समिति की 16 वीं बैठक, 4 मार्च, 1992 को आयोजित गई।

15.8.2 शिक्षा सचिव ने सांख्यिकीय अनुभाग के कार्य-संचालन तथा राष्ट्रीय आंकड़ा संग्रह प्रणाली के माध्यम से निकाले गए विभिन्न प्रकाशनों की समग्र जांच करने के लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है। उन्होंने सांख्यिकीय, वित्तीय तथा सम्बद्ध सांख्यिकीय आंकड़ों को यथाशीघ्र प्रकाशित कराने के लिए कहा। इन निर्देशों के अनुसरण में, सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के सभी शिक्षा–सचिवों को शिक्षा सचिव के स्तर से, अपेक्षित शैक्षिक सांख्यिकी श्रृंखला के यथा-शीघ्र प्रकाशित कराने के लिए एक पत्र भेजा गया। शिक्षा सचिव यहअपेक्षा करते हैं कि पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दरों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए। तदनुसार, कार्रवाई की गई।

15.8.3 निम्नलिखित प्रकाशन श्रृंखला निकाली गई अथवा उनकी पूरी तरह से तैयार पाण्डुलिपियों को प्रकाशन के लिए सी० एम० आई० एस० यूनिट को भेज दिया गया :—

1. चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी–1991–92
2. भारत में शिक्षा–खण्ड (I) (सी) –1987–88
3. भारत में शिक्षा – खण्ड (सी) 1987–88
4. भारत में शिक्षा–खण्ड (II) (सी)–1986–87
5. भारत में शिक्षा–खण्ड (II) (एस)–1985–86
6. भारत में शिक्षा–खण्ड (III) 1981–82 से 1985–86
7. भारत में माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड –हाई स्कूल तथा हायर सैकेण्डरी परीक्षाओं के परिणाम–1985–86

15.8.4 आर्थिक अभाव के कारण, इन सभी प्रकाशनों को प्रकाशित न करने का निर्णय किया गया तथा इसके स्थान पर लेसर प्रिन्टर के माध्यम से इनकी कुछ प्रतियां निकालने तथा उपभोक्ता संगठनों के लिए आंकड़े साफ्टवेयर/फ्लोपिस में रखने का विचार किया गया। वर्ष के दौरान, "चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकीय सूचना 1991" विषय पर एक पैम्फलैट निकाला गया।

15.8.5 आंकड़ों के तत्काल संग्रह तथा समेकन के लिए सांख्यिकीय अनुभाग के अधिकारियों ने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्यों के अधिकारियों ने भी आंकड़ों के समेकन तथा शैक्षिक सांख्यिकीय प्रपत्रों में हुई कमियों को दूर करने के लिए मंत्रालय का दौरान किया। सांख्यिकी अनुभाग के अधिकारियों ने संगणक एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

शैक्षिक सांख्यिकी (आंकड़ों) का कम्प्यूटरीकरण

15.8.6 वर्ष 1989–90 में "राज्यों में शैक्षिक सांख्यिकी का कम्प्यूटरीकरण" नामक केन्द्रीय योजना को शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में किया गया था तथा अब 1991–92 में इस योजना का विस्तार सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में किया जा रहा है ताकि अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षिक आंकड़ों को इकट्ठा करने तथा उनके प्रकाशन में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके तथा केन्द्र तथा राज्य स्तर पर आयोजना एवं निर्णय लेने के लिए कम्प्यूटरीकृत सांख्यिकी आधार तैयार किया जा सके। शैक्षिक आंकड़ों को इकट्ठा करने तथा कार्यसंचालन में संलग्न राज्य के सांख्यिकीय अनुभाग के अधिकारियों के लाभ के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला, एन० आई० सी०, नई दिल्ली के सहयोग से फरवरी, 1992 में आयोजित की गई। 9 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के सहभागियों ने इस प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया। राज्यों से अनुरोध किया गया कि यदि उन्होंने फार्मों (प्रपत्रों) को छपवाया नहीं है, तो कृपया उन्हें छपवा लें।

15.8.7 एक तो इस मंत्रालय के सांख्यिकी अनुभाग द्वारा चलाई जा रही, तथा दूसरी नीपा के अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा चलाई जा रही, कम्प्यूटरीकरण की इन दोनों योजनाओं के सम्मेलन के प्रस्ताव के लिए एक कोप परियोजना इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

15.8.8 सांख्यिकी एवं कम्प्यूटरीकरण के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को नामित करने के लिए शिक्षा सचिव/संयुक्त सचिव स्तरों पर राज्य के शिक्षा सचिवों को सम्बोधित किया गया।

16. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

16. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

16.1.1 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की स्थापना काल से ही भारत इसके आदर्शों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में अग्रणी पंक्ति में रहा है। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए वर्ष 1949 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शी, कार्यकारी, सम्पर्क, सूचना और समन्वय निकाय है। भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग यूनेस्को के कार्य विशेष रूप से इसके कार्यक्रम की तैयारी और कार्यान्वयन में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोग के सहयोग से सक्रिय भूमिका निभाता रहा है।

16.1.2 वर्ष के दौरान भारत ने अनेक कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेकर, यूनेस्को के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्क्षेत्रीय गतिविधियों के आयोजन में सहयोग देकर, भारतीय संस्थाओं में यूनेस्को के अधिसदस्यों का नियोजन कर, यूनेस्को के सहभागी कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनायें तैयार करके और यूनेस्को कूपन स्कीम के प्रशासन के माध्यम से यूनेस्को और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियों में योगदान दिया।

विकास हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव परिवर्तन के लिए एशिया-प्रशांत कार्यक्रम (एपेड)

16.1.3 एशिया और प्रशांत के विकास के लिए यूनेस्को के शिक्षा सम्बन्धी अभिनव परिवर्तन के क्षेत्रीय कार्यक्रमों (एपेड) के प्रोत्साहक के रूप में भारत ने एपेड कार्यक्रमों और इसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। एपेड का मुख्य सहयोगी केन्द्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय विकास समूह (एन०डी०जी०) के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, एपेड गतिविधियों के सूचना के प्रसार को मुकर बनाता है और क्षेत्रीय स्तर पर अभिनव परिवर्तन सम्बन्धी अनुभवों को बढ़ावा देता है। शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव परिवर्तनों के लिए राष्ट्रीय विकास समूह की कार्यकारी समिति की दूसरी बैठक 9-10-1992 को सम्पन्न हुई।

सबके लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत कार्यक्रम (अपील)

16.1.4 यूनेस्को का एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत कार्यक्रम (अपील) है जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसे यूनेस्को ने वर्ष 1987 में दिल्ली में प्रारम्भ किया था। सबके लिए शिक्षा पर एक विश्व सम्मेलन (डब्ल्यू०सी०ई०एफ०ए०) मार्च, 1990 में जोमतिएन, थाईलैंड में आयोजित किया गया था।

16.1.5 सभी के लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत कार्यक्रम (अपील) और सबके लिए शिक्षा (ई०एफ०ए०) की गतिविधियों के समन्वय के लिए भारत द्वारा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समन्वय समिति की 7वीं बैठक 12 मार्च, 1992 को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में भारत में प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में अपनाई गई कार्यनीतियों और उपलब्धियों तथा प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने पर ध्यान दिया गया। समिति ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि हाल के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों से साक्षरता की समस्या के संबंध में जागरूकता बढ़ी है।

यूनेस्को के तत्वाधान में आयोजित अन्तः सरकारी समिति/परिषद आदि की बैठकें

16.1.6 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव श्री वाई० एन० चतुर्वेदी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के श्री इफ्तिकार आलम खान ने 14—18 नवम्बर, 1992 को तेहरान में आयोजित मध्य एशिया में सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया।

यूनेस्को का तदर्थ प्रतिबिम्बन संघ मंच

16.1.7 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र की सदस्य सचिव डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 140वें सत्र में यूनेस्को के तदर्थ प्रतिबिम्बन मंच के 21 सदस्यों में चुना गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का तैंतालीसवां सत्र

16.1.8 अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 43वें सत्र का आयोजन 14—19 सितम्बर, 1992 के दौरान जनेवा में हुआ। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में एक छः सदस्यीय भारतीय शिष्ट मंडल ने बैठक में भाग लिया।

16.1.9 सम्मेलन का मुख्य विषय था "शिक्षा, संस्कृति और विकास में समन्वित नीतियों और कार्यनीतियों"। भारत, 1990 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 42वें सत्र का अध्यक्ष था। सम्मेलन के निर्गामी अध्यक्ष के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने 14 सितम्बर, 1992 को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 43वें सत्र में उद्घाटन भाषण दिया।

यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड

16.1.10 यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य श्री एन० कृष्णन ने क्रमश: 18 से 27 मई, 1992 और 12 से 31 अक्तूबर, 1992 को पेरिस में आयोजित यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 139वें और 140वें सत्र में भाग लिया।

यूनेस्को के बजट में अंशदान

16.1.11 यूनेस्को का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्विवार्षिक रूप से यूनेस्को के नियमित बजट में अंशदान देता है। अंशदान के स्वीकृत मापदंड के अनुसार वर्ष 1990–91 और 1992–93 के लिए भारत का अंशदान यूनेस्को के कुल बजट का 0.36% निश्चित किया गया था। तदनुसार भारत ने वर्ष 1990 के लिए 176 लाख तथा वर्ष 1991 के लिए 198.34 लाख रुपये का अंशदान दिया। भारत ने वर्ष 1991 के लिए 21.17 लाख रुपये की राशि अलग से दी, ताकि मुद्रा सम्बन्धी उतार–चढ़ाव और जुलाई, 1991 में दो बार मुद्रा के अधिकृत अवमूल्यन किए जाने के फलस्वरूप यूनेस्को द्वारा भारतीय मुद्रा में स्वीकृत अंशदान के जुलाई, 1991 तक के अप्रयुक्त शेष से संबंधित विनियम हानि को पूरा किया जा सके।

एशिया और प्रशांत के लिए यूनेस्को के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय (प्रोप) के सम्बन्ध में क्षेत्रीय संगोष्ठी ––1992–93 के लिए कार्यवाही योजना

16.1.12 तत्कालीन शिक्षा सचिव श्री अनिल बोर्दिया ने एशिया और प्रशांत के लिए यूनेस्को के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय (प्रोप) की कार्य योजना 1992–93 के संबंध में 20—25 फरवरी, 1992 के दौरान बैंकाक (थाईलैण्ड) में आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। यह संगोष्ठी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए तत्काल महत्व के क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और एशिया और प्रशांत के लिए यूनेस्को के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय (प्रोप) के विकास और भूमिका का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। संगोष्ठी में सिफारिश की गई कि प्रोप को प्राथमिकता के निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

(i) सबके लिए बुनियादी शिक्षा।

(ii) माध्यमिक, तकनीकी और व्यावसायिक, उच्च शिक्षा और कार्य जगत।

(iii) आयोजना और प्रबंध।

(iv) जीवन की कोटि के लिए शिक्षा।

विकास हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव परिवर्तन के लिए एशिया-प्रशांत कार्यक्रम (एपेड) पर क्षेत्रीय विचार-विमर्श बैठक

16.1.13 शिक्षा विभाग के अपर सचिव श्री आर० के० सिन्हा ने 22 से 25 जून, 1992 को जोमतिएन (थाईलैण्ड) में आयोजित तेरहवीं विकास हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव परिवर्तन के लिए एशिया प्रशांत कार्यक्रम (एपेड) पर क्षेत्रीय विचार-विमर्श बैठक (आर०सी०एम०) में भाग लिया। अन्य बातों के साथ क्षेत्रीय विचार–विमर्श बैठक का मुख्य उद्देश्य एपेड की अब तक की गतिविधियों के प्रभाव सहित इसका विस्तृत पुनरीक्षण करना था।

16.1.14 बैठक में विचारित सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा पांचवे चक्र के लिए बुनियादी शिक्षा संबंधी क्षत्रीय कार्यक्रम तैयारी मिशन की रिपोर्ट थी जिसे यू०एन०डी०पी० के क्षेत्रीय एशिया और प्रशांत ब्यूरो ने तैयार किया था। बैठक में मिशन रिपोर्ट के विशिष्ट पक्षों पर अनेक टिप्पणियां की गई।

एशिया और प्रशांत में यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोगों के दसवें क्षेत्रीय सम्मेलन को तैयारी समिति की बैठक

16.1.15 शिक्षा विभाग में (यूनेस्को प्रभाग) के निदेशक श्री एस०आर० नायल ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में नाटकाम्प के दसवें क्षेत्रीय सम्मेलन की तैयारी समिति की पहली बैठक में भाग लिया जिसे यूनेस्को के लिए आस्ट्रेलिया राष्ट्रीय आयोग ने 29 जून, से 1 जुलाई, 1992 के दौरान कनबरा, आस्ट्रेलिया में आयोजित किया था। प्रेपकाम ने 10वें क्षत्रीय सम्मेलन के लिए कार्यसूची का प्रारूप तैयार किया। सम्मेलन के कार्य संबंधी दस्तावेज तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आयोगों को निर्दिष्ट किया, सम्मेलन के सहभागियों और प्रेक्षकों की सूची तैयार की तथा इसकी प्रक्रिया संबंधी नियमावली को स्वीकार किया।

सबके लिए शिक्षा के एशिया-प्रशांत कार्यक्रम (अपील) के क्षेत्रीय समन्वय की बैठक

16.1.16 शिक्षा विभाग के अपर सचिव श्री आर० के० सिन्हा ने सबके लिए शिक्षा के एशिया प्रशांत कार्यक्रम (अपील) के क्षेत्रीय की तीसरी बैठक में भाग लिया जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम के पुनरीक्षण के लिए 23–27 जुलाई, 1992 को बैंकाक में आयोजित की गई थी।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एशिया और प्रशांत संगोष्ठी 1992 (तोक्यो संगोष्ठी, 1992) औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में नई प्रौद्योगिकियां––वर्तमान प्रवृत्तियां और भावी संभावनायें

16.1.17 शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव श्री प्रियदर्शी ठाकुर ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एशिया और प्रशांत संगोष्ठी –1992 औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में नई प्रौद्योगिकियां—वर्तमान प्रवृत्ति और भावी संभावनायें में भाग लिया जो 29 सितम्बर से 7 अक्तूबर 1992 के दौरान तोक्यो में आयोजित की गई थी।

श्री प्रियदर्शी ठाकुर को वर्ष 1992 के सेमिनार की पूरी अवधि के लिए अध्यक्ष चुना गया।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यूनेस्को के राष्ट्रीय आयोगों का दसवां क्षेत्रीय सम्मेलन

16.1.18 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सचिव श्री एस० वी० गिरि ने 30 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 1992 तक केनबरा (आस्ट्रेलिया) में आयोजित एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए यूनेस्को के राष्ट्रीय आयोगों के 10वें क्षेत्रीय सम्मेलन में तथा केनबरा में ही 27 और 28 नवम्बर, 1992 को आयोजित तैयारी समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक के मुख्य उद्देश्य थे – (i) बीजींग (चीन) में आयोजित एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए यूनेस्को के राष्ट्रीय आयोगों के नवें क्षेत्रीय सम्मेलन और तेहरान (ईरान), आकलेंड (न्यूजीलैंड) और कोलालुम्पुर (मलेशिया) में आयोजित यूनेस्को के राष्ट्रीय आयोगों की उप-क्षेत्रीय बैठकों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विचार–विमर्श करना (ii) वर्ष 1994–95 के लिए कार्यक्रम और बजट के प्रारूप से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रस्तावों की महानिदेशक द्वारा समीक्षा करना (iii) क्षेत्र में यूनेस्को के कार्यकलापों के ढांचे के अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग के विकेन्द्रीकरण और विकास की प्रक्रिया में एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में यूनेस्को के राष्ट्रीय आयोगों की भूमिका, (iv) सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई और एम० आई० एन० ई० डी० ए० पी० vi को तैयार करने में राष्ट्रीय आयोगों का योगदान और (v) पर्यावरणीय शिक्षा के विकास और विज्ञान–शिक्षा आदि के प्रोन्नयन और विकास के संबंध में जून, 1992 में आयोजित यू० एन० सी० ई० डी०, रियो डी० जेनिरियो की अनुवर्ती कार्रवाई में यूनेस्को और राष्ट्रीय आयोगों की भूमिका।

मध्य एशिया की सभ्यता के इतिहास को तैयार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति ब्यूरो की बैठक

16.1.19 भारत सरकार के आमंत्रण पर यूनेस्को ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से 13–17 अप्रैल, 1992 को नई दिल्ली में मध्य एशिया की सभ्यता के इतिहास को तैयार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति ब्यूरो की एक बैठक आयोजित की। इस परियोजना के लिए इस बैठक का विशेष महत्व था क्योंकि इस क्षेत्र की संस्कृति को समृद्ध करने में भारत का काफी योगदान रहा है। बैठक में मध्य एशिया की सभ्यता के इतिहास को तैयार करने और प्रकाशित करने हेतु यूनेस्को के कार्यक्रम को आगे कार्यान्वित करनेके लिए सिफारिशें तैयार की गई।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र सामाजिक विज्ञान सूचना तन्त्र (ए० पी० आई०एन०ई०एस०एस०) के तीसरे क्षेत्रीय सलाहकार दल (आर० ए० जी०) की बैठक

16.1.20 एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए यूनेस्को के मुख्य कार्यालय, बैंकाक ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई० सी० एस० एस० आर०), नई दिल्ली के सहयोग से 25 से 27 अगस्त, 1992 तक नई दिल्ली में एशिया और प्रशान्त क्षेत्र सामाजिक विज्ञान सूचना तन्त्र (ए० पी०आई० एन० ई० एस० एम०) के तीसरे क्षेत्रीय सलाहकार दल (आर० ए० जी०) की बैठक आयोजित की। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर ए० पी० आई० एन० ई० एम० एस० के कार्यकलापों की समीक्षा करना और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान सूचना तन्त्र को क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सुदृढ़ और विकसित करने की प्रक्रियाओं और साधनों पर विचार-विमर्श करना था। बैठक में ए० पी० आई० एन० ई० एस० एस० के भविष्य के कार्यक्रमों पर भी विचार किया गया तथा सूचना और प्रलेखन के कार्यों और तंत्र के क्षेत्र में यूनेस्को के भविष्य के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों पर सिफारिशें दी गई।

व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तन: शिक्षा के लिए एक चुनौती पर क्षेत्रीय सेमिनार

16.1.21 एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए यूनेस्को के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय (पी० आर० ओ० ए० पी०) ने यूनेस्को के भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से 9 से 14 दिसम्बर, 1992 तक नई दिल्ली में व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तन शिक्षा के लिए एक चुनौती पर एक क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किया।

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्य सम्मेलनों/बैठकों/कार्य शिविरों/कार्यदलों में भारत की सहभागिता

16.1.22 भारतीय विशेषज्ञों ने मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के शिक्षा विभाग की ओर से यूनेस्को द्वारा या उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित कार्यशिविरों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यदल की बैठकों आदि में प्रतिनिधित्व किया :

—19–21 मई, 1992 को टोक्यो में ग्रामीण क्षेत्रों में नव–साक्षरों के लिए सामग्री तैयार करने के लिए एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के संयुक्त कार्यक्रम पर आयोजित योजना बैठक 1992

—8 से 15 सितम्बर, 1992 तक ई०एफ०ए० की मानीटरिंग और अनुवर्ती व्यवस्था के विकास के लिए बैंकाक में आयोजित विशेषज्ञ दल की बैठक।

—14—23 सितम्बर, 1992 तक आय–जनित सतत शिक्षा कार्यक्रम पर जोम्तियन, बैंकॉक में आयोजित तकनीकी कार्यकारी दल की बैठक

16.1.23 भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने उपर्युक्त बैठकों के अलावा यूनेस्को द्वारा या यूनेस्को के तत्वावधान में आयोजित लगभग 28 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों, कार्यशिविरों, सेमिनारों, सम्मेलनों, आदि में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को नामित किया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने भारत में विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन दौरों के लिए यूनेस्को के सदस्यों

के नियोजन-कार्य में भी मदद की। आयोग ने यूनेस्को, पेरिस द्वारा आयोग को अधिसूचित विभिन्न पदों के लिए आठ भारतीय उम्मीदवारों की भी सिफारिश की।

यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम

16.1.24 अपने सहभागिता कार्यक्रम के दौरान यूनेस्को के लक्ष्यों के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय, उपक्षेत्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय स्तरों पर योगदान करने वाली नवीन परियोजनाओं को शुरु करने के लिए यूनेस्को के कार्यक्रमों और कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के कार्य में संलग्न अपने सदस्य देशों के विभिन्न संस्थानों और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1992-93 को द्विवर्षीय अवधि के दौरान सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत 27 परियोजनायें यूनेस्को के पास भेजी गई जिसमें से 12 परियोजनायें 1,98,500/- अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता सहित यूनेस्को द्वारा अनुमोदित हो गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा, यूनेस्को क्लब और सहायता प्राप्त स्कूल

16.1.25 यूनेस्को क्लब, जो मुख्य रूप से शैक्षिक संस्थानों में गठित हैं, स्वैच्छिक निकाय हैं जो संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में संलग्न हैं।

संबद्ध स्कूल ऐसे शैक्षिक संस्थान हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना सहयोग और शान्ति के लिए शिक्षा से सम्बन्धित कार्यकलाप करने के लिए संबद्ध स्कूल परियोजना में सहभागिता के लिए यूनेस्को सचिवालय के साथ साझेदार जुड़े हुए हैं। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर भारत से 37 स्कूलों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को इस परियोजना के अन्तर्गत यूनेस्को के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

16.1.26 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को क्लबों तथा संबद्ध स्कूलों के लिए राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी है। लगभग 250 यूनेस्को क्लबों को भारतीय राष्ट्रीय आयोग के यहां पंजीकृत किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए अन्तर-राष्ट्रीय दिवस तथा वर्ष मनाने, बैठकें, वाद-विवाद, प्रतियोगितायें आयोजित करने जैसे यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों को करने के लिए यूनेस्को क्लबों तथा संबद्ध स्कूलों को वस्तुगत तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में 17 वीं फोटो प्रतियोगिता

16.1.27 यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, यूनेस्को के लिए एशियाई सांस्कृतिक केन्द्र (ए० सी० सी० यू०) जापान द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाने वाली फोटो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इस सांस्कृतिक केन्द्र को अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 17वीं फोटो प्रतियोगिता के लिए भारत से 9 व्यक्तियों को पुरस्कृत किए जाने के लिए चुना गया।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार

16.1.28 यूनेस्को ने 1992 के लिए किंग सी जोंग साक्षरता पुरस्कार पांडिचेरी में साक्षरता तथा उत्तर-साक्षरता अभियानों की सावधानीपूर्वक योजना तैयार करने तथा इन्हें संचालित करने के लिए पांडिचेरी के पुडुवई अरिवोली इयक्कम (ज्ञान के प्रकाश के लिए आन्दोलन) को प्रदान किया। पुरस्कार वितरण समारोह से विले (स्पेन) के एक्सपो, 92 में 8 सितम्बर, 1992 को आयोजित किया गया। समारोह में पुडुवई अरिवोली इयक्कम के प्रतिनिधि ने पुरस्कार ग्रहण किया।

यूनेस्को का कूपन कार्यक्रम

16.1.29 शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा विदेशों से विदेशी विनियम तथा आयात नियंत्रण सम्बन्धी औपचारिकताओं से बिना गुजरे ही अपने वास्तविक जरूरत के शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपस्करों, शैक्षिक चलचित्रों इत्यादि का आयात करने में इनकी मदद करने के लिए आयोग ने यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय कूपन योजना को जारी रखा। कुल 13,500/- अमरीकी डालर के मूल्य के यूनेस्को कूपनों की बिक्री हुई।

'यूनेस्को कूरियर' के भारतीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन

16.1.30 कूरियर यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक शैक्षिक और सांस्कृतिक पत्रिका है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को सचिवालय के सहयोग से इस पत्रिका के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन के लिए मदद जारी रखी। पत्रिका के भाषा संस्करण शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, यूनेस्को क्लबों, सम्बद्ध स्कूलों तथा जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए हैं।

स्वैच्छिक निकायों, यूनेस्को क्लबों तथा सम्बद्ध स्कूलों को वित्तीय सहायता

16.1.31 यूनेस्को के आदर्शों तथा उद्देश्यों को पूरा करने वाले कार्यकलापों को करने के लिए आयोग स्वैच्छिक संगठनों यूनेस्को क्लबों तथा सम्बद्ध स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना चला रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न निकायों को 22,000/- रु० का सहायता अनुदान मंजूर किया गया।

विशालतम विकासशील देशों में सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को/यूनिसेफ की पहल

16.1.32 यूनेस्को के महानिदेशक तथा यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक ने सभी के लिए शिक्षा के लिए एक अंतः एजेंसी पहल शुरू की है जिसका मुख्य ध्यान सबसे अधिक जनसंख्या वाले नौ देशों पर है जहां संसार के 73 प्रतिशत निरक्षर रह रहे हैं। ये नौ देश हैं :--भारत, चीन, मिश्र,

मेक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, बंगलादेश तथा पाकिस्तान । इस पहल के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(I) सर्वोच्च राजनीतिक स्तर का ध्यान आकर्षित करना तथा सरकार के प्रमुखों को अपने-2 देशों में तथा विश्वस्तरीय प्रयास में सामूहिक रूप से प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण में शामिल होने तथा रुचि लेने के लिए उत्प्रेरित करना ।

(II) प्रमुख रणनीति और नीतिगत प्रश्नों को उठाना, विशालतम देशों के अनुभव का आदान-प्रदान करके उपर्युक्त रणनीतियां और प्राथमिकताएं विकसित करने में मदद करना तथा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को सामने लाना ।

(III) पहल वाले विशालतम देश में उच्चतम स्तर पर बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय तथा दानदाता एजेंसियां तैयार करना तथा अधिकाधिक विदेशी सहायता के लिए अच्छा माहौल तैयार करना ।

16.1.33. नीति के प्रारंभिक विश्लेषण तथा भाग लेने वाले प्रत्येक देश के बीच आपसी बातचीत के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी जिसे सितम्बर, 1993 में आयोजित करने की योजना है जिसमें सरकार/राज्य के प्रमुख तथा संबंधित मंत्री उपस्थित होंगे । विश्व और देश स्तर पर इस पहल में भाग लेने के लिए विकास एजेंसियों को आमंत्रित किया जाएगा ।

16.1.34. इस पहल के अंतर्गत किए गए कार्य-कलापों में भारत की मदद तथा सहभागिता के बारे में यूनेस्को के महानिदेशक को आश्वस्त कराया गया । भारत ने प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए स्थान के रूप में दिल्ली की पेशकश की । पहल में भारत की भागीदारी पर चर्चा करने के लिए यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के वैयक्तिक प्रतिनिधि श्री अकलिलू हैब्ते (यूनिसेफ) तथा यूनेस्को के महानिदेशक के वैयक्तिक प्रतिनिधि श्री विक्टर ओरडोनेज (यूनेस्को) के दल ने 11–13 नवम्बर, 1992 के बीच भारत का दौरा किया तथा उन्होंने उक्त सम्मेलन की प्रमुख रण-नीतियों तथा नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकें आयोजित कीं ।

यूनिसेफ के साथ सहयोग :

16.2.1. शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ के सहयोग का तात्पर्य निम्नलिखित राष्ट्रीय लक्ष्यों में सहयोग देना है :

(I) सभी बच्चों और महिलाओं की बुनियादी शिक्षा के लिए अवसरों में वृद्धि ।

(II) महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सुअवसरों में सुधार तथा

(III) विभिन्न ग्रुपों और स्त्री-पुरुषों के बीच शिक्षा में असमानता को दूर करना ।

सरकार और यूनिसेफ के बीच हुआ बुनियादी समझौता, जिसे 5 अप्रैल, 1978 को संशोधित किया गया है, सरकार और यूनिसेफ के बीच संबंध का आधार प्रदान किया गया है । समझौते के अनुसरण में भारत सरकार और यूनिसेफ ने 1991–95 की अवधि के लिए संचालन का एक मास्टर प्लान (एम० पी० ओ०) तैयार किया है ।

16.2.2. केन्द्रीय स्तर के शिक्षा विभाग तथा एन० सी० ई० आर० टी० और नीपा जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं और जिन राज्यों में ध्यान दिया जा रहा है उनके विभागों के साथ घनिष्ठ सहयोग से काम करते हुए यूनिसेफ ने न्यूनतम अधिगम स्तर (एम० एल० एल०) शुरू करने की प्रयोगात्मक परि-योजनाओं, संपूर्ण साक्षरता अभियानों के मूल्यांकन और प्रलेखन की परियोजनाओं के कार्यान्वयन, साक्षरता और उत्तर साक्षरता संबंधी सामग्रियों के विकास पी० आर० ई० एल० जैसे मीडिया से जुड़े नवाचारी कार्यकलापों तथा नव साक्षरों के लिए साप्ताहिक ब्राडशीट इत्यादि तैयार करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया है ।

16.2.3. वर्ष 1992 के दौरान, यूनिसेफ ने कई राज्यों में जिलों की विशिष्ट परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की । इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में किया गया काम जहां पांच जिलों में शिक्षक शिक्षा परियोजना का प्रयोग किया जा रहा है ।

यह परियोजना सामूहिक स्तर पर शिक्षा संसाधन केन्द्र स्थापित करने की है तथा इसका उद्देश्य सेवारत शिक्षकों को प्रोत्साहन व प्रशिक्षण देकर सतत संस्था का रूप देना है । यूनीसेफ ने आंध्र प्रदेश में, बालिकाओं के लिए शिक्षा के विषय पर ध्यान केंद्रित किया है तथा महबूब नगर तथा अनन्तपुर जिलों जिलों में प्रदर्शन की गतिविधियों को सहायता दे रहा है । बम्बई में, बम्बई नगर पालिका द्वारा कार्यान्वित एक परि-योजना के तहत वंचित शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा स्कूल बीच में ही छोड़ देने की उच्च तथा आवृत्ति दरों को कम करने की कोशिश की जा रही है ।

16.2.4. विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा (पी० आई० ई० डी०), तथा क्षेत्रीय गहन शिक्षा परियोजना (ए० आई० ई० पी०) नामक दो नवीन परियोजनाओं को लगातार सहायता दी जा रही है ।

पी० आई० ई० डी० प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में विकलांग बच्चों को सम्मिलित करने के लिए तथा प्राथमिक स्तर पर केंद्रीय सरकार के विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के कार्यक्रम को शक्तिशाली बनाने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करना चाहती है । हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और केंद्र शासित

प्रदेश दिल्ली के 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में चुने हुए खण्डों में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है । रा० शै० अ० प्र० परिषद् इसके साथ मिलकर काम कर रही है । ए० आई० ई० पी० सूक्ष्मायोजना की संकल्पना को संचालित करने का एक प्रयास है और यह छः राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में चालू है । इस पर इनसे संबंधित एस० सी० ई० आर० टी०/एस० आई० ई० के द्वारा मिल कर काम किया जा रहा है ।

16.2.5. जून, 1992 में, यूनीसेफ द्वारा चीन और थाईलैंड में एक अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया । इस दौरे पर जाने वाले दल में केन्द्र व राज्य सरकारों तथा यूनीसेफ के 12 अधिकारी शामिल थे । इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्रों में शैक्षणिक सूत्रपात करने की क्षमताओं तथा इस संबंध में इन देशों में की गई प्रगति का अध्ययन किया जाए ।

16.2.6. नवम्बर, 1992 में यूनीसेफ ने राज्य शिक्षा आयोग, चीनी गणराज्य से सात अधिकारियों के एक दल की भारत यात्रा का आयोजन किया ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान ने इस दल को शैक्षिणिक आयोजना तथा प्रबन्ध पर एक माह का प्रशिक्षण दिया ।

16.2.7. राष्ट्रीय/राज्य स्तरों पर "सभी के लिए शिक्षा" को बढ़ावा देने तथा इसकी आयोजना तैयार करने के लिए सहायता और सहयोग प्रदान किया जाता है तथा जिला स्तर के कार्यकलापों पर बल देते हुए राष्ट्रीय कारवाई योजना के प्रमुख तत्वों के समर्थन में जारी होने वाले प्रदर्शन परियोजनाओं को सहायता और सहयोग प्रदान किया जाता है इस के अतिरिक्त, यूनीसेफ बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना नामक एक व्यापक बुनियादी शिक्षा परियोजना की भी मदद कर रहा है ।

बिहार शिक्षा परियोजना

16.2.8. बिहार शिक्षा परियोजना, एक बुनियादी शिक्षा परियोजना है जिसका उद्देश्य शैक्षिक प्रणाली और उसके जरिए, बिहार राज्य की सम्पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक, परिस्थिति में गुणात्मक सुधार लाना है ।

16.2.9. बिहार शिक्षा परियोजना में, बुनियादी शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं और इसमें, 1991–92 से 1995–96 की 5 वर्ष की अवधि में, 20 जिलों में फैले 150 ब्लाकों को, चरणबद्ध ढंग से शामिल करने की परिकल्पना की गई है । 5 वर्ष की अवधि के लिए, परियोजना का अनुमानित परिव्यय 360 करोड़ रु० है जिसमें से दाता एजेंसी अर्थात यूनीसेफ, 180 करोड़ रु०, भारत सरकार 120 करोड़ रु० और बिहार सरकार 60 करोड़ रु०, यूनीसेफ, भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच स्वीकृत क्रमशः 3:2:1 वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार योगदान देंगे । समाज के वंचित वर्गों जैसे अनु० जा०/अनु० ज० जा० और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है । बिहार शिक्षा परियोजना, एक विकासशील परियोजना है जिसमें ज्यादातर कार्यक्रम क्रियाकलापों के लिए, ब्लाक के इकाई के रूप में होंगे । सहभागीदारी वाली आयोजना और कार्यान्वयन इस परियोजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं । शैक्षिक सेवाओं के लिए मांग उत्पन्न करना, क्षमता निर्माण और सहभागी प्रबंध ढांचा, इस परियोजना के कार्यान्वयन के अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं ।

16.2.10. एक राज्य स्तरीय निकाय के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को, बिहार शिक्षा परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत किया गया है । परिषद के दो अंग हैं—सामान्य परिषद जिसमें मुख्य मंत्री, अध्यक्ष हैं और कार्यकारी समिति जिसमें शिक्षा सचिव, बिहार सरकार, अध्यक्ष हैं । भारत सरकार, बिहार सरकार, यूनीसेफ, शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों का, इन निकायों में प्रतिनिधित्व है । इसकी शाखाएं, जिला स्तर पर है जिनमें कार्यकारी समिति, भारत सरकार और बिहार सरकार, यूनीसेफ/शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से परियोजना संबंधी आयोजना कार्य देखती है ।

परियोजना कार्यकलापों के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए, कार्य-बल (टास्कफोर्स) गठित किए गए हैं । गांव-स्तर पर, गांव शिक्षा समिति निर्णायक इकाई के रूप में परिकल्पित की गई है जो समुदाय के सहयोग तथा सहभागिता को प्राप्त करने में बुनियादी शिक्षा पद्धति की मदद करेगी और शैक्षिक-निवेशों का निरीक्षण करेगी । इस परियोजना को लक्ष्य (मिशन) विधि में क्रियान्वित किया जा रहा है ।

16.2.11. वर्ष 1991–92 में रांची, पश्चिम चम्पारन और रोहतास के तीन जिलों में इस परियोजना को आरम्भ किया गया था । वर्ष 1992–93 में इस परियोजना का विस्तार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ई० सिंहभूम तथा छपरा के चार और जिलों में किया गया था । वर्ष 1992–93 के दौरान, कार्यकारी समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई थीं । जिला स्तरीय कार्यालय अर्थात जिला कार्यबल तथा बिहार शिक्षा परियोजना की कार्यकारी समिति सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और जमशेदपुर के नए चुने हुए जिलों में स्थापित किए गए थे । इन जिला कार्यकारी समितियों की बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जा रहीं थीं । रांची, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारन, जमशेदपुर और सीतामढ़ी की जिला कारंवाई योजनाओं

को अन्तिम रूप दे दिया गया था। वर्ष 1992–93 के दौरान इन कार्यकलापों में न्यूनतम अध्ययन स्तर सम्बन्धी राज्य स्तरीय कार्यशालाओं, राज्य स्तर पर प्रमुख व्यक्तियों का प्रशिक्षण, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षकों की भूमिका पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, बी० ई० पी० महिला विकास के लिए जिला स्तरीय कोर-ग्रुप का गठन, अन्तर-राज्य अनुभव आदान प्रदान दौरों का आयोजन, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण/अनुस्थपन कार्यशाला, नामांकन- अभियान, प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रों के लिए संगणीकृत अनुश्रवण पद्धति को आरम्भ करना, पोस्टर-कार्यशाला, ग्रामीण पुस्तकालयों आदि की संकल्पना का विस्तार करना शामिल है। बी० ई० पी० पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने जून, 1992 में थाईलैण्ड और चीन का दौरा भी किया।

16.3.1. यू० एन० डी० पी०, जो सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का सह-प्रायोजक है, जर्मन सरकार के कुछ कार्यकलापों के वित्त पोषण के साथ-साथ दक्षिण उड़ीसा के आठ जिलों में बुनियादी शिक्षा परियोजना तैयार करने में मदद करने की रुचि दर्शायी है।

16.3.2. परियोजना के बुनियादी प्राचलों (पैरामीटर) को तैयार करने के लिए अब तक दो कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी है।

16.3.3. सोलह ब्लाकों में प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए योजनाएं तैयार करने से संबंधित कार्यकलाप जारी है।

विदेशों से शैक्षिक सम्बन्ध

16.4.1. मानव संसाधन विकास मंत्री के आमंत्रण पर चीन गणतंत्र के राज्य शिक्षा आयोग मंत्री महामहिम श्री ली थियेचिंग ने 26 फरवरी से 2 मार्च 1992 तक भारत में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस दौरे के दौरान वर्ष 1992–93 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्र संस्थानिक सम्बन्धों के लिए प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रोटोकाल में दोनों देशों के बीच संस्थानिक संबंधों, दूसरे देश में शिक्षा नीति, बुनियादी शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रमों, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिकीकरण, उच्च शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में अध्ययन की स्थिति के लिए शैक्षिक प्रतिनिधि मंडल के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। इसमें विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भारत और चीन गणतंत्र के विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करने और उसके विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है। दोनों पक्षों के बीच स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 करने पर भी सहमति हुई।

16.4.2. भारत सरकार के आमंत्रण पर यूनेस्को के सहायक महानिदेशक (शिक्षा) श्री कोलिन एन० पवार ने साक्षरता अभियानों, ई० एफ० ए० (सभी के लिए शिक्षा) परियोजनाओं और उपलब्धि अभिविन्यास जिसे भारत बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम को प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 9 से 14 मार्च, 1992 तक भारत का दौरा किया।

16.4.3. एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए यूनेस्को के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक के निदेशक श्री हिदायत अहमद 12 मार्च 1992 को ए० पी० सी० ई० ए० एल० और ई० एफ० ए० पर आयोजित राष्ट्रीय सहयोग समिति की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए।

16.4.4. मानव संसाधन विकास मंत्री के आमंत्रण पर यूनेस्को के महानिदेशक श्री फेडरिको मेयर ने 21–26 मार्च, 1992 को भारत का दौरा किया। अपने भारत प्रवास के दौरान वे प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मिले। वे वर्धा और बम्बई भी गए। दिनांक 24–4–1992 को वर्धा में उन्होंने वर्धा को पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया।

16.4.5. मानव संसाधन विकास मंत्री के आमंत्रण पर मारीशस गणतंत्र के शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री महामहिम श्री ए० परशुरमण ने 19 से 27 अगस्त, 1992 तक भारत का दौरा किया। अपने भारत निवास के दौरान माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, भारतीय शैक्षिक सलाहकार लि० राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र आदि से सार्थक विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श मारीशस के शैक्षिक विकास में भारत की सहभागिता पर केन्द्रित रहा।

16.4.6. 6 से 13 नवम्बर, 1992 के बीच चीन को गए सात सदस्यीय शिष्ट मंडल का मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने नेतृत्व किया। दौरे के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में समान एजेंसियों से शिष्टमंडल ने बातचीत की जिसमें अन्य बातों के साथ–2 निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग शामिल है :—

(1) मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली।

(2) आर्थिक नीतियों पर संयुक्त अध्ययन।

(3) साक्षरता और सतत शिक्षा।

(4) व्यावसायिक शिक्षा और विशेष शिक्षा।

(5) शिक्षा नीति और

(6) तकनीकी शिक्षा का इतिहास।

16.4.7 युनेस्को प्रभाग के ई० ए० आर० एकक ने 60 से भी ज्यादा द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों तथा सहयोगात्मक व्यवस्थाओं के शैक्षिक घटक को मानीटर करना जारी रखा। मितव्ययिता संबंधी चल रहे मानदंडों को मद्देनजर रखते हुए एकक ने कार्यक्रमों में शामिल मुद्दों को प्राथमिकता देने में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों की भी मदद की।

शिक्षा सम्बन्धी दक्षेश तकनीकी समिति :

16.4.8 शिक्षा संबंधी दक्षेश तकनीकी समिति की चौथी बैठक इस्लामाबाद में 10–12 नवम्बर को आयोजित की गई तथा शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव, श्री एल० मिश्र ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

बहुपक्षीय/द्विपक्षीय परियोजनाएं :

उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना :

16.5.1 शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश के दस जिलों में बुनियादी शिक्षा परियोजना के लिए सहायता हेतु विश्व-बैंक से सम्पर्क किया है। परियोजना का उद्देश्य लक्षित जिलों में बुनियादी शिक्षा को पुनः संरचना करना है और यह इस क्षेत्र में भावी बैंक सहायता के लिए एक परीक्षण मामला परियोजना होगी। जब तक बच्चे, औपचारिक अथवा गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए प्राथमिक चरण पूरा नहीं कर लेते, जन-जन की सहभागिता के, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच के संयुक्त कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना और अन्य बातों के साथ-साथ, इस परियोजना पर, विशिष्ट लक्ष्यों में न्यूनतम अध्ययन स्तर की कम से कम सर्वसुलभ उपलब्धि। यह परियोजना समाज के कमजोर वर्गों और बालिकाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करेगी। इस परियोजना में, एक राष्ट्रीय अनुश्रवण-इकाई की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना की अवधि पांच वर्ष के लिए होने की सम्भावना है जो वर्ष 1993–94 से आरम्भ होगी। परिकल्पित कुल परिव्यय लगभग 550 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत लक्षित जिले वाराणसी, इलाहाबाद, बान्दा, इटावा, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, पौढ़ी और नैनीताल हैं।

महिला समाख्या :

16.5.2 महिला समाख्या (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) अप्रैल, 1989 में इस विभाग द्वारा आयोजित की गई थी। यह परियोजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में तैयार की गई थी। परियोजना का मुख्य-केन्द्र-बिन्दु उन प्रतिबन्धों पर है जो शैक्षिक-निवेशों की प्राप्यता में महिलाओं और लड़कियों के लिए बाधक रहे हैं। यह परियोजना, महिलाओं की स्वयं की छवि और आत्म-विश्वास और उनके संबंधों में सामाजिक अवधारणा से संबंधित विषयों को सम्बोधित करते हुए आरम्भ होगी। महिला समाख्या परियोजना यह मानती है कि महिलाओं की समानता के लिए, शिक्षा ही निर्णायक मध्यस्थता हो सकती है। इसका समग्र रूप से लक्ष्य ऐसी परिस्थितियां पैदा करना है जिससे कि महिलाएं उस स्थिति के प्रति घृणित अधिकार युक्त अवस्था से परे हटते हुए अपनी अपनी विषम अवस्थाओं को बखूबी समझ सकें तथा जिसमें वे अपने अपने जीवन निर्वाह को निर्धारित कर सकती है और अपने-अपने वातावरण को प्रभावित कर सकती है तथा इसके साथ-साथ अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए एक वह शैक्षिक अवसर उत्पन्न कर सकती है जो विकास प्रक्रिया में कारगर होगा।

16.5.3 यह हालैंड से सहायता प्राप्त कार्यक्रम है जो वर्ष 1989 से गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के दस जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना वर्ष 1992–93 के दौरान, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक के दो अतिरिक्त जिलों में विस्तृत की जा रही है। यह केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना है जहां राज्यों के शिक्षा सचिवों की अध्यक्षता में गठित, राज्य की महिला समाख्या/समिति जैसी पंजीकृत सोसाइटियों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

शिक्षा कर्मी परियोजना :

16.5.4 स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (सीडा) की सहायता से वर्ष 1987 से राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के चुनिन्दा दूरस्थ तथा पिछड़े हुए गांवों में प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना है।

16.5.5 इस परियोजना से यह पता चलता है कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षकों की अनुपस्थिति एक मुख्य बाधा है। तदनुसार, इस परियोजना में यह परिकल्पना की गई है कि एकल शिक्षक स्कूलों में प्राथमिक स्कूल शिक्षक के स्थान पर दो स्थानीय निवासियों जो "शिक्षा कर्मियों" के नाम से ज्ञात शिक्षित कार्यकर्ता हों, के एक दल को रखा जाए। स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति निश्चित करने के लिए शिक्षा कर्मिकों के चयन में नियमित शिक्षकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं पर जोर नहीं दिया जाता है। तथापि, शिक्षक के रूप में कारगर ढंग से कार्य करने के योग्य बनाने के लिए उन्हें एकक सतत आधार पर प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सहायता दी जाती है। मौजूदा प्राथमिक स्कूल जब शिक्षा कर्मियों द्वारा चलाए जाते हैं। तो उन्हें "दिवस केन्द्र" कहा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षाकर्मी ऐसे बच्चों के लिए जो दिवस केन्द्र में भाग नहीं ले पाते हैं, उनके लिए प्रहर पाठशाला (रात्रि केन्द्र) चलाते हैं। परियोजना महिला शिक्षाकर्मियों की भरती पर भी जोर देते हुए स्थानीय महिलाओं को शिक्षाकर्मियों के

रूप में कार्य करने के लिए तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की परिकल्पना करती है ।

16.5.6. 31 अक्तूबर, 1992 तक परियोजना का कार्यान्वयन राज्य के 21 जिलों के 47 ब्लाक इकाईयों में हो रहा था । शिक्षा कर्मियों की संख्या 1409 थी वे 665 दिवस केन्द्रों तथा 968 प्रहर पाठशालाओं की देख-रेख कर रहे थे जिनमें कुल नामांकन 90562 था । 31 मार्च, 1993 तक अन्य 12 ब्लाक इकाइयों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

लोक जुम्बिश

16.5.7. स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (स्व० अ० वि० प्रा०) की सहायता से "लोक जुम्बिश: सभी के लिए शिक्षा का जन आंदोलन राजस्थान" नामक एक नवीन शैक्षिक परियोजना राजस्थान में शुरू की गई है । इस परियोजना का मूल उद्देश्य वर्ष 2000 तक जनशक्ति को जुटाकर तथा उनकी सहभागिता से सभी के लिए शिक्षा सुलभ करना है । इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य औपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा पद्धति कार्यात्मक साक्षरता, महिला शिक्षा के विकास पर बल, उत्तर-साक्षरता और सतत शिक्षा के जरिए प्रारंभिक शिक्षा को संतोषजनक स्तर तक प्राप्त करना है । तत्कालीन लक्ष्यों में प्रबंध पद्धति की स्थापना, जनशक्ति जुटाने के लिए कार्यकलापों की शुरूआत, प्रशिक्षण एवं तकनीकी संसाधनों की पद्धति का सृजन, सहायता संरचना और अध्ययन प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रयास करना शामिल है ।

16.5.8. इस कार्यक्रम के प्रबंध के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक स्वतंत्र और स्वायत्त संगठन के रूप में लोक जुंबिश परिषद् पंजीकृत की गयी है । परिषद् की कार्यकारी समिति और महापरिषद् में अन्यों के अतिरिक्त भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय राजस्थान सरकार, जिलों अन्य गैर-सरकारी कार्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

16.5.9. भारत सरकार का अनुमोदन, अनेक जिलों में फैले 25 ब्लाकों को शामिल करने के लिए दो वर्षों अर्थात 1992–93 और 1993–94 की अवधि के लिए परियोजना के प्रमुख चरण को दिया गया है । इस चरण की लागत 18.00 करोड़ रु० होने की आशा है जो कि स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 3:2:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा । वर्ष 1992–93 और 1993–94 की अवधि के दौरान, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण ने अधिकाधिक 21 लाख स्वीडिश क्रोनर की राशि देने की अनुमति प्रदान की है ।

आरोविले

16.6.1 आरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम (1988) के अंतगत केन्द्र सरकार द्वारा आरोविले प्रतिष्ठान की स्थापना को 29–1–1991 को अधिसूचित किया गया। प्रतिष्ठान का 9 सदस्यीय शासी निकाय गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष डा० कर्ण सिंह हैं । वर्ष के दौरान आरोविले में 28–2–1992 तथा 14–8–1992 को इस निकाय की दो बैठकें हुई ।

16.6.2 औरलेक न्यास, आरोविल (औरलेक द्वारा प्रोमेस सिस्टम एंड प्रिज्म एडवरटाइजिंग एजसी) जिसे केन्द्र सरकार को सुपुर्द कर दिया गया है, को छोड़कर सभी संपत्तियों को 1 अप्रैल, 1992 से आरोविले प्रतिष्ठान को स्थानांतरित तथा सुपर्द कर दिया गया है ।

16.6.3 सातवीं पंचवर्षीय योजना में आरोविले के विकास के लिए एक योजना शामिल है जिसके लिए 35.55 लाख रु० के परिव्यय का प्रावधान है तथा यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगी जिसके लिए 65 लाख रु० के परिव्यय का प्रावधान है। इस योजना में तीन बातों पर ध्यान दिया गया है अर्थात् (i) सतत शिक्षा की आवश्यकता जो बचपन की सबसे प्रारंभिक अवस्था से शुरू होती है । (ii) ज्ञान और संस्कृति के संश्लेषण की आवश्यकता, तथा (iii) आरोविले तथा आस-पास के गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करने की आवश्यकता ।

1991 की जनगणना की साक्षरता दर—एक नज़र में

साक्षरता दर 1991 जनगणना

क्रम सं०	राज्य का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	55.13	32.72	44.09	6	7	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	51.45	29.69	41.59	1	6	4
3.	असम	61.87	43.03	52.89	9	10	10
4	बिहार	52.49	22.89	38.48	2	2	1
5.	गोवा	83.64	67.09	75.51	27	27	27
6.	गुजरात	73.13	48.64	61.29	19	16	18
7.	हरियाणा	69.10	40.47	55.85	16	9	11
8.	हिमाचल प्रदेश	75.36	52.13	63.86	21	20	21
9.	कर्नाटक	67.26	44.34	56.04	13	11	12
10.	केरल	93.62	86.17	89.81	31	31	31
11.	मध्य प्रदेश	58.42	28.85	44.20	8	5	7
12.	महाराष्ट्र	76.56	52.32	64.87	22	21	22
13.	मणिपुर	71.63	47.60	59.89	18	15	16
14.	मेघालय	53.12	44.85	49.10	3	12	9
15.	मिजोरम	85.61	78.60	82.27	29	30	30
16.	नागालैण्ड	67.62	54.75	61.65	14	22	19
17.	उड़ीसा	63.09	34.68	49.09	10	8	8
18.	पंजाब	65.66	50.41	58.51	11	18	15
19	राजस्थान	54.99	20.44	38.55	5	1	2
20	सिक्किम	65.74	46.69	56.94	12	14	13
21.	तमिलनाडु	73.75	51.33	62.66	20	19	20
22.	त्रिपुरा	70.58	49.65	60.44	17	17	17
23.	उत्तर प्रदेश	55.73	25.31	41.60	7	3	5
24	पश्चिम बंगाल	67.81	46.56	57.70	15	13	14
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	78.99	65.46	73.02	23	24	24
26.	चण्डीगढ़	82.04	72.34	77.81	25	28	28
27.	दादरा एवं नागर हवेली	53.56	26.98	40.71	4	4	3
28.	दिल्ली	82.01	66.99	75.29	24	26	26
29.	दमन और द्वीव	82.66	59.40	71.20	26	23	23
30.	लक्षद्वीप	90.18	72.89	81.78	30	29	29
31.	पांडिचेरी	83.68	65.63	74.74	28	25	25
	अखिल भारतीय	64.13	39.29	52.21			

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक

24—864 HRD/92

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : आन्ध्र प्रदेश

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आदिलाबाद	45.05	20.60	32.96	40	75	48
2.	अनन्तपुर	55.92	27.61	42.18	138	145	129
3.	चित्तूर	62.61	36.44	49.75	216	216	221
4	कुड्डापाह	63.14	32.35	48.12	224	185	204
5.	पश्चिम गोदावरी	55.32	42.26	48.79	131	277	214
6.	गुन्टूर	56.54	35.85	46.35	145	211	184
7.	हैदराबाद	78.90	63.56	71.52	383	395	386
8.	करीमनगर	50.79	23.37	37.17	85	106	79
9.	खाम्माम	50.04	30.53	40.50	79	172	112
10.	कृष्णा	60.55	45.54	53.16	194	296	248
11.	कुरनूल	53.24	26.04	39.97	105	123	106
12.	महबूब नगर	40.80	18.03	29.58	24	55	25
13.	मेड्क	45.15	19.25	32.41	41	62	44
14.	नलगोंडा	50.53	24.92	38.00	82	118	85
15.	नेलूर	58.40	36.99	47.76	166	222	198
16.	निज़ामाबाद	47.33	21.35	34.18	56	85	54
17.	पराकामम	53.14	27.06	40.30	104	136	108
18	रंगारेड्डी	60.43	36.91	49.07	192	221	216
19.	श्रीकाकुलम	49.14	23.52	36.22	71	108	74
20.	विशाखापट्टनम	56.13	34.60	45.51	141	202	169
21.	विजयानागरम	45.93	22.47	34.19	47	95	55
22.	वारंगल	51.98	26.08	39.30	96	124	99
23.	पश्चिम गोदावरी	59.75	46.98	53.38	182	305	252
	आंध्र प्रदेश	55.13	32.72	44.09	6	7	6

*समान साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : अरुणाचल प्रदेश

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	चांगलांग	54.44	29.64	43.20	116	166	138
2.	दिबांग घाटी	56.94	33.27	46.88	154	191	187
3.	पश्चिम कामेंग	37.69	14.02	26.20	12	17	12
4.	पश्चिम सियांग	52.49	34.43	44.30	99	199	151
5.	लोहित	59.02	36.21	49.21	171	214	217
6.	निचला सुबानसीरी	51.10	30.70	41.57	87	173	122
7.	तवांग	40.41	16.83	29.80	22	40	27
8.	तिरप	43.44	18.52	32.06	36	57	39
9.	ऊंचा सुबानसीरी	47.58	27.24	38.31	61	139	87
10.	पश्चिम कामेंग	55.03	35.22	46.31	126	207	182
11.	पश्चिम सियांग	53.86	35.85	45.64	110	211	172
	अरुणाचल प्रदेश	51.45	29.69	41.59	1	6	4

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य: असम

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बारपेटा	52.61	33.20	43.24	101	190	139
2.	बोंगाय गांव	58.67	38.72	49.06	168	241	215
3.	कछार	68.79	48.76	59.19	288	314	307
4.	डारांग	50.80	32.53	42.00	86	187	127
5.	धेमाजी	65.43	41.12	53.84	247	262	257
6.	धुबरी	47.32	28.75	38.31	55	158	87
7.	डिब्रूगढ़	66.72	49.89	58.32	264	317	294
8.	गोलपारा	55.47	37.58	46.81	134	225	186
9.	गोलाघाट	66.50	49.75	58.54	260	324	296
10.	हैलाकण्डी	64.08	41.04	53.07	230	261	247
11.	जोरहाट	73.29	56.88	65.51	332	372	355
12.	कामरूप	73.67	55.01	65.04	335	358	351
13.	कारबी अंगलंग	55.55	34.35	45.57	136	198	170
14.	करीमगंज	64.05	44.76	54.71	229	290	262
15.	कोकराझार	49.57	30.92	40.57	77	175	115
16.	लखीमपुर	68.28	48.85	58.96	278	316	302
17.	मेरीगांव	56.17	39.19	47.99	142	246	201
18.	नागांव	62.49	46.30	54.74	214	301	263
19.	नालबारी	66.95	44.19	55.99	268	286	275
20.	उत्तरी कछार हिल्स	66.39	47.34	57.76	258	306	287
21.	शिवसागर	71.91	56.14	64.46	318	366	347
22.	सोनितपुर	56.70	38.60	48.14	149	239	205
23.	तिनसुकिया	59.27	39.99	50.28	176	254	226
	असम	61.87	43.03	52.89	9	10	10

* संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य बिहार

क्रम सं०	ज़िले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	अररिया	36.99	14.01	26.19	11	16	11
2.	औरंगाबाद	61.80	26.67	45.14	207	131	164
3.	बेगूसराय	48.66	23.52	36.88	69	108	78
4.	भागलपुर	51.32	24.38	38.89	89	116	92
5.	भोजपुर	65.05	27.12	47.18	242	137	191
6.	दरभंगा	48.31	20.09	34.94	65	72	62
7.	देवोघर	54.12	19.74	37.92	114	65	84
8.	धनबाद	69.47	37.88	55.47	293	230	271
9.	दुमका	49.29	17.91	34.02	73	52	53
10.	गया	55.22	24.20	40.47	128	114	111
11.	गिरिडिह	52.89	17.65	35.96	102	49	71
12.	गोड्डा	48.56	18.00	34.02	68	54	53
13.	गोपालगंज	51.62	17.75	34.96	91	50	63
14.	गुमला	51.70	27.48	39.67	94	144	102
15.	हजारीबाग	53.37	21.24	38.00	107	82	85
16.	जहानाबाद	63.11	26.81	45.83	222	132	174
17.	कटिहार	39.24	16.88	28.70	16	41	21
18.	खगड़िया	42.97	19.79	32.33	31	68	43
19.	किशनगंज	33.12	10.38	22.22	3	4	2
20.	लोहरदगा	54.99	26.11	40.79	125	125	119
21.	मधेपुरा	39.31	14.41	27.72	18	18	17
22.	मधुबनी	48.49	16.75	33.22	67	38	50
23.	मुंगेर	55.62	25.34	41.58	137	119	123
24.	मुजफ्फरपुर	48.44	22.33	36.11	66	92	73
25.	नालन्दा	61.94	29.95	46.94	208	168	188
26	नवादा	54.85	21.82	38.96	122	86	94
27.	पलामू	44.80	16.15	31.10	38	31	33
28.	पश्चिम चम्पारण	39.62	14.41	27.99	19	18	18
29.	पश्चिम सिंहभूम	54.75	22.44	38.92	121	94	93
30.	पटना	69.07	41.35	56.33	290	265	277
31.	पूर्वी चम्पारण	39.65	13.69	27.59	20	15	16
32.	पूर्वी सिंहभूम	71.18	45.50	59.05	311	295	305
33.	पूर्णिया	38.92	16.80	28.52	14	39	20
34.	रांची	65.12	36.57	51.52	245	218	234
35.	रोहतास	61.50	27.03	45.41	205	135	167
36.	सहरसा	41.61	14.70	28.97	26	21	23
37.	साहिबगंज	36.97	16.32	27.03	10	33	13
38.	समस्तीपुर	50.39	21.17	36.37	80	81	77
39.	सारण	60.18	22.71	41.79	189	100	125
40.	सीतामढ़ी	39.30	15.31	28.12	17	25	19
41.	सिवान	57.51	21.33	39.13	162	84	95
42.	वैशाली	55.62	24.08	40.56	137	113	114
	बिहार	52.49	22.89	38.48	2	2	1

*[illegible] साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : गोवा

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1.	उत्तरी गोवा	86.15	68.86	77.67	416	409	404
2.	दक्षिणी गोवा	80.30	64.76	72.64	388	400	388
	गोवा	83.64	67.09	75.51	27	27	27

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : गुजरात

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदाबाद	82.73	62.39	73.10	407	394	390
2.	अमरेली	71.26	48.77	60.06	313	315	311
3.	बनासकांठा	54.89	22.56	39.29	123	97	98
4.	भरूच	73.21	49.71	61.92	331	322	325
5.	भावनगर	70.83	44.33	57.89	308	287	289
6.	गांधी नगर	93.21	80.51	87.11	428	422	416
7.	जामनगर	69.96	47.45	58.96	299	307	302
8.	जूनागढ़	72.41	47.83	60.33	323	308	312
9.	कच्छ	64.26	40.89	52.75	233	260	243
10.	खेड़ा	80.49	49.93	65.83	391	326	357
11.	महेसाणा	78.15	51.60	65.14	379	343	353
12.	पंच महल	59.35	27.31	43.79	177	143	144
13.	राजकोट	76.76	56.66	66.96	364	370	368
14.	साबर कांठा	74.53	43.08	59.03	340	279	304
15.	सूरत	72.61	55.13	64.36	326	359	346
16.	सुरेन्द्र नगर	67.83	40.65	54.77	273	258	264
17.	दि डांगस	59.55	35.31	47.56	181	209	194
18.	बड़ोदरा	74.14	52.02	63.61	338	347	338
19.	वलसाड	73.48	54.79	64.35	334	357	345
	गुजरात	73.13	48.64	61.29	19	16	18

संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : हरियाणा

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	75.08	56.62	66.41	346	368	362
2.	भिवानी	70.93	35.10	54.18	309	206	259
3.	फरीदाबाद	74.15	42.12	59.77	339	276	309
4.	गुड़गांव	67.87	34.94	52.61	274	205	242
5.	हिसार	61.41	32.12	47.87	203	183	199
6.	जींद	61.07	30.12	47.00	200	170	189
7.	कैथल	54.71	28.37	42.59	120	155	132
8.	करनाल	67.02	43.54	56.15	269	282	276
9.	कुरुक्षेत्र	69.23	46.94	58.78	292	304	301
10.	महेन्द्रगढ़	77.17	36.75	57.87	368	220	288
11.	पानीपत	67.04	41.17	55.17	270	264	269
12.	रिवाड़ी	82.16	46.18	64.77	403	300	350
13.	रोहतक	76.19	45.74	62.24	357	297	326
14.	सिरसा	57.21	34.02	46.32	156	196	183
15.	सोनीपत	77.20	48.27	64.06	369	311	342
16.	यमुना नगर	69.76	50.07	60.53	298	328	314
	हरियाणा	69.10	40.47	55.85	16	9	11

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : हिमाचल प्रदेश

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	बिलासपुर . . .	77.97	56.55	67.17	376	367	369
2.	चम्बा . . .	59.96	28.57	44.70	186	156	157
3.	हमीरपुर . . .	85.11	65.90	74.88	413	401	395
4.	कांगड़ा . . .	80.12	61.39	70.57	387	390	382
5.	किन्नूर . . .	72.04	42.04	58.36	319	275	295
6.	कुल्लू . . .	69.64	38.53	54.82	295	238	265
7.	लाहौल एवं स्पीति .	71.78	38.05	56.82	316	232	281
8.	मण्डी . . .	76.65	49.12	62.74	362	319	332
9.	शिमला . . .	75.96	51.75	64.61	355	345	348
10.	सिरमौर . . .	63.20	38.45	51.62	226	237	236
11.	सोलन . . .	74.67	50.69	63.30	341	336	336
12.	ऊना . . .	81.15	61.01	70.91	395	384	384
	हिमाचल प्रदेश . .	75.36	52.13	63.86	21	20	21

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : कर्नाटक

क्रम सं०	ज़िले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बंगलौर . . .	82.94	68.81	76.27	410	408	401
2.	बंगलौर ग्रामीण . . .	61.51	38.15	50.17	206	234	224
3.	बेलगोम . .	66.65	38.69	53.00	262	240	246
4.	बेल्लेरी . . .	58.71	31.97	45.57	169	182	170
5.	बिदर . . .	58.97	30.53	45.11	170	172	163
6.	बीजापुर . . .	69.69	40.06	55.13	296	255	268
7.	चिकमंगलूर . . .	70.56	51.31	61.05	304	338	317
8.	चित्रादुर्गा . . .	66.88	43.36	55.48	267	281	272
9.	दक्षिण कन्नड़ . . .	84.40	67.96	75.86	411	407	400
10.	धारवाड़ . . .	71.37	45.20	58.68	315	294	299
11.	गुलबर्ग . . .	52.08	24.49	38.54	97	117	88
12.	हस्सान . . .	68.87	44.90	56.85	289	292	282
13.	कोडागु . . .	75.35	61.22	68.35	348	387	373
14.	कोलार . . .	62.69	37.75	50.45	217	227	227
15.	मंडीया . . .	59.18	36.70	48.15	174	219	206
16.	मैसूर . . .	56.23	37.95	47.32	143	231	193
17.	रायचूर . . .	49.53	22.15	35.96	76	89	71
18.	शिमोगा . . .	71.24	51.42	61.53	312	340	320
19.	टूमकुर . . .	66.49	41.93	54.48	259	273	261
20.	उत्तर कन्नड़ . . .	76.39	56.77	66.73	358	371	364
	कर्नाटक . . .	67.26	44.34	56.04	13	11	12

*संवत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : केरल

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलप्पुझा . . .	96.79	91.12	93.87	435	432	425
2.	एरनाकुलम . . .	95.46	89.27	92.35	431	431	424
3.	इडुक्की . . .	90.82	82.96	86.94	425	423	415
4.	कान्नूर . . .	95.54	87.65	91.48	432	430	423
5.	कासारागोड . . .	88.97	76.29	82.51	422	419	413
6.	कोल्लम . . .	94.09	87.00	90.47	430	429	421
7.	कोट्टायम . . .	97.46	94.00	95.72	437	435	428
8.	कोझीकोडे . . .	95.58	86.79	91.10	433	427	422
9.	मालाप्पुरम . . .	92.08	84.09	87.94	426	424	417
10.	पानाक्कड . . .	87.24	75.72	81.27	418	417	408
11.	पाथनामथित्ता . . .	96.55	93.29	94.86	434	434	427
12.	तिरूवंतपुरम . . .	92.84	85.76	89.22	427	426	419
13.	थरीरूमुर . . .	92.77	86.94	90.18	429	428	420
14.	वायानड . . .	87.59	77.69	82.73	419	420	414
	केरल . .	93.62	86.17	89.81	31	31	31

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : मध्य प्रदेश

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बालाघाट	67.63	38.95	53.23	272	244	250
2.	बस्तर	34.51	15.30	24.89	7	24	8
3.	बेतुल	57.42	33.90	45.89	160	195	175
4.	भिंड	66.20	28.20	49.23	253	153	218
5.	भोपाल	73.14	54.17	64.27	330	353	343
6.	बिलासपुर	62.87	27.26	45.26	219	141	166
7.	छतरपुर	46.87	21.32	35.20	53	83	65
8.	छिंदावाड़ा	56.65	32.52	44.90	148	186	160
9.	दामोह	60.49	30.46	46.27	193	171	180
10.	दातिया	60.18	23.69	43.57	189	112	143
11.	दिवास	61.15	25.57	44.08	201	122	148
12.	धर	47.62	20.71	34.54	62	76	59
13.	दुर्ग	74.06	42.78	58.70	337	278	300
14.	पश्चिम निमार	58.53	31.53	45.49	167	180	168
15.	गुना	48.86	17.99	34.58	70	53	60
16.	ग्वालियर	70.81	41.72	57.70	307	271	286
17.	होसंगाबाद	65.83	37.63	52.54	250	226	241
18.	इन्दौर	77.99	53.35	66.32	377	352	359
19.	जबलपुर	71.88	45.02	59.11	317	293	306
20.	झाबुआ	26.29	11.52	19.01	1	7	1
21.	मण्डला	52.20	22.24	37.29	98	90	[illegible]
22.	मंदसौर	67.89	28.32	48.67	276	154	213
23.	मुरैना	57.99	20.81	41.33	163	77	121
24.	नरसिंहापुर	68.44	41.59	55.65	282	269	274
25.	पन्ना	46.29	19.41	33.68	50	63	52
26.	रायगढ़	56.03	26.46	41.22	140	128	120
27.	रायपुर	65.06	31.04	48.08	243	177	203
28.	रायसेन..	54.02	25.47	40.76	112	120	118
29.	राजगढ़	46.73	15.62	31.81	52	28	37
30.	राजनन्द गांव	61.26	27.83	44.39	202	148	153
31.	रतलाम	58.36	29.13	44.15	165	162	149
32.	रेवा	60.67	26.88	44.38	196	133	152
33.	सागर	67.02	37.78	53.44	269	228	253
34.	सारगुजा	42.13	17.40	30.09	29	48	29
35.	सतना	60.03	27.80	44.65	187	146	155
36.	सेहोरे	56.90	21.99	40.43	152	88	110
37.	सियोनी	57.50	31.14	44.49	161	178	154
38.	शहडोल	48.44	20.09	34.78	66	72	61
39.	शाजापुर	56.99	19.77	39.20	155	67	96
40.	शिवपुरी	47.50	15.64	33.03	58	29	49
41.	सिंधी	43.23	13.61	29.15	34	14	24
42.	टीमकगढ़	47.52	19.96	34.78	59	71	61
43.	उज्जैन	64.25	32.64	49.06	232	188	215
44.	विदिशा	58.04	27.81	44.08	164	147	148
45.	पश्चिम निमार	47.99	23.23	35.95	63	104	70
	मध्य प्रदेश	58.42	28.85	44.20	8	5	7

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : महाराष्ट्र

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदनगर	75.30	45.99	61.03	347	298	316
2.	अकोला	77.63	53.28	65.83	373	350	357
3.	अमरावती	78.40	61.13	70.06	381	386	381
4.	औरंगाबाद	72.93	39.64	56.98	327	249	283
5.	भण्डारा	78.82	50.44	64.69	382	335	349
6.	भिण्ड	66.34	32.34	49.82	256	184	222
7.	बुलदाना	76.53	46.13	61.69	360	299	322
8.	चन्द्रपुर	71.30	46.81	59.51	314	302	308
9	दुले	63.13	38.78	51.22	223	242	231
10.	गढ़चिरोली	56.56	28.87	42.89	146	159	134
11.	ग्रेटर बम्बई	87.87	75.80	82.50	421	418	412
12.	जलगाव	77.46	50.34	64.30	371	333	344
13.	जालना	64.43	27.30	46.25	236	142	179
14	कोल्हापुर	80.33	53.08	66.94	390	349	367
15	लाटुर	70.47	39.74	55.57	303	252	273
16.	नागपुर	81.79	64.74	73.64	398	399	392
17.	ननदेड	64.38	30.96	48.17	235	176	207
18.	नासिक	73.98	49.89	62.33	336	325	327
19.	उस्मानाबाद	68.39	39.16	54.27	281	245	260
20.	परभनी	64.90	29.41	47.58	241	163	195
21.	पुण	81.56	59.77	71.05	397	382	385
22	रायगढ़	75.94	52.20	63.95	354	348	341
23.	रत्नगिरि	76.64	51.61	62.70	361	344	331
24	सागली	74.83	49.94	62.61	344	327	330
25.	सतारा	80.61	53.35	66.67	393	352	363
26.	सिन्धुदुर्ग	86.23	66.87	75.81	417	404	399
27.	शोलापुर	70.08	41.73	56.39	301	272	278
28.	ठाणे	77.56	60.28	69.54	372	383	379
29.	वर्धा	78.33	61.02	69.95	380	385	380
30.	यवतमाल	70.45	44.81	57.96	302	291	291
	महाराष्ट्र	76.56	52.32	64.87	22	21	22

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : मणिपुर

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	बिशनुपुर	68.59	41.13	54.94	284	263	266
2.	चंदेल	57.39	34.80	46.68	159	203	185
3.	चुराचांदपुर	66.38	49.30	58.17	257	320	293
4.	इम्फाल	82.80	58.32	70.74	409	378	383
5.	सेनापति	55.26	36.13	46.04	129	213	177
6.	तामेंगलोंग	59.92	39.68	50.16	185	250	223
7.	थाउबाल	68.33	36.31	52.47	280	215	239
8.	उखरूल	72.11	51.57	62.54	321	342	328
	मणिपुर	71.63	47.60	59.89	18	15	16

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : मेघालय

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	पश्चिम गारो हिल्स	54.70	41.70	48.38	119	270	209
2.	पश्चिम खासी हिल्स	62.86	57.04	60.04	218	374	310
3.	जैनतिया हिल्स	34.37	36.31	35.32	6	215	66
4.	पश्चिम गारो हिल्स	46.93	31.32	39.32	54	179	100
5.	पश्चिम खासी हिल्स	52.98	47.94	50.52	103	310	228
	मेघालय	53.12	44.85	49.10	3	12	9

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : मिजोरम

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	आइजोल	90.40	85.51	88.06	424	425	418
2.	छिमतुईपुई	66.14	51.24	59.11	252	337	306
3.	लुंगलेई	82.37	72.58	77.73	404	413	405
	मिजोरम	85.61	78.60	82.27	29	30	30

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : नागालैण्ड

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	कोहिमा	75.58	61.41	69.16	349	391	376
2.	मोकोकचुंग	80.52	74.88	77.85	392	416	407
3.	मोन	41.90	29.10	36.02	28	160	72
4.	फेक	72.28	51.34	62.59	322	339	329
5.	तुएनसांग	53.98	41.98	48.39	111	274	210
6.	वोखा	81.06	65.99	73.92	394	402	393
7.	जुनहेबोटो	70.76	57.63	64.36	306	375	346
	नागालैण्ड	67.62	54.75	61.65	14	22	19

*प्रगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : उड़ीसा

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	बालानगीर	57.26	21.88	39.74	157	87	104
2.	बालेश्वर	72.55	44.57	58.78	325	289	301
3.	कटक	75.74	50.38	63.28	351	334	335
4.	ढेनकानाल	68.23	37.34	53.22	277	224	249
5.	गंजम	60.77	28.09	44.26	198	151	150
6.	कालाहांडी	45.54	14.56	30.05	43	19	28
7	केंउझड़	59.04	30.01	44.73	172	169	159
8	कोरापुट	32.15	13.09	22.66	2	11	3
9.	मयूरभंज	51.84	23.68	37.88	95	111	83
10.	फुलबानी	56.92	20.26	38.64	153	73	89
11.	पुरी	76.82	49.94	63.82	365	327	340
12.	सम्बलपुर	61.64	33.55	49.38	239	193	219
13.	सुन्दरगढ़	65.41	39.60	52.97	246	248	245
	उड़ीसा	63.09	34.68	49.09	10	8	6

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : पंजाब

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	अमृतसर	65.07	50.10	58.09	244	329	292
2.	भटिण्डा	50.55	34.51	43.03	83	201	136
3.	फरीदकोट	56.43	41.50	49.42	144	267	220
4.	फिरोजपुर	56.88	38.11	48.01	151	233	202
5.	गुरदासपुर	69.56	53.33	61.84	294	351	323
6.	होशियारपुर	79 31	61.48	70.74	384	393	383
7.	जालन्धर	74.87	61.33	68.45	345	389	374
8.	कपूरथला	70.03	55.83	63.31	300	365	337
9.	लुधियाना	72.47	61.23	67.35	324	388	370
10.	पटियाला	65.93	50.33	58.62	251	332	297
11.	रूपनगर	76.45	58.54	68.14	359	379	372
12.	संगरूर	53.37	37.86	46.16	107	229	178
	पंजाब	65.66	50.41	58.51	11	18	15

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : राजस्थान

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	अजमेर	68.75	34.50	52.34	287	200	238
2.	अलवर	60.98	22.54	43.09	199	96	137
3.	बांसवाड़ा	38.16	13.42	26.00	13	13	10
4.	बाड़मेर	36.56	7.68	22.98	9	1	4
5.	भरतपुर	62.11	19.60	42.96	210	64	135
6.	भीलवाड़ा	45.95	16.50	31.65	48	36	35
7.	बीकानेर	54.63	27.03	41.73	118	135	124
8.	बून्दी	47.40	16.13	32.75	57	30	45
9.	चित्तोड़गढ़	50.55	17.15	34.28	83	45	56
10.	चूरू	51.30	17.32	34.78	88	47	61
11.	धोलपुर	50.45	15.25	35.09	81	23	64
12.	डुंगरपुर	45.71	15.40	30.55	46	26	31
13.	गंगानगर	55.29	26.39	41.82	130	127	126
14	जयपुर	64.83	28.69	47.88	240	157	200
15.	जेसलमेर	44.99	11.28	30.05	39	6	28
16.	जालोर	38.97	7.75	23.76	15	2	5
17.	झालवाड़	48.22	16.18	32.94	64	32	47
18.	झुनझुनु	68.32	25.54	47.60	279	121	196
19.	जोधपुर	56.74	22.58	40.69	150	98	116
20.	कोटा	64.03	29.50	47.88	228	164	200
21.	नागौर	49.35	13.29	31.80	74	12	36
22.	पाली	54.42	16.97	35.96	115	43	71
23.	सवाई माधोपुर	54.60	14.64	36.27	117	20	75
24.	सीकर	64.13	19.88	42.49	231	70	131
25.	सिरोही	46.24	16.99	31.94	49	44	38
26.	टोंक	50.64	15.24	33.67	84	22	51
27.	उदयपुर	49.27	19.00	34.38	72	61	57
	राजस्थान	54.99	20.44	38.55	5	1	2

*संमत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : सिक्किम

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	पश्चिम जिला	73.10	55.66	65.13	329	363	352
2.	उत्तरी जिला	63.64	40.69	53.47	227	259	254
3.	दक्षिण जिला	63.18	43.70	54.08	225	284	258
4.	पश्चिम जिला	54.92	35.26	45.62	124	208	171
	सिक्किम	65.74	46.69	56.94	12	14	13

*मंगन साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : तमिलनाडु

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	चेंगलपट्टु—एम० जी० आर०	77.07	55.22	66.38	367	361	361
2.	चिदम्बरनर	82.02	64.57	73.02	401	398	389
3.	कोयम्बटूर	76.45	55.73	66.35	359	364	360
4.	धरमपुरी	57.21	34.23	46.02	156	197	176
5.	दिनदिगुल अन्ना	69.19	43.94	56.68	291	285	280
6.	कामराजर	75.67	50.17	62.91	350	330	333
7.	कन्याकुमारी	85.70	78.39	82.06	415	421	411
8.	मद्रास	87.86	74.87	81.60	420	415	409
9.	मदुरई	77.74	54.74	66.41	374	355	362
10.	नीलगिरि	81.79	61.47	71.70	398	392	387
11.	नार्थ आरकोट—अम्बेडकर	72.94	48.58	60.87	328	312	315
12.	पसुम्पोन एम० थेवर	76.92	49.74	63.04	366	323	334
13.	पेरीयर	65.54	41.58	53.80	248	268	256
14.	पुडुकोट्टई	71.78	43.62	57.63	316	283	285
15.	रामनाथपुरम	74.76	48.70	61.59	343	313	321
16.	सालम	64.58	41.45	53.31	238	266	251
17.	साऊथ आरकोट	65.59	39.70	52.86	249	251	244
18.	थनजावुर	77.24	54.77	66.02	370	356	358
19.	तिरूचिरपल्ली	73.36	48.94	61.22	333	318	319
20.	तिरूनेलवेली—कोट्टाबोम्मन	77.46	54.23	65.58	371	354	356
21.	तिरुवेन्नामलाई—साम्बुवेरा	66.71	39.25	53.07	263	247	247
	तमिलनाडु	73.75	51.33	62.66	20	19	20

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : त्रिपुरा

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	उत्तरी त्रिपुरा	69.74	50.31	60.37	297	331	313
2.	दक्षिणी त्रिपुरा	62.34	39.75	51.35	213	253	233
3	पश्चिम त्रिपुरा	75.87	55.15	65.83	353	360	357
	त्रिपुरा	70.58	49.65	60.44	17	17	17

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : उत्तर प्रदेश

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	आगरा	63.09	30.83	48.58	221	174	212
2.	अलीगढ़	60.19	27.17	45.21	190	138	165
3.	इलाहाबाद	59.14	23.45	42.66	173	107	133
4.	अलमोड़ा	79.96	39.60	58.66	386	248	298
5.	आजमगढ़	56.13	22.67	39.22	141	99	97
6.	बहराइच	35.57	10.73	24.39	8	5	26
7.	बलिया	60.76	26.13	43.89	197	126	146
8.	बाँदा	51.50	16.44	35.70	90	35	69
9.	बाराबंकी	43.00	15.41	30.42	32	27	30
10.	बरेली	43.33	19.85	32.78	35	69	46
11.	बस्ती	51.68	17.82	35.54	93	51	67
12.	बिजनौर	52.56	26.47	40.53	100	130	113
13	बदायूं	33.96	12.82	24.64	5	10	7
14.	बुलन्दशहर	61.96	24.30	44.71	209	115	158
15.	चमोली	82.01	40.37	61.08	400	256	318
16.	देहरादून	77.95	59.26	69.50	375	381	378
17.	देवरिया	55.34	18.75	37.30	132	60	81
18.	इटा	54.09	22.91	40.15	113	101	107
19.	इटावा	66.24	38.34	53.69	255	235	255
20.	फैजाबाद	55.49	22.97	39.90	135	102	105
21.	फरुखाबाद	59.48	31.97	47.13	179	182	190
22.	फतेहपुर	59.88	27.25	44.69	184	140	156
23.	फिरोजाबाद	59.76	29.85	46.30	183	167	181
24.	गढ़वाल	82.46	49.44	65.35	406	321	354
25.	गाजियाबाद	68.64	38.81	55.22	285	243	270
26.	गाजीपुर	61.48	24.38	43.27	204	116	140
227	गोंडा	40.00	12.58	27.34	21	9	15
28.	गोरखपुर	60.61	24.49	43.30	195	117	142
29.	हमीरपुर	55.13	20.88	39.64	127	79	101
30.	हरदोई	49.45	19.75	36.30	75	66	76
31.	हरिद्वार	59.51	34.93	48.35	180	204	208
32.	जालौन	66.21	31.60	50.72	254	181	230
33.	जौनपुर	62.24	22.39	42.22	212	93	130
34.	झांसी	66.76	33.76	51.60	266	194	235
35.	कानपुर देहात	62.88	35.92	50.71	220	212	229
36.	कानपुर नगर	76.73	58.82	68.75	363	380	375
37.	खेरी	40.58	16.35	29.71	23	34	26
38.	ललितपुर	45.22	16.62	32.12	42	37	42
39	लखनऊ	66.51	46.83	57.49	261	303	284
40	महाराजगंज	45.67	10.28	28.90	45	3	22
41.	मैनपुरी	64.26	33.05	50.21	233	189	225

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : उत्तर प्रदेश

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
42.	मथुरा	62.55	23.04	45.03	215	103	161
43.	मऊ	59.44	27.86	43.80	178	149	145
44.	मेरठ	64.47	35.62	51.30	237	210	232
45.	मिर्जापुर	54.75	22.32	39.68	121	91	103
46.	मुरादाबाद	41.65	18.34	31.03	27	56	32
47.	मुजफ्फरपुर	56.63	29.12	44.00	147	161	147
48.	नैनीताल	67.88	43.19	56.52	275	280	279
49.	पीलीभीत	44.37	17.22	32.10	37	46	41
50.	पिथोरागढ़	79.44	38.37	59.01	385	236	303
51.	प्रतापगढ़	60.29	20.48	40.40	191	74	109
52.	राय बरेली	53.30	21.01	37.78	106	80	82
53.	रामपुर	33.79	15.31	25.37	4	25	9
54.	सहारनपुर	53.85	28.10	42.11	109	152	128
55.	शाहजहांपुर	42.68	18.59	32.07	30	58	40
56.	सिद्धार्थ नगर	40.91	11.84	27.09	25	8	14
57.	सीतापुर	43.10	16.90	31.41	33	42	34
58.	सोनभद्र	47.56	18.65	34.40	60	59	58
59.	सुल्तानपुर	55.36	20.84	38.69	133	78	90
60.	टिहरी गढ़वाल	72.10	26.41	48.38	320	128	209
61.	उन्नाव	51.63	23.62	38.70	92	110	91
62.	उत्तरकाशी	68.74	23.57	47.23	286	109	192
63.	वाराणसी	64.37	28.87	47.70	234	159	197
	उत्तर प्रदेश	55.73	25.31	41.60	7	3	5

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता पर 1991 जनगणना

राज्य : पश्चिम बंगाल

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	बेंकुर	66.75	36.55	52.04	265	217	237
2.	बर्द्धमान	71.12	51.46	61.88	310	341	324
3.	बीरभूम	59.26	37.17	48.56	175	223	211
4.	कलकत्ता	81.94	72.09	77.61	399	411	403
5.	दार्जलिंग	67.07	47.84	57.95	271	309	290
6.	हावड़ा	76.11	57.83	67.62	356	376	371
7.	हुगली	75.77	56.90	66.78	352	373	365
8.	जलपाईगुड़ी	56.00	33.20	45.09	139	190	162
9.	कूच बिहार	57.35	33.31	45.78	158	192	173
10.	मालदाह	45.61	24.92	35.62	44	118	68
11.	मेदनीपुर	81.27	56.63	69.32	396	369	377
12.	मुर्शीदाबाद	46.42	29.57	38.28	51	165	86
13.	नादिया	60.05	44.42	52.53	188	288	240
14.	उत्तरी 24 परगना	74.72	57.99	66.81	342	377	366
15.	पुरुलिया	62.17	23.24	43.29	211	105	141
16.	दक्षिणी 24 परगना	68.45	40.57	55.10	283	257	267
17.	पश्चिमी दीनापुर	49.79	27.87	39.29	78	150	98
	पश्चिमी बंगाल	67.81	46.56	57.70	15	13	14

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	अण्डमान	80.31	67.15	74.52	389	406	394
2.	निकोबार	70.68	55.26	63.72	305	362	339
	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	78.99	65.46	73.02	23	24	24

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : चण्डीगढ़

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	चण्डीगढ़	82.04	72.34	77.81	402	412	406
	चण्डीगढ़	82.04	72.34	77.81	25	28	28

* संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : दादरा एवं नागर हवेली

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	दादरा एवं नागर हवेली	53.56	26.98	40.71	108	134	117
	दादरा एवं नागर हवेली	53.56	26.98	40.71	4	4	3

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : दिल्ली

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	दिल्ली जिला	82.01	66.99	75.29	400	405	396
	दिल्ली	82.01	66.99	75.29	24	26	26

*संगत साक्षरता दरों के अरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : दमन एवं दीव

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	दमन	85.24	64.39	75.34	414	397	397
2	दीव	78.66	51.99	64.46	378	346	347
	दमन एवं दीव	82.66	59.40	71.20	26	23	23

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : लक्षद्वीप

क्रम सं०	जिले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक *		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	लक्षद्वीप	90.18	72.89	81.78	423	414	410
	लक्षद्वीप	90.18	72.89	81.78	30	29	29

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

साक्षरता दर 1991 जनगणना

राज्य : पाण्डिचेरी

क्रम सं०	ज़िले का नाम	साक्षरता दर			अखिल भारतीय रैंक*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	कराइकल	85.05	66.65	75.78	412	403	398
2.	माणे	96.90	91.73	94.10	436	433	426
3.	पांडिचेरी	82.75	63.60	73.35	408	396	391
4.	यनम	92.38	71.19	76.86	405	410	402
	पांडिचेरी	83.68	65.63	74.94	28	25	25

*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।

वित्तीय आबंटन

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन

(रुपए लाखों में)

क्रम संख्या	विषय	योजनागत-गैर-योजनागत	बजट प्राक्कलन 1992-93 मूल	बजट प्राक्कलन 1992-93 संशोधित	बजट प्राक्कलन 1993-94
1	2	3	4	5	6
	प्रारम्भिक शिक्षा				
1.	आप्रेशन ब्लैक बोर्ड	योजनागत	9914.00	17517.00	17900.00
2.(i)	अनौपचारिक शिक्षा	योजनागत	2200.00	1200.00	1955.00
(ii)	अनौपचारिक शिक्षा	योजनागत	6810.00	6810.00	8912.00
(iii)	एस० आई० डी० ए० से वित्तीय सहयोग प्राप्त राजस्थान में शिक्षा-कर्मी परियोजना	योजनागत	470.00	470.00	500.00
(iv)	बिहार शिक्षा परियोजना	योजनागत	1200·00	600.00	2000·00
(v)	एन सी टी ई	योजनागत	50.00	10.00	100.00
(vi)	सूक्ष्मायोजना का संचालनीकरण	योजनागत	300.00	--	—
(vii)	अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धि में सुधार	योजनागत	200.00	—	—
(viii)	लोक जुम्बिश	योजनागत	200.00	400.00	933.00
(ix)	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उ० प्र० परियोजना	योजनागत	10.00	1.00	10.00
(x)	बाल भवन	योजना गत	100.00	41.00	100.00
		गैर-योजनागत	66.00	66.00	66.00
(xi)	महिला समाख्या	योजनागत	400.00	400.00	890.00
(xii)	दक्षिणी उड़ीसा परियोजना	योजनागत	10.00	1.00	10.00
3.	शिक्षक शिक्षा	योजनागत	6450.00	6450.00	6910.00
	माध्यमिक शिक्षा				
1.	शिक्षा का व्यवसायीकरण	योजनागत	7900.00	7900.00	8500.00
2.	विकलांग बच्चों के लिये समेकित शिक्षा	योजनागत	350.00	350.00	450.00
3.	योग	योजनागत	60.00	60.00	60.00
		गैर-योजनागत	30.00	30.00	30.00
4.	राष्ट्रीय खुला विद्यालय	योजनागत	150.00	101.20	290.00
		गैर-योजनागत	46·00	53.30	34.00
5.	रा० शै० अ० प्र० परिषद को अनुदान	योजनागत	300.00	300.00	587.00
		गैर-योजनागत	2220.00	1370.00	2200.00
6.	जनसंख्या शिक्षा	योजनागत	100.00	100.00	98.00
7.	विज्ञान शिक्षा	योजनागत	2198.00	2498.00	2168.00
8.	पर्यावरण शिक्षा	योजनागत	290.00	190.00	180.00
9.	शैक्षणिक प्रौद्योगिकी	योजनागत	1400.00	1400.00	2343.00
10.	सी० एल० ए० एस० एस०	योजनागत	600.00	400.00	2607.00
11.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	योजनागत	16301.00	16555.00	18546.00
12.	शिक्षा में संस्कृति (कला) मूल्यों को शक्ति प्रदान करने तथा नवीन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिये अभिकरणों को सहायता देना।	योजनागत	50.00	50.00	95.00
13.	युद्ध के दौरान मारे गये या विकलांग हुए अधिकारियों और सैनिकों के बच्चों को शैक्षणिक छूट	गैर-योजनागत	1.30	1.00	1.00
14.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	गैर-योजनागत	421.90	463.00	514.00
15.	नवोदय विद्यालय समिति	योजनागत	7500.00	9209.00	13171.00
		गैर-योजनागत	4450.00	4629.00	4927.00
16.	स्कूली शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों	गैर-योजनागत	1.00	1.00	1.00
17.	शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	गैर योजनागत	25.50	25.50	27.00

1	2	3	4	5	6
	उच्च शिक्षा और अनुसंधान				
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	योजनागत	13350.00	13440.00	14050.00
		गैर-योजनागत	24709.00	30654.00	28882.00
2.	भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, शिमला	योजनागत	35.00	40.00	35.00
		गैर-योजनागत	110.50	120.00	125.39
3.	भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद	योजनागत	40.00	40.00	40.00
		गैर-योजनागत	65.00	63.00	68.00
4.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद	योजनागत	35.00	31.00	35.00
		गैर-योजनागत	130.00	135.00	139.00
5.	अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	योजनागत	38.00	38.00	38.00
		गैर-योजनागत	19.00	19.00	21.00
6.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	योजनागत	250.00	250.00	250.00
		गैर-योजनागत	424.25	424.25	437.00
7.	शास्त्री भारत कनाडा संस्थान	योजनागत	—	—	—
		गैर-योजनागत	65.00	65.00	70.00
8.	विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन	योजनागत	—	—	—
		गैर-योजनागत	6000.00	3700.00	3400.00
9.	राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर	योजनागत	—	—	—
		गैर-योजनागत	6.00	5.00	5.00
10.	पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण	योजनागत	50.00	50.00	50.00
		गैर-योजनागत	—	—	—
11.	डा० जाकिर हुसैन मैमोरियल ट्रस्ट	योजनागत	25.00	25.00	25.00
		गैर-योजनागत	6.30	11.75	10.00
12.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	योजनागत	12.00	12.00	12.00
		गैर-योजनागत	12.15	12.15	12.50
13.	इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय	योजनागत	1000.00	1000.00	1400.00
		गैर-योजनागत	753.00	753.00	790.00
14.	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद	योजनागत	5.00	1.00	5.00
		गैर-योजनागत	—	—	—
15.	राष्ट्रमण्डल अध्ययन	योजनागत	25.00	25.00	25.00
16.	ग्रामीण संस्थान	योजनागत	100.00	10.00	100.00
	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग				
1.	ओरोविले प्रबन्ध	योजनागत	10.00	35.00	20.00
2.	बाह्य शैक्षिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करना	योजनागत	3.00	3.00	3.00
3.	यूनेस्को कुरियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन का खर्च	गैर-योजनागत	18.00	18.00	20.00
4.	अन्य मदें आई० एन० सी० के कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	गैर-योजनागत	0.25	0.25	0.25
5.	अन्य मदें—यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग	गैर-योजनागत	0.60	0.60	0.60
6.	अन्य मदें आतिथ्य तथा मनोरंजन	गैर-योजनागत	0.05	0.05	0.50
7.	यूनेस्को को योगदान	गैर-योजनागत	297.00	379.10	489.10
8.	विदेशी शिष्ट मण्डल की भारत यात्रा	गैर-योजनागत	5.00	5.00	5.00
9.	देश से बाहर प्रतिनियुक्ति तथा शिष्ट मण्डल की योजना	गैर-योजनागत	5.00	5.00	8.00
10.	ओरोविले प्रबन्ध	गैर-योजनागत	16.00	16.00	16.00
11.	भारतीय राष्ट्रीय आयोग की गतिविधियों को सुदृढ़ करना	योजनागत	7.00	7.00	59.00

1	2	3	4	5	6
पुस्तक, प्रोन्नति तथा कॉपीराइट					
1.	राष्ट्रीय लेखक संगठन की स्थापना	योजनागत	2.00	2.00	2.00
2.	पुस्तक प्रोन्नति गतिविधियां तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत	5.00	4.85	5.00
3.	बी०पी० के लिये भारत का योगदान	गैर-योजनागत	25.00	33.50	37.50
4.	अन्तर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संघ (सी० ई० पी०)	गैर-योजनागत	2.00	2.50	2.50
5.	रा० पु० न्या० के साथ प्रबन्ध		—	—	2.50
6.	राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद	योजनागत	2.00	2.00	2.00
7.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	योजनागत	189.00	192.00	189.00
		गैर-योजनागत	215.00	215.00	270.00
छात्रवृत्ति					
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	100.00	100.00	100.00
2.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	गैर-योजनागत	285.00	285.00	285.00
3.	देश से बाहर भारतीय नागरिकों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशी सरकार संगठन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां	गैर-योजनागत	18.00	20.00	25.00
4.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वसूली में राज्य सरकार के 50% के अंश	गैर-योजनागत	22.00	22.00	22.00
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की योग्यता की उन्नति के लिये योजना	योजनागत	55.00	55.00	55.00
6.	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बालकों के लिये माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां	योजनागत	60.00	60.00	60.00
7.	संस्वीकृत आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां	गैर-योजनागत	205.00	205.00	205.00
8.	अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों के हिन्दी में दसवीं के बाद अध्ययन के लिये सहायता अनुदान छात्रवृत्ति की योजना	गैर-योजनागत	34.10	34.10	34.10
9.	विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की योजना	गैर-योजनागत	300.00	175.00	175.00
10.	विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये जवाहर लाल नेहरू छात्रवृत्ति	योजनागत	35.00	35.00	50.00
भाषाओं की प्रोन्नति					
हिन्दी					
1.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	योजनागत	63.00	57.00	66.00
		गैर-योजनागत	127.03	128.30	137.50
2.	वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी शब्दावली आयोग	योजनागत	18.00	18.00	20.00
		गैर-योजनागत	52.20	52.20	57.00
3.	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा	योजनागत	52.00	39.40	52.00
		गैर-योजनागत	177.00	177.00	193.00
4.	हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण	योजनागत	185.00	185.00	250.00
5.	गैर सरकारी संगठनों दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा तथा हिन्दी में प्रकाशनों सहित अन्य एन० वी० सी० एस० को सहायता	योजनागत	180.00	201.60	180.00
		गैर-योजनागत	102.50	102.50	102.50
6.	देश से बाहर हिन्दी का प्रचार	योजनागत	20.00	20.00	25.00
		गैर-योजनागत	11.00	11.00	11.00
7.	हिन्दी विश्वविद्यालय	योजनागत	1.00	1.00	30.00
उर्दू					
8.	उर्दू विश्वविद्यालय	योजनागत	—	—	1.00

1	2	3	4	5	6
आधुनिक भारतीय भाषाएं					
9.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान तथा जनजातीय भाषाओं के विकास सहित इसके क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	योजनागत	88.00	86.00	88.00
		गैर योजनागत	224.90	224.63	231.00
10.	गुजराल समिति सहित तरक्की ए उर्दू बोर्ड	योजनागत	70.00	59.00	75.00
		गैर योजनागत	43.37	43.37	45.00
11.	एन० जी० सी० (सिन्धी उर्दू) तथा हिन्दी की तुलना में अन्य) जमा यू एल बी की सहायता	योजनागत	26.00	26.00	26.00
		गैर योजनागत	10.00	10.00	10.00
12.	सिन्धी विकास बोर्ड सहित सिन्धी के लिये एन० जी० ही० को वित्तीय सहायता, सिन्धी को पुस्तक प्रोन्नति के लिये धन देना	योजनागत	10.00	10.00	24.00
13.	आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षक	योजनागत	41.00	10.00	60.00
अंग्रेजी					
14.	अंग्रेजी भाषा शिक्षक के लिये वित्तीय सहायता	योजनागत	72.00	72.00	75.00
संस्कृत					
1.	स्वैच्छिक संस्कृत संगठन/आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को अनुदान	योजनागत	80.00	80.00	80.00
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली	योजनागत	10.00	10.00	10.00
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, त्रिपुरा को अनुदान	योजनागत	10.00	10.00	10.00
4.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली को अनुदान	योजनागत	151.00	75.00	151.00
5.	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में संस्कृत शिक्षा का विकास	योजनागत	56.00	55.00	56.00
6.	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान	योजनागत	45.00	45.00	45.00
7.	शास्त्रीय भाषाओं (अरबी व फारसी) के लिये अनुदान/छात्रवृत्ति	योजनागत	15.00	15.00	15.00
8.	स्वैच्छिक संस्कृत संगठन आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान को अनुदान	गैर योजना गत	95.00	95.00	95.00
9.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को अनुदान	गैर योजनागत	93.00	88.00	98.00
10.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, त्रिपुरा को अनुदान	गैर योजनागत	70.00	57.00	72.00
11.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान	योजनेत्तर	315.00	282.00	315.00
प्रौढ़ शिक्षा					
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता	योजनागत	1500.00	512.00	600.00
		योजनेत्तर	230.00	230.00	--
2.	नेहरू युवक केन्द्र संगठन	योजनागत	150.00	50.00	50.00
3.	उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा	योजनागत	1600.00	915.00	1350.00
4.	प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ बनाना	योजनागत	700.00	790.00	1000.00
5.	कार्यात्मक साक्षरता के जन कार्यक्रम	योजनागत	375.00	227.00	250.00
6.	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	योजनागत	50.00	40.00	47.00
7.	स्वैच्छिक एजेंसियां	योजनागत	1800.00	800.00	1500.00
8.	श्रमिक विद्यापीठ	योजनागत	130.00	143.00	175.00
		योजनेत्तर	105.00	105.00	105.00
9.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	योजनागत	147.00	138.00	463.00
		योजनेत्तर	131.00	120.00	127.00
10.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	योजनागत	25.00	25.00	50.00
11.	सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम	योजनागत	5.00	3.00	5.00
12.	विशेष परियोजना	योजनागत	5865.00	7150.00	12000.00
13.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	योजनागत	150.00	50.00	200.00

1	2	3	4	5	6
तकनीकी शिक्षा					
I. निदेशन और प्रशासन					
1.	राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना पद्धति (रा० त० ज० म० प०) डी० 7 (2)	योजनागत	100.00	100.00	100.00
		योजनेत्तर	50.00	50.00	52.00
2.	अ० भा० त० शि० परि० तथा इसकी समितियों बोर्डों का पुनर्गठन, पुन: संरचना और सुदृढ़ करना (डी० 1(3)	योजनागत	180.00	125.00	260.00
		योजनेत्तर	—	—	—
II. प्रशिक्षण					
3.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (क्षेत्र ई० का०) डी० 6(2)	योजनागत	2400.00	2400.00	5400.00
		योजनेत्तर	2186.00	2186.00	2252.00
4.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण (डी० 2(5) और डी० 2(6)	योजनागत	250.00	235.00	700.00
		योजनेत्तर	508.00	508.00	858.00
5.	केन्द्रीय संस्थान				
	—तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डी 2(1)	योजनागत	600.00	415.00	500.00
		योजनेत्तर	501.90	432.00	512.00
	—राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्र० सं० (रा० औ० ई० प्र० सं०) डी० 2(2)	योजनागत	250.00	150.00	130.00
		योजनेत्तर	266.20	317.50	331.00
	—राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौ० सं० (रा० ढ० एवं० प्रौ० सं०) (डी० 2(3)	योजनागत	100.00	97.00	100.00
		योजनेत्तर	117.60	142.00	152.00
	—आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल (आ० एवं० वा० स्कूल (डी० 2(4)	योजनागत	250.00	250.00	30.00
		योजनेत्तर	180.00	180.00	197.00
III. अनुसंधान					
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा० प्र० सं० (डी० 6(1) से डी० 6(1) तक	योजनागत	2400.00	2856.00	2388.00
		योजनेत्तर	9481.00	10924.00	11306.00
7.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान (भा० प्र० सं० (डी 6(4)(1) से डी० 6(4) (4)	योजनागत	800.00	952.00	600.00
		योजनेत्तर	959.20	958.00	958.00
8.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का विकास	योजनागत	106.00	100.00	100.00
		योजनेत्तर	400.00	400.00	413.00
9.	गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों पर प्रबन्ध शिक्षा पाठ्यक्रमों का विकास डी० 6 (3)	योजनागत	40.00	40.00	15.00
		योजनेत्तर	10.35	10.35	10.00
10.	अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र (अ० वि० प्रौ० शि० केन्द्र (डी० 3(2)	योजनागत	10.00	—	10.00
		योजनेत्तर	—	—	—
11.	चुनिन्दा उच्च तकनीकी संस्थाओं में शोध और विकास डी० 3(4)	योजनागत	250.00	250.00	225.00
		योजनेत्तर	—	—	—
12.	सामुदायिक पालिटेक्निक डी० 5(1)	योजनागत	300.00	300.00	600.00
		योजनेत्तर	184.96	185.00	190.00
13.	आधुनिकीकरण और अप्रचलनों को दूर करना डी० 6(5)(3)	योजनागत	3000.00	2602.00	1800.00
		योजनेत्तर	—	—	—

1	2	3	4	5	6
14.	तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र				
	—(1) प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण जहां कमी विद्यमान है। डी० 6(5)(1) . . .	योजनागत	750.00	750.00	—
		योजनेत्तर	—	—	—
	(2) उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा सम्बन्धी सुविधाओं का सृजन डी० 6(5 (2)	योजनागत	900.00	900.00	1500.00
		योजनेत्तर	220.00	320.00	—
	(3) नए और उन्नत प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं (डी० 2(8) . . .	योजनागत	750.00	750.00	—
		योजनेत्तर	—	—	—
15.	संस्था उद्योग अन्योन्य क्रिया डी० 6(6) . . .	योजनागत	20.00	80.00	80.00
		योजनेत्तर	—	—	—
16.	सतत शिक्षा (डी० 6(7)	योजनागत	100.00	100.00	100.00
		योजनेत्तर	—	—	—
IV	अन्य योजनायें				
17.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, असम डी 6(1)(6) और एफ० 3(15)(1)	योजनागत	800.00	700.00	888.00
		योजनेत्तर	—	—	—
18.	सन्त लोगोंवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्था डी० 7(6) .	योजनागत	500.00	700.00	675.00
		योजनेत्तर	—	—	—
19.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए तकनीकी संस्थाओं को अनुदान डी० 4(1)	योजनागत	2200.00	2200.00	1800.00
		योजनेत्तर	—	—	—
20.	भारत शैक्षिक परामर्शदाता लि० (भा० रा० शै० सं०) एवं ए० ए० (1)(1)	योजनागत	2.00	2.00	2.00
21.	आई० आई० एम० सी० बंगलौर डी० 4(2) . . .	योजनागत	600.00	600.00	2350.00
		योजनेत्तर	—	—	2145.00
22.	तकनीशियन शिक्षा को विश्व बैंक परियोजना सहायता डी० 5(3)(1)	योजनागत	80.00	45.00	75.00
		योजनेत्तर	—	—	—
23.	क्षेत्रीय कार्यालय डी० 1(1)(डी)(3) . . .	योजनेत्तर	50.00	50.00	55.00
24.	कोटि सुधार कार्यक्रम डी० 2(7)	योजनेत्तर	290.00	290.00	290.00
25.	विदेश जाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता (आ० वि० वि० सं० (डी० 3(3)	योजनेत्तर	20.00	0.50	2.00
26.	भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाईटी (भा० त० शि० सो० (डी० 7(3)	योजनेत्तर	0.60	1.00	1.00
27.	ए० आई० टी०, बैंकाक डी० 7(4)	योजनेत्तर	12.15	12.15	12.00
28.	सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिनिधि मण्डल डी० 7(5)	योजनेत्तर	1.00	0.50	1.00
29.	तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमान का संशोधन/राज्य/संस्थाओं के कालेजों को सहायता एफ० 1(8)(1) . . .	योजनेत्तर	800.00	300.00	500.00
30.	संचार और शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान डी० 7(1) . .	योजनागत	10.00	1.00	10.00
		योजनेत्तर	—	—	—

केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता संबंधी परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि 1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93 अनुमानित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	621.62	1590.77	1209.29	2095.00	3637.75	604.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	63.17	71.81	46.76	82.16	0.00	40.00
3.	असम	826.69	0.00	692.41		420.48	1628.46
4.	बिहार	1868.41	2151.64	1407.66	1684.02	0.00	3706.26
5.	गोवा	12.03	23.62	37.32	47.47	0.00	39.67
6.	गुजरात	466.43	0.00	727.44	503.10	619.70	512.41
7.	हरियाणा	62.93	117.33	111.39		292.17	—
8.	हिमाचल प्रदेश	148.75	280.94	458.09	297.03	456.10	264.73
9.	जम्मू व कश्मीर	156.90	347.04	0.00		1103.06	19.00
10.	कर्नाटक	168.67	853.09	537.08	717.54	1876.67	450.00
11.	केरल	151.11	223.44	0.00	156.12	82.90	11.00
12.	मध्य प्रदेश	1194.10	1981.26	0.00	1344.78	846.91	1819.00
13.	महाराष्ट्र	545.03	0.00	788.33	612.22	2795.46	1376.65
14.	मणिपुर	38.03	98.78	0.00	47.88	57.30	32.00
15.	मेघालय	78.37	0.00	0.00	100.49	90.04	107.00
16.	मिजोरम	11.80	22.88	8.74	8.87	66.80	70.00
17.	नागालैण्ड	25.66	24.67	42.98	5.85	0.00	14.84
18.	उड़ीसा	753.00	1105.45	864.25	1818.32	1147.90	2217.85
19.	पंजाब	334.11	385.25	115.69	219.29	541.67	20.00
20.	राजस्थान	1175.55	1120.58	1568.63	3456.83	2202.14	511.00
21.	सिक्किम	41.57	9.06	0.00	15.36	9.57	—
22.	तमिलनाडु	480.80	856.92	1213.02	510.24	449.96	—
23.	त्रिपुरा	42.12	0.00	49.59	7.70	64.41	56.00
24.	उत्तर प्रदेश	1759.43	1893.44	2757.26	860.94	650.00	1446.50
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	384.34	0.00	349.46	140.02	1195.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	8.27		3.82	
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.17		0.00	
28.	दादरा और नागर हवेली	1.99	0.00	0.00	4.14	8.17	9.66
29.	दमन व दीव	0.00	1.19	0.00		0.00	
30.	दिल्ली	32.49	0.00	32.39	53.59	0.00	
31.	लक्षद्वीप	0.48	0.00	0.00		0.00	
32.	पांडिचेरी	0.00	27.20	20.32	10.72	0.00	3.90
	कुल	11061.24	18572.80	12698.08	15009.12	17563.00	16154.93

परिशिष्ट–2

अनौपचारिक शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि					
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (अनुमानित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	318.14	498.00	650.55	581.78	573.97	631.97
2.	असम	182.01	203.23	264.96	159.40	192.09	200.00
3.	बिहार	1030.76	466.25	88.02	667.72	191.99	540.29
4.	हरियाणा	11.46	—	—	—	55.39	—
5.	जम्मू व कश्मीर	—	64.68	—	—		53.34
6.	कर्नाटक	23.80	57.03	—	—	—	—
7.	मध्य प्रदेश	340.60	605.24	628.32	781.95	695.86	683.33
8.	मिजोरम	2.19	2.07	2.22	2.06	3.16	3.50
9.	उड़ीसा	100.11	341.33	259.86	109.84	241.56	334.41
10.	राजस्थान	183.36	164.69	165.89	236.61	361.36	366.47
11.	तमिलनाडु	7.02	60.39	—	—	5.86	7.00
12.	उत्तर प्रदेश	1082.33	544.31	485.30	925.47	1616.36	1624.60
13.	पश्चिम बंगाल	267.18	100.00	41.49	—	—	200.00
14.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.18	—	—	—	—	—
15.	चंडीगढ़	1.29	1.42	0.86	2.82	2.26	1.29
16.	दादरा और नागर हवेली	2.06	—	—	—	—	—
17.	मणिपुर	—	10.27	—	24.59	62.40	43.78
18.	गुजरात	—	—	40.74	—	—	7.00
	कुल	3552.49	3064.91	2628.21	3492.24	4002.26	4696.96

परिशिष्ट-3

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता*

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी की गई धनराशि					
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (अनुमानित)
1.	आंध्र प्रदेश	267.76	276.85	416.39	106.00	585.25	394.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.70	3.00	—	—	—	—
3.	असम	182.75	264.90	182.45	35.00	98.95	49.50
4.	बिहार	—	—	—	—	298.36	674.90
5.	गोवा	0.00	0.00	28.30	2.00	5.50	12.86
6.	गुजरात	281.29	183.23	0.00	—	94.73	303.23
7.	हरियाणा	66.50	178.40	10.00	52.82	78.23	397.70
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	129.30	0.00	—	—	118.80
9.	जम्मू और कश्मीर	150.35	156.15	174.70	—	261.07	73.00
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	300.00	353.00
11.	केरल	60.74	100.40	280.00	94.81	53.40	—
12.	मध्य प्रदेश	448.42	490.60	439.20	386.28	226.55	964.73
13.	महाराष्ट्र	0.00	380.80	0.00	—	—	—
14.	मणिपुर	0.00	33.70	0.00	1.00	110.30	12.11
15.	मेघालय	—	—	—	—	77.60	—
16.	मिजोरम	31.50	3.00	0.00	31.85	23.50	1.32
17.	नागालैण्ड	0.00	32.00	0.00	28.00	—	10.30
18.	उड़ीसा	274.05	211.95	198.77	33.00	140.67	482.67
19	पंजाब	179.00	86.00	152.30	108.40	—	272.60
20.	राजस्थान	335.40	349.85	547.04	438.15	427.96	1052.96
21.	सिक्किम	0.00	35.50	0.00	—	36.78	—
22.	तमिलनाडु	208.70	342.50	798.52	105.00	519.00	487.24
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	26.60	—	—	20.00
24.	उत्तर प्रदेश	536.46	363.87	250.63	363.59	830.00	1328.00
25.	पश्चिम बंगाल	132.69	15.00	0.00	147.69@	—	—
26.	दिल्ली	56.20	14.90	63.97	40.05	91.81	72.07
27.	पांडिचेरी	—	—	—	—	30.00	—
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	39.00
	कुल	3247.51	3651.90	3568.87	1973.64	4289.76	7220.31

*परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण वर्ष 1987-88 और 1988-89 में जारी की गई संस्वीकृतियां मार्च, 1991 में रोक दी गयी।

परिशिष्ट–4

व्यावसायीकरण योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता*

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी की गई धनराशि					
		1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93 (अनुमानित)
1.	आंध्र प्रदेश	562.63	730.32	177.06	886.85	1010.24	1584.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	6.36	—
3.	असम	30.10	82.61	—	42.62	140.28	—
4.	बिहार	136.09	—	7.41	558.61	0.75	—
5.	गोवा	68.53	28.47	64.59	80.63	49.65	92.56
6.	गुजरात	—	236.64	1173.31	778.031	789.38	1070.74
7.	हरियाणा	276.12	353.03	129.87	184.63	155.00	131.44
8.	हिमाचल प्रदेश	30.90	1.86	98.06	177.475	56.86	59.42
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	16.50	15.80	—
10.	कर्नाटक	93.00	244.70	49.21	156.80	325.00	727.47
11.	केरल	—	226.42	223.44	353.23	346.90	410.78
12.	मध्य प्रदेश	57.16	745.00	1121.48	1221.42	3.00	—
13.	महाराष्ट्र	495.90	469.66	509.38	267.21	1230.25	2195.33
14.	मणिपुर	—	11.68	—	—	14.00	7.18
15.	मेघालय	—	—	—	20.75	—	—
16.	मिजोरम	21.42	7.12	—	16.68	—	24.88
17.	नागालैण्ड	8.00	—	—	14.84	—	—
18.	उड़ीसा	156.19	600.00	83.72	510.40	—	1.22
19.	पंजाब	211.59	—	50.25	371.71	222.25	320.62
20.	राजस्थान	58.34	159.22	72.35	561.543	323.56	340.40
21.	सिक्किम	—	—	—	5.325	0.044	—
22.	तमिलनाडु	112.56	225.00	358.11	279.558	727.909	5.32
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	829.88	800.00	253.69	707.25	99.15	581.39
25.	पश्चिम बंगाल	40.69	—	—	—	—	—
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	3.24	4.238	—	—
27.	चंडीगढ़	—	42.70	42.70	12.34	20.77	8.65
28.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—	5.25
29.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	36.52	—	1.18	42.86	0.30	46.38
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—	16.63	—	—
	कुल	3225.62	4964.43	4372.05	7287.33	5657.42	7613.94

*वर्ष 1988–89 में चंडीगढ़ के लिए 42.70 लाख रुपए दर्शाए गए थे जिस पर वर्ष 1988–89 के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दावा नहीं किया जा सका।

परिशिष्ट–5

विज्ञान शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी की गई धनराशि					
		1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93 (अनुमानित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	99.25	107.15	400.37	132.25	93.96	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	3.72	—	—	—	—
3.	असम	—	295.32	90.25	141.66	146.27	—
4.	बिहार	—	365.44	11.24	—	194.51	—
5.	गोवा	35.99	—	36.03	56.76	—	—
6.	गुजरात	—	—	142.31	—	—	—
7.	हरियाणा	—	279.66	—	—	—	121.71
8.	हिमाचल प्रदेश	99.55	216.13	—	139.84	58.328	179.32
9.	जम्मू और कश्मीर	30.67	—	97.95	167.10	—	234.32
10.	कर्नाटक	417.70	95.69	45.75	167.88	—	556.56
11.	केरल	200.92	—	199.43	152.72	—	—
12.	मध्य प्रदेश	113.55	300.00	244.56	7.28	—	—
13.	महाराष्ट्र	626.10	—	—	5.42	61.94	682.99
14.	मणिपुर	—	108.00	—	87.05	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	35.20	—	0.80
16.	मिजोरम	13.78	—	87.76	84.42	31.76	—
17.	नागालैण्ड	11.55	—	8.40	—	—	—
18.	उड़ीसा	200.00	—	268.82	—	—	174.63
19.	पंजाब	130.06	—	1.37	349.97	179.18	430.23
20.	राजस्थान	349.52	—	—	139.84	511.21	—
21.	सिक्किम	—	—	12.41	20.14	—	—
22.	तमिलनाडु	217.69	194.41	251.13	93.37	539.02	—
23.	त्रिपुरा	—	27.45	—	0.74	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	313.47	300.00	98.10	13.45	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	514.37	—	147.18	—	—
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	7.34	—	21.52	5.84	—	2.59
27.	चंडीगढ़	5.82	—	—	20.18	0.11	0.64
28.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	5.22	—	—
29.	दिल्ली	53.47	73.42	102.59	55.60	—	61.95
30.	दमन और दीव	—	—	4.56	—	5.04	5.04
31.	लक्षद्वीप	0.23	—	1.28	—	—	4.06
32.	पाण्डिचेरी	—	20.82	7.03	4.32	1.70	1.00
	कुल	2926.66	2901.58	2132.86	2033.43	1822.98	2455.84

शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी की गई धनराशि					
		1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93 (अनुमानित)
1.	आंध्र प्रदेश	247.00	278.11	113.00	227.90	327.74	97.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1.72	1.14	—	—	4.18
3.	असम	—	20.92	42.20	73.53	—	127.24
4.	बिहार	—	23.54	8.33	—	6.49	105.18
5.	गोवा	3.24	3.31	1.76	5.29	—	—
6.	गुजरात	273.75	—	173.65	96.19	—	232.48
7.	हरियाणा	—	7.04	39.90	50.00	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	9.62	10.72	45.80	—	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	—	9.00	17.82	102.99	—	13.09
10.	कर्नाटक	22.52	60.38	66.37	15.81	—	43.61
11.	केरल	7.16	13.46	27.87	—	12.17	—
12.	मध्य प्रदेश	—	193.80	30.46	29.16	—	16.27
13.	महाराष्ट्र	—	72.00	93.00	126.20	—	52.55
14.	मणिपुर	—	1.82	1.21	10.08	16.19	—
15.	मेघालय	—	0.90	4.23	5.08	5.08	14.50
16.	मिजोरम	2.18	6.03	9.13	—	0.11	—
17.	नागालैण्ड	2.82	—	7.72	—	—	—
18.	उड़ीसा	45.84	79.03	128.80	258.25	—	380.88
19.	पंजाब	—	19.84	48.23	60.00	—	128.00
20.	राजस्थान	—	113.62	91.92	—	—	12.02
21.	सिक्किम	—	2.82	1.88	3.50	—	—
22.	तमिलनाडु	—	30.00	70.00	100.00	—	—
23.	त्रिपुरा	—	0.26	0.17	0.06	—	0.41
24.	उत्तर प्रदेश	72.00	112.26	20.84	—	—	54.30
25.	पश्चिम बंगाल	—	19.46	12.97	—	—	—
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	0.48	0.32	0.50	—	0.76
27.	चंडीगढ़	—	1.37	0.48	1.11	—	—
28.	दिल्ली	28.64	36.11	—	—	—	—
29.	दमन और दीव	—	0.18	0.12	—	—	—
30.	दादरा व नगर हवेली	0.33	—	0.22	—	0.36	0.81
31.	लक्षद्वीप	0.16	0.03	0.13	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	1.84	1.23	—	—	—
	राष्ट्रीय शैक्षिक अनु० और प्रशिक्षण परिषद	—	—	—	—	—	117.69
	कुल	715.26	1119.05	1060.90	1165.57	78.14	1400.54

परिशिष्ट–7

पर्यावरण शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि				
		1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	22.37	—	20.16	26.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	4.81	—	—	—
3.	असम	—	4.20	—	—	12.85
4.	बिहार	—	20.17	—	—	—
5.	गोवा	—	—	—	8.45	—
6.	गुजरात	—	—	4.82	—	—
7.	हरियाणा	—	—	0.66	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	9.15	—	—	—
9.	कर्नाटक	—	9.04	24.11	58.90	8.91
10.	केरल	—	—	2.07	—	—
11.	मध्य प्रदेश	—	9.60	28.80	—	—
12.	महाराष्ट्र	—	—	9.73	—	6.10
13.	मिजोरम	—	1.82	1.97	—	2.80
14.	उड़ीसा	—	18.47	—	—	25.31
15.	राजस्थान	—	37.52	—	16.56	—
16.	तमिलनाडु	—	17.73	16.55	33.86	26.29
17.	त्रिपुरा	—	3.04	—	9.12	—
18.	उत्तर प्रदेश	—	—	13.85	—	—
19.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	2.48	—	—	3.63
20.	दिल्ली	—	—	7.73	9.71	12.44
21.	पांडिचेरी	—	0.94	—	2.16	—
	कुल	—	160.34	110.29	158.92	124.97

परिशिष्ट–8

विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

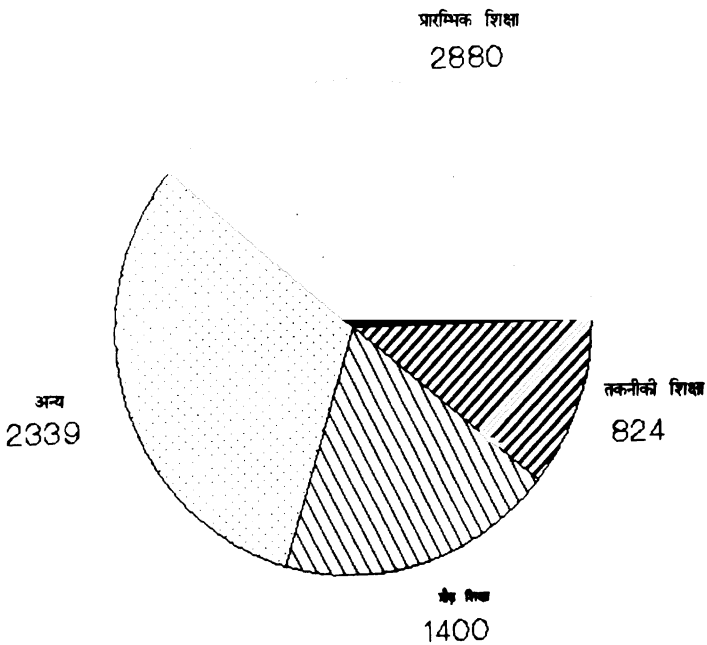
(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि					
		1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93 (अनुमानित)
1.	आंध्र प्रदेश	—	14.71	—	12.80	—	—
2.	बिहार	10.10	1.70	2.62	7.67	—	36.95
3.	गुजरात	4.24	—	8.57	5.87	34.50	67.21
4.	हरियाणा	—		20.57	19.77	—	16.80
5.	हिमाचल प्रदेश	—	8.24	5.63	7.40	7.21	9.56
6.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	19.98	16.69	—
7.	कर्नाटक	16.29	28.78	10.86	—	45.28	39.08
8.	केरल	61.08	55.00	60.00	100.47	77.54	—
9.	मध्य प्रदेश	—	0.63	1.16	17.40	2.17	30.90
10.	मणिपुर	—	—	—	3.97	3.98	5.00
11.	महाराष्ट्र	16.40	19.42	14.27	—	—	—
12.	मिजोरम	10.00	10.00	16.79	24.79	31.72	15.36
13.	नागालैण्ड	5.55	10.76	10.74	9.36	10.79	12.61
14.	उड़ीसा	18.47	13.99	15.03	28.87	22.46	35.20
15.	पंजाब	4.17	4.58	—	—	12.00	—
16.	राजस्थान	48.26	—	33.23	33.41	71.14	28.33
17.	तमिलनाडु	—	—	—	5.76	9.90	29.03
18.	उत्तर प्रदेश	9.55	—	11.95	16.97	—	—
19.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.41	14.28	15.65	13.90	16.08	20.65
20.	दिल्ली	10.58	11.17	12.17	18.92	16.14	—
21.	गोवा	—	—	0.09	0.45	—	—
22.	दमन और दीव	—	—	—	0.49	0.53	0.29
	कुल	226.10	193.86	239.31	343.28	378.13	376.97

चार्ट

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर क्षेत्रवार परिव्यय (केन्द्र)

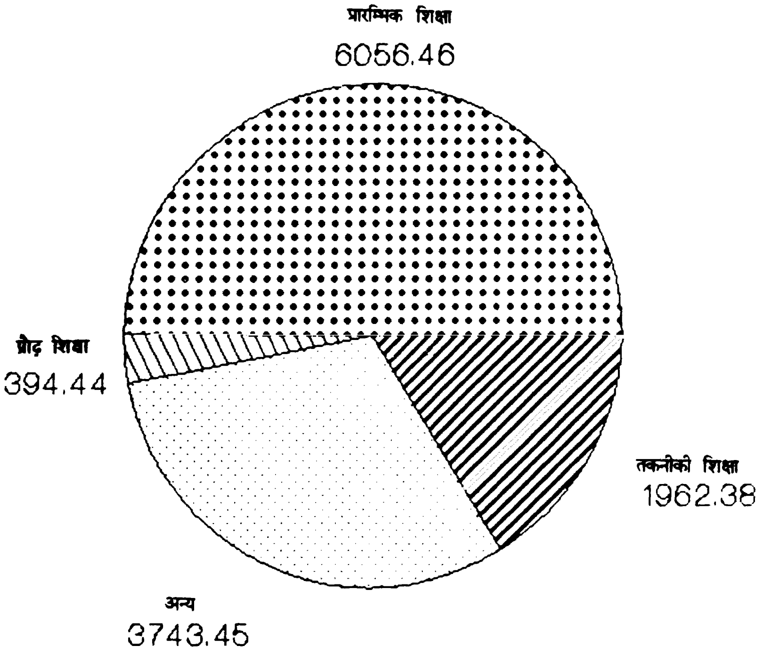
(करोड़ रुपयों में)



कुल योजनागत परिव्यय - 7443.00

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर क्षेत्रवार परिव्यय (राज्य/संघशासित प्रदेश)

(करोड़ रुपयों में)

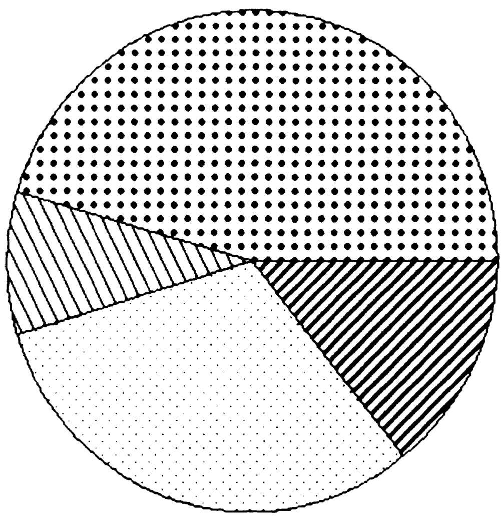


कुल योजनागत परिव्यय - 12156.73

शिक्षा पर क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय 1992-93

{ केन्द्र + राज्य + संघशासित प्रदेश }

(करोड़ रुपयों में)

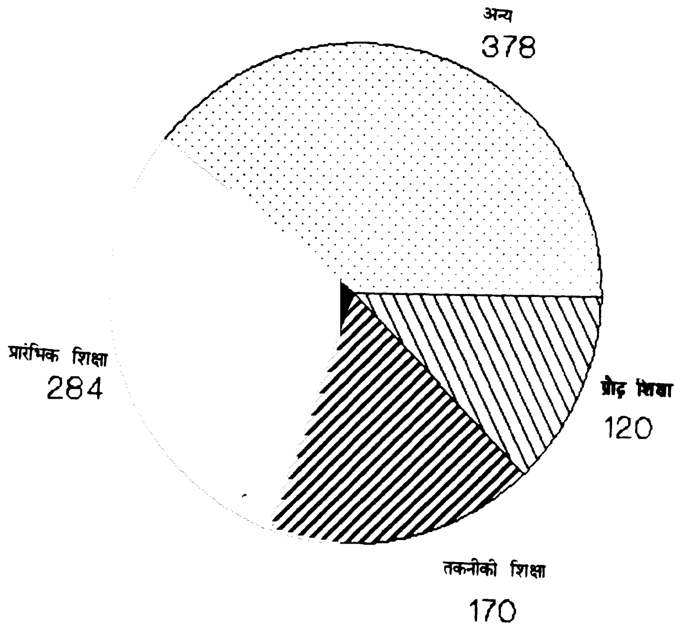


कुल योजनागत परिव्यय - 19599.73

शिक्षा पर क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय 1992-93

(केन्द्र)

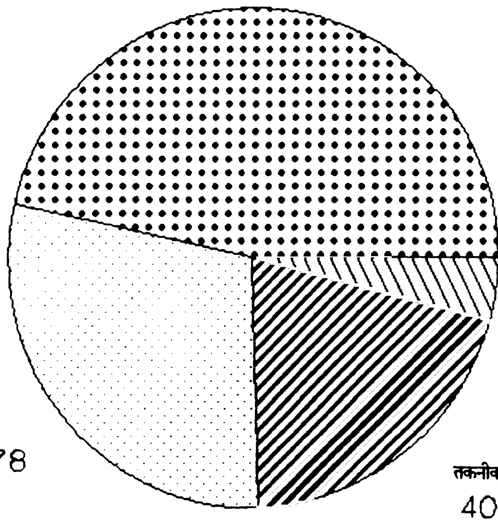
(करोड़ रुपयों में)



कुल योजनागत परिव्यय - 952.00

शिक्षा पर क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय 1992-93

(राज्य + संघशासित प्रदेश)

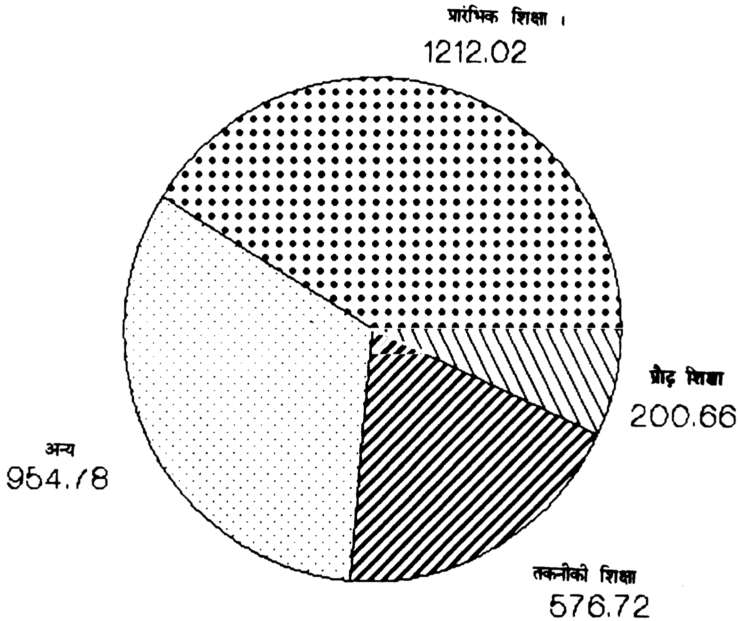


कुल योजनागत परिव्यय - 1994.18

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर क्षेत्रवार

परिव्यय (केन्द्र + राज्य + संघशासित प्रदेश) 1992-93

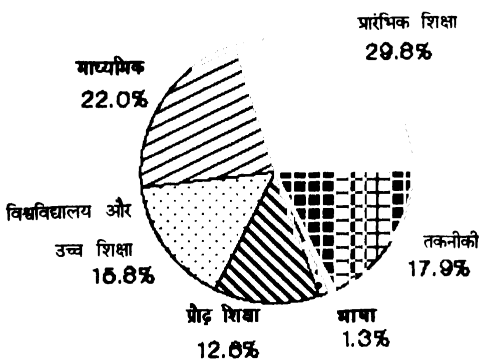
(करोड़ रुपयों में)



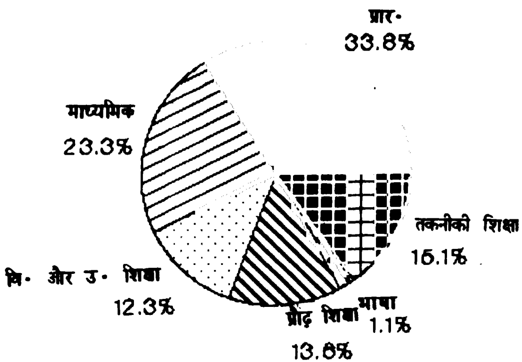
कुल योजनागत परिव्यय - 2946.18

1992-93 और 1993-94 के लिए क्षेत्रवार परिव्यय

(योजनागत)

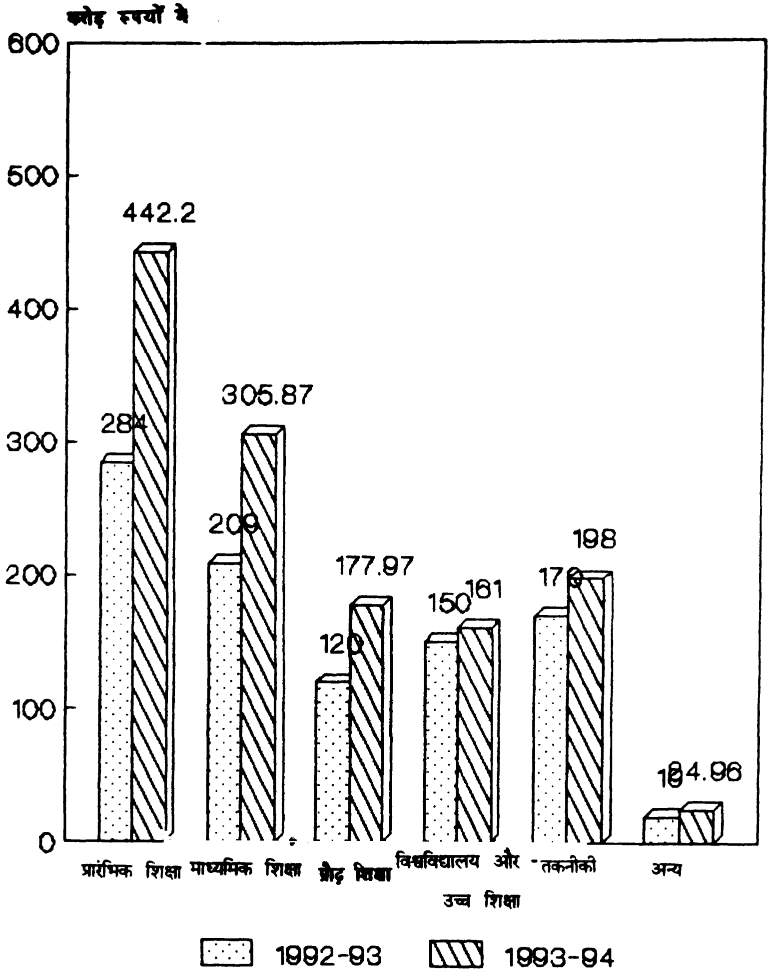


बजट प्राक्कलन 1992-93
(962 करोड़ रुपए)



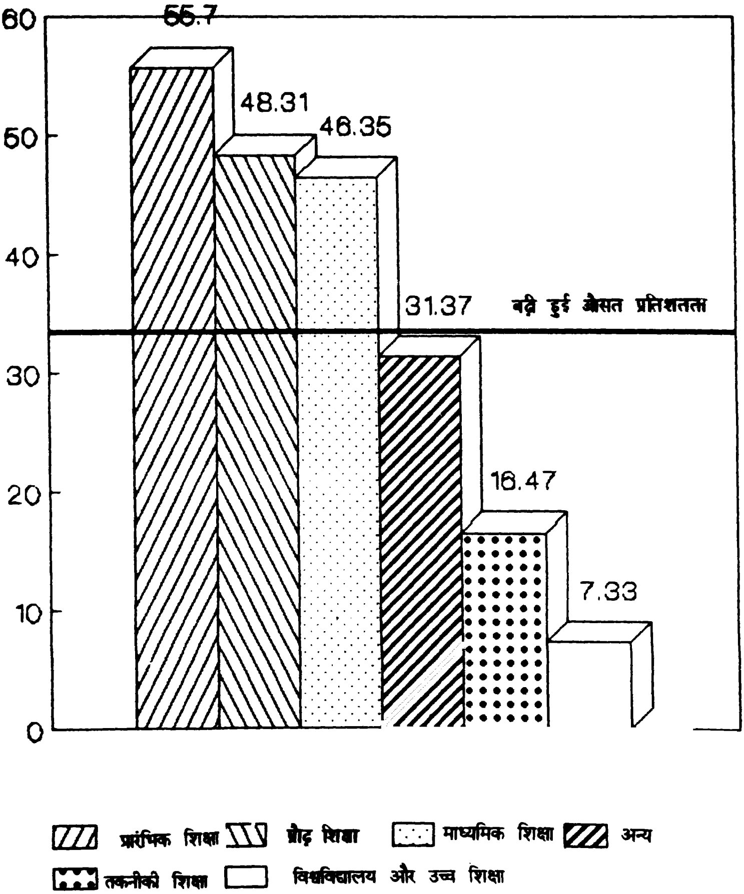
बजट प्राक्कलन 1993-94
(1310 करोड़ रुपए)

केन्द्रीय योजनागत आबंटन 92-93 और 93-94

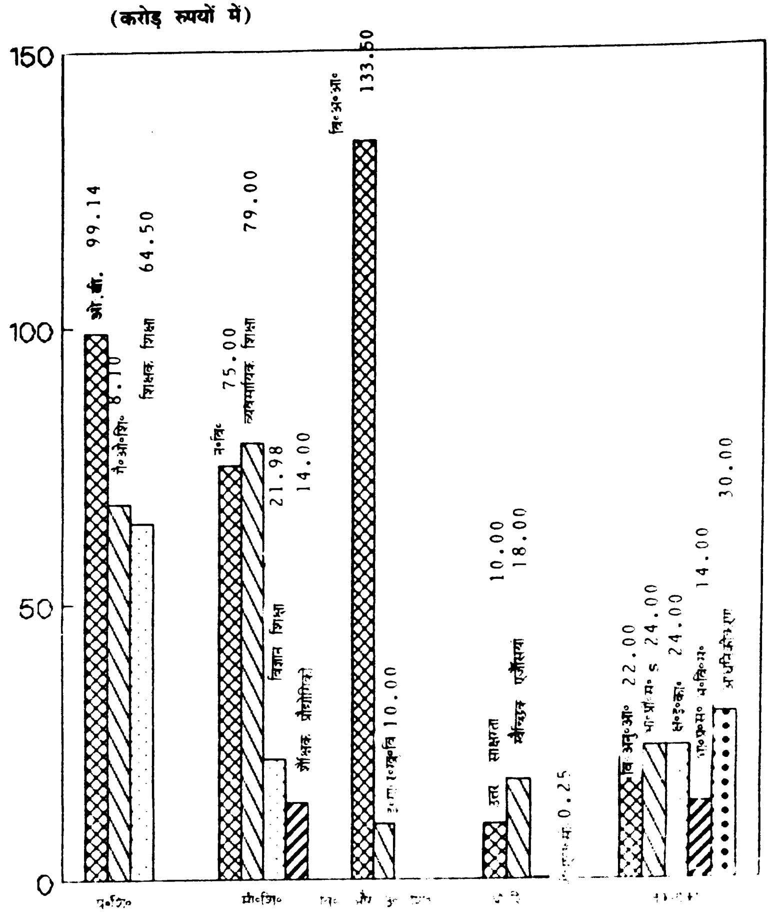


1992-93 और 1993-94 में केन्द्रीय योजनागत आवंटन

की बढ़ी हुई प्रतिशतता



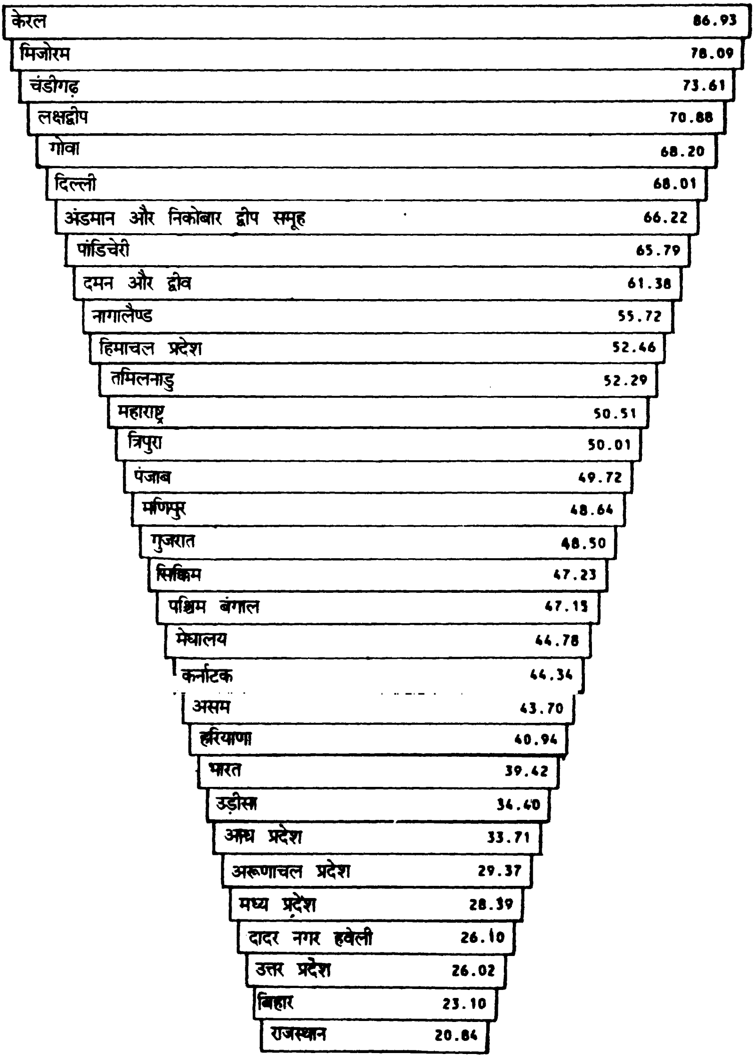
प्रमुख स्कीमों का योजनागत व्यय (केन्द्र) 1992-93-ब०आ०



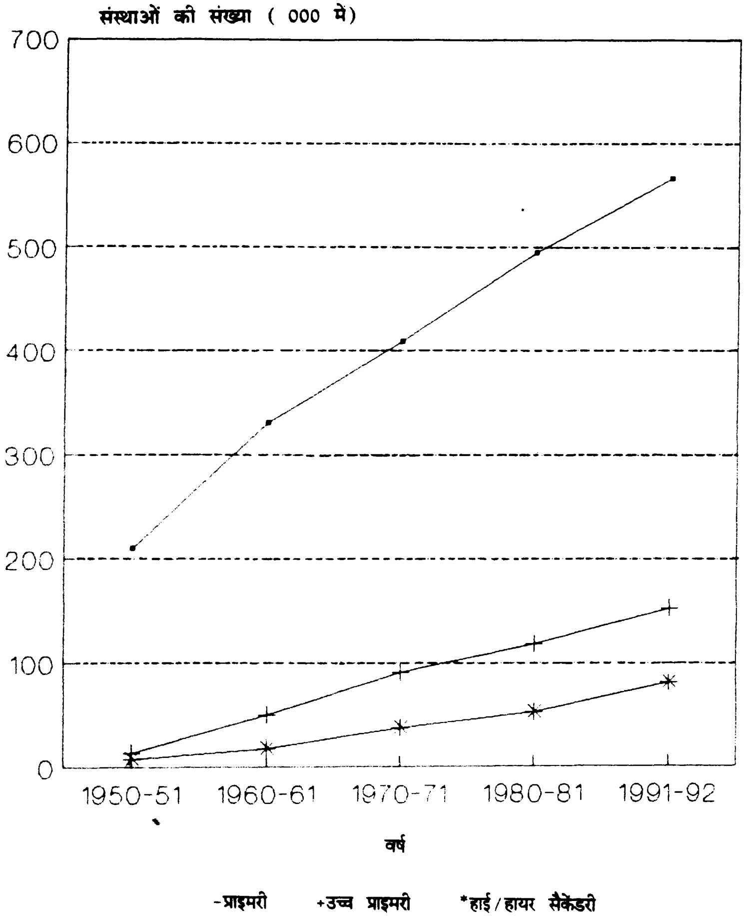
साक्षरता दर
1991

केरल	90.59
मिजोरम	81.23
लक्षद्वीप	79.23
चंडीगढ़	78.73
गोवा	76.96
दिल्ली	76.09
पांडिचेरी	74.91
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.74
दमन और द्वीव	73.58
तमिलनाडु	63.72
हिमाचल प्रदेश	63.54
महाराष्ट्र	63.05
नागालैण्ड	61.30
मणिपुर	60.96
गुजरात	60.91
त्रिपुरा	60.39
पश्चिम बंगाल	57.72
पंजाब	57.14
सिक्किम	56.53
कर्नाटक	55.98
हरियाणा	55.33
असम	53.42
भारत	52.11
उड़ीसा	48.55
मेघालय	48.26
आन्ध्र प्रदेश	45.11
मध्य प्रदेश	43.45
उत्तर प्रदेश	41.71
अरूणाचल प्रदेश	41.22
दादर नगर हवेली	39.45
राजस्थान	38.81
बिहार	38.54

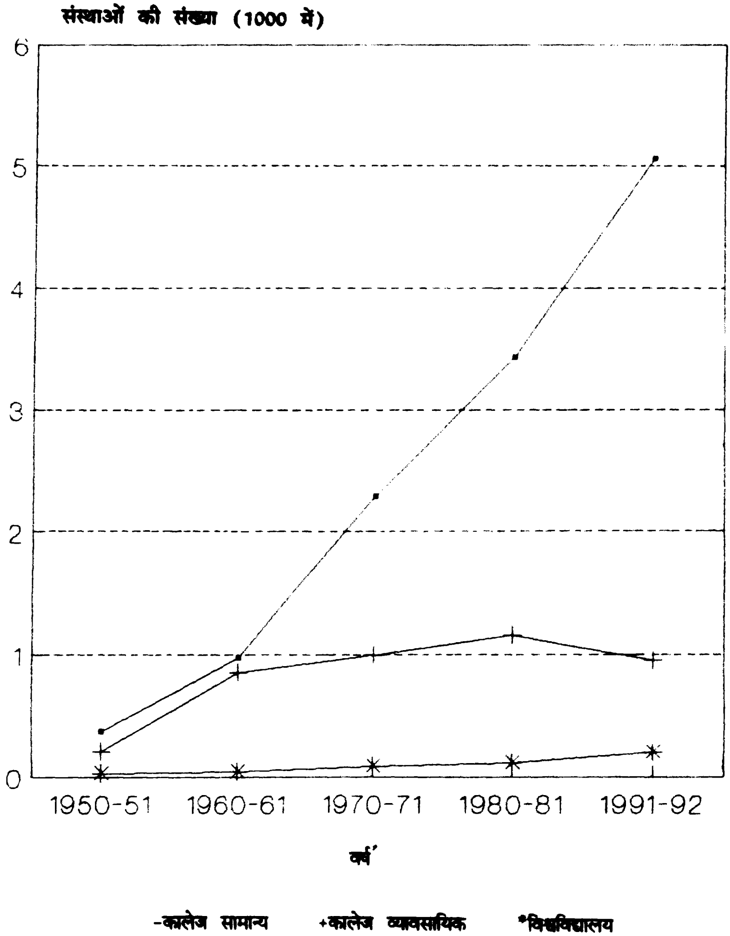
महिला साक्षरता दर
1991



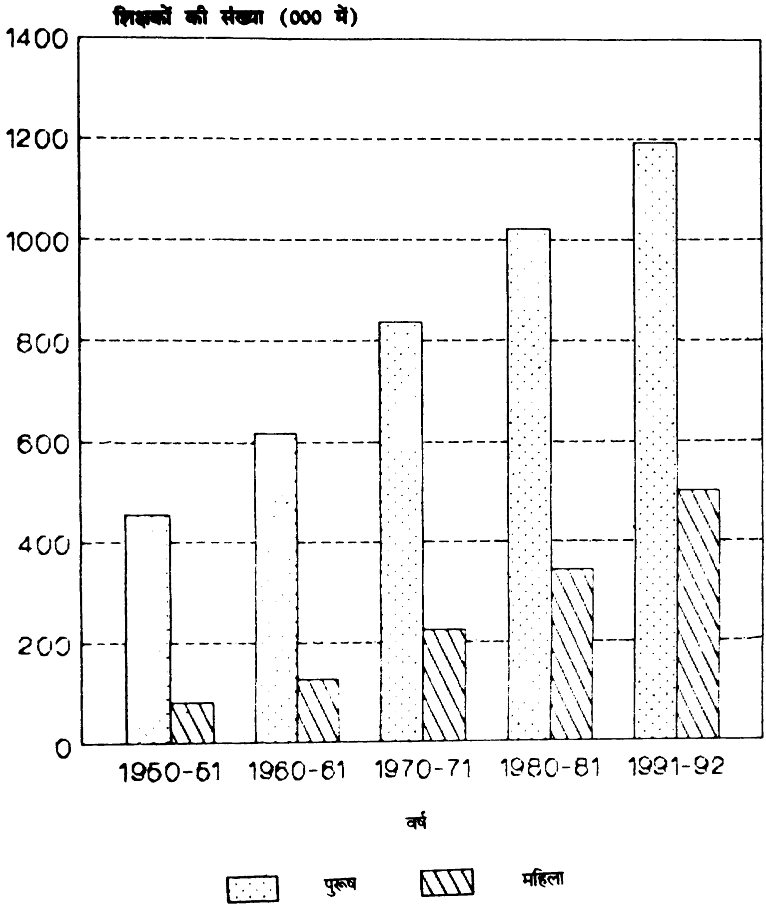
1951 से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि स्कूल स्तर



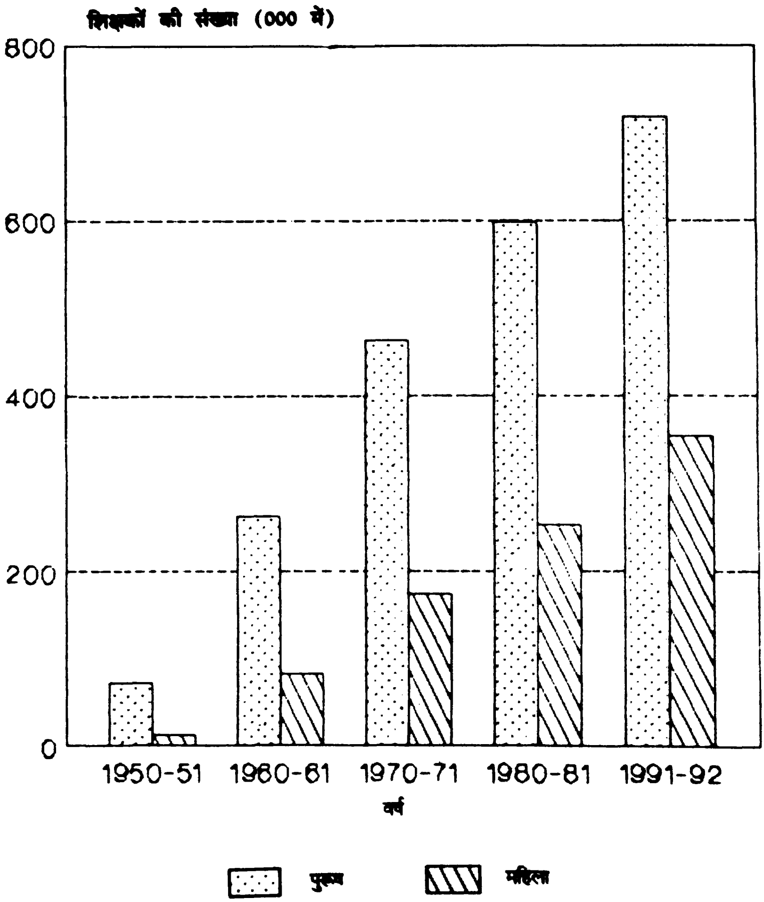
1951 से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि कालेज स्तर



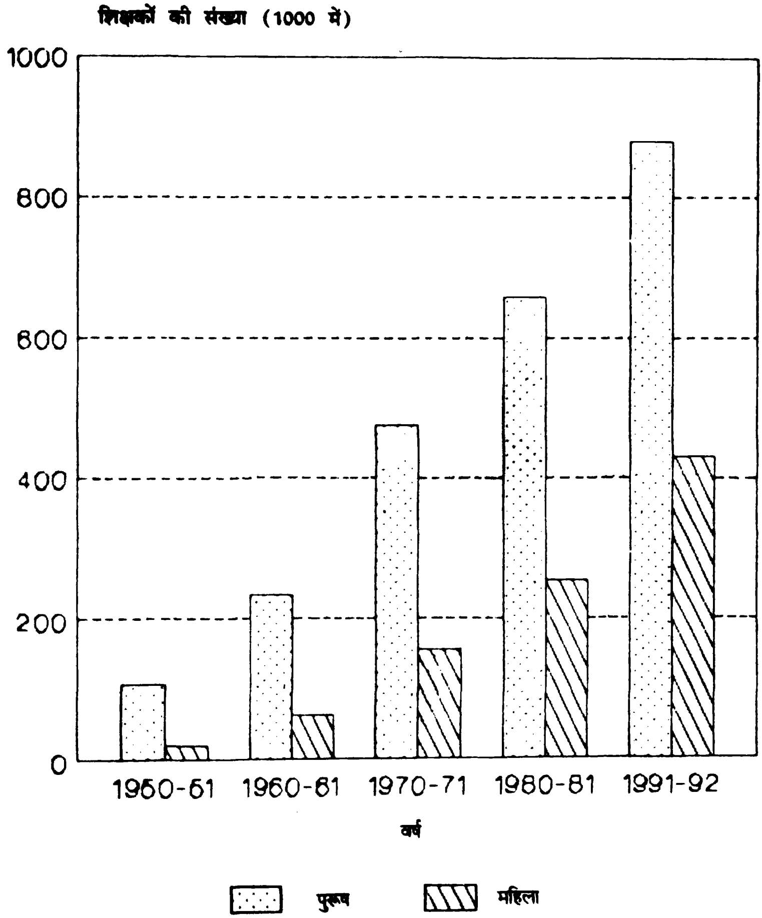
शिक्षकों का संवितरण
प्राइमरी स्कूल



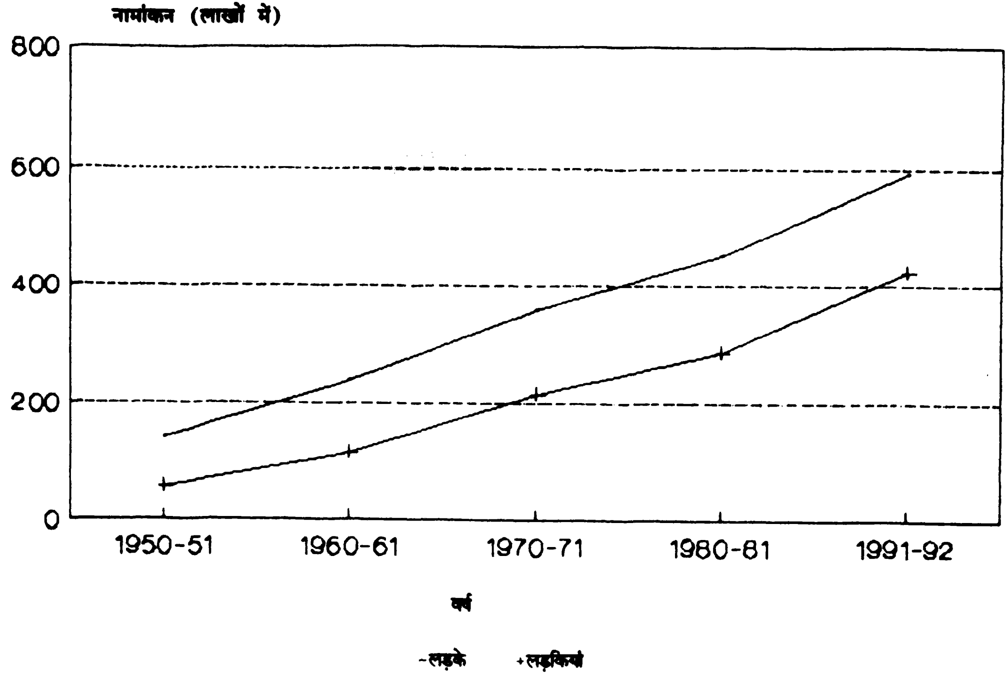
शिक्षकों का वितरण
मिडिल स्कूल



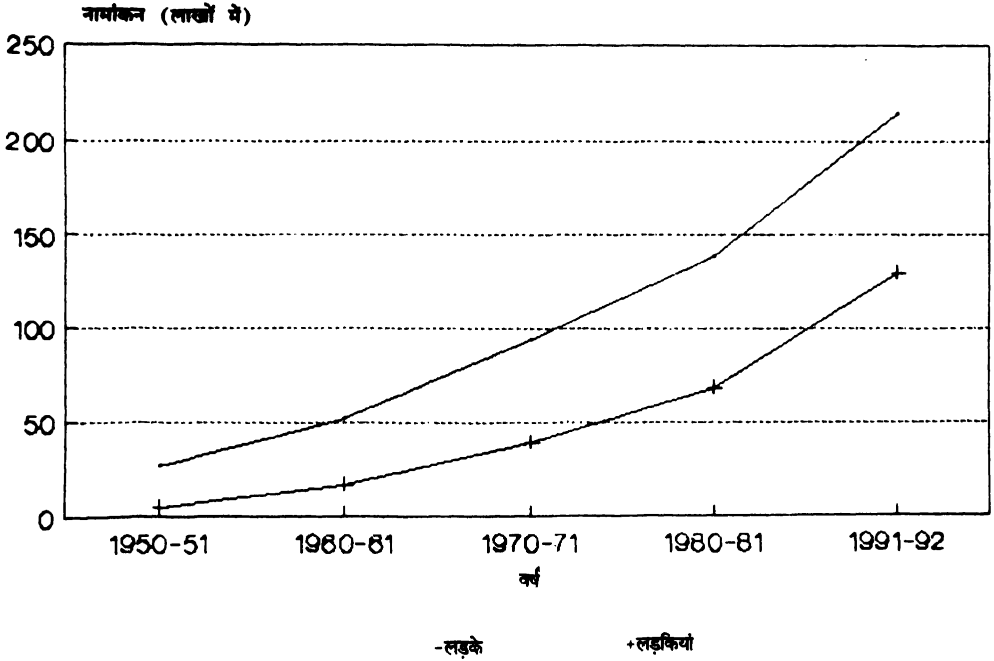
शिक्षकों का [illegible]
हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल



प्राइमरी कक्षाओं (I-V) में नामांकन

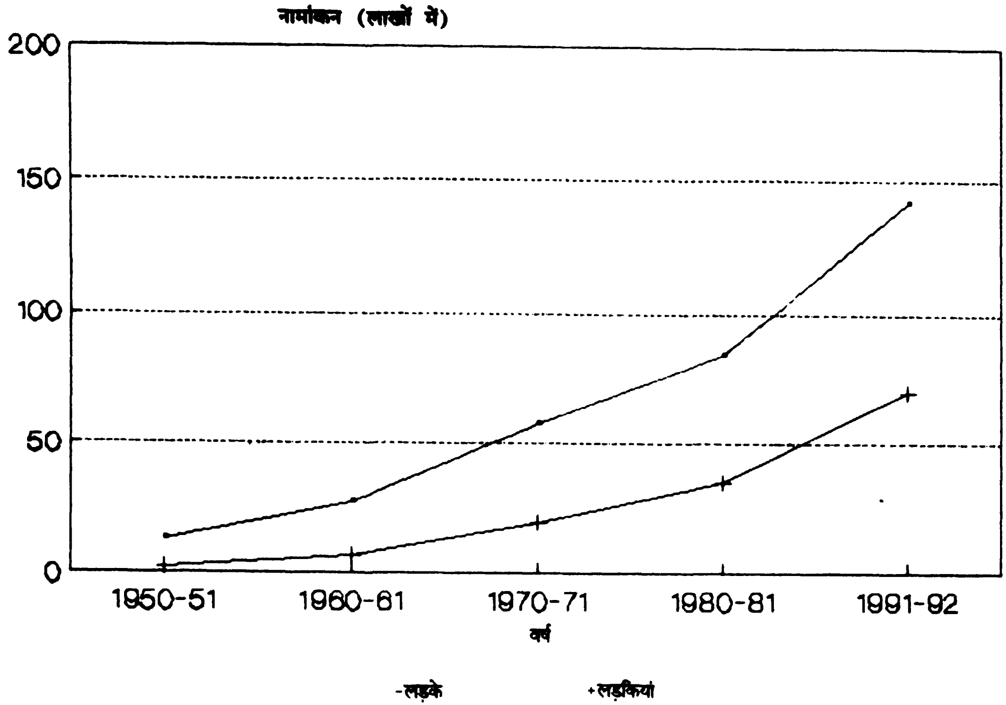


मिडिल कक्षाओं में नामांकन
(VI-VIII)



(घ)

IX से XII तक की कक्षाओं में नामांकन



शैक्षिक साँख्यिकी की तालिकाएं

32—864 HRD/92

विवरण संख्या 1

क्षेत्र, जिलों की संख्या और खंडों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	क्षेत्र (वर्ग कि० मी०)	जिलों की संख्या	खण्डों/तहसीलों/तालुकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	275068	23	1104
2.	अरूणाचल प्रदेश	83743	11	48
3.	असम	78438	23	135
4.	बिहार	173877	39	589
5.	गोवा	3810	2	10
6.	गुजरात	196024	19	184
7.	हरियाणा	44212	12	99
8.	हिमाचल प्रदेश	55673	12	99
9.	जम्मू व कश्मीर	222236	14	119
10.	कर्नाटक	191791	21	181
11.	केरल	38863	14	151
12.	मध्य प्रदेश	443446	45	459
13.	महाराष्ट्र	307690	30	300
14.	मणिपुर	22327	8	26
15.	मेघालय	22429	5	30
16.	मिजोरम	21081	3	20
17.	नागालैण्ड	16579	7	25
18.	उड़ीसा	155707	13	314
19.	पंजाब	50362	12	118
20.	राजस्थान	342139	27	236
21.	सिक्किम	7096	4	447
22.	तमिलनाडु	130058	21	385
23.	त्रिपुरा	10486	3	17
24.	उत्तर प्रदेश	294411	63	895
25.	पश्चिम बंगाल	88752	17	341
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	8249	2	5
27.	चण्डीगढ़	114	1	1
28.	दादरा और नागर हवेली	491	1	1
29.	दमन व दीव	—	2	2
30.	दिल्ली	1483	1	5
31.	लक्षद्वीप	32	1	0
32.	पांडिचेरी	492	4	12
	भारत	3287259	460	6328

स्रोत : (1) चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी (1989–90)

(2) पांचवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण : रा० शै० अनु० तथा प्र० परि०

*मण्डलों की संख्या

पाकिस्तान तथा चीन द्वारा गैर कानूनी तौर पर अधिकृत क्षेत्र शामिल है।

*गोवा में शामिल है।

विवरण—2

साक्षरता दर भारत–1951—1991

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1951	18.33	27.16	8.26
1961	28.31	40.40	15.34
1971	34.45	45.95	21.97
1981	43.56 (41.42)	56.37 (53.45)	29.75) (28.46)
1991	52.11	63.86	39.42

टिप्पणी : 1—वर्ष 1951, 1961 तथा 1971 की साक्षरता अनुपात पांच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से सम्बन्धित है। वर्ष 1981 और 1991 का यह अनुपात सात वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या में सम्बन्धित है। वर्ष 1981 से सम्बन्धित पांच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या का साक्षरता अनुपात कोष्ठक में दर्शाया गया है।

2. वर्ष 1981 के अनुपात में असम शामिल नहीं है क्योंकि वहां 1991 की जनगणना नहीं हो पाई थी। वर्ष 1991 की जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां अभी 1991 की जनगणना पूरी नहीं हो पाई है।

विवरण संख्या—3

सात वर्ष और इससे अधिक आयु वाली जनसंख्या में साक्षरों की संख्या—भारत

1981—1991

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
(1)	(2)	(3)	(4)
साक्षर			
1981	233,947	156,953	76,994
1991	352,082	224,288	127,794
1981 से 1991 में वृद्धि	118,315	67,335	50,800
निरक्षर	301,933	120,902	161,031
1981	324,030	126,694	197,336
1991	22,097	3,792	16,305
1981 से 1991 में वृद्धि			

टिप्पणी : 1. इन आंकड़ों में असम तथा जम्मू और कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं। क्योंकि असम की 1981 की जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1981 की जनगणना वहां नहीं हो पाई जबकि जम्मू और कश्मीर का 1991 का जनगणना आंकड़ा नहीं है क्योंकि 1991 की जनगणना वहां अभी भी होनी शेष है।

2. 1991 का साक्षर जनसंख्या का आंकड़ा 1991 की जनगणना के अस्थायी परिणामों के अनुसार है। सात वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की निरक्षर जनगणना के आंकड़े का अन्दाजा जनसंख्या आयु संरचना पर आधारित कुछ संकल्पनाओं के आधार पर लगाया है और इसमे परिवर्तन हो सकता है।

विवरण–4

सात वर्ष की आयु और इससे ऊपर की आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशतता

		1981			1991		
		व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत . . .	43.56	56.37	29.75	52.11	63.86	39.42
1.	आंध्र प्रदेश . . .	35.66	46.83	24.16	45.11	56.24	33.71
2.	अरुणाचल प्रदेश . . .	25.54	35.11	14.01	41.22	51.10	29.37
3.	असम . . .	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	53.42	62.34	43.70
4.	बिहार . . .	32.03	36.58	16.51	38.54	52.63	32.10
5.	गोआ . . .	65.71	76.01	55.17	76.95	85.46	68.20
6.	गुजरात . . .	52.21	65.14	38.45	50.91	72.54	48.50
7.	हरियाणा . . .	43.85	58.49	26.89	55.33	67.85	40.94
8.	हिमाचल प्रदेश . . .	51.17	64.17	37.72	63.54	74.57	52.46
9.	जम्मू व काश्मीर . . .	32.68	44.18	19.55	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक . . .	46.20	58.72	33.16	55.98	67.25	44.34
11.	केरल . . .	81.56	87.56	75.65	90.59	94.45	86.93
12.	मध्य प्रदेश . . .	34.22	48.41	18.99	43.45	57.43	28.39
13.	महाराष्ट्र . . .	55.83	69.66	41.01	63.05	74.85	50.51
14.	मणिपुर . . .	49.61	64.12	34.61	60.96	72.98	48.64
15.	मेघालय . . .	42.02	46.62	37.15	48.26	51.57	44.78
16.	मिजोरम . . .	74.26	79.37	68.60	81.23	84.06	78.09
17.	नागालैण्ड . . .	50.20	58.52	40.28	61.30	66.09	55.72
18.	उड़ीसा . . .	40.96	56.45	25.14	48.55	62.37	34.40
19.	पंजाब . . .	48.12	55.52	39.64	57.11	63.68	49.72
20.	राजस्थान . . .	30.09	44.76	13.99	38.81	55.07	20.84
21.	सिक्किम . . .	41.57	52.98	27.35	56.53	64.34	47.23
22.	तमिलनाडु . . .	54.38	68.05	40.43	63.72	71.88	52.29
23.	त्रिपुरा . . .	50.10	61.49	38.01	60.39	70.08	50.01
24.	उत्तर प्रदेश . . .	33.33	47.43	17.18	41.71	55.35	26.02
25.	पश्चिम बंगाल . . .	48.64	59.93	36.07	57.72	67.24	47.15
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह .	63.16	70.28	53.15	73.74	79.68	66.22
27.	चण्डीगढ़ . . .	74.81	78.89	69.31	78.73	82.67	73.61
28.	दादरा और नागर हवेली . .	32.70	44.69	20.38	39.45	52.07	26.10
29.	दमन और दीव . .	59.91	74.45	46.51	73.58	85.67	61.38
30.	दिल्ली . . .	71.93	79.28	62.57	76.09	82.63	68.01
31.	लक्षद्वीप . . .	68.42	81.24	55.32	79.23	87.06	70.88
32.	पांडिचेरी . . .	65.14	77.09	53.03	74.91	83.91	65.79

वर्ष 1981 के साक्षरता अनुपात में असम शामिल नहीं है जहां 1981 की जनगणना नहीं हो पाई थी तथा 1991 के साक्षरता अनुपात में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है जहां 1991 की जनगणना अभी की जानी है। वर्ष 1981 और 1991 का भारत का साक्षरता अनुपात निम्नलिखित है, इसमें असम तथा जम्मू और कश्मीर के आंकड़े नहीं है।

	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1981	43.66	56.49	29.84
1991	52.07	63.90	39.31

विवरण- 5

व्यक्तियों, पुरुषों महिलाओं के बीच साक्षरता दर सम्बन्धी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम : 1991

	व्यक्ति		पुरुष		महिलाएं
दर्जा राज्य/संघशासित प्रदेश	साक्षरता दर	राज्य/संघशासित प्रदेश	साक्षरता दर	राज्य/संघशासित प्रदेश	साक्षरता दर
1. केरल	90.59	केरल	94.45	केरल	86.83
2. मिजोरम	81.23	लक्षद्वीप	87.06	मिजोरम	78.09
3. लक्षद्वीप	79.23	दमन और दीव	85.67	चण्डीगढ़	79.61
4. चण्डीगढ़	78.73	गोवा	885.48	लक्षद्वीप	70.88
5. गोवा	76.96	मिजोरम	48.06	गोवा	68.20
6. दिल्ली	76.09	पांडिचेरी	83.91	दिल्ली	68.01
7. पांडिचेरी	74.91	चण्डीगढ़	82.67	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	66.22
8. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	73.74	दिल्ली	82.63	पांडिचेरी	65.79
9. दमन और दीव	73.58	अण्डमान और नि० द्वीप समूह	79.68	दमन और दीव	61.38
10. तमिलनाडु	63.72	तमिलनाडु	74.88	नागालैण्ड	55.72
11. हिमाचल प्रदेश	63.54	महाराष्ट्र	74.84	हिमाचल प्रदेश	52.46
12. महाराष्ट्र	63.05	हिमाचल प्रदेश	74.57	तमिलनाडु	52.29
13. नागालैण्ड	61.30	मणिपुर	72.98	महाराष्ट्र	50.51
14. मणिपुर	60.96	गुजरात	73.54	त्रिपुरा	50.01
15. गुजरात	60.91	त्रिपुरा	70.08	पंजाब	49.72
16. त्रिपुरा	60.39	हरियाणा	67.85	मणिपुर	48.64
17. पश्चिम बंगाल	57.72	कर्नाटक	67.25	गुजरात	48.50
18. पंजाब	57.14	पश्चिम बंगाल	67.24	सिक्किम	47.23
19. सिक्किम	56.53	नागालैण्ड	66.09	पश्चिम बंगाल	47.15
20. कर्नाटक	55.98	सिक्किम	64.34	मेघालय	44.78
21. हरियाणा	55.33	पंजाब	63.68	कर्नाटक	44.34
22. असम	53.42	उड़ीसा	62.37	असम	43.70
भारत	52.11				
23. उड़ीसा	48.55	असम	62.34	हरियाणा	40.94
24. मेघालय	48.26	मध्य प्रदेश	57.43	उड़ीसा	34.40
25. आंध्र प्रदेश	45.11	आंध्र प्रदेश	56.24	आंध्र प्रदेश	32.71
26. मध्य प्रदेश	43.45	उत्तर प्रदेश	55.35	अरूणाचल प्रदेश	28.37
27. उत्तर प्रदेश	41.71	राजस्थान	55.07	मध्य प्रदेश	28.39
28. अरूणाचल प्रदेश	41.22	बिहार	52.63	दादरा और नगर हवेली	26.10
29. दादरा और नागर हवेली	39.45	दादरा और नगर हवेली	53.07	उत्तर प्रदेश	26.02
30. राजस्थान	38.81	मेघालय	51.57	बिहार	23.10
31. बिहार	38.54	अरूणाचल प्रदेश	51.10	राजस्थान	20.84

जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है जहां 1991 की जनगणना अभी होनी बाकी है।

विवरण सं०--6

साक्षरता दर 1981 @

(1-3-1981 की यथा स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य स घशासित प्रदेश	सामान्य			अ० जा०			अ० ज० जा०		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	आंध्र प्रदेश	39.26	20.39	29.94	24.82	10.26	17.65	12.02	3.46	7.82
3.	असम*	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०
4.	बिहार	38.11	13.62	26.20	18.02	2.51	10.40	26.17	7.75	16.9
5.	गोवा	54.44	32.30	43.70	53.14	25.61	39.79	30.41	11.64	21.14
6.	गुजरात	48.20	22.27	36.14	31.45	7.06	20.15	--	--	--
7.	हरियाणा	53.19	31.46	42.43	41.94	20.63	31.50	38.75	12.82	25.93
8.	हिमाचल प्रदेश	36.29	15.88	26.67	32.34	11.70	22.44	—	—	—
9.	जम्मू काश्मीर	48.81	27.71	38.46	29.45	11.55	20.59	29.96	10.03	20.14
10.	कर्नाटक	75.26	65.73	70.42	62.33	49.73	55.96	37.52	26.02	31.79
11.	केरल	39.49	15.53	27.87	30.26	6.87	18.97	17.74	3.60	10.68
12.	मध्य प्रदेश	58.78	34.79	47.18	48.85	21.53	35.55	32.38	11.94	22.29
13.	महाराष्ट्र	53.29	29.06	41.35	41.94	24.95	33.63	48.88	30.35	39.74
14.	मणिपुर	37.89	30.08	34.08	33.28	16.30	25.78	34.19	28.91	31.35
15.	मेघालय	50.06	33.89	42.57				47.32	32.99	40.32
16.	मिजोरम	47.10	21.12	34.23	35.26	9.40	22.41	23.27	4.76	13.96
17.	नागालैण्ड	47.16	33.69	40.86	30.96	15.67	23.86	--	--	--
18.	उड़ीसा	36.30	11.42	24.38	24.40	2.69	14.04	18.85	1.20	10.27
19.	पंजाब	43.95	22.20	34.05	35.74	19.65	28.06	43.10	22.37	33.13
20.	राजस्थान	58.26	34.99	46.76	40.65	18.47	29.67	26.71	14.00	20.46
21.	सिक्किम	51.70	32.00	42.12	43.92	43.24	33.89	33.46	12.27	23.07
22.	तमिलनाडु	38.76	14.04	27.16	24.83	3.90	14.96	31.12	8.69	
23.	त्रिपुरा	50.67	30.25	40.94	34.26	13.70	24.37	21.16	5.01	13.21
24.	उत्तर प्रदेश	58.72	42.14	51.56				38.43	23.24	31.11
25.	पश्चिम बंगाल	28.94	11.32	20.79	45.98	22.38	37.14	20.79	7.31	14.04
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	69.00	59.31	64.79	46.04	25.31	37.07	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	36.32	16.78	26.67	58.52	44.74	51.20		8.42	16.86
28.	दादरा और नगर हवेली	68.40	53.07	61.54	50.21	25.89	39.30	—	—	—
29.	दमन और दीव	65.59	47.56	56.66	48.79	27.84	38.38	33.65	18.89	26.48
30.	दिल्ली	65.24	44.65	55.07				63.34	42.92	53.13
31.	लक्षद्वीप	64.46	54.91	59.88	88.33	53.33	84.44	64.12	55.12	59.63
32.	पांडिचेरी	65.84	45.71	55.85	43.11	21.21	32.36	—	—	—
	योग	46.89	24.82	36.23	31.12	10.93	21.38	24.52	8.04	16.35

*असम में जनगणना नहीं की गई

स्रोत : भारत की जनगणना, प्रकाशन

टिप्पणी : भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए किसी भी जाति को अनुसूचित जाति तथा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में किसी जाति को अनुसूचित जनजाति नहीं घोषित किया गया है।

@साक्षरता दर में 0-4 वर्ष के उम्र वाले शामिल है।

विवरण सं० 7

अ० जा० की साक्षरता दर में राज्यों संघ शासित राज्यों का क्रम 1981 जनगणना

(1–3–1981 की यथास्थिति अनुसार)

श्रेणी	राज्य सं० शा० रा०	अ० जा० साक्षरता दर
1.	मिजोरम	84.44
2.	केरल	55.96
3.	दादरा और नागर हवेली	51.20
4.	गुजरात	30.79
5.	दिल्ली	39.30
6.	गोवा दमन दीव	38.38
7.	अरुणाचल प्रदेश	37.14
8.	चण्डीगढ़	37.07
9.	महाराष्ट्र	35.55
10.	त्रिपुरा	33.89
11.	मणिपुर	33.63
12.	पांडिचेरी	32.36
13.	हिमाचल प्रदेश	31.50
14.	तमिलनाडु	29.67
15.	सिक्किम	28.06
16.	मेघालय	25.78
17.	पश्चिम बंगाल	24.37
18.	पंजाब	23.86
19.	जम्मू कश्मीर	22.44
20.	उड़ीसा	22.41
21.	कर्नाटक	20.56
22.	हरियाणा	20.15
23.	मध्य प्रदेश	18.97
24.	आंध्र प्रदेश	17.65
25.	उत्तर प्रदेश	14.96
26.	राजस्थान	14.04
27.	बिहार	10.40
28.	नागालैण्ड	—
29.	लक्षद्वीप	—
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—
31.	असम*	—
	कुल	21.38

*असम में जनगणना नहीं हुई थी।

स्रोत : 1981 का जनगणना प्रकाशन।

टिप्पणी : नागालैंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं है। साक्षरता दर में 0–4 वर्ष के उम्र वर्ग वाले शामिल है।

विवरण सं. 8

वर्ष 1981 के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरों में राज्यों/संघ शासित राज्यों की स्थिति

(1–3–1981 की यथास्थिति)

1. मिजोरम	59.63
2. लक्षद्वीप	53.13
3. नागालैण्ड	40.32
4. मणिपुर	39.74
5. सिक्किम	33.13
6. केरल	31.79
7. मेघालय	31.35
8. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	31.11
9. दमन और दीव	26.48
10. हिमाचल प्रदेश	25.93
11. त्रिपुरा	23.07
12. महाराष्ट्र	22.29
13 गुजरात	21.14
14. तमिलनाडु	20.46
15. उत्तर प्रदेश	20.45
16. कर्नाटक	20.14
17. विहार	16.99
18. दादरा और नागर हवेली	16.86
19. अरुणाचल प्रदेश	14.04
20. उड़ीसा	13.96
21. पश्चिम बंगाल	13.21
22. मध्य प्रदेश	10.68
23. राजस्थान	10.27
24. आंध्र प्रदेश	7.82
25. पंजाब	—
26. हरियाणा	—
27. चण्डीगढ़	—
28. जम्मू और कश्मीर	—
29. दिल्ली	—
30. असम	—
31. पांडिचेरी	—
योग	16.35

*असम में जनगणना नहीं हो पाई थी।

स्रोत : वर्ष 1981 की जनगणना प्रकाशन

टिप्पणी : हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब चण्डीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं।

0—4 आयु वर्ग की जनसंख्या साक्षरता दर में शामिल है।

विवरण सं० 9

वर्ष 1951 के मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था की वृद्धि

वर्ष	प्राथमिक	अपर प्राथमिक	हाई/हायर सेके० स्कूल इंटर मी० प्रि०–डिग्री कालेज	सामान्य शिक्षा जूनियर कालेज	व्यावसायिक शिक्षा कालेज	विश्वविद्यालय
1950–51	209671	13596	7416	370	208	27
1960–61	330399	49663	17329	967	852	45
1970–71	408378	90621	37051	2285	992	82
1980–81	494503	118335	51624	3421	1156	110
1990–91	458392	146636	78619	4862	886	146
1991–92	565786	152077	81201	5058	950	196

*चिकित्सा, इंजीनियरी और शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के आंकड़े शामिल हैं ।

विवरण संख्या 10

वर्ष 1951 से स्कूल स्तर पर स्तरों/कक्षाओं में लिंगवार दाखिला

वर्ष	प्राइमरी			अपर प्राइमरी			हाई हायर सेकण्डरी		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1950–51	138	54	192	26	5	31	13	2	15
1960–61	236	114	350	51	16	67	27	7	34
1970–71	357	213	570	94	39	133	57	19	76
1980–81	453	285	738	139	68	207	84	35	129
1990–91	581	410	991	209	124	333	140	69	209
1991–92	592	424	1016	214	130	344	142	70	212

विवरण संख्या 11

स्कूल के प्रकार के अनुसार वर्ष 1951 शिक्षकों का वितरण

(हजार में)

वर्ष	प्राइमरी			अपर प्राइमरी			हाई/हायर सैकण्डरी		
	पुरुष	महिलाएं	योग	पुरुष	महिलाएं	योग	पुरुष	महिलाएं	योग
1950–51	456	82	538	73	13	86	107	20	127
1960–61	615	127	742	262	83	345	234	62	296
1970–71	835	225	1060	463	175	638	474	155	629
1980 81	1020	343	1363	598	253	851	658	254	912
1990 91	1167	470	1637	706	353	1059	857	416	1273
1991–92	1194	499	1693	718	354	1072	880	430	1310

विवरण संख्या 12

शैक्षिक संस्थाएं (1991–92)

(30 सितम्बर, 1991 की यथा स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य/सं० शासित क्षेत का नाम	प्राइमरी	मिडिल	हा० स्कूल/ हाय० सैक०/ इण्टरमिडिएट/ प्रि०–डिग्री/ जूनियर कालेज	सामान्य कालेज	व्यावसायिक शिक्षा	विश्वविद्यालय
1.	आंध्र प्रदेश	49057	6223	7037	403	86	19
2.	अरूणाचल प्रदेश	1144	270	127	4	0	1
3.	असम	28876	5703	3467	227	15	3
4.	बिहार	52924	13195	4126	557	31	13
5.	गोवा	1031	111	379	17	4	1
6.	गुजरात	13400	17500	5378	260	58	10
7.	हरियाणा	5141	1362	2457	120	21	4
8.	हिमाचल प्रदेश	7688	1058	1140	39	3	3
9.	जम्मू और काश्मीर	9242	2438	1220	32	7	3
10.	कर्नाटक	23695	16512	4791	403	132	10
11.	केरल	6783	2935	2550	115	22	6
12.	मध्य प्रदेश	68949	15145	4558	448	37	14
13.	महाराष्ट्र	39243	18980	11029	661	267	18
14.	मणिपुर	3226	693	440	31	4	1
15.	मेघालय	6166	700	311	23	1	1
16.	मिजोरम	1118	545	227	12	1	0
17.	नागालैण्ड	1299	357	180	15	1	0
18.	उड़ीसा	41204	11360	4882	316	20	5
19.	पंजाब	12379	1430	2769	171	27	4
20.	राजस्थान	31023	9175	4032	159	41	10
21.	सिक्किम	510	122	75	1	0	0
22.	तमिलनाडु	30004	5581	5247	222	71	16
23.	त्रिपुरा	2063	427	455	14	2	1
24.	उत्तर प्रदेश	76085	15328	6060	431	24	28
25.	पश्चिम बंगाल	50827	4179	6804	302	62	11
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	189	43	67	2	1	0
27.	चण्डीगढ़	54	29	78	12	2	2
28.	दादरा और नागर हवेली	121	42	12	0	0	0
29.	दमन और दीव	51	15	19	1	0	0
30.	दिल्ली	1943	497	1165	63	6	11
31.	लक्षद्वीप	19	4	11	0	0	0
32.	पांडिचेरी	332	118	108	7	4	1
	भारत	565786	152077	81201	5058	950	196

*सम विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल हैं।

इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान तथा शिक्षक प्रशिक्षण के कालेज ही शामिल हैं।

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 1991–92।

विवरण संख्या 13

विभिन्न स्तरों पर नामांकन 1991–92

(30–9–1991 की यथा स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी			मिडिल			माध्यमिक उच्च मा०			उच्चतर शिक्षा*		
		बालक	बालिकायें	योग	बालक	बालिकायें	योग	बालक	बालिकायें	योग	बालक	बालिकायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4429494	3325341	7754835	1435480	861490	2296970	966005	495042	1461047	187881	77721	265602
2.	अरूणाचल प्रदेश	69546	49837	119383	16879	10944	27823	11439	5792	1723	1414	350	1764
3.	असम	1926407	1697356	3623763	664236	491000	1155236	382988	260923	643911	80326	34301	114627
4.	बिहार	5687983	2924335	8612318	1582669	607552	2190221	1053775	180769	1234544	401154	94041	495195
5.	गोआ	70399	64175	134574	43620	37416	81036	32820	27567	60387	6553	6532	13085
6.	गुजरात	3337000	2504000	5841000	1164000	777000	1941000	722000	447000	1169000	195850	138650	334500
7.	हरियाणा	970214	791138	1761352	455128	283479	738607	366461	187736	554197	63468	34184	97652
8.	हिमाचल प्रदेश	370000	320000	690000	216000	164000	380000	111440	64310	175750	7269	3357	10626
9.	जम्मू और कश्मीर	458106	305150	763256	194323	112644	306967	110461	54431	164892	17187	10727	27914
10.	कर्नाटक	3122907	2750965	5873872	1011348	705476	1717324	768924	405047	1173971	178502	76885	255387
11.	केरल	1570750	1488592	3059342	964836	921927	1886763	545346	557049	1102395	51854	56036	107890
12.	मध्य प्रदेश	4810030	3336092	8146122	1665677	754192	2419869	700175	261530	961705	170272	72053	242325
13.	महाराष्ट्र	5450520	4715937	10166457	2286234	1585172	2871406	1728632	969730	2698362	527346	259835	787181
14.	मणिपुर	143515	121074	264589	42340	36360	78700	39543	29037	68580	12642	8319	20961
15.	मेघालय	76577	71987	148564	40524	35210	75734	18205	15964	34169	4402	2924	7226
16.	मिजोरम	59107	53180	112287	19487	17988	37475	8419	8633	17052	1014	463	1477
17.	नागालैंड	82483	72644	155127	29954	28051	58005	13633	10853	24486	2072	1007	3079
18.	उड़ीसा	2180000	1500000	36780000	680000	385000	1065000	622436	316773	939209	61653	21443	83096
19.	पंजाब	1117919	953702	2071621	529881	394576	924457	398625	280977	679602	47785	54267	102052
20.	राजस्थान	3252880	1443010	4695890	1078890	347890	1426780	717370	208060	925430	74256	24968	99214
21.	सिक्किम	39296	34028	78324	8329	7669	15998	5431	3961	9392	0	0	0
22.	तमिलनाडु	4225530	3624565	7850095	1871321	1412296	3283617	1031234	685565	1716798	152948	99601	252549
23.	त्रिपुरा	216481	178450	394931	75508	56487	131995	42216	28172	70388	7216	4212	11428
24.	उत्तर प्रदेश	9617568	5530432	15148000	3447382	1517618	4965000	2455972	782855	3238827	366289	117315	483664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	पश्चिम बंगाल	5313432	3960689	9274121	1578095	1164672	2742767	1058516	540100	1598616	196157	134837	330994
26.	अ० और नि० द्वीप० समूह	21784	19596	41380	10082	8353	18442	6919	5517	12436	1097	2039	2039
27.	चण्डीगढ़	27740	24237	51977	15135	12890	28025	21871	19087	40958	7099	6865	13964
28.	दादरा और नागर हवेली	10163	6963	17126	2864	1631	4495	1826	1041	2867	0	0	0
29.	दमन और दीव	7010	6280	13290	3785	3109	6984	2675	1735	4410	285	160	445
30.	दिल्ली	492960	430980	923940	281346	227304	508650	219420	173495	392915	77396	5600	133400
31.	लक्षद्वीप	4718	4035	8753	1890	1453	3343	1129	795	1924	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	55474	50326	105800	30867	26297	57164	18013	14436	32449	3090	2223	5313
	योग	59217993	42359096	101577089	21448617	12997146	34445763	14183919	7043982	21227901	2904477	1400212	4304689

*इसमें इंजीनियरी (बी० ई०/बी० टेक/बी० वास्तु) औषध विज्ञान (एम० बी० बी० एस०) और शिक्षक प्रशिक्षण ('बी०एण्ड बी०टी०) को छोड़कर पी० एच० डी०, एम० फिल० और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किया गया दाखिला शामिल नहीं है।

स्रोत: चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 1991–92

विवरण संख्या 14

प्राथमिक और मिडिल कक्षाओं में नामांकन अनुपात

क्रम सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश	प्राथमिक			मिडिल		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	123.16	94.81	109.16	70.80	43.28	57.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	127.84	91.11	109.43	56.45	37.35	47.00
3.	असम	116.79	108.59	112.80	69.44	54.64	62.27
4.	बिहार	104.60	55.55	80.47	53.17	20.67	37.02
5.	गोवा*	106.18	96.65	101.41	112.13	96.19	104.16
6.	गुजरात	141.79	110.64	126.52	84.58	58.64	71.86
7.	हरियाणा	93.59	78.72	86.27	74.78	51.26	63.59
8.	हिमाचल प्रदेश	125.30	108.66	116.99	124.71	96.02	110.47
9.	जम्मू और कश्मीर	101.82	71.20	86.88	75.82	46.70	61.70
10.	कर्नाटक	115.45	106.54	111.10	65.62	47.11	56.50
11.	केरल	100.02	98.08	99.07	106.17	104.42	105.31
12.	मध्य प्रदेश	119.20	88.79	104.54	74.22	35.68	55.53
13.	महाराष्ट्र	132.35	119.31	125.96	91.53	66.83	79.50
14.	मणिपुर	116.58	104.28	110.61	66.78	58.93	62.91
15.	मेघालय	66.59	62.38	64.48	63.52	53.67	58.53
16.	मिजोरम	139.73	132.95	136.44	75.82	72.83	74.36
17.	नागालैण्ड	114.40	104.22	109.40	69.50	67.76	68.64
18.	उड़ीसा	119.47	86.53	103.42	65.07	37.74	51.57
19.	पंजाब	101.97	94.51	98.40	79.34	65.62	72.84
20.	राजस्थान	106.67	50.05	79.17	65.93	22.61	44.93
21.	सिक्किम	127.17	112.68	120.01	48.71	47.63	48.19
22.	तमिलनाडु	142.28	127.86	135.24	109.43	86.00	97.95
23.	त्रिपुरा	143.46	121.48	132.62	90.32	70.61	80.68
24.	उत्तर प्रदेश	104.88	66.88	86.86	67.94	33.42	51.64
25.	पश्चिम बंगाल	139.78	107.93	124.13	74.27	55.49	64.94
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	100.39	84.83	92.37	87.73	75.94	81.96
27.	चण्डीगढ़	61.24	59.40	60.37	57.33	57.04	57.19
28.	दादरा और नगर हवेली	115.49	87.04	101.94	56.16	34.70	45.87
29.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	86.61	88.15	87.32	82.92	80.26	81.71
31.	लक्षद्वीप	157.27	134.50	145.88	118.12	96.87	107.84
32.	पांडिचेरी	147.54	136.38	142.01	135.38	117.40	126.47
	भारत	116.61	88.09	102.74	74.19	47.40	61.15

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 1991–92

विवरण संख्या 15

विभिन्न स्तरों पर नामांकन (अनुसूचित जाति) 1990–91

क्रम सं० राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राथमिक			मिडिल			मा० उ० मा०			उच्च शिक्षा		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. आन्ध्र प्रदेश	873999	645095	1519094	242894	135268	378162	146307	66452	212759	23245	7435	30680
2. अरुणाचल प्रदेश	67	32	99	2	1	3	6	2	8	0	0	0
3. असम	215249	196373	411622	65160	45340	110500	40479	25988	66467	6242	2471	8713
4. बिहार	792435	305521	1027956	160252	43034	203286	67405	11239	78644	0	0	8713
5. गोवा	1092	992	2084	616	430	1046	329	188	517	54	32	0
6. गुजरात	341100	239200	580300	116401	67355	183756	68663	30441	99104	17105	7805	86
7. हरियाणा	221458	175375	396833	77208	41403	118611	49998	14866	64864	5809	745	24910
8. हिमाचल प्रदेश	97000	80000	177000	47000	33000	80000	25508	11669	37177	681	137	6554
9. जम्मू और कश्मीर	39631	28455	68086	16850	12075	28925	7928	3436	11364	663	201	818
10. कर्नाटक	533847	432747	966594	153580	95627	249207	113299	47713	161012	19111	4871	864
11. केरल	182169	171888	354057	107435	101760	209195	59039	63454	122493	4603	4492	23982
12. मध्य प्रदेश	700661	475886	1176547	298860	83692	382552	103905	26512	130417	15681	2918	9095
13. महाराष्ट्र	814972	670851	1485823	323205	208942	532147	245806	114936	360742	64923	19031	18599
14. मणिपुर	1968	1995	3963	540	502	1042	627	568	1195	270	214	83954
15. मेघालय	969	798	1767	717	489	1206	583	272	855	165	131	484
16. मिजोरम*												
17. नागालैंड*												
18. उड़ीसा	421000	269000	690000	108000	60000	168000	56930	17289	74219	4524	919	296
19. पंजाब	404180	318118	722298	121208	77857	199065	73385	39308	112693	6985	4161	5443
20. राजस्थान	551200	205920	757120	182460	35590	218050	125020	9900	134920	6453	333	11146
21. सिक्किम	2280	2052	4332	367	339	706	220	169	389	—	—	6786
22. तमिलनाडु	847023	699349	1546372	334507	237996	572503	166867	84015	250882	23011	10079	33090
23. त्रिपुरा	39222	32853	72075	12331	8677	21008	6360	3664	10024	856	275	1131
24. उत्तर प्रदेश	1612853	683973	2296826	546760	144642	691402	463202	63192	426394	53333	4044	57377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	पश्चिम बंगाल	875964	583280	1459244	165098	84170	249568	120254	50844	171098	17364	7753	25117
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह												
27.	चण्डीगढ़	7598	6417	14015	2808	2410	5218	2049	1846	3895	470	164	634
28.	दादरा और नगर हवेली	183	162	345	105	79	184	114	58	172	0	0	0
29.	दमन और दीव	265	255	520	149	167	316	189	90	279	9	6	15
30.	दिल्ली	119850	91040	210890	47531	30231	77762	32175	13839	46014	5086	2821	7907
31.	लक्षद्वीप	2	0	2	1	1	2	10	9	19	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	10524	10719	21243	4894	4445	9339	1614	1119	2733	376	147	523
	भारत	9708761	6328346	16037107	3136939	1555822	4692761	1878271	703078	2581349	277019	81185	358204

*इसमें इंजीनियरी (बी० ई०/बी० टेक/बी० आर्क०) औषधि विज्ञान (एम० बी० बी० एस०) और शिक्षण प्रशिक्षण (बी० एड० बी० टी०) को छोड़कर पी० एच० डी०/एम० फिल० और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किया गया दाखिला शामिल नहीं है।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा मिजोरम, नागालैंड और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के लिये कोई भी जाति अनुसूचित नहीं है।

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े, 1991–92

विवरण संख्या 16

अनुसूचित जातियों के बच्चों का नामांकन अनुपात—प्राथमिक और मिडिल कक्षाएं

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक			मिडिल		
	लड़के	लड़कियां	कुल योग	लड़के	लड़कियां	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	163.42	123.70	143.81	80.56	45.71	63.29
अरुणाचल प्रदेश	30.04	14.27	22.13	1.63	0.83	1.24
असम	213.92	205.95	210.04	111.67	82.72	97.64
बिहार	100.43	40.00	70.70	37.10	10.09	23.68
गोवा	75.21	68.22	71.71	72.31	50.47	61.39
गुजरात	202.42	147.61	175.55	118.13	71.00	95.01
हरियाणा	112.02	91.51	101.92	66.52	39.26	53.54
हिमाचल प्रदेश	133.42	110.34	121.89	110.22	78.48	94.46
जम्मू व कश्मीर	106.00	79.89	93.26	79.11	60.24	69.96
कर्नाटक	130.96	111.21	121.31	66.09	42.37	54.41
केरल	115.76	113.04	114.42	117.98	115.03	116.52
मध्य प्रदेश	123.14	89.83	107.08	94.45	28.08	62.26
महाराष्ट्र	277.16	237.70	257.83	181.22	123.38	153.05
मणिपुर	126.88	136.38	131.49	67.60	64.57	66.11
मेघालय	221.74	181.98	201.82	295.74	196.16	245.26
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	157.38	105.84	132.27	70.49	40.12	55.49
पंजाब	136.27	117.37	127.72	67.56	48.21	58.39
राजस्थान	103.88	41.05	73.35	64.08	13.29	39.47
सिक्किम	127.22	117.15	122.24	37.00	36.30	36.66
तमिलनाडु	155.43	134.44	145.16	106.60	78.97	93.07
त्रिपुरा	171.68	147.72	159.86	97.42	71.64	84.82
उत्तर प्रदेश	83.12	39.09	62.24	50.92	15.05	33.98
पश्चिम बंगाल	104.29	72.28	88.82	35.34	18.30	26.87
अ० और नि० द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	119.72	112.26	116.19	75.92	76.12	76.01
दादरा और न० ह०	84.19	81.98	83.14	83.35	68.05	76.01
दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	116.85	103.34	110.60	77.74	59.24	69.32
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	174.93	181.55	178.21	134.16	124.02	129.13
भारत	121.38	83.56	102.99	68.89	36.03	52.89

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1991–92

विवरण संख्या 17

विभिन्न स्तरों पर नामांकन (अनुसूचित जनजातियाँ) 1991-92

30-9-91 की यथास्थिति के अनुसार

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी			मिडिल			माध्यमिक उच्च माध्यमिक			उच्चतर शिक्षा		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	342363	213387	555750	62953	29112	96065	33042	12002	45044	3280	834	4114
2.	अरूणाचल प्रदेश	50544	36181	86725	11435	6927	18362	8037	3464	11501	1091	232	1523
3.	असम	370401	309469	679870	87111	59782	146893	58600	39770	98370	6900	2624	9624
4.	बिहार	409647	227935	637582	84235	39277	123512	32150	13694	45844	0	0	0
5.	गोआ	121	73	194	14	23	67	5	2	7	0	0	0
6.	गुजरात	539000	363200	902200	191128	73696	201821	66486	35439	101925	16175	9370	25545
7.	हरियाणा@												
8.	हिमाचल प्रदेश	17000	13000	30000	8000	5000	13000	3520	2300	5820	255	56	311
9.	जम्मू और कश्मीर@												
10.	कर्नाटक	160700	124529	285229	42034	26048	68082	23891	12156	36050	4321	834	5155
11.	केरल	21538	19768	41306	8756	8198	16954	3880	3638	7518	178	77	255
12.	मध्य प्रदेश	875031	518729	1393760	234112	71845	308957	89957	19422	109379	10313	2079	12392
13.	महाराष्ट्र	519528	404814	924342	154431	85511	239972	72721	35093	107814	11520	3041	14561
14.	मणिपुर	50666	42074	92740	9188	7282	16470	7036	5179	12215	1574	892	2466
15.	मेघालय	67696	63780	131476	30795	27787	58582	14129	12588	36727	2653	1950	4603
16.	मिजोरम	58992	53041	112033	19360	17894	37254	8329	8533	16862	1014	463	1477
17.	नागालैंड	64999	57218	122217	22871	21419	44290	10643	8425	19068	1696	871	2567
18.	उड़ीसा	525000	248000	773000	94000	41000	135000	44378	13335	47713	3484	751	4235
19.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	[illegible]	8
20.	राजस्थान	403690	137330	541020	127160	15500	1426604	80910	5110	86020	5070	143	5213
21.	सिक्किम	8329	7307	15636	1680	1764	3444	1085	1011	2096	0	0	0
22.	तमिलनाडु	39405	29908	69313	12194	7546	19740	5836	3708	9544	491	217	708
23.	त्रिपुरा	75275	54841	130116	17948	11251	29199	8484	4090	12494	380	78	458
24.	उत्तर प्रदेश	18188	10144	28332	5905	2109	8014	3382	1315	4697	1239	504	1743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	पश्चिम बंगाल	316631	134878	451509	43094	14830	57924	20092	10560	30652	775	284	1059
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1825	1671	3486	906	749	1655	462	409	871	33	15	48
27.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	103	35	138	95	27	122
28.	दादरा और नगर हवेली	8588	5605	14185	2063	1010	3073	1073	488	1561	0	0	0
29.	दमन और दीव	967	830	1797	451	363	814	163	101	264	86	12	98
30.	दिल्ली	302	279	581	252	14	401	235	165	400	414	252	666
31.	लक्षद्वीप	4587	3932	8519	1832	1384	3216	1034	695	1729	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी@												
	भारत	4950995	3081923	8032917	1213938	580486	1794424	589586	252737	842323	73039	25607	98646

इसमें इंजीनियरी (बी० ई०/बी० टैक/बी० आर्क०) (औषधि विज्ञान (एम० बी० बी० एस०) और शिक्षक प्रशिक्षण (बी० एड०/बी० टी०) को छोड़कर पी० एच० डी०/एम० फिल और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किया गया दाखिला शामिल नहीं है।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा पाण्डिचेरी के लिये कोई भी जनजातियां अनुसूचित नहीं थीं।

नोट: चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े, 1989–90

विवरण संख्या 18

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का नामांकन अनुपात प्राथमिक और मिडिल कक्षाएं

राज्य संघ शासित प्रदेश	प्राथमिक		कुल योग	मिडिल		कुल योग
	लड़के	लड़कियां		लड़के	लड़कियां	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	160.52	102.60	131.93	52.36	24.67	38.64
अरुणाचल प्रदेश	133.04	94.71	113.82	54.76	33.85	44.41
असम	175.43	154.68	165.33	71.14	51.97	61.86
बिहार	90.65	52.10	71.69	34.05	16.08	25.12
गोवा	19.42	11.70	15.55	12.03	6.29	9.16
गुजरात	160.83	112.70	137.23	66.91	39.06	53.25
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	125.15	95.96	110.58	100.41	63.64	82.15
जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	121.00	98.22	109.87	55.52	35.42	45.62
केरल	133.15	126.46	129.86	93.54	90.15	91.87
मध्य प्रदेश	94.40	60.11	77.87	45.42	15.42	30.87
महाराष्ट्र	137.27	111.44	124.62	62.27	39.24	53.62
मणिपुर	151.26	133.18	142.49	53.26	43.37	48.38
मेघालय	73.04	68.58	70.81	59.89	52.56	56.18
मिजोरम	149.11	141.78	145.54	80.54	77.46	79.03
नागालैण्ड	107.32	97.73	102.61	63.17	61.59	62.40
उड़ीसा	128.27	63.78	96.85	40.10	17.92	29.14
पंजाब	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	108.42	39.01	74.69	63.64	8.25	36.80
सिक्किम	116.18	104.29	110.31	42.35	47.23	44.71
तमिलनाडु	124.01	98.60	111.60	66.64	42.94	55.03
त्रिपुरा	175.59	131.41	153.79	75.57	49.50	62.82
उत्तर प्रदेश	94.45	58.42	77.36	55.41	22.12	39.69
पश्चिम बंगाल	147.95	65.29	107.34	36.03	12.55	24.36
अ० और नि० द्वी समूह	68.90	59.59	64.10	64.90	56.09	60.59
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादरा और नागर हवेली	124.38	89.38	107.71	51.60	27.41	40.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	170.84	146.44	158.64	127.93	103.09	115.91
पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	125.63	82.59	104.70	54.11	27.28	41.05

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 1991–92

विवरण संख्या 19

स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दर 1988-89

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा I--V			कक्षा I--VII			कक्षा I--X		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	51.45	57.54	54.08	68.58	77.90	72.54	75.33	83.94	79.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	62.32	61.49	62.00	74.98	76.68	75.57	92.76	84.29	83.25
3.	असम	52.20	59.64	55.12	71.94	75.74	73.59	78.29	82.01	79.91
4.	बिहार	64.39	70.26	66.34	77.39	84.90	79.76	82.66	90.87	85.17
5.	गुजरात	40.27	48.80	43.84	55.66	66.93	60.16	71.35	77.04	73.74
6.	हरियाणा	26.11	30.99	28.13	38.27	51.11	43.77	50.79	62.30	54.89
7.	हिमाचल प्रदेश	26.38	27.99	27.12	18.76	33.49	25.33	45.15	59.43	51.30
8.	जम्मू कश्मीर	50.03	38.16	45.30	47.00	70.36	56.11	64.44	76.19	68.91
9.	कर्नाटक	44.40	55.61	49.70	61.10	74.98	67.83	60.29	72.17	65.80
10.	केरल	3.00	1.00	2.00	18.37	16.99	17.70	43.79	38.14	41.04
11.	मध्य प्रदेश	39.32	42.64	40.62	49.88	66.65	55.78	72.35	84.41	76.47
12.	महाराष्ट्र	34.24	44.25	38.91	51.27	66.07	58.67	68.16	80.23	78.68
13.	मणिपुर	70.00	70.82	70.37	76.72	79.50	78.01	75.57	79.38	77.34
14.	मेघालय	28.60	29.53	29.03	66.94	61.84	64.59	89.18	89.93	89.70
15.	मिजोरम	37.28	38.72	37.98	46.91	53.59	45.34	80.06	82.84	81.42
16.	नागालैण्ड	34.81	33.01	33.97	56.19	54.02	55.28	81.87	83.61	82.64
17.	उड़ीसा	40.05	37.32	38.97	59.92	73.28	65.46	68.39	78.83	72.74
18.	पंजाब	29.20	29.62	29.89	58.42	63.83	60.91	73.23	77.75	75.33
19.	राजस्थान	53.12	60.75	56.35	63.06	78.20	65.69	77.31	84.19	79.02
20.	सिक्किम	64.12	58.29	61.61	63.83	60.11	62.51	86.52	89.79	87.91
21.	तमिलनाडु	19.16	24.01	21.41	41.33	51.34	35.91	65.92	72.93	69.62
22.	त्रिपुरा	55.11	56.14	55.58	74.84	677.58	76.06	82.23	83.17	82.62
23.	उत्तर प्रदेश	50.30	48.96	40.89	51.82	65.00	56.06	59.53	80.02	66.19
24.	पश्चिम बंगाल	62.57	66.89	64.45	75.35	77.34	76.18	85.60	85.87	85.71
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	13.72	18.69	16.13	35.27	40.03	37.53	49.72	57.43	53.43
26.	चंडीगढ़	6.00	7.80	5.40	11.88	3.74	8.78	25.15	30.85	27.82
27.	दादरा और नगर हवेली	14.13	47.75	49.68	62.54	69.93	65.70	79.54	83.50	81.24
28.	दमन और द्वीव	13.13	40	3.63	15.34	23.14	19.02	54.73	59.64	57.06
29.	दिल्ली	6.34	22.73	18.30	8.54	22.62	15.26	2.25	38.77	29.13
30.	लक्षद्वीप	11.55	7.88	26.71	26.57	47.86	36.79	69.18	73.98	71.41
31.	पांडिचेरी	71.35	1.05	3.81	4.79	21.07	12.55	45.91	52.36	48.96
	योग	46.74	49.69	47.93	59.38	68.81	65.40	72.68	79.46	75.36

स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दर निम्नलिखित रूप से परिकलपित की गई है :

वर्ष 1987–88 के लिए कक्षा I से V में स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दर =

1984–85 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)
(1988–89 में कक्षा V में दाखिल छात्रों की संख्या)
—————————————————— × 100
(1984–85 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)

वर्ष 1988–89 के लिए कक्षा I से VIII में स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दर =

(1981–82 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)
(1988–89 में कक्षा VIII में दाखिल छात्रों की संख्या)
—————————————————— × 100
(1981–82 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)

वर्ष 1988–89 के लिए कक्षा I से X में स्कूल छोड़ जाने वालों की दर =

(1979–80 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)
(1988–89 में कक्षा VIII में दाखिल छात्रों की संख्या)
—————————————————— × 100
(1979–80 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)

इस अनुपात में निम्नलिखित को ध्यान में नहीं रखा गया है ।

(1) रिपीटर और (2) वे बच्चे जो इन सालों में कक्षा I के बाद दाखिल हुए।

विवरण संख्या–20

अनुसूचित जाति में कक्षा छोड़ने वालों की दर 1988–89

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	I से V			I से VIII			I से X		
		लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	58.48	63.72	60.72	77.33	85.69	80.95	83.85	88.57	85.90
2.	अरुणाचल प्रदेश									
3.	असम	64.06	66.43	65.07	57.73	54.72	57.49	62.44	66.43	64.13
4.	बिहार	67.82	76.27	70.20	83.05	89.61	84.71	88.03	94.31	89.48
5.	गोवा	44.01	53.63	48.69	61.51	76.12	68.36	88.37	87.78	88.12
6.	गुजरात	23.16	43.61	32.33	47.76	69.01	56.97	67.32	80.82	72.92
7.	हरियाणा	34.87	38.09	36.14	54.62	72.97	61.43	65.62	82.12	70.32
8.	हिमाचल प्रदेश	32.40	35.00	33.55	40.74	52.88	45.97	61.00	73.68	66.08
9.	जम्मू कश्मीर	41.15	31.84	37.55	61.42	60.82	61.21	76.47	78.16	77.04
10.	कर्नाटक	58.45	64.66	61.14	64.48	76.22	69.51	73.38	85.38	78.69
11.	केरल	0.00	1.81	0.0	27.56	25.36	26.49	54.72	47.60	51.26
12.	मध्य प्रदेश	33.87	51.04	40.11	53.36	72.96	59.06	77.09	90.52	88.99
13.	महाराष्ट्र	39.70	53.38	446.02	54.00	71.23	61.78	70.51	83.96	76.50
14.	मणिपुर	79.48	82.31	80.88	83.47	84.69	84.26	81.50	82.83	82.29
15.	मेघालय	75.67	77.11	76.34	31.11	55.38	43.02	77.16	87.71	81.93
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	50.53	54.54	52.10	72.30	80.25	75.35	78.16	86.34	81.33
19.	पंजाब	32.69	39.94	35.92	79.99	79.80	75.49	83.89	89.62	86.52
20.	राजस्थान	59.27	72.71	24.72	67.27	83.91	70.22	82.81	96.04	85.93
21.	सिक्किम	75.44	70.86	73.42	83.05	79.96	81.65	92.38	94.83	93.48
22.	तमिलनाडु	22.46	29.83	25.94	51.77	60.61	55.66	74.06	83.71	78.47
23.	त्रिपुरा	58.17	63.26	60.52	77.86	84.34	80.80	86.94	89.71	88.15
24.	उत्तर प्रदेश	46.97	46.84	46.94	57.83	67.82	60.26	62.97	85.79	72.91
25.	पश्चिम बंगाल	153.94	66.5	59.45	76.68	82.46	78.94	89.28	91.30	90.01
26.	अंडमान और नि० द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	चंडीगढ़	0.0	7.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.26	48.39
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	18.50	10.25	15.18	52.13	54.16	54.80	—	75.19	65.86
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	0.0	0.0	0.0	12.49	26.92	19.		69.67	64.00
	भारत	47.24	53.39	49.62	64.37	73.60	6	6	85.62	79.88

विवरण संख्या-21

अनुसूचित जनजातियों पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर—1988-89

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	I से V			I से VIII			I से X		
		लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.70	68.97	65.66	84.21	90.14	86.42	88.83	92.77	90.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	61.77	59.92	63.01	75.60	79.35	76.95	80.49	89.30	83.37
3.	असम	71.90	70.71	71.40	66.96	68.17	66.95	56.15	77.21	68.18
4.	बिहार	69.51	77.14	72.19	84.53	88.65	85.94	90.30	93.64	91.42
5.	गोवा*	83.79	95.36	89.91	96.63	97.21	96.89	—	—	—
6.	गुजरात	55.61	68.50	61.21	77.70	84.05	80.34	85.65	90.16	87.50
7.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	21.39	28.16	25.89	33.97	46.97	58.65	55.88	65.33	59.27
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	-	—	—	—	—		
10.	कर्नाटक	35.80	15.77	40.18	59.61	70.07	64.03	59.06	89.52	73.97
11.	केरल	21.19	16.37	18.94	45.30	37.94	41.82	72.94	67.39	70.43
12.	मध्य प्रदेश	47.12	59.69	51.80	70.75	80.85	73.79	83.26	93.18	86.20
13.	महाराष्ट्र	57.89	68.83	62.60	73.0[illegible]	83.04	77.19	83.34	90.49	86.18
14.	मणिपुर	77.20	78.09	77.61	84.87	85.92	85.30	85.12	86.72	85.88
15.	मेघालय	73.2[illegible]	81.7[illegible]	77.40	72.65	73.09	72.96	91.65	93.37	92.47
16.	मिजोरम	61.88	62.70	62.28	31.17	24.66	28.08	75.97	78.49	77.37
17.	नागालैण्ड	34.94	35.70	35.29	64.41	58.67	61.90	79.64	83.86	81.53
18.	उड़ीसा	75.40	77.74	76.29	83.99	85.72	84.5[illegible]	87.34	92.59	84.23
19.	पंजाब	—	—		—	—	—	—	—	84.72
20.	राजस्थान	66.77	79.07	69.63	72.34	86.07	74.44	83.09	91.33	87.64
21.	सिक्किम	66.99	57.10	62.87	70.89	62.25	67.10	86.78	88.83	76.15
22.	तमिलनाडु	42.61	54.31	47.95	51.45	59.72	54.93	75.47	77.13	91.81
23.	त्रिपुरा	73.96	78.41	75.86	84.75	88.17	86.17	90.83	93.44	80.68
24.	उत्तर प्रदेश	41.73	51.60	45.14	55.83	63.69	58.10	79.30	83.88	92.47
25.	पश्चिम बंगाल	63.76	67.55	65.03	83.27	87.03	84.39	92.35	92.74	52.47
26.	अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.95	13.33	11.00	35.20	38.13	63.56	42.76	64.31	52.97
27.	चंडीगढ़									
28.	दादरा और नगर हवेली	41.26	57.58	47.60	69.67	79.94	74.04	87.62	93.01	89.94
29.	दमन और दीव									
30.	दिल्ली									
31.	लक्षद्वीप		10.94		29.72	50.1[illegible]	39.61	71.11	73.78	72.34
32.	पांडिचेरी									
	भारत	61.94	68.73	64.53	76.21	81.45	78.08	84.87	89.91	86.72

*दमन और दीव के आकड़े भी शामिल है।

विवरण संख्या-22

शिक्षकों की संख्या 1991–92

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी स्कूल			मिडिल स्कूल			मा० उच्चतर माध्यमिक स्कूल		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	80286	32838	113124	28847	14094	42941	60628	29354	89982
2.	अरुणाचल प्रदेश	1913	584	2497	1406	369	1775	1859	470	2329
3.	असम	58232	17055	75287	31992	6554	38546	33990	9326	43316
4.	बिहार	93665	22493	116158	79763	20251	100014	40822	6739	47561
5.	गोवा	1100	1819	2919	349	462	811	3206	4081	7287
6.	गुजरात	22070	14715	36785	81460	54305	135765	45579	14621	60200
7.	हरियाणा	23736	19170	42906	7183	4694	11877	28780	19380	48160
8.	हिमाचल प्रदेश	12890	7325	20215	4200	1205	5405	9699	4030	13729
9.	जम्मू कश्मीर	9841	6605	16446	11515	6484	17999	14928	6622	21550
10.	कर्नाटक	30101	11676	41777	56779	36043	92822	41025	12416	53441
11.	केरल	16742	31240	47982	18788	32272	51060	34500	57849	92349
12.	मध्य प्रदेश	140537	43416	183953	61466	21593	83059	43918	14771	58689
13.	महाराष्ट्र	72860	50031	122891	94649	57327	151976	140054	60859	200913
14.	मणिपुर	8187	2397	10584	4187	1168	5355	5130	2184	7374
15.	मेघालय	4245	2488	6733	1901	1120	3021	1541	1494	3035
16.	मिजोरम	1978	1773	3751	2508	648	3156	1361	275	1636
17.	नागालैण्ड	4659	1766	6425	2861	790	3651	2527	443	2970
18.	उड़ीसा	78675	26265	104940	32040	6475	38515	38886	8951	42837
19.	पंजाब	21933	26041	47974	5549	4855	10404	27390	22429	49819
20.	राजस्थान	59039	21343	80382	53005	18139	71144	50593	14291	64884
21.	सिक्किम	1731	642	2373	1063	498	1561	1162	922	2084
22.	तमिलनाडु	71225	49496	120721	33960	31707	65667	68382	48173	116555
23.	त्रिपुरा	7888	2003	9891	3656	935	4591	7491	2994	10485
24.	उत्तर प्रदेश	216051	48662	264713	76556	18968	95524	81201	16469	97670
25.	पश्चिम बंगाल	144112	40636	184748	18092	7139	25231	78326	41691	120017
26.	अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	467	265	732	362	357	719	1215	994	2209
27.	चंडीगढ़	84	713	797	84	534	618	700	2403	3103
28.	दादरा और नगर हवेली	110	51	161	161	214	375	116	46	162
29.	दमन और दीव	301	181	482	139	91	230	166	57	223
30.	दिल्ली	8340	14280	22620	2367	3492	5859	17750	24066	41816
31.	लक्षद्वीप	159	70	229	71	56	127	287	68	355
32.	पांडिचेरी	923	895	1818	919	892	1811	1801	1318	3119
	भारत	1194080	498934	1693014	717878	353731	1071609	880013	429786	1309799

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षणिक आंकड़े 1991–92

विवरण संख्या-23

वर्ष 1991–92 के लिए केन्द्र, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों का बजट कुल राज्य बजट में शिक्षा बजट की प्रतिशतता क्रमवार

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शिक्षा विभाग का बजट			राज्य के कुल बजट में शिक्षा बजट की प्रतिशतता
		योजनागत	योजनेत्तर	कुल योग	
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	5739	25751	31490	28.65
2.	पं० बंगाल	14369	156836	171205	28.08
3.	केरल	4009	74194	78203	25.25
4.	चण्डीगढ़	487	4116	4603	24.12
5.	बिहार	10952	116321	127273	23.18
6.	राजस्थान	13877	73823	87700	21.82
7.	मणिपुर	875	5821	6696	21.52
8.	असम	7920	39611	47531	20.98
9.	हिमाचल प्रदेश	4052	18380	22432	20.78
10.	गोवा	1248	5537	6785	20.62
11.	दमन और दीव	91	403	494	20.43
12.	तमिलनाडु	4575	121019	125594	20.10
13.	कर्नाटक	11826	84740	96566	20.05
14.	त्रिपुरा	2432	8686	11118	19.79
15.	गुजरात	3106	88327	91433	19.71
16.	आन्ध्र प्रदेश	10273	111898	122171	19.23
17.	उड़ीसा	10695	43385	54080	19.08
18.	उत्तर प्रदेश	18036	107956	125992	18.05
19.	सिक्किम	945	1750	2695	17.95
20.	मेघालय	1842	4974	6816	17.82
21.	मध्य प्रदेश	15398	80278	95676	17.64
22.	पांडिचेरी	848	2929	3777	16.63
23.	जम्मू और कश्मीर	5624	15982	21606	15.62
24.	महाराष्ट्र	5419	160991	166410	15.08
25.	हरियाणा	3609	30988	34597	15.01
26.	नागालैण्ड	1847	3982	5829	13.78
27.	मिजोरम	829	3345	4174	13.44
28.	पंजाब	6314	52113	58427	13.41
29.	दादरा और नगर हवेली	105	318	423	13.36
30.	अरुणाचल प्रदेश	1487	2351	3838	13.01
31.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	260	1597	1857	11.00
32.	लक्षद्वीप	94	345	439	10.97
	सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश	169183	1448747	1617930	19.44
	केन्द्रीय क्षेत्र	103130	77400	180530	2.21
	कुल योग (केन्द्र + राज्य)	272313	1526147	1798460	10.70

विवरण संख्या-24

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992–97) के लिए स्वीकृत परिव्यय

क्रम सं०	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कुल योग (कालम 5+कालम 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	17613	1712	22295	5650	27945
2.	अरूणाचल प्रदेश	11392	279	15190	—	15190
3.	असम	56835	1836	87438	4533	91971
4.	बिहार	58883	6034	72695	18522	91217
5.	गोवा	2730	111	6500	1300	7800
6.	गुजरात	14982	2247	22700	9000	31700
7.	हरियाणा	20244	640	40704	10630	51334
8.	हिमाचल प्रदेश	9890	177	23000	4200	27200
9.	जम्मू और कश्मीर	15765	716	31530	1900	33430
10.	कर्नाटक	40950	1870	90555	5000	95555
11.	केरल	2221	77	8225	9400	17625
12.	मध्य प्रदेश	43268	1984	61812	8538	70350
13.	महाराष्ट्र	35000	2200	73007	22518	95525
14.	मणिपुर	4080	205	6800	550	7350
15.	मेघालय	6433	337	9060	137	9197
16.	मिजोरम	2302	125	4185	350	4535
17.	नागालैंड	1847	72	4295	450	4745
18.	उड़ीसा	24266	4491	52752	8286	61038
19.	पंजाब	4715	1080	21678	19600	41278
20.	राजस्थान	56775	3050	86023	10018	96041
21.	सिक्किम	3640	68	5500	280	5780
22.	तमिलनाडु	25247	4000	44000	3714	47714
23.	त्रिपुरा	6960	234	12000	150	12150
24.	उत्तर प्रदेश	66353	2426	108775	25740	134515
25.	पश्चिम बंगाल	35000	2672	50000	10000	60000
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2074	34	4222	1320	5542
27.	चण्डीगढ़	1062	53	3500	92145	95645
28.	दादरा और नगर हवेली	700	6	1078	200	1278
29.	दमन और दीव	267	15	504	350	854
30.	दिल्ली	32180	637	15000	11000	56000
31.	लक्षद्वीप	168	16	70211	0	70211
32.	पाण्डिचेरी	1804	40	3710	1978	5688
	सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश	605646	39444	1088944	287759	1376703
	केन्द्र	288000	140000	661900	82400	744300
	कुल योग (केन्द्र + राज्य)	893646	179444	1750844	370159	2121003

जैसा कि शिक्षा सम्बन्धी चर्चा कार्यदल द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया।

स्रोत : राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बजट दस्तावेज, 1990–91

विवरण संख्या–25

आठवीं योजना अवधि के दौरान शिक्षा पर हुए कुल परिव्यय में क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय की प्रतिशतता

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.03	6.13	79.78	20.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	75.00	1.84	100.00	0.00
3.	असम	61.80	2.00	95.07	4.93
4.	बिहार	64.55	6.61	79.69	20.31
5.	गोवा	35.00	1.42	83.33	16.67
6.	गुजरात	47.26	7.09	71.61	28.39
7.	हरियाणा	39.44	1.25	79.29	20.71
8.	हिमाचल प्रदेश	36.36	0.65	84.56	15.44
9.	जम्मू कश्मीर	47.16	2.14	94.32	5.68
10.	कर्नाटक	42.85	1.96	94.77	5.23
11.	केरल	12.60	0.44	46.67	53.33
12.	मध्य प्रदेश	61.50	2.82	87.86	12.14
13.	महाराष्ट्र	36.64	2.30	76.43	23.57
14.	मणिपुर	55.51	2.79	92.52	7.48
15.	मेघालय	69.95	3.66	98.51	1.49
16.	मिजोरम	50.76	2.76	92.28	7.72
17.	नागालैंड	38.93	1.52	90.52	9.48
18.	उड़ीसा	39.76	7.36	86.42	13.58
19.	पंजाब	11.42	2.62	52.52	47.48
20.	राजस्थान	59.12	3.18	89.57	10.43
21.	सिक्किम	62.98	1.18	95.16	4.84
22.	तमिलनाडु	52.91	8.38	92.22	7.78
23.	त्रिपुरा	57.28	1.93	98.77	1.23
24.	उत्तर प्रदेश	49.33	1.80	80.86	19.14
25.	पश्चिम बंगाल	58.33	4.45	83.33	16.67
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	37.42	0.61	76.18	23.82
27.	चण्डीगढ़	1.11	0.06	3.65	96.35
28.	दादरा और नगर हवेली	54.77	0.47	84.35	15.65
29.	दमन और दीव	31.26	1.76	59.02	40.98
30.	दिल्ली	57.46	1.14	80.36	19.64
31.	लक्षद्वीप	0.24	0.02	100.00	0.00
32.	पाण्डिचेरी	31.72	0.70	65.23	34.77
	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	43.99	2.87	79.10	20.90
	केन्द्र	38.69	18.81	88.93	11.07
	केन्द्र+राज्य	45.84	9.16	85.78	14.22

स्रोत : विवरण संख्या 24 के आंकड़ों पर आधारित।

विवरण संख्या-26

1992-93 के लिए क्षेत्रवार योजनागत अनुमोदित परिव्यय

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कुल योग (कालम 5+कालम 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2377	665	3500	900	4400.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2280	72	3225	—	3225.00
3.	असम	7689	311	13150	800	13950.00
4.	बिहार	9040	1017	11322	3128	14450.00
5.	गोवा	540	45	1295	223	1518.00
6.	गुजरात	1538	355	3000	9500	12500.00
7.	हरियाणा	3440	159	5000	3665	8665.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1826	100	4349	761	5110.00
9.	जम्मू कश्मीर	3000	169	6034	374	6408.00
10.	कर्नाटक	7194	350	12154	850	13004.00
11.	केरल	436	20	1710	2000	3710.00
12.	मध्य प्रदेश	11708	780	17936	3092	21028.00
13.	महाराष्ट्र	3946	287	8045	3054	11099.00
14.	मणिपुर	582	47	1450	100	1550.00
15.	मेघालय	1680	86	2122	32	2154.00
16.	मिजोरम	457	34	907	60	967.00
17.	नागालैंड	306	13	860	110	970.00
18.	उड़ीसा	3000	600	6001	1187	7188.00
19.	पंजाब	853	200	3090	5598	8688.00
20.	राजस्थान	4995	160	10087	1913	12000.00
21.	सिक्किम	644	10	1000	50	1050.00
22.	तमिलनाडु	3050	1300	5855	804	6659.00
23.	त्रिपुरा	1500	75	2575	27	2602.00
24.	उत्तर प्रदेश	9922	550	16596	5116	21712.00
25.	पश्चिम बंगाल	4540	500	7564	1489	9053.00
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	438	460	907	274	1180.80
27.	चण्डीगढ़	132	10	577	200	777.00
28.	दादरा और नगर हवेली	90	60	152	20	172.00
29.	दमन और दीप	8687	23	116	80	195.85
30.	दिल्ली	5263	122	7200	1300	8500.00
31.	लक्षद्वीप	34	3	132	—	132.21
32.	पाण्डिचेरी	215	10	835	445	1280.00
	सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश	72874	5575	129393	33338	162731.00
	केन्द्र	28400	12000	78200	17000	95200
	कुल योग (केन्द्र+राज्य)	121201.78	20066.21	236945.86	57672	294617.8

स्रोत : योजना आयोग द्वारा 1991-92 की वार्षिक योजना का विश्लेषण ।

विवरण संख्या-27

क्षेत्रवार अनुमोदित योजनागत परिव्यय की प्रतिशतता (1992-93)

क्रम सं०	राज्य संघ शासित प्रदेश	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	54.0	15.1	79.5	20.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	70.7	2.2	100.0	—
3.	असम	55.1	2.2	94.3	5.7
4.	बिहार	62.6	7.0	78.4	21.6
5.	गोवा	35.6	3.0	85.3	14.7
6.	गुजरात	12.3	2.8	24.0	76.0
7.	हरियाणा	39.7	1.8	57.7	42.3
8.	हिमाचल प्रदेश	35.7	2.0	85.1	14.9
9.	जम्मू काश्मीर	46.8	2.6	94.2	5.8
10.	कर्नाटक	55.3	2.7	93.5	6.5
11.	केरल	11.8	0.5	46.1	53.9
12.	मध्य प्रदेश	55.7	3.7	85.3	14.7
13.	महाराष्ट्र	35.6	2.7	72.5	27.5
14.	मणिपुर	37.5	3.0	93.6	6.5
15.	मेघालय	78.0	4.0	98.5	1.5
16.	मिजोरम	47.3	3.5	93.8	6.2
17.	नागालैंड	31.5	1.3	88.7	11.3
18.	उड़ीसा	41.7	8.3	83.5	16.5
19.	पंजाब	9.8	2.3	35.6	64.4
20.	राजस्थान	41.6	1.3	84.1	15.9
21.	सिक्किम	61.3	1.0	95.2	4.8
22.	तमिलनाडु	45.8	19.5	87.9	12.1
23.	त्रिपुरा	57.6	2.9	99.0	1.0
24.	उत्तर प्रदेश	45.7	2.5	76.4	23.6
25.	पश्चिम बंगाल	50.1	5.5	83.6	16.4
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	37.1	39.0	76.8	23.2
27.	चंडीगढ़	17.0	1.3	74.3	25.7
28.	दादरा और नगर हवेली	52.3	34.9	88.4	11.6
29.	दमन और दीव	4435.5	11.5	59.2	40.8
30.	दिल्ली	61.9	1.4	84.7	15.3
31.	लक्षद्वीप	25.9	2.1	100.0	--
32.	पाण्डिचेरी	16.8	0.8	65.2	34.8
	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	44.8	3.4	79.5	20.5
	केन्द्र	29.83	12.6	82.14	17.86
	केन्द्र+राज्य	41.04	6.81	80.42	19.52

टिप्पणी : उक्त आंकड़े विवरण संख्या 23 पर आधारित हैं।

विवरण संख्या 28

राज्य निवल घरेलू उत्पाद 1989–90 की प्रतिशतता के क्रम में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों का बजट प्रावधान

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्तमान मूल्यों पर राज्य निवल घरेलू उत्पाद	शिक्षा पर व्यय	राज्य निवल घरेलू उत्पाद में शिक्षा विभाग के बजट की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश		1020.03	
2.	अरुणाचल प्रदेश	342	35.35	10.3
3.	असम	7699	382.21	5.0
4.	बिहार	17824	1042.25	6.0
5.	गोवा	851	55.52	6.52
6.	गुजरात	21668	753.44	3.5
7.	हरियाणा	10032	307.38	3.1
8.	हिमाचल प्रदेश	1999	161.89	8.1
9.	जम्मू कश्मीर		138. 1	
10.	कर्नाटक	18012	725.96	4.0
11.	केरल	9991	691.57	6.9
12.	मध्य प्रदेश	18000	717.64	4.0
13.	महाराष्ट्र	45613	1535.35	3.4
14.	मणिपुर	618	58.07	9.1
15.	मेघालय	551	55.84	10.1
16.	मिजोरम		35.76	
17.	नागालैंड		41.13	
18.	उड़ीसा	9416	473.99	5.0
19.	पंजाब	14311	509.25	3.6
20.	राजस्थान		675.71	
21.	सिक्किम	189	21.82	11.5
22.	तमिलनाडु	21562	923.39	4.3
23.	त्रिपुरा	716	93.16	13.0
24.	उत्तर प्रदेश	40719	1950.83	4.8
25.	पश्चिम बंगाल	25944	972.92	3.8
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह			
27.	चण्डीगढ़			
28.	दादरा और नगर हवेली			
29.	दमन और दीव			
30.	दिल्ली			
31.	लक्षद्वीप			
32.	पाण्डिचेरी			

स्रोत : कालम 2 के लिये —आर्थिक सर्वेक्षण 1991–92

कालम 3 के लिये—शिक्षा विभाग का बजट विश्लेषण

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

वर्ष 1991–92 के दौरान निजी संस्थानों/संगठनों/व्यक्तियों को संस्वीकृत सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	संस्थान/संगठन का नाम	आवर्ती	अनावर्ती	अनुदान का उद्देश्य
1	2	3	4	5
	प्रौढ़ शिक्षा			
1.	डाउन ट्रोडन व समुदाय विकास सोसायटी, 2/337 एम० के० पुरम कुड्डपाह–516002 आन्ध्र प्रदेश	—	105000	जन शिक्षण निलायम
2.	महर्षि साम्बामूर्ति सामाजिक व विकास अध्ययन संस्थान नं० 8, श्रीनगर एपार्टमेंट श्रीनगर कालोनी, काकीनाडा–533003, पूर्वी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	—	322400	पूर्ण साक्षरता अभियान
3.	ग्राम स्वराज परिषद गांव व पो० आ० रंगिया, जिला कामरूप असम	—	269400	पूर्ण साक्षरता अभियान
4.	शांति साधना आश्रम पो० आ० बेलतोला "शांतिवन" बसिष्ठा गोवाहाटी–28 असम–781028	—	593800	पूर्ण साक्षरता अभियान
5.	श्री शारदा संघ मुख्य कार्यालय समिति साधना विश्राम रेहाबारी, गोवाहाटी–781008	—	120000	पूर्ण साक्षरता अभियान
6.	मोरी गाव महिला महाफिल पो० आ० मोरी गांव जिला मोरी गांव असम–782105	—	400000	पूर्ण साक्षरता अभियान
7.	बेरिटेबल ग्रामीण शिक्षा व विकास संघ, पो० आ० बेनइयाह पश्चिमी चम्पारन जिला बिहार–845438	—	188865	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
8.	नवभारत जागृति केन्द्र गांव बहेरा, पो० आ० वृन्दावन जिला हजारीबाग बिहार–825406	—	42000	जन शिक्षण निलायम
		—	500000	पूर्ण साक्षरता अभियान
	कुल		542000	
9.	श्रम भारती खादीग्राम पो० आ० खादीग्राम जिला मोंघर बिहार–811313	—	120600	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		—	780000	पूर्ण साक्षरता अभियान
	कुल		900600	
10.	प्राकृतिक आरोग्य आश्रम प्रकृति कुंज, राजगीर पो० आ० जिला नालन्दा, बिहार–803116	—	220661	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		—	34950	जन शिक्षण निलायम
	कुल		255611	
11.	जे० पी० सरायसा सेवाश्रम कोथा चौक, पो० आ० जोरपुर जिला समस्तीपुर (बिहार) –848504	—	986800	पूर्ण साक्षरता अभियान
12.	आल्टरनेटिव फॉर इण्डिया डेवलपमेंट प्लाट नं० 1, वी० जी० एन० नगर	—	412165	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
13.	जेवियर छायबास सेंट जेवियर हाई स्कूल पो० बा० नं० 10 छायबास–833201 जिला सिंहभूम, बिहार	—	120565	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
14.	गुजरात विद्यापीठ आश्रम रोड अहमदाबाद–380001	—	8675572	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
15.	लोकसेवक मण्डल (सेंट आफ पीपल सोयायटी) द्वारा सी० एच भगत वर्किंग वूमेन होस्टल, दलाल एपार्टमेंट के पास, न्यू विकास गृह रोड पल्दी, अहमदाबाद–380007	—	412165	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		—	45500	जन शिक्षण निलायम
	कुल		457665	

1	2	3	4	5
16	गुजरात राज्य आरोग्य नियंत्रण न्यास, आर्शीवाद 9 बी, केशव नगर सोसायटी, सुभाष ब्रिज के पास अहमदाबाद–380027	—	682165	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		—	141000	जिला संसाधन एकक
	कुल		875665	
17.	आनन्द तालुक युवक मण्डल संघ लक्ष्मी निवास 25, अजंता सोसायटी आनन्द, 388001 जिला खेड़ा . .	—	50626	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		—	69686	जन शिक्षण निलायम
		—		
18.	थासरा तालुक युवक मण्डल संघ डाकोर, थासरा तालुक जिला खेड़ा पिन–388230	—	135646	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
19.	मोक सेवा मण्डल डोड़ांडा, जिला पंचमहल गुजरात–389001 .	—	412165	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
20	मानव सेवा मण्डल न्यास नडिनया, 5-ए, अनुपमा सोसायटी, अमीन मार्ग, नूतन नगर के पास, राजकोट–360001 . .	—	140000	जन शिक्षण निलायम
21.	जनता कल्याण समिति बस स्टैंड के सामने, रिवाड़ी जिला मोहिन्दर गढ़ हरियाणा	—	330565	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
22.	विद्या महासभा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय जिला खरखोदा, सोनीपत, हरियाणा	—	7712	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		209921	—	जन शिक्षण निलायम
		—	355110	पूर्ण साक्षरता अभियान
	कुल . . .	209921	362822	
23.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास पो० आ० बाक्स नं० 12, कस्तूरबा ग्राम अरसीकेरे–573103, जिला हसन कर्नाटक .	—	290250	जिला संसाधन एकक, विविध
	कुल	52500	305984	
24.	श्री अदिचुनचनगिरि शिक्षण न्यास नागेमगेला तालुक मण्डया जिला 57181 कर्नाटक	—	120565	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
25.	हरिजन सेवक संघ शांतिनिकेतन कट्टककडा पो० आ० जिला त्रिवेन्द्रम केरल–695572	157500	—	जन शिक्षण निलायम
26.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, 146 त्रिकोना कालोनी इंदौर मध्य प्रदेश	—	578500	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
27.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र मध्य प्रदेश भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर, मध्य प्रदेश . .	—	2,60,200	
				एम० एम० सी०
		—	25000	डब्ल्यू० एम
	कुल	—	285200	
28.	मन्दसौर जिला समग्र सेवा संघ सर्वोदय साधना केन्द्र ग्राम फलकेड़ा पो० आ०, पवरी गरोट, जिला मन्दसौर	—	400000	पूर्ण साक्षरता अभियान
29.	दिशा न्यास विनादी बाड़ा डोंडी पारा वार्ड रायपुर मध्य प्रदेश–492001	—	307265	ए० आर०
30.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केन्द्र, डा० कोरके बंगला 253, शिवाजी नगर नागपुर–440010	—	352165	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
31.	भारतीय शिक्षा संस्थान, 128/2, जे० पी० नायक रोड़, कोठरूड, पुणे 411029	—	712000	डी० आर० यू०
		—	150000	टी० आर० सी०
		—	150000	टी० आर० सी०
	कुल	—	862000	

1	2	3	4	5
32.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिन्दी नगर, वर्धा महाराष्ट्र–442003	756000	—	जन शिक्षण निलायम
33.	सर्व सेवा फोरम संघ मनोहरधाम दत्तापुर, वर्धा महाराष्ट्र–442001	110250	—	जन शिक्षण निलायम
34.	कार्यात्मक साक्षरता बहुकार्यक्रम संसाधन संगठन समिति द्वारा डा० माधव चव्हाण रसायन प्रौद्योगिकी विभाग बम्बई विश्वविद्यालय, मतुंगा बम्बई–400019	—	141000	जिला संसाधन एकक
35.	नायस्केप (राष्ट्रीय सामुदायिक कार्रवाई कार्यक्रम युवा संसद) पो० आ० मोट्टा ब्लाक कामख्यान नगर, जिला ढेन कनाल उड़ीसा–759018	—	230743	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
36.	युवा ग्रामीण पुनर्निर्माण संघ पो० आ० बोइन्दा, अथमल्लिक जिला ढेनकनाल उड़ीसा पिन–759127	—	335000	पूर्ण साक्षरता अभियान
37.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति शास्त्री नगर एक्सटेंशन विद्युत मार्ग अजमेर–305006 राजस्थान	—	1817	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		259380	—	जन शिक्षण निलायम
	कुल	259380	1817	
38.	श्री हरिकृष्ण शिक्षा एवं सेवा समिति बर्जा हाउस, महल चौक, अलवर–301001 राजस्थान	—	66800	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		—	14000	जन शिक्षण निलायम
		—	476565	पूर्ण साक्षरता अभियान
	कुल	—	557365	
39.	भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ 8/199, सिन्धु नगर भीलवाड़ा–311001 राजस्थान	157500	105000	जन शिक्षण निलायम
40	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, सरस्वती पार्क पो० बा० 28 पुरानी गिन्नानी बीकानेर–334001 राजस्थान	—	824330	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		157500	—	जन शिक्षण निलायम
		—	3712500	पूर्ण साक्षरता अभियान
	कुल	157500	4536830	
41.	प्रयास गांव देवगढ़ (देवलिया) द्वारा प्रतापगढ़	—	228000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		—	105000	जन शिक्षण निलायम
		—	265000	पूर्ण साक्षरता अभियान
	कुल	—	598000	
42.	गांधी विद्या मन्दिर सरदारशहर राजस्थान–331401	—	68800	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		—	703450	जन शिक्षण निलायम
	कुल	—	770250	
43.	ग्रामीण बाल विकास संस्था पीपड़ शहर, जोधपुर राजस्थान पिन–346601	—	36350	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		15750	10500	जन शिक्षण निलायम
		—	133900	पूर्ण साक्षरता अभियान
	कुल	15750	180750	
44.	जैन विश्व भारती पो० आ० लाडनून तहसील लाडनून, जिला नागौर राजस्थान–341306	—	1121925	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
45.	सेवा मन्दिर उदयपुर –313001 राजस्थान	—	852189	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		183750	—	जन शिक्षण निलायम
	कुल	183750	852189	

1	2		3	4	5
46.	एजुकेशन व अपलिस्ट सोसायटी फार रूरल डाउनट्रोडन 6, आर० सी० स्कूल स्ट्रीट गांधीनगर, जिला छेगंलपट्टू–603306		—	402000	पूर्ण माक्षरता अभियान
47.	दुरायस्वामी उदार समाज शिक्षा संघ, विलवारायणल्लूर, पक्कम पोस्ट छेगंलपट्टू जिला (तमिलनाडु) 603301		—	25940	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
			98000	—	जन शिक्षण निलायम
					पूर्ण माक्षरता अभियान
		कुल	98000	455240	
48.	मधार नाला थोंडू निरूवणम थिरूवेंदी पुरम , मेन रोड, पाधीरीकुप्पम, पो० आ० कुड्डालोर जिला दक्षिण आरकोट तमिलनाडु–607401		—	182895	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
			--	168000	जन शिक्षण निलायम
		कुल	—	350895	
49.	क्रिश्चियन शैक्षिक विकास सोसायटी 12, नपालाया स्ट्रीट, विल्लूपुरम, जिला एस० ए०, तमिलनाडु–605602		--	232230	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
			70000	—	जन शिक्षण निलायम
		कुल	70000	232230	
50.	कोंग्रिगेशन आफ द सीमप्टर्ज आफ द क्रास आफ छवनोड पो० बा० नं० 395, पुराना गुड्स शैड रोड, टेप्पाकुलम, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु–620002		105000	174910	जन शिक्षण निलायम
			--	2023000	पूर्ण माक्षरता अभियान
		कुल	105000	2197910	
51.	खाजामलाई महिला संघ, पो० आ० खाजामलाई, निरूचिरापल्ली जिला तमिलनाडु–620023		108750	—	जन शिक्षण निलायम
			--	984750	पूर्ण माक्षरता अभियान
		कुल	1108750	984750	
52.	सोसायटी फार एजूकेशन विलेज एक्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट नं० 6, III स्ट्रीट, अन्ना नगर, पीट्टायलाय जिला तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु–639112		—	389500	पूर्ण माक्षरता अभियान
53.	पंजाब एसोसिएशन लाजपत भवन, पोस्ट बाक्स नं० 416, 170, 171, 172, पीटर रोड, रोयापेट्टाह, मद्रास–600014		—	348395	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
			287500	—	जन शिक्षण निलायम
				487500	पूर्ण माक्षरता अभियान
		कुल	287500	835895	

1	2		3	4	5
54.	राज्य गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र		—	198750	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	(तमिलनाडु सतत् शिक्षा बोर्ड)				
	प्लाट नं० 10, डोर नं० 4,				
	11 स्ट्रीट वेंकटेश्वर नगर,				
	अडयार, मद्रास–600020				
55.	युवा महिला क्रिश्चियन संघ,		21000	—	जन शिक्षण निलायम
	पूनमल्ली, हाई रोड,		—	204400	पूर्ण साक्षरता अभियान
	मद्रास–600084				
	तमिलनाडु				
		कुल	21000	204400	
56.	तमिलनाडु महिला स्वैच्छिक		—	116065	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	सेवा, 19, पूर्वी स्पर टैंक रोड,		162750	54250	जन शिक्षण निलायम
	चेटपेट,				
	मद्रास–600031				
	तमिलनाडु				
		कुल	162750	286380	
57.	महिला भारतीय संघ,		—	117639	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	43, ग्रीनवेज रोड,		115500	14000	जन शिक्षण निलायम
	मद्रास–600028				पूर्ण साक्षरता अभियान
	तमिलनाडु				
		कुल	115500	987189	पूर्ण साक्षरता अभियान
58	तमिलनाडु सतत् शिक्षा बोर्ड		—	34711	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	द्वारा राज्य संसाधन केन्द्र		—	210000	जन शिक्षण निलायम
	नं० 4, 11 स्ट्रीट,		—	2210500	पूर्ण साक्षरता अभियान
	वेंकटेश्वर नगर, अडयार,				
	मद्रास–600020	कुल	—	2455211	
59	जय प्रकाश युवा शोध केन्द्र		—	116065	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	पहली क्रास स्ट्रीट, 4 कस्टम				
	कालोनी, बेसेंट नगर,				
	मद्रास–600090				
60	नारी विकास संस्था		—	173124	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	मातृछाया, नजीमाबाद,				
	जिला बिजनौर,				
	उत्तर प्रदेश				
61	मैना ग्रामोद्योग सेवा संस्था		—	102508	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	मुरारी नगर, जी० टी० रोड,		84000	—	जन शिक्षण निलायम
	जिला खुर्जा बुलन्दशहर,				
	उत्तर प्रदेश				
		कुल	84000	102508	
62	मानव सेवा संस्थान अनहगढ़		—	1100000	पूर्ण साक्षरता अभियान
	पो० आ० गौरिया,				
	कैप्टनगंज, जिला देवरिया,				
	उत्तर प्रदेश–274301				
63	सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण ग्रामीण		—	180000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	विकास व शैक्षिक सोसायटी संस्थान		—	94500	जन शिक्षण निलायम
	रसूलपुर (खिवारा) दोस्तपुर,				
	फैजाबाद, उत्तर प्रदेश				
		कुल	—	274500	

1	2		3	4	5
64.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान		—	450000	पूर्ण साक्षरता अभियान
	गांव व पो० आ० बीकापुर,				
	जिला फैजाबाद,				
	उत्तर प्रदेश–224205				
65.	भारतीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण		—	163715	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	संस्थान व पुर्नस्थापन 460,		26250	—	जन शिक्षण निलायम
	देवपुर, पो० आ० राजानीपुरम,				
	लखनऊ (उ० प्र०)–226017				
		कुल	26250	163715	
66.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति		—	157829	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	504/63, टैगोर मार्ग,		52 50	63000	जन शिक्षण निलायम
	बांदी माता मंदिर के पास,		—	777550	पूर्ण साक्षरता अभियान
	डालीगंज, लखनऊ				
		कुल	5250	998379	
67.	भारत साक्षरता बोर्ड,		841750	64733	जन शिक्षण निलायम
	साक्षरता हाऊस, पो० आ०				
	आलमबाग, लखनऊ,				
	उ० प्र०–226005				
68.	श्री महिला उद्योग समाज,		—	66800	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	उत्थान समिति,		31500	—	जन शिक्षण निलायम
	किशोरपुरा, वृन्दावन,		—	596250	पूर्ण साक्षरता अभियान
	जिला मथुरा,				
	उत्तर प्रदेश–281121				
		कुल	31500	663050	
69.	बनवासी सेवाश्रम,		—	1011000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	गोविन्दपुर द्वारा तुर्रा,				
	जिला मिर्जापुर,				
	उ० प्र०–231221				
		कुल	—	1011000	
70.	बनवासी सेवाश्रम			378200	विविध
	गोविन्दपुर, द्वारा तुर्रा,				
	जिला मिर्जापुर,				
	उ० प्र०–231221				
71.	आदर्श सेवा समिति,		52500	—	जन शिक्षण निलायम
	326/1, साकेत कालोनी,		—	736612	पूर्ण साक्षरता अभियान
	लेन नं० 6, मुजफ्फर नगर,				
	पिन–251001				
		कुल	52500	736612	
72.	निर्माता शिक्षा समिति,		—	142114	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	अस्तान, नई बस्ती, हल्द्वानी,		52500	—	जन शिक्षण निलायम
	जिला नैनीताल, पिन–263139				
		कुल	52500	142114	
73.	उ० प्र० राणा बेणी माधव		—	849635	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
	जन कल्याण समिति,		210000	129000	जन शिक्षण निलायम
	गुलाब रोड, रायबरेली (उ० प्र०)		—	1058600	पूर्ण साक्षरता अभियान
		कुल	210000	2037235	

1	2		3	4	5
74.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, 7, रिवरसाईड रोड, बैरकपुर, जिला–24 परगना, पश्चिम बंगाल–743101		—	116065	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
75.	रामकृष्ण मिशन लोक शिक्षा, परिषद, रामाकृष्ण मिशन आश्रम, पो० आ० नरेन्द्रपुर, 24, परगना (दक्षिण)		—	600000	पूर्ण साक्षरता अभियान
76.	अखिल भारतीय जनशिक्षा व विकास परिषद्, 60, पटुआटोला लेन, कलकत्ता–700009		—	178500	जन शिक्षा निलायम
77.	पंजाब पिछड़ा वर्ग विकास बोर्ड, 1143, 36–सी. चण्डीगढ़, पंजाब		157500	—	जन शिक्षण निलायम
			—	1139250	पूर्ण साक्षरता अभियान
		कुल	157500	1139250	
78.	सब भारत श्री रविदास प्रचार प्रतिष्ठान, 393, सेक्टर–38, चण्डीगढ़–160036		70000	—	जन शिक्षण निलायम
			—	371250	पूर्ण साक्षरता अभियान
		कुल	70000	371250	
79.	महिला चेतना केन्द्र, एफ–26, बी० के० दत्त कालोनी, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003		—	109953	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
			—	131600	पूर्ण साक्षरता अभियान
		कुल	—	241553	
80.	सेवाग्राम विकास संस्थान, 1, दरियागंज, नई दिल्ली–110002		—	325150	पुस्तक प्रोन्नति
81.	डा० एस० बी० बालिग स्मारक, न्यास, लिंक हाऊस, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110037		—	955500	पूर्ण साक्षरता अभियान
82.	भागेदारी व विकास केन्द्र, सी– 8/8480, वसन्त कुंज, नई दिल्ली–110037		—	250000	विविध
83.	कालहा, सी– 11/27, तिलक लेन, नई दिल्ली–110001		—	173650	पुस्तक प्रोन्नति

1991–92 के दौरान राज्य संसाधन केन्द्रों को जारी किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	नाम और पता	राशि (लाखों में)	उद्देश्य
1	2	3	4
1.	राज्य संसाधन केन्द्र, दीपायन, बुद्ध कालोनी, पटना–800001	33.00	जन कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य संसाधन केन्द्र के अनुरक्षण अनुदान
2.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014	9.00	–वही–
3.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, 1/17, नसीम बाग कैम्पस, कश्मीर विश्वविद्यालय, हज़रतबाल, श्रीनगर–190006	3.00	–वही–
4.	राज्य संसाधन केन्द्र, कर्नाटक राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद्, 501, चित्रभानु रोड, ए एण्ड बी ब्लाक, कुवेम्पुनगर, मैसूर–570023	7.00	–वही–
5.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, लिटरेसी हाऊस, डाक आलम बाग, लखनऊ–226005	116.62	–वही–
6.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल गैर–औपचारिक शिक्षा मंच, साक्षरता भवन, त्रिवेन्द्रम–895010	5.00	–वही–
7.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, प्लाट सं० 159, (विष्णु मन्दिर के निकट), साहिद नगर, भुवनेश्वर–751007	133.50	–वही–
8.	राज्य गैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्र, द्वारा भारतीय शिक्षा संस्थान, 128/2, जे० पी० नायक रोड, करेठरूद, पुणे–411029	22.90	जन कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य संसाधन केन्द्र तथा साक्षरताकिट के मुद्रण के लिए अनुरक्षण अनुदान।
9.	क्षेत्रीय प्रौढ़ वसतत शिक्षा संसाधन केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़–160014	13.00	–वही–
10.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ, 7–ए, झलाना डुंगरी संस्थान क्षेत्र, जयपुर–302004	83.40	–वही–

1	2	3	4
11.	राज्य गैर-औपचारिक संसाधन केन्द्र, तमिलनाडु सतत् शिक्षा बोर्ड, नं० 4, दूसरी स्ट्रीट, वेंकटेश्वर नगर, अडयार, मद्रास–600020	42.58	जन कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य संसाधन केन्द्र तथा साक्षरताकिट के मुद्रण के लिए अनुरक्षण अनुदान
12.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, द्वारा बंगाल समाज सेवा लीग, 1/6, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता-700009	15.00	–वही–
13.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली–110025	16.00	–वही–
14.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, 680, विजय नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर–452009	28.48	–वही–
15.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, असम सिंह भवन, उदयपथ, ए० जी० बरुआ रोड, गोवाहटी–781006	--	कार्यात्मक साक्षरता के बहु–कार्यक्रम के अधीन रा० स० के लिए व साक्षरता किट के लिए रख–रखाव अनुदान।
16.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, साक्षरता हाउस, आंध्र महिला सभा, ए० एम० एस० कालेज परिसर, यूनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद–500007	24.00	–वही–
17.	राज्य प्रौढ़ व सतत् शिक्षा संसाधन केन्द्र उत्तर-पूर्वी पर्वत विश्वविद्यालय, मयूरभंज परिसर, नोनगथीमाय, (मेघालय), शिलांग–793014	3.00	–वही–
18.	राज्य संसाधन केन्द्र महाराष्ट्र, राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, औरंगाबाद	3.00	–वही–
19.	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई	4.68	कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम एकक व अन्य साक्षरता परियोजनाएं स्थापित करने के लिए
20.	भारतीयर विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	1.71	नामिक केन्द्र स्थापित करने के लिए

निजी तथा स्वैच्छिक संगठनों के नाम

जिन्होंने वर्ष 1991–92 के दौरान 1.00 लाख रु० और इससे अधिक का सहायता अनुदान प्राप्त किया

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	एजेंसी/संगठन का नाम, पते सहित	संगठन के कार्यकलापों का सार	1991–92 में सहायता अनुदान की राशि	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया	कैफियत
1	2	3	4	5	6
स्कूल शिक्षा					
स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार					
1.	विक्रम ए० साराभाई सामुदायिक विज्ञान केन्द्र, अहमदाबाद	विज्ञान और गणित शिक्षा के क्षेत्र में उत्प्रेरक भूमिका निभा रही पुरोगामी संस्था। विज्ञान तथा गणित के अध्ययन तथा अध्यापन में सहायक सामग्रियों तथा प्रदर्शों के रूप में नवाचार विचारों तथा तकनीकों को विकसित करना।	21.10 लाख रु०	विज्ञान और गणित शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकलापों को प्रोन्नत करने के लिए।	
2.	जगदीश बोस राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा अन्वेषण, कलकत्ता	छात्रवृत्ति पुरस्कारों, गहन-अनुवर्तन, मार्ग-दर्शन तथा वृत्तिका परामर्श आदि के जरिए विज्ञान तथा गणित के प्रतिभावान छात्रों का पता लगाने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने में निहित	9.86 लाख रु०	पश्चिम बंगाल तथा 7 उत्तरी-पूर्वी राज्यों के उत्तर जिलों में, "विज्ञान में रचनात्मक उत्कर्ष अन्वेषण तथा संवर्धन" नामक परियोजना का क्रियान्वयन।	
3.	भारतीय भौतिकी-शिक्षक संघ, कानपुर	भौतिकी शिक्षकों तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में उच्च कोटि की अध्यापन सामग्रियों को तैयार करना, प्रयोगशाला और प्रदर्शन उपकरण का मूल्यांकन तथा विकास, सम्मेलन, सेमिनार, कार्य-शालाएं आयोजित करना, पुन: अनु-स्थापन कार्यक्रम, रेडियो/टी० वी० वार्ताएं, सार्वजनिक लेक्चर, प्रदर्श-नियां, संग्रहालय आदि, पत्र-पत्रि-काओं का प्रकाशन, शिक्षकों आदि को पुरस्कार प्रदान करना	5.20 लाख रु०	वैज्ञानिक संस्कृति के संवर्धन के लिए 4 केन्द्रों की स्थापना।	
4.	सी० पी० एस० टी० प्रतिष्ठान, मद्रास	विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधार विकसित करना जिसकी भारतीय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पर-पराओं में शाखाएं है।	2.63 लाख रु०	भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा पर प्रोद्योग-पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला को तैयार करना।	
5.	भारतीय गणित शिक्षक संघ, मद्रास	शिक्षकों तथा छात्रों के लिए नवीन तथा उपयोगी कार्यक्रम संचालित करना	2.51 लाख रु०	स्कूलों में गणित के अध्यापन में नवीन प्रथाओं को स्पष्ट करने के लिए क्षेत्रीय कार्य-शालाएं आयोजित करना तथा इच्छुक क्षेत्रीय संस्थाओं के सहयोग से अध्यापन अध्ययन सामग्री तैयार करना।	
6.	होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र, बम्बई	टी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक, दोनों स्तरों पर कार्रवाई अनुसंधान परियोजनाएं संचालित करने वाला शीर्ष निकाय	1.90 लाख रु०	फरवरी, 1992 में "सभी के लिए गणित पर भारत-यू० एस० कार्यशाला" का आयो-जन।	

1	2	3	4	5	6
7.	कर्नाटक राज्य विजनाना परिषद, बंगलौर	टेलीस्कोप कार्यशालाओं, विज्ञान उत्सवों, विज्ञान लेखक–कार्यशालाओं राज्य स्तरीय विज्ञान सम्मेलनों विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, पर्यावरण शिविरों और स्लाइडों, विज्ञान फिल्मों, विज्ञान किटों आदि संबंधी कार्यशालाओं के आयोजन में निहित। विज्ञान–पत्र पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन।	1.38 लाख रु०	शिक्षक प्रशिक्षण कार्य–शालाओं तथा बाल विज्ञान उत्सवों का आयोजन	
8.	तमिलनाडु विज्ञान मंच (फोरम), मद्रास	विभिन्न गैर औपचारिक विज्ञान कार्य–कलापों राज्य स्तरीय कला जत्थों, प्रश्नोत्तरी ओलिम्पियाड विज्ञान लोक–प्रियता पर कार्यशालाएं, जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविरों और बाल, विज्ञान उत्सवों के आयोजन में लगी हुई हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग तथा "विज्ञान का इतिहास" विश्व व्यवस्था (कास्मास) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, विज्ञान की जानकारी के लिए दृश्य सामग्रियां तैयार की और निर्मित की।	1.15 लाख रु०	स्रोत व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख (नोडल) राज्य स्तरीय शीर्ष शिविर और कुछेक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा राज्य स्तरीय बाल और विज्ञान उत्सवों का आयोजन।	

स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावरणीय प्रबोधन

1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर खण्ड सेवा निधि, अल्मोड़ा (उ० प्र०)	उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के पर्यावरणीय प्रबोधन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी रूप में कार्य करना।	39.78 लाख रु०	बालवाड़ियों, कार्य–पुस्तिका, वृक्षारोपण, नर्सरियों, सफाई, शौचालयों, पेय–जल, योजना, प्रकाशन और प्रशिक्षण शिविरों सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्थित 113 छोटे गैर–सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की। कक्षा–9 तथा 10 के लिए कार्य पुस्तिका के नए संस्करण सहित 7 नए प्रकाशन प्रकाशित किए।	
2.	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद	आसपास के स्कूलों के समूह स्थानीय विशिष्ट कार्यकलापों को आरम्भ करने के लिए, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।	8.84 लाख रु०	पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं को आरम्भ करने में छोटे गैर–सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।	
3.	एम० वेंकटरागैया प्रतिष्ठान, सिकन्दराबाद आन्ध्र प्रदेश	प्रमुख रूप से, बंधुआ मजदूरों के बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और प्रेरणा, गैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना और रंगा रेड्डी जिले में अनुवर्ती कार्यक्रम।	1.07 लाख रु०	गैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के बच्चों को पर्यावरणीय प्रबोधन तथा रंगा रेड्डी जिले से 4 विशेष कल्याण छात्रावास।	
4.	विश्व स्वराज मण्डल, राजकोट	गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में विभिन्न नवीन पर्यावरणीय ज्ञान आर्थिक विकास कार्यक्रमों के आयोजन में निहित।	2.50 लाख रु०	पाशिवका (प्रोफाइल) अध्ययन कार्यक्रम तथा पर्या–वरण में राज्य "का गुजराती रूपांतर।	

1	2	3	4	5	6
5	विश्व व्यापी प्रकृति निधि, भारत, महाराष्ट्र, और गोआ, राज्य कार्यालय, बम्बई	27 वर्षों से अधिक से प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत। वन्य जीवन के विकास, प्राकृतिक वासों, बजट भूमि विकास और सेमिनारों, कार्यशालाओं, शिविरों, प्रकाशनों तथा फिल्मों आदि के माध्यम के सार्वजनिक ज्ञान का प्रचार जैसे संरक्षण सम्बन्धी कार्यकलापों की व्यापक सीमा में सक्रिय रूप से निहित है।	3.62 लाख रु०	पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में संगठन द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी के प्रकाशनों के मराठी संस्करणों का प्रकाशन तथा महाराष्ट्र के माध्यमिक और प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तत्सम्बन्धी वितरण	

शिक्षा में संस्कृति और मूल्यों के लिए योजना

1.	गन्धर्व महाविद्यालय, नई दिल्ली	भारतीय संगीत में प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.62 लाख रु०	प्रारम्भिक स्कूलों के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन।	
2	इण्डियन इंटरनेशनल रूरल कल्चरल सेन्टर, नई दिल्ली	भारतीय शास्त्रीय परम्पराओं को विभिन्न निष्पादन कलाओं पर व्याख्यानों, निष्पादनों और कार्यशालाओं का आयोजन।	3.00 लाख रु०	निष्पादन एवं कार्यशाला व्याख्यान का आयोजन	
3.	नन्दीकर, कलकत्ता	थियेटर समालोचना और सांस्कृतिक अवबोधन एकत्र करना	3.33	परियोजना शुरू करने— कलकत्ता के उप नगरों में सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों तथा छात्रों के लिए शिक्षा में थियेटर।	
4.	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मोरल एण्ड स्प्रीच्युल एजूकेशन, मैसूर	स्कूल शिक्षकों और छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करना।	9.20	नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए।	
5.	संस्कार शिक्षा समिति, भोपाल	विभिन्न शैक्षिक और पर्यावरणात्मक कार्यक्रम आरम्भ करना	4.33	मध्य प्रदेश में दोराहा और टीकमगढ़ में मूल्य शिक्षा की परियोजना के आयोजन के लिए।	
6	अलारिप्पु, नई दिल्ली	महिला समाख्या के तत्वावधान के तहत महिला रोजगार और साक्षरता के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया	6.35	परियोजना कार्यकलाप शुरू करने के लिए और झरोखा नामक एक 'न्यूज लेटर' का प्रकाशन।	
7.	पोयट्री सोसाइटी (भारत), नई दिल्ली	भारतीय कविता का प्रसार	1.00	उड़ीसा के युवा जनजातीय कवियों के लिए एक सृजनात्मक कविता कार्यशाला का आयोजन।	
8.	अन्तर्भारतीय, मदुराई	रचनात्मक समुदाय, गायन, कहानी, सुनाना, इत्यादि में शिक्षक अनुस्थापन के लिए कैंप आयोजित करना	2.28	शैक्षिक चिकित्सा कार्यक्रम आयोजित करना।	
9.	स्पिक-मैके, दिल्ली	शैक्षिक संस्थाओं में भारतीय शास्त्रीय परम्परा की प्रोन्नति के लिए स्कूलों एवं कालेजों में व्याख्यान प्रदर्शन आयोजित करना।	12.00	शैक्षिक संस्थाओं में शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य और योग कार्यशालाएं का व्याख्यान प्रदर्शन आयोजित करना।	

1	2	3	4	5
10.	सफदर हाशमी मेमोरियल न्यास, नई दिल्ली	जनता को शिक्षित करने के लिए सरणी नुक्कड़ नाटक आयोजित करना	1.91	शैक्षिक संस्थाओं में "आर्टिस्ट अगेंस्ट कम्युनिलिज्म" छवियों और शब्दों से सम्बन्धित एक प्रदर्शनी आयोजित करना।
11.	वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान	लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय शैक्षिक कम्पलेक्सिस। एक यह सम्बद्ध विश्वविद्यालय है।	8.64	इसके रख-रखाव व्यय के भाग को पूरा करने के लिए
12.	नाट्यशाला सद्भाव न्यास, बम्बई	यह बच्चों की नाट्यशाला में लगा हुआ है।	5.09	स्कूल शिक्षकों के लिए नाट्यशाला प्रशिक्षण केन्द्र नामक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए।

क्रम सं०	एजेंसी/संगठन का नाम पता	संगठन की संक्षिप्त गतिविधियां	1992–93 में अनुदान की राशि	अनुदान को किस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया	कैफियत
1	2	3	4	5	6

भाषाओं की प्रोन्नति

क्रम सं०	एजेंसी/संगठन का नाम पता	संगठन की संक्षिप्त गतिविधियां	1992–93 में अनुदान की राशि	अनुदान को किस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया	कैफियत
1.	आन्ध्र प्रदेश	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी महाविद्यालय और हिन्दी प्रचार केन्द्रों आदि का संचालन	4,26,450	शिक्षण केन्द्र महाविद्यालय प्रचारक सम्मेलन तथा हिन्दी डायरी का प्रकाशन।	
2.	हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण कक्षाएं तथा हिन्दी कक्षायें तथा अन्य प्रचार कार्यक्रमों का संचालन	1,03,875	हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि केन्द्र	
3.	नगर हिन्दी वर्ग संचालक अध्यापक संघ हैदराबाद	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण कक्षाएं तथा अन्य प्रचार कार्यक्रमों का संचालन	1,33,230	हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि कक्षाएं हिन्दी पुस्तकालय, वाचनालय स्टाफ का वेतन, किराया, पुस्तकों, मैगजीन आदि की खरीद	
4.	नाबोल्सिरी सेवा समिति, लखीमपुर, असम	हिन्दी प्रचार का प्रसार	2,51,250	टंकण आशुलिपि कक्षाएं	
5.	असम राज्य राष्ट्र भाषा समिति, जोरहाट	हिन्दी की प्रोन्नति	2,57,250	हिन्दी टंकण कक्षायें।	
6.	हिन्दी विद्यापीठ, देवघर, बिहार	शिक्षण कक्षाएं, टंकण और आशुलिपि कक्षाएं	1,94,320	हिन्दी टंकण और आशुलिपि कक्षाओं के आवासीय संस्थान और तिमाही पत्रिकाओं का प्रकाशन।	
7.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	हिन्दी की प्रोन्नति	1,43,400	हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण केन्द्र।	
8.	गोमंतक राष्ट्रीय विद्यापीठ, मदगांव, गोआ	हिन्दी की प्रोन्नति	1,41,975	हिन्दी शिक्षा केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय आदि।	
9.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति जया नगर, बंगलौर	शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय आदि का संचालन	6,81,150	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय आदि।	
10.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर	हिन्दी शिक्षण कक्षायें, पुस्तकालय, वाद विवाद आदि	9,79,425	हिन्दी शिक्षण कक्षाये, वाचनालय एवं पुस्तकालय, हिन्दी टंकण, कक्षायें, शिक्षण प्रशिक्षण कालिज, हिन्दी महाविद्यालय आदि	
11.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, शंकरपुरम बंगलौर	हिन्दी शिक्षण केन्द्र टंकण एवं आशुलिपि कक्षायें आदि	11,69,475	हिन्दी शिक्षण कक्षायें, हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण आशुलिपि कक्षायें	
12.	हिन्दी प्रचार संघ मुधोल, कर्नाटक	हिन्दी शिक्षण कक्षाओं का संचालन	1,10,280	हिन्दी शिक्षण केन्द्र हिन्दी पुस्तकालय हिन्दी महाविद्यालय आदि।	
13.	केरल हिंदी प्रचार सभा, त्रिवेंद्रम	केन्द्रीय महाविद्यालय टंकण एवं आशुलिपि कक्षायें, पुरस्कार आदि।	12,47,025	हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय महाविद्यालय, हिन्दी प्रचारक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, पुरस्कार आदि।	
14.	हिन्दी सभा, बम्बई	हिन्दी की प्रोन्नति	1,98,600	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय पत्रिकायें आदि।	
15	राष्ट्रभाषा प्रचार सभा वर्धा	पाठ्यपुस्तकों, सांस्कृतिक कार्यक्रम हिन्दी प्रचारकों के लिए सेमिनार आदि का आयोजन	2,37,900	हिन्दी महाविद्यालय, हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि कक्षायें।	

1	2	3	4	5	6
16.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई	शिक्षण केन्द्र पुस्तकालय वाचनालय, प्रचारक केन्द्र सेमिनार, नाटक आदि	14,06,091	हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र, आदि	
17.	महाराष्ट्र राष्ट्र सभा 388, नारायण पथ, पूना	हिन्दी की प्रोन्नति	17,3,025	केन्द्रीय ग्रंथालय आदि	
18.	मणिपुर हिन्दी परिषद इम्फाल	वही	2,81,250	हिन्दी कक्षाएं	
19.	मणिपुर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, इम्फाल	वही	1,61,475	हिन्दी कक्षाएं	
20.	उत्कल प्रान्तीय राष्ट्र भाषा प्रचार सभा कटक	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि केन्द्रों का संचालन	1,98,300	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं, हिन्दी पुस्तकालय प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि	
21.	उड़ीसा राष्ट्र भाषा परिषद जगन्नाथ पुरी	वही	2,39,925	हिन्दी कक्षाओं तथा हिन्दी का प्रचार	
22.	श्री पुरुषोत्तम हिन्दी भवन न्यास समिति नई दिल्ली	वही	10,00,000	भवन के लिए अनुदान	
23.	भाषा संसद (अनुवाद पत्रिका) कलकत्ता	वही	2,34,750	अनुवाद पत्रिका के प्रकाशन के लिए	
24.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली धारवाड़ और एर्नाकुलम में अपनी शाखाओं के लिए)	निशुल्क हिन्दी कक्षाएं आयोजित करना, महाविद्यालय, टंकण एवं आशुलिपि कक्षायें पुरस्कार आदि	120,38,892	हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय विद्यालय विद्यालय, हिन्दी प्रचारक अनुस्थापन पाठ्यक्रम आदि	
25.	महाराष्ट्र हिन्दी प्रचार भवन, शाहगंज,औरंगाबाद		1,08,450	हिन्दी कक्षाएं और हिन्दी कक्षाओं का आयोजन	
26	महिला भारतीय एवं साक्षरता संस्थान नई दिल्ली		3,50,000	तदर्थ अनुदान	
27.	वर्णमाला भाषा विकास केन्द्र, भुवनेश्वर		2,00,000	हिन्दी कार्यक्रमों के लिए तदर्थ अनुदान	
28.	केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद नई दिल्ली	विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित करना, हिन्दी संगठनों में हिन्दी के विकास के लिए सेमिनारों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन	3,77,039	हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन, हिन्दी पत्रिकाओं और पुस्तकों आदि का प्रकाशन के लिए खर्च वहन करना।	
29.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्थान संघ, नई दिल्ली	हिन्दी प्रचार प्रसार कार्यक्रम	5,50,281	स्थापना व्यय और हिन्दी प्रचार प्रसार कार्यक्रमों को जारी रखना।	
30	भारतीय अनुवाद	हिन्दी की प्रोन्नति	1,20,893	हिन्दी की प्रोन्नति	
31.	असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, गोहाटी		15,07,050	प्रबोध संस्थान और टंकण प्रवीण आयोजित करने के लिए ।	
32	जे० के० राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, जम्मू		1,15,000	हिन्दी कार्यक्रमों का आयोजन हेतु ।	
33.	उत्तर पूर्वांचल राष्ट्र समिति (असम और अरुणाचल प्रदेश)		3,14,550	हिन्दी कक्षाओं के आयोजन हेतु ।	

संस्कृत

1. प्रधानाचार्य

	श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा	शिक्षण	6,50,014	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय / पुस्तकें, फर्नीचर, वार्षिक समारोह, किताबों का मुद्रण तथा मरम्मत।	

1 2	3	4	5	6
2. प्रधानाचार्य				
जगदीश नारायण ब्रह्मचारी आश्रम संस्कृत महाविद्यालय लगमा, वाया लोहना रोड रामभेर पुर, जिला दरभंगा, बिहार	शिक्षण	7,10,011	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय,/फर्नीचर/ग्रंथालय की पुस्तकें/भवन की मरम्मत	
3. प्रधानाचार्य				
भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय डाकखाना गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार (उत्तर प्रदेश),	वही	7,23,832	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/फर्नीचर/यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/पुस्तकें/भवन की मरम्मत, तथा पुस्तकों का मुद्रण।	
4. प्रधानाचार्य				
दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत कालिज, अम्बाला छावनी (हरियाणा)	वही	6,82,044	वेतन/छात्रवृत्तियां/भविष्य निधि/आकस्मिक व्यय फर्नीचर/पुस्तकें तथा टंकण मशीन की खरीद ।	
5. श्री एकरसानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)	वही	6,88,182	छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय फर्नीचर/पुस्तकें/भवन की मरम्मत/	
6. मद्रास संस्कृत कालिज एवं एम० एस० वी० पाठशाला, 84, रोयापीठ हाई रोड, माइलापुर, मद्रास	वही	8,83,118	वेतन/छात्रवृत्तियां/फर्नीचर आकस्मिक व्यय/भवन की मरम्मत।	
7. मुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय मार्फत भारतीय विद्याभवन, के० एम० मुंशी मार्ग, बम्बई	वही	6,54,750	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पुस्तकालय पुस्तकें।	
8. हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ, डाकखाना भगोला जिला फरीदाबाद, हरियाणा	वही	7,10,862	वही	
9. कुप्पुस्वामी शास्त्री अनुसंधान संस्थान, 84, रोयापीठ रोड माइलापुर, मद्रास	अनुसंधान	5,94,288	छात्रवृत्तियां/वेतन/फर्नीचर/प्रकाशन भवन की मरम्मत, विज्ञापन।	
10. कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ बालसुरी, जिला कालीकट, केरल	शिक्षण	14,02,232	वेतन/आकस्मिक व्यय/यात्रा एवं दैनिक भत्ता/छात्रवृत्तियां/पुस्तकें एवं फर्नीचर ।	
11. वैदिक संशोधन मण्डल, तिलक विद्यापीठ नगर, पूना–9	अनुसंधान	5,20,887	वेतन/आकस्मिक व्यय/ग्रंथालय पुस्तकें	
12. श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती न्याय शास्त्र संस्कृत महाविद्यालय नं० 3, ईस्ट माडा स्ट्रीट, छोटा कांचीपुरम	शिक्षण	5,70,122	वही	
13. लक्ष्मी देवी शराफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय काली राखा, गांव डाकखाना देवगढ़, (बिहार)	वही	7,57,909	वही	
14. राजकुमारी गणेश शर्मा आदर्श संस्कृत पाठशाला कोलहांता पटोरी, बिहार	वही	6,88,977	वही	
15. हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जंगला रोहरू, हिमाचल प्रदेश ।	वही	6,46,500	वही	
16. स्वामी प्राणकुशाचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, बुलासगंज, गया	वही	6,45,869	वही	

1	2	3	4	5	6
17.	प्रज्ञाना पाठशाला मंडल वाई, जिला सतारा महाराष्ट्र	वही	4,26,450	अनुरक्षण अनुदान	
18.	राजा वेद काव्य पाठशाला डी 76/III काम स्ट्रीट, श्री नगर कालोनी, कुम्बाकोनम	शिक्षण	2,16,600	वेतन छात्रवृत्तियां	
19.	भारतीय चतुर्धाम वेदभवन न्यास, स्वदेशी सदन सिविल लाइन्स, कानपुर	वही	1,59,600	वही	
20.	मुख्याधीश थानई, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हाथरस, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	वही	1,10,700	वही	
21.	कल्पतरु अनुसंधान अकादमी पोस्ट बाक्स संख्या 1857, बंगलौर	अगमा, आल्या, अराधना पर परियोजना खर्च के लिए	2,41,860	वही	
	मंत्री				
22.	कन्या गुरुकुल, नरेला दिल्ली	वही	1,01,700	वही	
	उच्चतर शिक्षा				
1.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली		12,15,000		
2.	डा० जाकिर हुसैन मैमोरियल कालेज ट्रस्ट		6,30,000		
3.	श्री अरविन्दो अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, आरोविले		16,28,000		
4.	श्री अरविन्दो अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पाण्डिचेरी		17,32,000		
5.	मित्रा निकेतन, वेल्लानाद, केरल		5,06,000		
6.	लोक भारती, सनोसरा		11,31,945		
	नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन				
1.	आल इण्डिया प्राइमरी टीचर्स फैडरेशन, पटना	शैक्षिक कार्यकलापों का प्रसार	2,00,000	17वां द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित करना	
2.	इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	ऐतिहासिक पहलुओं पर समन्वय और पारस्परिक क्रियाकलाप	5,00,000	कांग्रेस का 52वां सत्र आयोजित करने के लिए	

(रुपयें)

क्रम सं०	एजेंसी/संगठन का नाम व पता	संगठन की संक्षिप्त गतिविधियां	वर्ष 1990–91 में सहायता अनुदान की राशि	प्रयोजन, जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया था।	कैफियत
1	2	3	4	5	6

गैर औपचारिक, शिक्षा

आन्ध्र प्रदेश

1.	एम० वेंकटरमैया फाउन्डेशन वेस्ट. सिकन्दराबाद	शैक्षिक/सामाजिक ग्रामीण सामुदायिक एकीकृत विकास	138000	डो० आर० यू०	
2.	गांव पुनः निर्माण संगठन. गुन्टूर–522409	वही	4,72,077	100 गै० औ० शि०	
3.	भागवातुला धर्मार्थ न्यास, 531055 जिला विशाखापतनम	वही	2,38,89,033	100 गै० औ० शिक्षा केन्द्र ई० एण्ड आई०	
4.	प्राच्य भाषा विद्यापीठ, जिला कृष्ण, आन्ध्र प्रदेश	वही	3,23,911	25 गै० औ० शिक्षा केन्द्र	
5.	रायलासीमा सेवा समिति तिरूपति–517501	वही	44,41,332	1100 गै० औ० शिक्षा केन्द्र	
6.	महालक्ष्मी कल्याण सोसायटी. विजयानगरम–3	वही	1,80,450	25 गै० औ० शि० केन्द्र	
7.	ग्राम सेवा समिति, जिला चित्तूर	वही	4,45,554	100 गै० औ० शिक्षा केन्द्र	
8.	आं० प्र० ग्रामीण पुनः निर्माण जिला चित्तूर	वही	1,32,538	100 गै० औ० शिक्षा केन्द्र	
9.	ग्रामीण शिक्षा सोसायटी, पुलमानूर–517247 जिला–चित्तूर	वही	3,09,125	100 गै० औ० शिक्षा केन्द्र	
10.	जागृति, माक्कुडु गांव, नेल्लोर, जिला	वही	2,75,100	100 गै० औ० शिक्षा केन्द्र	
11.	हैदराबाद जिला महिला मण्डालुला समाख्या हैदराबाद- 500873	वही	2,65,580	100 गै० औ० शिक्षा केन्द्र	
12.	श्रीनिवास महिला मण्डली जिला प्रकाशम	वही	1,32,790	50 गै० औ० शिक्षा	
13.	अनंद वेल्लार संगम सम्पाथी स्ट्रीट, तिरुवनाइकेल त्रिची- 620095	वही	4,44,761	100 गै० औ० शिक्षा	
14.	सेवा मन्दिर, हिन्दुपुर सेवा मन्दिर 515212	वही	2,12,000	डो० आर० यू०	
15.	भारतीय एकीकृत विकास के लिये सामाजिक कार्रवाई, तिरुपति- 517002	वही	6,61,315	100 गै० औ० शि०	
16.	लोक विकास कार्रवाई संगठन, जिला चित्तूर- 517423	वही	3,54,681	50 गै० औ० शिक्षा	
17.	कलेक्टिव आर्डर फार रूरल रिट्रक्शन एजूकेशन, कुप्पम, जिला चित्तूर- 517425	वही	2,14,577	50 गै० औ० श०	
18.	भारत सेवा समिति, चित्तूर	वही	4,45,800	100 गै० औ० शि०	
19.	नवचेतना शैक्षिक एकार्डेमम	वही	2,22,900	100 गै० औ० शि०	
20.	छेनुडा हैदराबाद	वही	5,77,607	100 गै० औ० शि०	

1	2	3	4	5	6
असम					
21.	असम चाय मजदूर शिक्षा बहु प्रयोजनीय सामाजिक शिक्षा जोरहाट	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण/ सामुदायिक एकीकृत विकास	1,32,790	50 गै० औ० शि०	
22.	भारखोरी उन्नयन समिति देसाई नुलबाड़ी	वही	1,20,040	50 गै० औ० शि०	
23.	अमुनामुख अन्तोला, महमीडिया मदरसा समिति, नवगांव।	वही	2,570,11	50 गै० औ० शि०	
24.	मोरी गांव महिला महफिल, मोरीमुखीन-नोगांव जिला-नवगांव।	वही	2,93,409	50 गै० औ० शि०	
25.	सवाउ असम ग्राम्य पुष्पराल संस्था, जिला नवगांव।	वही	1,19,757	25 गै० औ० शि०	
26.	देवबन्धु क्लब जिला, कछार- 788817	वही	1,32,790	50 गै० औ० शि०	
27.	उदासी रामारिया मदरसा जिला-नवगांव	वही	2,54,726	50 गै० औ० शि०	
बिहार					
28.	श्रम भारती खादीग्राम, मुंगेर	वही	2,12,000	डी० आर० यू०	
29.	झरिया महिला विकास केन्द्र, धनबाद	वही	1,76,509	25 गै० औ० शि०	
30.	समन्वय, आश्रम, बोध, गया, कंकड़बाग, पटना	वही	3,31,000	ई० एण्ड आई०	
31.	प्राकृतिक आरोग्य आश्रम, बिहार	वही	2,38,502	50 गै० औ० शि०	
32.	इन्दिरा गांधी समाज सेवा आश्रम, कंकड़बाग, पटना	वही	1,38,500	30 गै० औ० शि०	
33.	बिहार दलित विकास समिति, पटना	वही	4,80,600	100 गै० औ० शि०	
34.	अन्त्योदय लोक कार्यक्रम (अलोक) पश्चिम चम्पारन	वही	6,01,216	ई० एण्ड आई०	
35.	संथाल परगना ग्राम उद्योग समिति, देवगढ़ संथाल परगना	वही	1,28,562	30 गै० औ० शि०	
36.	आत्मा राजगढ़ी महिला समिति, (सेवा), मुंगेर	वही	2,35,089	100 गै० औ० शि०	
37.	सर्वोदय आश्रम, पी० ओ० रानीपटरा जिला पूर्णिया	वही	5,84,736	100 गै० औ० शि०	
38.	सेंट जेवियर्स उच्चतर स्कूल, जिला सिंहभूम	वही	2,60,278	50 गै० औ० शि०	
39.	जे० पी० सरायसा सेवा आश्रम, समस्तीपुर	वही	2,13,580	30 गै० औ० शि०	
40.	संथाल परगना अन्त्योदय आश्रम	वही	1,38,354	30 गै० औ० शि०	
41.	बोखरडिह प्रखण्ड स्वराज्य विकास संघ मधुबनी	वही	4,19,144	100 गै० औ० शि०	
42.	वनवासी सेवा केन्द्र, अधोरा ,जिला रोहतास	वही	2,45,586	100 गै० औ० शि०	
43.	समग्र ग्राम स्वराज्य संघ, नालन्दा	वही	1,38,500	30 गै० औ० शि०	
44.	ग्राम स्वराज्य समिति, पटना	वही	3,01,137	50 गै० औ० शि०	
45.	विनोबा आरोग्य एवं लोक शिक्षा केन्द्र, नालन्दा	वही	1,37,925	60 गै० औ० शि०	
46.	सत्याग्राम विकास समिति, वैशाली	वही	1,38,500	30 गै० औ० शि०	
47.	नवभारत जागृति केन्द्र चम्पारन, हजारीबाग	वही	2,37,122	60 गै० औ० शि०	
48.	अदीति, मधुबनी	वही	6,62,369	200 गै० औ० शि०	
49.	दरभंगा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ दरभंगा	वही	1,53,540	60 गै० औ० शि०	
50.	प्रखण्ड लोक विकास समिति, जिला मधुबनी	वही	1,38,500	30 गै० औ० शि०	

1	2	3	4	5	6
गुजरात					
51.	आनन्द निकेतन आश्रम न्यास, बड़ौदा	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण/	313517	90	गै० औ० शि०
52.	भावनगर महिला संघ, भावनगर–344001	सामुदायिक/एकीकृत विकास	439017	100	गै० औ० शि०
53.	ग्राम निर्माण केलवाणी मण्डल, जिला भारौच	वही	321984	100	गै० औ० शि०
54.	लाल भाई ग्रुप ग्रामीण विकास निधि, अहमदाबाद	वही	147181	100	गै० औ० शि०
55.	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ, सनोसरा, जिला भावनगर	वही	365133	100	गै० औ० शि०
56.	मानव सेवा मण्डल न्यास, राजकोट	वही	432637	100	गै० औ० शि०
57.	सर्वेन्ट्स आफ दि पीपल सोसायटी अहमदाबाद	वही	843600	200	गै० औ० शि०
58.	श्री पंच महल केलवाणी कलोल, जिला पंच महल	वही	103541	50	गै० औ० शि०
59.	श्री सरस्वतम, कच्छ जिला	वही	445099	100	गै० औ० शि०
60.	स्वराज्य आश्रम, जिला सूरत	वही	445691	100	गै० औ० शि०
61.	अंजुमन ए तालिमीइदारा	वही	461894	100	गै० औ० शि०
62.	नरोत्तम लाल भाई, ग्रामीण विकास निधि, अहमदाबाद	—वही—	168577	50	गै० औ० शि०
63.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेंशन ट्रस्ट, अहमदाबाद	—वही—	357879	100	गै० औ० शि०
64.	नेबर वेलफेयर ट्रस्ट, अहमदाबाद	—वही—	201463	100	गै० औ० शि०
65.	शहर सामाजिक समिति, अहमदाबाद	—वही—	611070	100	गै० औ० शि०
66.	रती, मोती पावर्ती, अहमदाबाद।	—वही—	390156	100	गै० औ० शि०
67.	नक्की शिक्षा सोसायटी, हरियाणा	—वही—	479781	100	—वही—
68.	शिक्षा समिति प्रशिक्षण कालेज, सोनीपत	—वही—	616986	130	—वही—
69.	विद्या महासभा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, सोनीपत	—वही—	961076	200	—वही—
70.	जनता कल्याण समिति, महेन्द्रगढ़।	—वही—	113210	100	—वही—
71.	हरियाणा पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, खरखोंदा।	—वही—	148500	30	—वही—
72.	पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण विकास के लिए सामाजिक कार्रवाई सोसायटी, जिला सिरमौर	—वही—	132790	50	—वही—
73.	ग्रामीण शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उत्थान सोसायटी, सोलन	—वही—	579178	100	—वही—

1	2	3	4	5	6
74.	जरूरतमन्द लोगों के लिए जन–कार्रवाई, अन्धेरी, सिरमौर	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण सामुदायिक/एकीकृत विकास	645580	100	गैर० औ० शि०
75.	ग्रामीण मानव हित केन्द्र (सचिव), जिला सिरमौर	–वही–	372647	100	–वही–
	केरल				
76.	केरल गैर–औपचारिक शिक्षा और विकास संघ, त्रिवेन्द्रम	–वही–	210405	150	–वही–
	कर्नाटक				
77.	राष्ट्रोत्थान परिषद, बंगलौर	–वही–	203725	50	–वही–
78.	कर्नाटक कल्याण सोसाइटी, चिकबल्लापुर	–वही–	456600	100	–वही–
	मध्य प्रदेश				
79.	जनता शिक्षा परिषद, जिला सतना	–वही–	170811	25	–वही–
80.	बाल आवास महिला समिति, मोराना	–वही–	120300	25	–वही–
81.	गायत्री शक्ति शिक्षा कल्याण समिति, जबलपुर	–वही–	119423	25	–वही–
82.	मोन्टेसरी शिक्षा सोसायटी, उज्जैन, मध्य प्रदेश	–वही–	197884	50	–वही–
83.	शिक्षा प्रसार समिति, जिला मोराना	–वही–	240600	25	–वही–
84.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, इन्दौर	–वही–	244905	100	–वही–
85.	तरुण संस्कार, जबलपुर	–वही–	119036	25	–वही–
86.	मध्य प्रदेश बाल कल्याण परिषद, भोपाल	–वही–	327224	100	–वही–
87.	एकलव्य, भोपाल	–वही–	1392981	—	–वही–
88.	विज्ञान साक्षरता केन्द्र, टीकमगढ़	–वही–	128300	—	–वही–
	मणिपुर				
89.	मणिपुर व्यावसायिक संस्थान, इम्फाल	–वही–	132790	50	–वही–
90.	वाणिज्य तथा कृषक विकास संघ इम्फाल।	–वही–	234952	50	–वही–
	महाराष्ट्र				
91.	जीवन कला मण्डल, बीड	–वही–	102418	50	–वही–
92.	समाज उन्नति शिक्षण कलम्बोर (खुर्द), जिला नांदेड़	–वही–	119160	25	–वही–
93.	समाज कल्याण मण्डल, नागपुर	–वही–	239104	50	–वही–
94.	यंग इण्डियन्स, आफिस, अन्धेरी (पश्चिम)	–वही–	174648	25	–वही–
95.	मुस्लिम चम्परबन्द सेवा संघ, शोलापुर	–वही–	119775	25	–वही–
96.	सेवाग्राम न्यास, सदाशिव पथ, पुणे	–वही–	137311	50	–वही–

1	2	3	4	5	6
97.	अहिल्या देवी होलकर, स्मारक, जिला यवतमाल	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण/सामुदायिक/एकीकृत विकास	240080	50	गै० औ० शि०
98.	डा० बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण प्रसारक मण्डल, जिला यवतमाल	—वही—	100839	25	—वही—
99.	औरंगाबाद ग्रामीण युवक कल्याण मण्डल, औरंगाबाद।	—वही—	180233	25	—वही—
100.	प्रबन्ध प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान, औरंगाबाद	—वही—	348880	50	—वही—
101.	योगानन्द शिक्षण प्रसारक मण्डल, जालना।	—वही—	119636	25	—वही—
102.	बाला साहेब माने शिक्षण प्रसारक मण्डल, कोल्हापुर	—वही—	115024	50	—वही—
103.	विदर्भ प्रादेशिक ग्रामवा समिति, नागपुर	—वही—	120300	25	—वही—
104.	सन्त कबीर शिक्षण प्रसारक मण्डल, औरंगाबाद	—वही—	445800	100	—वही—
105.	श्री मौनी विद्यापीठ, कोल्हापुर	—वही—	132790	50	—वही—
106.	महात्मा फूले शिक्षा प्रसारक मण्डल, नानदेद	—वही—	246795	25	—वही—
107.	अर्पण शिक्षा सोसायटी, औरंगाबाद	—वही—	119746	25	—वही—
108.	जवाहर लाल नेहरू शिक्षण प्रसारक मण्डल, नानदेद	—वही—	359195	75	—वही—
109.	श्री संजय गांधी शिक्षण प्रसारक मण्डल, पिम्पल गांव	—वही—	120300	25	—वही—
110.	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	—वही—	763400		ई० एण्ड आई० और गै० औ० शि० केन्द्र
111.	बम्बई नगर सामाजिक शिक्षा समिति	—वही—	120040	50	गै० औ० शि०
112.	ईश्वर सिद्ध जीवन जागृति मण्डल	—वही—	180450	25	—वही—
113.	शिक्षण प्रसारक मण्डल, मधा	—वही—	120300	25	—वही—
114.	आदिवासी सहज शिक्षण परिवार	—वही—	122746	25	—वही—
115.	कै० संजय गांधी क्रीडा संघ, नानदेद	—वही—	120300	25	—वही—
116.	ग्रामीण अपंग पुनर्वासन संस्था मण्डल, कोल्हापुर	—वही—	120040	50	—वही—
117.	पर्व विद्या प्रसारक मण्डल, पथरदी	—वही—	120040	50	—वही—
118.	सती माता शिक्षण संस्था, नागपुर	—वही—	120040	50	—वही—

1	2	3	4	5	6
119.	अवेही, बम्बई	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण/सामुदायिक/एकीकृत विकास	186316	--	ई० एण्ड आई०
120.	समुदाय स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अनुसन्धान, बम्बई	–वही–	201605	—	–वही–
121.	शैक्षिक सुधार एवं नवाचार सोसायटी, पुणे	–वही–	235094	--	-वही–
122.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे, उड़ीसा	–वही–	239875	--	–वही–
123.	आचार्य हरिहर शिशु भवन सत्यवाद, पुरी	–वही-	389710	100	गै० औ० शि०
124.	अन्तोदय चेतना मण्डल।	–वही-	198900	100	-वही–
125.	अंतोदय चेतना केन्द्र, किओन्झर।	–वही–	217655	50	–वही–
126.	अंतोदय सेवा केन्द्र, कटक।	–वही–	229380	50	–वही–
127.	वनदेवी क्लब, फूलबाणी।	–वही–	266002	50	–वही–
128.	वनदेवी सेवा सदन, जिला गंजम	–वही–	240080	50	–वही–
129.	वनदेवी सेवा सदन, जिला गंजम	–वही–	120040	50	–वही–
130.	बापूजी पथागढ़, जिला बोलांगिर	–वही–	257425	50	–वही–
131.	भगवत पाथागढ़, जिला बोलांगीर, उड़ीसा।	–वही–	254480	50	–वही-
132.	भैरवी क्लब, पुरी।	-वही–	216485	50	गै० औ० शि०
133.	विद्युत क्लब, पुरी	–वही–	480600	100	गै० औ० शि०
134.	बिनापानी युवक संघ, मयूरभंज।	–वही–	240080	50	गै० औ० शि०
135.	निम्न आय पुनरुद्धार केन्द्र, कटक	–वही–	255539	50	गै० औ० शि०,
136.	युवा तथा समाज विकास केन्द्र, भुवनेश्वर।	–वही–	1033013	200	गै० औ० शि०। तथा डी० आर० यू०
137.	कटक जिला आदि वासी हरिजन सेवा संस्कार योजना, कटक	–वही–	239791	50	गै० औ० शि०
138.	दाहोखाई युवक संघ, पुरी, उड़ीसा।	–वही–	331190	50	गै० औ शि०
139.	प्रकोटा युवक संघ, क्योंझर	–वही–	381680	100	गै० औ० शि०
140.	कटक जिला महिला विकास समिति, कटक	–वही–	162379	25	गै० औ० शि०
141.	गांधी सेवाश्रम, बालासोर।	–वही–	480600	100	गै० औ० शि०
142.	मनिया उन्नयन समिति, पुरी	–वही–	247774	50	गै० औ० शि०
143.	धुमुसरा महिला संगठन फूलबानी	–वही–	719118	100	गै० औ शि०,
144.	गोपीनाथ युवा संघ, पुरी	–वही–	224389	50	गै० औ शि०

1	2	3	4	5 6
145.	ग्राम मंगल पाठागार, बोलंगीर	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण सामुदायिक/एकीकृत विकास	480466	100 गै० औ० शि०
146.	होनिया लेपरेसी रिसर्च ट्रस्ट, कोरापुट, उड़ीसा	—वही—	222890	100 गै० औ० शि०
147.	इन्ट० रूरल रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड डीसास्टर रेस्प सर्विस, कोरापुट, उड़ीसा	—वही—	391505	100 गै० औ० शि०
148.	इन्टरनेशनल इन्डीसेन्सी प्रीवेनशन मूवमेंट, कटक।	—वही—	512935	100 गै० औ० शि०
149.	जाटिया युवक संघ, ढेनकनाल।	—वही—	133050	25 गै० औ० शि०
150.	जन कल्याण समाज, पुरी	—वही—	384426	100 गै० औ० शि०
151.	जयन्ती पाठागार, गंजम	—वही—	456151	100 गै० औ० शि०
152.	जयन्ती पाठागार	—वही—	400811	100 गै० औ० शि०
153.	ज्योतिर्मयी महिला समिति, कटक, उड़ीसा	—वही—	550340	100 गै० औ० शि०
154.	नवसासदरी, ढेनकलाल, उड़ीसा	—वही—	115101	25 गै० औ० शि०
155.	लोक शक्ति, बालासोर	—वही—	425467	100 गै० औ० शि०
156.	एम० ओ० क्लब, पुरी	—वही—	231977	50 गै० औ० शि०
157.	मण्डल पोखारी युवक संघ, बालासोर	—वही—	209154	50 गै० औ० शि०
158.	जागरण, कोरापुट	—वही—	337957	100 गै० औ० शि०
159.	नेताजी युवक संघ, बालासोर	—वही—	247722	50 गै० औ० शि०
160.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी	—वही—	396585	100 गै० औ० शि०
161.	ओल्ड राऊरकेला शिक्षा, सुन्दरगढ़	—वही—	454470	100 गै० औ० शि०
162.	पालो मंगल युवक संघ, पुरी	—वही—	246409	50 गै० औ० शि०
163.	पल्लीश्री, कटक	—वही—	240050	50 गै० औ० शि०
164.	पीपल इन्स्टीट्यूट फार पारटीसीपेटरी एक्शन रिसर्च, ढेनकनाल	—वही—	428229	100 गै० औ० शि०
165.	प्रगति पाठागार।	—वही—	385498	50 गै० औ० शि०
166.	प्रगति पाठागार, गंजम।	—वही—	362220	50 गै० औ० शि०

1	2	3	4	5 6
167.	राधानाथ पाठागार, बालासोर।	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण सामुदायिक/एकीकृत विकास	228980	50 गै० औ० शि०
168.	रामजी युवक संघ, बोलंगीर	—वही—	478848	100 गै० औ० शि०
169.	ग्रामीण विकास सोसाइटी, कटक	—वही—	480327	100 गै० औ० शि०
170.	रूरल एजूकेशन एण्ड एक्शन फार चेंज, भुवनेश्वर	—वही—	312432	100 ग० औ० शि०
171.	ग्रामीण महिला विकास सेवा केन्द्र, ढेनकनाल	—वही—	250424	50 गै० औ० शि०
172.	समग्र विकास परिषद, बालासोर	—वही—	157080	50 ग० औ. शि०
173.	सामाजिक सेवा सदन, ढेनकनाल	—वही—	448505	100 गै० औ० शि०
174.	सर्वोदय समिति, कोरापुट	—वही—	238840	50 गै० औ० शि०
175.	विकास कार्य सोसायटी, मयूरभंज, उड़ीसा	—वही—	600670	100 गै० औ० शि०
176.	स्वास्थ्य शिक्षा तथा विकास सोसाइटी, जिला कोरापुट	—वही—	431917	100 गै० औ० शि०
177.	श्री सत्यसाई सेवा समिति, जिला सुन्दरगढ़	—वही—	180058	50 ग 2 औ० शि०
178.	श्री शारदेश्वरी पाठगार, जिला बोलंगीर।	—वही—	386196	50 ग० औ० शि०
179.	सुभद्र मेहताब सेवा सदन, जिला फुलबनी	—वही—	240076	100 ग० औ० शि०
180.	स्वामी विवेकानन्द समाज कार्य तथा सम्बद्ध सेवाएं संस्थान, जिला कालाहाण्डी	—वही—	535974	100 ग० औ० शि० तथा डी० आर० यू०
181.	टैगोर ग्रामीण विकास सोसायटी, भुवनेश्वर	—वही—	512954	300 ग० औ० शि०
182.	उत्कल नवजीवन मण्डल, जिला ढेनकनाल	—वही—	432663	100 गै० औ० शि०
183.	उत्कलमनी सेवा संघ, जिला पुरी	—वही—	341241	50 ग० औ० शि०
184.	विकास भुवनेश्वर	—वही—	364021	50 गै० औ० शि०
185.	विवेकानन्द पाली अग्रगामी सेवा प्रतिष्ठान, भुवनेश्वर	—वही—	450860	100 गै० औ० शि०
186.	समुदाय कल्याण एवं सम्पन्न सोसाइटी, भुवनेश्वर	—वही—	323583	50 गै० औ० शि०
187.	नारी शक्ति समाज, जिला पुरी	—वही—	199138	50 गै० औ० शि०
188.	अग्रगामी, काशीपुर	—वही—	1030725	100 गै० औ० शि० तथा डी० आर० यू०
189.	सोसाइटी फार ह्यूमन रिसोर्स एण्ड इकोलाजीकल डेवलपमेंट, जिला फुलबानी	—वही—	438330	100 गै० औ० शि०

1	2	3	4	5 6
190.	बाबानी शंकर क्लब, गानपुर, डाकघर, सोमीर, पुरी।	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण सामुदायिक/एकीकृत विकास	411950	100 गै० ओ० शि०
191.	समाज कार्य तथा समाज विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान, भुवनेश्वर।	—वही—	460265	100 गै० ओ० शि०
192.	युवा ज्योति क्लब, जिला पुरी।	—वही—	119382	25 गै० ओ० शि०
193.	आंचलिक बल्देव ब्यू स्वच्छिक एजेंसी, कटक।	—वही—	113865	25 गै० ओ० शि०
194.	लूथरन महिला समिति, जिला कटक।	—वही—	245274	50 गै० ओ० शि०
195.	ग्रामीण पुनर्गठन युवा संघ, जिला धेनकनाल।	—वही—	308578	50 गै० ओ० शि०
196.	धर्मनन्दन युवक संघ, जिला सुन्दरगढ़।	—वही—	239826	50 गै० ओ० शि०
197.	रुचिका स्कूल, भुवनेश्वर।	—वही—	117244	25 गै० ओ० शि०
198.	ग्रामीण पुनर्गठन तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी स्वैच्छिक संघ, जिला कटक।	—वही—	412976	50 गै० ओ० शि०
199.	समनवीटा ग्राम उन्नयन समिति, जिला फुलबानी।	—वही—	255433	50 गै० ओ० शि०
200.	लोक नायक क्लब, कटक।	—वही—	458020	100 गै० ओ० शि०
201.	वाल्मिकेश्वर युवक संघ, जिला पुरी।	—वही—	287782	50 गै० ओ० शि०
	राजस्थान			
202.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, अजमेर।	—वही—	588679	100 गै० ओ० शि० + डी० आर० यू०
203.	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, जिला जोधपुर।	—वही—	602851	100 गै० ओ० शि०
204.	भोरूका चैरिटेबल ट्रस्ट, जिला चुरू।	—वही—	414545	100 गै० ओ० शि०
205.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, बीकानेर।	—वही—	199339	50 गै० ओ० शि०
206.	जवाहर सेवा सदन पाहुना, चित्तौड़गढ़।	—वही—	138500	30 गै० ओ० शि०
207.	गांधी विद्या मन्दिर, जिला चुरू।	—वही—	403788	100 गै० ओ० शि०
208.	भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ, भीलवाड़ा।	—वही—	663910	100 गै० ओ० शि०
209.	जिला महिला जागृति परिषद, बाड़मेर।	—वही—	126759	30 गै० ओ० शि०
210.	जोधपुर प्रौढ़ शिक्षा संघ, जोधपुर।	—वही—	227398	100 गै० ओ० शि०

1	2	3	4	5	6
211.	लोक शिक्षण संस्थान, जयपुर।	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण साम्प्रदायिक/एकीकृत विकास	239117	50 गै० औ० शि०	
212.	राजस्थान विद्यापीठ लोक शिक्षा परिषद, उदयपुर।	—वही—	174613	50 गै० औ० शि०	
213.	बोध शिक्षा समिति, जयपुर।	—वही—	657880	ई० एण्ड आई०	
214.	राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर।	—वही—	438515	100 गै० औ० शि०	
215.	जिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, कोटा।	—वही—	455110	100 गै० औ० शि०	
216.	वूमैन्स वालेन्ट्री सर्विस आफ तमिलनाडु, वेनपुर।	—वही—	407051	100 गै० औ० शि०	
	तमिलनाडु				
217.	टैगोर शैक्षिक सोसायटी, दक्षिण आरकोट।	—वही—	222900	100 गै० औ० शि०	
218.	सिस्टर्स आफ क्रास कांग्रेशन वावनोद, त्रिचरापल्ली।	—वही—	240080	50 गै० औ० शि०	
219.	जी० आर० डी० कोयम्बटूर ट्रस्ट।	—वही—	480600	100 गै० औ० शि०	
220.	राष्ट्रीय सेवा संघ, वेल्लालपट्टू	—वही—	118655	25 गै० औ० शि०	
221.	कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इण्डिया, मद्रास।	—वही—	457893	ई० एण्ड आई०	
222.	वूमैंस इण्डियन एसोसिएशन मद्रास	—वही—	239837	50 गै० औ० शि०	
223.	मघर नाला मंघरम, दक्षिण आरकोट	—वही—	170741	100 गै० औ० शि०	
224.	शिक्षा और विकास के लिए लीग त्रिचुरापल्ली।	—वही—	216115	50 गै० औ० शि०	
	उत्तर प्रदेश				
225.	बाल कल्याण केन्द्र, जिला देवरिया।	—वही—	478212	100 गै० औ० शि०	
226.	आदर्श जनता शिक्षा समिति, जिला इलाहाबाद।	—वही—	445800	100 गै० औ० शि०	
227.	वनवासी सेवा आश्रम, सोनभद्र।	—वही—	1612439	400 गै० औ० शि०	
228.	जन कल्याण शिक्षा समिति, जिला देवरिया	—वही—	445716	100 गै० औ० शि०	
229.	लोक विकास संस्थान इलाहाबाद	—वही—	441151	100 गै० औ० शि०	
230.	स्याना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, खुर्जा	—वही—	664484	100 गै० औ० शि०	
231.	सर्वदलीय मानव विकास केन्द्र, मुरादाबाद	—वही—	396275	100 गै० औ० शि०	

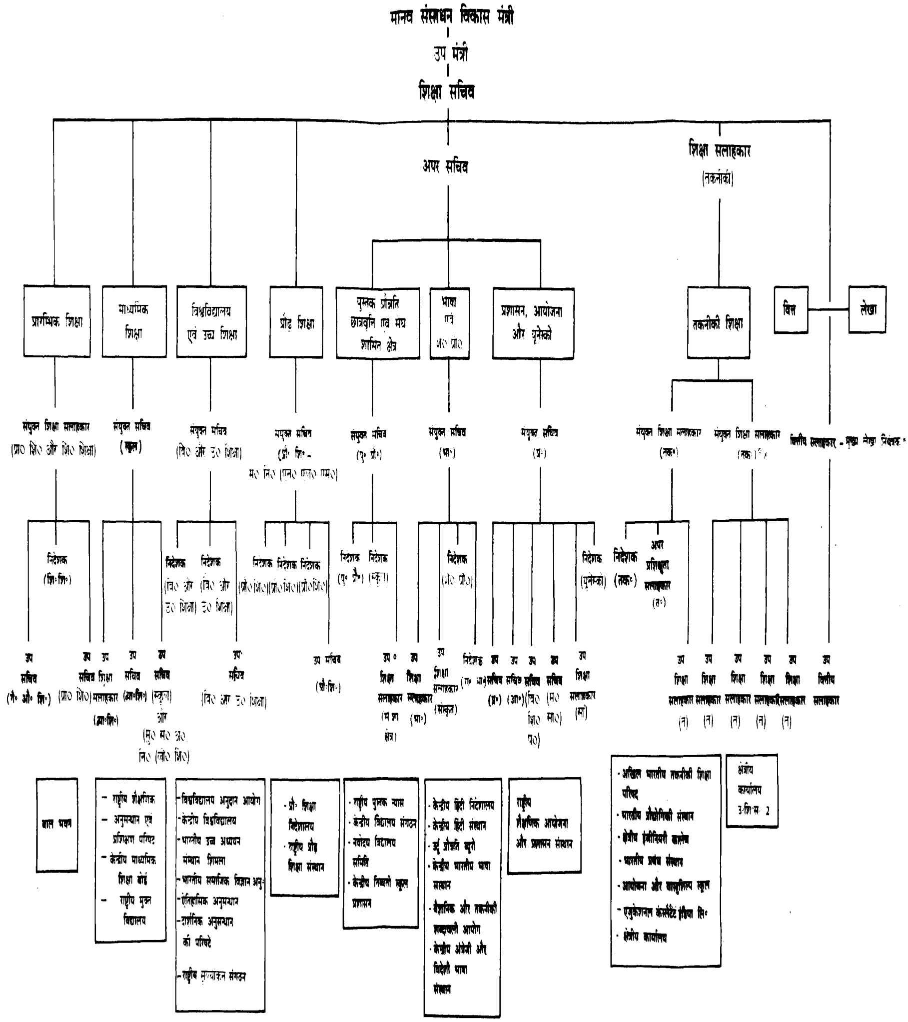
1	2	3	4	5	6
232.	सर्वोदय शिक्षा सदन, समिति, शिकोहाबाद	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण सामुदायिक/एकीकृत विकास	237860	50 ग०औ० शि०'	
233.	युवक मंगल दल, जिला उन्नाव	—वही—	359930	50 गै० औ० शि०'	
234.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	—वही—	120300	25 गै० औ० शि०	
235.	श्री जगदम्बा बाल विद्या मन्दिर, फतेहपुर	—वही—	119928	25 गै० औ० शि०	
236	मध्यम सत्यकाम शिक्षा केन्द्र गोरखपुर	—वही—	132790	50 गै० औ० शि०	
237.	निर्बल वर्ग उत्थान समिति, उन्नाव	—वही—	123359	25 गै० औ० शि०	
238.	स्वामी आत्मादेव गोपालानन्द शिक्षा संस्थान, फर्रुखाबाद	—वही—	120300	25 गै० औ० शि०	
239.	समाज उत्थान एवं अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	—वही—	114015	25 गै० औ० शि०	
240.	जन चेतना शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	—वही—	120300	25 गै० औ० शि०	
241.	उ० प्र० राणा बेनी माधव जन कल्याण समिति, रायबरेली	—वही—	395910	100 गै० औ० शि०	
242.	जनजाति विकास समिति, मिर्जापुर	—वही—	239865	50 गै० औ० शि०	
243.	साक्षरता भवन, लखनऊ	—वही—	211152	400 गै० औ० शि	
244.	समाजोत्थान एवं शिक्षा प्रचारिका संस्थान, मेरठ	—वही—	116633	25 गै० औ० शि०	
245.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	—वही—	120166	25 गै० औ० शि०	
246.	अखिल भारतीय बाल देख-रेख और विकास सोसाइटी, आजमगढ़	—वही—	444765	100 गै० औ० शि०	
247.	इरशाद अकादमी, मेरठ	—वही—	119989	25 गै० औ० शि०	
248.	बुद्धिष्ठवा बाबा महिब डा० अम्बेडकर स्मारक समिति, लखनऊ	—वही—	240080	50 गै० औ० शि०	
249.	आदर्श सेवा समिति मुजफ्फर नगर	—वही—	238298	50 गै० औ० शि०	
250.	आशा सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जिला हरदोई	—वही—	118660	25 गै० औ० शि०	
251.	गंगा रानी बालिका विद्यालय, फर्रुखाबाद	—वही—	239785	50 गै० औ० शि०	
252.	शहीद स्मारक सोसायटी, लखनऊ	—वही—	443029	100 गै० औ० शि०'	

1	2	3	4	5	6
253.	तिलक शैक्षिक समिति, इलाहाबाद विभिन्न	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण सामुदायिक/एकीकृत विकास	119925	25 गै० औ० शि०	
254.	दिगान्तर शिक्षा एवं खेल–कूद समिति, जयपुर	–वही–	147015	ई० एण्ड आई०	
255.	पश्चिम बंग खेरिया सागर कल्याण समिति, पश्चिम बंगाल	–वही–	136740	60 गै० औ० शि०	
256.	बंगाल सोशल सर्विस लीग, कलकत्ता	–वही–	598300	100 गै० औ० शि० तथा डी० आर० यू०	
257.	कलकत्ता अरबन सर्विस कान्सोर्टियम, कलकत्ता	–वही–	890835	200 गै० औ० शि०	
258.	टैगोर ग्रामीण विकास समाज, कलकत्ता	–वही–	719501	200 गै० औ० शि०	
259.	श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम, पश्चिम बंगाल	–वही–	119918	300 गै० औ० शि०	
260.	मनोविज्ञान एवं शैक्षणिक अनुसंधान, संस्थान, कलकत्ता	–वही–	746989	ई० एण्ड आई०	
261.	ग्राम कल्याण समाज, हावड़ा	–वही–	358036	50 गै० औ० शि०	
262.	विश्व भारती, पश्चिम बंगाल	–वही–	361000	डी० आर० यू०	
263.	समता संस्था, कलकत्ता	–वही–	318266	50 गै० औ० शि०	
264.	मजहरदंगा कृशनरदंगा आदिवासी, रोमेर्गी जिल्ला गोन्टा, पश्चिम बंगाल	–वही–	142390	50 गै० औ० शि०	
265.	सिद्धू कानु उन्नयन समिति, पश्चिम बंगाल	–वही–	206944	ई० एण्ड आई०	
266.	मसीरा राष्ट्रीय बुनियादी शैक्षणिक संस्थान पुरूलिया	–वही–	327240	ई० एण्ड आई०	
267.	पी० एच० डी० ग्राम विकास, नई दिल्ली	–वही–	336121	100 गै० औ० शि०	
268.	सार्वजनिक विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली	–वही–	953357	200 गै० औ० शि०	
269.	नेहरू बाल समिति, नई दिल्ली	–वही–	210529	50 गै० औ० शि०	
270.	लेडी इरविन कालेज नई दिल्ली	–वही–	289288	ई० एण्ड आई०	
271.	भारतीय बाल भवन संस्थान, नई दिल्ली	–वही–	161000	ई० एण्ड आई०	

MGIPF—864HRD/92—1200—30-3-93

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा विभाग



× यह अपर सचिव के प्रभार में है।

* वित्त सलाहकार के समग्र प्रभार में

विक्न

पृष्ठ सं0 252 पर विवरण सं0 24 में आंकडें, रूपये लाखों में और पढ़ें

पंक्ति 27 " चंडीगढ	1062	53	3500	924.45	4424.45"
पंक्ति 31 "लक्षद्वीप	168	16	702.11	0	702.11"
"सभी राज्य/संघ शासित	605646	39444	1019435.11	196238.45	1215673.56"
"कुल (केन्द्र + राज्य)	893646	179444	1681335.11	278638.45	1959973.56"

"स्रोत : योजना आयोग "

प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा के आंकडे, योजना आयोग द्वारा शिक्षा पर कार्य दल की चर्चा की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए हैं ।

पृष्ठ सं0 253 पर विवरण सं0 25 में पढ़ें

पंक्ति 20 "राजस्थान	59.11	3.18	89.57	10.43"
पंक्ति 23 "त्रिपुरा	57.28	1.92	98.77	1.23"
पंक्ति 27 "चंडीगढ	24.00	1.20	79.11	20.89"
पंक्ति 28 "दादर व नगर हवेली	20.89	0.47	84.35	15.65"
पंक्ति 31 "लक्षद्वीप	23.93	2.28	100.00	0.00"
"सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	49.81	3.24	83.86	16.14"

पृष्ठ सं0 254 पर विवरण सं0 26 में आंकडे रूपये लाखों में हैं और पढ़े

पंक्ति 6 "गुजरात	1538	355	3000	2500	5500.00"
पंक्ति 9 "जम्मू और काश्मीर	3000	168	6034	394	6428.00"
पंक्ति 17 " नागालैंड	306	12.60	860	110	970.00"
पंक्ति 26 " अ0और नि0द्वी.स.	438	4.60	906.80	274	1180.80"
पंक्ति 28 " दा0न0हवेली	90	0.60	152	20	172.00"
पंक्ति 29 " दमन और द्वीव	86.87	2.25	115.85	80	195.85"
पंक्ति 30 " दिल्ली	5262.70	122.40	7200	1800	9000.00"
पंक्ति 31 " लक्षद्वीप	34.21	2.76	132.21	कु0न.	132.21"
" सभी राज्य/संघ शा0	92801.78	8066.21	158745.86	40672	199417.86"
कुल योग(केन्द्र+ राज्य)	121201.78	20066.21	236945.86	57672	294617.86"

स्रोत : योजना आयोग"

पृष्ठ सं0 255 पर विवरण सं0 27 में पढ़ें

पंक्ति 6 " गुजरात	28.0	6.4	54.5	45.5"
पंक्ति 9 " जम्मू और काश्मीर	46.7	2.6	93.9	6.1"
पंक्ति 16 "मिजोरम	47.2	3.5	93.8	6.2"
पंक्ति 26 " अ. नि. बा. द्वी. समूह	37.1	0.4	76.8	23.2"
पंक्ति 28 " दादरा व नगर हवेली	52.3	0.3	88.4	11.6"
पंक्ति 29 " दमन और द्वीव	44.4	1.1	59.2	40.8"
पंक्ति 30 " दिल्ली	58.5	1.4	80.0	20.0"
"सभी राज्य/संघ शासित प्रे.	46.5	4.0	79.6	20.4"
"केन्द्र + राज्य	61.14	6.81	80.42	19.58"

टिप्पणी :- उक्त आंकडे विवरण सं0 26 पर आधारित हैं ।

पृष्ठ सं0 256 पर विवरण सं0 28 में पढ़ें

पंक्ति 4 "बिहार	17824	1072.25	6.0"

"स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 1991-92 और राज्य बजट दस्तावेज ।

शुद्धिपत्र

पृष्ठ सं0 225 पर विवरण सं0 1 में पढ़ें

पंक्ति 10 "कर्नाटक	191791	19	181"
पंक्ति 13 "महाराष्ट्र	307690	31	300"
पंक्ति 20 "राजस्थान	342239	30	236"
"भारत	3287259	462	6328"

स्रोत: (1) चुनिन्दा शैक्षिक आंकडें (1991-199

पृष्ठ सं0 233 पर विवरण सं0 9 में पढ़ें

पंक्ति 6 "1991-92	565786	152077	81747	5058	950	196"

पृष्ठ सं0 236 पर विवरण सं0 12 में पढ़ें

पंक्ति 10 कर्नाटक	23695	16512	5337	403	132	10"
भारत	565786	152077	81747	5058	950	196"

पृष्ठ सं0 248 पर विवरण सं0 20 में पढ़ें

पंक्ति 3 "असम	64.00	66.43	65.07	57.73	54.78	56.49	62.44	56.43
पंक्ति 13 "महाराष्ट्र	39.70	53.38	46.02	54.00	71.23	61.78	70.51	83.96
पंक्ति 20 "राजस्थान	59.22	72.71	62.47	67.27	83.91	70.22	82.81	96.04
पंक्ति 25 "पश्चिम बंगाल	55.94	66.52	59.45	76.68	82.46	78.94	89.28	91.30
पंक्ति 27 "चंडीगढ़	0.0	7.33	0.0	0.0	0.0	0.0	48.49	48.26
पंक्ति 30 "दिल्ली	18.50	10.25	15.18	52.13	58.16	54.80	58.45	75.19
पंक्ति 32 "पांडिचेरी	0.0	0.0	0.0	12.49	26.92	19.48	58.25	69.67
पंक्ति 33 "भारत	47.24	53.39	49.62	64.37	73.60	67.78	76.52	85.62

पृष्ठ सं0 249पर विवरण सं0 21 में पढ़ें

पंक्ति 14 "मणिपुर	77.20	78.09	77.61	84.87	85.82	85.30	85.12	86.79
पंक्ति 19 "पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-
पंक्ति 20 "राजस्थान	66.77	79.07	69.63	72.34	86.07	74.44	83.09	94.33
पंक्ति 21 "सिक्किम	66.99	57.19	62.87	70.89	62.25	67.19	86.78	88.83
पंक्ति 22 "तमिलनाडु	42.61	54.31	47.95	51.45	59.72	54.90	75.47	77.13
पंक्ति 23 "त्रिपुरा	73.96	78.41	75.86	84.75	88.17	86.17	90.83	93.44
पंक्ति 24 "उत्तर प्रदेश	41.73	51.60	45.14	55.83	63.69	58.10	79.30	83.88
पंक्ति 25 "पश्चिम बंगाल	63.76	67.55	65.03	83.27	87.03	84.39	92.35	92.74
पंक्ति 26 "अंडमान और नि0द्वी0समूह	8.95	13.33	11.00	35.20	38.13	36.50	42.76	64.31

पृष्ठ सं0 251 पर विवरण सं0 23 में पढ़ें

पंक्ति 1 "दिल्ली	5749	25751	31500	28.65"
पंक्ति 4 "चंडीगढ़	487	4115	4602	24.12"
पंक्ति 7 "मणिपुर	875	5811	6686	21.52"
पंक्ति 8 "असम	7930	39611	47541	20.98"
पंक्ति 12 "तमिलनाडु	4576	121019	125595	20.10"
पंक्ति 15 "गुजरात	3110	88009	91119	19.71"
पंक्ति 17 "उडीसा	11063	43386	54449	19.08"
पंक्ति 18 "उत्तर प्रदेश	18039	167994	186033	18.05"
पंक्ति 20 "मेघालय	1835	4955	6790	17.82"
पंक्ति 27 "मिजोरम	837	3355	4192	13.44"
पंक्ति 28 "पंजाब	6314	52114	58428	13.41"
पंक्ति 31 अंडमान और नि0द्वी. समूह	260	1586	1846	11.00"
सभी राज्य/संघ शासित	169580	1508438	1678018	19.44"
"केन्द्रीय क्षेत्र	103070	77117	180187	2.21"
"कुल (केन्द्र + राज्य)	272650	1585555	1858205	10.70"

" स्रोत: राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बजट दस्तावेज